तुर्दश माला, खंड 36, अंक 14

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2008
26 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग-दो)

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 14-76
Dated 22 July 2010

(खण्ड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 14, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2008/26 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 265	2-47
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 266 से 280	48-88
अतारांकित प्रश्न संख्या 2683 से 2912	88-435
सभा पटल पर रखे गए पत्र	436-475
राज्य सभा से संदेश	476
प्राक्कलन समिति	
19वां और 20वां प्रतिवेदन	477
लोक लेखा समिति	
78वां और 80वां प्रतिवेदन	477
याचिका समिति	
43वां और 45वां प्रतिवेदन	478
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
212वां प्रतिवेदन	479
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री जी.के. वासन	479-481
(दो) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डा. एम.एस. गिल	482

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(तीन) (क) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सरकार की नीति के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 482

(ख) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री पृथ्वीराज चव्हाण 482

(चार) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री आनन्द शर्मा 483-486

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऐतिहासिक शहर कालपी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 507

(दो) राजस्थान के जोधपुर में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खोले जाने और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई 507

(तीन) उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' 508

(चार) देश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 509

(पांच) राजस्थान के अजमेर में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 509

विषय	कॉलम
(छह) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में काजू उद्योग को बचाने के लिए आवश्यक उपाय आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. राजेन्द्रन	510
(सात) पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रशान्त प्रधान	510
(आठ) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बेतवा नदी के जल के बंटवारे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रपाल सिंह यादव	510
(नौ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कृपाल यादव	511
(दस) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण देने वाले जित्तीय संगठनों को कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रसन्न आचार्य	511
(ग्यारह) असम पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना चालू किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	512
(बारह) असम के कारबी-आंगलौंग और नॉर्थ कचार हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बोडो-कचारियों को असम की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) की सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	513
असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	513
खंड 2 से 17 और 1	518-550
पारित करने के लिए प्रस्ताव	550

विषय कॉलम

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008

और

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . 551

श्री पी. चिदम्बरम . . . 551-561

श्री लाल कृष्ण आडवाणी . . . 561-575

श्री कपिल सिब्बल . . . 575-595

श्री बसुदेव आचार्य . . . 595-604

श्री मोहन सिंह . . . 604-610

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव . . . 611-617

श्री अनंत गंगाराम गीते . . . 617-624

श्री तथागत सत्पथी . . . 625-629

श्री गुरुदास दासगुप्त . . . 629-633

श्री ए. कृष्णास्वामी . . . 633-635

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा . . . 635-638

श्री खारबेल स्वाईं . . . 638-651

श्री किरिप चालिहा . . . 651-654

प्रो. एम. रामदास . . . 654-658

श्री जे.एम. आरुन रशीद . . . 658-660

श्री प्रहलाद जोशी . . . 660-661

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार . . . 661-664

श्री सर्वानन्द सोनोवाल . . . 664-665

श्री असादुद्दीन ओवेसी . . . 665-670

श्री एस.के. खारवेनथन . . . 670-672

श्री के. फ्रांसिस जार्ज . . . 672-678

श्री फ्रांसिस फैन्थम . . . 678-679

डा. टोकचोम मैन्या . . . 679-681

विषय	कॉलम
श्री विक्रम केशरी देव	681-683
श्री शैलेन्द्र कुमार	683-684
श्री विजय बहुगुणा	684-686
श्री राम कृपाल यादव	686-689
मोहम्मद सलीम	689-692
श्री एम. शिवन्ना	692-693
श्री किन्जरपु येरननायडु	693-694
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	694-695
श्री रामदास आठवले	695-697
श्री तापिर गाव	698
डा. वल्लभभाई कथीरिया	699-701
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	701-704
श्रीमती तेजस्विनी गौडा	704-705
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008	
खंड 2 से 25 और 1	714-717
पारित करने के लिए प्रस्ताव	714-717
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008	
खंड 2 से 16 और 1	718-730
पारित करने के लिए प्रस्ताव	718-730
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	731-732
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	731-744
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	745-746
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	745-748

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2008/26 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने प्रश्नकाल को रद्द करने का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नकाल के बाद सबसे पहले आपका नाम भी पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, देश के अलग-अलग हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका नाम भी पुकारूंगा। कृपया मुझे आपका नाम पुकारने का अवसर दें।

(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, यह मामला पहले ही उठाया जा चुका था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं कि आप उनके मित्र है, आप यह मामला जानते हैं।

[हिन्दी]

इस मैटर में मैं क्या समझूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभी मामलों पर विचार किया जाएगा तथा संभवतः प्रश्नकाल के बाद उठाने की अनुमति दी जायेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, चन्द्रपाल जी के साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी-अभी नोटिस के बारे में बताया गया है तथा मैं इसे देखूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब तक मैं इस सीट पर हूं, हालांकि मैं ज्यादा समय तक इस पद पर नहीं रहूंगा, किसी भी संसद सदस्य को देश के किसी व्यक्ति द्वारा परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं कार्रवाई करूंगा। कृपया मुझे नोटिस पढ़ने दें। श्री सुमन, अब आप नेता है, आपको अवश्य ही सहयोग करना चाहिए।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 261 – श्री सुग्रीव सिंह

[अनुवाद]

स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली

***261. श्री सुग्रीव सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली से वांछित लक्ष्य प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या परिदान प्रणाली पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिनांक 30.9.2008 तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उपलब्धियां नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हैं:—

1. रोगी कल्याण समिति	547 जिला अस्पतालों, 4038 सामुदायक स्वास्थ्य केन्द्रों, 662 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अस्पतालों, को छोड़कर, 16735 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास उनकी अपनी रोगी कल्याण समितियां हैं जहां स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए असम्बद्ध निधियां उपलब्ध हैं।
2. आशा/सम्पर्क कार्यकर्त्ता	6.25 लाख आशाओं/सम्पर्क कार्यकर्ताओं का चयन किया गया, 5.40 लाख को कम से कम एक माड्यूल में प्रशिक्षित किया गया और 2.43 लाख को उनके संबंधित गांवों में औसत किटें प्रदान की गईं।
3. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां	2.98 लाख गांवों (लगभग 50 प्रतिशत) की अपनी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां हैं जिनमें से 2.10 लाख गांवों को स्थानीय कार्य के लिए असम्बद्ध अनुदान के रूप में 10,000/–रुपए प्राप्त हुए हैं।
4. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	वर्ष 2006–07 में 30.48 लाख, वर्ष 2007–08 में 44.76 लाख और वर्ष 2008–09 में अब तक 13.35 लाख ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एकीकृत बाल विकास योजना केन्द्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए आयोजित किए गए हैं।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में सातों दिन चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं	कुल 11,135 एपीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य उप-जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य उप-जिला सुविधा केन्द्र सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं।
6. कार्यक्रम प्रबंधन एकक	398 जिला कार्यक्रम प्रबंधक, 434 जिला लेखा प्रबंधक, 433 जिला आंकड़ा प्रबंधक, 523 जिला कार्यक्रम प्रबंधन एकक, 34 राज्य प्रबंधन एकक, 1261 खंड प्रबंधक, 1413 लेखाकार, 2550 खंड पीएमयू, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शामिल किये गए हैं।
7. चल चिकित्सा एकक	अब तक 212 चल चिकित्सा एकक कार्यशील हैं।
8. आयुष	4853 सुविधा केन्द्रों में आयुष सेवाएं साथ में शुरू की गई हैं। 3933 आयुष डाक्टरों और 831 आयुष पराचिकित्सकों को प्रणाली से जोड़ा गया है।
9. जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थी	अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।
10. मानव संसाधनों का संयोजन	2231 विशेषज्ञों, 10489 एमबीबीएस डाक्टरों 17979 स्टाफ नर्सों, 32321 सहायक, 7590 पराचिकित्सकों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. जुलाई, 2006 में यथाअनुमोदित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन संबंधी ढांचे में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यकलापों हेतु निम्नलिखित समय सीमा का प्रावधान किया गया है। अब तक केवल वर्ष 2007 की समय सीमाएं पूरी हो गई हैं। वर्ष 2008 की समय सीमा दिसम्बर, 2008 के बाद पूरी हो जाएगी। समय सीमा द्वारा किए गए मूल्यांकन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दिसम्बर, 2007 के लिए सर्वाधिक लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया गया है और दिसम्बर, 2008 के कई लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है प्रशिक्षित चिकित्सा और नर्सिंग कार्मिक की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता के कारण हम पिछड़े हुए हैं। कार्मिक के प्रशिक्षण में भी काफी समय लग जाता है। चिकित्सा और नर्सिंग कार्मिक की कमी के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में सार्वजनकि प्रणाली में तेजी आ गई है। चूंकि स्वास्थ्य क्षेत्र कई बाधाओं, मानव, शारीरिक एवं वित्तीय कठिनाइयों से ग्रसित था, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पूर्णरूप से गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में काफी समय लग जाएगा। समय सीमा में किए गए कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:—

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यकलापों के समय सीमा

क्रम सं.	कार्यकलाप	चरण और समय सीमा	सितम्बर, 2008 तक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	18 विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले राज्यों में प्रत्येक 1000 की आबादी/पृथक व्यापक निवास स्थलों के लिए पूर्णरूपेण प्रशिक्षित मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	हिमाचल प्रदेश (जहां आशा कार्यक्रम को शुरू नहीं किया गया है लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।) को छोड़कर विशेष ध्यान दिए जाने वाले 18 राज्यों में लगभग सभी गांवों को कवर करते हुए 6.25 लाख आशाओं का चयन किया गया। उनमें से 87 प्रतिशत आशाओं को पहले माड्यूल में, 33 प्रतिशत को दूसरे माडल में, 27 प्रतिशत को तीसरे माड्यूल में, 20 प्रतिशत को चौथे माड्यूल में प्रशिक्षित किया गया और 39 प्रतिशत आशाओं को औषध किटें प्रदान की गईं। साझा/संयुक्त समीक्षा मिशनों की रिपोर्टों से स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों से निर्धन ग्रामीण परिवारों को जोड़ने में आशाओं की सक्रिय भूमिका की पुष्टि होती है, यह तब जबकि प्रशिक्षण के सभी 4 माड्यूल पूरे नहीं किए गए हैं। दिसम्बर, 08 के अंत तक चौथे माड्यूल के प्रशिक्षण के पूरा होने की पूरी संभावना है।
2.	6 लाख से अधिक गांवों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन और उनको असम्बद्ध निधियां प्रदान करना।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2010 तक 100 प्रतिशत	लगभग 50 प्रतिशत गांवों में उनकी स्वयं की ग्राम स्वास्थ्य एवं स्व्च्छता समिति गठित हैं और उनके अपने बैंक खाते हैं तथा स्थानीय कार्य के लिए 10 हजार रुपए की असम्बद्ध निधि उपलब्ध है। सर्वाधिक राज्यों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बिहार में प्रगति में तेजी लाने की जरूरत है। सभी अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिसम्बर, 2008 तक अपने समिति गठित करने की संभावना है।

1	2	3	4
3.	1,75000 स्थानों में भारतीय जनस्वास्थ्य मानक के अनुसार सेवा गांरटी प्रदान करने के लिए 2 एएनएम वाले उपस्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2010 तक 100 प्रतिशत	90 प्रतिशत से अधिक मौजूदा उप-केन्द्र पूर्णरूप से कार्यशील हैं और स्थानीय कार्य के लिए उनको असम्बद्ध अनुदान प्राप्त हुए हैं। प्रशिक्षित एएनएम की अनुपलब्धता और स्टाफ नर्सों की कमी के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उनकी तैनाती की वजह से अब तक केवल 15 प्रतिशत उपकेन्द्रों में ही दूसरी एएनएम को तैनात किया जा सका है।
4.	भारतीय जनस्वास्थ्य मानक के अनुसार सेवा गारंटी प्रदान करने के लिए 3 स्टाफ नर्सों के साथ 30000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2010 तक 100 प्रतिशत	3742 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (इस समय स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों) का लगभग 15 प्रतिशत) में 3 स्टाफ नर्सों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त 3743 स्टाफ नर्सों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया गया है। 6669 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सातों दिन चौबीसों घंटे सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पहले केवल 1137 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ही सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य कर रहे थे।
5.	भारतीय जनस्वास्थ्य मानक के अनुसार सेवा गारंटी प्रदान करने के लिए 7 विशेषज्ञों और 9 स्टाफ नर्सों के साथ 6500 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण/स्थापना।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2012 तक 100 प्रतिशत	2236 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारम्भ होने के समय केवल 742 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य कर रहे थे। 2231 विशेषज्ञों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आधार पर नियुक्त किया गया है। तथापि, विशेषज्ञ जनशक्ति की उपलब्धता एक ऐसा विषय है जिसके लिए बहुकौशल हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सेवाओं में सुधार के लिए प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 20 लाख रुपए का पहला अनुदान दिया गया। बाद में जारी की गई निधियां सुविधा सर्वेक्षण और कमियों की पहचान के अनुसार हैं।
6.	गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 1800 तालुक/उप-मण्डलीय अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2010 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2012 तक 100 प्रतिशत	524 उप-मण्डलीय अस्पतालों में प्रथम रेफरल एककों के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार केवल 299 उप-मण्डलीय अस्पताल ही प्रथम रेफरल एकक के रूप में कार्यशील थे।
7.	गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 600 जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2012 तक 100 प्रतिशत	491 जिला अस्पताल इस समय प्रथम रेफरल एकक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार केवल 135 जिला अस्पताल की प्रथम रेफरल एकक के रूप में कार्यशील थे।

1	2	3	4
			राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उन्नयन हेतु प्रत्येक जिला-2 अस्पताल को 20 लाख रुपए का पहला अनुदान दिया गया है। बाद में जारी की गई निधियां सुविधा सर्वेक्षण के अनुसार हैं।
8.	सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-मण्डलीय अस्पतालों/जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों/अस्पताल विकास समितियों की स्थापना।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 100 प्रतिशत	90 प्रतिशत से अधिक जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपनी रोगी कल्याण समितियां हैं। 72 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अपनी रोगी कल्याण समितियां हैं।
9.	देश के प्रत्येक जिले द्वारा जिला स्वास्थ्य कार्य योजना 2005-2012 तैयार करना	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक जिलों ने जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं। मुकदमेबाजी के कारण बिहार में इस प्रक्रिया में थोड़ी देरी हो गई है। सभी अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं को लगभग तैयार कर लिया है।
10.	स्थानीय स्वास्थ्य काय को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम एवं स्वच्छता समिति, उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को असम्बद्ध अनुदान प्रदान करना।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	लगभग 50 प्रतिशत ग्राम एवं स्वच्छता समितियों को असम्बद्ध अनुदान प्राप्त हो गए हैं। शतप्रतिशत उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थानीय स्वास्थ्य कार्य के लिए असम्बद्ध अनुदान प्रदान किए गए हैं।
11.	प्रत्येक उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को वार्षिक अनुरक्षण अनुदान प्रदान करना और उप-मण्डलीय/जिला अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों के एकबारगी सहायता प्रदान करना।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	90 प्रतिशत से अधिक मौजूदा संस्थानों को असम्बद्ध अनुदान प्राप्त हो गए हैं। उप-केन्द्रों के लिए अनुरक्षण अनुदान केवल वहीं प्रदान किए जाते हैं जहां सरकारी भवन हैं और जहां राज्यों ने अपनी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में संसाधनों की मांग की है।
12.	अपेक्षित प्रबंधन कौशलों वाली राज्य एवं जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की स्थापना और इनका पूरी तरह कार्य करना।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	शत प्रतिशत राज्यों/जिलों ने सामान्य सोसाइटियां स्थापित कर ली हैं। मौजूदा सोसाइटियों के विलय की प्रक्रिया कई राज्यों में लगभग पूरी हो गई है।
13.	सामुदायिक मानीटरिंग प्रणाली स्थापित करना।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	सामुदायिक कार्य से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों के सलाहकार समूह ने 9 राज्यों में सामुदायिक मानीटरिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया में सीखी गई बातें भविष्य की सामुदायिक मानीटरिंग सुदृढ़ीकरण के लिए आधार बन जाएंगी। कई राज्यों ने मानीटरिंग और कार्यान्वयन में पंचायती राज्य संस्थाओं को शामिल किया है।
14.	उप-केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधों	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	राज्यों में प्रापण और संभारतंत्र की प्रणाली को समझने के लिए 6 राज्यों में प्रापण की लेखा-परीक्षा की जा रही है।

1	2	3	4
	एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रापण एवं संभारतंत्र को सरल और कारगर बनाना।		केरल में टीएनएमएससी जैसी प्रणाली प्रचालित की गई है। पश्चिम बंगाल ने भी अपने चिकित्सा सेवा निगम को अधिसूचित कर दिया है। राज्यों को प्रापण एवं संभारतंत्र को सुदृढ़ करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं और टीएनएमएससी के उत्कृष्ट माडल की वकालत राज्यों से की जा रही है।
15.	अंतरा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्मिलन विकसित करने, परिवार कल्याण के लिए समन्वय और सेवा गारंटी, वेक्टरजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमों, क्षयरोग, एचआईवी/एड्स के लिए उप-केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-मण्डलीय अस्पतालों/जिला अस्पतालों को पूर्णरूप से सज्जित करना।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 70 प्रतिशत वर्ष 2012 तक 100 प्रतिशत	अधिकतर संस्थानों में रोगी कल्याण समितियां गठित कर ली गई हैं और वे बेहतर सेवाओं के लिए अंतरा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्मिलन में सहायता कर रही हैं।
16.	जिला स्वास्थ्य योजनाओं में पेयजल, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, किशोर, स्कूल शिक्षा, महिला साक्षरता आदि जैसे स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों के साथ सम्मिलन दर्शाया गया है।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 100 प्रतिशत	सभी जिला स्वास्थ्य कार्य योजनाओं में पेजयल, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, किशोर, स्कूल शिक्षा, महिला साक्षरता आदि जैसे स्वास्थ्य के व्यापक निर्धारकों को कवर करते हुए अंतरक्षेत्रीय सम्मेलन के बारे में आवश्यक रूप से धन मौजूद हैं।
17.	देश के प्रत्येक जिले में सुविधा और परिवार सर्वेक्षण किया जाना।	वर्ष 2007 तक 50 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 100 प्रतिशत	राज्य सोसाइटियां सुविधा सर्वेक्षण कर रही हैं और कुछ राज्य सोसाइटियां परिवार सर्वेक्षण भी कर रही हैं। ये जिला और राज्य स्वास्थ्य कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए आधार का काम करेंगी।
18.	स्वास्थ्य के बारे में वार्षिक राज्य एवं जिला विशिष्ट जन रिपोर्ट प्रकाशित करना।	वर्ष 2008 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2010 तक 100 प्रतिशत	अभी तक नियत नहीं तथापि, कई स्वतंत्र एजेंसियां जैसे कि वोलेन्टरी हेल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, जन स्वास्थ्य अभियान आदि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में नागरिकों की स्वतंत्र रिपोर्ट प्रकाशित कर रही हैं। कई राज्य सोसाइटियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रगति की रिपोर्टें भी प्रकाशित की हैं।
19.	आश्वस्त सेवा गारंटी के मुकाबले कार्य-निष्पादन का संस्थानवार मूल्यांकन किया जाना।	वर्ष 2008 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2010 तक 100 प्रतिशत	अक्टूबर, 2008 में एक नया स्वास्थ्य एमआईएस शुरू किया गया है। मार्च, 2009 तक इसके पूरी तरह से कार्यशील होने की संभावना है। इससे जिलों से प्रत्यक्ष वेब आधारित आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे।
20.	देश के प्रत्येक जिले में चल चिकित्सा एकक उपलब्ध कराना।	वर्ष 2007 तक 30 प्रतिशत वर्ष 2008 तक 60 प्रतिशत वर्ष 2009 तक 100 प्रतिशत	दूरदराज के निवास स्थानों में आउटरीच सेवाओं के लिए 30 प्रतिशत से अधिक जिलों में चल चिकित्सा एककों की स्थापना की है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली पर हुए व्यय का ब्यौरा अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के कामगारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान ने अपने राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए स्वास्थ्य बीमा के बारे में प्रायोगिक योजनाएं शुरू करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पहलें की हैं।

अनुबंध-I

राज्यों के लिए बजट

(करोड़ रुपये)

बजट शीर्ष	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	बजट अनुमान	जारी की गई निधियां	बजट अनुमान	जारी की गई निधियां	बजट अनुमान	जारी की गई निधियां	बजट अनुमान	जारी की गई निधियां
आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	1699.16	2011.65	1998.22	1427.03	1725.00	1842.72	2535.00	1387.24
मिशन फ्लेक्सिबल पूल		962.13	1943.18	2069.36	3155.00	3149.97	2285.00	984.43
एनडीसीपी	691.03	561.56	723.45	648.91	837.63	469.83	979.34	303.12
कुल एनआरएचएम	4658.40	5020.29	7100.62	6836.01	8980.68	9198.29	9191.82	4920.68

नोट:—संसाधन सामग्री में भी प्रदान किए जाते हैं। इसमें नकद अंतरण भी शामिल है, वर्ष 2005-06 में 5703 करोड़ रुपए, 2006-07 में 7486.59 करोड़ रुपए और वर्ष 2007-08 में 10189 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

अनुबंध-II

वर्ष 2005-06 से 2008-09 (30.09.2008 तक) के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियां

(रुपये करोड़)

क्र. सं.	राज्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां			
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.44	10.14	7.97	1.02
2.	आंध्र प्रदेश	365.39	423.28	631.24	434.36
3.	अरूणाचल प्रदेश	29.00	50.69	42.25	10.07
4.	असम	154.13	375.42	593.75	375.17
5.	बिहार	315.88	490.12	482.10	207.08

1	2	3	4	5	6
6.	चंडीगढ़	3.37	6.98	4.77	1.85
7.	छत्तीसगढ़	118.61	164.43	178.80	201.59
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1.77	2.89	1.34	0.65
9.	दमन और दीव	1.79	3.59	0.51	0.95
10.	दिल्ली	32.83	54.40	81.36	41.38
11.	गोवा	6.17	4.37	5.16	4.09
12.	गुजरात	346.28	311.75	417.69	213.17
13.	हरियाणा	85.14	134.69	131.79	80.14
14.	हिमाचल प्रदेश	58.64	78.97	54.07	41.42
15.	जम्मू और कश्मीर	67.68	57.10	165.57	27.04
16.	झारखण्ड	143.51	191.59	158.28	73.36
17.	कर्नाटक	199.27	284.02	314.62	268.09
18.	केरल	113.66	190.62	297.61	146.44
19.	लक्षद्वीप	1.62	1.75	0.50	0.00
20.	मध्य प्रदेश	338.58	366.11	706.34	313.01
21.	महाराष्ट्र	26.97	38.68	47.64	13.19
22.	मणिपुर	21.56	37.34	40.03	12.62
23.	मेघालय	27.61	60.66	29.44	18.23
24.	मिजोरम	298.14	472.14	636.91	418.95
25.	नागालैंड	29.60	43.88	44.53	32.42
26.	उड़ीसा	231.07	238.83	360.45	165.34
27.	पांडिचेरी	4.30	6.17	4.78	1.82
28.	पंजाब	94.13	173.50	118.89	71.39
29.	राजस्थान	325.22	459.91	692.35	327.50

1	2	3	4	5	6
30.	सिक्किम	9.47	24.45	42.08	11.87
31.	तमिलनाडु	245.16	365.47	590.67	262.34
32.	त्रिपुरा	28.77	40.66	72.28	42.65
33.	उत्तर प्रदेश	930.00	1180.24	1531.50	736.98
34.	उत्तरांचल	56.66	50.67	162.14	54.65
35.	पश्चिम बंगाल	299.87	440.50	548.68	309.85
	कुल योग	5020.29	6836.01	9198.29	4920.68

*केन्द्र सरकार स्तर पर हुए व्यय/राज्यों को दी गई सामग्रीगत सहायता उपरोक्त तालिका में नहीं दर्शाई गई है।

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, स्वास्थ्य परिचर्या पर हमारे सकल घरेलू उत्पाद का व्यय देश के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं स्वास्थ्य क्षेत्र में बजटीय परिव्यय में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार की पहल की प्रशंसा करता हूं। लेकिन साथ ही, केन्द्र राज्य वित्तपोषण अनुपात को मौजूदा 80:20 से 60:40 करने से दुखी हूं।

सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों को शुरू किया है। सभी पिछड़े राज्यों विशेष रूप से उड़ीसा की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतएव, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वे उड़ीसा जैसे कुछ गरीब राज्यों को इस वित्तीय अनुपात से छूट देंगे तथा पुरानी प्रणाली में बने रहने देंगे ताकि इन राज्यों में एनआरएचएम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है, आपने इसे समझा है। मैं नहीं जानता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, देश में पहली बार इतने ज्यादा संसाधन स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किए गए हैं। मैं केवल तुलना करना चाहूंगा कि जब मैंने मंत्रीपद का कार्यभार लगभग साढ़े चार वर्ष पूर्व संभाला था तब स्वास्थ्य मंत्रालय का कुल बजट लगभग 6,000 करोड़ रुपए था। आज यह लगभग 16,500 करोड़ रुपए है, केवल चार वर्ष में। स्वास्थ्य हेतु दसवीं योजना का व्यय लगभग 40,000 करोड़ रु. से 42,000 करोड़ रुपए था। ग्यारहवीं योजना में प्रधानमंत्री ने 1,40,000 करोड़ रुपए आबंटित करने की योजना बनाई है। 40,000 करोड़ रुपए से 1,40,000 करोड़ रुपये। यह स्वास्थ्य पर व्यय हेतु सरकार की गंभीरता दर्शाती है।

आज, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा तीन नए बनाए गए राज्य, उत्तर-पूर्व, जम्मू तथा कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश अर्थात् लगभग 18 राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें उड़ीसा भी शामिल है। उड़ीसा में, हमने इस पर बहुत ध्यान दिया है तथा भारी निवेश किया गया है।

महोदय, इस वर्ष जब मैंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का स्वास्थ्य बजट लगभग 16,500 करोड़ रुपये है, लगभग 12000 करोड़ रुपये से 12,500 करोड़ रुपये केवल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि देश में पहली बार इस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी निवेश किया जा रहा है।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देश का प्रत्येक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला मुख्यालय अस्पताल, प्राथमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र, सभी केन्द्रों के पास वित्तीय संसाधन तथा सामग्रीगत संसाधन दोनों तथा अवसंरचना सहित काफी संसाधन हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हमने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। यह देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैं माननीय सदस्य के लिए पुन: यह बात दोहराना चाहूंगा कि उड़ीसा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काफी ध्यान देने वाला राज्य है।

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, मैं इस कार्यक्रम हेतु केन्द्र तथा राज्य के अनुपात के बारे में जानना चाहता हूं।

डा. अंबुमणि रामदास : जहां तक अनुपात की बात है, यह कार्यक्रम 12 अप्रैल, 2005 को शुरू किया गया था। उस समय दसवीं

योजना चल रही थी। दसवीं योजनावधि के दौरान इसमें, केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्तपोषण था। ग्यारहवीं योजना, 2007-2012 में, यह अनुपात 85:15 था; अर्थात्, 15 प्रतिशत राज्यों से तथा 85 प्रतिशत केन्द्र से था। 2012 के बाद, बारहवीं योजना में हमारी योजना 75:25 करने की है। समस्या यह है कि इस राशि का सभी राज्यों में पारदर्शी ढंग से उचित उपयोग किया जाना है। इसलिए हमें एक वर्ष से ज्यादा समय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे जिला स्वास्थ्य समितियां, जिला स्वास्थ्य मिशनों, राज्य स्वास्थ्य मिशनों के तंत्र को दुरुस्त करने में लगा; मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य मिशनों के अध्यक्ष होंगे। अतएव, यह पारदर्शी तरीके से होना है। समायोजन क्षमता तथा अन्य सभी को ठीक करना है तथा हम इसकी निगरानी कर रहे हैं। यदि राज्यों में कोई विशिष्ट समस्या हो तो हम उसे दूर करेंगे। हम इन अत्यंत ध्यान देने वाले राज्यों में न केवल संसाधनों वरन् जनशक्ति, उपस्कर, चल चिकित्सा एकक तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी अवसंरचना के लिए और ज्यादा निवेश करने के लिए काफी उदार हैं।

श्री सुग्रीव सिंह : महोदय, बहुत कम राज्यों ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को क्रियान्वित किया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उन राज्यों, जिन्होंने अब तक स्वास्थ्य बीमा योजना को क्रियान्वित नहीं किया है, को आश्वस्त करने के लिए उनके द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं तथा इस योजना के अंतर्गत राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, यह अच्छा प्रश्न है।

माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य बीमा के संबंध में पूछा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा के अनुसार हमने स्वास्थ्य बीमा के लिए संसाधन निर्धारित किए हैं। इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सफलता राज्यों के लचीलेपन पर निर्भर करती है। हम कार्यक्रम शुरू करने, कार्यक्रमों को नया रूप देने के लिए राज्यों को लचीलापन देने में उदार रहे हैं। आज तक, इस कार्यक्रम के गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में सभी राज्यों द्वारा 208 नवीन योजनाएं शुरू की गईं। इतना ज्यादा लचीलापन उन्हें हम दे रहे हैं। इसके अंतर्गत, अनेकों ऐसे राज्य हैं जो नवीन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का संचालन कर रहे हैं; जैसा आन्ध्र प्रदेश ने किया है; मध्य प्रदेश ने किया है; राजस्थान ने किया है; गुजरात ने किया है; महाराष्ट्र ने किया है; तमिलनाडु ने किया है। ये कुछ राज्य हैं। सार्वधिक रूप से हम समीक्षा करते हैं तथा हम शीर्ष निकाय, केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परिषद, मंत्रियों तथा स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाते हैं तथा वे एक दूसरे के साथ राज्य योजनाओं की सफलता को शेयर करते हैं। निश्चित रूप से, यदि उड़ीसा ने स्वास्थ्य बीमा शुरू नहीं की है तो हम उड़ीसा सरकार से अनुरोध करते हैं कि स्वास्थ्य बीमा शुरू करे जो विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों तथा गरीब लोगों के लिए बहुत मुख्य क्षेत्र हैं। महोदय, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत श्रम मंत्रालय संगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर रहा है। आज तक, लगभग, 50 लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रीमियम के लिए, भारत सरकार अधिकतम योगदान करनेवाला है; राज्य का थोड़ा कम तथा व्यक्ति का लगभग 30 रुपया लगता है। इसके लिए, कवरेज लगभग 30,000 रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष है तथा हम इसका विस्तार करके योजना के अंतर्गत लगभग चार करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह काफी अर्थक्षम योजना है जो तैयार की गई है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसरण में आर सी एच कार्यक्रम का दूसरा चरण टी एफ आर, आई एम आर तथा एम एम आर कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में किसी प्रकार का मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो टी एफ आर, आई एम आर तथा एम एम आर की वर्तमान दर क्या है?

अध्यक्ष महोदय : अनजान लोगों के लिए पूरा विवरण सहायक होता।

डा. अंबुमणि रामदास : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की अवधारणा मुख्य रूप से अधिकांश गांवों में बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने तथा पोषण, पेयजल, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। जैसाकि मैंने पहले ही कहा था, इस कार्यक्रम को 2005 में शुरू किया गया था; यह लगभग 3½ वर्ष पहले की बात है। हमें ग्रामीण स्तर से ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति, उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, रोगी कल्याण समिति, जिला स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी, राज्य स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय मिशन हेतु तंत्र को स्थापित करने में एक वर्ष का समय लग गया, हमारे समूचे तंत्र को हमने बनाया है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कराए गए हैं। हाल ही का सर्वेक्षण, जो जिला स्तर परिवारों का सर्वेक्षण था, डी एल एच एल — तीन सर्वेक्षण है। प्रारम्भिक रिपोर्टों से पता चला है कि शिशु मृत्यु दर में दो प्वाइंट की कमी आई है। पहले, इन सभी वर्षों में, केवल एक प्वाइंट की कमी आई थी। अंततः, अब हमने दो प्वाइंट की कमी देखी है। लेकिन यह वर्ष 2006-07 में थी जब कार्यक्रम की शुरूआत हुई थी। अब हम कार्यक्रम की तह तक पहुंच गए हैं।

मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष जो परिणाम आएँगे उनसे अवश्य ही शिशु मृत्यु दर में काफी कमी का पता चलेगा। और शीघ्र ही जनवरी-फरवरी में आने वाले सर्वेक्षण के अनुसार प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि कुछ राज्यों में मातृ मृत्यु दर में भी भारी कमी आयी है। अत: हम निश्चय ही ऐसी अपेक्षा करते हैं। एक बार यह कार्यक्रम सभी राज्यों में पूर्णत: लागू हो जाए तो आगामी वर्ष के अन्त तक हमें बहुत अच्छे और अत्यन्त जीवन्त परिणाम देखने को मिलेंगे जिससे बड़ी मात्रा में बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बीमारियों के बोझ में कमी आएगी क्योंकि यह सभी कार्यक्रमों में शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : डा. बाबू राव मिडियम। सीधे प्रश्न पूछिए और उत्तर भी संक्षिप्त हों। संक्षिप्तता सर्वदा एक गुण है।

डा. बाबू राव मिडियम : महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मंत्री महोदय की उपलब्धियों की प्रशंसा करता हूं। इस मिशन के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य में 70,700 स्वास्थ्य स्वयंसेवी हैं। पहले उन्हें ग्राम स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी कहा जाता था किन्तु अब उन्हें 'आशा' बनाया जा रहा है। किन्तु गत दो वर्षों में उन्हें उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तथा उन्हें दवाओं की किटों की आपूर्ति नहीं की गयी है तथापि वे ग्राम स्तर पर बहुत सहायक हैं।

माननीय मंत्री से मेरा यह प्रश्न यह है कि उन्हें दिया जाने वाला मानदेय, पारिश्रमिक बहुत कम है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। ग्रामीण, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में मानदेय में विसंगतियां हैं। ऐसी विसंगतियों के क्या कारण हैं?

डा. अंबुमणि रामदास : हम अपने देश में पहली बार 'आशा' नामक नया स्वास्थ्य संवर्ग देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसकी प्रशंसा की है।

डा. अंबुमणि रामदास : प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को 'आशा' कहते हैं। आज की तिथि तक हम लगभग 6,25000 आशा को सूचीबद्ध करने में सफल रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रत्येक गांव के लिए एक आशा है। हमारे पास लगभग 6,38000 गांव हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पूरे देश के लिए है किन्तु आरंभ में 18 राज्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था जहां भारत की लगभग दो तिहाई आबादी रहती है और जो स्वास्थ्य सूचकांक में नीचे हैं। वहां हमने आशा नियुक्त किए थे। इस वर्ष के मध्य में हमने निर्णय लिया कि पूरे देश में आशा कार्य करेंगे। आंध्र प्रदेश ने बहुत पहले इन कर्मियों को सूचीबद्ध किया है। तीन वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश में यह आशा नामक योजना आयी थी। इस वर्ष ही हमने आंध्र प्रदेश को आशा शुरू करने की अनुमति दी थी। अब पूरे देश में आशा योजना कार्यान्वित हैं। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आशा के लिए पारिश्रमिक इस प्रकार है। जितना अधिक कार्य वह करेंगे उतना अधिक पैसा उन्हें मिलेगा। उन्हें कोई निर्धारित वेतन नहीं दिया जा रहा है। आशा को प्रतिरक्षण का कार्य नहीं करना है; आशा का काम है कि वह बच्चों को प्रतिरक्षण के लिए उपकेन्द्र तक ले जाएं। प्रत्येक प्रतिरक्षण के लिए आशा को पैसा मिलता है। किसी महिला को स्वास्थ्य जांच, प्रसवपूर्व जांच के लिए पीएचयू या उपकेन्द्र पर ले जाने के लिए आशा को पैसे मिलते हैं। प्रसव हेतु आशा को पैसे मिलते हैं; आशा को गर्भवती महिला को प्रसव हेतु लाना होता है। प्रसव के दिन से दो दिनों तक वह महिला के साथ रहती है; आशा को इस कार्य के लिए पैसे मिलेंगे। प्रसवोत्तर जाचं के लिए आशा को पैसे मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शौचालय निर्माण के लिए दी जा रही धनराशि से शौचालय निर्माण कराने के लिए परिवारों को प्रेरित करने पर आशा को पैसे मिलेंगे। अत: आशा को प्रत्येक कार्य के लिए पैसे मिलेंगे। आशा के पशिक्षण हेतु हमारे पास पांच माड्यूल हैं। यह प्रत्येक वर्ष चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। अधिकांश आशा प्रथम माड्यूल से गुजर चुके हैं। उन्हें प्रणाली में सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ मुद्दे सामने लाए गये हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है। जब भी कोई मामला हो तो कृपया मेरे ध्यान में लाएं और हम उन मामलों को निपटाएंगे।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, मैं मंत्री महोदय की प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में जानकारी दी है। किन्तु जब हम राज्यों को धनराशि के आवंटन की बात करते हैं कि विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की जा रही है तो मेरे विचार से यह मेरे राज्य उत्तर प्रदेश के लिए अत्यल्प है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है।

माननीय सदस्य डा. बाबू राव मिडियम ने अभी आशा का जिक्र किया है। किन्तु यह निराशाजनक है कि माननीय मंत्री द्वारा इस सभा में स्वयं कहे जाने के बावजूद कि छह लाख डाक्टर, 10 लाख नर्स, 2 लाख दन्त चिकित्सक और परा चिकित्सा कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में दिए जाएंगें, परन्तु उत्तर प्रदेश में सभी शर्तें निर्धारित किये जाने के बावजूद वहां कर्मचारी नहीं दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां तक कि एक्सरे मशीनों के लिए टेक्नीशियन भी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि वे एक्सरे मशीन खरीदकर ले आए हैं फिर भी अभी इन्होंने कार्य करना आरंभ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछिए।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, स्थिति बेहद खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्भवती महिलाएं खराब स्थिति के कारण अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही हैं।

अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में, विशेषत: रामपुर जिले में कितनी धनराशि आवंटित की गयी है। टांडा, सावन, मिलक, केमरी इत्यादि जगहों पर एक्सरे मशीन चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने पूछा है कि आबंटन कितना है।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, वहां कोई टेक्नीशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप सीधा प्रश्न पूछिए।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, वहां स्थिति दयनीय है।

अध्यक्ष महोदय : यह इस विषय पर वाद-विवाद का समय नहीं है; यह प्रश्न काल है।

श्रीमती जयाप्रदा : महोदय, क्या माननीय मंत्री इस जरूरत को पूरा करने और इस स्थिति को सुधारने के लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की अस्थायी व्यवस्था करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, राज्यों के लिए संसाधनों का आवंटन राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे न्यून कार्यनिष्पादन वाले राज्यों को वरीयता दी जाती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक आवंटन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : क्या पिछली पंक्ति में बैठे लोग बातचीत करना बंद करेंगे? यह गपशप करने का स्थान नहीं है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, हमारे पास एक कॉमन रूरल मिशन है जो सभी राज्यों में जाता है और स्थिति की समीक्षा करता है। वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थानों पर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 693 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और लगभग 819 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उसने पाया कि लगभग 45.5 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सप्ताह में सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं तथा लगभग 43 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने गत एक माह में कम-से-कम 10 प्रसव कराए हैं। पहले कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की गयी थी।

मेरा निश्चित रूप से यह कहना कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मूर्त रूप दे दिया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम जितना चाह रहे हैं यह उतना सफल हुआ है क्योंकि हम बेहद अधीर हैं और शीघ्र परिणाम चाहते हैं।

चूंकि यह सामाजिक क्षेत्र है अत: शिशु मृत्यु दर में एक प्रतिशत की कमी लाने के लिए लाखों लोगों को डाक्टरों, नर्सों, पराचिकित्सा कर्मियों, सभ्य समाज, गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को मिलकर काम करना होगा। यह कोई आर्थिक क्षेत्र नहीं है जहां हम रातोंरात नीतिगत निर्णय ले और परिणाम प्राप्त कर लें।

महोदय, उत्तर प्रदेश में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने राज्य सरकार को अधिकार दिया है कि यदि उपलब्धता नहीं है तो वह ठेके पर लोगों की सेवाएं ले सकती है। किन्तु दुर्भाग्य वहां उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वास्थ्य और मानव संसाधनों, प्री-नर्सों की कमी है। विशेषत: बिहार में सभी नर्सें नियोजन प्राप्त हैं वहां नियोजित किये जाने के लिए और नर्सें नहीं हैं। अत: हमें कालेज शुरू करने होंगे; हमें उपचर्या संस्थान शुरू करने होंगे। वहां हमने इन संस्थानों को शुरू करने के लिए बड़े संसाधन दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार को अधिकार दिये गये हैं। जब मैं कहता हूं कि 'अधिकार' दिये गये हैं तो मेरा तात्पर्य है कि स्थानीय स्तर पर प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है; सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियां हैं इन समितियों के पास ठेका आधार पर डाक्टरों, विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का अधिकार है।

हम यह सब केन्द्र सरकार की ओर से देंगे। हम उन्हें इतना अधिक अधिकार दे रहे हैं। मैं निश्चित रूप से यह आश्वासन देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यदि कोई खास समस्या है तो मैं चाहूंगा कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के इन सभी केन्द्रों पर जाएं। मैं केवल उनसे ही नहीं बल्कि इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक उप केन्द्र और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाएं क्योंकि इन सभी केन्द्रों के पास संसाधन हैं। वहां धनराशि मुहैया कराई गई है। सदस्यों को यह देखने के लिए भी जाना चाहिए कि वह इसे ठीक ढंग से खर्च कर रहे हैं अथवा नहीं।

इसके अलावा मैं, आपके माध्यम से, सदस्यों को एक और बात बताना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिला सतर्कता और

निगरानी समिति के अंतर्गत कुछ महीनों में इस राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भी निगरानी होने जा रही है। अत: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे पहले ही स्वीकार कर लिया है। जिला सतर्कता निगरानी समिति के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों तथा उसकी प्रगति की निगरानी सभी सदस्यगण भी करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव।

आप ब्रीफ में क्वैश्चन पूछना। ज्यादा भाषण मत देना।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बिहार को विशेष दर्जा दिया। उन्होंने वहां के पिछड़ेपन और गरीबी की वजह से विशेष रूचि दिखायी है और अधिक राशि आवंटित की है लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उस राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। वहां अभी भी ऐसे सैकड़ों अस्पताल हैं जिन की हालत बहुत खराब है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोग्राम चला कर कहा है कि सातों दिन 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। मैं कहीं दूर की बात नहीं कहना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र पटना के बगल के गांव में जो स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बीच-बीच में जाकर देखिए कि वहां क्या-क्या काम हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव : मैं वही बता रहा हूं कि कोई काम नहीं हो रहा है। अस्पताल बिल्कुल ठप्प पड़ा है। पैसा कहां जा रहा है कुछ पता नहीं है। माननीय मंत्री जी ने एक आंकड़ा भी प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : पिछले तीन वर्षों में जो पैसा आवंटित किया है, उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। आपने बिहार के प्रति जो कृपा दिखाकर पैसा दिया है, उसका उपयोग नहीं होगा तो वहां के लोगों को लाभ नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप केवल पैसा देते हैं या निगरानी भी करते हैं? क्या कोई मॉनिटरिंग कमेटी है जिससे लोगों को सुविधा मिल सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न है। जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप बहुत विशिष्ट हो जाते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : इस कार्यक्रम में निगरानी प्रणाली भी सन्निहित है। साथ ही हमारे पास बाह्य निगरानी तंत्र करने के लिए विभिन्न समूह हैं। हमारे पास सभ्य समाज और सरकारी संगठन और ओडिटर गिल्ड्स हैं। इनकी निगरानी के लिए हमारे पास बाह्य सहायतार्थ ऐजेंसियां हैं तथा प्रत्येक कदम पर रोगी कल्याण समिति की तरह वे इन कार्यक्रमों की निगरानी करते हैं।

बिहार के संदर्भ में, जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अंतर्गत, पूर्व सर्वेक्षण में बिहार के इन 66 सीएचसी तथा 524 पीएचसी में से यह पाया गया की 64.5 प्रतिशत पीएचसी चौबीसों घंटे सातों दिन कार्यरत हैं और लगभग 31 प्रतिशत पीएचसी में पिछले एक महीने में कम से कम 10 बच्चों का जन्म हुआ है। यह इस प्रवृत्ति में भारी बढ़ोत्तरी सूचित करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बिहार में घटित एक सुस्पष्ट अन्य उदाहरण यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से पहले बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में औसतन मरीजों की उपस्थिति प्रतिमाह 39 थी, वर्तमान में यह लगभग 4,000 है। अत: आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह कैसा कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने बिहार में औसतन लगभग 40 मरीजों से 4000 मरीजों को रूपांतरित किया है। उन्होंने इस मुद्दे पर नैदानिक और सरकारी-निजी भागीदारी के संबंध में कई अभिनव प्रयास किए हैं। हमने निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार पर ध्यान दिया है और यह हमारी प्राथमिकता है कि इस संबंध में हम उपकरण और सभी अन्य साधन प्रदान करें।

यहां हम इन गांवों की प्रत्येक बुनियादी इकाई को सशक्त बना रहे हैं। पर ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति है गांव का मुखिया उस समिति का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक वर्ष हम 10,000 रुपए अवसंरचना, मानव शक्ति जल निकायों, मच्छरों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए देते हैं। ये सभी चीजें अमल में लायी जा चुकीं हैं। युएनसीटीडी द्वारा धनराशि निर्दिष्ट की गई हैं लगभग 25,000 रुपए प्रत्येक उप-केन्द्र को दिए गए जिससे की वे दवाईयां खरीद सकें, तथा गुणवत्ता की समस्या को दूर कर सकें आदि। मैं आश्वस्त हूं कि वे ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम इस एक प्रश्न पर आधा घंटा ले चुके हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वित किए जाने से पहले देशभर में लगभग 3550 विशेषज्ञ प्राथमिक सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रों में थे। आज यह संख्या 5,781 है जो पिछले तीन वर्षों में 64 प्रतिशत की वृद्धि

दर्शाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से पहले चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 20,308 थी जो आज बढ़कर 30,797 हो गई है। ऑग्जीलियरी नर्स मिडवाइफ के संबंध में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से पहले उनकी संख्या 1,20,194 थी जो आज बढ़कर 1,65,515 हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपने ये आंकड़े बताए हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : नर्सों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से पहले 17,317 थी जो आज बढ़कर 35,350 हो गई है। इसके अलावा इसके भाग के रूप आयुष डाक्टर भी है और आज 3933 नए आयुष डाक्टर प्राथमिक सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी राज्य इस कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं। मै अपनी सरकार की ओर से यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक निवेश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 262 श्री रनेन बर्मन — उपस्थित नहीं। उन्होंनें अपना प्रश्न दिया है पर उपस्थित नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य।

कोल-टू-लिक्विड परियोजनाएं

***262. श्री †बसुदेव आचार्य :**
श्री रनेन बर्मन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल-टू-लिक्विड (सीटीएल) प्रौद्योगिकी अपनाकर कोयले से तेल का उत्पादन करने का है जैसा कि 24 नवंबर, 2008 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान कर ली है तथा उसके आवंटन हेतु बोलियां भी आमंत्रित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इन परियोजनाओं से अनुमानतः कितनी मात्रा में तेल का उत्पादन होने की संभावनाएं हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की बढ़ती मांग के मद्देनजर, कोयला द्रवीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से कोयला को तरल ईंधन में परिवर्तित करके देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों को संपूरित करने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक/अतिरिक्त स्रोतों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) सरकार ने दिनांक 15.06.2008 को विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से तीन ब्लॉकों अर्थात पलासबनी (राधिकापुर वेस्ट का भाग), अर्खापाल का नार्थ (श्रीरामपुर) तथा रामचन्दानी प्रोमोशनल की पेशकश की है। एक सूचना कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाली गई है।

(घ) विज्ञापन के प्रत्युत्तर में, 22 कंपनियों ने अपने आवेदन दिए हैं। इन आवेदनों की जांच और मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। इस प्रयोजन के लिए अब तक कोई कोयला ब्लॉक आवंटित नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) आवेदनों की जांच की जा रही है तथा इस परियोजना से उत्पादित होने वाले तेल की मात्रा का इस स्तर पर अनुमान लगाना संभव नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे पास तकनीक और प्रचुर सामर्थ्य के बावजूद पूर्व में कोयले से तेल निकालने के कोई प्रयास नहीं किए गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से 1.5 मिलियन टन क्षमता के संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो यह सरकारी क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सहयोग से असम में कोयले से तेल निकालना चाहती है। असम के कोयले का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि वे निम्न गुणवत्ता के हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव पर उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह कहना चाहूंगा कि असम के कोयले की गुणवत्ता निम्न गुणों वाली नहीं है। बल्कि यह शुरूआत करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। जहां तक आयल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव का संबंध है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास उत्तर-पूर्व असम में

सी आई एल के साथ एक-प्रायोगिक संयंत्र हैं इस काम के लिए असम का कोयला उपयुक्त है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुख्य प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। उन्होंने पलसबनी, अरखापल, रामचंदानी ब्लॉकों का चयन किया है। तीन ब्लॉकों की पहचान कर ली गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन ब्लॉकों से कितना तेल उपलब्ध हो पाएगा। माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि इस वक्त तेल की गुणवत्ता का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह तेल की मात्रा के बारे में हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : जी, हां। कितनी मात्रा में तेल निकाला जा सकता है? अगर यह अध्ययन नहीं किया गया है तो इन तीन ब्लॉकों की पहचान कैसे की गई तथा कैसे विज्ञापन जारी किए गए और कैसे आवेदन आमंत्रित किए गए? विस्तृत अध्ययन किए बगैर किस आधार पर इन तीन ब्लॉकों का चयन बिना और क्या कोयले से तेल निकालने के लिए ब्लॉकों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही सीधा प्रश्न है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, सीटीएल की यह प्रक्रिया जिसे कोल-टू-लिक्विड के नाम से जाना जाता है, विश्व में अब तक पूर्ण स्थापित नहीं हो सकी है। हम विभिन्न प्रौद्योगिकीयों का पता लगा रहे हैं।

इन कोल ब्लॉकों का आवंटन उपलब्ध मात्रा के आधार पर किया गया है क्योंकि हमें इसके लिए लगभग 80,000 बैरल प्रति दिन चाहिए तथा इसके लिए हमें 30 मिलियन टन उत्पादन की आवश्यकता है। अतः, इस आधार पर इन ब्लॉकों की पहचान की गई है। पर इन सभी तीनों ब्लॉकों को नहीं दिया जाना है, केवल एक ब्लॉक दिया जाएगा। इस संबंध में अंतरमंत्रालीय समूह जिसे हम आईएमजी कहते हैं, द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और जैसे ही यह अध्ययन पूरा कर लिया जाएगा तभी इसका आवंटन किया जाएगा। अतः यह अव्यवस्थित ढंग से नहीं अपितु ठीक तरह से जुटाई गई सूचना के आधार पर किया जा रहा है।

हम देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अतः हमें और अधिक प्रयोग करने चाहिए और ये प्रयोग किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार की ओर से तीन ब्लॉक की अलाटमेंट को प्रस्तावित किया है, संयोग से ये तीनों मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है और मेरे जिले में हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं माननीय सदस्य श्री बुसेदव जी के प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि यह बहुत एस्टाबलिश टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन आपने इसके बावजूद पहल की है, यह अच्छी बात है। क्या उत्पादन मूल्य के हिसाब से यह लाभकारी प्रॉसेस है या नहीं? जब यह बाजार के हिसाब से सोचा गया था तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत ऊंचे थे। मैं पूछना चाहता हूं आज के हिसाब से यह कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं?

आप ब्लॉक अलॉट करेंगे। जैसे अभी कुछ ब्लॉक के बारे में पता चला है कि आपके मंत्रालय ने अल्ट्रा मेगावाट के लिए जो ब्लॉक्स अलॉट किए उसे रियूज करने की अनुमति दूसरे प्लांट और कंपनी को दी गई है। यह बहुत महंगे ब्लॉक हैं और कीमत भी ठीक है। क्या आप इसमें कुछ सेविंग प्लांट रखेंगे? क्या यह इसी में यूज होगा या इसे भी रियूज किया जा सकता है?

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, रियूज करने का सवाल तो तब उठेगा जब इसे काम में लेंगे और कुछ सेविंग होगी। अभी तो वह प्रॉसेस ही नहीं आया है, वह स्टेज ही नहीं आई है।

जहां तक कॉस्ट इफेक्टिव का सवाल है, आज के दिन जब रेट 40 डॉलर हो गया है तो यह कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन हर काम देश में कॉस्ट इफेक्टिव से नहीं होता है। जब हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए तब एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं इसलिए यह एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और हम यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति में इसे बेहतर ढंग से कैसे किया जा सकता है।

जब 150 डॉलर प्रति बैरल रेट हो गया था तब कॉस्ट इफेक्टिव था लेकिन आज 40 डॉलर रेट है तो इफेक्टिव नहीं है, यह बात सही है। लेकिन यह इतनी वोलेटाइल मार्किट है कि इसमें आने वाले समय में बाजार में क्या होने वाला है, यह किसी को पता नहीं है। हमें किसी भी परिस्थिति के लिए देश को तैयार करना होगा।

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन : अध्यक्ष महोदय, कोल-टू-लिक्विड ईंधन प्रौद्योगिकी, जिसे आम तौर पर सीटीएल प्रौद्योगिकी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्थापित प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के ससोल संयंत्र में किया जा रहा है, जो अपने आप में 1949 से ' , विश्व का अकेला संयंत्र है। यह प्रतिवर्ष 40 मिलियन टन विभिन्न सिंथेटिक तेल उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल तेल, फरनेस तेल, नाफ्था आदि के साथ एलपीजी का उत्पादन कर रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी

से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने इस सिद्ध प्रौद्योगिकी को ससोल संयंत्र प्राधिकरण से जानने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिससे तरलीकृत ईंधनों, एलपीजी और अन्य उत्पादों के लिए प्रसंस्करण हेतु हमारे कोयले का प्रयोग किया जा सके।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि विभिन्न देशों में पाया जाने वाला कोयला तथा अपने ही देश के विभिन्न भागों में पाया जाने वाला कोयला अलग-अलग होता है। दक्षिण अफ्रीका में राख की मात्रा केवल 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत होती है। जबकि हमारे यहां कोयले में राख की मात्रा 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक होती है। इसलिए जो प्रक्रिया वे अपना रहे हैं, जरूरी नहीं की वे हमारे लिए भी उपयुक्त हों। वे 'वार्म प्रोसेस' और 'हॉट प्रोसेस' का प्रयोग करते हैं जबकि हमें 'कोल्ड प्रोसेस' की आवश्यकता है। और 'कोल्ड प्रोसेस' की पहचान विश्व में अब तक कहीं भी नहीं की जा सकी है और न ही प्रमाणित हुई है।

अत:, हम अभी भी प्रक्रिया की जांच कर रहे हैं। विशेषज्ञ समिति निर्णय लेने से पहले इन सभी कारकों पर विचार करेगी। यह प्रमाणित प्रौद्योगिकी नहीं है।...*(व्यवधान)*

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है इसे कार्रवाई वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**...

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है, जैसा की आप जानते हैं क्योंकि आप लंबे समय से यहां रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियमों में इसके संबंध में प्रक्रिया निहित है, आपको उस प्रक्रिया का पालन करना होगा अन्यथा अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप 20 स्पष्टीकरण मांगते रहेंगे।

अब प्रश्न 263, श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख।

[हिन्दी]

राज्यों के भीतर क्षेत्रीय असन्तुलन

***263. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य के भीतर विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद विभिन्न राज्यों में विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश के संतुलित विकास की प्राप्ति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) योजना आयोग ने देश के प्रत्येक राज्य के भीतर विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, बढ़ते हुए क्षेत्रीय असंतुलनों के समाधान संबंधी अन्तर-मंत्रालयी कार्यदल का गठन किया गया था, जिसने वर्ष 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस दल की सिफारिशों का उपयोग पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तैयार करने के लिए किया गया था, जो गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में 250 पिछड़े जिलों को कवर करती है।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को शामिल करते हुए विभिन्न उपायों के माध्यम से किए गए प्रयासों के बावजूद, क्षेत्रीय असंतुलन भौगोलिक पैरामीटरों और ऐतिहासिक घटनाक्रमों में स्वाभाविक अंतरालों सहित देश के उपमहाद्वीपीय विस्तार के कारण हैं, जिन्होंने नैसर्गिक संसाधनों में अन्तर, अवसंरचना स्तरों और समाजार्थिक पैरामीटरों के कारण विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तरों में असमानता पैदा कर दी है।

(घ) से (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विशिष्ट स्कीम, जिसका लक्ष्य राज्यों के भीतर विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना है, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि है; जिसका उद्देश्य (क) अवसंरचना उपलब्ध कराकर (ख) सुशासन और कृषि संबंधी सुधारों

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

को बढ़ावा देकर, (ग) अनुपूरक अवसंरचना और क्षमता निर्माण, मौजूदा विकास में ठोस अन्तर्प्रवाह के माध्यम से अभिसरण द्वारा पिछड़े जिलों में विकास को उत्प्रेरित करना है।

[अनुवाद]

*श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अविकसित राज्यों के विकास से संबंधित है। सरकार ने उत्तर दिया है कि सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। महोदय, शहरी और गरीबी क्षेत्रों में बहुत अधिक असमानता है। विकसित राज्य और विकास कर रहे हैं तथा अविकसित राज्य पिछड़ते जा रहे हैं। यदि क्षेत्रीय असंतुलन संबंधी सर्वेक्षण नहीं किए जाते हैं तो अविकसित राज्यों के लिए विकास करना संभव नहीं होगा।

हाल में सोलापुर जिले के सुल्तानपुर गांव के एक सज्जन श्री राहुल शिन्दे मुम्बई में 26 नवम्बर को हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। मुझे उस गांव का दौरा करने का अवसर मिला था। आज भी उस गांव में कोई सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है एवं अस्पताल नहीं है। यदि इस प्रकार के गांव हैं तो हम ऐसे गांवों का विकास कैसे कर सकते हैं। देश में ऐसे गांवों की संख्या बहुत अधिक है। आपने कहा कि आपने सर्वेक्षण नहीं कराया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अत्यावश्यक विकास के मामले में अविकसित क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाए।

श्री वी. नारायणसामी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अन्तरमंत्रालयी कार्य दल का गठन किया है। इस कार्य बल ने क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन किया है। उसने देश में लगभग 250 जिलों की पहचान की है और उसने 2005 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थीं। उसकी सिफारिश के आधार पर सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) का गठन किया है तथा पिछड़े क्षेत्र को देने के उद्देश्य से योजनाओं में 25.771 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है; इसमें से एक करोड़ रुपये क्षमता निर्माण के लिए; 10 करोड़ रुपये स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायत संगठनों द्वारा व्यय किये जाने लिए हैं और इसके लिए उन्हें शक्तियां भी दी गई हैं।

राज्य सरकार क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से निधियों का आवंटन आयोजना करने के उद्देश्य से करती है। भारत सरकार भी विकास के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आबंटन सीधे करती है। यह एक अलग कोष है जो पिछड़े क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से दिया गया है और इसे भारत सरकार ने दिया है ताकि इसकी कमी पूरी की जा सके। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीबाई) का बीआरजीएफ में विलय करके केबीके क्षेत्रों के लिए 250 करोड़ रुपये की निधि अलग से दी है तथा बिहार के पिछड़े क्षेत्र के लिए अलग से आबंटन किया है।

माननीय सदस्य उस सर्वेक्षण का उल्लेख कर रहे हैं जो अभी किया जाना है। मेरा अनुरोध है कि हमें इस पहलू पर विचार करना है, तथा ये योजनाएं कौन सी हैं जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से करती है। इसके अलावा यह भी देखना है कि क्या इनका लाभ वास्तविक लोगों तक पहुंचता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं तथा सरकार इस पहलू पर विचार करने में थोड़ा समय लेगी।

*श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : देश में 125 पिछड़े जिले हैं। महाराष्ट्र के पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं? महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों में उद्योग, अस्पताल एवं शैक्षणिक संस्थानों की शुरूआत करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार किया जा रहा है?

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, जहां तक भारत सरकार का संबंध है, भारत निर्माण के अंतर्गत भारत सरकार ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजली, ग्रामीण जलापूर्ति, रोजगार गारंटी स्कीम और अन्य सुविधाओं के लिए भी निधियां दे रही है।

दूसरे, भारत निर्माण के अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। माननीय सदस्य अस्पतालों की स्थापना का उल्लेख कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को निधियां प्रदान की हैं। इसके अलावा मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना में 48,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया है जो उच्च प्राथमिक कक्षा तक विद्यार्थियों का ध्यान रखेगी। दसवीं योजना में यह धनराशि 5,800 करोड़ रुपये भी नहीं थी। अस्पतालों के लिए, विद्यालयों में सुविधाएं देने हेतु, पेयजल आपूर्ति हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय की अनुमति से मैंने कुछ राज्यों का दौरा यह देखने के लिए किया कि क्या राज्यों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है या नहीं। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के उद्देश्य से उन्हें अपनी राज्य सरकारों

*मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

से यह सुनिश्चित करने को राजी करना चाहिए कि योजनाओं के लाभ लक्षित समूह तक पहुंचे। महोदय, आपकी अनुमति से, मैं माननीय सदस्यों से ऐसा करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे अनुभव के अनुसार स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो पिछड़े राज्य हैं और बाकी दूसरे राज्यों के अंदर पिछड़े जिले और जिले के अंदर भी जैसे अभी हमारे देशमुख साहब ने कहा कि बहुत से गांव अभी भी पिछड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लालकिले से ऐलान किया था कि सभी क्षेत्रों में एक जैसा विकास होगा और फिर कोई जिला पिछड़ा न रह जाए या फिर राज्यों के अंदर भी कोई क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, इसलिए इंटेंसिव काम्प्रीहेंसिव योजना के अंतर्गत ग्रान्ट तो दी गई और पिछड़े 250 जिलों के लिए सरकार ग्रान्ट दे रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इंटेंसिव काम्प्रीहेंसिव योजना बनाने जा रही है जिससे कोई राज्य पिछड़ा न रह जाए और जिले के अंदर कोई गांव भी पिछड़ा न रह जाए?

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, अन्तर्राज्यीय असंतुलन तथा अन्तर-राज्यीय असंतुलन भी है। भारत सरकार ने विकसित और विकासशील जिलों के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में 1,09,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। केन्द्र सरकार ने धनराशि प्रदान कर दी है। माननीय सदस्य का यह कहना अत्यंत ठीक है कि अन्तर विद्यमान है। यह अन्तर अच्छी तरह समाप्त करना है जिसके लिए न केवल भारत सरकार, बल्कि क्रियान्वयन एजेंसियां अर्थात राज्य सरकारों को भी इस पर उपयुक्त ध्यान देना है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं देने के उद्देश्य से ग्रामीण अवसंरचना का सृजन करने, समग्र विकास करने और विकासशील एवं अविकसित क्षेत्रों को विकसित क्षेत्रों की तरह विकसित करने हेतु राज्य सरकार का सहयोग आवश्यक है। हम सभी को राज्य के समग्र विकास के लिए समन्वय के साथ कार्य करना है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता : महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि ग्यारहवीं योजना में इस वर्ष अविकसित जिलों में उद्योगों की वृद्धि के लिए क्या नये उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार औद्योगिक नीति का पुनर्गठन करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री वी. नारायणसामी : जहां तक औद्योगिक वृद्धि का संबंध है माननीय सदस्या ग्रामीण स्तर पर औद्योगिक वृद्धि का उल्लेख कर रही हैं, लघु उद्योग विभाग और उद्योग विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवसंरचना का विकास किया जाना है। बिजली, सड़कें, सम्पर्क मार्गों आदि की व्यवस्था की जानी है। जब तक इस प्रकार का वातावरण पैदा नहीं किया जाता है, तब तक इन क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगेंगे। इसलिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों की सहायता से भारत निर्माण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में ऐसा विधान किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार, कृपया छोटा प्रश्न कीजिए। मैंने यह तीसरे प्रश्न की अनुमति दी है और पहले ही सुबह के 11.45 बज चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि राज्यों के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए जैसा कि प्रधान मंत्री जी का भी वक्तव्य है कि जो पिछड़े राज्य हैं या पिछड़े जिले हैं, उनका चयन करने के लिए क्या आपने कोई सर्वेक्षण कराया है? दूसरे, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उस पर क्या आपने कोई सर्वे कराया है और अगर कराया है तो उसमें क्या रिपोर्ट आई है? खासकर पिछली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने आर्थिक मदद के रूप में जो धनराशि उत्तर प्रदेश को दी थी, उसका सही सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के पास उसका सर्वे कराने का कोई प्रावधान है?

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी : प्रश्न के पहले भाग में, मैंने पहले ही इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है क्योंकि अन्तरमंत्रालयी कार्य बल का गठन किया गया है और उसने इसके कारणों की जांच की है। जहां तक उस सर्वेक्षण का सवाल है जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं मेरा कहना है कि हम अपने हिसाब से यह देखेंगे कि क्या लोगों को उन अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। महोदय, राज्य 133 केन्द्र सरकार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कि क्या हमें सर्वेक्षण करना है या नहीं करना है।

गैर-जैव अवक्रमित अपशिष्ट का पाटन

*264. श्रीमती मेनका गांधी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश अपने गैर-जैव अवक्रमित अपशिष्ट का इस देश में पाटन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान देश में गैर-जैव अवक्रमित अपशिष्ट का पाटन करने वाले देशों के नाम तथा उनके द्वारा पाटन किए गए गैर-जैव अवक्रमित अपशिष्ट क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा-पारीय संचलन) नियमावली, 2008 के उपबंधों के अनुसार, भारत में अपशिष्टों को डंप करने/निपटान के प्रयोजनार्थ आयात करने की अनुमति नहीं है। तथापि, अपशिष्टों के वास्तविक प्रयोक्ताओं, जिन्हें संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिली हुई है, उन्हें पुनःचक्रण योग्य अपशिष्टों, जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुओं, कागज अपशिष्टों और धातु स्क्रैप का नियमों में निर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुरूप पुनःचक्रण करने की अनुमति है।

सीमाशुल्क विभाग के अनुसार, विदेशों द्वारा अपने गैर-जैव अवक्रमित अपशिष्टों को हमारे देश में डंप किए जाने से संबंधित सूचना नहीं है। तथापि, अनुज्ञेय सीमा से अधिक गैर-जैव अवक्रमित नगर ठोस अपशिष्ट सहित मिश्रित अपशिष्ट कागज का आयात किए जाने संबंधी दो मामले पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुल्क विभाग के प्राधिकारियों की जानकारी में आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित मिश्रित अपशिष्ट कागज के दो मामलों में से एक मामले में कोच्चि में प्राप्त की गई खेप को प्राधिकारियों के निर्देश पर उसके आपूर्तिकर्ता को पुन: निर्यात कर दिया गया है। दूसरे मामले में तूतीकोरिन बंदरगाह पर प्राप्त की गई खेप को भी पुन: निर्यात करने के आदेश सीमा शुल्क विभाग के प्राधिकारियों द्वारा दिए गए थे। तथापि, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई लंबित रहने के कारण संदिग्ध कार्गो अभी भी सीमा शुल्क विभाग की कस्टडी में है। कुवैत से प्राप्त ई-वेस्ट का एक तीसरा मामला भी मुंबई क्षेत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारियों की जानकारी में आया था और इस अपशिष्ट को पुन: निर्यात कर दिया गया था।

अवैध डंपिंग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा-पारीय संचलन) नियमावली, 2008, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में कानूनी उपबंधों की व्यवस्था है। इसके अलावा, एक सहमत तंत्र भी विद्यमान है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट री-प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

श्रीमती मेनका गांधी : सरकार के अनुसार उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी देश से भारत में कोई अपशिष्ट आया है। उन्होंने केवल ऐसे तीन मामले रखे हैं जिनमें अपशिष्ट पाया गया है और उनका पुन: निर्यात कर दिया गया है। तथापि, क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि एन.ई.ई.आर.आई. के अनुसार 105 देश खतरनाक अपशिष्टों का निर्यात भारत को कर रहे हैं तथा 1997 से 2005 के बीच उनके खतरनाक अपशिष्टों में 62 प्रतिशत की दर से तीव्र वृद्धि हुई है और इन अपशिष्टों में जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले प्लास्टिक तथा 15,000 टन आर्गेनिक मर्करी यौगिक हैं? सिर्फ यूरोपीय देशों से कागज अपशिष्टों, जिनके आयात की सरकारी अनुमति है, के रूप में घरेलू अपशिष्ट बार-बार पाए गए हैं जिनमें उपयोग में लाए गए प्लास्टिक, डिब्बों, बोतलों, मिल्क कार्टन आदि जैसे जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले गंदे पदार्थ होते हैं। लेकिन मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि बेसल अभिसमय, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है और संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, के अंतर्गत नियम यह है कि बेसल अभिसमय का प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देश किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता देश से अपशिष्ट का आयात नहीं ? र सकता है। तथापि, 17 दिसम्बर, 2008 को अमरीकी सरकार के अकाउन्टेबिलिटी कार्यालय ने 67 पृष्ठ की एक रिपोर्ट में यह कहा है कि कंपनियों द्वारा सर्वाधिक घटिया दर्जे के इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट पाटन हेतु भारत भेजे जा रहे थे और जिस तरीके से यह किया गया वह यह था कि प्रत्यक्ष प्रयोक्ता द्वारा आयात की जाने वाली प्रत्येक 100 मदों में से 40 मद बिल्कुल बेकार थी जिनका यहां पाटन किया जा रहा था और जिसके बारे में प्रयोक्ता को भी जानकारी थी। क्या सरकार को जी.ए.ओ. रिपोर्ट की जानकारी है और अमेरिका से अवैध रूप से आने वाले खतरनाक अपशिष्ट के बारे में सरकार का क्या करने का इरादा है?

श्री नमोनारायन मीना : जहां तक खतरनाक अपशिष्ट के बारे में हमारे नियमों का संबंध है, देश में किसी अपशिष्ट की अनुमति

नहीं है। केवल वैसे अपशिष्टों की अनुमति है जिनका पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग किया जा सकता है। हमने 2008 में यह अधिसूचना जारी की थी तथा खतरनाक अपशिष्ट के आयात संबंधी नियमों को सख्त बनाया था।

जहां तक ई.-अपशिष्ट का संबंध है, देश में ई-अपशिष्ट का आयात किए जाने की अनुमति नहीं है और हमने देश में ई-अपशिष्ट का आयात करने की अभी तक कोई अनुमति नहीं दी है। हमारे देश में रिसायक्लिंग उद्योग काफी बड़ा है; देश में 771 पंजीकृत इकाइयां कार्य कर रही हैं तथा लगभग 31 लाख टन विभिन्न अपशिष्टों की रिसायक्लिंग की जा रही है। तीन आरएस की एक अवधारणा है– कम करें, पुनः प्रयोग में लाएं तथा रिसायकल करें। यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है तथा यह पर्यावरणीय रूप से भी सही है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री नमोनारायन मीना : हमने अमेरिका से ई-अपशिष्ट के आयात के लिए किसी फर्म को अनुमति नहीं दी है।

जहां तक बेसल अभिसमय का संबंध है, हम इसके पक्षकार है और जहां कहीं भी पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होती है, हम पूर्व स्वीकृति देते हैं; और यह सभी अभियम के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख किया है।

श्री नमोनारायन मीना : जी, हां। हमने नोट कर लिया है। मैंने अपना उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में आपने यह कहा है कि उनका पुनः निर्यात कर दिया जाता है।

श्री नमोनारायन मीना : जी, हां, उनका पुनः निर्यात किया जाता है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैंने दो रिपोर्ट की बात की है और आपने इनमें से किसी का भी उत्तर नहीं दिया है। क्या आपको एन.ई.ई.आर.आई. रिपोर्ट की जानकारी नहीं है?

प्रधानमंत्री (डा. मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एन.ई.ई.आर.आई. की एक विशेष रिपोर्ट का उल्लेख किया है और उन्होंने जी.ए.ओ. की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है; मैं मंत्रालय से इसे देखने के लिए कहूंगा।

श्रीमती मेनका गांधी : धन्यवाद।

श्रीमती अर्चना नायक : क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जान सकती हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि पोत भंजन के नाम पर हमारे देश में खतरनाक सामग्री जैसे– एसबेस्टस तथा जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले अपशिष्टों का पाटन किया जा रहा है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने का प्रस्ताव है और कितने मामलों में दोषियों को सजा दी गई है?

श्री नमोनारायन मीना : जहां तक पोत भंजन का संबंध है, इसके लिए एक सुनिर्धारित प्रक्रिया है और हम पोत भंजन की व्यवस्था के लिए सुसज्जित हैं जो कुछ भी आ रहा है उसे विधि तथा प्रक्रिया के अनुसार हैंडल किया जा रहा है। यह काफी बड़ा उद्योग है और इसमें ऐसे सामान भी हैं जिनका पुनः उपयोग किया जा रहा है। अतः, कोई समस्या नहीं है। यहां तक कि यह मामला उच्चतम न्यायालय भी गया तथा सभी कुछ हमारे मंत्रालय के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

श्री एन.एन. कृष्णदास : लगभग एक वर्ष पहले एक प्रश्न, जिसकी सही संख्या तथा तिथि मुझे याद नहीं है, के उत्तर में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री ने मुझे एक लिखित उत्तर में यह बताया था कि ऐसी घटना हुई थी। कोचीन पत्तन में शहरी अपशिष्ट का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया था। सरकार ने इसका पुनः निर्यात करने का निर्णय लिया था। उस समय एक पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इसकी जांच की जाएगी और निश्चित रूप से उस एजेंसी अथवा प्रेषिती के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी जिसने इसका आयात किया था।

अध्यक्ष महोदय : अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री एन.एन. कृष्णदास : शहरी अपशिष्ट का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया था; इसका आयात कोचीन पत्तन पर किया गया था; उन्होंने वहीं से उसका पुनः निर्यात किया था। लेकिन सरकार द्वारा उस प्रेषिती के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई थी जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका से शहरी अपशिष्ट का आयात कोचीन में किया था? क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न पहले पूछ चुके हैं।

मंत्री महोदय, क्या अब आपके पास कोई सूचना है?

श्री नमोनारायन मीना : जी, हां। यह 2007 का मामला था। आयातक कोची कडलास, एर्नाकुलम था। निर्यातक बेल्सन कार्पोरेशन था। यह ब्राउन पेपर मिश्रित अपशिष्ट था। यह भारत आया, लेकिन इसका पुन: निर्यात कर दिया गया। इसे स्वीकार नहीं किया गया तथा देश में इसकी अनुमति नहीं दी गई; इसका पुन: निर्यात कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : उस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई जिसने इसका आयात किया था?

श्री नमोनारायन मीना : इसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन किसी ने इसे लाने का प्रयास किया था। ठीक है, आप इसकी जांच करें।

श्री नमोनारायन मीना : हम इसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे इसकी जांच करेंगे।

रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के लिए टीकों की कमी

*265. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस (डीपीटी) तथा डिफ्थीरिया एवं टिटनेस (डीटी) टीकों की कमी से सार्वभौमिक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जैसा कि 12 नवम्बर, 2008 के "दि हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह कमी पाई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

डिफ्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस (डीपीटी) तथा डिफ्थीरिया और टिटनेस (डीपीटी) की कमी से कुछ राज्यों में कुछ हद तक व्यापक रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम कुछ समय के लिए मामूली रूप से प्रभावित हुआ है।

अप्रैल, 2008 से नवंबर, 2008 तक की अवधि के दौरान राज्यों में डीपीटी और डीटी वैक्सीन की उपलब्धता की स्थिति संलग्न अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए बफर स्टॉक के साथ वैक्सीन की वार्षिक आवश्यकता के अनुसार डीपीटी और डीटी वैक्सीनों की आपूर्ति के लिए पूर्ति आदेश दे दिए हैं। विनिर्माताओं ने मास सितंबर, 2008 से डीपीटी वैक्सीन की आपूर्तियां शुरू कर दी है जबकि मास नवंबर, 2008 से डीटी की आपूर्तियां शुरू कर दी हैं।

अनुबंध-I

अप्रैल, 08 से दिसम्बर, 08 के दौरान राज्यों में डीपीटी वैक्सीन की उपलब्धता की स्थिति

मात्रा लाख खुराक में

क्रम संख्या	राज्यों/संघ क्षेत्रों का नाम	अप्रैल '08-नवम्बर '08 में आवश्यकता	अप्रैल '08-नवम्बर '08 तक राज्यों के पास उपलब्धता	कमी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.25	0.28	-0.04
2.	आन्ध्र प्रदेश	61.21	58.76	2.45
3.	अरूणाचल प्रदेश	1.05	1.03	0.03
4.	असम	27.60	27.51	0.09
5.	बिहार	125.14	89.30	35.84
6.	चंडीगढ़	0.82	0.64	0.19
7.	छत्तीसगढ़	24.49	22.87	1.63
8.	दादरा और नगर हवेली	0.33	0.31	0.03
9.	दमन और दीव	0.18	0.14	0.04
10.	दिल्ली	12.40	12.57	-0.17
11.	गोवा	0.72	1.04	-0.32

1	2	3	4	5
12.	गुजरात	57.52	51.95	5.57
13.	हरियाणा	23.01	22.91	0.10
14.	हिमाचल प्रदेश	5.17	5.40	-0.23
15.	जम्मू और कश्मीर	11.23	11.94	-0.71
16.	झारखंड	31.90	31.64	0.26
17.	कर्नाटक	45.20	40.64	4.56
18.	केरल	20.05	19.25	0.80
19.	लक्षद्वीप	0.05	0.08	-0.04
20.	मध्य प्रदेश	75.84	67.69	8.15
21.	महाराष्ट्र	72.72	76.18	-3.46
22.	मणिपुर	1.82	1.84	.0.01
23.	मेघालय	2.54	2.72	-0.18
24.	मिजोरम	0.90	1.20	-0.30
25.	नागालैंड	1.45	2.51	-1.06
26.	उड़ीसा	34.07	31.58	2.49
27.	पुडुचेरी	0.77	0.91	-0.13
28.	पंजाब	19.55	16.59	2.95
29.	राजस्थान	70.90	63.58	7.32
30.	सिक्किम	0.52	0.57	-0.05
31.	तमिलनाडु	42.58	38.29	4.29
32.	त्रिपुरा	2.23	2.08	0.14
33.	उत्तर प्रदेश	219.72	157.47	62.25
34.	उत्तराखंड	8.59	5.70	2.90
35.	पश्चिम बंगाल	89.15	55.41	33.74

अनुबंध-II

अप्रैल, 08 से नवम्बर, 08 के दौरान राज्यों में डीटी वैक्सीन की उपलब्धता की स्थिति

मात्रा लाख खुराक में

क्रम संख्या	राज्यों/संघ क्षेत्रों के नाम	अप्रैल '08-नवम्बर '08 में आवश्यकता	अप्रैल '08-नवम्बर '08 तक राज्यों के पास उपलब्धता	कमी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.12	0.11	0.01
2.	आन्ध्र प्रदेश	18.19	12.48	5.71
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.23	0.13	0.10
4.	असम	9.60	4.48	5.12
5.	बिहार	25.49	11.58	13.91
6.	चंडीगढ़	0.19	0.22	-0.03
7.	छत्तीसगढ़	6.67	4.94	1.73
8.	दादरा और नगर हवेली	0.08	0.07	0.01
9.	दमन और दीव	0.07	0.06	0.01
10.	दिल्ली	3.23	3.80	-0.57
11.	गोवा	0.21	0.23	-0.02
12.	गुजरात	14.21	6.12	8.09
13.	हरियाणा	6.33	6.32	0.01
14.	हिमाचल प्रदेश	1.33	1.84	-0.52
15.	जम्मू और कश्मीर	2.87	3.09	-0.22
16.	झारखंड	24.00	11.11	12.89
17.	कर्नाटक	9.77	6.23	3.54

1	2	3	4	5
18.	केरल	7.30	4.64	2.66
19.	लक्षद्वीप	0.01	0.02	−0.01
20.	मध्य प्रदेश	18.01	6.22	11.79
21.	महाराष्ट्र	20.16	26.31	−6.15
22.	मणिपुर	0.45	0.15	0.30
23.	मेघालय	0.72	0.10	0.62
24.	मिजोरम	0.30	0.13	0.17
25.	नागालैंड	0.37	0.49	−0.12
26.	उड़ीसा	9.27	3.64	5.63
27.	पुडुचेरी	0.19	0.06	0.13
28.	पंजाब	6.17	6.19	−0.02
29.	राजस्थान	17.57	17.23	0.34
30.	सिक्किम	0.14	0.05	0.09
31.	तमिलनाडु	10.73	6.00	4.73
32.	त्रिपुरा	0.66	0.55	0.11
33.	उत्तर प्रदेश	51.79	40.66	11.14
34.	उत्तराखंड	2.58	0.26	2.32
35.	पश्चिम बंगाल	18.95	5.06	13.89

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, प्रतिरक्षण कार्यक्रम बच्चों को वैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण पहल में से एक है, जिनका निवारण किया जा सकता है। टीके की कमी से प्रतिरक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल वैसे राज्यों को टीके की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राज्यों को समुचित मात्रा में टीके उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

डा. अंबुमणि रामदास : विगत कुछ महीनों में कुछ समय के लिए कुछ टीकों की कमी रही है। मैं प्रश्न के दूसरे भाग पर यह कहना चाहूंगा कि अनेक कदम उठाए गए हैं। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि दिसम्बर महीने से देश के किसी भी राज्य में टीके की कमी नही होगी।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : महोदय, स्वास्थ्य मंत्री ने सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली, कुन्नूर स्थित पास्चर इंस्टीट्यूट तथा चेन्नई में बी.सी.जी. वैक्सीन लैब में टीके के उत्पादन को बंद करने का आदेश दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया है।

डा. अंबुमणि रामदास : महोदय, पी.आई., कुन्नूर अथवा सी.आर.आई., कसौली अथवा बी.सी.जी., चेन्नई में टीके के उत्पादन को बंद नहीं किया गया हैं हमने उत्पादन के लिए लाइसेंस को वापस लिया है। मैं उन परिस्थितियों का वर्णन करना चाहूंगा जिनके अंतर्गत हमें ऐसा करना पड़ा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरणों का आकलन करने तथा इन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करता है। भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है जो भेषजों तथा टीकों के लिए इन उत्पादन इकाइयों को लाइसेंस जारी करता है। आवधिक रूप से वे दुनिया भर के विभिन्न देशों में जाते हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करते हैं। वे बार-बार भारत आए हैं। भारत में तीन प्रकार की अर्हताएं हैं जिनके आधार पर एन.आर.ए. लाइसेंस देता है। इनमें से एक शेड्यूल एम. है, जो कि भारतीय जी.एम.पी. (वस्तु विनिर्माण प्रक्रिया) है। दूसरा, डब्ल्यू.एच.ओ. जी.एम.पी. है। तीसरा डब्ल्यू.एच.ओ. पूर्व-अर्हता है। डब्ल्यू.एच.ओ. पूर्व-अर्हता गुणवत्ता का सर्वोत्तम रूप है। भारतीय जी.एम.पी. के बिना भारत में कोई भी संस्था किसी भेषज औषधि अथवा टीके का विनिर्माण नहीं कर सकती है। दुर्भाग्यवश, इन तीन भारतीय विनिर्माण इकाइयों के पास भारतीय जी.एम.पी. भी नहीं है। चूंकि भारतीय एन.आर.ए. ने डब्ल्यू.एच.ओ. पूर्व-अर्हता अथवा डब्ल्यू.एच.ओ. जी.एम.पी. दिया है, अत: उनका कहना है कि अगर भारत बगैर किसी भारतीय जी.एम.पी. वाली इन टीका उत्पादन इकाइयों को उत्पादन करने से नहीं रोकता है, तो वे भारत के एन.आर.ए. की मान्यता खत्म कर देंगे। अत:, यदि ये सभी संगठन भारत के एन.आर.ए. की मान्यता खत्म कर देते हैं, तो भारत की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी और हम निर्यात भी नहीं कर सकेंगे।

इन तीनों इकाइयों में सुविधाओं में सुधार करने तथा इन्हें कम-से-कम भारतीय जी.एम.पी. के अनुसार करने के लिए हमने इन इकाइयों पर

लगभग 50-60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इनमें से दो संस्थाएं 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं तथा एक 60 वर्ष पुरानी है। विस्तार के लिए जगह नहीं है। भवन जीर्ण-शीर्ण हैं और भी अनेक समस्याएं हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत मैंने विशेषज्ञों का एक दल भेजा है जो इन संस्थाओं की जांच करेगा और उनकी व्यवहार्यता के बारे में मुझे एक रिपोर्ट देगा। उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ऐसा नहीं है कि हम इन संस्थाओं को बंद करने जा रहे हैं। किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। सभी कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाता है और हम उत्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा व्यवहार्यता की पुनर्संरचना करेंगे।

महोदय, इसके साथ ही एक अत्याधुनिक टीका उत्पादन इकाई की योजना बनाई जा रही है, जो नवीनतम प्रोद्योगिकी के साथ इन टीकों का संसाधन करेगी। चूंकि ये टीके सीधे बच्चों के जीवन से संबंधित हैं, अत: हम नहीं चाहते हैं कि मान्यता की उचित प्रक्रिया से गुजरे बिना भारत में किसी कम गुणवत्ता वाले टीके की आपूर्ति हो। यही वजह है कि हमने उनसे उत्पादन रोकने के लिए कहा है; हमने उन्हें बंद नहीं किया है। जब ये संस्थाएं भारतीय जी.एम.पी. प्राप्त कर लेंगी, तभी हम इनका उपयोग अन्य सीरप तथा अन्य चीजों के लिए करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : केवल आधा मिनट शेष है। आप एक संक्षिप्त प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल) : जैसा कि यहां टीकों की कमी है तथा कुन्नूर, चेन्नई तथा हिमाचल स्थित उत्पादन केंद्र बंद कर दिए गए हैं। मंत्री जी से मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या टीकों की कमी इन इकाइयों को बंद किए जाने का कारण थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या कमी इन इकाइयों के कारण थी?

डा. अंबुमणि रामदास : जी, हां। इन इकाइयों के कारण कुछ कमी थी। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि हमें क्यों इन इकाइयों में उत्पादन रोकना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : आपने पूरा उत्तर दे दिया है।

डा. अंबुमणि रामदास : हमने इन इकाइयों में उत्पादन गुणवत्ता प्रक्रिया के कारण तथा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के कारण रोका है। मैं पुन: यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि दिसम्बर से इन सभी कमियों को ध्यान में रखा जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नई पथकर नीति

***266. डा. चिन्ता मोहन :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान पथकर नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान नीति में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पथकर संग्रहण की लागत संग्रहीत पथकर राजस्व से अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई ''राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008'' भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 05 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारिण और संग्रहण) नियमावली, 2008 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) लोक वित्तपोषित और सार्वजनिक निवेश वाली परियोजनाओं के लिए फीस की एकसमान दर।

(ii) फीस की आधार दर निर्धारित करने के लिए वाहनों का पांच वर्गों में वर्गीकरण।

(iii) स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए और बहु यात्राओं के लिए रियायत/छूट।

(iv) फीस की दर में वार्षिक संशोधन।

(v) दो लेन के राजमार्ग प्रयोक्ताओं से, चार लेन के राजमार्गों

के लिए निर्धारित प्रयोक्ता प्रभारों के 60% की दर से प्रयोक्ता फीस का उद्ग्रहण।

(vi) स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के प्रयोग के लिए फीस की दर निर्धारित की गई है। 10 करोड़ रु. से अधिक और 50 करोड़ रु. से कम लागत के स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का हिस्सा हो, के मामले में फीस की दर वही होगी जो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के लिए लागू है। 50 करोड़ रु. से अधिक लागत के स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के मामले में, पुल, बाईपास या सुरंग की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड की लंबाई में से निकाल दी जाएगी और फीस, ऐसे स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के लिए विनिर्दिष्ट दर पर उद्ग्रहीत की जाएगी।

(vii) अतिभराई के लिए फीस की दर निर्धारित की गई है।

(viii) फीस के संग्रहण, धन प्रेषण और विनियोजन के लिए प्रावधान।

(ix) पथकर प्लाजा की अवस्थिति निर्धारित की गई है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक के संचालन का विस्तार

*267. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की कुल कितनी शाखाएं कार्य कर रही है;

(ख) क्या भारतीय स्टेट बैंक का चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1000 शाखाएं और खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय स्टेट बैंक का विचार ग्रामीण शाखाओं से जमा तथा अग्रिमों को दोगुना करने के लिए अपने विपणन तंत्र का विस्तार करने तथा व्यापार सहायकों के साथ समझौता करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे देश की ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी जनसंख्या को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक की कुल 7446 शाखाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें से 4250 ग्रामीण शाखाएं हैं और 3196 अर्ध-शहरी शाखाएं हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक को कुल 1069 शाखाएं खोलने का प्राधिकार मिला है, जिनमें से 519 ग्रामीण शाखाएं होंगी और 550 अर्ध-शहरी शाखाएं होंगी।

(घ) से (च) बैंक का दृष्टिकोण यह है कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाओं से व्यवसाय 3 से 5 वर्ष में इतना अधिक होना चाहिए, जितना कि शहरी एवं महानगरीय शाखाओं से होता है। इस उद्देश्य से बैंक व्यवसाय सम्पर्कियों (बीसी) एवं व्यवसाय सुविधा प्रदाताओं को ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्याप्ति हेतु भेज रहा है, व्यवसाय सम्पर्कियों के लिए कई ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएसपी) स्थापित कर रहा है तथा उसका इस वर्ष 40 लाख स्मार्ट कार्ड अतिरिक्त सुविधा रहित खाते खोलने का लक्ष्य है।

वन क्षेत्र का विस्तार

*268. **श्री पी.सी. गद्दीगौडर :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वायु प्रदूषण, ओजोन क्षरण तथा कम होती जा रही वर्षा को देखते हुए विद्यमान वन क्षेत्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर वनों की कटाई को देखते हुए देश में वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए नई नीति तैयार करने का भी है?

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वनरोपण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य एवं इनकी प्राप्ति दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य ने वन क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर घोषित राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ मिशनों में से एक मिशन के रूप में 'हरित भारत' के लिए राष्ट्रीय मिशन पर विचार किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करेगा। प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम दो उद्देश्यों पर ध्यान केन्द्रित करेगा अर्थात् देश के वन आवरण और सघनता में पूर्ण रूप से वृद्धि करना और जैव-विविधता का संरक्षण करना।

(ग) जी नहीं, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें देश के एक तिहाई भू क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण के तहत लाने का लक्ष्य है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) पर्यावरण और वन मंत्रलय की प्रमुख वनीकरण स्कीम, अर्थात् 'राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम' अवक्रमित वनों और समीपवर्ती क्षेत्रों के पुनरुद्धार और पारि-विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है। नई परियोजनाओं के साथ-साथ चालू परियोजनाओं पर, स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर विचार किया जाता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (3.12.08 तक)
जारी की गई राशि	248.12	292.75	392.95	224.66

रेबीज-रोधी टीके

*269. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री उदय सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सरकारी अस्पतालों में रेबीज-रोधी टीके पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुणवत्ता के मामले में ये टीके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या इन टीकों के उपलब्ध न होने तथा इनकी घटिया क्वालिटी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (छ) इस समय देश में उत्तक कल्चर अलर्क रोधी वैक्सीनों (284 लाख खुराक प्रति वर्ष) और अलर्क रोधी सीरम (10.4 लाख शीशियां प्रति वर्ष) दोनों ही पर्याप्त संस्थापित क्षमता है। इस संस्थापित क्षमता के मुकाबले वर्ष 2007-2008 में देश में अलर्क रोधी वैक्सीनों की 123.59 लाख खुराकें और अलर्क रोधी सीरम की 6.85 लाख शीशियों की बिक्री की गई है। ये जैव पदार्थ (बायोलोजिकल्स) (वैकसीन/सीरम) चाहे वे देश में ही निर्मित किए गए हों या आयातित हों, को तब तक बाजार में बेचा नहीं जा सकता जब तक कि उनकी गुणवत्ता कसौली स्थित केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित नहीं की जाती है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, अलर्क रोधी वैक्सीनों और अलर्क रोधी सीरम की कोई कमी सूचित नहीं की गई है। दिल्ली में इनको डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में लगाया जाता है। नीचे की तालिका वर्ष 2007-08 में इनकी उपलब्धता चित्रित करती है:–

अस्पताल	अलर्क रोधी वैक्सीन	अलर्क रोधी सीरम
डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल	26,200 खुराक	28,500 शीशियां
सफदरजंग अस्पताल	52,950 खुराक	25,800 शीशियां

उपरोक्त के अतिरिक्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भी जनवरी से दिसंबर, 2008 के बीच अलर्क रोधी वैक्सीन की 6484

खुराकें अधिप्राप्त की/खरीदी हैं। इन वैक्सीनों की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, ये वैक्सीनें उनके द्वारा अपने संसाधनों से अधिप्राप्त की/खरीदी जाती हैं। किसी भी राज्य सरकार से अलर्क रोधी वैक्सीन अथवा अलर्क रोधी सीरम की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

तम्बाकू उत्पादों हेतु नीति

*270. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री डी. विट्ठल राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू के उपभोग को हतोत्साहित करने के लिए तम्बाकू उत्पादों पर अधिक कर लगाने, उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में वृद्धि करने तथा तम्बाकू क्षेत्र में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक व्यापक नीति अधिनियमित करने का है जैसा कि 5 नवम्बर, 2008 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) सरकार की तम्बाकू संबंधी स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य धूमपान न करने वालों को तम्बाकू के धुएं के अनैच्छिक असर से प्रभावी ढंग से सुरक्षा प्रदान करना और बच्चों तथा युवा लोगों को तम्बाकू के इस्तेमाल की लत लगने से बचाना है। सरकार ने नागरिकों को तम्बाकू के धुएं के अनैच्छिक प्रभाव से बचाने; तम्बाकू के इस्तेमाल को निरूत्साहित करने और तम्बाकू के सभी प्रकार के विज्ञापनों, प्रायोजन और संवर्धन को अंततः समाप्त करने की दृष्टि से उत्तरोतर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कारगर उपाय किए हैं। इन उद्देश्यों करने के लिए संसद द्वारा "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" अधिनियमित किया गया था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तम्बाकू के उत्पादों के सेवन को निरूत्साहित करने की दृष्टि से मौजूदा व्यापार-कर नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है, अर्थात

(i) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के मौजूदा मुक्त व्यापार करार, आयात और एफ डी आई नीति, ई ओ यू/एस ई जेड नीति/व्यापार की समीक्षा।

(ii) सिगरेट यूनिटों को कारगर ढंग से विनियमित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा। गुटखा, सिगार, मशीन से बनी बीड़ी आदि जैसे अन्य विनिर्मित उत्पादों को शामिल करने के लिए इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।

(iii) तम्बाकू करों में विकृतियों को ठीक करने के लिए कर निर्धारण नीति की समीक्षा; समाज में तम्बाकू के सेवन को रोकने के लिए कर का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना।

[हिन्दी]

गरीबों के लिए बीमा

*271. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों का पुनर्निर्माण करने हेतु गरीबों के लाभार्थ कोई बीमा योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं तथापि, बीमा कंपनियां साधारण बीमा उत्पाद उपलब्ध कराती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़, भूकम्प, तूफान, जल-पलावन, आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आवास को होने वाली क्षति शामिल है। कुछ बीमा कंपनियों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए, अधिकांशतः पैकेज कवर के रूप में, जिसमें आवास को होने वाली क्षति का बीमा शामिल है, विशिष्ट बीमा कवर तैयार किए हैं।

[अनुवाद]

केबल आपरेटरों हेतु विनियामक तंत्र

*272. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केबल आपरेटरों को विनियमित करने के लिए मौजूदा कानूनी और विनियामक तंत्र क्या हैं;

(ख) क्या केबल आपरेटरों के लिए अपने नेटवर्क पर निर्धारित न्यूनतम संख्या में सरकारी प्रसारण चैनलों के कार्यक्रम दिखाना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में उल्लंघन के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) उक्त विनियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क सेवाओं को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 अरौर उसके अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) भी देश में केबल टी.वी. सेवाओं के प्रसारण को विनियमित कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 8 में अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसार भारती द्वारा अधिसूचित दूरदर्शन चैनलों के अनिवार्य प्रसारण का प्रावधान किया गया है। अभी तक की स्थिति के अनुसार केबल ऑपरेटरों को अपनी केबल टी.वी. नेटवर्क सेवाओं में निम्नलिखित चैनलों का अनिवार्य रूप से प्रसारण करना होता है:—

1. लोक सभा टेलीविजन चैनल
2. डी.डी. राज्य सभा चैनल
3. डी.डी. I (नैशनल चैनल)
4. डी.डी. (न्यूज चैनल)
5. डी.डी. (स्पोर्ट्स चैनल)
6. डी.डी. उर्दू चैनल
7. ज्ञान दर्शन चैनल
8. डी.डी. भारती चैनल; और
9. संबंधित राज्य का क्षेत्रीय चैनल जिसमें केबल ऑपरेटर अपनी सेवाएं सुलभ करा रहा है।

(घ) से (च) सरकार को अधिसूचित चैनलों को प्रसारित न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ऐसी शिकायतों के प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को इन चैनलों के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निदेश दिए गए हैं। सरकार ने अधिनियम की धारा 8 के प्रवर्तन और केबल ऑपरेटरों द्वारा अधिसूचित चैनलों के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

पोलियो के उन्मूलन हेतु वित्तीय सहायता

***273. श्री नन्द कुमार साय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से पोलियो का उन्मूलन करने हेतु जापान सहित विभिन्न देशों से विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है/उसका उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता से कितने राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने इस संबंध में कोई सहायता दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पोलियो के उन्मूलन हेतु आबंटित की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितने पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) जी, हां। विभिन्न बाह्य अभिकरण पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में सहायता कर रहे हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पोलियो उन्मूलन क्रियाकलाप देशभर में आयोजित किए जाते हैं। इनसे सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लाभान्वित होते हैं।

(घ) जी, हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो उन्मूलन क्रियाकलापों में तकनीकी सहायत प्रदान कर रहा है।

(ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना बनाने के लिए 1977 में साथ-साथ काम किया जिसमें भारत सरकार को तकनीकी और संभारतंत्रीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है तथा भारत में पोलियो उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ रूप में कार्य किया जाता है।

(च) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

(छ) वार्षिक उन्मूलन कार्यनीति की योजना भारत विशेषज्ञ सलाहकार दल नामक पोलियो उन्मूलन विषयक भारत सरकार के शीर्ष सलाहकार निकाय की सिफारिशों के आधार पर बनाई जाती है। इस दल में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जानपादिक रोग विज्ञानी, विष विज्ञानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, साझेदार संगठन और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 2005-06 से 2008-09 तक आयोजित राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस और उप राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस दौरों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वर्ष 2005 में उपलब्ध बाह्य निधीयन

अभिकरण/देश का नाम	वर्ष	यूरो/यूएसडी/एसडीआर में धनराशि	आईएनआर धनराशि (करोड़ रुपयों में)
के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी	2005	यूरो मिलियन 16.07	95.00
के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी	2006	यूरो मिलियन 40.62	240.14
के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी	2007-08	यूरो मिलियन 50.00	295.60
के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी	2008-11	यूरो मिलियन 45.09	266.57
विश्व बैंक	2005-10	एस डी आर 90 मिलियन	613.21
जे.आई.सी.ए., जापान	2005-08	यू एस डी 11.67 मिलियन	54.09

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में आबंटन निधियां (लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	2005-06 में आबंटित निधियां	2006-07 आबंटित निधियां	2007-08 आबंटित निधियां	2008-09 आबंटित निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	अरूणाचल प्रदेश	42.85	97.65	50.02	87.50
2.	असम	471.82	1252.84	735.46	1928.71
3.	मणिपुर	65.61	129.98	64.99	117.73
4.	मेघालय	70.86	110.12	79.04	282.71
5.	मिजोरम	24.19	48.88	25.09	43.21
6.	नागालैण्ड	49.52	103.51	53.98	141.6

1	2	3	4	5	6
7.	सिक्किम	14.08	28.24	14.65	24.88
8.	त्रिपुरा	72.82	225.84	79.17	139.97
	कुल	811.75	1996.86	1102.40	2766.31
9.	बिहार	3601.96	4937.51	6233.56	6226.48
10.	मध्य प्रदेश	891.97	2396.19	1097.1	1856.73
11.	उड़ीसा	325.14	657.03	564.06	1190.93
12.	राजस्थान	766.35	1439.16	1430.47	2449.85
13.	उत्तर प्रदेश	15511.18	16044.12	17616.78	20697.66
14.	उत्तराखंड	466.07	548.66	585.52	913.33
15.	छत्तीसगढ़	219.23	460.84	372.56	671.8
16.	झारखण्ड	784.47	899.73	911.98	676.87
	कुल	22566.37	27383.24	28812.03	34683.65
17.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	14.98	29.95	14.70	27.16
18.	आन्ध्र प्रदेश	853.31	2186.12	2710.10	2996.13
19.	चंडीगढ़	8.63	31.70	14.39	17.36
20.	दादरा और नागर हवेली	2.91	7.41	2.97	5.31
21.	दमन और दीव	3.5	4.44	2.25	3.57
22.	दिल्ली	813.56	708.02	1079.46	1779.76
23.	गोवा	9.75	18.98	9.78	17.98
24.	गुजरात	559.71	1614.96	1300.49	1096.59
25.	हरियाणा	561.86	1049.08	827.04	1510.96
26.	हिमाचल प्रदेश	102.93	239.70	102.93	192.51
27.	जम्मू और कश्मीर	128.72	261.57	179.38	338.03

1	2	3	4	5	6
28.	कर्नाटक	505.87	1302.44	735.07	999.13
29.	केरल	192.54	347.12	203.13	383.46
30.	लक्षद्वीप	2.61	4.89	2.84	5.04
31.	महाराष्ट्र	1514.59	3348.19	2516.63	3575.67
32.	पुडुचेरी	4.57	17.50	19.6	16.48
33.	पंजाब	304.15	828.52	657.29	543.84
34.	तमिलनाडु	493.36	968.39	512.65	969.70
35.	पश्चिम बंगाल	1839.38	2825.23	1484.96	2176.37
	कुल	7916.48	15794.21	12375.66	16655.05
	सर्वयोग (ए)	31294.60	45174.31	42290.09	54105.01

विवरण-III

2005-06 से 2008-09 तक आयोजित उप रोग प्रतिरक्षण दिवस दौर

वर्ष	राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण दिवस दौर	उप रोग प्रतिरक्षण दिवस दौर
2005-06	2	7
2006-07	2	6
2007-08	2	10
2008-09	2	6

अवसंरचना क्षेत्र में निवेश

***274. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट के कारण देश में अवसंरचना क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वैश्विक वित्तीय संकट को देखते हुए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना निर्माण के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की बात कही गयी है। इसके लिए 20,56,150 करोड़ रुपए (वर्ष 2006-2007 की कीमतों पर) के कुल निवेश की जरूरत होने का अनुमान लगाया गया है। वैश्विक बाजारों में क्रेडिट की मंदी के बावजूद, सरकार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अवसंरचना में निवेश के अनुमानित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है। ग्यारहवीं योजना अवधि में अवसंरचना के लिए क्षेत्रवार अपेक्षित निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने अवसंरचना क्षेत्रों को निधियों के सहज प्रवाह के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:—

(I) अवसंरचना की परिभाषा में विस्तार करने; स्वचालित मार्ग के तहत सभी अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए रुपए में व्यय और/अथवा विदेशी मुद्रा में व्यय के लिए प्रत्येक

उधारकर्ता को हर वित्त वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों की अनुमति देने; अनुमत अंतिम उपयोग'' के तौर पर 3 जी स्पेक्ट्रम हेतु लाइसेंस/परमिट प्राप्त करने क लिए भुगतान की अनुमति देने, और 'सम्पूर्ण लागत'' की ब्याज दर की उच्चतम सीमा, जिस पर विदेशी वाणिज्यिक उधार प्राप्त किए जा सकते हैं, को युक्तिसंगत बनाने और उनमें वृद्धि करने के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की नीति को निरन्तर उदार बनाया गया है।

(ii) भारत अवसरंचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को 31 मार्च, 2009 तक कर मुक्त बाण्डों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए प्राधिकृत किया गया हैं। आईआईएफसीएल द्वारा इन निधियों का उपयोग पात्र अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से राजमार्गों और पत्तन क्षेत्रों में, लम्बी परिपक्वता अवधि के बैंक ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने के लिए किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई, आईआईएफसीएल को ऐसे बाण्डों के निर्गम द्वारा और संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाएगी।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अवसंरचना के लिए अपेक्षित अनुमानित निवेश

क्षेत्र	ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान निवेश की आवश्यकता (वर्ष 2006-07 की कीमतों पर करोड़ रुपयों में)			पब्लिक : प्राइवेट
	पब्लिक निवेश	प्राइवेट निवेश	कुल निवेश	
1	2	3	4	5
बिजली	4,81,013	1,85,512	6,66,525	72:28
सड़कें	2,07,360	1,06,792	3,14,152	66:34
दूरसंचार	80,753	1,77,686	2,58,439	31:69
रेलवे	2,11,454	50,354	2,61,808	81:19
पत्तन	33,516	54,479	87,995	38:62
हवाईपत्तन	9,338	21,630	30,968	30:70
जलापूर्ति एवं सफाई	1,38,309	5,421	1,43,730	96:04
सिंचाई	2,53,301	0	2,53,301	100:0
संचयन	11,189	11,189	22,378	50:50
गैस	10,327	6,528	16,855	61:39
कुल	14,36,559	6,19,591	20,56,150	70:30

स्रोत : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) खण्ड 1, अध्याय-12

विज्ञापनों के लिए नई संहिता

*275. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री के.सी. पल्लानी शामी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ने वाले विज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए उनकी विषय-वस्तु को विनियमित करने हेतु एक नई संहिता लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने इस मुद्दे की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किए जाने के लिए विषय-वस्तु संबंधी संहिता को कार्यान्वित करने का है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (च) दर्शकों विशेषकर बच्चों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मौजूदा

कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने दिनांक 5.3.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कि व्यापक परामर्श हेतु मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध है।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) का प्रतिनिधि उपर्युक्त समिति का सदस्य था और मसौदा संहिता को अन्य लोकतांत्रिक देशों में सदृश विनियमों का अध्ययन करने के पश्चात तैयार किया गया था। इसके कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है।

इस समय, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) द्वारा अंगीकृत स्व-विनियमन हेतु संहिता को केबल नेटवर्क नियम, 1994 की विज्ञापन संहिता के नियम 7 (9) के तहत मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन की जांच करने और सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की अनुशंसा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई.एम.सी.) का गठन किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि का अधिग्रहण

***276. श्री चन्द्रभूषण सिंह :**
श्री महावीर भगोरा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्हें चौड़ा किए जाने के लिए राज्यवार कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) इस अधिग्रहण के लिए राज्यवार मुआवजे की कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा;

(घ) उक्त भूमि का कब तक अधिग्रहण किए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार भूमि अधिग्रहण के कितने मामले विवादग्रस्त रहे और कितने मामलों का निपटान किया गया?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण की समग्र जिम्मेदारी, भारत सरकार की है। राज्य सरकार, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित विभिन्न कार्य कराए जाते हैं। ये एजेंसियां राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए, आवश्यकतानुसार भूमि का अधिग्रहण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अधिगृहीत भूमि, जारी की गई मुआवजा राशि, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में विवादों की संख्या और अब तक हल किए गए विवादों की संख्या से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। भूमि अधिग्रहण एक सतत प्रक्रिया है और इस कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाते हैं।

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सीमा सड़क संगठन से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-I

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं से संबंधित सूचना (जनवरी, 2005 से 15 दिसम्बर, 2008 तक)

क्र. सं.	राज्य का नाम	रारा के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अधिगृहीत भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	ऐसे अधिग्रहण के लिए जारी की गई मुआवजा राशि (करोड़ रु.)	रारा परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि अधिग्रहण के विवादित मामलों की संख्या	भूमि अधिग्रहण के हल हो चुके मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	129.807	12.772	19.008	1	1

1	2	3	4	5	6	7
2.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	झारखंड	4.56	7.29	1.06	2	शून्य
6.	कर्नाटक	256.02	89.36	29.95	7	शून्य
7.	केरल	32.42	25.70	96.31	45	26
8.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	राजस्थान	शून्य	शून्य	72	शून्य	शून्य

नोट : अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण-II

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित सूचना (15 दिसम्बर, 2008 तक के संचयी आंकड़े)

क्र. सं.	राज्य का नाम	रारा के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए अधिगृहीत भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	ऐसे अधिग्रहण के लिए जारी की गई मुआवजा राशि (करोड़ रु.)	रारा परियोजनाओं के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूमि अधिग्रहण के विवादित मामलों की संख्या	भूमि अधिग्रहण के हल हो चुके मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4058	462.38	7668	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
2.	असम	1540	351.12	2062	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	बिहार	361	165.26	1394	88	02
4.	छत्तीसगढ़	22	0.10	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
5.	गोवा	–	5.06	–	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
6.	गुजरात	517	79.83	524	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
7.	हरियाणा	93	–	–	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
8.	हिमाचल प्रदेश	8	–	37	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

1	2	3	4	5	6	7
9.	जम्मू और कश्मीर	1333	282.79	1407	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
10.	झारखंड	51	12.13	571	11	01
11.	कर्नाटक	2078	395.79	3225	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
12.	केरल	138	143.54	354	255	82
13.	मध्य प्रदेश	1824	105.04	2863	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
14.	महाराष्ट्र	1115	111.14	3725	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
15.	उड़ीसा	520	137.28	520	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
16.	पंजाब	26	182.24	859	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
17.	राजस्थान	3930	341.27	4177	22	03
18.	तमिलनाडु	3067	1135.80	5319	86	48
19.	उत्तर प्रदेश	1455	443.11	3187	100	22
20.	पश्चिम बंगाल	587	206.98	737	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

नोट : अनुपलब्ध — सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला क्षेत्र में सुधार

*277. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र सुधार संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। कोयला क्षेत्र में सुधारों के लिए रोड मैप के संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा श्री टी.एल., शंकर की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट का भाग-I दिसम्बर, 2005 में तथा भाग-II सितम्बर, 2007 में प्रस्तुत कर दिया है।

प्रमुख सिफारिशों पर की गई/किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाई नीचे दी गई हैं:—

क्र.सं.	प्रमुख सिफारिशें	की गई/की जाने वाली कार्रवाई
1	2	3
1.	केप्टिव कोयला खनन पर जोर देते हुए मांग तथा पूर्ति के बीच के अंतर को पाटने हेतु घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करना।	मांग तथा पूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के अधीन कई नयी कोयला परियोजनाओं को शुरू करने के अलावा सरकार ने कई नए कैप्टिव कोयला ब्लाक आबंटित किए हैं।
2.	चूंकि कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा इसलिए 15 वर्षों में समस्त भारत को क्षेत्रीय	5438 वर्ग किलोमीटर के शेष कोयलाधारी क्षेत्र को क्षेत्रीय [illegible] के अन्तर्गत लाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। 11वीं

1	2	3
	मैपिंग द्वारा कवर करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआईएल) और कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।	योजना के दौरान 2791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तथा शेष क्षेत्र को उसके बाद लाने का विचार है। सीएमपीडीआईएल की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग क्षमता को दुगना किया जा रहा है।
3.	कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को नवरत्न कम्पनी का दर्जा दिया जाए तथा सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों को मिनीरत्न कम्पनियों का दर्जा दिया जाए जिसमें इस प्रकार की सहायक कम्पनी के उन प्रस्तावों पर सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जिनमें पूंजी व्यय 500 करोड़ रु. से अधिक का होगा।	सीआईएल को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा, इसकी 5 सहायक कम्पनियों (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., महानदी कोलफील्ड्स लि., नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.) तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) को मिनीरत्न-I कंपनियों के समान वित्तीय प्रत्यायोजन में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन है।
4.	12वीं योजना अवधि के दौरान सीआईएल की प्रमुख पुनर्गठन के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए।	इसे मान लिया गया है।
5.	कोयला परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दे पर सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।	सरकार ने 14.9.2006 को नयी पर्यावरण अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार कोयला खनन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
6.	कोयले के योजनाबद्ध आयातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।	आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप में विद्युत क्षेत्र द्वारा आयातों की आयोजना की जाती है। सीआईएल भी कोयले का आयात करने के संबंध में विचार कर रही है।
7.	उस समस्त घरेलू कोयले के अनुपात में बढ़ोतरी करना जो कोयला विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं है, उसे अगले 2 से 3 वर्षों में ई-नीलामी बाजार के अंतर्गत लाया जाए।	कोयले की बिक्री शुरू कर दी गई है।
8.	पावर सेक्टर को फीड कर रहे लिंकेजों की मौजूदा पद्धति के स्थान पर औपचारिक दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति एवं परिवहन करार हों जिसमें रेलवे भी शामिल हो।	सरकार की नयी कोयला वितरण नीति में दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति तथा परिवहन करारों की व्यवस्था है जिसमें रेलवे भी शामिल है।
9.	यदि आबंटी ने आबंटित खानों में उत्पादन करने के लिए अथवा अन्त्य उपयोग यूनिटों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं तो पूर्व में जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए सभी सम्भव कानूनी उपाय किए जाने चाहिए।	कैप्टिव ब्लाकों की प्रगति की नियमित समीक्षा के आधार पर कुछ कोयला ब्लाकों का आबंटन समाप्त कर दिया गया है। आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित निगरानी की जा रही है।

1	2	3
10.	बाजार की वास्तविकताओं को देखते हुए कोयले की कीमत को विनियमित करने की आवश्यकता होगी। कोयला कीमत के विनियमन को विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के मूल्य-निर्धारण में भिन्नता करनी है क्योंकि यह 80% घरेलू उत्पादन की खपत करता है और कोयले की जिस कोटि की यह खपत करता है, वह इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों को सुलभता से बिक्री योग्य नहीं है।	कोयले की कीमतों को निर्धारित करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों को तैयार करने हेतु योजना आयोग की एक समिति कोयले के मूल्य-निर्धारण के मुद्दे की जांच कर रही है। समिति द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
11.	भूमिगत खनन को प्रोन्नत करना।	मुख्यत: प्रचालनों के यंत्रीकरण को अपनाकर सतत खनिक प्रौद्योगिकी और लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करके भूमिगत खानों से 2006-07 में लगभग 44 मि.ट. से बढ़ाकर 2011-12 में लगभग 67 मि.ट. के उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने हेतु सीआईएल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए 5185.59 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश का अनुमान लगाया गया है। सीआईएल ने 7 ब्लाकों की भी पहचान की है जिन्हें विदेशी विशेषज्ञता वाले अत्याधुनिक परामर्श और प्रौद्योगिकी के साथ मेगा खान (2 मिलियन टन उत्पादन प्रति वर्ष से अधिक) से विकसित किया जा सकता है।
12.	प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देते हुए कामगारों तथा मशीनरी के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।	मुख्यत: प्रचालन के घंटों की संख्या में बढ़ोतरी करके और अनुरक्षण एवं मरम्मत ठेकों का अवार्ड करके, पुराने उपकरणों की बदली को कारगर बनाकर और बड़े आकार के उपकरणों को तैनात करके ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) की उत्पादकता में सुधार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भूमिगत खानों में साइड डिस्चार्ज लोडरों, लोड हाल डम्परों, कन्वेयर बेल्टों आदि को अपनाकर तथा जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, सतत खनिक प्रौद्योगिकी एवं लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करके यंत्रीकृत कोयला लदान के माध्यम से उत्पादकता में सुधार का समाधान किया जा रहा है। शार्टवाल प्रौद्योगिकी को भी परीक्षण आधार पर लागू किया गया है। कुछ ओपनकास्ट खानों में हाईवाल प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
13.	तकनीकी मूल्यांकन और मानीटरिंग तथा आधुनिक नए उपकरण (सीआईएल) की खरीद के लिए सुव्यवस्थित प्रचालन प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए एक स्थायी सेल की आवश्यकता है।	नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सीआईएल में तथा सीएमपीडीआईएल में भी एक विभाग पहले ही बना दिया गया है। कोल के आयोजना स्कन्ध के रूप में सीएमपीडीआईएल नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए शुरूआती इनपुट प्रदान करता है।
14.	सकल क्लोरिफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित कोयले के मूल्य-निर्धारण तथा ग्रेडिंग को अपनाना।	प्रमुख उपभोक्ताओं द्वारा जीसीवी आधारित कोयले के ग्रेडिंग को अपनाने के दबाव को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि पहले कोयले के उपयोगी उष्मा मूल्य (यूएचवी) आधारित ग्रेडों के मौजूदा बेंडों को कम किया जाए।

1	2	3
		शुरू में, 1.12.2008 से 60 दिनों की अवधि के लिए एनटीपीसी के चुनिंदा पिट हेड स्टेशनों पर इसे लागू किया जाएगा।
15.	कोयले की धुलाई को प्रोत्साहित करना।	सरकार ने कोयला कंपनी की भूमि पर वाशरियां स्थापित करने की निजी उद्यमियों को अनुमति प्रदान करके धुले हुए कोयले के उपयोग को प्रोत्साहित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। सीआईएल ने बिल्ड ओन मेनटेन (बीओएम) आधार पर नयी वाशरियों की स्थापना करके विद्युत क्षेत्र को धुले हुए कोयले की आपूर्ति करने का भी निर्णय लिया है और वित्त व्यवस्था सीआईएल द्वारा की जाएगी। आगामी पांच वर्षों के दौरान अतिरिक्त लगभग 140 मिलियन टन प्रति वर्ष धुलाई क्षमता सृजित की जाएगी।
16.	भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोयले से द्रवीकरण (सीटीएल) आदि जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।,	सरकार ने वाणिज्यिक लाइनों पर सीबीएम प्रचालनों की अनुमति पहले ही दे दी है तथा विभिन्न उद्यमियों को 26 ब्लाक आबंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) सीबीएम प्रचालनों को विनियमित करता है। सीएमएम के लिए मौजूदा खानों से मीथेन गैस निकालने हेतु कोयला कंपनियां कार्रवाई कर रही हैं और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की खानों में से एक खान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)/वैश्विक पर्यावरणीय निधि (जीईएफ) के सहयोग से एक निदर्शन परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। सरकार ने कैप्टिव खनन नीति के अंतर्गत एक अन्त्य उपयोग के रूप में कोयला गैसीकरण (सतह और भूमिगत) तथा कोयला द्रवीकरण को अधिसूचित किया है।
17.	यद्यपि उत्सर्जन कम करने की क्योटो प्रोटोकाल की कोई बाध्यता नहीं है, यह सिफारिश की जाती है कि भारत को कोयले के उत्सर्जन स्तर और अपनी खपत को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास करते हुए कोयला के एक जिम्मेवार उपयोगकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए।	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है। सीआईएल अपने सभी उपभोक्ताओं को प्रसंस्कृत कोयला बेचने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कोल बेड मीथेन के निकर्षण पर काफी बल दिया है जो अन्तत: कोयले के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करेगा।
18.	आउटसोर्सिंग का ठेका श्रम रोजगार से विभेद किया जाना चाहिए। अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक से अधिक काम लेना और कम भुगतान करने की पद्धति ठीक नहीं है। वास्तव में यह ऐसे कार्यों में प्रासंगिक और अपरिहार्य होता है, जिनमें विशिष्ट कुशलताओं की आवश्यकता होती है।	सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने कार्रवाई आरंभ की है तथा श्रमिकों के शोषण को समाप्त करने के लिए निविदाओं/संविदाओं में धाराओं को शामिल किया है तथा अपने कामगारों के कौशलों का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए हैं।
19.	कोयला संसाधनों के विकास, कोयला मूल्य विनियमन (जहां आवश्यक हो), राज्य के सावर्जनिक क्षेत्र तथा कैप्टिव खनन क्षेत्र में संस्थापित सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कोयला कंपनियों और	सीजीआरए गठित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के लिए प्रारूप नोट अन्तर-मंत्रालय परामर्श के अधीन है।

1	2	3
	उभर रही छोटी कोयला कंपनियों के बीच संतुलन बनाने के लिए संगत सभी मुद्दों का समन्वय और देखरेख करने के लिए कोयला शासन एवं विनियमन प्राधिकरण (सीजीआरए) की स्थापना करना।	
20.	खानों को समुचित रूप से बंद करना तथा खनित क्षेत्रों का पुनरुद्धार सुनिश्चित करना। कोयला विनियामक प्राधिकरण को पुनरुद्धार कार्य को मॉनीटर करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। खान पुनरुद्धार शुल्क के रूप में 10 रु. प्रति टन खनित कायेला की फीस की वसूली वार्षिक रूप से की जानी चाहिए तथा ऐसे कार्य के लिए अनुदान के रूप में जारी किया जाना चाहिए।	कोयला मंत्रालय ने खान बंदी के लिए प्रारूप दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिन्हें कोयला विनियामक संगठन की स्थापना होने तक कोयला कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।
21.	कोयला अनुसंधान एवं विकास कोष का गठन किया जाना चाहिए जिसके द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सभी कोयला कंपनियों के कारोबार का आधा प्रतिशत जमा किया जाना चाहिए। सीजीआरए निधियों की व्यवस्था कर सकता है।	अनुसंधान और विकास कोष के गठन पर सहमति हो गई है। यह बेहतर होगा कि प्रस्तावित निधि को सीजीआरए के बजाय उद्योग जगत के पास उपलब्ध रखा जाना चाहिए। मौजूदा प्रणाली में स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति जिसके अध्यक्ष सचिव (कोयला) होते हैं, के माध्यम से अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की पहचान की जाती है, मॉनीटर किया जाता है और वित्त पोषित किया जाता है।

कुछ अन्य सिफारिशों के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है जिसके लिए कार्रवाई/चर्चा आरंभ की गई है।

(ग) निम्नलिखित प्रमुख लाभ मिलने की संभावना है:–

(i) अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक रूप से कोयले की मांग और आपूर्ति में अंतर को पाटना।

(ii) मानव और मशीनरी की उत्पादकता में सुधार लाना।

(iii) अनुसंधान और विकास तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना।

(iv) कोयले की कीमत और व्यापार सहित कोयला क्षेत्र के विनियमन और शासन में सुधार लाना।

तंबाकू कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क का अपवंचन

***278. श्री किसनभाई वी. पटेल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तंबाकू कंपनियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन संबंधी मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) देश में तंबाकू कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और अन्य तम्बाकू उत्पादों जैसे तम्बाकू उत्पादों को बनाने वाली यूनिटों द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ख) विगत वित्तीय वर्ष तथा चालू वर्ष में तम्बाकू कम्पनियां द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामलों की कुल संख्या और शुल्क अपवंचन की अनुमानित राशि निम्न प्रकार है:–

(करोड़ रु. में)

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	शामिल शुल्क
2007-08	154	412
2008-09 (नवम्बर, 08 तक)	83	43

5 करोड़ रु. से अधिक शुल्क राशि वाले मामलों का कम्पनी-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	शामिल शुल्क
1.	कुरेले पान प्रोडक्ट्स प्रा.लि., गाजियाबाद	118.00
2.	साम अरोमेटिक्स	52.76
3.	वी ए सटी इंडस्ट्रिज लि.	41.12
4.	कुरेले पान प्रोडक्ट्स प्रा.लि., कानपुर	38.00
5.	हैदराबाद डैक्कन सिगरेट फैक्टरी लि.	21.72
6.	एम.आर. टोबेको	21.31
7.	रघुनाथ इंटरनेशनल लि.	15.90
8.	श्री राज पान मसाला लि.	15.00
9.	सनराइज फूड प्रोडक्ट्स	15.00
10.	सोम सुगंध इंडस्ट्रीज लि.	13.50
11.	कोठारी प्रोडक्ट्स लि.	11.68
12.	लोकनाथ प्रसाद गुप्ता	10.43
13.	उर्मिन प्रोडक्ट्स	10.37
14.	चंदन टोबेको कं.	7.90

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम और उसके अंतर्गत तैयार नियमावली के अनुसार इन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) तम्बाकू कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अपवंचन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) पान मसाला और गुटखा के मामले में उत्पादन क्षमता आधारित शुल्क दिनांक 1.7.2008 से लागू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व में लगभग 300% वृद्धि हुई है।

(ii) सिगरेट विनिर्माता कंपनियों पर भौतिक नियंत्रण रखा जाता है।

(iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महा-निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों जैसी जांच एजेन्सियों द्वारा अधिक निगरानी और जांच के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं।

विदेशी सहायता हेतु राज्यों की परियोजनाएं

*279. **श्री गिरिधारी यादव :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष और चालू के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी सहायता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को संस्तुत विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को संस्तुत करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गये हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार के पास लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विदेशी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को सिफारिश की गई विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) (i) भारत सरकार उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देती है, जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों सहित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में मदद करती हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन सिद्धांतों पर परियोजनाएं निर्दिष्ट करके प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करें। राज्य सरकारें परियोजनाएं निर्दिष्ट करके, उन्हें संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से आर्थिक कार्य विभाग को भेजती हैं। तत्पश्चात् आर्थिक कार्य विभाग संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को वित्तपोषण के लिए कुछ प्रस्तावों की सिफारिश करता है।

(ii) एशियाई विकास बैंक प्रत्येक वर्ष, आवर्ती आधार पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए एक देशगत कार्यनीति कार्यक्रम तैयार करता है। एशियाई विकास बैंक देशगत कार्यनीति मिशन हर वर्ष देश का दौरा करता है। आर्थिक कार्य विभाग, इसे अंतिम रूप देने से पहले, संबंधित मंत्रालयों के साथ बैठकें आयोजित करता है, जिससे कि संभव क्षेत्र की परियोजनाओं का पता लगाकर एक प्राप्य सहायता सूची तैयार की जा सके।

निधियन के लिए राज्यों द्वारा प्रायोजित परियोजना

प्रस्तावों के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग से बातचीत करने का कार्य राज्य सरकार का है। उसका प्रस्ताव प्राप्त होने पर, आर्थिक कार्य विभाग इन प्रस्तावों का समन्वय करता है और संबंधित मंत्रालयों तथा एशियाई विकास बैंक के साथ परामर्श करके देशगत कार्यनीति कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

(ग) कर्नाटक राज्य सरकार से अगस्त, 2008 में प्राप्त हुई सुजल जल विभाजक परियोजना-III नामक एक परियोजना विश्व बैंक से 495.30 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्ति के लिए लंबित है। कृषि मंत्रालय और योजना आयोग की स्वीकृति मिल गयी है। 21.11.2008 को व्यय विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे ऋण के धारणीयता दृष्टिकोण से अपने विचार प्रस्तुत करें।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विश्व बैंक को प्रस्तुत करने की तारीख	मांगी गई विश्व बैंक सहायता	परियोजना की स्थिति
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र प्रदेश के पांच जिलों में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन और रखरखाव	15.7.2008	726.75 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
2.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	05.04.2007	950 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
	असम		शून्य	
	बिहार			
3.	बिहार में पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना	1.8.2007	120 मि. अमरीकी डालर	तैयारी के स्तर पर
	गुजरात			
4.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना-II	03.10.2008	354 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं
	हरियाणा			
5.	हरियाणा विद्युत परियोजना	14.11.2007	आईबीआरडी 1082 मि. अमरीकी डालर	मूल्यांकन स्तर पर
6.	हरियाणा में राज्य राजमार्ग का उन्नयन	06.06.2007	200 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं
7.	हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में वृद्धि	07.11.2007	2900 करोड़ रुपए	उपलब्ध नहीं
8.	हरियाणा संसाधन प्रबंधन और जीवन-यापन	23.10.2007	40 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं
	हिमाचल प्रदेश		शून्य	
	जम्मू और कश्मीर		शून्य	
	कर्नाटक			
9.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना-II	03.10.2007	300 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
	केरल		शून्य	
	मध्य प्रदेश			
10.	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता पहल परियोजना-II	05.09.2007	100 मि. अमरीकी डालर	तैयारी के स्तर पर
	महाराष्ट्र			
11.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-IIक	19.11.2008	1050 करोड़ रुपए	उपलब्ध नहीं
	उड़ीसा			
12.	उड़ीसा जल क्षेत्र सुधार परियोजना	16.05.2007	3493.1 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
13.	उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	लागू नहीं	250 मि. अमरीकी डालर	बैंक ने 30.9.2008 को परियोजना को मंजूरी दे दी है।
14.	उड़ीसा ग्रामीण जीवन यापन परियोजना-त्रिप्ती	08.06.2007	82.4 मि. अमरीकी डालर	वार्ता की गई।
	राजस्थान			
15.	राजस्थान जिला निर्धनता पहल परियोजना-II	25.07.2008	600 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
	तमिलनाडु		शून्य	
	उत्तराखंड		शून्य	
	उत्तर प्रदेश			
16.	उत्तर प्रदेश एस ए एल-II	20.07.2007	सहायता की राशि (आईबीआरडी+आईडीए) व्यय विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से विश्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी।	पूर्व-मूल्यांकन स्तर पर
17.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि पुनरुद्धार परियोजना-III	12.02.2008	1369.6 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
	पश्चिम बंगाल			
18.	पश्चिम बंगाल में लघु सिंचाई परियोजना का त्वरित विकास	17.01.2007	1143 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
19.	पश्चिम बंगाल शहरी विकास परियोजना	29.09.2008	100 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं
20.	पश्चिम बंगाल में पंचायतों द्वारा उन्नत सेवा सुपुर्दगी	17.08.2007	120 मि. अमरीकी डालर	तैयारी के स्तर पर

1	2	3	4	5
21.	पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र का जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास	22.05.2008	922.92 करोड़ रुपए	तैयारी के स्तर पर
	बहु-राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं			
22.	भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	14.6.2007	120 मि. अमरीकी डालर	पूर्व-मूल्यांकन स्तर पर
23.	राष्ट्रीय नवीकरण परियोजना	18.7.2007	165 मि. अमरीकी डालर	पूर्व-मूल्यांकन स्तर पर
24.	एसएमई-II	1.8.2008	200 मि. अमरीकी डालर	तैयारी के स्तर पर
25.	सूक्ष्मवित्त के माध्यम से ग्रामीण वित्त पहुंच	1.8.2008	100 मि. अमरीकी डालर+ आईडीए 50 मि. अमरीकी डालर	मूल्यांकन के स्तर पर
26.	शहरी विकास मंत्रालय और एचयूपीए से संबंधित जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत क्षमता निर्माण	14.08.207	60 मि. अमरीकी डालर	तैयारी के स्तर पर
27.	समर्पित फ्रेट कोरिडोर परियोजना (रेलवे-पूर्वी कोरिडोर)	27.02.2008	400 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं
28.	स्थायी शहरी परिवहन परियोजना	29.09.2008	220 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं
29.	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-II	30.09.2008	300 मि. अमरीकी डालर	उपलब्ध नहीं

कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	दिनांक को प्रस्तुत किया गया	मांगी गई सहायता राशि	परियोजना की स्थिति
	महाराष्ट्र			
1.	महाराष्ट्र के संकटग्रस्त जिलों में कृषिगत हस्तक्षेपों का अभिमुखीकरण	10.12.2007	40 मि. अमरीकी डालर	तैयारी के स्तर पर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

वर्ष 2007 में अनुमोदित की गई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3
1.	जम्मू और कश्मीर शहरी क्षेत्र परियोजना	300.00
2.	मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम	620.00

1	2	3
3.	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास परियोजना-II	320.00
4.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना	273.00
5.	भारत अवसंरचना परियोजना वित्त सुविधा	500.00
वर्ष 2008 में अनुमोदित की गई परियोजनाएं		
1.	असम शासी और सरकारी संसाधन प्रबंधन-II	100.00
2.	बिहार राज्य सड़क-I	420.00
3.	मध्य प्रदेश शहरी क्षेत्र विकास परियोजना (पूरक)	71.00
4.	हिमाचल प्रदेश स्वच्छ विद्युत विकास निवेश कार्यक्रम	800.00
5.	उड़ीसा एकीकृत सिंचित कृषि और जल प्रबंधन निवेश कार्यक्रम	189.00
6.	उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (यूयूएसडीआईपी)	350.00
7.	खादी और ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम	600.00
8.	एमएफएफ-राष्ट्रीय पावरग्रिड विकास निवेश कार्यक्रम	600.00

रोगी सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*280. **श्री अवलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का विचार चिकित्सा उपचार में गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए रोगी सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने का है जैसा कि 6 नवम्बर, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूरे देश के अन्य सरकारी अस्पतालों में इसी प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली उपचार प्रदान करते समय मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार इष्टतम सुरक्षा कार्यक्रम का अनुपालन करता है। अस्पताल में रोगी की सुरक्षा के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता लाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने 3 से 6 नवम्बर, 2008 तक एक 4 दिवसीय दक्षिण एशिया सम्मेलन और सीएमई आयोजित किया था जिसमें विज्ञान संबंधी विचार-विमर्श का एक दिन का विषय रोगियों की सुरक्षा था।

सुरक्षित नैदानिक प्रैक्टिस, सुरक्षित इंजेक्शन और रोग प्रतिरक्षण, रक्त निरापदता और सुरक्षित स्वास्थ्य परिचर्या अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए रोगी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बारे में दिनांक 14.01.2008 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में रोगियों की सुरक्षा की मानिटरिंग करने के लिए अस्पतालों में रोगी सुरक्षा समितियां गठित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

बाघ परियोजना

2683. **श्री विजयेन्द्र पाल सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पहले से ही शुरू की गई बाघ परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या परिणाम हासिल हुए;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी परियोजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) बाघ परियोजना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक सतत और संकेन्द्रित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 37 अभिनिर्धारित बाघ रिजर्वों में बाघों के स्व-स्थाने संरक्षण के लिए देश के बाघ बहुल 17 राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। जैसा कि परिमार्जित कार्य-प्रणाली का उपयोग कर अखिल भारतीय बाघ आकलन के हाल के परिणामों से पता चलता है, इस स्कीम ने संकटापन्न बाघों को विलुप्त होने से बचाकर उनकी रिकवरी सुनिश्चित की है। यह स्वतंत्र रिपोर्ट, बाघ परियोजना की उपलब्धियां दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि बाघों की व्यावहारिक संख्या केवल उन्हीं बाघ रिजर्व क्षेत्रों में मौजूद है जो बाघ परियोजना के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जबकि इनके बाहर बाघों की संख्या का स्तर बहुत कम है। बाघ परियोजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित क्षेत्र में बाघों और उनके वासस्थलों की तुलना में नए बाघ रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी 2006 में यथा-संशोधित वन्यजीव संरक्षण) अधिनियम, 1992 में निहित समर्थनकारी उपबंधों के अनुसार राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर आधारित है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	बाघ रिजर्व क्षेत्र वाले राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	68.7926	46.675	73.9175	26.083
2.	अरूणाचल प्रदेश	172.418	237.3725	110.2542	54.7805
3.	असम	86.4896	87.431	95.614	221.269
4.	बिहार	6.4918	69.9554	98.3205	49.673
5.	छत्तीसगढ़	24.3343	10.00	35.225	92.1296
6.	कर्नाटक	453.2246	286.277	1159.71491	235.7748
7.	केरल	116.1708	109.00	153.2449	86.60
8.	झारखंड	164.1784	155.967	45.16	48.2165
9.	मध्य प्रदेश	777.2676	897.942	2975.94113	2083.6589
10.	महाराष्ट्र	334.19	238.56	295.71907	233.1276
11.	मिजोरम	65.156	115.16	82.90	80.00
12.	उड़ीसा	107.0024	183.8717	43.28	473.76
13.	राजस्थान	281.2458	176.541	410.68	2477.3026
14.	तमिलनाडु	136.9528	108.535	45.40	208.836

1	2	3	4	5	6
15.	त्रिपुरा (केवल अखिल भारतीय बाघ आकलन के लिए)	0.50	—	—	—
16.	उत्तराखंड	159.9212	192.78	202.005	270.84
17.	उत्तर प्रदेश	162.8782	183.265	134.89	157.51
18.	पश्चिम बंगाल	228.29358	190.5283	308.67414	111.5693
	जोड़	3345.5076	3289.8609	6270.94035	6911.1308

रणथम्भौर में जानवरों की मृत्यु

2684. श्री नरहरि महतो : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणथम्भौर वन्य जीव अभयारण्य से जानवरों की मृत्यु की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रणथम्भौर बाघ रिजर्व में वन्य प्राणियों की हाल ही की मृत्यु दर तथा इसके कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, अपराधियों को एक पैंथर का अवैध शिकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वन्यजीवों की सुरक्षा/संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वन्य प्राणियों की मृत्यु तथा इसके कारणों का विवरण निम्नलिखित है

क्र. सं.	वन्यप्राणी का नाम	मृत्यु की तारीख	राज्य द्वारा यथासूचित कारण
1	2	3	4
1.	पैंथर	20.12.2007	अवैध शिकार
2.	पैंथर	6.6.2008	प्राकृतिक मृत्यु
3.	रीछ	3.8.2008	प्राकृतिक मृत्यु
4.	बाघिन	1.9.2008	प्राकृतिक मृत्यु
5.	जंगल कैट	10.11.2008	प्राकृतिक मृत्यु
6.	जंगल कैट	11.11.2008	प्राकृतिक मृत्यु
7.	पैंथर	15.11.2008	प्राकृतिक मृत्यु

विवरण-II

बाघों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व में अपराधों के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा-प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी-छिपे

शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा, जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाऊंडेशन की स्थापना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है।

7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों को पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कॉरिडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघ (सह-जीवियों, शिकारी पशुओं और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/ मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 14 बाघ वासित राज्यों (17 में से) द्वारा 26749.097 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वर्ष 2006 में यथासंशोधित, की धारा 38V के तहत कोर या क्रिटिकल बाघ पर्यावास के रूप में अधिसूचित किया गया है (आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल)। तीन बाघ वासित राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश) ने कोर अथवा क्रिटिकल बाघ पर्यावास अधिसूचित करने का निर्णय लिया है (4264.282 वर्ग कि.मी.)। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने नवगठित बाघ रिजर्व (संजय राष्ट्रीय उद्यान और संजय दुब्री वन्यजीव संरक्षण) में कोर/क्रिटिकल बाघ पर्यावास की पहचान/अधिसूचना नहीं की है।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण निवेशों के बेहतर/समन्वित कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइटस (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रुसी फैडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स, ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को

समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघ छोड़ा जाना

15. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नर बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन निगरानी की जा रही है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस टी पी एफ) का गठन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए एकमुश्त 50.00 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं। इस बारे में आवश्यक कार्यवाई की गई है।

देश के सकल घरेलू उत्पाद में राज्यों का हिस्सा

2685. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितना सकल घरेलू उत्पाद रहा;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को राज्यवार तथा वर्षवार कितना केन्द्रीय आबंटन किया गया; और

(ग) देश में सकल घरेलू उत्पाद में संबंधित राज्यों का कितना हिस्सा रहा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा यथामापित राज्यवार सकल घरेलू उत्पाद संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस संबंध में नवीनतम सूचना वर्ष 2006-07 के लिए उपलब्ध है। तदनुसार चालू वर्ष के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए राज्यवार वार्षिक योजना परिव्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक राज्य का हिस्सा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	210449	236034	269173
2.	अरूणाचल प्रदेश	2853	2918	3424
3.	असम	52920	57543	65033
4.	बिहार	73221	80157	98957
5.	झारखंड	57939	62239	73579
6.	गोवा	11482	12400	उ.न.
7.	गुजरात	189118	219780	254533
8.	हरियाणा	93627	106385	126475
9.	हिमाचल प्रदेश	23066	25471	28358
10.	जम्मू और कश्मीर	24265	26573	उ.न.
11.	कर्नाटक	149854	167975	188274
12.	केरल	107054	118998	129739
13.	मध्य प्रदेश	107282	116322	128202
14.	छत्तीसगढ़	45999	51921	उ.न.
15.	महाराष्ट्र	387390	438058	509356
16.	मणिपुर	5050	5714	6438
17.	मेघालय	5821	6317	6949
18.	मिजोरम	2455	2697	2985
19.	नागालैंड	5346	5667	उ.न.
20.	उड़ीसा	71428	78536	91151

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	97452	109735	123397
22.	राजस्थान	115288	124224	142036
23.	सिक्किम	1602	1803	2040
24.	तमिलनाडु	200781	223528	246266
25.	त्रिपुरा	8297	9388	10282
26.	उत्तर प्रदेश	246618	279762	312832
27.	उत्तराखंड	23720	26172	29709
28.	पश्चिम बंगाल	208613	234737	272597
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1522	1691	उ.न.
30.	चंडीगढ़	8305	9872	उ.न.
31.	दिल्ली	89920	101800	118240
32.	पुडुचेरी	5192	5700	6299

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

विवरण-II

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक के लिए राज्यवार वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15650.77	20000.00	30500.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	950.00	1056.00	1320.00
3.	असम	3000.00	3798.00	3800.00
4.	बिहार	5329.65	8250.00	10200.00
5.	छत्तीसगढ़	4275.00	5378.06	7413.72
6.	गोवा	1025.00	1200.00	1430.00
7.	गुजरात	11000.00	12503.50	16000.00
8.	हरियाणा	3000.00	3300.00	5300.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	1800.00	2100.00
10.	जम्मू और कश्मीर	4200.00	4347.67	4000.00
11.	झारखण्ड	4510.12	6500.00	6676.00
12.	कर्नाटक	13555.00	16166.00	17752.58
13.	केरल	5369.00	6210.00	6950.00
14.	मध्य प्रदेश	7471.00	9020.00	12044.00
15.	महाराष्ट्र	11000.00	14829.00	20200.00
16.	मणिपुर	985.37	1160.00	1374.31
17.	मेघालय	800.00	900.00	1120.00
18.	मिजोरम	685.00	758.00	850.00
19.	नागालैंड	620.00	760.00	900.00
20.	उड़ीसा	3000.00	3500.00	5105.00
21.	पंजाब	3550.00	4000.00	5111.00
22.	राजस्थान	8350.00	8501.42	11638.86
23.	सिक्किम	500.00	550.00	691.14
24.	तमिलनाडु	9100.00	12500.00	14000.00
25.	त्रिपुरा	804.00	950.00	1220.00
26.	उत्तर प्रदेश	13500.00	19000.00	25000.00
27.	उत्तराखंड	2700.00	4000.00	4378.63
28.	पश्चिम बंगाल	6476.00	8024.36	9150.00

विवरण-III

चालू कीमतों पर कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य जीडीपी का हिस्सा

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8.0	8.0	8.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.1	0.1	0.1
3.	असम	2.0	2.0	2.0
4.	बिहार	2.8	2.7	3.0
5.	झारखंड	2.2	2.1	2.3
6.	गोवा	0.4	0.4	उ.न.
7.	गुजरात	7.2	7.4	7.8
8.	हरियाणा	3.6	3.6	3.9
9.	हिमाचल प्रदेश	0.9	0.9	0.9
10.	जम्मू और कश्मीर	0.9	0.9	उ.न.
11.	कर्नाटक	5.7	5.7	5.8
12.	केरल	4.1	4.0	4.1
13.	मध्य प्रदेश	4.1	3.9	3.9
14.	छत्तीसगढ़	1.7	1.8	उ.न.
15.	महाराष्ट्र	14.7	14.8	15.7
16.	मणिपुर	0.2	0.2	0.2
17.	मेघालय	0.2	0.2	0.2
18.	मिजोरम	0.1	0.1	0.1
19.	नागालैण्ड	0.2	0.2	उ.न.
20.	उड़ीसा	2.7	2.7	2.8
21.	पंजाब	3.7	3.7	3.8
22.	राजस्थान	4.4	4.2	4.4
23.	सिक्किम	0.1	0.1	0.1
24.	तमिलनाडु	7.6	7.6	7.6
25.	त्रिपुरा	0.3	0.3	0.3
26.	उत्तर प्रदेश	9.4	9.5	9.6
27.	उत्तराखंड	0.9	0.9	0.9
28.	पश्चिम बंगाल	7.9	8.0	8.4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1	0.1	उ.न.
30.	चंडीगढ़	0.3	0.3	उ.न.
31.	दिल्ली	3.4	3.5	3.6
32.	पुडुचेरी	0.2	0.2	0.2

स्रोत: संलग्नक-1 के डाटा के अनुसार आकलन किया गया।

पौधरोपण हेतु योजना आयोग का अनुमान

2686. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रति हेक्टेयर पौधरोपण की लागत का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दसवीं योजना अवधि के दौरान क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए;

(ग) ग्यारहवीं योजना में अब तक आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रमुख वनीकरण कार्यक्रम, नामशः राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, आनुषंगिक गतिविधियों सहित विभिन्न पौधरोपण मॉडलों की लागत के मानदंड, 17160/- रुपये प्रति हेक्टेयर से 31,540/- रुपये प्रति हेक्टेयर तक परिवर्तित होते रहते हैं।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एन ए पी के अंतर्गत लक्ष्य अवक्रमित वनों और समीपवर्ती भूमि के पांच लाख हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार करना था। मंत्रालय ने इस अवधि के दौरान लगभग 8.65 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र का उपचार करने के लिए परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एन ए पी के लिए 2000 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से, वर्ष 2007-2008 के दौरान 392.75 करोड़ रुपए की धनराशि और वर्ष 2008-09 के दौरान 345.62 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:—

(i) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन ए पी के लिए 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के उपचार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ii) गैर-वन भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण/वनीकरण हेतु पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई) के माध्यम से एक नई स्कीम, ग्राम/पंचायत वन योजना (जी वी वाई) प्रस्तुत की गई है; और

(iii) सरकार द्वारा जलवायु पतिवर्तन पर घोषित राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ मिशनों में से एक मिशन के रूप में 'हरित भारत' के लिए राष्ट्रीय मिशन पर विचार किया गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ वनीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय खेल तथा एथलेटिक स्पर्धा

2687. **श्री एन.एन. कृष्णदास :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में अगला राष्ट्रीय खेल तथा एथलेटिक स्पर्धा कराने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल) : (क) से (ग) भारतीय ओलंपिक संघ, राज्यों को राष्ट्रीय खेल आबंटित करता है। 35वें राष्ट्रीय खेल केरल को आबंटित किए गए हैं। अलग से कोई एथलेटिक मीट नहीं होती। तथापि "एथलेटिक" राष्ट्रीय खेल में एक खेल विधा है। यह खेल, 2010 में होने हैं। खेलों के आयोजन तथा संचालन की तैयारी संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

[हिन्दी]

झारखंड में प्रदूषण

2688. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड को राज्य में प्रदूषण नियंत्रित करने के उद्देश्य से धनराशि जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कार्यों को करने के लिए झारखंड को धनराशि प्रदान की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणता मानीटरिंग, परिवेशी वायु गुणता मानीटरिंग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुदृढ़ता आदि शामिल है। पिछले तीन वर्षों तथा साथ ही साथ चालू वर्ष के दौरान जारी धनराशियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :—

वित्त वर्ष	जारी धनराशि (रु.)
2008-09	2,11,46,800.00
2007-08	2,00,22,000.00
2006-07	2,18,82,000.00
2005-06	88,00,000.00

जल-जनित बीमारियों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट

2689. श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-जनित बीमारियों से प्रतिवर्ष देश में अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही की रिपोर्ट से पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन की "सुरक्षित जल, बेहतर स्वास्थ्य" नामक रिपोर्ट 2008, से यह पता चलता है कि वर्ष 2002 में भारत में लगभग 7.82 लाख मौतें जल, साफ-सफाई और स्वच्छता की पद्धतियों के कारण हुई हैं। इनमें से 4.02 लाख मौतें, अतिसार रोगों के कारण हुईं जिनमें हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसे रोग शामिल हैं। ये रोग मुख्यत: प्रदूषित पेयजल पीने और पर्याप्त साफ-सफाई की सुविधाओं की कमी के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में एक अन्य प्रमुख कारण बच्चों में कुपोषण की समस्या से लगातार अतिसार अथवा आन्त्र संक्रमण माना गया है जिसके कारण साफ-सफाई और स्वच्छता पद्धतियों के कारण भारत में लगभग 2.17 लाख मौतें हुई हैं।

सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करना राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके, समग्र स्वच्छता अभियान, विद्यालय में साफ-सफाइ की शिक्षा तथा पेयजल की आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के संबंध में गुणवत्ता की समस्या से निपटने के लिए कम लागत की साफ-सफाई की योजना द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहक्रिया दृष्टिकोण के माध्यम से मूलभूत स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणालियों पर भी संकेन्द्रित है जिसमें साफ-सफाई, जल, पोषण और स्वास्थ्य परिचर्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

नागार्जुनसागर – श्रीसैलम अभयारण्य में बाघों की संख्या

2690. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर – श्रीसैलम अभयारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) परिमार्जित कार्य पद्धति का उपयोग करते हुए हाल ही में बाघों के संबंध में किए गए अखिल भारतीय आकलन के निष्कर्षों के अनुसार आंध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर – श्रीसैलम बाघ रिजर्व सहित बाघों की संख्या 95 है (मिड वैल्यू); जिसकी निचली सीमा और ऊपरी सीमा क्रमश: 84 और 107 है। बाघों की संख्या का हाल ही में किया गया आकलन सभी बाघ बहुत वनों में बाघों की स्थलीय उपस्थिति के निर्धारण तथा सांख्यिकीय ढांचे में कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग करके ऐसे वनों की, की गई सैंपलिंग पर आधारित है। यह आकलन यगमार्क का उपयोग करते हुए पूर्व में बाघों की आकलित कुल संख्या के साथ तुलनीय नहीं है क्योंकि परवर्ती प्रक्रिया में अनेक खामियां थी; इसलिए ट्रैंड के बारे में कोई तुलना नहीं की जा सकती।

राज्य के स्वामित्व वाला केबल टी.वी. निगम

2691. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के स्वामित्व वाला केबल टी.वी. निगम शुरू करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं;

(ग) क्या अन्य राज्य सरकारों ने भी राज्य के स्वामित्व वाले ऐसे चैनलों को शुरू करने की इच्छा जाहिर की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क सेवाएं वितरित करने/

उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 के तहत मैसर्स अरसू केबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को चेन्नई के सशर्त पहुंच प्रणाली (कैस) अधिसूचित क्षेत्रों में प्रचालन करने के लिए अनंतिम रूप से प्राधिकृत किया है। यह अनंतिम प्राधिकार इस मामले में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के अध्यधीन है।

(ग) जी, हां। सरकार को समय-समय पर राज्य सरकारों से प्रसारण संबंधी कार्यकलापों में प्रवेश करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, किसी भी राज्य सरकार को प्रसारण सेवाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी है। तथापि, सरकार ने ट्राई की सिफारिशें मांगी थी जो प्राप्त हो गई हैं। ट्राई राज्य सरकार अथवा उसके निकायों के प्रसारण और वितरण सेवाओं में प्रवेश के पक्ष में नहीं है और उसने सिफारिश की है कि प्रसार भारती अपने क्षेत्रीय नेटवर्क के माध्यम से उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे। सरकार ने ट्राई की उक्त सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। सिफारिशों का ब्यौरा ट्राई की वेबसाइट *www.trai.gov.in* पर उपलब्ध है।

नई सामुद्रिक नीति की स्थिति

2692. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारूप सामुद्रिक नीति को अब अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्री नीति, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, का लक्ष्य भारतीय नौवहन और पत्तनों को प्रतिस्पर्द्धी और कम लागत वाला बनाना, भररतीय पत्तनों की क्षमता बढ़ाना, भारतीय पत्तनों को विश्व के अग्रणी पत्तनों के समान स्तर पर लाना, भारतीय टनभार को बढ़ाना, निजी निवेश को बढ़ाना, एकाधिकार उत्पन्न होने से बचाव के लिए एक प्रतिस्पर्द्धी वातावरण सुनिश्चित करना, पोत निर्माण को बढ़ावा देने एवं उसे मज़बूत बनाना, घरेलू पोत डिज़ाईन व शोध को बढ़ावा देना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास करना और उन्हें राष्ट्रीय परिवहन तंत्र के साथ समेकित करना है।

[हिन्दी]

फ्यूज़न प्रौद्योगिकी से ऊर्जा

2693. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्यूज़न से ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) संलयन से ऊर्जा का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी प्रदर्शित करने के लिए विश्वभर में अनुसंधान का विकास कार्य किया जा रहा है और, इस प्रौद्योगिकी को अभी प्रमाणित किया जाना बाकी है। भारत, 'अंतर्राष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर' (आईटीईआर) में एक भागीदार के रूप में शामिल हुआ है और इस आशय के एक करार पर, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (यूराटोम), जिसे केडारैक, फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है, चीन जनवादी गणराज्य की सरकार, जापान सरकार, कोरिया गणराज्य की सरकार, रूसी परिसंघ की सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ 21.11.2006 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) सरकार ने, 'अंतर्राष्ट्रीय ताप-नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर' में भारत की भागीदारी के संबंध में 2500.00 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत संयंत्र

2694. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक इकाई की इष्टतम उत्पादन क्षमता वाले विभिन्न राज्यों में स्थित कितने परमाणु विद्युत संयंत्र भारतीय परमाणु विद्युत निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं तथा प्रत्येक एकक से कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन परमाणु विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

राज्य	यूनिट	क्षमता मेगावाट-ई	मौजूदा विद्युत स्तर %
महाराष्ट्र	तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 (टीएपीएस-1)	160	100
	तारापुर परमाणु बिजलीघर-2 (टीएपीएस-2)	160	100
	तारापुर परमाणु बिजलीघर-3 (टीएपीएस-3)	540	50
	तारापुर परमाणु बिजलीघर-4 (टीएपीएस-4)	540	50
राजस्थान	राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 (आरएपीएस-2)	200	ईएमएफआर के लिए शट-डाउन
	राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 (आरएपीएस-3)	220	70
	राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4 (आरएपीएस-4)	220	70
तमिलनाडु	मद्रास परमाणु बिजलीघर-1 (एमएपीएस-1)	220	55
	मद्रास परमाणु बिजलीघर-2 (एमएपीएस-2)	220	55
उत्तर प्रदेश	नरोरा परमाणु बिजलीघर-1 (एनएपीएस-1)	220	70
	नरोरा परमाणु बिजलीघर-2 (एनएपीएस-2)	220	ईएमसीसीआर के लिए शट-डाउन
गुजरात	ककरापार परमाणु बिजलीघर-1 (केएपीएस-1)	220	ईएमसीसीआर के लिए शट-डाउन
	ककरापार परमाणु बिजलीघर-2 (केएपीएस-2)	220	60
कर्नाटक	कैगा परमाणु बिजलीघर-1 (कैगा-1)	220	65
	कैगा परमाणु बिजलीघर-2 (कैगा-2)	220	60
	कैगा परमाणु बिजलीघर-3 (कैगा-3)	220	70

ईएमसीसीआर (शीतलक चैनलों को एक साथ बदलना) से तात्पर्य लम्बे समय तक शट-डाउन रखा जाना है।

ईएमएफआर (फीडरों को एक साथ बदलना) से तात्पर्य लम्बे समय तक शट-डाउन रखा जाना है।

रिएक्टरों के विद्युत स्तर को स्वदेशी ईंधन उपलब्धता के अनुकूल घटाया गया है।

तारापुर परमाणु बिजलीघर-1 तथा 2 में कम समृद्ध आयातित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और इन्हें पूर्ण विद्युत पर परिचालित किया जाता है।

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार के संबंध में यूएनडीपी रिपोर्ट

2695. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की हाल की रिपोर्ट से पता चला है कि भ्रष्टाचार सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों के अवसरों को समाप्त करता है, शिक्षा के उनके क्षेत्रों को सीमित करता है तथा बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से समझौता करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की एशिया पैसिफिक ह्यूमैन डेवलपमेंट रिपोर्ट "टैकलिंग करप्सन, ट्रांसफॉरमिंग लाइव्ज, 2008" ऐसे क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का सामना करने से संबंधित हैं जिनसे दैनिक जीवन में सुधार हो सकता है, विशेषकर गरीबों के जीवन में। रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में मानव विकास में तीव्रता लाने के लिए न्याय प्रणालियों में सुधार करने, क्षेत्र के भरपूर प्राकृतिक स्रोतों का दुरुपयोग रोकने तथा स्वच्छ जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी लोक सेवाओं को प्रभावी रूप से प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिनका आम जनता से प्रतिदिन का सरोकार है और जो विशेषत: गरीबों के दैनिक जीवन में सुधार लाती हैं। रिपोर्ट, एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करने के लिए एक संगत, व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है तथा ऐसी मध्यस्थताएं प्रस्तावित करती है जिनमें संतुलित, मुखर प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं।

(ग) सरकार को भ्रष्टाचार के खतरे की जानकारी है तथा 'भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं' की अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है और पादर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने और सरकार के कार्यकरण में सुधार लाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण कदम हैं:—

(i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का अधिनियमन;

(ii) भंडाफोड़ करने वालों (विसल ब्लोअर्स) का संकल्प, 2004 का अधिनियमन;

(iii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iv) सतर्कता से संबंधित वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से मंत्रालय/विभाग की पूर्व-सक्रिय भागीदारी;

(v) निविदा और ठेका देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा व्यापक अनुदेश जारी किया जाना;

(vi) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ऐसे अनुदेश जारी किया जाना जिनमें संगठनों को सरकार की प्रमुख प्रापण गतिविधियों में सत्यनिष्ठ समझौता (इन्टिग्रिटी पैक्ट) को अपनाने के लिए कहा गया है।

(vii) भारत उन देशों में से है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यूनाइटिड नेशन्स कन्वेंसन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकारी संगठन ई-शासन, नागरिक चार्टर जारी करने तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों के सरलीकरण के माध्यम से अपने कार्यकरण में सुधार करने में लगातार रूप से लगे हुए हैं जिनका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करके भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है।

अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि

2696. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों का प्रत्यर्पण किया गया है;

(ख) भारत तथा अन्य देशों के बीच लंबित प्रत्यर्पण मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्यर्पण किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:—

प्रत्यर्पण किए गए व्यक्तियों की संख्या

वर्ष	भारत में बाह्य देशों से	भारत से बाह्य देशों में
2005	8	3
2006	5	1
2007	4	4
2008	4	6

(ख) भारत और अन्य देशों के बीच लम्बित प्रत्यर्पण मामलों की संख्या 41 है।

(ग) भगोड़ों के प्रत्यर्पण हेतु राजनयिक चैनल के जरिए प्रयास किए जाते हैं। समय-समय पर मामले को उपयुक्त पर उठाया जाता है।

राष्ट्रीय प्रतिव्यक्ति आय

2697. श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय के बीच कोई असमानता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) तथा संबंधित राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान संकलित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय (एन एन पी) तथा राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (एन एस डी पी) दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (एन डी पी) ग्रामीण क्षेत्रों में 10606 रु. तथा शहरी क्षेत्रों में 30217 रु. अनुमानित की गई है। शहरी क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (एन डी पी) ग्रामीण क्षेत्र के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद (एन डी पी) से 185 प्रतिशत अधिक है। राज्यों के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की पृथक रूप से प्रति व्यक्ति आय उपलब्ध नहीं है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास दर का लक्ष्य 9 प्रतिशत प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है तथा निरन्तर विकास पथ पर अर्थव्यवस्था को रखते हुए इसकी अवधि के अंत तक विकास दर 10 प्रतिशत के करीब करने का लक्ष्य है। सरकार ने पर्याप्त उत्पादनकारी रोजगार मुहैया कराने तथा ग्रामीण जनता की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा ग्रामीण जनता के जीवन निर्वाह के स्तर एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्यारहवीं योजना में अनेक कार्यक्रम/स्कीम तैयार की गई है। इन उपायों से आशा की जाती है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय से संबंधित असमानता में कमी आएगी।

विवरण

तालिका 1 : चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	22041	23755	26226	29582
2.	अरूणाचल प्रदेश	19322	22185	22335	25836
3.	असम	15487	17013	18211	20166
4.	बिहार	6861	7400	7930	9702
5.	झारखंड	12951	17887	18803	20773
6.	गोवा	54577	66135	70112	उपलब्ध नहीं
7.	गुजरात	26922	28846	32991	37532
8.	हरियाणा	33910	37648	41988	49038

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	28333	31198	33817	36656
10.	जम्मू और कश्मीर	17528	18630	20799	उपलब्ध नहीं
11.	कर्नाटक	20536	23576	26015	28830
12.	केरल	25645	27864	30668	33609
13.	मध्य प्रदेश	14306	14476	15304	16578
14.	छत्तीसगढ़	15515	17513	21290	24647
15.	महाराष्ट्र	29165	32481	36090	41331
16.	मणिपुर	14728	18386	20326	22495
17.	मेघालय	19830	21232	22847	24672
18.	मिजोरम	21963	22417	23900	25679
19.	नागालैंड	20821	20998	21083	उपलब्ध नहीं
20.	उड़ीसा	14252	16306	17610	20240
21.	पंजाब	31182	33158	36759	40566
22.	राजस्थान	16507	16515	17306	19512
23.	सिक्किम	21476	23791	26412	29512
24.	तमिलनाडु	24106	27137	29958	32733
25.	त्रिपुरा	21138	22836	25700	27777
26.	उत्तर प्रदेश	11425	12023	13316	14685
27.	उत्तरांचल	20220	23069	24870	27800
28.	पश्चिम बंगाल	20804	22526	25041	28753
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	32670	34446	36829	उपलब्ध नहीं
30.	चण्डीगढ़	66512	75181	86629	उपलब्ध नहीं
31.	दिल्ली	48566	53309	58655	66728
32.	पांडिचेरी	48547	44908	48477	52669
	अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति एनएनपी	20895	23199	25956	29642

स्रोत : क्रम सं. 1-32 के लिए — संबंधित राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा अखिल भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

बालिका भ्रूण हत्या के मामले

2698. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :
श्री महावीर भगोरा :
श्री रामदास आठवले :
श्री के.एस. राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण तथा बालिका भ्रूण हत्या के कितने मामले सामने आए;

(ख) विभिन्न राज्यों में लिंग निर्धारण परीक्षण तथा बालिका भ्रूण हत्या कितना व्याप्त है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) 31.10.2008 तक राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों में 116 मामले भ्रूण के लिंग के निर्धारण और प्रकटीकरण तथा 35 मामले पूर्व-गर्भधारण/पूर्व प्रसव लिंग चयन की सुविधाओं के बारे में विज्ञापनों से संबंधित हैं।

संबंधित राज्य सरकारों से नियमित रूप से चल रहे मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए कारगर उपाय करने का अनुरोध किया जाता है।

(ख) हालांकि इससे संबंधित गवाह अथवा साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण लिंग निर्धारण परीक्षणों की व्याप्तता दर निर्धारित करना कठिन है, तथापि, बाल लिंग अनुपात कन्या भ्रूण हत्या की व्याप्तता दर का एक संकेत है। वर्ष 1991 और 2001 के दौरान राज्य/संघ क्षेत्र वार लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) और बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष के आयु समूह में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। लिंग अनुपात के निरंतर कम स्तरों को स्पष्ट करने के लिए आमतौर पर प्रस्तुत किए जाने वाले कुछेक कारणों में बेटे की तरजीह देना, बालिका की उपेक्षा, जिससे छोटी आयु में ही कन्या शिशु-हत्या के कारण उच्च मृत्यु दर, कन्या भ्रूण हत्या, उच्च मातृ मृत्यु दर और जनसंख्या की गणना में पुरूष पक्षपात होता है, शामिल हैं। लिंग निर्धारण परीक्षणों और गर्भपात सेवाओं की असानी से उपलब्धता भी इस प्रक्रिया में एक प्रेरक के रूप में सिद्ध हो रही है। यह लिंग अनुपात पूर्व-गर्भधारण लिंग चयन सुविधाओं से आगे और तेजी से बढ़ सकता है।

(ग) और (घ) इस अधिनियम के उल्लंघनकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने और दोषसिद्धि पर 7 वर्ष तक कैद दंडात्मक उपबंधों को और कड़ा बनाने के लिए पूर्व-गर्भधारण एवं पूर्व-प्रसव निदान तकनीक अधिनियम, 1994 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को कानूनी सुविज्ञों और सभी स्टेक होल्डरों से परामर्श लेते हुए आगे सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए जाने वाले हैं।

विवरण

1991 और 2001 के दौरान राज्यवार/संघ क्षेत्रवार लिंग व बाल लिंग अनुपात

भारत और राज्य/संघ क्षेत्र* जिला	लिंग अनुपात		बाल लिंग अनुपात	
	1991	2001	1991	2001
1	2	3	4	5
भारत	927	933	945	927
जम्मू व कश्मीर	896	892	छ।	941
हिमाचल प्रदेश	976	968	951	896
पंजाब	882	876	875	798
चंडीगढ़*	790	777	899	845
उत्तरांचल	936	962	948	908
हरियाणा	865	861	879	819
दिल्ली*	827	821	915	868
राजस्थान	910	921	916	909
उत्तर प्रदेश	876	898	927	916
बिहार	907	919	953	942
सिक्किम	878	875	965	963
अरूणाचल प्रदेश	859	893	982	964

1	2	3	4	5
नागालैंड	886	900	993	964
मणिपुर	958	978	974	957
मिजोरम	921	935	969	964
त्रिपुरा	945	948	967	966
मेघालय	955	972	986	973
असम	923	935	975	965
पश्चिम बंगाल	917	934	967	960
झारखंड	922	941	979	965
उड़ीसा	971	972	967	953
छत्तीसगढ़	985	989	974	975
मध्य प्रदेश	912	919	941	932
गुजरात	934	920	928	883
दमण व दीव*	969	710	958	926
दादरा व नगर हवेली*	952	812	1013	979
महाराष्ट्र	934	922	946	913
आंध्र प्रदेश	972	978	975	961
कर्नाटक	960	965	960	946
गोवा	967	961	964	938
लक्षद्वीप*	943	948	941	959
केरल	1036	1058	958	960
तमिलनाडु	974	987	948	942
पांडिचेरी*	979	1001	963	967
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह*	818	846	973	957

स्रोत : जनगणना 1991 व 2001, भारत के महापंजीयक का कार्यालय

*संघ क्षेत्र

सीएचसी तथा पीएचसी का उन्नयन

2699. श्री जुएल ओराम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के उन्नयन हेतु अपनाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस मानदण्ड में संशोधन करने तथा विद्यमान सीएचसी तथा पीएचसी का विशेषकर उन राज्यों में उन्नयन करने का है जहां पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जनसंख्या, कार्यभार और दूरी के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता को मान्यता देता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मूलभूत उन्नयन का कार्य शुरू करने के लिए तदर्थ प्रथम अनुदान/अनुरक्षण अनुदान प्रदान करता है इनका और सुदृढ़ीकरण भारतीय जन स्वास्थ्य मानक सुविधा सर्वेक्षणों के अनुसार किया जाता है। नई स्वास्थ्य इकाइयां राज्यों की प्राथमिकता के अनुसार होती है जो कि उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ग) राज्यों को ऊपर उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार उनकी कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई है।

[हिन्दी]

एफ एम रेडियो स्टेशनों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

2700. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनंद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। 10वीं योजना के दौरान सरकार ने देश में 253 नये आकाशवाणी एफ एम स्टेशन (पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 100 वाट के 100 अल्प-शक्ति एफ एम स्टेशनों तथा अन्य राज्यों में 50 एफ एम स्टेशनों सहित) स्थापित करने का लक्ष्य नियत किया था। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आकाशवाणी लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल नहीं कर सका। अभी तक 100 वाट के 50 स्टेशनों सहित केवल 68 नये एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

(घ) उचित दरों पर उपयुक्त स्थल (भूमि) की अधिप्राप्ति में विलंब होने, नये स्टेशनों के लिए नये प्रचालन एवं रख-रखाव स्टाफ के लिए स्वीकृति न मिलने और आयातित एफ एम ट्रांसमीटरों को अधिप्राप्त करने की प्रक्रिया लम्बी होने जैसे मुख्य कारणों की वजह से 10वीं योजना के दौरान लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका।

(ङ) अभी प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

I. 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित नए एफ.एम. ट्रांसमीटरों की सूची

क्र. सं.	राज्य	नया स्टेशन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	काकीनाड़ा (10 कि वा)
2.		करीमनगर (5 कि वा)
3.		श्रीकाकुलम (1 कि वा)
4.		नेल्लोर (10 कि वा)
5.		मेहबूबनगर (10 कि वा)
6.		सूर्यापेट (10 कि वा)
7.		आदिलाबाद (10 कि वा)
8.		विजयवाड़ा (10 कि वा)
9.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पोर्टब्लेयर (10 कि वा)
10.	अरूणाचल प्रदेश	आनिनि (1 कि वा)
11.		बोमडिला (1 कि वा)
12.		डपोरिजो (1 कि वा)
13.		चांगलांग (1 कि वा)
14.		खोन्सा (1 कि वा)
15.		ईटानगर (10 कि वा)
16.	असम	करीमगंज (1 कि वा)
17.		लमडिंग (1 कि वा)
18.		गोलपाड़ा (1 कि वा)
19.		सिल्चर (5 कि वा)
20.	बिहार	गया (10 कि वा)
20.		मोतीहारी (10 कि वा)
22.		बांका (10 कि वा)
23.		मधुबनी (10 कि वा)
24.	छत्तीसगढ़	दांतेवाड़ा (5 कि वा)
25.		राजनंदगांव (5 कि वा)
26.		जशपुरनगर (5 कि वा)
27.		बैकुंठपुर (5 कि वा)
28.		रायपुर (10 कि वा)
29.	गुजरात	जामनगर (10 कि वा)
30.		जूनागढ़ (10 कि वा)

1	2	3
31.		भुज (10 कि वा)
32.	हरियाणा	अंबाला (5 कि वा)
33.		रोहतक (10 कि वा)
34.	हिमाचल प्रदेश	शिमला (10 कि वा)
35.	जम्मू एवं कश्मीर	भद्रवाह (6 कि वा)
36.	झारखंड	धनबाद (10 कि वा)
37.		दुमका (5 कि वा)
38.		गुमला (5 कि वा)
39.	कर्नाटक	बेल्लारी (10 कि वा)
40.		श्रृंगेरी (10 कि वा)
41.		गुलबर्गा (10 कि वा)
42.	केरल	कोच्चि (5 कि वा)
43.	मध्य प्रदेश	उज्जैन (5 कि वा)
44.	महाराष्ट्र	शिरडी (5 कि वा)
45.		औरस (5 कि वा)
46.		अमरावती (10 कि वा)
47.		औरंगाबाद (10 कि वा)
48.		शोलापुर (10 कि वा)
49.	मणिपुर	तामेंगलांग (1 कि वा)
50.		उखरुल (1 कि वा)
51.	मेघालय	दौकी (चेरापूंजी) (1 कि वा)
52.	मिजोरम	चंफई (1 कि वा)
53.		तुईपांग (1 कि वा)
54.		कोलासिब/सारचिप (1 कि वा)

1	2	3
55.	नागालैंड	फेक (1 कि वा)
56.		जुन्हेबोटो (1 कि वा)
57.		वोहका (1 कि वा)
58.		कोहिमा (10 कि वा)
59.		त्वेनसांग (5 कि वा)
60.		मोन (5 कि वा)
61.	उड़ीसा	देवगढ़ (5 कि वा)
62.		रायगड़ा (5 कि वा)
63.		रायरंगपुर (1 कि वा)
64.		पर्लाकिमिडी (5 कि वा)
65.		भवानी पटना (10 कि वा)
66.		बारीपाड़ा (5 कि वा)
67.		भुवनेश्वर (10 कि वा)
68.	पंजाब	फ़ाजिल्का (10 कि वा)
69.		अमृतसर (20 कि वा)
70.	राजस्थान	अजमेर (10 कि वा)
71.		रामगढ़ (20 कि वा)
72.		चौटन हिल (20 कि वा)
73.		उदयपुर (10 कि वा)
74.		बीकानेर (10 कि वा)
75.	सिक्किम	गंगटोक (10 कि वा)
76.	तमिलनाडु	कांचीपुरम (5 कि वा)
77.		तिरूनेलवेली (10 कि वा)
78.		मदुरै (10 कि वा)

1	2	3
79.	त्रिपुरा	उदयपुर (1 कि वा)
80.		नूतन बाजार (1 कि वा)
81.		लोंगथेरई (5 कि वा)
82.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर (मऊनाथभंजन) (10 कि वा)
83.		बांदा (10 कि वा)
84.		लखीमपुर खीरी (10 कि वा)
85.		गोरखपुर (10 कि वा)
86.		कानपुर (10 कि वा)
87.		वाराणसी (10 कि वा)
88.		रायबरेली (20 कि वा)
89.	उत्तराखंड	देहरादून (10 कि वा)
90.		हल्दवानी/कालाढुंगी (10 कि वा)
91.		भागेश्वर (5 कि वा)
92.		चम्पवत (1 कि वा)
93.		गैरसन (1 कि वा)
94.		न्यू टेहरी (1 कि वा)
95		रुद्रप्रयाग (1 कि वा)
96.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग (10 कि वा)
97.		पुरुलिया (10 कि वा)
98.		मालदा (10 कि वा)
99.		कूचबिहार (10 कि वा)
100.		वर्धमान (10 कि वा)
101.		तामलुक (5 कि वा)
102.		बलूरघाट (10 कि वा)
103.	पांडिचेरी	पांडिचेरी (10 कि वा)

II. उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने 10वीं योजना में 100 वॉट के 150 अल्प शक्ति एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाये जाने का भी लक्ष्य नियत किया था।

[अनुवाद]

आर्द्र भूमि का परिरक्षण

2701. **श्री पी. राजेन्द्रन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आर्द्र भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन आर्द्र भूमियों का परिरक्षण करने का है;

(ग) यदि हां, तो केरल के सस्टमकोट्टा सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए राज्यों को राज्य-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व की नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 24 राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में 108 नमभूमियों की पहचान की है। सर्वेक्षण एवं सीमांकन, कैचमैंट क्षेत्र शोधन, गाद निकालना एवं तलकर्षण, बायोफैंसिंग, मात्स्यिकी विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव-विविधता संरक्षण, प्रदूषण उपशमन, शिक्षा एवं जागरूकता और समुदाय सहभागिता जैसी संरक्षण गतिविधियों के लिए शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। नमभूमियों के संरक्षण और विकास के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को भी प्रायोजित किया जाता है। पहचानी गई नमभूमियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार सूची विवरण-I में दी गई है।

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न संरक्षण क्रिया-कलाप करने के लिए 40.25 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। राज्य-वार जारी धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसमें केरल की सस्थामकोटा नमभूमि के लिए गत पांच वर्षों के दौरान जारी 16.23 लाख रु. की राशि भी शामिल है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्रम सं.	आर्द्र भूमियों का नाम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.	कौलीरु

1	2	3	4
2.	असम	2.	डीपर बील
		3.	ठरपद बील
3.	बिहार	4.	कबार
		5.	बरिल्ला
		6.	खुशेश्वर अस्थान
4.	गुजरात	7.	नाल सरोवर
		8.	ग्रेटर रन का कच्छ
		9.	थोल पक्षी अभयारण्य
		10.	खिजाडिया पक्षी अभ्यारण्य
		11.	लिटल रन आफ कच्छ
		12.	परीजा
		13.	वधवा
		14.	नानीकाकरडा
5.	हरियाणा	15.	सुल्तानपुर
		16.	भिन्डावास
6.	हिमाचल प्रदेश	17.	रेनुका
		18.	पौंग बांध
		19.	चन्द्रताल
		20.	रिवालसर
		21.	खाज्जियार
7.	जम्मू और कश्मीर	22.	वुलर
		23.	सो मोरारी
		24.	सिगुलत्सो और छिसुल मार्श
		25.	होकरसार
		26.	मनसर सुरिनसार
		27.	रणजीत सागर
		28.	पंगोंग त्सार
		29.	घराना
		30.	हाइजम
		31.	मिरगुंड
		32.	सालबुग
8.	झारखंड	33.	उधवा
		34.	तिल्लैया बांध
9.	कर्नाटक	35.	मागधी
		36.	गुदावी पक्षी अभयारण्य
		37.	बोनाल
		38.	हिदकल और घाटा प्रभा
		39.	हिगिरी
		40.	रंगनाथिट्टु
		41.	के जी कोप आर्द्र भूमि
10.	केरल	42.	अष्टमुडी
		43.	सस्थामकोटा
		44.	कोट्टल्ली
		45.	काडुलाडी
		46.	वेम्बनाड कोल
11.	मध्य प्रदेश	47.	बरना
		48.	यशवंत सागर
		49.	कीन नदी आर्द्र भूमि

1	2	3	4
		50.	राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य
		51.	घाटी गांव
		52.	रातापानी
		53.	दिनवा तवा आर्द्र भूमि
		54.	कान्हा बाघ रिजर्व
		55.	पेंच बाघ रिजर्व
		56.	शाख्यासागर
		57.	दिहायला
		58.	गोविंद सागर
12.	महाराष्ट्र	59.	उजनी
		60.	जयकवाड़ी
		61.	नाल गंगा आर्द्र भूमि
13.	मणिपुर	62.	लोकतक
14.	मेघालय	63.	उम्मीयम
15.	मिजोरम	64.	तमदिल
		65.	पलक
16.	उड़ीसा	66.	चिल्का
		67.	कुआनरी आर्द्र भूमि
		68.	कंजिया आर्द्र भूमि
		69.	दाहा आर्द्र भूमि
		70.	अनुशुपा
17.	पंजाब	71.	हरिके
		72.	रोपड़
		73.	कंजली
		74.	नांगल
18.	राजस्थान	75.	सांभर
19.	सिक्किम	76.	खिजूपीटी पवित्र झील
		77.	तमजी आर्द्र भूमि
		78.	तिम्बो आर्द्र भूमि काम्प्लैक्स
		79.	फैडांग आर्द्र भूमि काम्लैक्स
		80.	गुरु डोकमार्क आर्द्र भूमि
		81.	सोमगो आर्द्र भूमि
20.	तमिलनाडु	82.	प्वाइंट कैलिमर
		83.	कालीवेली
		84.	पल्लायकरनी
21.	त्रिपुरा	85.	रुद्रसागर
22.	उत्तर प्रदेश	86.	नवाबगंज
		87.	संडी
		88.	लाख बाहोसी
		89.	समसपुर
		90.	अलवारा आर्द्र भूमि
		91.	सेमाराई झील
		92.	नगरीया झील
		93.	खेतम झील
		94.	सेखा आर्द्र भूमि
		95.	समन पक्षी अभयारण्य
		96.	सरसाई नायर
		97.	पटना पक्षी अभयारण्य
		98.	चंदो आर्द्र भूमि, बस्ती
		99.	ताल-बाघेल आर्द्रभूमि

1	2	3	4
23.	उत्तरांचल	100.	बाण गंगा झिलमिल ताल
		101.	असन
24.	पश्चिम बंगाल	102.	ईस्ट कोलकाता आर्द्र भूमि
		103.	सुन्दरबन
		104.	अहीरोन बील
		105.	रसिक बील
		106.	संतरागाछी
		107.	पटलाखावा-रासोमाती
25.	संघ राज्य क्षेत्र (चंडीगढ़)	108.	सुकना

विवरण-II

राज्यवार जारी की गई धनराशि

(राशि लाख रुपये)

क्र. सं.	आर्द्र भूमि के नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	35.85	—	47.259	83.108
2.	असम	108.8	—	82.08	50.34	—	241.22
3.	बिहार	—	—	—	—	—	
4.	गुजरात	40.00	65.75	78.5	13.9	47.36	228.51
5.	हिमाचल प्रदेश	58.06	—	83.09	40	—	181.15
6.	जम्मू और कश्मीर	37.51	—	31.00	33	139.39	224.90
7.	कर्नाटक	18.275	64.475	28.29	36.497	—	147.537
8.	केरल	31.12	—	16.23	—	—	57.35
9.	मध्य प्रदेश	—	11.00	19.00	49.40	38.94	118.34
10.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
11.	मणिपुर	36.26	—	—	30	—	66.26
12.	मिजोरम	7.50	—	17.92	53.00	71.99	150.41
13.	उड़ीसा	140.45	69.50	54.95	90	—	373.30
14.	पंजाब	—	—	105.14	103.27	57.58	265.99

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	राजस्थान	56.76	—	61.45	53	13.44	184.65
16.	सिक्किम	—	—	—	16.36	53.31	560.97
17.	तमिलनाडु	86.72	44.93	23.25	99.60	133.40	387.90
18.	त्रिपुरा	—	—	—	—	24.70	24.70
19.	उत्तर प्रदेश	—	23.67	76.00	28.54	85.14	213.35
20.	उत्तरांचल	10.155	32.245	—	—	—	42.4
21.	पश्चिम बंगाल	70.95	169.45	127.19	92.355	124.405	584.35
22.	अनुसंधान और विकास	42.3	67	96.56	95.28	106.24	257.14
23.	कुल	744.86	548.02	959.9	845.542	927.154	4025.476

हिमालय में बर्फ तथा वर्षा की निगरानी

2702. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का हिमालय में बर्फ तथा वर्षा की निगरानी हेतु राडार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राडारों को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के हिम तथा हिम-स्खलन अध्ययन संस्थान के सहयोग से हिमालय पर्वतों में हिम, हिम-स्खलन, वर्षा तथा अन्य कठोर मौसम की घटनाओं का मानीटरन करने की क्षमतावाले दो डॉप्लर मौसम राडारों को हिमालय में संस्थापित करने की योजना बना रहा है।

(ग) 2010-11 के समय-ढांचे में इन राडारों को संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

ग्लोबल जैंडर गैप रिपोर्ट

2703. श्री मधुगौड़ यास्खी :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी 'बोचा' :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 2008 को 'द मिंट' में यथा प्रकाशित जेनेवा स्थित संगठन द्वारा जारी ग्लोबल जैंडर गैप रिपोर्ट, 2008 की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नेहरू युवा केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम

2704. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेहरू युवा केन्द्रों (एनवाईके) द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या नासिक में एनवाईके के कुछ कल्याणकारी उपाय बंद कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल) : (क) नेहरू युवा केन्द्र संगठन दो प्रकार के कार्यक्रम कार्यान्वित करता है अर्थात नियमित कार्यक्रम और विशेष कार्यक्रम। नियमित कार्यक्रमों की योजना केन्द्र द्वारा तैयार की जाती है और देश के विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जाती है। नियमित कार्यक्रमों की योजना में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, युवा नेतृत्व तथा विकास कार्यक्रम, युवा क्लब विकास, जागरूकता सृजन कार्यक्रम, कार्य शिविर, सेमिनार तथा कार्यशालाएं और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दिवसों को मनाना/आयोजित करना शामिल है। विशेष कार्यक्रमों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन को आबंटित कार्यक्रम शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए कार्यक्रमों के लिए राज्य-वार आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1474350	2395800	4894200	4974000
2.	आंध्र प्रदेश	5651675	8642296	18761100	19067000
3.	अरूणाचल प्रदेश	1228625	1996500	4078500	4145000
4.	असम	5651675	8642296	18761100	19067000
5.	बिहार	7777058	12775568	27733800	28186000
6.	चंडीगढ़	228737	375752	815700	829000
7.	छत्तीसगढ़	1829896	3006016	6525600	6632000
8.	दादरा और नगर हवेली	228737	375752	815700	829000
9.	दमन व दीव	457474	751504	1631400	1658000
10.	दिल्ली	686211	1127256	2447100	2487000
11.	गोवा	457474	751504	1631400	1658000
12.	गुजरात	4346003	7139288	15498300	15751000

1	2	3	4	5	6
13.	हरियाणा	3659792	6012032	13051200	13264000
14.	हिमाचल प्रदेश	2948700	4791600	9788400	9948000
15.	जम्मू व कश्मीर	3440150	5590200	11419800	11606000
16.	झारखंड	3659792	6012032	13051200	13264000
17.	कर्नाटक	4574740	7515040	16314000	16580000
18.	केरल	3202318	5260528	11419800	11606000
19.	लक्षद्वीप	245725	399300	815700	829000
20.	मध्य प्रदेश	9149480	15030080	32628000	33160000
21.	महाराष्ट्र	6862110	11272560	24471000	24870000
22.	मणिपुर	211525	3593700	7341300	7461000
23.	मेघालय	1228625	1996500	4078500	4145000
24.	मिजोरम	737175	1197900	2447100	2487000
25.	नागालैंड	1720075	2795100	5709900	5803000
26.	उड़ीसा	3659792	6012032	13051200	13264000
27.	पांडिचेरी	914948	1503008	3262800	3316000
28.	पंजाब	3202318	5260528	11419800	11606000
29.	राजस्थान	686210	11272560	24471000	24870000
30.	सिक्किम	914948	1503008	3262800	3316000
31.	तमिलनाडु	663373	10896808	23655300	24041000
32.	उत्तर प्रदेश	12580535	20666360	44863500	45595000
33.	उत्तरांचल	229525	3593700	7341300	7461000
34.	पश्चिम बंगाल	5032214	8266544	17945400	18238000
	कुल	115687885	188420652	405402900	412013000

[अनुवाद]

भारतीय जन स्वास्थ्य मानक

2705. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी/निजी अस्पतालों का भारतीय जन स्वास्थ्य मानक (आई.पी.एच.एस.) के अनुकूल होने का पता लगाने के लिए कोई निगरानी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को भारतीय जनस्वास्थ्य मानक के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उन्नत करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए फार्मेट के अनुसार भारतीय जन स्वास्थ्य मानक सुविधा सर्वेक्षण शुरू किया है। अभी तक 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 942 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भारतीय जन स्वास्थ्य मानक सुविधा सर्वेक्षण की रिपोर्टें मंत्रालय में प्राप्त हो गई हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालय इनमें से प्रत्येक केन्द्र के लिए एक समान मानीटरिंग रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें भारतीय जन स्वास्थ्य मानक की अपेक्षाओं की तुलना में सेवाओं, आधारभूत सुविधा, जनशक्ति आदि के बारे में पहचान की गई कमियों को उजागर किया जाता है और साथ ही विशिष्ट टिप्पणियां दी जाती हैं। इन रिपोर्टों का उपयोग यह जांच करने के लिए मानीटरिंग हेतु किया जाता है कि कहां तक इन सुविधा केन्द्रों में पहचान की गई कमियों को दूर किया गया है।

खेल रत्न पुरस्कार

2706. डा. टोकचोम मैन्या : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार देने हेतु क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन करते समय निर्णायक मण्डल द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस पुरस्कार के लिए कुछ योग्य खिलाड़ियों का चयन नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल) : (क) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिनका विचाराधीन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन अत्यधिक शानदार और उत्कृष्ट रहा हो। निषिद्ध मादक औषधियों के प्रयोग के लिए पाजिटिव पाये गये खिलाड़ी पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं।

(ख) और (ग) पुरस्कार के लिए चयन, सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र समिति द्वारा किया जाता है जिसमें मुख्यतः उत्कृष्ट खिलाड़ी और खेल प्रशासक होते हैं। स्कीम में निर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड के अधीन, समिति चयन की अपनी प्रक्रिया निर्धारित करती है और यदि आवश्यक हुआ तो विशेषज्ञों से परामर्श कर सकती है। चयन सर्वसहमति से किया जाता है और ऐसा न होने पर बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(घ) और (ङ) पुरस्कार के लिए नामांकन, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय ओलम्पिक संघ और राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण तथा सहायता अनुदान हेतु दिशानिर्देश

2707. श्री वसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेष तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं हेतु ऋण, वित्तीय सहायता तथा सहायता अनुदान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस संबंध में असंतोष व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) विशेष तथा गैर विशेष श्रेणी के राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना स्कीमों के लिए जारी दिशानिर्देश के अनुसार मुहैया कराई जाती है। सामान्य केन्द्रीय सहायता राज्यों में योजना आयोग द्वारा गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के अनुसार दी जाती है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए अनुदान:ऋण का अनुपात 30:70 है जबकि विशेष श्रेणी राज्यों के लिए अनुदान:ऋण अनुपात 90:10 है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए, राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता का केवल अनुदान हिस्सा ही मुहैया कराया जाता है तथा ऋण हिस्से को वर्ष 2005-06 से समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत युवा और खेल अभियान योजना

2708. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत युवा और खेल अभियान (पीवाइकेकेए) योजना का देश में एक समान रूप से कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पीवाइकेकेए की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना में अब तक शामिल पंचायतों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ङ) सबसे निचले स्तर अथवा ग्राम/ब्लाक पंचायत स्तर पर किस प्रकार की बुनियादी खेलकूद अवसंरचना का प्रस्ताव है; और

(च) इस संबंध में ग्राम तथा ब्लाक पंचायतों को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) से (च) सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान को आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य 10 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से देश में सभी गांव तथा ब्लाक पंचायतों में बुनियादी खेल अवसंरचना प्रदान करना और ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगठित खेल प्रतियोगिताओं तक पहुंच प्रदान करना है।

योजना के तहत, खेल अवसंरचना के विकास जैसे खेल मैदान का विकास, एथलेटिक ट्रैक, खेल मैदान की चारदीवारी, गोल पोस्ट, नेट खेलों के लिए पोल, आउटडोर फिटनेस उपस्कर आदि के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और प्रत्येक ब्लाक पंचायत को क्रमशः 1 लाख रु. और 5 लाख रु. का एकमुश्त पूंजीगत अनुदान किया जाएगा। इनमें राज्य का अंशदान सामान्य राज्यों के लिए 25% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10% होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को खेल उपकरणों की खरीद के लिए वार्षिक अधिप्रापण अनुदान तथा खेल स्पर्धाओं में अलग प्रचालन संबंधी व्यय की पूर्ति करने के लिए वार्षिक प्रचालन अनुदान के रूप में प्रतिमाह क्रमशः 10,000 रु. और 12,000 रु. दिए जाएंगे, किन्तु ब्लाक पंचायतों को क्रमशः 20,000 रु. और 24,000 रु. दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लाक पंचायत को ब्लाक स्तर पर स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 50,000 रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक जिले को जिला स्तरीय स्पर्धाओं के आयोजन के लिए 3 लाख रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, ब्लाक स्तर व जिला स्तर की स्पर्धाओं में विजेताओं (प्रथम तीन स्थान) के लिए पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	ब्लाक पंचायतों की संख्या	कुल स्वीकृत राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2190	113	2597.77
2.	बिहार	847	53	1043.66
3.	हरियाणा	619	12	650.71
4.	मिजोरम	82	3	106.66
5.	उड़ीसा	623	31	734.20
6.	पंजाब	1233	14	1254.67
7.	हिमाचल प्रदेश	324	8	402.40

1	2	3	4	5
8.	जम्मू व कश्मीर	413	14	531.72
9.	केरल	100	15	159.85
10.	महाराष्ट्र	2689	35	2754.98
11.	नागालैण्ड	110	5	147.90
12.	त्रिपुरा	104	4	126.24
13.	तमिलनाडु	1261	38	1338.74
14.	मध्य प्रदेश	2304	31	2364.77

तटीय जोन प्रबंधन पर आपत्ति

2709. श्री प्रतीक पी. पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2008 में जारी मसौदा तटीय जोन प्रबंधन (सीजेडएम) अधिसूचना पर मछुआरा समुदाय ने आपत्ति जतायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिनांक 22.7.2008 को जारी की गई तटीय प्रबंधन जोन (सीएमजेड) अधिसूचना, 2008 के मसौदे पर मछुआरा समुदायों सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों से बड़ी संख्या में सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। उठाए गए प्रमुख मुद्दों में सेट बैंक लाइन पर स्पष्टता की कमी और मसौदे के अन्य उपबंध, विकास गतिविधियों में वृद्धि आदि के कारण मछुआरा समुदाय आजीविका में कमी आदि शामिल है।

(ग) आज की तारीख तक उपरोक्त विभिन्न सुझावों और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना के मसौदे को अंतिम रूप देने पर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है।

निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित सीमा

2710. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋणों पर स्वीकृत निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित सीमा के बीच क्या अंतर है;

(ख) क्या गैर-निधि आधारित सीमा को उधारकर्ता द्वारा नियोजित पूंजी की तुलना में समग्र एक्सपोजर के आधार पर तय किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंक गैर-निधि तथा आवश्यकता आधारित सीमा को कम करने में लघु उद्योगों से भेदभाव न करें?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी अपने मार्गनिर्देशों में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सीमा शब्द को परिभाषित नहीं किया है। तथापि, जोखिम प्रबंधन एवं नकदी की उपलब्धता का अधिक यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए बैंक अपने ऋण निवेशों को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित सीमाओं में वर्गीकृत करते हैं।

(ख) जी, हां। बैंक द्वारा गैर-निधि आधारित सुविधा की मंजूरी हेतु किसी अनुरोध का मूल्यांकन करते समय जिन महत्वपूर्ण संगत पहलुओं पर विचार किया जाता है, उनमें से उधारकर्ता की पूंजीगत निधियां तथा मंजूर की गई गैर-निधि आधारित सुविधा कुछ महत्वपूर्ण पहलु हैं।

(ग) सरकार समय-समय पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह देती रहती है कि उन्हें सामान्यत: अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों और विशेष रूप से लघु एवं मझौले उद्यमों की ऋण संबंधी वास्तविक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। बैंकों द्वारा लघु उद्योग एककों को पर्याप्त ऋण प्रदान किए जाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लघु उद्योग एककों के लिए ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र उधार में शामिल किया गया है। सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया ऋण मार्च 2006 के अंत में 1,46,719 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 में 1,84,589 करोड़ रुपए तथा मार्च 2008 को 2,43,796 करोड़ रुपए हो गया।

इंटरनेट बैंकिंग

2711. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कई करोड़ रुपए के धन्धे में कुछ भारतीयों के शामिल होने की जानकारी सरकार को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राजकोषीय संकट तथा बाजारों का स्थिरीकरण

2712. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने राजकोषीय संकट तथा बाजारों के स्थिरीकरण के संबंध में विकसित देशों के साथ कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत में कोई राजकोषीय संकट अथवा बाजारों में अस्थिरता नहीं है। फिर भी, वैश्विक वित्तीय बाजारों तथा सामना की जा रही मौजूदा चुनौतियों, जो शायद हमें प्रभावित कर सकती हैं, को देखते हुए भारत ने 15 नवंबर, 2008 को वाशिंगटन में आयोजित वित्तीय बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था संबंधी शिखर बैठक में हिस्सा लिया। इस शिखर बैठक में अर्थव्यवस्थाओं को प्रेरित करने, नकदी उपलब्ध कराने, वित्तीय संस्थाओं के पूंजी आधार के सुदृढ़ीकरण, बचतों एवं जमाराशियों की सुरक्षा करने, विनियामक त्रुटियों का समाधान करने, ऋण बाजारों को अनवरुद्ध करने और यह सुनिश्चित करने के उपाय करने के संबंध में ठोस और महत्वपूर्ण कार्रवाइयों की सिफारिश की कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहायता उपलब्ध कराएं। इसमें वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई।

लघु निवेशकों के हितों की रक्षा

2713. श्री के.एस. राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेयरों के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में धन निवेश करते हुए निवेशकों की किन प्रमुख समस्याओं और जोखिमों की पहचान की गई है;

(ख) आबंटन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु वर्तमान विनियम तथा दिशानिर्देश क्या हैं तथा लघु निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कौन से रक्षोपाय हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार लॉजिस्टिक तथा अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक नियम और विनियम बनाने और स्टॉक मार्केट में धन निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) शेयरों की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में निवेश करते समय निवेशकों के लिए अभिज्ञात की गई समस्याएं और जोखिम पेशकश दस्तावेजों में प्रकटीकरण आवंटन के बाद शेयर प्राप्त न होना, प्रतिदायों की विलंबित प्राप्ति, प्रतिदाय प्राप्त न होना, आदि से संबंधित हैं।

(ख) सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 (डीआईपी दिशानिर्देश) में निवेशकों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त जांचों और संतुलनों की व्यवस्था की गई है। इन दिशानिर्देशों में निर्गमकर्ता से यह अपेक्षित है कि वह निवेशकों को जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ बनाने हेतु कंपनी की पृष्ठभूमि सहित विभिन्न ब्यौरों को प्रकट करे। इसमें आगे यह अपेक्षा की गई है कि प्रतिभूतियों का आबंटन निर्गम बंद होने की तारीख से 15 दिन के भीतर किया जाएगा, ऐसा न करने पर आवेदकों को विलंबित प्रतिदाय के लिए 15% वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना है। सेबी द्वारा किए गए अवलोकनों के निर्गम से पूर्व कंपनियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों से सिद्धांततः सूचीयन अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सेबी ने आईपीओ प्रक्रिया में शामिल विभिन्न मध्यवर्तियों अर्थात, मर्चेंट बैंकरों, निर्गम पंजीयकों, निर्गम बैंकरों, हामीदारों आदि के लिए पृथक विनियम भी अधिसूचित किए हैं। सेबी अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत सेबी को विद्यमान नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों/अधिनियम के किसी भी प्रकार के अननुपालन के लिए उक्त मध्यवर्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्राधिकार है।

(ग) और (घ) सेबी ने सार्वजनिक निर्गमों में आवेदन करने के लिए एक अनुपूरक प्रणाली शुरू की है, यथा आईपीओ आवेदनों

के लिए 'अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन'' (एएसबीए) प्रक्रिया। एएसबीए प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि निवेशक को प्रतिभूतियों के आबंटन की पुष्टि होने पर ही उसके खाते से राशि नामे की जाए और वह भी केवल निवेशक को किए गए आवंटन की सीमा तक। यह निधियों के वास्तविक प्रतिदाय की प्रक्रिया से जुड़ी खामियों को समाप्त करता है। सेबी ने प्रतिदाय के लिए कुछ विनिर्दिष्ट केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) भी शुरू की है।

[हिन्दी]

भारतीय उद्योगों का संरक्षण

2714. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग संघों ने व्यवसाय में मंदी के वैश्विक रुझान के मद्देनजर भारतीय उद्योगों के संरक्षण हेतु ब्याज दर को कम करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एसोचेम' तेल कंपनियों की तर्ज पर सरकारी प्रतिभूतियों को बंधक रख कर धनराशि जुटाने हेतु बैंकों को अनुमति देने की मांग करता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) उद्योग संघों ने जिनमें एसोचेम भी शामिल है, विभिन्न सुझाव दिए हैं, जिनमें, अन्य बातों के अलावा, ब्याज दर को कम करना भी है। विकास की सतत रफ्तार बनाए रखने हेतु उत्पादक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण का प्रवाह बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने प्रमुख नीतिगत दरों (रेपो दर) में कटौती सहित विभिन्न उपाय किए हैं और अर्थतंत्र में नकदी की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अन्य कदम भी उठाए हैं।

[अनुवाद]

डालर-रुपया विनिमय दर

2715. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कतिपय बैंकों द्वारा डालर-रुपया विनिमय दर संबंधी पूर्वानुमान लगाने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे पूर्वानुमानों के आधार पर निर्यातकों द्वारा हेजिंग एग्रीमेंट किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रकाश में आए कदाचार, यदि कोई हैं, के मामले कौन से हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उचित कार्रवाई की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कुछ बैंक और वित्तीय संस्थाएं, खासकर वे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में सक्रिय हैं, नेमी रूप से बृहद आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के परिवर्तनीय कारकों (जैसे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, मुद्रास्फीति, सरकारी बांड से आय, विनिमय दर, इत्यादि) के विकास के अपने संस्थांतर्गत अनुसंधान मूल्यांकन (समुचित अस्वीकरण के साथ) अपने ग्राहकों और संघटकों के लिए तैयार करती हैं और उन्हें परिचालित करती हैं। इनमें से कुछ रिपोर्टें सार्वजनिक कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को ऐसे लेन-देनों के संबंध में जिसके लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा की खरीद और/अथवा बिक्री की अनुमति है, आधारभूत मुद्रा-जोखिम से बचाव के लिए प्राधिकृत डीलर (एडी) के साथ-विदेशी मुद्रा व्युत्पाद संविदाएं करने की अनुमति दी गई है। चूंकि मुद्रा जोखिम सहित बाजार जोखिमों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तनीय कारकों की भावी घट-बढ़ का मूल्यांकन आवश्यक होता है, इसलिए कुछ निर्यातक उपलब्ध मूल्यांकनों का प्रयोग करते हैं।

(ङ) किसी अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजार में वास्तविक परिणाम अपनाए गए, दृष्टिकोण पर निर्भर रहते हुए निर्यातक के लिए हानि या लाभ के रूप में सामने आ सकता है। उपलब्ध कानूनी उपायों के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बाजार में विद्यमान विनियामक प्रणाली में समुचित रक्षोपाय हैं और यह किसी भी कदाचार के प्रति सतर्क है।

जाली चिकित्सा उत्पादों की नई परिभाषा

2716. डा. आर. सेनथिल :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत विश्व स्वास्थ्य असेम्बली में जाली चिकित्सा उत्पादों की नई परिभाषा प्रस्तावित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त चिकित्सा उत्पादों की परिभाषा संशोधित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों हेतु सी.जी.एच.एस. सुविधा

2717. **श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों को सी.जी.एच.एस. सुविधा मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं केवल ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को उपलब्ध हैं जिनके वेतन/पेंशन का भुगतान केन्द्रीय लेखाओं से किया जाता है। स्वायत्त संगठन के कर्मचारी सी.जी.एच.एस. सुविधाओं के पात्र नहीं होते हैं।

चिकित्सा सेवाओं को उद्योग का दर्जा

2718. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चिकित्सा सेवाओं को उद्योग का दर्जा मुहैया कराने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) चिकित्सा सेवाओं को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

बी.सी.सी.एल. खानों में पेयजल की कमी

2719. **श्री टेक लाल महतो** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झारखंड में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) के खनन क्षेत्र में पेयजल की कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप क्या समस्या/खतरे सामने आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। झारखंड राज्य में बी.सी.सी.एल. के कमाण्ड क्षेत्रों में पेयजल की कोई कमी नहीं है। यदि भीषण गर्मी के मौसम के दौरान किसी समस्या का सामना होता है तो समस्या को तत्काल हल करने के लिए उचित सावधानी बरती जाती है।

(ग) बी.सी.सी.एल. एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में सामाजिक विकास योजना के अंतर्गत समीपस्थ इलाकों/गावों को पेयजल की आपूर्ति की सुविधा दे रही है।

बी.सी.सी.एल. राज्य के पेयजल तथा स्वच्छता प्रभाग की सात परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को खान के पानी की भी आपूर्ति करती है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाना

2720. श्री सुभाष महरिया :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रावतभाटा में राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजनाओं की चालू और बंद पड़ी विद्युत उत्पादक इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं के बंद किए जाने की वजह से हुई हानि हेतु क्षतिपूर्ति करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में नई विद्युत उत्पादक इकाइयों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों की पहचान की गयी है और इस संबंध में कितनी निधियां आबंटित की गयी हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को, उसके पुनर्सज्जीकरण के लिए, उसके स्वास्थ्य तथा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के विस्तृत अध्ययन के लिए अक्तूबर, 2004 में बंद कर दिया गया। यूनिट-2, जुलाई, 2007 तक, जब, उसके नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में फीडरों को एक साथ बदलने का काम हाथ में लिया गया था, परिचालनरत था। यह काम पूरा कर लिया गया है और यह यूनिट ईंधन भरण के लिए तैयार है। यूनिट-3 और 4 परिचालनरत हैं यूनिट-5 और 6 पूरा होने के अंतिम चरणों में है।

(ख) और (ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 और 2 का उपलब्ध न होना, परमाणु विद्युत रिएक्टरों – राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 और 4 तथा नरोरा परमाणु बिजलीघर, एनएपीएस-1 और 2 सहित अन्य केन्द्रीय उत्पादक बिजलीघरों से राजस्थान को बिजली का आबंटन नियत करने वाले कारकों में से एक कारक रहा है। राजस्थान को, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 और 4 (440 मेगावाट-ई) की कुल क्षमता का लगभग 36% आबंटित किया हुआ है जिसकी आपूर्ति, राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 के समान शुल्क पर ही की जा रही है।

(घ) और (ङ) ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत, राजस्थान में रावतभाटा नामक स्थान पर ही 700 मेगावाट-ई क्षमता के दो और रिएक्टरों पर काम शुरू करने की परिकल्पना की गई है। इस स्थल को सरकार द्वारा पहले ही सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया गया है। इस परियोजना को अभी संस्वीकृति दी जानी है।

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में फंसे हुए भारतीय

2721. श्री एस. अजय कुमार :
श्री पन्नियन रवीन्द्रन :
श्री रामदास आठवले :
श्री ए.वी. बेल्लारमिन :
श्री प्रतीक पी. पाटील :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में भारतीय भारत लौटने के इंतजार में खाड़ी देशों में फंसे पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन लोगों को शीघ्र भारत लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों ने सूचित किया है कि भारत लौटने के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों के फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, समय-समय पर स्थानीय नियमों और विनियमों के उल्लंघन, वैध वीजा/निवासी परमिट, आदि के न होने के कारण ऐसे मामलों की सूचना मिलती है, जिनमें भारतीय नागरिकों का वहां रुकना अवैध हो जाता है।

खाड़ी देशों में सरकारें समय-समय पर क्षमादान की योजनाओं की घोषणा करती हैं जिसमें ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए वहां रहने को नियमित करने अथवा योजना के चलते किसी जुर्माने के बिना देश छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

भारतीय मिशन के अधिकारी निर्वासितों का पता लगाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए निर्वासन केन्द्रों का दौरा करते हैं। उचित मामलों में वहां रुकने को नियमित करने के लिए सहायता भी दी जाती है। मिशन उनकी स्वदेशी वापसी को सुगम बनाने के लिए आपात प्रमाण-पत्र अथवा आवश्यक यात्रा दस्तावेज भी जारी करते हैं।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश, गृह, नागर विमानन मंत्रालयों और राज्य सरकारों के समन्वय से भारतीय कामगारों के विदेशों से स्वदेश भेजे जाने के लिए ऐसे निर्वासन पर कड़ी निगरानी रखता है।

अवैध और परित्यक्त खानों का आवंटन

2722. **श्री सुनील खां :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खनन हेतु अवैध और परित्यक्त खानों को कोयला सहकारी कंपनियों को आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पारम्परिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देना

2723. **श्री एम. अप्पादुरई :** क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पारम्परिक खेलों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) और (ख) भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण (भा.खे.प्रा.) की वर्तमान योजनाओं में पारम्परिक व देशी खेलों जैसे तीरंदाजी, शतरंज, खो-खो, रस्साकसी, कबड्डी, कुश्ती इत्यादि पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

(ग) सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पी वाई के के ए) नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका लक्ष्य 10 वर्षों की अवधि में सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और गांव व ब्लाक पंचायत स्तर पर संगठित खेल स्पर्धाओं के लिए पहुंच उपलब्ध कराना है। योजना में पारम्परिक और देशी खेलों के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

चिकित्सा अपशिष्ट का दुरुपयोग

2724. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :**
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा अपशिष्ट दुरुपयोग के संबंध में वातावरण नामक गैर-सरकारी संगठन की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्र एवं नदी अपरदन

2725. **श्री प्रशान्त प्रधान :**
श्री अनन्त नायक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र एवं नदी अपरदन देश में पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय ने सूचना दी है कि पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए समुद्र और नदी अपरदन के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन शुरू नहीं किया गया है।

(ग) तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 तटीय अपरदन के नियंत्रण के लिए तट सुरक्षा उपायों की अनुमति प्रदान करता है और ऐसी किसी परियोजना को अनुमोदित करते समय इसके अन्तर्गत आवश्यक रक्षोपाय किए जाते हैं।

"रेनके" कमीशन की सिफारिशें

2726. **श्री हरिभाऊ राठौड़ :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जनजाति आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने "रेनके" कमीशन की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विमुक्त घुमन्तू और अर्द्धघुमन्तू जनजाति आयोग (श्री रेनके की अध्यक्षता में) ने 02 जुलाई, 2008 को अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के संबंध में यूनीसेफ रिपोर्ट

2727. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अपने निर्धनतम बच्चों की बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रहा है जैसा कि हाल ही में जारी यूनीसेफ रिपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) यूनिसेफ रिपोर्ट "विश्व के बच्चों की स्थिति, 2008" के अनुसार 1990 से भारत की पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर 34 प्रतिशत तक कम हो गई है। यह बाल जीवन-रक्षा वाले देशों के लिए एक प्राथमिकता है।

(ग) देश में शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख कार्यकलाप नवजात और बाल्यावस्था रोगों के एकीकृत उपचार (आईएमएनसीआई) संबंधी कार्यनीति का क्रियान्वयन करना है जिसमें नवजात और बाल्यावस्था मृत्यु दर – पूतिता, तीव्र श्वसनीय संक्रमण, कुपोषण के कारण होने वाले अतिसार, खसरा और मलेरिया जैसे सभी रोगों के सामान्य कारणों का प्रबंधन करने के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत प्रसवों और स्वास्थ्य कार्मिकों को अनिवार्य नवजात परिचर्या का प्रशिक्षण प्रदान करने को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जन्म के समय कुशल परिचर्या उपलब्ध हों तथा सभी नवजातों को विशेषीकृत परिचर्या प्राप्त हो। नवजात का प्रसव करवाने और बाल परिचर्या, दोनों ही संस्थागत और गृह-आधारित होते हैं, के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। विटामिन ए युक्त सूक्ष्म पोषक पूरक, आयरन व तत्व, फोलिक एसिड और जिंक तथा शिशु और छोटे बच्चों के पोषण पर बल दिया जा रहा है। रोग प्रतिरक्षण सतत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। 7 वर्षों (2005-2012 तक) की अवधि के लिए अप्रैल, 2005 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समग्रतावादी दृष्टिकोण सहित एक व्यापक (ओवर आर्किंग) कार्यकलाप है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के उन्नयन तथा प्रति 1000 जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ता की व्यवस्था जैसी बहुविधिक कार्यनीतिक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है और जिसमें प्राप्त किए जाने वाले मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, नवजात, शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करना परिकल्पित किया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यकरण

2728. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) पूर्णतः ठप्प हो गए हैं जैसा कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2008 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की उपलब्धता कितनी है तथा प्रसव जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी कमी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चलाने हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कितनी सहायता दी गयी है;

(घ) क्या केन्द सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया न कराए जाने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई जांच कारवायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता को दर्शाने वाली एक तालिका संलग्न विवरण-I में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं को दर्शाने वाली तालिकायें विवरण-II और विवरण-III में दी गई है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यवार जारी निधियों और राज्य द्वारा किए गए व्यय को दर्शाने वाली तालिका विवरण-IV में दी गई है।

(घ) जी, नहीं। उपरोक्त (ख) के संदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं किए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यकलापों के लिए दी गई समय सीमा के भीतर की गई प्रगति पर निरंतर नजर रखने के लिए सुविधा सर्वेक्षण, संयुक्त समीक्षा मिशन इत्यादि के माध्यम से प्रगति की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वियन के कार्य ढांचे में व्यापक उल्लेख किया गया है। जिला स्तरीय घरेलू और अवसंरचना सर्वेक्षण जैसे बाह्य मूल्यांकन भी किए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	अपेक्षित (आर)	स्वीकृत (एस)	कार्यरत (पी)	रिक्त (एस पी)	कमी (आर पी)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1570	2497	2214	283	*
2.	अरूणाचल प्रदेश	85	78	78	0	7
3.	असम	610	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	1648	2078	1850	228	*

1	2	3	4	5	6	7
5.	छत्तीसगढ़	518	1542	1154	388	*
6.	गोवा	19	46	46	0	*
7.	गुजरात	1073	1073	1034	39	39
8.	हरियाणा	411	580	350	230	61
9.	हिमाचल प्रदेश	443	628	628	0	*
10.	जम्मू और कश्मीर	374	668	643	25	*
11.	झारखंड	330	3927	2323	1604	*
12.	कर्नाटक	1679	2237	2041	196	*
13.	केरल	909	1345	1558	*	*
14.	मध्य प्रदेश	1149	1149	869	280	280
15.	महाराष्ट्र	1800	1800	1191	609	609
16.	मणिपुर	72	62	103	*	*
17.	मेघालय	103	127	106	21	*
18.	मिजोरम	57	57	39	18	18
19.	नागालैंड	84	53	53	0	31
20.	उड़ीसा	1279	1353	1353	0	*
21.	पंजाब	484	634	350	284	134
22.	राजस्थान	1499	1527	1318	209	181
23.	सिक्किम	24	48	38	10	*
24.	तमिलनाडु	1181	2260	1984	276	*
25.	त्रिपुरा	75	161	150	11	*
26.	उत्तराखंड	232	272	182	90	50
27.	उत्तर प्रदेश	3660	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5	6	7
28.	पश्चिम बंगाल	922	922	811	111	*
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	36	36	0	*
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6	6	6	0	0
32.	दमन और दीव	3	5	5	0	*
33.	दिल्ली	8	31	23	8	*
34.	लक्षद्वीप	4	4	4	0	0
35.	पांडिचेरी	39	68	68	0	*
	संपूर्ण भारत	22370	27274	22608	4920	1410

टिप्पणियां : एन ए : उपलब्ध नहीं

अधिसंख्य

1. प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक

2. रिक्त पद और कमी की समग्र प्रतिशतता की गणना करने के लिए जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मानवशक्ति की संख्या उपलब्ध या नहीं है उन्हें छोड़ दिया गया है।

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या							
			प्रसव गृह में ऑपरेशन थियेटर में		ऑपरेशन थियेटर में		4-6 बिस्तरों सहित		24 घंटे प्रदान की जाने वाली प्रसव केन्द्र में	
1	2	3	4		5		6		7	
1.	आंध्र प्रदेश	1570	1570	(100%)	1570	(100%)	1570	(100%)	520	(33%)
2.	बिहार	1648	208	(13%)	230	(14%)	792	(48%)	304	(18%)
3.	छत्तीसगढ़	18	105	(20%)	50	(10%)	52	(10%)	518	(90%)
4.	गोवा	19	13	(68%)	3	(16%)	13	(68%)	13	(68%)

1	2	3	4		5		6		7	
5.	गुजरात	1073	721	(67%)	721	(67%)	721	(67%)	50	(5%)
6.	हरियाणा	411	210	(51%)	110	(27%)	254	(62%)	114	(28%)
7.	हिमाचल प्रदेश	443	50	(11%)	140	(32%)	140	(32%)	50	(11%)
8.	कर्नाटक	1679	1679	(100%)	1679	(100%)	1679	(100%)	399	(24%)
9.	केरल	909	131	(14%)	118	(13%)	92	(10%)	18	(2%)
10.	मध्य प्रदेश	1149	230	(20%)	746	(65%)	315	(27%)	उपलब्ध	उपलब्ध
11.	महाराष्ट्र	1800	1220	(68%)	1338	(74%)	1649	(92%)	1780	(99%)
12.	मणिपुर	72	18	(25%)	0	(0%)	15	(21%)	6	(8%)
13.	मेघालय	103	103	(100%)	0	(0%)	103	(100%)	103	(100%)
14.	मिजोरम	57	57	(100%)	57	(100%)	10	(18%)	52	(91%)
15.	उड़ीसा	1279	822	(64%)	427	(33%)	132	(10%)	120	(9%)
16.	पंजाब	484	187	(39%)	159	(33%)	280	(58%)	81	(17%)
17.	राजस्थान	1499	1430	(95%)	1430	(95%)	1499	(100%)	उपलब्ध	उपलब्ध
18.	सिक्किम	24	24	(100%)	24	(100%)	24	(100%)	24	(100%)
19.	तमिलनाडु	1181	1181	(100%)	342	(29%)	385	(33%)	241	(20%)
20.	त्रिपुरा	75	42	(56%)	42	(56%)	37	(49%)	52	(69%)
21.	उत्तराखंड	232	47	(20%)	47	(20%)	222	(96%)	47	(20%)
22.	उत्तर प्रदेश	3660	0	(0%)	0	(0%)	1835	(50%)	उपलब्ध	उपलब्ध
23.	पश्चिम बंगाल	922	410	(44%)	0	(0%)	841	(91%)	100	(11%)
24.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	20	(100%)	20	(100%)	20	(100%)	20	(100%)
25.	चंडीगढ़	0	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)
26.	दादरा व नगर हवेली	6	5	(83%)	3	(50%)	6	(100%)	6	(100%)

1	2	3	4		5		6		7	
27.	दमन और दीव	3	3	(100%)	2	(67%)	3	(100%)	2	(67%)
28.	दिल्ली	8	7	(88%)	1	(13%)	7	(88%)	1	(13%)
29.	लक्षद्वीप	4	4	(100%)	0	(0%)	4	(100%)	4	(100%)
30.	पांडुचेरी	39	25	(64%)	14	(36%)	27	(69%)	19	(49%)

टिप्पणियां : आंकड़ों के स्रोत हैं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट जो अवसंरचना प्रभाग में प्राप्त है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों के स्रोत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अवसंरचना प्रभाग में प्राप्त है।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना उपलब्ध नहीं है।

ब्रैकेट में दिए गए आंकड़ों से प्रतिशतता का पता चलता है।

विवरण-III

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं (जारी) (मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान प्राथमिक स्वा. केन्द्रों की संख्या	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या									
			बिना विद्युत आपूर्ति के		बिना नियमित जलपूर्ति के		बिना सभी मौसम में मौअर की पहुंच वाली सड़क		दूरभाष सहित		कंप्यूटर सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1570	0	(0%)	0	(0%)	181	(12%)	1098	(70%)	1387	(88%)
2.	बिहार	1648	421	(26%)	605	(37%)	290	(18%)	185	(11%)	20	(1%)
3.	छत्तीसगढ़	518	225	(43%)	304	(59%)	310	(60%)	7	(1%)	4	(1%)
4.	गोवा	19	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	19	(100%)	19	(100%)
5.	गुजरात	1073	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	1073	(100%)	0	(0%)
6.	हरियाणा	411	11	(3%)	55	(13%)	21	(5%)	309	(75%)	94	(23%)
7.	हिमाचल प्रदेश	443	0	(0%)	0	(0%)	20	(5%)	108	(24%)	68	(15%)
8.	कर्नाटक	1679	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	1620	(96%)	0	(0%)
9.	केरल	909	6	(1%)	125	(14%)	48	(5%)	368	(40%)	36	(4%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	महाराष्ट्र	1800	59	(3%)	231	(13%)	306	(17%)	1019	(57%)	184	(10%)
11.	मणिपुर	72	24	(33%)	12	(100%)	28	(39%)	17	(24%)	0	(0%)
12.	मेघालय	103	7	(7%)	13	(13%)	उ.न.	उ.न.	0	(0%)	0	(0%)
13.	मिजोरम	57	5	(9%)	57	(100%)	13	(23%)	20	(35%)	0	(0%)
14.	उड़ीसा	1279	0	(0%)	0	(0%)	37	(3%)	62	(5%)	उ.न.	उ.न.
15.	पंजाब	484	5	(1%)	24	(5%)	1	(0%)	161	(33%)	10	(2%)
16.	सिक्किम	24	0	(0%)	0	(0%)	1	(4%)	23	(96%)	8	(33%)
17.	तमिलनाडु	1181	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	1181	(100%)	190	(16%)
18.	त्रिपुरा	75	2	(3%)	19	(25%)	29	(39%)	32	(43%)	0	(0%)
19.	उत्तराखंड	232	31	(13%)	29	(13%)	56	(24%)	42	(18%)	उ.न.	उ.न.
20.	उत्तर प्रदेश	3660	185	(5%)	0	(0%)	0	(0%)	160	(4%)	0	(0%)
21.	पश्चिम बंगाल	922	207	(22%)	113	(12%)	838	(91%)	0	(0%)	0	(0%)
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	20	(100%)	उ.न.	उ.न.
23.	चंडीगढ़	0	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)
24.	दादरा और नगर हवेली	6	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	6	(100%)	0	(0%)
25.	दमन और दीव	3	0	(0%)	0	(0%)	3	(100%)	3	(100%)	2	(67%)
26.	दिल्ली	8	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	3	(38%)	8	(100%)
27.	लक्षद्वीप	4	0	(0%)	0	(0%)	4	(100%)	4	(100%)	उ.न.	उ.न.
28.	पांडुचेरी	39	0	(0%)	0	(0%)	0	(0%)	39	(100%)	0	(0%)

टिप्पणियां : आंकड़ों के स्रोत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट हैं जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अवसंरचना प्रभाग में प्राप्त हुई है।

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना उपलब्ध नहीं है।

ब्रैकेट में दिए गए आंकड़ों से प्रतिशतता का पता चलता है।

विवरण-*IV*

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के लिए मिशन फ्लेक्सीकूल के तहत जारी राशि और व्यय

करोड़ रुपयों

क्र. सं.	राज्य	2005-06		2006-07				
		जारी राशि	व्यय	आबंटन	जारी राशि	व्यय	31.3.07 तक अप्रयुक्त राशि	ब.अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	अधिक ध्यान दिए जाने वाले राज्य							
1.	बिहार	68.37	0.00	146.62	125.79	7.02	187.14	256.31
2.	छत्तीसगढ़	29.10	4.89	36.74	61.75	41.00	44.96	64.23
3.	हिमाचल प्रदेश	16.15	0.39	8.33	30.29	7.18	38.86	14.58
4.	जम्मू और कश्मीर	18.68	0.11	13.78	31.39	3.54	46.41	24.08
5.	झारखंड	32.48	0.95	47.63	46.53	0.90	77.16	83.26
6.	मध्य प्रदेश	82.23	0.68	106.82	136.62	47.06	171.11	186.73
7.	उड़ीसा	59.32	6.98	64.97	66.91	28.46	90.78	113.58
8.	राजस्थान	70.56	1.05	99.84	138.06	22.49	185.09	174.54
9.	उत्तर प्रदेश	129.52	1.10	293.58	241.77	41.31	328.89	513.22
10.	उत्तराखंड	17.54	0.33	14.97	15.92	1.44	31.69	26.17
	उप-योग	523.94	16.48	833.28	895.02	200.3	1202.08	1456.70
ख.	पूर्वोत्तर							
11.	अरूणाचल प्रदेश	10.05	1.68	11.54	31.07	8.33	31.11	13.23
12.	असम	36.2	0.11	281.19	245.41	45.28	236.04	322.31
13.	मणिपुर	7.52	0.00	25.15	20.48	0.82	27.18	28.83
14.	मेघालय	7.22	0.02	24.33	19.51	2.54	24.18	27.88
15.	मिजोरम	6.01	0.17	9.48	32.43	3.91	34.35	10.88
16.	नागालैंड	7.83	0.87	21.03	22.62	12.55	17.02	24.10
17.	सिक्किम	3.09	0.00	5.77	18.22	1.14	20.17	6.62
18.	त्रिपुरा	3.92	0.30	33.81	12.97	2.93	13.66	38.75
	कुल	81.65	3.14	412.30	402.70	77.50	403.71	472.60

2007-08			2008-09			कुल			
जारी राशि	व्यय	31.3.07 तक अप्रयुक्त राशि	ब.अ.	जारी राशि	30.9.98 तक व्यय	जारी राशि	व्यय	अप्रयुक्त राशि	उपयोगिता की प्रतिशतता
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
137.63	14.83	309.94	186.28		18.48	331.79	40.33	291.46	12.16
64.13	11.31	97.78	46.68	33.89	9.93	188.87	67.13	121.74	35.54
5.36	2.95	41.27	10.59		7.00	51.80	17.53	34.27	33.84
122.05	35.49	132.97	17.50	2.21	10.50	174.32	49.64	124.68	28.48
66.47	29.66	113.97	60.51	1.22	32.33	146.70	63.84	82.86	43.52
152.24	102.8	220.52	135.71	61.40	22.39	432.49	172.96	259.53	39.99
107.43	36.50	161.71	82.55	34.06	20.77	267.71	92.71	175.00	34.63
266.36	132.00	319.43	126.85	55.49	166.02	530.47	321.57	208.90	60.62
417.21	82.80	663.30	373.02	33.68	104.54	822.18	229.74	592.44	27.94
34.09	13.59	52.19	19.02		6.50	67.55	21.86	45.69	32.36
1372.97	461.9	2113.07	1058.7	221.95	398.46	3013.88	1077.31	1936.56	35.75
13.24	18.98	25.37	9.36		6.86	54.36	35.85	18.51	65.95
322.31	335.1	223.21	227.90	170.93	117.66	774.67	498.19	276.48	64.31
14.92	13.43	28.67	20.38		8.43	42.92	22.68	20.24	52.84
23.22	9.71	37.69	19.72	6.32	5.30	56.27	17.57	38.71	31.22
8.95	28.48	14.82	7.69		7.48	47.38	40.04	7.34	84.51
18.08	21.71	13.39	17.04	16.78	11.78	65.30	46.91	18.39	71.83
23.67	2.47	41.37	4.68		1.58	44.97	5.19	39.79	11.53
38.06	8.46	43.26	27.40	20.55	9.51	75.50	21.20	54.30	28.08
462.45	438.3	427.78	334.17	214.58	168.60	1161.38	687.62	473.76	59.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग.	अधिक ध्यान न दिए जाने वाला राज्य							
19.	आंध्र प्रदेश	46.20	4.83	102.90	119.19	59.39	101.17	179.89
20.	गोवा	1.86	0.00	1.87	1.12	0.35	2.63	3.27
21.	गुजरात	46.38	0.35	68.89	93.63	25.37	114.29	120.42
22.	हरियाणा	23.50	1.12	28.75	34.32	2.23	54.47	50.25
23.	कर्नाटक	48.84	0.00	71.78	84.38	4.25	128.97	125.48
24.	केरल	25.26	0.00	43.37	44.60	0.52	69.35	75.82
25.	महाराष्ट्र	65.33	0.00	131.31	113.94	8.89	170.38	229.55
26.	पंजाब	24.37	1.95	33.00	42.41	5.15	59.68	57.68
27.	तमिलनाडु	31.63	8.68	84.19	97.93	27.34	93.55	147.19
28.	पश्चिम बंगाल	36.10	4.17	109.03	115.71	4.86	142.78	190.60
	उप-योग	349.48	21.10	675.09	747.22	138.3	937.24	1180.15
घ.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.49	0.00	0.51	0.63	0.05	2.07	0.89
30.	चण्डीगढ़	0.44	0.00	1.19	0.47	0.13	0.78	2.08
31.	दादरा और नगर हवेली	0.47	0.00	0.34	0.54	0.00	1.01	0.59
32.	दमन और दीव	0.59	0.00	0.27	0.67	0.06	1.20	0.48
33.	दिल्ली*	1.37	0.00	18.70	4.54	0.32	5.60	32.71
34.	लक्षद्वीप*	0.94	0.00	0.14	0.28	0.06	1.16	0.24
35.	पांडुचेरी	1.76	0.03	1.36	1.64	0.57	2.79	2.38
	अन्य				15.65			6.18
	उप-योग	7.06	0.03	22.51	24.42	1.18	14.62	45.55
	कुल योग	962.13	40.76	1943.18	2069.36	417.43	2557.65	3155.00

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
179.89	91.60	189.46	130.74	121.09	56.50	466.37	212.32	254.05	45.53
0.94	0.76	2.81	2.38		0.41	3.92	1.52	2.40	38.80
142.19	137.5	118.93	87.52	65.64	96.27	347.84	259.54	88.30	74.62
46.51	24.12	76.86	36.52	4.80	13.90	109.13	41.37	67.76	37.91
88.54	41.86	175.65	91.20	24.90	76.86	246.66	122.97	123.69	49.85
143.11	67.82	144.64	55.11	41.33	37.14	254.31	105.48	148.83	41.48
177.88	132.68	215.58	166.83	125.12	60.43	482.27	202.00	280.27	41.89
26.08	18.77	66.99	41.92		6.92	92.86	32.80	60.07	35.32
226.83	84.39	235.99	106.97	78.45	39.80	434.84	160.21	274.64	36.84
233.71	8.74	387.75	138.52	103.89	52.12	489.40	69.89	419.52	14.28
1265.68	608.2	1594.63	857.71	565.22	440.35	2927.61	1208.10	1719.50	41.27
3.97	0.60	5.44	0.65		0.36	6.09	1.01	5.08	16.59
1.77	0.09	2.46	1.51		0.19	2.68	0.41	2.27	15.30
0.12	0.73	0.40	0.43	0.43	0.10	1.56	0.83	0.73	53.27
0.00	0.31	0.89	0.35	0.50	0.12	1.76	0.49	1.27	27.63
23.23	0.28	28.55	23.77		0.00	29.14	0.60	28.55	2.05
0.00	0.01	1.15	0.17		0.15	1.22	0.22	1.00	17.92
2.55	0.87	4.47	1.73		0.47	5.95	1.94	4.00	32.64
17.23			5.80		0.00	33.81	0.00	33.81	
48.87	2.89	43.37	34.41	0.93	1.39	81.28	5.49	75.79	6.76
3149.97	1511.54	4178.85	2285.00	1002.68	1008.80	7184.14	2978.53	4205.61	

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में हिन्दी को बढ़ावा

2729. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों का विचार हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्रियाकलापों को रेखांकित करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित और खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) तथा उसकी सहायक कंपनियां राजभाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा देती है और सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग करती हैं

(ख) किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्नवत हैं:—

— सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करने के लिए अभयस्त किया जाता है।

— राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाती हैं तथा उक्त बैठकों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधान के बारे में चर्चा की जाती है।

— कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किया जाता है।

— हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाते हैं।

— सरकारी कामकाज में राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से हिन्दी पखवाड़ा/सप्ताह/माह आयोजित किए जाते हैं तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और विजेताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।

— अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

— शब्दकोश, सहायक पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें जैसे सहायक साहित्य उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों को आबंटित निधियों के वर्षवार ब्यौरे निम्नवत हैं:—

वर्ष	आबंटित निधियां (रुपए में)	किया गया व्यय (रुपए में)
2005-06	33,06,879/-	25,18,448/-
2006-07	39,33,885/-	27,10,478/-
2007-08	37,80,782/-	24,36,646/-
2008-09 (नवंबर तक)	41,41,552/-	30,13,633/-

[अनुवाद]

कुल कोयला भण्डार

2730. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का कुल कितना भण्डार है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रति वर्ष इसकी औसत खपत कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोयले की खपत कम की जा सके?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार 01.04.2008 को देश में कोयला संसाधन 264535 मिलियन टन है।

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान खपत प्रति वर्ष अर्थात उत्पादन निम्नवत है:—

क्र.सं.	वर्ष	*उत्पादन (मिलियन टन)
1.	2005-06	407.039
2.	2006-07	430.832
3.	2007-08 (अनंतिम)	456.397
4.	2008-09 (नवम्बर 08 तक)	292.80

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

रक्त संघटक थेरेपी को बढ़ावा देना

2731. डा. के.एस. मनोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) का विचार देश में रक्त संघटक थेरेपी (ब्लड कम्पोनेन्ट थेरेपी) को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "नाको" कम्पोनेन्ट सेपरेशन यूनिटों की स्थापना हेतु ब्लड बैंकों के लिए अनुदान सहायता मुहैया करा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के रक्त सुरक्षा संघटक के तहत पूरे रक्त के बजाय रक्त घटक के उपयोग का संवर्धन कर रही है। रक्त संघटक पृथक्करण एककों की स्थापना के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में तृतीयक परिचर्या अस्पतालों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। रक्त संघटकों के उपयोग के लिए इन अस्पतालों में चिकित्सकों के लिए राज्यों में रक्त और रक्त संघटकों के युक्तिमूलक उपयोग पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के रक्त बैंकों में ऐसे 103 सुविधा केन्द्र विद्यमान हैं और यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (2007-2012) के चरण-II के दौरान सभी रक्त बैंकों को चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के साथ संबद्ध कर दिया जाए।

(ग) और (घ) "रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण" योजना के तहत उपयोग और मानवशक्ति अर्थात् एक प्रयोगशाला तकनीशियन और एक परामर्शदाता के लिए एक बारगी उपकरण और वार्षिक आवर्ती अनुदान, रक्त संघटक पृथक्करण केन्द्रों सहित रक्त बैंकों को प्रदान किया जा रहा है।

मुंबई पत्तन पर अपतटीय कंटेनर टर्मिनल

2732. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई पत्तन पर प्रिंस विक्टोरिया गोदी पर नया अपतटीय कंटेनर टर्मिनल (ओ सी टी) बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ओ सी टी पर हैंडल किए जाने वाले पोतों का आकार क्या है;

(ग) जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जे सी पी) की वर्तमान क्षमता सहित इसके विस्तार हेतु प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितना लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) मुंबई पत्तन न्यास ने दो अपतटीय कंटेनर घाटों के निर्माण और बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर मुंबई बंदरगाह में एक कंटेनर टर्मिनल के विकास का प्रस्ताव किया है। ये घाट मुंबई बंदरगाह क्षेत्र में इंदिरा डॉक बंदरगाह की दीवार से 800 मीटर की दूरी के अपतट पर अवस्थित होंगे। ये घाट तट से एक पहुंच मचान (ट्रैसल) द्वारा जोड़े जाएंगे जो कि प्रिंस और विक्टोरिया डॉक्स के जंकशन से प्रारंभ होती है।

(ख) इस परियोजना में तट को जोड़ने वाली "वाई" आकार की पहुंच मचान से युक्त 700 × 58 मीटर के दो अपतटीय कंटेनर घाटों का निर्माण शामिल है, जिसमें उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कि क्वे साईड की 6 गैंट्री क्रेनें, 18 रबड़ के टायरों वाली क्रेनें और रेल कंटेनर डिपो के लिए दो रेल की पटरी पर सवार गैंट्री क्रेनें। इस परियोजना में 35 हैक्टेयर आकार का एक कंटेनर स्टैकिंग यार्ड विकसित किया जाना भी शामिल है। कुल निवेश 1228.39 करोड़ रु. है जिसमें से बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित कर दो के आधार पर कार्य करने वाले प्रचालक द्वारा किया जाने वाला निवेश 862.00 करोड़ रु. है और मुंबइं पत्तन न्यास द्वारा किया जाने वाला निवेश 366.39 करोड़ रु. है। इन प्रस्तावित घाटों की लंबाई 6000 टी ई यू के दो पोतों को एक साथ घाट पर लगाने के लिए पर्याप्त है।

(ग) जवाहरलाल नेहरू पत्तन की मौजूदा वार्षिक संभलाई क्षमता 3.6 मिलियन टी ई यू है। भविष्य में होने वाली यातायात की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पत्तन ने बनाओं, चलाओं और हस्तांतरित कर दो के आधार पर सरकार-गैर सरकारी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत विकास हेतु निम्नलिखित दो परियोजनाएं निर्धारित की हैं:—

(i) 600,000 टी ई यू प्रतिवर्ष की क्षमता से युक्त कंटेनर घाट का 330 मीटर विस्तार।

(ii) चौथे कंटेनर टर्मिनल और मैरीन रासायन टर्मिनल का दो चरणों में विकास।

गहरे डुबाव वाले जलयानों के लिए व्यापार की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए मुख्य बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू पत्तन जलमार्ग को गहरा और चौड़ा बनाया जाना भी प्रस्तावित है।

(घ) उपरोक्त विकास योजनाओं के साथ, जवाहरलाल नेहरू पत्तन को निम्नलिखित लाभ होंगे:—

(i) कंटेनर यातायात में 4.2 मिलियन टी ई यू प्रति वर्ष के मौजूदा स्तर की तुलना में वर्ष 2014-15 तक 10 मिलियन टी ई यू प्रतिवर्ष तक की बढ़ोत्तरी।

(ii) गहरे डुबाव की इस परियोजना से, इस समय संभाले जा रहे 12.5 मीटर के डुबाव वाले तीसरी पीढ़ी के कंटेनर जलयान की तुलना में यह पत्तन ज्वारीय अवसर के साथ 14.5 मीटर डुबाव तक वाले छठी पीढ़ी के कंटेनर जलयानों की संभलाई करने में सक्षम हो सकेंगे।

कार्यस्थल पर रोग

2733. श्री रेवती रमन सिंह :
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) और विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू ई एफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कार्यस्थल अनेक संचारी रोगों के कारक बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या से निपटने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार को गैर-संचारी रोगों के भार के बारे में जानकारी है। इन गैर-संचारी रोगों का मूल कारण अस्वस्थ जीवन शैली, तंबाकू, नशीले पदार्थ और जंक फूड का सेवन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के एक निष्कर्ष से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से कार्यस्थल को एक ऐसा उपयुक्त स्थान माना गया है यहां पर स्वास्थ्य संवर्धन और भोजन की समस्या का निवारण करने तथा ऐसे कार्यस्थल में शारीरिक क्रियाकलाप करने से कामगारों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आ सकता है।

(ग) इस वर्ष के प्रारंभ में 10 राज्यों में (प्रत्येक राज्य के एक जिले में) राष्ट्रीय मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात की रोकथाम कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण पहले से ही शुरू किया गया है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1660.50 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर घनी आबादी और निर्माण कार्यों का प्रभाव

2734. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ घनी आबादी और वाणिज्यिक निम्राण कार्य की वजह से यातायात प्रतिकूलतः प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या सफलता हासिल हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्गों पर घनी आबादी और वाणिज्यिक निर्माण कार्यों से यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस समय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कई खंड बार-बार सामने आते हैं। मंत्रालय का राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) से आगे के क्षेत्रों में ऐसे कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। मार्गाधिकार से आगे के क्षेत्र के लिए संबंधित राज्य सरकारें, नियंत्रण प्राधिकारी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि एवं यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2002 अधिनियमित कर दिया गया है और मंत्रालय ने मार्गाधिकार के अंदर आबादी को विनियमित करने के लिए राजमार्ग प्रशासकों की नियुक्ति की है। जहां कहीं भी घनी आबादी काफी दूर तक और विकट होती है वहां बाइपासों अथवा उत्थापित राजमार्गों का निर्माण कार्य भी प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है। आशा है कि किए गए उपर्युक्त उपायों से स्थिति में सुधार आएगा।

[अनुवाद]

प्रसव पूर्व चेक-अप

2735. **श्री के. सुब्बारायण :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व चेक-अप का राष्ट्रीय औसत कितना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आवधिक आधार पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जैसे बड़े पैमाने पर जनांकिकीय सर्वेक्षण करता है ताकि उसके विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके तथा आवश्यकता और कमी की पहचान की जा सके। तृतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस-III) वर्ष 2005-06 में किया गया था और इस सर्वेक्षण में माताओं की प्रसव पूर्व परिचर्या की सूचना भी एकत्रित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर 76.4 प्रतिशत महिलाओं ने कम से कम एक बार और 52.0 प्रतिशत महिलाओं ने 3 या उससे अधिक बार प्रसव पूर्व परिचर्या दौरा किया था। राज्यों में प्रसव पूर्व परिचया सेवाओं के उपयोग में व्यापक अंतर है। प्रसव-पूर्व जांच की गई महिलाओं के राज्य-वार प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत में वर्ष 2005-06 के दौरान पिछले पांच वर्षों में जीवित जन्म देने वाली उन महिलाओं की प्रतिशतता जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान अंतिम जन्म देने देंगे, प्रसव पूर्व परिचर्या प्राप्त की थी

राज्य	कम से कम एक बारगी प्रसव पूर्व परिचर्या दौरा करने वाली महिलाओं की प्रतिशतता	एक बार से अधिक प्रसव पूर्व परिचर्या दौरा करने वाली महिलाओं की प्रतिशतता
1	2	3
भारत	76.4	52.0
आंध्र प्रदेश	94.3	85.4
अरूणाचल प्रदेश	52.6	35.5
असम	70.7	39.3
बिहार	34.1	17.0
छत्तीसगढ़	88.5	52.2
दिल्ली	88.8	75.1
गोवा	97.3	94.9
गुजरात	86.7	67.5
हरियाणा	88.3	59.2
हिमाचल प्रदेश	86.4	62.6
जम्मू और कश्मीर	84.6	73.5
झारखंड	58.9	35.9
कर्नाटक	89.3	79.5
केरल	94.4	93.6
मध्य प्रदेश	79.5	40.7
महाराष्ट्र	90.8	75.1
मणिपुर	86.3	68.6
मेघालय	67.6	54.0
मिजोरम	74.3	59.3
नागालैंड	57.8	32.7
उड़ीसा	86.9	61.8
पंजाब	88.9	74.8
राजस्थान	74.9	41.2
सिक्किम	89.3	70.1
तमिलनाडु	98.6	95.9

1	2	3
त्रिपुरा	78.3	60.0
उत्तर प्रदेश	66.0	26.6
उत्तरांचल	69.4	44.5
पश्चिम बंगाल	91.9	62.0

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3.

अवैज्ञानिक कोयला खनन

2736. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज और आसनसोल कोलफील्ड्स के आसपास का विशाल क्षेत्र अवैज्ञानिक कोयला खनन की वजह से खतरनाक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन खानों में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) प्राय: भूतपूर्व स्वामियों के खण्डित छोटे खनन यूनिटों से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण से पूर्व की अवधि में उथली गहराई में नान-कोकिंग कोयले की बेहतर कोटि को पर्याप्त वैज्ञानिक आयोजना और सुरक्षा तथा संरक्षण का उचित ध्यान रखे बिना अन्धाधुन्ध खनित किया गया था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच मुख्य धंसाव की घटनाएं हुई हैं। धंसाव की घटनाएं ईसीएल के लीजहोल्ड क्षेत्रों तथा उसके बाहर दोनों में काफी समय से घटी हैं। सतह पर अधिकांश धंसाव पुराने परित्यक्त खान क्षेत्रों में हुआ है जहां भूतपूर्व खान स्वामियों द्वारा खदान कार्य किया गया था। सतह के नजदीक कुछ बचा कोयला, जिसे वैज्ञानिक रूप से निष्कर्षित नहीं किया जा सका, बदमाशों द्वारा अवैध रूप से उपयोग में लाया गया था। भूतपूर्व निजी खान स्वामियों द्वारा दिए गए अवैध खनन और गैर-वैज्ञानिक खनन के प्रभाव का परिणाम कई अस्थिर क्षेत्रों तथा रानीगंज कोलफील्ड के इर्द-गिर्द हुआ। कुछ मामलों में स्थानीय लोगों के निवास असुरक्षित क्षेत्रों पर निर्मित होने से धंसाव से प्रभावित हुए।

(ग) रानीगंज कोयला खानों में धंसाव तथा आग से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं—

(क) हाइड्रोन्यूमेटिक रेत भराई द्वारा घोषित असुरक्षित क्षेत्रों का स्थिरीकरण।

(ख) मिट्टी तथा रेत द्वारा धंसाव के क्षेत्रों को भरना और पौधे लगाना।

(ग) निमचा गांव के नजदीक हाल में लगी आग में वैज्ञानिक संस्था सीआईएमएफआर, धनबाद को गांव की ओर आग के फैलने का पता लगाने और गांव की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों का कार्य सौंपा गया है।

(घ) ईएमआरसी तथा कोयला संरक्षण और विकास क्रियाकलापों (सीसीडीए) की परियोजनाओं में धंसाव से प्रभावित लोगों का पुनर्वास।

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए रानीगंज कोलफील्ड हेतु सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) द्वारा तैयार की गई मास्टर/कार्य योजना भारत सरकार के अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है।

(च) आग वाले क्षेत्रों के जैविकीय पुनरुद्धार के क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:—

(i) दरारों को डोज करना, लेवलिंग करना तथा भरना

(ii) डोज क्षेत्रों के ऊपर 0.5 मीटर मोटी मिट्टी की परत डालना तथा बिछाना

(iii) छोटे-छोटे कई पूलों के विकास हेतु मिट्टी से आच्छादित क्षेत्र में बंध/पुश्ता लगाना।

(iv) इस प्रकार पुनरुद्धार किए गए क्षेत्रों में पौध लगाना।

[हिन्दी]

टेलीविजन पर रियलिटी शो हेतु दिशानिर्देश

2737. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'टैलेन्ट शो' के नाम पर विभिन्न चैनलों पर दिखाए जा रहे रियलिटी शो हेतु दिशानिर्देश बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे रियलिटी शो के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) इस संबंध में अलग से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं की वजह से वन्य जीवों की मौत

2738. श्री सुब्रत बोस :
श्री रनेन बर्मन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाली रेल लाइन पर अब तक कितने हाथी, चीतल और अन्य वन्य जीव रेलगाड़ियों का शिकार बने हैं;

(ख) क्या मंत्रालय ने हाथियों सहित वन्य जीवों की मौत को रोकने हेतु रेल मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस रेल लाइन को किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी मौतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रेन दुर्घटना में मारे गए वन्यजीवों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

क्र. सं.	दिनांक	प्रजातियां/लिंग
1.	22.11.2006	सांभर/नर
2.	27.11.2006	सांभर (मादा)
3.	08.03.2007	तेंदुआ (नर)
4.	21.11.2008	तेंदुआ बच्चा (मादा)

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेलवे और राज्य वन विभाग द्वारा संयुक्त-गश्ती की पहल करके दुर्घटना वश मौतों को प्रभावी रूप से कम किया है।

प्रदूषणकारी उद्योगों पर कर

2739. श्री रुपचन्द मुर्मू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा समन्वय समिति ने प्रदूषणकारी उद्योगों पर कर लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ग) ऊर्जा समन्वयन समिति को 27 जून, 2008 को आयोजित

10वीं बैठक में, उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह टिप्पणी की गई थी कि "नवीकरणीय ऊर्जा (आर ई) पहलों को बढ़ाने को वित्तपोषित करने के लिए कोयला, तेल आदि का उपयोग वाले पावर उत्पादन कर्त्ताओं पर कार्बन कर पर विचार किया जा सकता है"। तथापि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रसारण के लिए स्पैक्ट्रम

2740. श्री अबु अयीश मंडल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न टेलीविजन प्रसारण कम्पनियां स्पैक्ट्रम के कारण दबावों का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दबावों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) उपग्रह टेलीविजन प्रसारण कंपनियां इसरो, अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) से इनसैट प्रणालियों पर या इनसैट प्रणालियों के साथ समन्वित विदेशी उपग्रहों पर ट्रान्सपोंडर आबंटन को किराये पर ले सकती हैं। अंतरिक्ष विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उपग्रह-आधारित टी वी प्रसारण एवं केबल वितरण सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के कारण कोई अड़चनें नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया द्वारा ट्रायल

2741. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मीडिया ट्रायल की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिनमें जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा अपना कार्य पूरा करने अथवा आरोप पत्र दाखिल करने के पूर्व निर्णय दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यकलापों में शामिल निजी चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के कार्यक्रम को रोकने के लिए कोई विनियामक तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) ऐसे मामलों के बारे में मीडिया में रिपोर्टें आई हैं।

(ग) से (ङ) केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुनः प्रसारित टीवी चैनलों पर दिखाए गए सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों को केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करना होता है। सरकार ने केबल टैलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के विशिष्ट उल्लंघन की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति (आई एम सी) का भी गठन किया है। अंतर-मंत्रालयीय समिति स्व-प्रेरणा से अथवा शिकायतें प्राप्त होने पर उल्लंघनों की जांच करती है। तत्पश्चात, यह सरकार को अपनी सिफारिशें देती है जिसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा संहिताओं के प्रावधानों को अधिक विशिष्टता प्रदान करने के लिए केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मौजूदा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने दिनांक 5.3.2008 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है जोकि "स्व-विनियमन दिशा-निर्देश 2008" शीर्षक से मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

चलचित्रों की स्क्रीनिंग के संबंध में शिकायतें

2742. श्री संजय धोत्रे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न चलचित्रों की स्क्रीनिंग के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में किन-किन चलचित्रों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार/केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या में कमी

2743. श्री जीवाभाई ए. पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसका कंपनी वार ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

(घ) क्या कुछ कंपनियों ने अनुकम्पा आधार पर महिला अभ्यर्थियों को नियोजित करना बंद कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ये कंपनियां इन महिला अभ्यर्थियों को रोजगार प्रदान करें?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) जी, नहीं। कोई विशेष कटौती नहीं की गई है। तथापि, सेवानिवृत्ति, मृत्यु और किसी अन्य कारण की वजह से कुल जनशक्ति में कटौती हुई है तथा तदनुसार महिला कामगारों की संख्या भी घटी है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता (एनसीडब्ल्यूए) के प्रावधान के अनुसार अनुकम्पा आधार पर रोजागर दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

निजी टीवी चैनलों के संबंध में ट्राई की सिफारिशें

2744. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने राजनीतिक दलों तथा धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले टेलीविजन (टीवी) चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 12.11.2008 को अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं जिनमें उसने, अन्य बातों के अलावा, राज्यों, राजनीतिक/धार्मिक निकायों को प्रसारण एवं वितरण सेवाओं में प्रवेश करने की अनुमति न देने के मौजूदा नीतिगत ढांचे को जारी रखने की सिफारिश की है। तथापि, उन्होंने सिफारिश की है कि राजनीतिक निकायों को लोक सेवा प्रसारक के प्रसारण समय में उचित समय सुलभ कराने की अनुमति दी जाए। कतिपय श्रेणी के निजी चैनलों को भी विशेषकर संसद और राज्य विधान सभा के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को उचित प्रसारण समय सुलभ कराने के लिए विधिक दायित्वों के अधीन लाया जाए।

इसी प्रकार से ट्राई ने सिफारिश की है कि प्रसारण कार्यकलापों में धार्मिक निकायों के प्रवेश की अनुमति न दी जाए। विस्तृत सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट *www.trai.gov.in* पर उपलब्ध हैं। ट्राई की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

विदेश में रहने वाले भारतीयों पर आर्थिक मंदी का प्रभाव

2745. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वैश्विक आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप काफी संख्या में अन्य देशों में काम करने वाले भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को वापस भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मंदी के आरंभ होने के पश्चात् अन्य देशों से कितने भारतीयों को वापस भेजा गया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति

2746. श्री किरिप चालिहा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्वास्थ्य परिचर्या योजनाओं के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी स्तरों पर कार्यक्रम योजना, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता बनाने का कार्य किया गया है। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सभी स्तरों पर सभी कार्यक्रमों में मुख्य कौशलों को प्रदान करने पर बल दिया गया है। यह सहायता महसूस की गई आवश्यकता के अनुसार दी गई है जिसे राज्यों द्वारा उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल किया गया है। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी इस पहल के भाग के रूप में तैनात किया गया है। ये विशेषज्ञ संबंधित जिलों और राज्यों की कमियों को दूर करने और जानपदिक रोग विज्ञान की स्थिति से निपटने के लिए संसाधन की मैपिंग करने, महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने और विकेन्द्रीकृत योजनाओं को तैयार करने में खंडों और जिलों की सहायता करते हैं। वे विभिन्न कार्यनीतियों का कार्यान्वयन और परिणामों की मॉनीटरिंग भी करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जन स्वास्थ्य प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए सहायता भी दी जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम प्रबंधन एकक, जिसमें प्रबंधन लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं, ने विभिन्न कार्यक्रम क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए जिलों और खंडों की क्षमता को बढ़ाया है जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बनता है। कई राज्यों ने भी जन स्वास्थ्य अवसंरचना के बेहतर प्रबंधन के लिए वास्तुकार, जनस्वास्थ्य संवर्ग के प्रबंध के लिए मानव संसाधन प्रबंधन और कार्यक्रम की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करने में सहायता देने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों के विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। इन कौशलों से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पर्याप्त सुधार हुए हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य की प्राप्ति में तेजी आई है।

[हिन्दी]

पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम

2747. श्री बापू हरी चौरे : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों ने पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम का कार्यान्वयन किया है और किन-किन राज्यों ने इसका कार्यान्वयन नहीं किया है; और

(ख) उक्त अधिनियम का कार्यान्वयन नहीं करने वाले राज्यों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 24 दिसम्बर, 1996 को पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) को उपबंधों को अधिनियमित किया गया था। तदुपरांत, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले 9 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान ने पी.ई.एस.ए. अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अपने-अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया। इस प्रकार सभी संबंधित 9 राज्यों ने पंचायती राज अधिनियमों तथा अपने राज्यों के कतिपय नागरिक विधानों में संशोधन के माध्यम से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम को कार्यान्वित किया है। पी.ई.एस.ए. के कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में राज्यों से प्राप्त विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर एक ब्यौरा तैयार किया गया है, जो संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पी ई एस ए के संगत प्रावधान	राजस्थान	आंध्र प्रदेश	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	महाराष्ट्र	झारखंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. राज्य में पी ई एस ए ब्लॉकों में 'स्वाभाविक ग्राम' की परिभाषा क्या है?	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1999 के मुताबिक 'ग्राम' का मतलब सरकारी राजपत्र में राज्यपाल की अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट गांव से है।	आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक एक गांव में सामान्यतया वास या वासों का समूह या पुरवा या पुरवों का समूह होता है जिसमें एक समुदाय या अनेक समुदाय अपनी परंपराओं व रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं।	स्वाभाविक गांव की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन राजस्व ग्राम बहुत हद तक स्वाभाविक ग्राम अथवा फालिया हैं।	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक गांव में सामान्यतया वास या वासों का समूह या पुरवा या पुरवों का समूह होता है जिसमें एक समुदाय या अनेक समुदाय अपनी परंपराओं व रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं।	मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक 'ग्राम' का अर्थ अनुसूचित 'क्षेत्रों में सामान्यतया ऐसा गांव है जिसमें सामान्यतया वास या वासों का समूह या पुरवा या पुरवों का समूह होता है जिसमें एक समुदाय या अनेक समुदाय अपनी परंपराओं व रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं।	छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक गांव में सामान्यतया वास या वासों का समूह या पुरवा या पुरवों का समूह होता है जिसमें एक समुदाय या अनेक समुदाय अपनी परंपराओं व रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं।	अनुसूचित क्षेत्रों में एक ग्राम (गांव) में सामान्यतया वास या वासों का समूह या पुरवा या पुरवों का समूह होता है जिसमें एक समुदाय या अनेक समुदाय अपनी परंपराओं व रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करते हैं।	'ग्राम' या 'ग्राम के समूह' का अर्थ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड(जी) के तहत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट गांव या गांवों के एक समूह, जैसा भी मामला बनता हो, है।	एक गांव का अर्थ है अनुसूचित क्षेत्रों का कोई भी ऐसा गांव जिसमें सामान्यतया वास होता है या वासों का समूह होता है अथवा एक टोला अथवा टोलों का एक समूह होता है जिसमें ऐसे समुदाय रहते हैं जो अपने रीति-रिवाजों व चलनों के अनुसार अपनी गतिविधियों को प्रबंधित करते हैं।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जाने से पहले सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों का कौन अनुमोदन करता है?	सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए योजनाओं व कार्यक्रमों को कार्यान्वित किए जाने से पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त किया जाना जरूरी होता है।	ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन हेतु योजनाओं, कार्यक्रमों को लिए जाने से पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐसी योजनाओं को अनुमोदित करेगी।	ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन हेतु योजनाओं, कार्यक्रमों को लिए जाने से पूर्व प्रत्येक ग्राम सभा सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐसी योजनाओं को अनुमोदित करेगी।	अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा सामाजिक विकास की योजनाओं कार्यक्रमों व परियोजनाओं को कार्यान्वयन से पूर्व ग्राम सभा अनुमोदित करती है।	ग्राम सभा	अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा सामाजिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं को कार्यान्वयन से पूर्व ग्राम सभा अनुमोदित करती है।	ग्राम सभाएं पल्ली सभा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा ग्राम पंचायत को निष्पादन के लिए संस्तुत किया जाता है, का अनुमोदन करती है।	सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।	कार्यक्रमों व परियोजनाओं के कार्यान्वयन से पूर्व ग्राम सभा ग्राम पंचायत से संबंधित सभी वार्षिक योजनाओं सहित सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमोदित करती है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए कौन अधिकार प्राप्त है?	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा	ग्राम सभा
4. क्या ग्राम सभा प्रोग्राम फंडों के खर्च के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जारी करती है? यदि नहीं, तो ग्राम स्तर के कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कौन सक्षम प्राधिकारी है?	उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सरपंच व ग्राम सेवक तथा संबंधित कार्यपालक अभिकरण द्वारा जारी किया जाता है।	प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा से योजनाओं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों की उपयोगिता प्रमाण को प्राप्त करेगी।	ग्राम स्तर के कार्यों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के वास्ते सरपंच सक्षम प्राधिकारी हैं।	ग्राम सभा	जी हां, उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा के संकल्प के आधार पर जारी किया जा रहा है।	जी हां, ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा द्वारा संकल्प जारी करने के बाद उसके आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को जारी किया जा रहा है।	जी नहीं, ग्राम स्तर के कार्य के लिए निधि की उपयोगिता को ग्राम पंचायत जारी करेगी।	ग्राम पंचायत के लिए ग्राम सभा से निधियों की उपयोगिता के प्रमाण पत्र को प्राप्त किया जाना आवश्यक है।	ग्राम पंचायत द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के लिए निधियों के उपयुक्त प्रयोग के निर्धारण व पुष्टि का कार्य ग्राम सभा का है।
5. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए क्या वैधानिक प्रावधान हैं? क्या आरक्षित सीटों की संख्या जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित की जाती है?	पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण अनुपातिक रूप से किया जाता है। अनुसूचित जन-जातियों के लिए कुल स्थानों के 50 प्रतिशत का आरक्षण है।	अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा मंडल परिषद में स्थानों का आरक्षण ग्राम पंचायत अथवा मंडल परिषद में समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। कुल स्थानों की संख्या में से कम-से-कम आधी सीटें अनूसूचित जन-	सभी तीन स्तरों पर अनुसूचित जन-जातियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।	अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति में सीटों का आरक्षण उस ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति में समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा।	जी हां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल आबादी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है।	अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाती है।	सदस्यों की सीटों के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित की जाती हैं तथा शेष सीटें अन्य समुदायों के लिए आरक्षित की जाती हैं जिसमें जनसंख्या में प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं।	स्थानों को आनुपातिक रूप में आरक्षित किया जाता है।	अनुसूचित जन जातियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं तथा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटें आबादी में उनके अनुपात में आरक्षित किया जाता है और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		जातियों के लिए आरक्षित हैं।							को मिलाकर 80 प्रतिशत के समग्र आरक्षण की सीलिंग के शर्ताधीन है।
6. क्या पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के स्थान अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित हैं?	अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अध्यक्षों का पद अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित है?	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सरपंचों तथा मंडल परिषद के प्रेसिडेंटों की सभी सीटें अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित होंगी।	जी हां।	जी हां।	जी हां।	जी हां। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों के लिए पंचायतों में सभी स्तरों पर अध्यक्षों के स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित होते हैं।	जी हां।	जहां भी आबादी में जन जातियों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होती है, अध्यक्ष के पद को अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित किया जाता है।	पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पद अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं।
7. क्या अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं में भूमि के अर्जन से पूर्व ग्राम पंचायतों से परामर्श किया जाता है? इस प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए किस अभिकरण को प्राधिकृत किया गया है?	जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया गया है ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाओं से परामर्श किया जाना होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में वास्तविक योजनाओं के निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन किए जाने से पूर्व मंडल परिषद से परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में वास्तविक योजनाओं के निर्माण तथा उनके कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।	किसी भी विकास परियोजना के लिए तालुका में स्थित भूमि के अर्जन से पूर्व तालुका पंचायत से परामर्श किया जाएगा।	विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अर्जन किए जाने से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं का वास्तविक योजना-करण व उसके कार्यान्वयन को राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।	जी हां, ग्राम सभा से परामर्श किया जाता है।	विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जन जातियों के क्षेत्रों में भूमि के अर्जन से पूर्व ग्राम पंचायतों से परामर्श किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाओं के समन्वय के लिए त्रि-स्तरीय पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है।	जिला परिषद् से पूर्व परामर्श के बिना कोई-भूमि अर्जन नहीं किया जाएगा।	किसी भी विकास परियोजना के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अर्जन से पूर्व ग्राम पंचायतों से आवश्यक तौर पर परामर्श किया जाना होता है। तथापि, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना कोई भी ग्राम पंचायत भूमि अर्जन प्राधिकारी को अपना मत नहीं व्यक्त करेगी बहुत सारे वैसे विभाग जिन्हें कार्य/ परियोजनाएं सौंपी गई है उनसे	झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में कोई प्रावधान नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								विकास कार्यों को समन्वित करने की अपेक्षा रखी जाती है।	
8. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों की आयोजना व प्रबंधन किन्हें सौंपा गया है? यदि पंचायती राज संस्थाओं को किया गया है तो क्या निधियों (रख-रखाव के लिए) व स्टाफ कर्मियों का अंतरण भी किया गया है?	जी हां, लघु जल स्रोतों के 80 से 300 हेक्टेयर तक प्रबंधन को सिंचाई विभाग से पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया है तथा विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों को लगाया गया है? उनके वेतन व भत्ते का पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भुगतान किया जा रहा है।	अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों की निर्धारित किए गए तरीके से आयोजना व प्रबंधन को ग्राम पंचायत व मण्डल परिषद् अथवा जिला परिषदों, जैसा भी मामला बनता हो, को सुपुर्द किया जाएगा।	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को लघु जल स्रोतों की आयोजना व प्रबंधन का कार्य सुपुर्द किया गया है।	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को लघु जल स्रोतों की निर्धारित किए गए तरीके से आयोजना व प्रबंधन का कार्य ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों अथवा जिला परिषद् जैसा भी मामला बनता हो, को सुपुर्द किया जाएगा।	ग्राम सभा	छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों की आयोजना व प्रबंधन को ग्राम सभा को सुपुर्द किया गया है।	जिला परिषद् को लघु जल स्रोतों की योजना बनाने व प्रबंध करने के लिए अधिकारी दिए गए हैं।	ग्राम सभाओं से लघु जल स्रोतों जैसे कि गांव के तालाबों, अन्त: स्रवण तालाबों, लघु सिंचाई परियोजनाओं इत्यादि की योजना बनाने व उनका प्रबन्धन करने की प्रत्याशा की जाती है।	ग्राम सभा
9. अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस व खनन पट्टों के अनुमोदन के बारे में राज्य पंचायत अधिनियम व सब्जेक्ट एक्ट में क्या विधयी प्रावधान हैं?	अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह जैसे ग्राम सभा अथवा पंचायती राज संस्थाएं अधिनियम में विहित तरीकों से, बिना पूर्व लाइसेंस अथवा पूर्व सिफारिश के, खनन का पट्टा स्वीकृत नहीं करेंगे।	नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत के लिए विहित रूप से ग्राम पंचायत की सिफारिशों को अनुमोदन हेतु विचारार्थ लिया जाएगा।		अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस अथवा खनन पट्टे के अनुमोदन से पहले ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।	नियम में संशोधन किया गया है एवं ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है।	छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 ग्राम पंचायतों को निम्नांकित अधिकार प्रदान करता है:— (1) खनन क्षेत्र का अभिनिर्धारण (2) लाइसेंस/खनन पट्टे को दिए जाने पर विचार हेतु ग्राम पंचायत की राय लेना। (3) पट्टे पर दिए	गौण खनिजों के लाइसेंस व दोहन एवं गौण खनिजों के लिए पट्टे के लिए जिला परिषद् से अनुमोदन की जरूरत होगी।	अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों हेतु संभावित लाइसेंस अथवा खनन पट्टे के अनुमोदन हेतु अनिवार्य रूप से ग्राम सभा से परामर्श किया जाना होता है।	झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
	इस संबंध में खान विभाग ने भी दिनांक 12.4.2002 को अधिसूचना जारी की है।					गए व खनन क्षेत्र से संबंधित खातों की जांच व छान-बीन (4) खनिजों के गैर-कानूनी रूप से परिवहन के मामले में पंचायतों को यह अधिकार है कि वह संपत्ति को जब्त करने हेतु कार्रवाई कर सकती है, दंड आरोपित करने तथा खनिजों की जब्ती का अधिकार भी रखती है।			
10. क्या पी ई एस ए क्षेत्रों में किसी मादक द्रव्य की बिक्री व उपयोग पर रोग लगाने अथवा इसे विनियमित करने अथवा प्रतिबन्धित करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न किया गया है? कौन सी प्रणाली विद्यमान है?	अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के बिक्री व उपभोग पर रोक लगाने अथवा इसे विनियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने हेतु प्राRूपित नियमों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के स्तर अथवा ग्राम सभा स्तर को जो भी विहित हो, अधिकृत किया गया है।	ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा जो भी इस मामले में लागू हो, किसी मादक द्रव्य की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने अथवा इसे विनियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने के संबंध में विहित रूप में व उस व्याप्ति तक ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी व किसी प्रकार्यों का निष्पादन करेगी।	पूरा गुजरात मद्य-निषेध अधिनियम के अन्तर्गत कवर होता है।	गाम पंचायतों को किसी मादक द्रव्य की बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने अथवा इसे विनियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने हेतु अधिकृत किया गया है।	अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को कुछ शर्तों के अधीन अपना शराब बनाने हेतु अधिकृत किया गया है।	छत्तीसगढ़ के पी ई एस ए क्षेत्रों में मादक द्रव्यों की बिक्री व उपभोग पर रोक लगाने अथवा उसे विनियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने हेतु ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है।	अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को मादक द्रव्यों की उत्पादन, बिक्री व उपयोग पर रोक लगाने एवं विनियमन करने एवं प्रति-बंधित करने हेतु अधिकृत किया गया है।	मद्यनिषेध लागू करने के लिए ग्राम सभा को मादक द्रव्यों के उपभोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का निर्णय करना होता है।	झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद के स्वामित्व की स्थिति क्या है? यदि एक लघु वन उत्पाद फेडरेशन है तो क्या मुनाफा सहकारी रूप से ग्राम सभा/ग्राम पंचायतों अथवा पण-धारियों को जाता है? इस संबंध में क्या अनुभव हैं?	अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद पर नियंत्रण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो, पंचायती राज संस्थाओं अथवा ग्राम सभा को होगा।	ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा, जो भी मामला बनता हो, लघु वन उत्पादक के स्वामित्व के संबंध में विहित तरीके से अथवा व्याप्ति तक ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगी या प्रकार्यों को निष्पादित करेगी।	लघुवन उत्पादों से संबंधित सभी गतिविधियों अर्थात् संग्रहण, विपणन व व्यापार को त्रिस्तरीय पंचायतों को सुपुर्द किया गया है। लघु वन उत्पाद गांव के स्तर पर संग्रहित, तालुका व खंड स्तर पर भंडारित तथा जिला स्तर पर विपणित व व्यापार किया जाता है। सभी जिला पंचायतों को प्रशासनिक सहायता दी जाती है।	लघु वन उत्पादों का स्वामित्व पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया है, तथापि 37 किस्मों के संबंध में संबंधित पंचायत में वन से संग्रहित लघु वन उत्पाद के परिवहन के लिए पास जारी करने हेतु ग्राम पंचायतों के प्रधान वन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं।	स्वामित्व ग्राम सभा के पास है। एक लघु वन उत्पाद फेडरेशन है जो संबंधित व्यक्तियों से राष्ट्रीयकृत लघु वन उत्पाद की बिक्री से जमा की गई राशि को देता है।	राज्य के को-ऑपरेटिव एक्ट के तहत राज्य में लघु वन उत्पाद फेडरेशन की स्थापना की गई है। लाभांश व बोनस शेयर धारियों में वितरित कर दिया जाता है, तेंदू पत्ता का संग्रहण शुल्क पत्तियों को संग्रहित करने वाले जनजातीय लोगों में वितरित कर दिया जाता है। अनुभव संतोषजनक है।	अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद का स्वामित्व ग्राम पंचायत में निहित है। तद्नुसार, लघु वन उत्पाद के 68 मदों के उत्पादों के व्यापार को विनियमित करने हेतु उसे ग्राम पंचायतों के नियंत्रण के तहत लाया गया है।	यद्यपि बम्बई ग्राम एवं पंचायत अधिनियम, 1958 के खण्ड 54 ए (फ) के तहत यह प्रावधान है कि लघु वन उत्पाद पर स्वामित्व ग्राम पंचायत का होगा एवं यह कि उनका ग्राम पंचायत द्वारा प्रबंध किया जाएगा परन्तु महाराष्ट्र में यह नहीं हो रहा है क्योंकि ग्राम पंचायतें लघु वन उत्पाद के संग्रहण व बिक्री को नियंत्रित करने हेतु वित्तीय रूप से पर्याप्त रूप में अब तक सशक्त नहीं हैं। महाराष्ट्र में, जनजातीय विकास कार्पोरेशन को 33 लघु वन उत्पाद को खरीदने, संग्रहण करने व बिक्री करने का कार्य सौंपा गया है। टी एस पी क्षेत्र में सभी ग्राम पंचायतों की ओर से ग्रामीण विकास विभाग की,	झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

								अनुमति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है, ली गयी है। यह इसलिए भी किया गया है कि महाराष्ट्र जनजातीय आर्थिक स्थिति (सुधार) अधिनियम, 1976, जो टी डी सी को लघु वन उत्पाद के सभी 33 आइटमों का एकाधिकार अधिकृत करता है।	
12. अनुसुचित क्षेत्रों में अवैधानिक तरीके से अनुसूचित जन जातियों की भूमि के विलगन को पुनर्स्थापित किए जाने में ग्राम सभाओं की क्या भूमिका है?	राज्य में विद्यमान विधान के तहत पंचायती राज संस्थाएं या ग्राम सभाएं उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिकार प्राप्त हैं।	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के विलगन के संबंध में ग्राम पंचायत या जैसा भी मामला बनता हो, ग्राम सभा इस प्रकार की शक्तियां प्रत्यायित करेंगी या इस प्रकार के कार्य इस तरीके से इस व्याप्ति के साथ निष्पादित करेंगी जो उसके संबंध में निर्धारित किया गया हो।	अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जन जाति के अवैधानिक तरीके से किसी विलगित भूमि को जिला पंचायत को पुनर्स्थापित करना है।	हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण (नियोजन) अधिनियम 1968 की धारा 3 में यह उपबंधित है कि अनुसूचित जन जाति का कोई भी व्यक्ति किसी भी भूमि के अपने हितों, जिसमें निर्मित भवन भी शामिल हैं, को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उस जन जाति	ग्राम सभा को अधिकार प्राप्त बनाने के लिए लैंड रेवेन्यू कोड 1959 को संशोधित किया गया है।	ग्राम सभा के पास छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के विलगन को रोकने तथा अनुसूचित जन जातीय लोगों की अवैधानिक तरीके से विलगित भूमि को पुनर्स्थापित करने में उपयुक्त कदम उठाने की शक्ति है।	अनुसुचित क्षेत्रों में जनजातीय व्यक्ति के अवैधानिक तरीके से विलगित भूमि के पुनर्स्थापन का काम ग्राम सभा के नियंत्रण व पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है।	महाराष्ट्र ने निम्नलिखित दो विधानों (i) लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1974 तथा (ii) रेस्टोरेशन ऑफ ट्रायबल्स एक्ट, 1976 को पारित किया है। ऊपर उल्लिखित दोनों विधानों में जैसा कि उपबंधित है कि जन जातीय लोगों की भूमि को गैर जन जातीय लोगों	झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				का हो, को छोड़कर राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरित नहीं कर सकता और बतर्शे कि राज्य सरकार ने इस प्रकार की अनुमति देने से पूर्व ग्राम सभा या पंचायतों से उपयुक्त स्तर पर परामर्श किया हो।				को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और यदि वह 1974 से पूर्व हुआ है तो उसे आवश्यक रूप से उसके जन जातीय मालिक को स्थापित किया जाना चाहिए। अपवादात्मक मामलों में यदि उसे गैर जनजातीय को लीज पर दिया गया है तो कलक्टर/राज्य सरकार की अनुमति अधिदेशात्मक है।	

[अनुवाद]

तमिलनाडु में परमाणु विद्युत रिएक्टर

2748. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग से कुडनकुलम में बनाए जाने हेतु प्रस्तावित दो परमाणु विद्युत रिएक्टरों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन नए संयंत्रों के लिए संवर्धित यूरेनियम प्राप्त करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) 1000 मेगावाट-ई क्षमता वाले दो नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों पर कार्य, मार्च, 2002 में तमिलनाडु में कुडनकुलम नामक स्थान पर शुरू किया गया था। इस परियोजना की स्थापना, रूसी परिसंघ के तकनीकी सहयोग से की जा रही है। इस परियोजना के संबंध में 85% वास्तविक प्रगति हासिल कर ली गई है।

(ख) पूरे जीवन-काल के लिए ईंधन की आपूर्ति की निश्चित गारंटी है। ईंधन की पहली खेप स्थल पर प्राप्त की जा चुकी है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम

2749. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान जारी की गई तथा उपयोग की गई ऐसी राशि का राज्य-वार नदी वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत राशि जारी करने का मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को आबंटित राशि की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों के पास अप्रयुक्त पड़ी राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत प्रदूषण उपशमन कार्यों का निष्पादन राज्यों द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के बीच लागत हिस्सेदारी आधार पर किया जाता है। प्रदूषण उपशमन हेतु किए गए कार्यों में मलजल शोधन संयंत्रों में शोधन के लिए मलजल को रोकना और उसका डायवर्शन करना, अल्प लागत शौचालय, विद्युत और/अथवा उन्नत काष्ठ शवदाहगृह, नदी मुहाना विकास कार्य, जन सहभागिता और जागरुकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्वीकृत व्यापक परियोजना रिपोर्टों तथा शुरू किए गए कार्यों की समग्र प्रगति को ध्यान में रखते हुए योजना हेतु एक मुश्त बजट आवंटित किया जाता है। पछले तीन वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	करोड़ रु.
2005-06	297.20
2006-07	275.92
2007-08	256.69
2008-09	249.00

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों में पहचाने गए नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों के लिए जारी धनराशि का विवरण और वहन किए गए व्यय की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (च) एनआरसीपी के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों के क्रियान्वयन अभिकरणों को समय-समय पर आवृत्ति अनुदानों के रूप में सीधे ही प्रदान की जाती है। सूचित कार्यों की प्रगति के अनुरूप धन जारी किया जाता है। आगे धन जारी करते समय पूर्व में जारी किए गए धन के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, किए गए व्यय और अभिकरणों के पास उपलब्ध शेष धन को ध्यान में रखा जाता है। इस बात पर विचार करते हुए कि धन को आवृत्ति अनुदानों के रूप में चरणों में जारी किया जाए, धनराशि की अगली किस्त की प्राप्ति तक परियोजना के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए कुछ धनराशि सामान्यत: कार्यान्वयन अभिकरण के पास रहती है। पिछले तीन वित्त वर्षों (वर्ष के 31 मार्च तक) के दौरान राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों के पास उपलब्ध शेष धनराशि का विवरण इस प्रकार है:—

वर्ष	करोड़ रु.
2005-06	43.86
2006-07	75.78
2007-08	49.11

केन्द्र और राज्य स्तर पर एक बहुस्तरीय मानीटरिंग तंत्र द्वारा नीतिगत मुद्दों, कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। राज्यों में कार्यों की प्रगति की तेजी के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा स्थल दौरों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ नजदीकी समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। केन्द्र स्तर पर, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की संचालन समिति कार्यक्रम के क्रियान्वयन की नियमित मानीटरी करती है। राज्यों को नियमित बैठकों के माध्यम से विभिन्न विभागों/अधिकरणों की गतिविधियों में क्रियान्वयन स्तर पर सहयोग करने और भूमि अधिग्रहण, विद्युत आपूर्ति, संसाधन जुटाने आदि से संबंधित इन्टर-सेक्टोरल मुद्दों को हल करने की सलाह दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा सूचित किए गए व्यय सहित केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई निधियों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा*

(लाख रुपये में)

राज्य	नदी	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		जारी की गई धनराशि	व्यय	जारी की गई धनराशि	व्यय	जारी की गई धनराशि	व्यय	जारी की गई धनराशि (नवंबर, 08 तक)	व्यय (अगस्त, 08 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी और मूसी	52.00	76.60	47.85	65.24	67.96	79.20	26.87	35.21
बिहार	गंगा	0.34	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	यमुना	1.00	0.00	26.50	0.00	14.87	24.78	31.10	0.00
गोवा	मनदोवी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
गुजरात	साबरमती	0.00	5.22	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	यमुना	4.24	5.09	7.77	4.53	3.15	9.95	13.60	5.66
झारखंड	दामोदर गंगा और सुबनरिखा	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00
कर्नाटक	भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, तुगा पीनारा	5.80	11.91	0.00	2.96	2.75	0.00	2.25	0.00
केरल	पांबा	0.00	0.00	0.00	1.37	1.00	0.09	1.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	बेतवा, ताप्ती, वेणगंगा, खान, नर्मदा, शिप्रा, बिहार और चम्बल	2.00	5.61	4.15	2.57	6.75	0.54	3.35	1.24
महाराष्ट्र	कृष्णा और गोदावरी	10.70	8.54	10.09	13.46	5.21	5.24	0.00	0.00
नागालैण्ड	दिफू और धनश्री	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उड़ीसा	ब्रह्माणी और महानदी	8.25	10.41	11.04	14.28	7.06	7.90	5.02	7.12
पंजाब	सतलुज	12.74	26.63	15.35	32.71	44.30	34.70	0.00	6.77
राजस्थान	चम्बल	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	रानीछू	1.66	0.04	5.05	8.05	4.79	0.00	2.63	6.54
तमिलनाडु	कावेरी, अडयार, कूम, वेनार, वागई और तम्बारानी	103.07	238.25	82.72	102.93	18.40	27.78	6.75	0.00
उत्तर प्रदेश	यमुना, गंगा और गोमती	16.78	25.57	38.65	50.05	37.66	56.64	74.75	78.54
उत्तराखण्ड	गंगा	4.50	1.59	8.25	1.72	3.37	3.84	1.00	1.89
पश्चिम बंगाल	गंगा, दामोदर और महानंदा	48.48	37.03	18.00	23.38	23.70	21.06	19.60	10.14
जोड़		277.24	452.52	275.49	323.25	241.92	271.99	187.92	153.11

*राज्यों द्वारा किया गया व्यय (राज्य के हिस्से सहित)

आतंक-रोधी तंत्र

2750. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री प्रबोध पाण्डा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने डिपार्टमेंट ऑफ यू.एस. होमलैंड सेक्युरिटी के साथ अमरीकी आतंक-रोधी तंत्र पर विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ व्यापक मुद्दों पर सरकार की बातचीत के भाग के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के क्षेत्र में अमरीकी प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की है।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का भारत दौरा

2751. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में भारत का दौरा किया है जैसा कि दिनांक 12 अक्तूबर, 2008 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, श्री महमूद अली दुर्रानी ने 13-14 अक्तूबर, 2008 को भारत की यात्रा की थी।

(ख) और (ग) चर्चाओं में क्षेत्रीय स्थितियों सहित आपसी हित और रूचि के सभी मुद्दे शामिल थे।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों पर हमला

2752. **श्रीमती पी. सतीदेवी :**
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों पर हमले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) ब्यौरे विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों से एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

गधुली-सन्तालपुर सड़क की स्थिति

2753. **श्री मधुसूदन मिस्त्री :**
श्री हरिन पाठक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गुजरात में गधुली-सन्तालपुर सड़क के निर्माण/सुधार के लिए राशि स्वीकृत किए जाने के बारे में 16 अप्रैल, 2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3468 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा 127.16 करोड़ रुपए की राशि पर विचार किया गया/इसे स्वीकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत एवं मंजूर किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय, मुख्यतः, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। गधुली-सन्तालपुर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। गधुली-सन्तालपुर सड़क के लिए राज्य सरकार का 127.16 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, राज्य सरकार को संशोधन के लिए वापस कर दिया गया था। 165.83 करोड़ रु. का संशोधित प्रस्ताव अब प्राप्त हो चुका है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं

2754. **श्री रनेन बर्मन** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी कोयला खानों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कोयला खानों की सुरक्षा पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ग) कोयला खानों में आग लगने की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की 43 कोयला खानों में आग की 52 घटनाएं और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) की 5 कोयला खानों में आग की 5 घटनाएं हुईं। कोयला खानों में आग के कारण निम्नानुसार हैं:—

कोयला खान में आग का मूल कारण कोयले का स्वतः तापन अथवा आटो-आक्सीडेसन है, जो खनन प्रचालन के दौरान, हवा लगते ही आरंभ हो जाता है। जब कोयले के आक्सीडेसन की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ताप का पर्याप्त दर में क्षय नहीं होता है तो ताप में वृद्धि हो जाती है। ताप में यह वृद्धि होने से, आक्सीडेसन की दर में वृद्धि हो जाती है, जिससे और अधिक ऊष्मन ताप उत्पन्न होता है और अंततः आग लग जाती है इसे कोयले का स्वतः दहन कहा जाता है, जो खनन प्रचालन के दौरान पाई गई कोयले की आंतरिक विशेषता तथा अन्य बाह्य कारणों पर निर्भर करता है। इन कारणों से खानों में आग की घटना बढ़ सकती है अथवा कम हो सकती है।

आंतरिक लक्षण कोयले का रासायनिक संयोजन (कतिपय मैकारल अर्थात विट्रिनिट आदि की मौजूदगी) आर्द्रता तत्व, वाष्पशील पदार्थ, पायराइट और अन्य भूवैज्ञानिक कारकों की मौजूदगी (आग्नेय पदार्थ दोष आदि की मौजूदगी) जैसे हैं। बाह्य कारणों में खनन पद्धति (जैसे केविंग के साथ डिपिलरिंग आदि), वातायन की स्थिति, बाह्य ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थिति, राष्ट्रीयकरण से पूर्व समय में अवैज्ञानिक खनन आदि शामिल हैं। कुछ कोयला सीमें विशेषत: रानीगंज, झरिया, साउथ करनपुरा कोलफील्ड में, स्वत: ऊष्मन के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे खान में आग की संभावना बढ़ जाती है।

(ख) और (ग) सीआईएल ने खान की आग आदि से रक्षा करने के प्रावधान सहित खानों की सुरक्षा पर व्यय हेतु पर्याप्त प्रावधान किए हैं। सीआईएल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष (दूसरी तिमाही तक) में सुरक्षा पर किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(रु. लाख में)

वित्त वर्ष	खर्च की गई राशि
2005-06	51962.42
2006-07	56732.81
2007-08	53345.33
2008-09	29265.25

कोयला कंपनियां और कोल इंडिया लि. (सीआईएल) कोयला खानों में आग तथा अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में कोयला खान विनियम (सीएमआर) 1957 के प्रावधानों का सख्ती से पालन कर रही हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) सीएमआर को प्रशासित करता है।

एच आई वी-एड्स निर्धारण में आनुवांशिक कारक की भूमिका

2755. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने एच आई वी/एड्स खतरे के निर्धारण में महत्वपूर्ण आनुवांशिक कारक का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कारक के परिणामस्वरूप भारतीय लोगों में विश्वभर के कई अन्य जनसंख्या समूहों की तुलना में एच आई वी/एड्स ग्रस्त होने का खतरा अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार द्वारा किये गये "जेनेटिक लैंड स्केप ऑफ दि पीपल ऑफ इंडिया, ए केनवास फॉर डिजीस जेन एक्सप्लोरेशन" नामक एक अध्ययन में यह पाया गया है कि एचआईवी-1 के रोधी संरक्षणकारी जीन भारत में वस्तुत: विद्यमान नहीं है जिसके कारण इसकी जनता अधिक खतरे में है।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने दो वर्षों में एचआईवी के संक्रमण से पीड़ित 200 व्यक्तियों और 2000 स्वस्थ्य व्यक्तियों का अध्ययन किया है। उन्होंने यह पाया कि एचआईवी संक्रमण से तुरन्त एड्स होने से संबंधित एचएलए-बी* 35-पीएक्स जीन एचएलए-बी*-35 पी वाई नामक संरक्षणकारी जीन की अपेक्षा भारतीयों में ढाई गुणा अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है। उन्होंने यह भी पाया कि संरक्षणकारी जीन भारतीयों में विद्यमान नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। उपर्युक्त अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि एचआईवी संक्रमण से तेजी से एड्स होने से संबंधित जीन भारतीयों में ढाई गुणा अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है तथा भारतीयों में संरक्षणकारी जीन विद्यमान नहीं पाया गया है। तथापि, इन निष्कर्षों की वैधता आगे और अध्ययनों द्वारा की जानी है।

(ङ) नाको ने इस तथ्य को माना है कि होस्ट जेनेटिक्स और ये एचआईवी/एड्स के रोगियों में बढ़ते हुए रोग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, को समझने के लिए और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ और क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र चैन्ने में क्रमश: उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय रोगियों में किये जाने वाले "क्षयरोग ये यह संक्रमित एचआईवी रोगियों में एचएलए की सम्बद्धता का विश्लेषण" नामक अध्ययन का वित्त पोषण कर रही है। एचआईवी/एड्स के जोखिम को प्रभावित करने में आनुवंशिक कारकों की भूमिका को समझने के लिए और संकेन्द्रित अध्ययन शुरू किये जाएंगे।

बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की कमी

2756. श्री सुरेश अंगड़ि :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की कमी के कारण काफी बच्चे मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने बच्चों की मौतें हुईं;

(ग) क्या इस संबंध में यूनीसेफ तथा 'डब्ल्यू.एच.ओ.' ने कोई रिपोर्ट जारी की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (एनएफएचएस-3) (2005-06) के अनुसार नवजात मृत्यु दर 39 प्रति 1000 जीवित जन्म, शिशु मृत्यु दर 57 प्रति 1000 जीवित जन्म और बाल मृत्यु दर 18.4 प्रति 1000 जीवित जन्म है। इनके वर्ष वार और राज्य वार आंकड़े संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय में नवजात मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्रमशः 39 प्रति 1000 जीवित जन्म और 57 प्रति 1000 जीवित जन्म है। यूनीसेफ की विश्व बाल रिपोर्ट 2008 की स्थिति के अनुसार भारत में वर्ष 2006 में शिशु मृत्यु दर 57 प्रति 1000 जीवित जन्म और वर्ष 2000 में नवजात मृत्यु दर 43 प्रति 1000 जीवित जन्म है।

देश में शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख कार्यकलाप नवजात और बाल्यावस्था रोगों के एकीकृत उपचार (आईएमएनसीआई) संबंधी कार्यनीति का क्रियान्वयन करना है जिसमें नवजात और बाल्यावस्था मृत्यु दर – पूतिता, तीव्र श्वसनीय संक्रमण, कुपोषण के कारण होने वाले अतिसार, खसरा और मलेरिया जैसे सभी रोगों के सामान्य कारणों का प्रबंधन करने के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत प्रसवों और स्वास्थ्य कार्मिकों को अनिवार्य नवजात परिचर्या का प्रशिक्षण प्रदान करने को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि जन्म के समय कुशल परिचर्या उपलब्ध हों तथा सभी नवजातों को विशेषीकृत परिचर्या प्राप्त हो। नवजात का प्रसव करवाने और बाल परिचर्या, दोनों ही संस्थागत और गृह-आधारित होते हैं, के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। विटामिन ए युक्त सूक्ष्म पोषक पूरक तत्व, आयरन व फोलिक एसिड और जिंक तथा शिशु और छोटे बच्चों के पोषण पर बल दिया जा रहा है। रोग प्रतिरक्षण सतत प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में से एक है। 7 वर्षों (2005 से 2012 तक) की अवधि के लिए अप्रैल, 2005 में शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समग्रतावादी दृष्टिकोण सहित एक व्यापक (ओवर आर्किंग) कार्यकलाप है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के उन्नयन तथा प्रति 1000 जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ता की व्यवस्था जैसी बहुविधिक कार्यनीतिक अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करता है और जिसमें प्राप्त किए जाने वाले मुख्य लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, नवजात, शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करना परिकल्पित किया है।

विवरण-I

एनएफएचएस	नवजात मृत्यु दर	शिशु मृत्यु. दर	बाल मृत्यु दर
एनएफएचएस-I (1992-93)	49	79	33
एनएफएचएस-II (1997-98)	43	68	29
एनएफएचएस-III (2005-06)	39	57	18

विवरण-II

राज्य द्वारा बाल्यावस्था मृत्यु दरें

राज्य, भारत द्वारा सर्वेक्षण से पहले पांच वर्ष की अवधि की नवजात, नवजातोत्तर, शिशु, बाल और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	प्रसव पूर्व मृत्यु दर	नवजात मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर
1	2	3	4
भारत	39.7	57.0	18.4

1	2	3	4
दिल्ली	29.3	39.8	7.3
हरियाणा	23.6	41.7	11.1
हिमाचल प्रदेश	27.3	36.1	5.6
जम्मू-कश्मीर	29.8	44.7	6.8
पंजाब	28.0	41.7	10.8
राजस्थान	43.9	65.3	21.5
उत्तराखण्ड	27.6	41.9	15.5
छत्तीसगढ़	51.1	70.8	21.0
मध्य प्रदेश	44.9	69.5	26.5
उत्तर प्रदेश	47.6	72.7	25.6
बिहार	39.8	61.7	24.7
झारखंड	48.6	68.7	26.1
उड़ीसा	45.4	64.7	27.6
पश्चिम बंगाल	37.6	48.0	12.2
अरूणाचल प्रदेश	34.0	60.7	28.8
असम	45.5	66.1	20.2
मणिपुर	18.7	29.7	12.6
मेघालय	23.6	44.6	27.1
मिजोरम	16.3	34.1	19.5
नागालैंड	19.8	38.3	27.5
सिक्किम	19.4	33.7	6.7
त्रिपुरा	33.1	51.5	8.2
गोवा	8.8	15.3	5.0
गुजरात	33.5	49.7	11.9
महाराष्ट्र	31.8	37.5	9.5
आंध्र प्रदेश	40.3	53.5	10.2
कर्नाटक	28.9	43.2	12.1
केरल	11.5	15.3	1.0
तमिलनाडु	19.1	30.4	5.3

स्रोत: एनएफएचएस-3 (2005-06)

हिमतनगर रेडियो स्टेशन

2757. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमतनगर रेडियो स्टेशन से स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिमतनगर आकाशवाणी अहमदाबाद रेडियो स्टेशन से सम्बद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित स्वयं के स्वतंत्र कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ करेगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती (ए आई आर) ने सूचित किया है कि आकाशवाणी हिम्मतनगर ने दिनांक 28.10.2008 से रोजाना प्रात: 5.48 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक के नियमित ट्रांसमीशन के साथ जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कार्यक्रमों सहित स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण पहले ही प्रारंभ कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्र, अहमदाबाद और दिल्ली से समाचार बुलेटिनों और समाचार पत्रों के रिले को छोड़कर आकाशवाणी, अहमदाबाद के साथ अनुबंध करने की बजाए अपने स्वयं के कार्यक्रमों का निर्माण करता है। केन्द्र ने दिनांक 28.10.2008 से जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अपने स्वयं के स्वतंत्र कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ कर दिया है।

शहरी एवं ग्रामीण लोगों के बीच आय असमानता

2758. श्री राम कृपाल यादव :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री मानिक सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी एवं ग्रामीण लोगों की प्रति व्यक्ति आय में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, से प्राप्त सूचना के अनुसार, कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पादन (एन डी पी) के अर्थों में मापित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1999-2000 के चालू मूल्यों पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 10606 रुपये और 30217 रुपये थी। इसके अनुसार वर्ष 1999-2000 में शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2.85 गुणा अधिक थी।

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में अन्तर विभिन्न कारकों से उत्पन्न होते हैं जैसे प्राकृतिक संसाधनों में अन्तर, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक, अवसंरचना की उपलब्धता आदि।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 9% आर्थिक विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसका लक्ष्य योजना अवधि की समाप्ति तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10% के संधारणीय विकास पथ पर लाना है। सरकार ने पर्याप्त लाभकारी रोजगार का सृजन करने तथा ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण लोगों के जीवन यापन स्तर और गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्यारहवीं योजना में कई कार्यक्रम/स्कीमें तैयार किए गए हैं। इन उपायों से ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्तर के बढ़ने तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में असमानता के कम होने की संभावना है।

हाईवाल माइनिंग प्रौद्योगिकी

2759. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री जे.एम. आरुन रसीद :
डा. राजेश मिश्रा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि. (एससीसीएल) ने "हाई वाल माइनिंग" प्रौद्योगिकी लाने का निर्णय लिया है जो कि महीन कोयला परतों का खनन उच्च उत्पादकता के साथ करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रौद्योगिकी के लिए आमंत्रित निविदाओं की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं तथा किन-किन कंपनियों को पैनल में शामिल किया गया है;

(ग) क्या किसी कंपनी द्वारा कोई उल्लंघन देखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। ओपनकास्ट खानों में हाई वाल के नीचे छिपे बहुमूल्य कोयला भंडारों के ईष्टतम निष्कर्षण को संरक्षित करने तथा उसे सुकर बनाने के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) ने हाई वाल खनन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कोयला उत्पादन करने का आदेश दिया है। मैसर्स एडवान्सड माईनिंग टैक्नोलॉजी प्रा. लि., हैदराबाद को कार्य अवार्ड किया गया है जिसमें उपर्युक्त प्रौद्योगिकी प्रदाता के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:–

1. पात्रता

(क) प्रस्तावित प्रौद्योगिकी में प्रमुख उपकरण का कम से कम 5 वर्षों से विनिर्माता हो, अथवा

(ख) प्रस्तावित खनन पद्धति के प्रचालन का कम से कम 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक कार्य किया हो। अथवा

(ग) यदि बोली दाता है और उपर्युक्त खण्ड (क) अथवा (ख) के अंतर्गत नहीं आता है तो बोलीदाता के पास उपर्युक्त (क) में उल्लिखित विनिर्माता अथवा खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रचालन के साथ वैधनिक रूप से बाध्यता करार होना चाहिए। ऐसे करार में यह पुष्टि की जानी चाहिए कि उस बोलीदाता ने इस ठेके की अवधि तक ऐसे संगठन की आवश्यक सेवाएं ली हों।

2. कार्यक्षेत्र : कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:—

चरण-I

प्रौद्योगिकी और उपकरण के लिए स्थल की वैज्ञानिक जांच करना, अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना और खान सुरक्षा महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त करना।

चरण-II

प्रति टन लागत आधार पर कोयले के उत्पादन के लिए खनन ठेका। चरण-I के लिए भुगतान कोयला उत्पादन के लिए डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् किया जाएगा। प्रचालन के क्रम में प्रत्येक परियोजना के लिए डीजीएमएस का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात कुल राशि के 25% का भुगतान किया जाएगा। ये अध्ययन 4 महीने में पूरे किए जाएंगे।

3. भुगतान की पद्धति

कोयला उत्पादन के लिए भुगतान, 15 दिन के दौरान उत्पादन के लिए पखवाड़ा आधार पर, अगले 15 दिन के भीतर किया जाएगा। भुगतान का आधार बेल्ट बेयर को व्यवस्थित करके अथवा सहमत सर्वेक्षण पद्धति पर परिगणित सर्वेक्षण की गई मात्रा पर उत्पादित टन आधार पर होगा।

(ग) निविदा शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

ब्लड बैंक

2760. श्रीमती के. रानी :
श्री गणेश सिंह :
श्री नवीन जिन्दल :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने ब्लड बैंक हैं और इनमें खून की कितनी कमी, अगर कोई है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में और ब्लड बैंकों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में रक्त बैंकों की कोई कमी सूचित नहीं की गई है। रक्त बैंकों की राज्यवार संख्या को इंगित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के रक्त निरापदता संघटक के अंतर्गत 39 जिलों का पता लगाया गया है जिनके पास सार्वजनिक क्षेत्र में कोई रक्त बैंक नहीं हैं। इन 39 जिलों में से 8 जिलों में रक्त बैंकों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। शेष 31 जिलों में एक बार सिविल निर्माण कार्य पूरा हो जाए और राज्य सरकार द्वारा जनशक्ति को नियुक्त कर दिया जाए, इन रक्त बैंकों को भी अनिवार्य उपकरण और उपभोज्यों के लिए आवर्ती अनुदान तथा भारत सरकार से सहायता के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार एक प्रयोगशाला तकनीशियन का वेतन प्रदान करके प्रचालनात्मक बनाया जाएगा।

दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त रक्त तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रथम रेफरल एककों में रक्त भंडार केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के चरण-III के लिए ऐसे 3222 रक्त भंडारण केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य नियत किया गया है जिनमें से 436 रक्त भंडारण केन्द्रों को आज तक प्रचालनात्मक बनाया जा चुका है।

विवरण

05.11.2008 को देश में राज्यवार लाइसेंस-प्राप्त रक्त बैंकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	सरकार	स्वैच्छिक	निजी अस्पताल	निजी धमार्थ	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2				2

1	2	3	4	5	6	7
2.	आंध्र प्रदेश	71	55	86	53	265
3.	अरूणाचल प्रदेश	2	1			3
4.	असम	41	4	23	6	74
5.	बिहार	44	7	13	22	86
6.	चंडीगढ़	3	1			4
7.	छत्तीसगढ़	18	3	6	13	40
8.	दादरा व नगर हवेली		1			1
9.	दमन और दीव	1				1
10.	दिल्ली	22	4	24	7	57
11.	गोवा	5		2	3	10
12.	गुजरात	31	77	9	70	187
13.	हरियाणा	17	8	19	12	56
14.	हिमाचल प्रदेश	21	1			22
15.	जम्मू व कश्मीर	25		1		26
16.	झारखंड	12		6	2	18
17.	कर्नाटक	42	25	80	41	188
18.	केरल	37	5	102	10	154
19.	मध्य प्रदेश	48	22	26	32	128
20.	महाराष्ट्र	84	39	75	100	298
21.	मणिपुर	3				3
22.	मेघालय	6		2		9
23.	मिजोरम	4		2		6
24.	नागालैंड	4				4
25.	उड़ीसा	6	52	15	2	75
26.	पांडिचेरी	5		9	1	15

1	2	3	4	5	6	7
27.	पंजाब	51	8	39	2	100
28.	राजस्थान	49	6	15	7	77
29.	सिक्किम	3				3
30.	तमिलनाडु	101	25	85	58	269
31.	त्रिपुरा	3		4		7
32.	उत्तर प्रदेश	73	13	49	53	188
33.	उत्तराखंड	17	4	5	1	27
34.	पश्चिम बंगाल	70	6	17	22	115
	योग	922	367	714	517	2519

बदरपुर से कोलकाता तक जलमार्ग सेवाएं

2761. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदरपुर-कोलकाता-बदरपुर से जलमार्ग सेवाओं के लिए करीमगंज में कुशियारा नदी तथा बदरपुर में बराक नदी पर जलमार्ग पर निर्मित जेट्टियां इस जलमार्ग पर सेवाएं शुरू नहीं होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बदरपुर से कोलकाता तक जलमार्ग सेवाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उपर्युक्त सेवा कब से आरंभ किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) करीमगंज और बदरपुर में टर्मिनल, असम के निचले हिस्से में बराक नदी पर अवस्थित हैं। बदरपुर टर्मिनल बराक नदी के जलखण्ड में अवस्थित है, जिसे संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी के लखीपुर-भंगा जलखण्ड) के रूप में घोषित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

इसके अलावा यह उल्लेखनीय है कि पोत परिवहन विभाग के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड ने 2006 से कोलकाता/बदरपुर के बीच नियमित कार्गो सेवाएं आरंभ कर दी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कोलकाता से बदरपुर/करीमगंज के बीच निम्नलिखित कार्गों का परिवहन किया गया है:—

वर्ष	परिवहन की गई मात्रा मीट्रिक टन में
2006-07	3692
2007-08	7140
2008-09	2700
कुल	13532 मीट्रिक टन

हाल ही में, बदरपुर टर्मिनल को उत्तर-पूर्व परिषद् द्वारा मुहैया करवाई गई धनराशि से 3.68 करोड़ रु. की लागत पर आधुनिकीकृत किया गया है। फिर भी, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड का बदरपुर टर्मिनल पिछले तीन वर्षों से प्रचालित हो रहा है।

जहां तक केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के करीमगंज टर्मिनल का संबंध है यह पिछले कई सालों से पूरी तरह से प्रचालनात्मक होता रहा है और करीमगंज/बांग्लादेश/कोलकाता के लिए कार्गो का परिवहन किया जाता रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात के समुद्रतटीय क्षेत्रों में प्रदूषण

2762. श्री काशीराम राणा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण गुजरात के समुद्रतटीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या परिणाम निकले तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने दक्षिणी गुजरात के तटीय क्षेत्र सहित तटीय प्रदूषण का मूल्यांकन और नियंत्रण से संबंधित विभिन्न पक्षों पर अध्ययन प्रारम्भ किया है और निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं:–

I. भारतीय तटीय जल क्षेत्र सहित नगर निगम मलजल प्रदूषण;

II. तटीय एक्वा-कल्चर से प्रदूषण संभाव्यता;

III. तेल से प्रदूषण और समुद्री पर्यावरण;

IV. समुद्री प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण विधान, प्रभाव मूल्यांकन और प्रबंधन

V. पत्तनों और बंदरगाहों में प्रदूषण और पर्यावरण प्रबंधन का अध्यन और

VI. संवेदनशील तटीय क्षेत्र पर अध्ययन।

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एन आई ओ) के माध्यम से पृथक अध्ययन भी कराया है और 'दक्षिण गुजरात समुद्री तट के साथ-साथ चुनिंदा मुहाना क्षेत्रों की निगरानी' नामक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है।

तटीय गुजरात में लगभग 329 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम एल डी) मलजल उत्पन्न होता है और 76 एम एल डी की शोधन क्षमता स्थापित की गई है। एन आई ओज के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि खम्भात की खाड़ी में संदूषकों के तनुकरण और विसर्जन की उच्च संभाव्यता है। नगर निगमों से आ रहे मलजल को मुहाना क्षेत्र में छोड़ने से पहले शोधित करना आवश्यक है।

(ग) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

I. समुद्रतटीय जल की मानीटरी हेतु कार्य योजना तैयार की है;

II. विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को पहले दिए गए साझा सहमति और प्राधिकार की समीक्षा प्रारंभ की है;

III. सूरत जिले में काडोडारा क्षेत्रों में स्थित वस्त्र उद्योगों के लिए नए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सी ई टी पी) स्थापित किए गए हैं;

IV. वापी, अंकलेश्वर और पनोली स्थित सी ई टी पी के उन्नयन का कार्य प्रगति पर है;

V. वड़ोदरा में बहिस्राव चैनल परियोजना (ई सी पी) का उन्नयन किया गया है;

VI. सभी नग[illegible]नों का मलजल शोधन संयंत्र प्रदान करने हेतु निदेश [illegible]दया गया है; और

VII. संबंधित सी ई टी पी/उद्योगों को उनके शोधित बहिस्राव को समुद्र में गहरे निपटान के लिए शोधित बहिस्राव कन्वेयन्स पाईपलाईन प्रदान करने का निदेश दिया गया है।

(घ) जी पी सी बी द्वारा उपरोक्त कदमों को उठाने के परिणामस्वरूप समुद्र तटीय जल की गुणवत्ता में आंशिक रूप से सुधार आने की सूचना है।

प्रदूषण से संबंधित लम्बित मामले

2763. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सरकार के पास प्रदूषण से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं तथा वे किस तारीख से लम्बित हैं एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/संघ शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्राप्त सूचना (31.12.2007 तक) के अनुसार, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दर्ज किए गए 8513 मामलों में से 3548 मामले विभिन्न कारणों की वजह से विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात की राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने पर्यावरण संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए अभिहीत न्यायालय स्थापित किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों में ग्रीन बैंचें गठित की गई हैं।

एससी/एसटी/ओबीसी के फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति

2764. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के कार्यालयों में कुछ लोगों को एससी, एसटी तथा ओबीसी के फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कराई जा रही जांच बहुत धीरे चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर हुई नियुक्ति की कुछ शिकायतें सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ख) से (घ) फर्जी प्रमाण-पत्रों के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

यदि यह साबित हो जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी पाई है, तो उसे सेवा से हटा दिया जाता है।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन के लिए वित्तीय सहायता

2765. श्री पी.सी. थामस : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने डीजल, वाहन तथा बॉडी बिल्डिंग उपकरणों पर उत्पाद शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। वाहनों और उनके बाडी बिल्डिंग उपकरणों पर उत्पाद शुल्क से छूट दिये जाने के लिये तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने अनुरोध किया है कि बस और चेसिस बाडीज के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले पूंजीगत माल और कलपुर्जो पर उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा लिया जाये और सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी जाये। इसके अलावा, धारा 11ग के अंतर्गत बस बाडी बिल्डिंग के क्रियाकलापों पर शुल्क से छूट दिये जाने के लिये केरल राज्य से अनुरोध प्राप्त हुआ है। डीजल पर शुल्क से छूट दिये जाने के लिये राज्य सरकारों से कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

चालू वर्ष के दौरान, उत्पाद शुल्क को निम्न रूप से कम कर दिया गया है:—

(i) सरकार ने बजट 2008-09 में, सभी प्रकार की बसों और यात्री वाहनों जो कि चालक समेत 13 व्यक्तियों से अधिक को ले जा सकती हैं पर शुल्क को 16% से कम करके 12% कर दिया है और ऐसे वाहनों की चेसिस पर शुल्क को 16% + 10,000 रु. से कम करके 12% + 10,000 रुपये कर दिया है।

(ii) 7.12.2008 से इन शुल्कों को और भी कम करके क्रमशः 8% मूल्यानुसार और 8% + 10,000 रु. कर दिया गया है।

शुल्क दर में और आगे कमी करने के लिये और कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

न्यास में सरकारी अधिकारियों को नामनिर्दिष्ट किया जाना

2766. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कार्यशील न्यासों में सरकारी अधिकारियों के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे नामनिर्देशन के पीछे क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तम्बाकू का उत्पादन तथा उपभोग

2767. डा. अरविन्द शर्मा :
श्री डी. विट्ठल राव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू पर अत्यधिक कर लगाकर उसके उत्पादन तथा उपभोग को हतोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) सिगरेट, चबायी जाने वाली तम्बाकू, गुटखा आदि जैसे तम्बाकू उत्पादकों पर लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर 10% मूल्यानुसार की औसत सेनवैट दर से पहले ही काफी अधिक है क्योंकि ये पदार्थ अवगुण युक्ति पदार्थ माने जाते हैं।

(ख) इस समय, सिगरेट पर 819 रुपये से लेकर 2163 रुपये प्रति हजार की दर से शुल्क (शिक्षा उपकर को छोड़कर) लगाया जाता है, चबायी जाने वाली तम्बाकू पर कुल 66% का शुल्क (शिक्षा उपकर को छोड़कर) लगाया जाता है और पान मसाला (तम्बाकू रहित) पर प्रति मशीन के आधार पर शुल्क लगाया जाता है जो कि प्रति मशीन 12.5 लाख रुपये से लेकर प्रति मशीन 70 लाख रुपये तक होता है और यह पाउचों के मूल्य वर्गों पर निर्भर करता है। बीड़ी पर 14 रुपये प्रति हजार से लेकर 26 रुपये प्रति हजार तक का शुल्क (शिक्षा उपकर को छोड़कर) लगाया जाता है।

डूईंग बिजनैस रिपोर्ट, 2009

2768. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त आयोग तथा विश्व बैंक ने "डूईंग बिजनैस रिपोर्ट 2009" तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन-सा है;

(ग) क्या भारत के भारी कर एवं जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण उसे नीचे स्थान मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है एवं इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में कारोबार करने में आसानी के रूप में दस मानदंडों नामत: कारोबार शुरू करना, लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में कार्रवाई, कर्मचारी नियोजित करना, सम्पत्ति का पंजीकरण कराना, क्रेडिट प्राप्त करना, निवेशकों का संरक्षण, करों का भुगतान, सीमा पार कारोबार करना, संविदाएं लागू करना और कारोबार समाप्त करना, के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है। कारोबार करने में आसानी की रिपोर्ट में 181 देशों की वैश्विक स्तर पर तुलना करने पर वर्ष 2009 की डूईंग बिजनैस रिपोर्ट में भारत 122वें स्थान पर रहा है।

(ग) "करों का भुगतान करने" के मानदंड में भारत 169 वें स्थान पर और "संविदाएं लागू करने" संबंधी मानदण्ड में 180वें स्थान पर है।

(घ) भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और व्यवसाय संघों के साथ मिलकर कारोबार में सहायक विनियम बनाने के लिए संगठित प्रयास कर रही है। ये सुधार हैं: सिंगल विंडोज की स्थापना, प्रलेखों का मानकीकरण, करों का सरलीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण/करों को दाखिल करना और उनका भुगतान तथा अदालतों में मामला प्रबंधन प्रणाली (ई-कोर्ट) शुरू करना और उसका कम्प्यूटीकरण।

खाद्य उत्पादों पर आयात कर

2769. प्रो. एम. रामदास :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री फ्रांसिस फैंथम :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न खाद्य पदार्थों वस्तुओं पर वर्तमान में कितना आयात कर प्रभारित होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार घरेलू खाद्य उत्पादों के संरक्षण के लिए आयात शुल्क में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो प्रभारित किए जाने वाले प्रस्तावित आयात कर की दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) कतिपय आवश्यक खाद्य उत्पादों पर लागू सीमा शुल्क की मूल दरें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ख) और (ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी, कई कारकों के आधार पर आयात शुल्क की आवाधिक रूप से समीक्षा की जाती है जिसमें जिस की अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कीमतें, घरेलू उपलब्धता, उपभोक्ताओं का हित, घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव, उगाही की प्रशासनिक संभाव्यता एवं राजस्व संबंधी विचार शामिल हैं।

विवरण

विवरण	सीमा शुल्क की मूल दर
1	2
दालें	0%
धान	80%
धान (भूरा चावल टूटे चावल)	80%
सेमी मिल्ड या होल मिल्ड चावल	0%
गेहूं	0%
गेहूं का आटा	0%
चीनी	60%
मक्खन एवं घी	30%
दुग्ध पाउडर	5% (टी आर क्यू 10000 मि. टन)
दुग्ध पाउडर	60% (टी आर क्यू से बाहर)
प्याज	5%
आलू	30%
वनस्पति	7.5%
सोयाबीन खाद्य तेल (अपरिष्कृत)	20%
सोयाबीन खाद्य तेल रिफाइंड	7.5%
अन्य सभी अपरिष्कृत खाद्य तेल	शून्य
अन्य सभी परिष्कृत रिफाइंड खाद्य तेल	7.5%

'नाल्को' का विनिवेश

2770. श्री भर्तृहरि महताब : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) में अपनी शेयर धारिता का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कंपनी में नई इक्विटी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी नहीं, सरकार का नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) में अपनी शेयरधारिता के विनिवेश करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में नई इक्विटी लाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पिछड़े वर्गों को ऋण

2771. श्री पंकज चौधरी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को अपने कुल ऋण का 10% पिछड़े वर्गों को संवितरित करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार, समायोजित निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, जो भी अधिक हो, कमजोर वर्गों के अग्रिम के लिए अलग से रखी गई है। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत कमजोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(क) 5 एकड़ और उससे कम भूमि धारिता वाले छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार;

(ख) कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग जिनमें व्यक्तिगत ऋण सीमा 50,000 रुपए से अधिक नहीं है;

(ग) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लाभार्थी;

(घ) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां;

(ङ) विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना के लाभार्थी;

(च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के लाभार्थी;

(छ) स्कैवेंजरों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत लाभार्थी;

(ज) स्व-सहायता समूहों को अग्रिम;

(झ) विपत्तिग्रस्त गरीबों को समुचित संपार्श्विक अथवा सामूहिक प्रतिभूति पर ऋण जिससे वे अनौपचारिक क्षेत्र को अपने ऋण का पूर्व-भुगतान कर सकें;

(ञ) अल्पसंख्यक समुदायों, जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के व्यक्तियों को उपर्युक्त (क) से (झ) के अंतर्गत प्रदत्त ऋण। जिन राज्यों में किसी एक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का वास्तव में बाहुल्य है, मद (ञ) में केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक शामिल होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और लक्षद्वीप हैं।

झारखण्ड में ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाना

2772. श्री पुरन राम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान झारखण्ड में उपभोक्ताओं/किसानों को कृषि ऋण नहीं दिए जाने के मामले/रिपोर्ट केन्द्र सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सरकार को झारखंड में ग्राहकों/किसानों को कृषि ऋण दिए जाने से मना किए जाने की कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। सभी बैंकों में किसानों को कृषि ऋण दिए जाने से मना किए जाने सहित ग्राहक-शिकायत निवारण हेतु सुदृढ़ आन्तरिक शिकायत निवारण व्यवस्था है। इस संबंध में बैंकों को समय-समय पर कई अनुदेश दिए गये हैं। कोई भी वास्तविक शिकायत संबंधित बैंक द्वारा सुनी जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने किसानों द्वारा बढ़ी हुई ऋण-पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

— भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को स्वयं की निधियों से ब्याज सहायता तथा सहाकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान कर रही है, ताकि किसानों को बुनियादी स्तर पर 7% वार्षिक ब्याज-दर पर 3 लाख रु. तक अल्पावधि फसल ऋण दिया जाना सुनिश्चित किए जा सके।

- कृषि ऋण की उपलब्धता पिछले चार वर्ष में तिगुनी अर्थात. वर्ष 2003-04 में 86,981 करोड़ रु. से बढ़कर 2007-08 में 2,43,570 करोड़ रु. हो गई है।

- बैंक ने कृषि ऋणों के लिए प्रलेखीकरण की प्रक्रिया सरल बना दी है।

- 50,000/- रु. तक के ऋण सम्पार्श्विक एवं मार्जिन मुक्त कर दिए गये हैं तथा 'बेबाकी प्रमाणपत्र' की उपेक्षा को हटा दिया गया है।

- बैंकों से कहा गया है कि सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दें।

- बैंकों को अनुदेश दे दिए गये हैं कि परिवारों को सामान्य क्रेडिट कार्ड के प्रावधान के जरिए वित्तीय पहुंच प्रदान करें, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधाओं सहित "अतिरिक्त सुविधा रहित" खाते खोले, व्यवसाय सुविधा प्रदाता/व्यवसाय सम्पर्की मॉडल के रूप में किसान क्लबों, गैर-सरकारी संगठनों, डाकघरों, आदि जैसे सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करें।

[अनुवाद]

पैंशन आदेश का क्रियान्वयन

2773. श्री एम. शिवन्ना : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने दिल्ली में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के संबंध में सरकार के आदेशानुसार संशोधन पेश आदेश अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में बैंक की कितनी शाखाओं ने उक्त आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार नए पैंशन आदेश को अतिशीघ्र क्रियान्वित कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि देश में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकारी आदेश के अनुसार संशोधित पैंशनर्स वेतनमान, बहुसंख्यक पात्र मामलों में दिल्ली सहित बैंक की सभी 8455 शाखाओं में पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। तथापि, कुछ मामलों में कुछ तकनीकी कारणों को अभी भी निपटाया जाना है। बैंक द्वारा इनके भी जल्दी निपटान के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में निदेशक मण्डल

2774. श्री श्रीपाद येसो नाईक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों तथ चालू वर्ष के दौरान बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में निदेशक मण्ड‸ ो पुनर्गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके द्वारा सरकारी नीति के उल्लंघन का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (अधिनियम) के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों के पुनर्गठन के लिए, निम्नलिखित संशोधनों को प्रभाव में लाया गया था:

1. अधिनियम में संशोधन कर दिनांक 26.9.2006 को पुनर्गठन किया गया, वह है, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्था कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 दिनांक 16.10.2006 से प्रभाव में), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या दो से अधिकतम चार करने; एसईबीआई/नाबार्ड इत्यादि का प्रतिनिधित्व कर रहे एक निदेशक के प्रावधान को हटाने बैंक की शेयर धारिता बनावट के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिमकतम छः अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करने का प्रावधान है। उन बैंकों के मामले में, जिन्होंने शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा पूंजी जुटायी है, ये छः अंशकालिक गैर-सरकारी

निदेशक चरणबद्ध तरीके से, केन्द्रीय सरकार से भिन्न अन्य शेयर धारकों द्वारा चुने गए निदेशकों द्वारा प्रतिस्थापित किए जायेंगे, जैसा नीचे दर्शाया गया है:—

(क)	जहां लोक धारित कुल चुकता पूंजी 16% से ज्यादा नहीं है।	अधिकतम 1 निदेशक
(ख)	जहां लोक धारित कुल चुकता पूंजी 16% से ज्यादा और अधिकतम 32% है।	अधिकतम 2 निदेशक
(ग)	जहां लोक धारित कुल चुकता पूंजी 32% से ज्यादा है।	अधिकतम 3 निदेशक

इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक दक्षता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को नामित कर सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970/1980 के खण्ड 9(2) में संशोधन (19.02.2007 के प्रभाव से) कर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 के खण्ड 9(3)(छ) और खण्ड 9(3)(ज) के अंतर्गत नामित निदेशकों के कार्य-काल को 3 वर्ष निश्चित कर दिया गया है और वे, उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद निदेशक नहीं रह जाते हैं।

2. जहां तक वित्तीय संस्था का सम्बन्ध है, ऐसी नियुक्ति को अधिशासित करने वाले अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है, जिससे कि उनके निदेशक मंडल का पुर्नगठन करना पड़े।

(ग) और (घ) निदेशक मंडलों के पुनर्गठन के समय सरकारी नीति की अवहेलना के किसी मामले की सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक पैकेज

2775. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**
श्री शिशुपाल एन. पटले :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मंदी से उबरने के लिए हाल ही में आर्थिक पैकेज की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था में कोई मंदी नहीं है। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में विकास प्रक्रिया को इससे सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने 7.12.2008 को राजकोषीय संदर्भ में प्रेरक उपायों की घोषणा की है। कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:—

1. **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** (i) पेट्रोलियम-भिन्न उत्पादों पर प्रयोज्य होने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की तीन प्रमुख यथामूल्य दरें अर्थात 14%, 12% और 8% में, प्रत्येक में 4 प्रतिशतांक की कमी करके क्रमशः 10%, 8% और 4% की गई हैं (ii) कारों पर लगने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का यथामूल्य घटक 24% से घटाकर 20% किया गया है। (iii) सीमेंट के मामले में, जिस पर खुदरा बिक्री मूल्य के आधार पर 12 प्रतिशत की यथामूल्य दर अथवा विशिष्ट दरें (रुपया/मी. टन) लागू होती है, विशिष्ट दरें यथामूल्य दर के अनुपात में ही घटाई गई है। लघु सीमेंट संयंत्रों द्वारा उत्पादित सीमेंट की रियायती दरें यथानुपातिक तरीके से घटा दी गई है। सीमेंट की थोक मात्रा पर अब 10 प्रतिशत यथामूल्य अथवा 280 रुपये प्रति टन, जो भी अधिक हो, का प्रभार लगेगा। (iv) सूती वस्त्र और वस्त्र से बनी वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क 4% से घटाकर शून्य किया गया है।

2. **सीमाशुल्क:** विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले नेफ्था के आयात पर बुनियादी सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। यह छूट 31.3.2009 तक रहेगी।

3. **लौह अयस्क पर लगने वाला निर्यात शुल्क:** महीन लौह अयस्क पर लगने वाला 8% निर्यात शुल्क हटा दिया गया है जबकि लौह अयस्क लम्प पर लगने वाली निर्यात शुल्क की दर यथामूल्य 15% से घटाकर 5% कर दी गई है।

4. **सेवा कर:** (i) निर्यातकों द्वारा अदा किए गए सेवा कर की वापसी का लाभ समाशोधन और अग्रेषण करने वाले एजेंट द्वारा निर्यातकों को दी जाने वाली सेवाओं को भी दिया गया है। (ii) निर्यातकों द्वारा विदेशी कमीशन एजेंट सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर की वापसी की

आरंभिक सीमा निर्यात वस्तुओं के एफओबी मूल्य के 2% से बढ़ाकर 10% एफओबी मूल्य कर दी गई है। (iii) अब निर्यातों के संबंध में अदा किए गए सेवा कर की वापसी पर वापसी का लाभ भी उठाया जा सकता है।

5. अन्य उपाय:

- चालू वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त आयोजना व्यय।
- पहले ही मुहैया कराई गई निधियों का पूरा उपयोग सुनिश्चित करना ताकि व्यय की गति बनाई रखी जा सके।
- आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय को मिलाकर चालू वित्त वर्ष के शेष चार महीनों में कुल व्यय कार्यक्रम 300,000 करोड़ रुपये होने की संभावना है।
- सीमावर्ती उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियां, निर्यात प्रोत्साहन योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन और दु:साध्य बाजारों/उत्पादों को निर्यात करने हेतु गारंटी देने के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) को 350 करोड़ रुपये की सरकार समर्थित गारंटी देने की घोषणा की गई है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) में पूरे बैकलॉग को खत्म करने के लिए 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- हस्तशिल्प की सभी वस्तुओं को विशेष कृषि और ग्राम उद्योग के अंतर्गत शामिल करना।
- भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआई एफसीएल) पात्र अवसंरचना परियोजनाओं, विशेषकर राजमार्ग और पत्तन क्षेत्रकों को दिए जाने वाले दीर्घावधिक परिपक्वता वाले बैंक ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए 31.3.2009 तक कर मुक्त बांडों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। आवास निर्माण और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों से निधियों को प्रवाह बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली

2776. श्रीमती जयाप्रदा :
डा. टोकचोम मैन्या :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण स्वास्थ्य पचिर्या अवसंरचना केवल कागजों में ही कार्य कर रही है जैसा कि 02 अक्टूबर, 2008 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में कार्य कर रही ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली पर चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी भी आदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के कार्य के संबंध में कोई टिप्पणी सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, महामहिम न्यायाधीशों की टिप्पणियों के बारे में समाचार पत्र में कवरेज था।

(ङ) सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए ग्रामीण लोगों विशेषकर असुरक्षित वर्ग के लोगों को सुलभ, वहनीय एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने का प्रयास है। नए उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/स्थापना सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है जो जनसंख्या के आधार पर आवश्यकता, रोगी की संख्या और दूरी पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वियन में राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र सरकारों द्वारा आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण कार्य पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है।

जन स्वास्थ्य प्रणाली का कार्यकरण

2777. एडवोकेट सुरेश कुरूप :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा में लगे प्रमुख लोगों विशेषकर डॉक्टरों एवं नर्सों की अनुपलब्धता के कारण जन स्वास्थ्य प्रणाली का कार्यकरण प्रभावित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणाम स्वरूप सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) देश में डाक्टरों और नर्सों की कुल संख्या की कोई कमी नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस समय देश में 713248 एलोपैथिक पंजीकृत डाक्टर हैं। इसके अलावा 290 चिकित्सा कालेज हैं जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 33482 एमबीबीएस छात्र हैं और प्रत्येक वर्ष इन मेडिकल कालेजों से पास होकर निकले छात्रों से देश में डाक्टरों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है। इसके अतिरिक्त, देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के 6 लाख से अधिक प्रैक्टिशनर हैं। तथापि, देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों की उपलब्धता में असंतुलन है। जहां तक नर्सों का संबंध है विभिन्न राज्य नर्सिंग परिषदों में पंजीकृत नर्सों की कुल संख्या 9.28 लाख है। इस समय देश में 1597 स्नातक नर्सिंग मिड वाइफ स्कूल चल रहे हैं जिसमें प्रति वर्ष प्रवेश क्षमता 80 हजार छात्र (लगभग) हैं। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अल्पसेवित राज्यों में एम्स जैसे 6 संस्थानों को स्थापित करने और 10 राज्यों में 13 मौजूदा सरकारी मेडिकल कालेज/संस्थानों को उन्नत करने का भी निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, सरकार, सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नये कालेज खोलने और चिकित्सा छात्रों की प्रवेश क्षमता बढाने को भी प्रोत्साहित करती है। देश में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा अधिक ध्यान दिये जाने वाले राज्यों में अल्पसेवित क्षेत्रों में सरकारी-निजी भागीदारी के तहत प्राइवेट मेडिकल कालेजों के प्रवर्तक द्वारा शिक्षण अस्पताल के रूप में जिला अस्पताल के उपयोग की अनुमति देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद विनियमों में संशोधन करने का अनुमोदन किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आयुष प्रैक्टिशनरों और कुशल नर्सों को तैनात करके एक डाक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दो डाक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नत करके सुदृढ़ करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों को संविदात्मक आधार पर डाक्टरों, विशेषज्ञों और पराचिकित्सों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डाक्टरों को बहुकौशल प्रशिक्षण और एएनएम/नर्सों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यों से उनके नर्सिंग सवर्ग को सुदृढ़ करने के लिए अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2006-07) के तहत कुछ राज्यों की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में यथा-सम्मिलित नर्सिंग और सहायक नर्सधात्री स्कूलों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए निधियों की आवश्यकता को अनुमोदित कर दिया गया है। भविष्य में नर्सों की कमी को निम्नलिखित तरीके से दूर करने के लिए कार्यनीतिक ढांचा तैयार किया गया है:—

(I) जिन जिलों में ये दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाये जा रहे हैं वहां सहायक नर्सधात्री और जनरल नर्सिंग धात्री स्कूलों की स्थापना

(II) स्नातकोत्तर नर्सिंग (एमएससी नर्सिंग) संस्थानों की स्थापना

(III) नर्सधात्री प्रैक्टिशनरों का संवर्ग तैयार करना और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए धनराशि का अन्यत्र उपयोग

2778. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व विशेष पैकेज के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पश्चिम बंगाल तथा लक्ष्यद्वीप में ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने के लिए अन्यत्र उपयोग किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर पूर्व क्षेत्र (एन ई आर) के लिए धनराशि को पुन: जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रियल इस्टेट उद्योग में वित्तीय संकट

2779. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में भारतीय रियल इस्टेट उद्योग वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस सम्बन्ध मे कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थावर संपदा और आवासीय क्षेत्र के अर्द्ध वार्षिक ऋण वृद्धि में तेज गिरावट आयी थी। यह आंशिक रूप से वर्तमान वित्तीय संकट के फलस्वरूप आए नगदी संकट के कारण थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थावर संपदा क्षेत्र में नकदी की स्थिति में सुधार लाने के लिये कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में, वाणिज्यिक स्थावर संपदा में एक्सपोजर पर जोखिम भार को 150% से 100% करना, सभी प्रकार की अवमानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधानिक आवश्यकता में कमी कर 0.4% के एकरूप स्तर पर लाना, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को 4000 करोड़ रुपए के लिए पुनर्वित्त सुविधा और 30 जून, 2009 तक पुनर्गठित वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर को रियायत, शामिल हैं।

धन की आपूर्ति पर नियंत्रण किया जाना

2780. श्री सर्वे सत्यानारायण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं तथा मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए धन की आपूर्ति पर नियंत्रण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जहां राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय सरकार द्वारा किए जाते हैं, वहीं मौद्रिक उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं जो मिलकर विकास को सुसाध्य बनाते हैं एवं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखते हैं। अधिक मुद्रास्फीति के समय में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान जब मुद्रास्फीति दो अंकों में थी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) और रेपो दर बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति घटाने के लिए कदम उठाए गए थे। मुद्रास्फीति के अगस्त, 2008 के अपने शिखर स्तर से कम होने के चलते और वैश्विक वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में सीआरआर, रेपो तथा रिवर्स रेपो की दरें तथा सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) में कटौती करके मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपायों की घोषणा की गई थी। इन दरों की घट-बढ़ संबंधी सारणी नीचे दी गई है:—

नीतिगत दरों में संशोधन

क्रम संख्या	तारीख	रेपो दर	रिवर्स रेपो दर	सीआरआर	एसएलआर
1.	30 अगस्त, 2008 को	9.0	6.0	9.0	25.0
2.	11 अक्तूबर, 2008 को	9.0	6.0	6.5	25.0
3.	20 अक्तूबर, 2008 को	8.0	6.0	6.5	25.0
4.	25 अक्तूबर, 2008 को	8.0	6.0	6.0	25.0
5.	3 नवंबर, 2008 को	7.5	6.0	6.0	25.0
6.	8 नवंबर, 2008 को	7.5	6.0	5.5	24.0
7.	6 दिसंबर, 2008 को	6.5	5.0	5.5	24.0

टिप्पणी:

मोटे अक्षरों में दिए गए आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया परिवर्तन दर्शाते हैं।

सीआरआर: आरक्षित नकदी अनुपात

एसएलआर: सांविधिक नकदी अनुपात

पौधरोपण के लिए अनुमान

2781. **श्रीमती प्रिया दत्त :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू योजना अवधि के लिए देश में पौधरोपण के लिए योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमान का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : वर्ष 2005 की वन रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार, वर्तमान वन एवं वृक्ष परिक्षेत्र 768751 वर्ग कि. मी. है जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 23.39% है। चालू योजनाविधि का लक्ष्य वृक्ष एवं वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिवर्ष 1% और कुल 5% तक लाना है। ग्यारहवीं योजना के दौरान कुल 3700 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिसमें से राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (2000 करोड़ रु.), वन्यजीव वास के एकीकृत विकास (800 करोड़) और पौधरोपण में लगे समुदायों द्वारा सामाजिक वानिकी (900 करोड़ रुपये) शामिल है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्ष 2008 में एक राष्ट्रीय मिशन ''ग्रीन इंडिया'' प्रारंभ किया गया है। मिशन का कार्यान्वयन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राष्ट्रीय वानिकी एवं परिस्थतकीय विकास बोर्ड (एनएईबी) द्वारा किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के लिए एनएईबी को 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रबर, चाय एवं कॉफी पौधरोपण हेतु चालू योजनावधि का कुल परिव्यय 569.17 करोड़ रुपये है। रबर बागानों और नए चाय बागानों के पौधरोपण और पुन: पौधरोपण के लिए कवर किया जाने वाला क्षेत्र क्रमश: 8350 हेक्टे. और 8000 हेक्टे. है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

2782. **श्री विजयेन्द्र पाल सिंह :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाघों के संरक्षण के मिशन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) तथा प्रोजेक्ट टाइगर को दिए गए अधिशेषों के अनुसार इनकी भूमिका में अंतर क्या है;

(ख) एन टी सी ए तथा प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा क्रमश: किस सीमा तक सफलता प्राप्त की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अवैध शिकार करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव (सुरक्षा), अधिनियम, 1972, यथा संशोधित 2006 के सक्षम उपबंधों के अंतर्गत उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार बाघ संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए गठित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। 'बाघ परियोजना' अभिनिर्धारित बाघ रिजर्वों में बाघों के स्व-स्थाने संरक्षण के लिए बाघ रेंज वाले राज्यों को निधिकरण सहायता देने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है।

(ख) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की परिधि में सलाहकारों/नॉर्मेटिव दिशानिर्देशों द्वारा ओवर साइट बनाए रखकर देश में बाघ स्तर के मूल्यांकन, जारी संरक्षण पहलों और विशेष रूप से गठित समितियों की सिफारिश के आधार पर बाघ संरक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने मैंडेट को पूरा करने में सफल रहा है। परिमार्जित कार्य प्रणाली का उपयोग कर अखिल भारतीय बाघ आकलन के हाल में निष्कर्षों से पता चलता है कि बाघ परियोजना ने संकटापन्न बाघों को विलुप्त होने से बचाकर उनकी रिकवरी सुनिश्चित की है। यह स्वतंत्र रिपोर्ट बाघ परियोजना की उपलब्धियों को दर्शाती है और यह बताती है कि बाघों की व्यवहार्य संख्या केवल उन्हीं बाघ रिजर्व क्षेत्रों में मौजूद है जो बाघ परियोजना के क्षेत्राधिकार में आते हैं जबकि इनके बाहर बाघों की संख्या का स्तर बहुत कम है।

(ग) और (घ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2006 में किए गए संशोधन द्वारा किए गए समर्थनकारी उपबंधों के आधार पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) को पहले ही गठित और संचालित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त संशोधन द्वारा बाघ रिजर्वों से संबंधित अपराधों के लिए जुर्माने में भी वृद्धि की गई है। बाघ परियोजना की जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत बाघ रिजर्वों को निधिकरण सहायता प्रदान की जाती है जिसमें सुरक्षा और शिकार रोधी कार्य शामिल है। चूंकि बाघ रिजर्वों का रोजमर्रा प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है। अत: भारत सरकार के स्तर पर व्यक्तिगत अवैध शिकार करने वालों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय/मंत्रालयीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए संसद सदस्यों का चयन

2783. **श्री नवीन जिन्दल :** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय/मंत्रालयीय सम्मेलनों के लिए विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों में संसद सदस्यों को शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संसद सदस्यों के चयन/मनोनयन संबंधी मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या संसदीय कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जब-जब विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/मंत्रालयीय सम्मेलनों हेतु भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों में संसद सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है, मंत्रालयों द्वारा संसद सदस्यों को ऐसे सम्मेलनों में शामिल किया जाता है। सरकार द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधिमंडल में संसद सदस्यों का चयन, जहां अपेक्षित हो, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं/प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के परामर्श से संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया जाता है। नामांकन करते समय, संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों की अभिरूचि, अनुभव और उपयुक्तता और साथ ही अत्यावश्यक संसदीय कार्य के लिए उनकी उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से विदेश मंत्रालय की अनुमति और यदि विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाया जाता है तो गृह मंत्रालय की अनुमति भी आवश्यक होती है।

महाविद्यालयों की स्थापना हेतु मानदंडों में छूट

2784. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मेडिकल प्रैक्टिशनरों की कमी को पूरा करने के लिए देश में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी मानदंडों में छूट देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार ने वार्षिक रूप से 50/100/150 एमबीबीएस नामांकन के लिए न्यूनतम मानक के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में नये चिकित्सा कालेज खोलने के लिए नियत मानदंडों को संशोधित करने के निर्णय की सूचना भारतीय चिकित्सा परिषद को प्रेषित कर दी है। ऐसे राज्यों में जहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नहीं चलाया जा रहा है, पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और अन्य राज्यों के पहाड़ी जिलों में नये मेडिकल कालेज खोलने के लिए परिसर के लिए भूमि संबंधी मानदंड, बिस्तरों की संख्या, अन्तरंग बिस्तर की धारिता सबंधी मापदंडों में छूटें दी गई हैं। इन राज्यों में नये मेडिकल कालेज खोलने के लिए कुल भूमि की आवश्यकता 20 एकड़ होगी जो दो टुकड़ों से अधिक में न हो और इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर हो जबकि देश के अन्य भागों के लिए 25 कि.मी. की दूरी निर्धारित की गई है। सड़क या सुरंग द्वारा विभाजित और पुल से जुड़ी भूमि को मेडिकल कालेज खोलने की दृष्टि से भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा। मेडिकल कालेज शुरू करने के समय शिक्षण अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या से संबंधित मानदंड में छूट देकर 250 बिस्तर निर्धारित किये गये हैं जबकि देश के अन्य भागों के लिए 300 बिस्तर निर्धारित किये गये हैं। इन क्षेत्रों में अंतरंग बिस्तर धारिता से संबंधित मानदंड में छूट देकर इसे 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इससे देश के असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में नये मेडिकल कालेज खोलने और मेडिकल कालेजों की संख्या तथा देश में डाक्टरों की उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। ये निर्णय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद ही लागू होंगे।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2785. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन, चार लेन वाला और दो लेन वाला बनाने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं/शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की क्या स्थिति है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई और इसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान, चार लेन बनाने की सात परियोजनाएं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 239 कि.मी. है, और दो लेन बनाने की 18 परियोजनाएं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 129 कि.मी. है, पूरी हो चुकी हैं। छह लेन बनाने की दो परियोजनाएं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 34 कि.मी. है, चार लेन बनाने की 13 परियोजनाएं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 452 कि.मी. है; और दो लेन बनाने की 16 परियोजनाएं जिनकी लंबाई कुल मिलाकर 151 कि.मी. है, चल रही हैं।

(ग) 6 लेन, 4 लेन और 2 लेन बनाने पर क्रमशः 555 करोड़ रु., 3399 करोड़ रु. और 93 करोड़ रु. व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) चालू परियोजनाएं, कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं और इन्हें दो वर्ष में पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

एनटीपीसी और सीआईएल का संयुक्त विद्युत उद्यम

2786. **श्री हितेन बर्मन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का विचार आपसी सहयोग से पश्चिम बंगाल में दो विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ख) इस संबंध में आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) कोयला ब्लाकों (पहले से ही अभिज्ञात कोयला ब्लाकों अर्थात चिकरो-पटसीमल तथा ब्राह्मणी सहित) तथा समेकित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को संयुक्त रूप से विकसित करने के उद्देश्य से एक या एक से अधिक संयुक्त उद्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 15.3.2007 को सीआईएल और एनटीपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) केवल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा अब तक इस परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप देने के बाद ही परियोजना के प्रारंभ की तारीख निर्धारित की जा सकती है।

ग्रामीण कारोबार केन्द्र

2787. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के गांवों में स्थित ग्रामीण कारोबार केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूपं तमिलनाडु सहित राज्य-वार क्या लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण कारोबार केन्द्रों (आरबीएच) का और अधिक विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) अभी तक तमिलनाडु सहित 15 राज्यों में 162 ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ग्रामीण व्यवसाय केंद्र पहल का उद्देश्य व्यावसायिक संबंध तथा निश्चित बाय बैंक व्यवस्थाओं को स्थापित करते हुए ग्रामीण उत्पादों/उत्पादकों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। समझौता ज्ञापनों में विभिन्न स्टेक होल्डरों की भूमिका व उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में अभी तक 30 ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों पर कार्य आरंभ हो चुका है। इन ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों ने निश्चित बाय बैंक के साथ हरियाणा, असम, त्रिपुरा एवं झारखंड में एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र पर आधारित जटरोफा की खेती व विपणन को सुगम बनाया है। ग्रामीण व्यवसाय केंद्रों के माध्यम से मणिपुर में पैशन फ्रूट, उत्तराखंड में फल व सब्जियों, राजस्थान में दाल व मिर्च प्रसंस्करण तथा झारखंड में लाख व इमली के लिए बाजार संपर्क स्थापित किए गए। ग्रामीण व्यवसाय केंद्र ने तमिलनाडु में रेशम कीट पालन, डेयरी उत्पादों, वर्मी कंपोस्ट तथा दाब वाली ईंटों के लिए विपणन के मार्गों को भी उपलब्ध कराया है। इसके अलावा, राजस्थान में हाथ से बुने हुए गलीचों, छत्तीसगढ़ में बेल मेटल व काष्ठ हस्तशिल्प तथा पश्चिम बंगाल में लोक कलाओं को ग्रामीण व्यवसाय केंद्र के पहलों के माध्यम से विपणित किया जा रहा है।

इस प्रकार, ग्रामीण व्यवसाय केंद्र के पहल सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी के प्रोत्साहन के माध्यम से आर्थिक विकास के लाभों को देश के ग्रामीण इलाकों में ले जा रहे हैं। यह विकेंद्रीकृत ग्रामीण उत्पादन इकाइयों तथा व्यापकतर विपणन संस्थाओं के बीच एक समग्र व समन्वित भागीदारी को विकसित करने में भी सहायता पहुंचाएगा।

(ख) और (ग) जी, हां। जबकि ग्रामीण व्यवसाय केंद्र के वर्तमान पहल राज्य सरकारों के परामर्श से अभिचिन्हित 33 जिलों में केंद्रित हैं तथा इन जिलों को परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों की सहायता हेतु गेटवे एजेंसियों की सेवाएं मुहैया कराई गई हैं, पंचायती राज मंत्रालय की, राज्य सरकारों की भागीदारी से देश के 6100 मध्यवर्ती पंचायतों में से प्रत्येक तक उसकी व्याप्ति को बढ़ाने की योजना है।

विवरण

आर बी एच पहल के अन्तर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सूची

क्र. सं.	हस्ताक्षर की तिथि	ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/ जिला/राज्य का नाम	कंपनी का नाम	उत्पाद
1	2	3	4	5
1.	13.8.05	ब्लॉक रामगढ़/नैनीताल/उत्तरांचल	नीमराणा समूह एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
2.	13.8.05	बेतलघाट ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	जय काली ग्रामोद्योग फल संरक्षण एवं प्रसाधन इकाई और आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
3.	13.8.05	काशीपुर ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	काशीपुर एग्रो इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
4.	13.8.05	भीमताल ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	सेखो, जन शिक्षण संस्थान एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
5.	13.8.05	रामनगर ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	डेलीसिया फूड्स (प्रा.) लिमिटेड एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
6.	13.8.05	भीमताल ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	सुरूचि फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
7.	13.8.05	रामनगर ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	इमैजिनेशन्स एग्री एक्सपोर्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
8.	13.8.05	हलद्वानी ब्लॉक//नैनीताल/उत्तरांचल	हैंड्स के. इंटरप्राइजेज (प्रा.) लिमिटेड एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
9.	13.8.05	भीमताल ब्लॉक/नैनीताल/उत्तरांचल	नैनीताल फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
10.	13.8.05	काशीपुर ब्लॉक/नैनीताल/उत्तरांचल	जिंदल फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
11.	13.8.05	हलद्वानी ब्लॉक/नैनीताल/उत्तरांचल	ब्लिस फूड प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
12.	9.10.05	पिनागवन/पुनहाना/मेवात हरियाणा	डी 1 ऑयल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जटरोफा प्लान्टेशन बायो-डीजल
13.	9.10.05	होडल एवं हसनपुर ब्लॉक/फरीदाबाद/ हरियाणा	डी 1 ऑयल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जटरोफा प्लान्टेशन और बायो-डीजल
14.	फरवरी, 2006	बिलासपुर, छछरौली, जगधरी एवं सधौरा ब्लॉक/यमुना नगर/हरियाणा	डी 1 ऑयल्स इंडिया प्राईवेट लिमिटैड	जटरोफा प्लान्टेशन और बायो-डीजल

1	2	3	4	5
15.	23.01.2006	गौरीगंज ब्लॉक/जिला सुल्तानपुर/उत्तर प्रदेश	सेल्फ इम्पलायड वीमेन्स एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए)	हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा उत्पाद
16-37.	दिनांक 24.2.2006 को 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया	कर्नाटक राज्य में विभिन्न ग्राम पंचायतें	मालावली पावर प्लांट लिमिटेड, बंगलौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मंगलौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, हुबली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुलबर्गा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	विद्युत उत्पादन/वितरण
38-42	दिनांक 24.2.2006 को 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया	कर्नाटक राज्य के हम्पी की पांच ग्राम पंचायतें	नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी	पोशाकों के आर्ट वर्क्स/डिजाइन
43	29.7.2006	मोवालूर पंचायत, मइलादुथरई ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	क्लासिक बायोमास	बायो गैस उत्पादन
44.	29.7.2006	कोड़ीमंगलम गांव, मइलादुथरई ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	चोलन बायोमास	बायो गैस उत्पादन
45.	29.7.2006	कोड़ीमंगलम गांव, मइलादुथरई ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	शमीना फूड इंडस्ट्रीज	गुणवत्तायुक्त आटा एवं मूल्यवर्धी उत्पाद
46.	29.7.2006	वल्लालहरम गांव, मइलादुथरई ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	के.एम.आर. इंडस्ट्रीज	शुष्क नारियल पाउडर एवं संबद्ध नारियल उत्पाद
47.	29.7.2006	काप्पर गांव, कुट्टालम ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	एसीटी चैम्बर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	गुणवत्तायुक्त चैम्बर ईंटें
48.	30.7.2006	कंजनगरम गांव, सेम्बानरकोइल ब्लॉक, जिला नगपट्टनम्	शिवा शक्ति सीड्स	धान के बीज की खेती
49.	30.7.2006	अन्नावसल गांव, सेम्बानरकोइल ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	एन.ए.सी. फार्म प्रोडक्ट्स	जैव कंलों का उत्पादन और संसाधित उत्पाद
50.	30.7.2006	सेमंगलम गांव, सेम्बानरकोइल, जिला नागपट्टनम्	आर.के.एस. डेयरी फार्म	गुणवत्तायुक्त दुग्ध प्रसंस्करण, डिब्बा बंद करना व अन्य संसाधित उत्पाद

1	2	3	4	5
51.	20.8.2006	थिरूवैंगारू गांव, सिरकाली ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	शिव शक्ति डेयरी फार्म	गुणवत्तायुक्त दुग्ध प्रसंस्करण, डिब्बा बंद करना व अन्य संसाधित उत्पाद
52.	20.8.2006	थिरूवैंगारू गांव, सिरकाली ब्लॉक, जिला नागपट्टनम्	श्री बालाजी मिल्क डेयरी (चिलिंग प्लांट)	दुग्ध शितलन प्लांट
53.	20.8.2006	बालाजी नगर, सत्तानाथपुरम गांव, सिकाली तालुक, जिला नागपट्टनम्	श्री अप्सरा गारमेंट्स	रेडीमेड वस्त्र
54.	20.8.2006	गांधी नगर पुल्लीवलम, जिला थिरूवरूर	श्री दुर्गा विलास	मूंगफली उत्पाद
55.	20.8.2006	चिदम्बरम मैन रोड, अलकोंडानाथम-पो. कट्टुमनरकोइल तालुक कडडालूर जिला	श्री अबिरामी सॉ मिल	लकड़ी चिराई मिल एवं उपस्कर तथा फिटिंग उत्पादन
56.	14.6.2006	रत्नगढ तहसील एवं चूरू जिला + उर्मुल रूरल हैल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, बीकानेर	जयपुर रग्स कंपनी लिमिटेड	गलीचा बुनाई क्लस्टर
57.	18.5.2006	पंचायत समिति-दूदू, जयपुर	मेसर्स नीरजा इंटरनेशनल आईएनसी एवं रूडा	नीला मृदभांड शिल्पकार समूह
58.	26.10.2006	सिकराई ब्लॉक, दौसा, जयपुर	कैमटेक एसोसिएट्स प्रा. लिमिटेड	बालू पत्थर शिल्प
59.	31.10.2006	सुजानगढ़ ब्लॉक चुरू	मेसर्स एच.डी.एन.टेक्सटाईल्स, चुरू	बंधेज (टाई एवं डाई)
60.	23.02.2007	पेरूंथोट्टम/सिरकाली/नागपट्टिनम	श्री बालाजी मिल्क डेयरी (चिलींग प्लांट)	दुग्ध
61.	23.02.2007	वनगिरी/सिरकाली/नागपट्टनम्	गोमाता मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसाइटी के साथ बालाजी मिल्क डेयरी	दुग्ध
62-65.	26.02.2007	विल्लूपुरम/माराकनम ब्लॉक-4 पंचायतें	अरूविले — पिथकंडकुलम (पीबीआरसी-एनजीओ)	कंप्रेस्ड ईंट
66-71.	26.02.2007	विल्लूपुरम/माराकनम ब्लॉक-6 पंचायतें	अरूविले — पिथकंडकुलम (पीबीआरसी-एनजीओ)	स्पीरूलीना
72-97.	दिनांक 26.2.2007 को 26 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए	नागापट्टिनम जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतें	रूरल बीपीओ	कंप्यूटर सैंटर

1	2	3	4	5
98.	31.07.2007	जलूकी टाउंस काउंसिल, जिला पेरेन, नागालैंड	जयपुर रग्स कंपनी प्राईवेट लिमिटेड जयपुर	सुमेक गलीचे
99.	31.07.2007	उंगमा ग्राम परिषद माकोकचुंग, नागालैंड	नागालैंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड दीमापुर	अनानास एवं पैशन फ्रूट
100.	12.09.2007	जिला परिषद अजमेर	नीलकमल बायोफ्यूएल प्रा. लिमिटेड जयपुर	पुष्प कृषि
101.	नवम्बर, 2007	चलता बेरिया बीपी/उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	मारवाड़ी ट्रेडर्स	टेराकोटा यूटीलिटि आइटम्स
102.	10.12.2007	चलता बेरिया, दत्तापुकुर-II ग्राम पंचायत उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल	मारवाड़ी ट्रेडर्स, उदयपुर	टेराकोटा पॉटरी
103.	17.12.2007	कथौरी ग्राम पंचायत एवं जैसलमेर जिला पंचायत	रंगोत्री, जयपुर	ऊनी शाल (पट्टू)
104.	22.12.2007	मौलवैफेई, सैयदन एवं थेनमुअल ग्राम परिषद् सैयकोट चुराचांदपुर	पैशन फ्रुट ग्रोअर्स एसोसिएशन, मणिपुर	फल भंडारण
105.	30.12.2007	कोंडा गांव ब्लॉक पंचायत (करण पुर दाहीकोंगा एवं सोनाबल)	साथी, कोंडागांव (एन.जी.ओ.)	बेल धातु शिल्प
106.	30.12.2007	फारसगांव एवं कोंडागांव ब्लौक पंचायत (ऊमरगांव)	साथी, कोंडागांव (एन.जी.ओ.)	पिटवां लौह हस्तशिल्प
107.	30.12.2007	कोंडागांव ब्लॉक पंचायत (दाहीकांगा)	आदर्श शिल्प शक्ति, महासमग (एन.जी.ओ.)	बेल धातु शिल्प
108.	30.12.2007	कोंडागांव ब्लॉक पंचायत (गोलावांड)	बस्तर क्राफ्ट डेवलपमेंट एशोसिएशन (एन.जी.ओ.)	काष्ठशिल्प
109.	30.12.2007	बस्तर ब्लॉक पंचायत (भौंड)	बस्तर क्राफ्ट डेवलपमेंट एशोसिएशन (एन.जी.ओ.)	काष्ठशिल्प
110.	30.12.2007	कोंडागांव ब्लॉक पंचायत एवं माकड़ी ब्लौक का बारकई, बस्तर (कुम्हारपाड़ा)	हस्तशिल्प उद्योग सहकारी संस्था समिति	बेल धातु शिल्प
111.	दिसम्बर, 07	जॉयपुर बीपी/पुरूलिया/पश्चिम बंगाल	डी के इन्टरप्राइजेज	अगरबत्ती
112.	जनवरी, 08	ननूर बीपी/बीरभूम/पश्चिम बंगाल	विवर्स स्टूडियो रिसोर्स सेंटर	कंथा स्टिच
113.	जनवरी, 08	मानबाजार-I बीपी/पुरूलिया/पश्चिम बंगाल	विवर्स स्टूडियो रिसोर्स सेंटर	तसर
114.	08.02.2008	महासोना गांव की पंचायत समिति, विकास खंड भयंदर संडिला हरदोई उत्तर प्रदेश	मियां दस्तकार जरीवाले प्राइवेट लिमिटेड एवं कलात्मक हैण्डीक्राफ्टस एसएचजी फाउन्डेशन्स	चिकेन वर्क

1	2	3	4	5
115.	फरवरी, 08	पिंगला बीपी/पश्चिम मेदनीपुर/पश्चिम बंगाल	सशा/सर्व शांति आयोग	पटचित्र, स्टेशनरी, परिधान, चमड़ा एवं पटचित्र उत्पाद
116.	फरवरी, 08	पिंगला बीपी/पश्चिम मेदनीपुर/पश्चिम बंगाल	विवर्स स्टूडियो रिसोर्स सेंटर	कार्य अनुसंधान के भाग के रूप में कार्यशाला में विकसित पटचित्र स्टेशनरी, चमड़ा, मृदभांड उत्पाद
117.	फरवरी, 08	कूचबिहार-I बीपी/कूचबिहार पश्चिम बंगाल	विवर्स स्टूडियो रिसोर्स सेंटर	
118.	फरवरी, 08	बोलपुर-श्रीनिकेतन बीपी/बीरभूम/पश्चिम बंगाल	विवर्स स्टूडियो रिसोर्स सेंटर	
119.	फरवरी, 08	चलताबेरिया बीपी/उत्तरी 24 परगना/ पश्चिम बंगाल	विवर्स स्टूडियो रिसोर्स सेंटर	
120.	फरवरी, 08	चलताबेरिया बीपी/उत्तरी 24 परगना/ पश्चिम बंगाल	सुकन्या प्रोजेक्ट	टेराकोटा डेकोरेटिव एवं यूटिलिटी आइटम
121.	फरवरी, 08	तामलुक बीपी/पूर्व मेदनीपुर/पश्चिम बंगाल	सुकन्या प्राजेक्ट	विविध जूट उत्पाद
122.	फरवरी, 08	पातशपुर-I बीपी/पूर्व मेदनीपुर/पश्चिम बंगाल	सुकन्या प्रोजेक्ट	मदुरकाथी बैग, फोल्डर, परदे एवं चटाइयां
123.	फरवरी, 08	बोलपुर-श्रीनिकेतन/बीरभूम/पश्चिम बंगाल	सुकन्या प्रोजेक्ट	कसीदाकारी, बटिक, कास्टयूम ज्वैलरी
124.	फरवरी, 08	बोलपुर-श्रीनिकेतन/बीरभूम/पश्चिम बंगाल	सुकन्या प्रोजेक्ट	कलात्मक चमड़े का सामान
125.	18.02.2008	सोरोन ब्लाक, जिला एटा, उत्तर प्रदेश	मयाना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बुलंदशेर (एनजीओ) एवं नेथाट दिल्ली (प्रा.)	जैव कृषि एवं वर्मी कम्पोस्ट
126.	22.02.2008	चरकिपारी ग्राम, देवघर ब्लाक, जिला देवघर, झारखंड	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
127.	06.03.2008	मिजोरम इडोडेल्हना प्रोग्राम (एम आई पी) मिजोरम सरकार	मिजोरगैनिक प्राड्यूसर कं. एवं मिजोरम ग्राम काउन्सिल एसोसिएशन, मिजोरगैनिक लिमिटेड	ताजे फल एवं सब्जियां (बागवानी)
128.	11.03.2008	कमरचाक ग्रा.पं., कुल्पी ब्लाक, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स एवं वीएसएसयू	सुमक कारपेट
129.	11.03.2008	घाटेश्वर ग्रा.पं. मंदिर बाजार ब्लाक, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स एवं वीएसएसयू	सुमक कारपेट

1	2	3	4	5
130.	12.03.2008	शंकरपुर ग्रा.पं. मथुरापुर बीपी, दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स एवं वीएसएसयू	सुमक कारपेट
131.	17.03.2008	मुंडामुंडी ग्राम, देवीपुर ब्लाक, देवघर, झारखंड	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
132.	17.03.2008	गब्बेरिया ग्रा.पं. एवं मंदिरबाजार ग्रा.पं., दक्षिणी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	विवेकानंद सेवाकेंद्र,-ओ-शिशु उद्यान (वीएसएसयू)	जैव उर्वरक, डेयरी फार्मिंग और जैव कृषि
133.	20.03.2008	भौरकंडा ग्राम, सरवन ब्लाक, जिला देवघर, झारखण्ड	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
134.	29.03.2008	निगाई ग्रा.पं., चोपन ब्लाक, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
135.	29.03.2008	कुडवा ग्राम पंचायत, चोपन ब्लाक, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
136.	मार्च, 2008	इल्लमबाजार बीपी/बीरभूम/पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल	परियोजना सुकन्या	कंथा इम्ब्रॉयडरी
137.	04.04.2008	बेहेटा बीपी में कुंजवा ग्रा. पं. एवं मसोडा – पालीगंज में जलपुरा ग्रा,पं., पालीगंज, बिहार	ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान एवं औषधीय एवं सुगंधित पौधा उत्पादक संघ, बिहार	हर्बल एवं सुगंधित पौधा सामान्य सहायता केन्द्र
138.	10.04.2008	सभापति, पंचायत समिति, झालडा II ब्लाक, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	आई-लैण्ड इनफारमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	लोक कला का उन्नयन
139.	10.04.2008	सभापति, पंचायत समिति, बलरामपुर ब्लाक, पुरूलिया पश्चिम बंगाल	आई-लैण्ड इनफारमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	लोक कला का उन्नयन
140.	11.04.2008	गिधिया ग्रा.पं., चोपन बीपी, जिला सोनभद्र	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
141.	11.04.2008	देवाटन ग्रा.पं. चोपन बीपी, जिला सोनभद्र	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	सुमक कारपेट
142.	23.05.2008	जुनिया, देवारवास, सांथली, देवली ब्लाक में बांथली ग्रा.पं., टौंक, राजस्थान	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, किसान समूह	लाल मिर्च प्राप्ति एवं विपणन
143.	23.05.2008	टौंक ब्लॉक में खुरेडा, गलोध, दोडवदि, अरणिया एवं देवपुरा ग्रा.पं., टौंक राजस्थान	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, किसान समूह	लाल मिर्च प्राप्ति एवं विपणन
144.	मई, 08	मान बाजार-I बीपी/पुरूलिया, पश्चिम बंगाल	फैब इंडिया (कोलकाता में स्रोत कंपनी-बंगाल शिल्पकार)	तसर

1	2	3	4	5
145.	04.06.2008	मेदी ग्रा.प. पंचायत समिति कोट्रा, उदयपुर, राजस्थान	सेवा मंदिर, उदयपुर सहकारी उपभोक्ता थोक भंडार, नाला दल उत्पादक संघ	दाल प्रसंस्करण केंद्र (मिल)
146.	06.06.2008	वालोर बीपी, जिला-दरभंगा, बिहार	शक्ति सुधा उद्योग, खेत से बाजार तक एवं किसान समूह	मखाना (नकदी फसल)
147.	06.06.2008	नेहरा बीपी, जिला-दरभंगा, बिहार	शक्ति सुधा उद्योग, खेत से बाजार तक एवं किसान समूह	मखाना (नकदी फसल)
148.	06.06.2008	उज्जान बीपी, जिला-दरभंगा, बिहार	शक्ति सुधा उद्योग, खेत से बाजार तक एवं किसान समूह	मखाना (नकदी फसल)
149.	06.06.2008	जगदीशपुर बीपी, जिला-दरभंगा, बिहार	शक्ति सुधा उद्योग, खेत से बाजार तक एवं किसान समूह	मखाना (नकदी फसल)
150.	06.06.2008	गंगोली कनकपुर बीपी, जिला-दरभंगा, बिहार	शक्ति सुधा उद्योग, खेत से बाजार तक एवं किसान समूह	मखाना (नकदी फसल)
151.	14.07.2008	लाल बीपी, जिला हैलाकांडी, असम	डी-1 विलियमसन मगोर जैव ईंधन लिमिटेड	जटरोफा खेती एवं किसानों से सीधी खरीद
152.	14.07.2008	जिला पंचायत, अंबिकापुर एवं मानीपत बीपी, जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़	जयपुर रग्स फाउन्डेशन्स	हाथ से बुने हुए गलीचों की बुनाई
153.	23.07.2008	छान एवं अल्लाहपुर ग्रा.पं., खंडार बीपी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, किसान समूह	लाल मिर्च प्राप्ति एवं विपणन
154.	24.07.2008	चियाक्की पंचायत, मेदीनगर बीपी, जिला पलामू, झारखण्ड	अलटरनेटिव फॉर इण्डिया डेवलपमेंट, (एनजीओ) एवं कृषि विज्ञान केन्द्र	लाह की खेती
155.	24.07.2008	महुआटांड पंचायत, जिला-लातेहार, झारखण्ड	अलटरनेटिव फॉर इण्डिया डेवलपमेंट, अग्रवाल ट्रेडर्स एवं लार्ज एरिया बहुउद्देश्यीय कापरेटिव सोसाइटी	इमली एवं वन उत्पाद
156.	21.08.2008	मारखल एवं जंबाडा ग्रा.पं., बीदर बीपी, बीदर, कर्नाटक	सहयोग (एन जी ओ) एस.बी.आई. एवं कर्नाटक स्टेट हैण्डीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन	बिदरी शिल्प
157.	22.08.2008	जिला परिषद, बरपेटा शहर, जिला बरपेटा, असम	धृति (एन जी ओ) एवं तम्बुल प्लेट विपणन कंपनी	सुपारी पत्ता प्लेट
158.	16.11.2008	देवगांव, लतरातू ग्रा.पं./लापुंग बीपी/रांची, झारखण्ड	ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं झारखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन

1	2	3	4	5
159.	16.11.2008	जामटोली, इटा ग्रा.पं./बेरो बीपी/रांची, झारखण्ड	ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं झारखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन
160.	16.11.2008	मुरमा नयासराय ग्रा.पं./टिनहुल II बीपी/रांची/झारखण्ड	ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं छोटानागपुर शिल्प डेवलपमेंट सोसाइटी (सीसीडीएस)	विविध जूट उत्पाद
161.	16.11.2008	दाहू ग्रा.पं./ओरमांझी बीपी/रांची/झारखण्ड	ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं झारक्राफ्ट	बांस आधारित शिल्प
162.	10.12.2008	करिध्या ग्रा.पं./सूरी-I बीपी/बीरभूम/पश्चिम बंगाल	बीरभूम थालस्सेमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं कामन इंटरेस्ट ग्रुप	हस्त कसीदाकारी युक्त उत्पाद

[हिन्दी]

मुम्बई की घटना का सीधा प्रसारण

2788. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों का सीधा प्रसारण करने के संबंध में न्यूज चैनलों पर कोई प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सुरक्षा कारणों के मद्देनजर ऐसे सीधे प्रसारण के संबंध में मार्ग-दर्शी सिद्धांत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 27.11.2008 के पत्र (प्रति विवरण के रूप में संलग्न) के तहत सभी समाचार एवं समसामयिक विषयक टीवी चैनलों को इस बात को सुनिश्चित करने के निदेश दिए थे कि मुंबई में हालिया आतंकी हमले से संबंधित घटनाओं की कवरेज में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में लगे सुरक्षा बलों की स्थिति, क्षमता, संचलन, रणनीति या उनकी कार्रवाई से संबंधित किसी भी घटना के बारे में विशेष बल न दिया जाए या उसकी रिपोर्टिंग न की जाए क्योंकि इससे उनके लिए संकट पैदा हो सकता है। चैनलों को यह भी निदेश दिए गए थे कि खून या जमा हुए खून, विघटित या विकृत अंगों या शरीरों के निकट शॉट एवं चित्र अथवा मृत या गंभीर रूप से घायल लोगों के चित्र, जिनसे बड़ी संख्या में दर्शक काफी व्यथित होते हों या आतंक का माहौल बनता हो और अधिक हिंसा भड़कती हो, न दिखाए जाएं।

समाचार प्रसारण संघ ने अपने स्वयं के स्व-वि[illegible]न संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं और उसने ऐसी चिन्ताओं का निराकरण करने के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुपूरण करने हेतु एक 'आपातकाल नयाचार' अंतर्विष्ट करने पर सहमति दी है।

विवरण

सं. 1501/35/2008-टी वी (आई)

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक: 27 नवंबर, 2008

सेवा में

सभी समाचार और समसामयिक विषयक टीवी चैनल

विषय: जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप आपत्तिजनक विषय-वस्तु/सम्प्रेषण के संबंध में जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में निदेश।

यद्यपि, हाल ही में मुम्बई में हुए आतंकवादी हमलों के मामले में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंकवादियों से निपटने के लिए और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं, तथापि, इस मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि सुरक्षा बलों की स्थिति, क्षमता, संचलन, रणनीति अथवा इससे संबंधित किसी अन्य कार्रवाई की मीडिया और वीडियो कवरेज से सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उनकी सुरक्षा

एवं सामान्यत: जनता की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

2. इसलिए, अब भारत में प्रसारित किए जा रहे सभी समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों को अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के खण्ड 5.9 एवं 8.1 तथा डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के खण्ड 5.8 एवं 6.1 के तहत जनहित और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह सुनिश्चित करने के लिए एतद्द्वारा निदेश दिए जाते हैं कि मुंबई में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों से संबंधित घटनाओं की कवरेज में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में लगे सुरक्षा बलों की स्थिति, क्षमता, संचलन या उनकी कार्रवाई से संबंधित किसी भी घटना पर विशेष बल न दिया जाए क्योंकि इससे उनके लिए संकट पैदा हो सकता है। चैनलों को यह निदेश दिए गए थे कि खून या जमा हुआ खून, विघटित या विकृत अंगों या शरीरों के निकट शॉट एवं चित्र अथवा मृत या गंभीर रूप से घायल लोगों के चित्र जिनसे बड़ी संख्या में दर्शक काफी अधिक व्यथित होते हों या आतंक का माहौल बनता हो और अधिक हिंसा भड़कती हो, न दिखाये जाएं।

3. उपर्युक्त निदेशों को सभी टी वी चैनलों द्वारा बेहद गंभीरता से लिया जाए। इन निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने पर अपलिंकिंग दिशा-निदेशों के खंड 5.9 और डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के खंड 5.8 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के खंड 6.4 और 6.10 के तहत चूककर्ता चैनलों के मामले में एस एन जी/डी एस एन जी वैन के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

ह./-
(प्रवीण कुमार)
निदेशक (बी सी)
दूरभाष: 23381246

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कक्ष प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव

2789. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव कक्ष प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उन्नयन की आवश्यकता की मान्यता देता है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव केन्द शामिल है। इसके लिए बनाए गए और सभी राज्यों/संघ राज्यों को परिचालित किए गए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार तदर्थ प्रथम अनुदान/अनुरक्षण अनुदान, आरसीएच-II/एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

चंद्रयान प्रथम की उपलब्धियां

2790. डा. टोकचोम मैन्या : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंद्रयान प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं; और

(ख) इस मिशन द्वारा अब तक किए प्रयोगों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) चन्द्रयान-1 की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:—

1. प्रथम प्रयास में सफल एवं सतर्क योजना तथा नैदानिक सूक्ष्मता के साथ मिशन के सभी पहलुओं का क्रियान्वयन स्वदेशी ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी एस एल वी) के सुधारित रूपांतर का उपयोग करते हुए प्रमोचन से लेकर अंतरिक्षयान के गहन अंतरिक्ष पहुंचने तक सही कक्षा में युक्तिचालन तथा अंत में चंद्र ध्रुव कक्षा में संस्थापन।

2. सभी तीन उपकरण सुस्थिति में कार्य करते हुए दक्षिण ध्रुव के पास पूर्वनिर्धारित क्षेत्र में अवतरण हेतु चंद्र संघट्ट प्रोब को सही रूप में छोड़ना।

3. योजनानुसार, विभिन्न उपकरणों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। नियमित रूप से कुछ उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात है कि सभी क्रियान्वित किए गए उपकरणों को उत्कृष्ट पाया गया जिसमें से कई आंकड़े नियमित रूप से संग्रहित किए जा रहे हैं।

4. यूरोप तथा अमेरिका के विदेशी नीतभारों तथा भारत के नीतभारों से युक्त चंद्रयान-1, एक अग्रगामी के रूप में भविष्य की ग्रहीय खोज में अंतरराष्ट्रीय सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करता है।

(ख) चन्द्रयान-1 मिशन कुल ग्यारह (11) नीतभारों/परीक्षणों से युक्त हैं जिसमें 5 भारतीय और 6 विदेशी अन्वेषक हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

भारतीय नीतभार/परीक्षण

— भू-भाग मानचित्रण कैमरा (टी.एम.सी.) को चन्द्र कक्षा में 13 नवम्बर, 2008 को चालन किया गया और यह चन्द्र सतह के उच्च आकाशीय विभेदन 3डी एटलास तैयार करने के लिए आंकडा संग्रहित किया जा रहा है।

— चन्द्र संघट्ट प्रोब चन्द्र सतह के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के समीप पूर्व निर्धारित स्थान पर, दिनांक 14 नवंबर, 2008 को संघट्ट किया। जहां संघट्टित हुआ है, एम आई पी ने उस चंद्र सतह का नजदीकी चित्र खींचा है।

— हाइपर स्पेक्ट्रल प्रतिबिंबक (एच. वाई. एस. आई.) का चालन 16 नवंबर, 2008 को किया गया और चंद्र सतह के खनिजीय मानचित्रण हेतु आंकड़ा प्राप्त किया गया।

— 16 नवंबर, 2008 को लूनार लेजर रेंजिग उपकरण (एल एल आर आई) का चालन किया गया तथा अंतरिक्षयान और चंद्र सतह के बीच की ऊंचाई के अंतर का निर्धारण करने हेतु आंकड़ा संग्रह किया गया।

— 5 दिसंबर, 2008 को उच्च शक्ति एक्स-किरण स्पेक्ट्रममापी का चालन किया गया। पर्याप्त आंकड़े प्राप्त किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय नीतभार/उपकरण

— भू-स्थानांतरण कक्षा में, 23 अक्तूबर, 2008 को बल्गेरिया से विकिरण डोस मॉनीटर (आर ए डी ओ एम) का चालन किया गया। इसने भू तथा चंद्र-विकिरण पर्यावरण की सूचना उपलब्ध कराई।

— राष्ट्रीय वायुयानिकी व अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा 17 नवम्बर, 2008 को लघु संश्लेषी द्वारक राडार (मिनी एसएआर) का चालन किया गया तथा आंकड़ा संग्रह किया गया।

— राष्ट्रीय वायुयानिकी व अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) द्वारा चंद्र खनिजीय मानचित्रण (एम 3) का 18 नवंबर, 2008 को चालन किया गया तथा वह चंद्र खनिज संसाधन पर आंकड़ा संग्रहित कर रहा है।

— यूरोपियन अंतरिक्ष एजेन्सी (ईएसए) से आई आर स्पेक्ट्रममिति (एस आई आर 2) के पास 19 नवंबर, 2008 को चालन किया गया और वह चंद्र खनिज का आंकड़ा संग्रहित करता है।

— रदरफोर्ड एपेलटोन प्रयोगशाला तथा इसरो उपग्रह केंद्र (आइजेक), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा चंद्रयान-1 एक्स-किरण स्पेक्ट्रममिति (सी आई एक्स एस) का 20 नवंबर, 2008 को चालन किया गया तथा वह चंद्र सतह के घटकों की बहुलता का आंकड़ा संग्रहित कर रहा है।

— अंतरिक्ष भौतिकी का स्वीडिश संस्थान तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वी एस एस सी), इसरो द्वारा उप केवी परमाणु परावर्तन विश्लेषित्र (एस ए आर ए) का 8 दिसंबर, 2008 को कम समय के लिए नमूना आंकड़ा संग्राहित करने के लिए चालित किया गया।

सभी उपकरणों की विस्तृत पर्यावेक्षण योजना बनायी गयी है। अब तक प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि सभी उपकरण अच्छी तरह काम कर रहे हैं।

म्यांमार के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना

2791. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और म्यांमार के बीच व्यापार और विकास तथा उत्तर-पूर्व तक द्विपक्षीय पहुंच मार्ग के बारे में द्विपक्षीय विचार विमर्श हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके अनुसरण में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) वाणिज्य एवं विद्युत राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश ने भारत-म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र में भाग लेने के लिए जुलाई, 2008 और फिर 14-15 अक्तूबर, 2008 तक म्यांमार का दौरा किया। वार्षिक विदेश कार्यालय परामर्शों के लिए विदेश सचिव ने नवम्बर, 2008 में म्यांमार का दौरा किया। म्यांमार के वाणिज्य मंत्री महामहिम ब्रिगेडियर जनरल तिन नाइंग थीन ने जुलाई, 2008 में भारत का दौरा किया।

जुलाई, 2008 में वाणिज्य राज्य मंत्री की म्यांमार यात्रा के दौरान

दोनों देशों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संवर्धन करार (बीआईपीए) और बैंकिंग व्यवस्थाओं संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये। संयुक्त व्यापार समिति के तीसरे सत्र में दोनों देशों ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सहमति व्यक्त की:—

— मणिपुर में मोरेह और मिजोरम में जोवखाथार में वर्तमान सीमा व्यापार को सामान्य व्यापार में बदलना;

— नागालैंड में अवानखुंग को म्यांमार के साथ तीसरे सीमा व्यापार केन्द्र के रूप में विकसित करना;

— भारत-म्यांमार सीमा व्यापार करार के अंतर्गत पण्यों की विद्यमान 22 मदों की सूची को बढ़ाकर 40 मदों तक करना; और

— बैंकिंग व्यवस्थाओं को संचालित करना;

जहां तक उत्तर-पूर्व के लिए संपर्क मार्ग का प्रश्न है, कलादान बहु-विध पारगमन परिवहन परियोजना संबंधी रूपरेखा करार, परियोजना के लिए पारगमन को सुविधाजनक बनाने संबंधी एक प्रोटोकोल और परियोजना के अनुरक्षण और प्रशासन से संबद्ध एक प्रोटोकोल पर 2 अप्रैल, 2008 को वरिष्ठ जनरल मौंग अए की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गये। कलादान बहुविध पारगमन परियोजना में पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित भारतीय बंदरगाहों और म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह के बीच और फिर नदीय परिवहन और सड़क के द्वारा मिजोरम तक संपर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

केरल बिजली बोर्ड को कोयला ब्लाक देना

2792. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य बिजली बोर्ड से बिजली उत्पादन के लिए कोयला ब्लाक के आबंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य उपक्रमों अर्थात् मैसर्स उड़ीसा हाइड्रोपावर जनरेशन कारपोरेशन और मैसर्स गुजरात पावर जनरेशन कारपोरेशन सहित केरल राज्य सरकार की एक पीएसयू, मैसर्स केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को संयुक्त रूप से 200.66 मिलियन टन भूवैज्ञानिक भंडार वाले बैतरणी वेस्ट कोयला ब्लाक का आवंटन विद्युत उत्पादन के लिए 25 जुलाई, 2007 को किया गया है।

बैंकों द्वारा गांवों को गोद लेना

2793. **श्री प्रतीक पी. पाटील :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंकों ने महाराष्ट्र में गांवों को गोद लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये बैंक अब ग्रामीणों को ऋण देने से मना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक, दिनांक 1.4.1989 से सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण कार्यान्वित कर रहे हैं। सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत बैंक शाखाएं गांवों की ऋण जरूरतों को ऋण कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा कर रही हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, दिसम्बर, 2004 से, सेवा क्षेत्र मानदण्डों में छूट दी है तथा यह अब सिर्फ सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए लागू है। जहां तक ग्रामवासियों को ऋण देने से मना करने का संबंध है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक बैंक है, द्वारा सूचित किया गया है कि वे ग्रामवासियों द्वारा ऋण हेतु दिए गए सभी अर्थक्षम प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

वैश्विक वित्तीय मंदी पर सीआईआई

2794. **श्री मणी कुमार सुब्बा :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भारत को वैश्विक वित्तीय मंदी से बचाने के लिए पांच सूत्रीय कार्य सूची प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्तमान अर्थव्यवस्था के सहायतार्थ पांच सूत्री कार्यसूची में ये शामिल हैं — संचार तथा विश्वास, घरेलू नकदी तथा

ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, क्रेडिट प्रवाह तथा संवृद्धि प्रेरण, राजकोषीय तथा निर्यात संवर्धक विधियां

कार्यसूची के ब्यौरे सीआईआई की वेबसाईट पर निम्न वेब पते पर उपलब्ध हैं: *http://www.ciionline.org/full story.php?menu id=78&new id=1924*

घरेलू नकदी, ब्याज दरों, ऋण प्रवाह तथा संवृद्धि प्रेरण के संबंध में भारत में किए गए कुछ उपायों में निम्न शामिल हैं:—

(क) **मौद्रिक उपाय :** निम्न दरों में कमी : रिपो-9% से 6.5% प्रतिवर्ती रिपो 6% से 5% सीआरआर 9% से 5.5% तथा एसएलआर 25% से 24%

(ख) **बैंक के विदेशी उधार :** 15 अक्तूबर, 2008 : बैंकों को 25% की विद्यमान सीमा की तुलना में अपनी विदेशी शाखाओं तथा तदनुरूप बैंकों से पिछली तिमाही के अंत की स्थिति के अनुसार अपनी सुदृढ़ टीयर-1 पूंजी के 50 प्रतिशत की सीमा तक निधियां या 10 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी अधिक हो, उधार लेने की अनुमति दी गई।

(ग) **विदेशी वाणिज्यिक उधार :** स्वतः मार्ग के तहत अनुज्ञेय अंत उपयोगों के लिए रुपया व्यय तथा/अथवा विदेशी मुद्रा व्यय के लिए प्रति उधारकर्ता प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक विदेशी वाणिज्यिक उधार की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त समग्र अंतर्हित लागत सीमाएं बढ़ाई गई हैं।

(घ) **पार्टिसिपेटरी नोट्स :** 7 अक्तूबर, 2008 : सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स के निर्गम की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। विनियामक नकद और व्युत्पन्न, दोनों श्रेणियों के लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स के निर्गम के लिए 40% की सीमा हटाएगा।

(ङ) **ऋण में विदेशी संस्थागत निवेश :** 15 अक्तूबर, 2008 : भारत सरकार की घोषणा के अनुसरण में, सेबी ने कारपोरेट ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की सीमा को 3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 6 बिलियन अमरीकी डालर किया है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी और ऋण में निवेशों का आवंटन करने हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए, तत्काल प्रभाव से क्रमशः इक्विटी और ऋण में निवेश के अनुपात 70:30 की सीमा संबंधी शर्तों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

(च) **बैंक, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंड :**

नकदी सुविधाएं दी गईं।

(छ) **अनिवासी भारतीय जमा :**

16 सितम्बर, 2008 : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि, अर्थात लिबोर/इयूरिबोर/अदला-बदली दरों में से 25 आधार बिन्दु कम।

एनआर(ई) आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि अर्थात लिबोर/ईयूरिबोर। अदला-बदली दरों में और 50 आधार बिन्दु जोड़े गए।

15 अक्तूबर, 2008 : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में 50 आधार बिन्दु वृद्धि अर्थात लिबौर/इयूरिबोर/अदला-बदली दरें + 25 आधार बिन्दु।

एलआर(ई) आरए जमाराशियों पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में 50 आधार बिन्दु की वृद्धि अर्थात लिबोर/ईयूरिबोर। अदला-बदली दरों में और 100 आधार बिन्दु जोड़े गए।

(ज) **कुछ अन्य उपाय :**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 नवम्बर, 2008 को घोषित किए गए उपाय निम्न साईट पर उपलब्ध हैं *http://rbi.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=19568*

(झ) **दिसम्बर, 2008 में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :**

(क) 6 दिसम्बर, 2008 को यथा घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की विकास अभिप्रेरणा। इसके ब्यौरे निम्न साईट पर उपलब्ध हैं *http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=19612*

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकास अभिप्रेरित करने के लिए 11 दिसम्बर, 2008 को घोषित अतिरिक्त उपाय निम्न साईट पर उपलब्ध हैं। *http://rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=19637*

(ग) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए घोषित उपाय (प्रधान मंत्री कार्यालय से प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 7 दिसम्बर, 2008) निम्न साइट पर उपलब्ध हैं:—

http://pib.nic.in/release/relase.asp?relid=45376&kwd=

पीपीपी परियोजनाएं

2795. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) हेतु मार्ग-दर्शी सिद्धांत जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं पर ठेकेदारों के एक छोटे समूह और कंपनियों का एकाधिकार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आधार का विस्तार करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ, सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा उन परियोजनाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है जिनकी पूंजीगत लागत अथवा आस्तियों का आधार मूल्य 250 करोड़ रुपए अथवा अधिक (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रस्तावों के संबंध में 500 करोड़ रुपए अथवा अधिक है। 250 करोड़ रुपए से कम (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रस्तावों के संबंध में 500 करोड़ रुपए से कम) की परियोजना लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र पीपीपी परियोजनाओं के लिए अलग से भी मूल्यांकन प्रणालियां विहित की गई हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र की सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया को अधिदेशित करते हैं। परियोजनाओं के मूल्यांकन/अनुमोदन के दौरान यह पता लगाया जाता है कि पीपीपी परियोजनाओं की बोली/अधिप्राप्ति पारदर्शी एवं उचित तरीके से हो रही है जिससे निजी भागीदारी और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने में मदद मिलती है तथा सभी कंपनियों को परियोजनाओं की बोली लगाने की अनुमति प्राप्त होती है।

व्यापक जनकल्याण योजनाओं पर व्यय

2796. श्री के.एस. राव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापक जनकल्याण योजनाओं के लिए राज्यों को स्वीकृत और अंतरित व्यय पर कड़ी तथा प्रभावी निगरानी रखने के लिए नए तौर-तरीके तथा तकनीक विकसित करने का है ताकि धन को लक्षित लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके एवं उस धन को बिचौलियों के हाथों में जाने से बचाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) चरण-I में, सभी केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा केंद्रीय योजना स्कीमों के अंतर्गत निधियां जारी किए जाने के लिए सभी स्वीकृतियों से संबंधित एकमात्र स्वीकृति आईडी तैयार किए जाने का कार्य महालेखा नियंत्रक कार्यालय के ई-लेखा पोर्टल पर 01.04.2008 से शुरू कर दिया गया है।

चरण-II में, नई प्रणाली विकसित करने का प्रायोगिक कार्य दो राज्यों में किया जाएगा।

तस्करी की वस्तुएं

2797. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, कोलकाता और हैदराबाद में वर्षवार कितने मूल्य की तस्करी की वस्तुएं, स्वापक पदार्थ, स्वर्ण, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं इत्यादि जब्त की गई हैं;

(ख) इस संबंध में गिरफ्तार, निरूद्ध और दोषसिद्ध लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जब्त की गई वस्तुओं के निपटान से कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उनका निपटान किस तरीके से किया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए तस्करी के माल का मूल्य निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वर्ण	इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	स्वापक वस्तुएं	विविध
2005-2006	1.87	8.74	46.78	143.91
2006-2007	0.71	11.08	27.91	227.53
2007-2008	1.60	8.44	77.46	192.17
2008-2009 (नवम्बर, 08 तक)	1.74	41.98	34.61	197.96

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए तथा दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों के विवरण निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या
2005-2006	130	2
2006-2007	162	2
2007-2008	166	1
2008-2009 (नवम्बर, 08 तक)	127	—

(ग) जब्त की गई वस्तुओं के निपटान से वसूली गई राशि और वह तरीका जिसके द्वारा ऐसी वस्तुओं का निपटान किया गया, के विवरण निम्नानुसार हैं:—

वर्ष	वसूल की गई राशि (करोड़ रुपये में)	निपटान का तरीका
1	2	3
2005-2006	61.92	ई-नीलामी/संविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी/नकद/एनसीसीएफ
2006-2007	127.93	-तदैव-
2007-2008	106.38	ई-नीलामी/संविदा-सह-सार्वजनिक नीलामी/नकद/एनसीसीएफ
2008-2009 (नवम्बर, 08 तक)	37.35	-तदैव-

* स्वर्ण को टकसाल, मुम्बई में जमा करा दिया गया है और स्वापक वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया है।

सीबीआई में विधि अधिकारियों की कमी

2798. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में विधि अधिकारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में जांच अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इस जांच एजेंसी के कार्यकरण में सुधार किया जा सके?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) दिनांक 01.12.2008 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विधि अधिकारियों के संस्वीकृत 230 पदों में से 74 पद नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रिक्त थे:—

पद	संस्वीकृत पद संख्या	मौजूद पद	रिक्त पद
अपर विधि सलाहकार	6	3	3
उप विधि सलाहकार	20	18	2
वरिष्ठ लोक अभियोजक	67	51	16
लोक अभियोजक	96	60	36
सहायक लोक अभियोजक	41	24	17
कुल	230	156	74

रिक्तियों को भरे जाने में हुई देरी के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:–

– रिक्तियों के भरे जाने की लम्बी प्रक्रिया।

– फीडर ग्रेडों में उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता।

(ग) रिक्तियों का होना और उनका भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। फिर भी, सरकार ने समय पर रिक्तियों का भरा जाना सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को आकर्षित करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर तक वेतन महंगाई भत्ते की 25 प्रतिशत की दर से और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों हेतु 15 प्रतिशत की दर से विशेष प्रोत्साहन भत्ते की स्वीकृति।

(ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पदों हेतु भर्ती नियमों का समय-समय पर संशोधन।

(iii) द्रुत और सुचारू भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्ति पर निरीक्षक के प्रवेश (इंडक्शन) का विकेन्द्रीकरण।

[हिन्दी]

आरक्षित वनों में बाघों की संख्या

2799. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अद्यतन बाघ गणना के अनुसार देश में आरक्षित वनों में बाघ बाघिन की संख्या कितनी है; और

(ख) इससे बाघ संरक्षण के प्रयासों को और अधिक मजबूती से लागू करने में कितनी मदद मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) परिमार्जित कार्यपद्धति का उपयोग करके हाल ही में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के परिणामों के अनुसार, बाघों की देश स्तर पर कुल संख्या 1411 (मिड वैल्यू) है, निचली और ऊपरी सीमाएं क्रमशः 1165 और 1657 हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। बाघ संख्या का हाल में किया गया मूल्यांकन बाघ बहुलता वाले वनों में बाघों की स्पाटियल आक्यूपेंसी के निर्धारण और सांख्यिकी फ्रेमवर्क में कैमरा ट्रैप्स का उपयोग करके ऐसे वनों की की गई सेम्पलिंग पर आधारित है। इस मूल्यांकन की तुलना पगमार्क का प्रयोग करते हुए पूर्व में मूल्यांकित बाघों की कुल संख्या के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि परवर्ती प्रक्रिया में अनेक कमियां थी। नए परिणामों से पता चलता है कि बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर बाघों की संख्या संतोषजनक नहीं है। ऐसे राज्यों के बाघ रिजर्वों और सुरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या कुल मिलाकर व्यावहारिक स्तर पर है, हालांकि उनके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास करते रहने की आवश्यकता है।

(ख) भौगोलिक सूचना तंत्र डोमेन में हाल के अखिल भारतीय बाघ आकलन के निष्कर्ष में बाघ की मौजूदा स्रोत संख्या और इसके पर्यावास की स्थिति बताई गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तत्काल, संवर्धित सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्र, बाघों के लिए अनुलंघनीय क्षेत्रों की स्थापना, बाघ क्षेत्रों में कॉरीडोर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन और पुनर्स्थापन इनपुट्स आदि शामिल हैं। वर्तमान आंकलन हमें संख्या विस्तार, इसकी सीमा और अन्य बाघ संख्याओं के साथ जैनेटिक कनेक्टिविटी की संभाव्यता की जानकारी प्रदान करता है।

विवरण

परिमार्जित कार्य पद्धति के अनुसार राज्यों में तेंदुओं की वन आक्यूपेंसी तथा बाघों की संख्या का अनुमान

राज्य	तेंदुआ वर्ग किमी.	बाघों की संख्या		
		सं.	निचली सीमा	ऊपरी
1	2	3	4	5
शिवालिक गंगाई मैदानी क्षेत्र परिसर				
उत्तराखंड	3683	178	161	195
उत्तर प्रदेश	2936	109	91	127
बिहार	552	10	7	13
शिवालिक गंगा ई क्षेत्र (कुल)	7171	297	259	335

1	2	3	4	5
मध्य भारतीय क्षेत्र परिसर और पूर्वी घाट क्षेत्र परिसर				
आंध्र प्रदेश	37609	95	84	107
छत्तीसगढ़	14939	26	23	28
मध्य प्रदेश	34736	300	236	364
महाराष्ट्र	4982	103	76	131
उड़ीसा	25516	45	37	53
राजस्थान	—	32	30	35
झारखंड**	131	मूल्यांकन नहीं किया गया		
मध्य भारतीय (कुल)	117913	601	486	718
पश्चिम घाट क्षेत्र परिसर				
कर्नाटक	20506	290	241	339
केरल	8363	46	39	53
तमिलनाडु	14484	76	56	95
पश्चिम घाट (कुल)	43353	412	336	487
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान				
असम*	1500	70	60	80
अरूणाचल प्रदेश*	670	14	12	18
मिजोरम*	2324	6	4	8
पश्चिमोत्तर बंगाल*	1135	10	8	12
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र (कुल)	5629	100	84	118
सुन्दरवन	—	मूल्यांकन नहीं किया गया		
बाघों की कुल सं.		1411	1165	1657

*संख्या का अनुमान बाघों द्वारा वासित क्षेत्र में उनकी संभावित संख्या पर आधारित है, न कि डबल सैपलिंग मूल्यांकन के आधार पर

**ये आंकड़े बाघों की संख्या के अनुमान के अनुसार नहीं थे। लेकिन क्षेत्र (लैंडस्केप) के बारे में उपलब्ध सूचना यह संकेत करती है कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या कम है जोकि 0.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग किमी. तक है।

[अनुवाद]

खेल अवसंरचना का विकास

2800. श्री नन्द कुमार साय :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़, गुजरात और उड़ीसा से खेल और खेल अवसंरचना के विकास हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल) : (क) से (ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित अवसंरचना स्कीमें दिनांक 1.4.2005 से राज्यों को हस्तान्तरित कर दी गई हैं। अतः छत्तीसगढ़, गुजरात तथा उड़ीसा सहित किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

दवाइयों की परम्परागत पद्धति को प्रोत्साहन देना

2801. डा. वीरेंद्र अग्रवाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एलोपैथिक दवाइयों के प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर दवाइयों की परम्परागत पद्धति को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या की इन पद्धतियों के अधिकतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग की स्थापना की है। गत वर्षों के दौरान विभाग ने आयुष के क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के निष्पादनार्थ एक व्यापक संस्थागत अवसंरचना विकसित की है जिसमें (i) दो विनियामक निकाय, (ii) चार सर्वोच्च अनुसंधान परिषदें, (iii) छः सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान और (iv) दो सर्वोच्च प्रयोगशालाएं शामिल हैं।

इसके अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे विभाग भी आयुष के विशिष्ट पहलुओं से संबंधित सकेंद्रित अनुसंधान कार्यक्रम निष्पादित करते हैं। औषधीय पादप क्षेत्रक के विकासार्थ संरक्षण, कृषि, विपणन सहायता व निर्यात संवर्धन और नीति निर्धारण से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय करने के प्रयोजनार्थ एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की भी स्थापना की गई है। आयुष विभाग विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है जिनके तहत इन चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास के लिए आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी से संबंधित राज्यों और केन्द्र सरकार के संगठनों, स्वायत्त निकायों, निजी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

देश की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली के अंतर्गत आयुष को मुख्य धारा में लाना विभाग का प्रारंभ से ही एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य रहा है ताकि स्वास्थ्य परिचर्याओं से वंचित भारतीय जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एनआरएचएम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और बाल स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनका संचालन अर्हता-प्राप्त आयुष चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

एक्स-रे की खराब गुणवत्ता

2802. श्री उदय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अस्पतालों में किए जा रहे बड़ी संख्या में एक्स-रे परीक्षण की पिक्चर की गुणवत्ता खराब पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक्स-रे पिक्चर की खराब गुणवत्ता के कारण मरीजों का उचित रूप से उपचार नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण इससे संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, जैसा कि दिल्ली सरकार ने सूचित किया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के विभिन्न अस्पतालों में एक्स-रे परीक्षण अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। लेकिन कुछ बिरले मामलों में तकनीकी कारणों से एक्स-रे जांच दोबारा करनी पड़ती है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों का संबंध है, किये गये एक्स-रे परीक्षण अच्छी गुणवत्ता के हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य नगर योजना

2803. श्री महावीर भगोरा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वास्थ्य नगर योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कौन-कौन से शहरों की पहचान की गई है और इस संबंध में क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में कितना व्यय होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य नगर योजना नामक कोई योजना नहीं बनाई गई है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र में जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाना

2804. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या विदेशी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत की क्या प्रतिक्रिया?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार-बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया है। जम्मू एवं कश्मीर के मसले पर सरकार की सैद्धांतिक और हमेशा से स्थिति यह रही है कि जम्मू व कश्मीर का समूचा राज्य भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा है। राज्य के भू-भाग का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जम्मू और कश्मीर में समाधान किये जाने हेतु एक मात्र मुद्दा है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कराना। भारत शिमला समझौते और लाहौर घोषणा-पत्र के अनुसार पाकिस्तान के साथ सभी बकाए मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए वचनबद्ध है।

औषधियों का दुरूपयोग

2805. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कतिपय औषधियों के दुरूपयोग के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) देश में केटामाइन के दुरूपयोग की रिपोर्टें सरकार को विगत में प्राप्त हुई थीं। केटामाइन का प्रयोग वियोजनी संवेदनाहरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और यह औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अंतर्गत डाक्टर द्वारा लिखी जाने वाली औषध है।

(ग) नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने केटामाइन औषध को स्वापक औषध और साइकोट्रापिक वस्तु अधिनियम के क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए अपने प्रस्ताव पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सहमति मांगी थी। अपेक्षित सहमति प्रदान कर दी गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

2806. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पी एच सी) का मौजूदा ढांचा और इन्हें सौंपे गए कार्य ग्रामीण लोगों की मूलभूत स्वास्थ्य आवश्यकता के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्याशित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकताओं (आशा) की भूमिका की रूपरेखा क्या है; और

(ग) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुनरूद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम समुदाय तथा चिकित्सा अधिकारी के बीच पहला संपर्क स्थल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या, रोगीभार/कार्यभार और दूरी के आधार पर खोला जाता है। यह चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्टाफ द्वारा संचालित किया जाता है। यह 4-6 उपकेन्द्रों के लिए परामर्श एकक के रूप में काम करता है। और इसमें मरीजों के लिए 4-6 बिस्तर रहते हैं। यह रोगहर, निवारक, संवर्धक और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करता है। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं। मानव संसाधन, भौतिक अवसंरचना, उपस्कर और सेवा गारंटियों को विनिर्दिष्ट कर रहे भारतीय जन स्वास्थ्य मानक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए बनाए गए हैं।

(ख) आशा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो स्वास्थ्य तथा इसके सामाजिक निर्धारकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करती है और समुदाय को स्थानीय स्वास्थ्य नियोजन तथा वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकतम उपयोग और उत्तरदायित्व की ओर ले जाती है। वह अच्छी सेहत संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देती है।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का स्तरोन्नयन सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के तहत निधियां राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्यों द्वारा प्रस्तुत और राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन के आधार पर वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तरोन्नयन और नए प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना के लिए जारी की जाती हैं। ये निधियां राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित अनुकूलनीयकोष के अंतर्गत राज्यों द्वारा अप्रताप्राप्त क्रियाकलापों के आधार पर खर्च किए जाने हेतु उनको अनुकूलनीयकोष के रूप में जारी की जाती हैं।

मलेरिया उपचार नीति

2807. श्री एल. राजगोपाल :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देश में गलत मलेरिया उपचार नीति अपनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त रहस्योद्‌घाटन के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(घ) देश में मलेरिया के फैलाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाइं गई नई रणनीति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय वेक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भारत सरकार पी विवैक्स और पी. फालिसपेरम दोनों के उपचारार्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संस्तुत मलेरिया उपचार नीति का अनुसरण करता है।

राष्ट्रीय मलेरिया औषध नीति के तहत पी. विवैक्स रोगों का उपचार 14 दिनों तक रोजाना 0.25 एम.जी/कि.ग्रा. शरीर वजन की प्रिमाक्विन की खुराक के साथ-साथ तीन दिनों तक वितरित क्लोरोक्विन 25 एम.जी./कि.ग्रा. शरीर वजन से किया जाता है।

0.75 एम.जी./कि.मी. शरीर वजन की रोजाना प्रिमाक्विन एकल खुराक के साथ-साथ तीन दिनों तक वितरित 25 एम.जी./कि.ग्रा. शरीर वजन की दर से क्लोरोक्विन पी एफ रोगियों के लिए दिया जाना होता है।

क्लोरोक्विन प्रतिरोधी क्षेत्रों में अरटिसुनेट संयोजन चिकित्सा अर्थात् अरटिसुनेट प्लस सल्फा पिरिमेथमाइन पी.एफ. के पुष्ट रोगियों के उपचार में दिया जाना होता है। फिलवक्त, ऐसा उपचार देश में क्लोरोक्विन प्रतिरोध और आस-पास के बलाक समूह में सर्वाधिक पी.एफ. स्थानिकमारी वाले 117 जिलों और 253 जन स्वास्थ्य केंद्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) मलेरिया के कारगर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय वैक्टर वाहित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संशोधित मलेरिया नियंत्रण कार्यनीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:–

– सूक्ष्मदर्शिकी केन्द्रों से रहित सुदूर और अगम्य क्षेत्रों में पी.एफ. रोग निदान हेतु द्रुत निदान किटों का उपयोग करना।

– पी.एफ. रोग से अधिक पीड़ित सभी क्षेत्रों में पुष्ट पी.एफ. रोगों के उपचार हेतु अरटिसुनेट संयोजन चिकित्सा करना।

– भीतरी अवशिष्ट छिड़काव करने में व्यावहारिक दिक्कतों वाले उच्च संचरण क्षेत्रों में वैक्टर नियंत्रण के लिए औषध संसिक्त मच्छरदानियों का उपयोग करना।

[हिन्दी]

जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

2808. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जनसंख्या और स्वास्थ्य मुद्दों संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड राज्य के उपेक्षित गांवों से 500 युवाओं (16-20 आयु समूह के) की चयन प्रक्रिया शुरू करने और जनसंख्या कोष के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हाल ही में सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा देश की जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) दिनांक 11 जुलाई, 2007 को विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता कोष ने युवाओं और किशोरों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 16-20 वर्ष के आयु वर्ग के 500 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। ये आठ अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अल्प विकसित गांवों से आए थे। जी आई एस मैपिंग और जनगणना के आंकड़ों को मिला कर युवा लोगों की पहचान की गई जो जनसंख्या स्थिरता कोष की एक पहल है जिसमें प्रत्येक जिले, तालुक और ग्राम को इसकी जनसंख्या और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी के संदर्भ में देखा जा सकता है। झारखंड से 72 प्रतिभागी थे। जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

जिलों का नाम	भाग लेने वालों की संख्या	जिलों का नाम	भाग लेने वालों की संख्या
1	2	3	4
रांची	14	गुमला	11

1	2	3	4
चतरा	10	पश्चिमी सिंहभूम	10
गोड्डा	16	साहेब गंज	9
दुमका	02		

इसका उद्देश्य जीवन कौशलों पर किशोरों को, जो हमारी जनसंख्या का एक प्रमुख भाग हैं, सुग्राही बनाना था ताकि उनमें विवाह और गर्भधारण की आयु से संबंधित मामलों में समझ-बूझ कर निर्णय लेने के लिए संप्रेषण क्षमताएं विकसित हों। इस प्रयास से महिला और बच्चों के स्वास्थ्य पर और देश की सम्पन्नता पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करने में मदद मिली है।

(ग) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकार जनसंख्या स्थिरीकरण उपायों की स्थिति की समीक्षा समय-समय पर करती है। सरकार द्वारा ली गई विभिन्न पहलकदमियां नीचे दी गई हैं:—

1. राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस 2005-06)

राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06 से प्राप्त निष्कर्ष जनसंख्या के संदर्भ में उत्साहवर्धक हैं। कुल जननक्षमता दर 1992-93 में 3.39 से घटकर 2005-06 में 2.68 रह गई।

जनसंख्या के संदर्भ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण (2005-06)

— भारतीय जनसंख्या नीति का असर हुआ है।

— कुल प्रजननक्षमता दर 1992-1993 में 3.39 से घटकर 2005-06 में 2.68 रह गई है।

— कुल प्रजनन क्षमता दर 1.8 (गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) से बिहार में 4.0 तक है।

— उन्नीस राज्यों में कुल प्रजननक्षमता दरें राष्ट्रीय कुल प्रजनन क्षमता दर 2.7 से अल्प हैं।

— कुल प्रजननक्षमता दर में विषम पैटर्न अपेक्षाकृत अधिक प्रजननक्षमता दर वाले राज्यों नामत: बिहार (टी एफ आर-4.0), उत्तर प्रदेश (3.8), राजस्थान (3.2), मध्य प्रदेश (3.1), झारखंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड (टी एफ आर 3.0 और इससे अधिक) के कारण हैं।

— गुजरात (टी एफ आर 2.4) को छोड़कर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पंजाब में प्रजननक्षमता दर का प्रतिस्थापन स्तर 2.1 हो गया है।

— ग्यारह राज्यों में कुल प्रजननक्षमता दरें 2.2 से 2.9 के बीच है।

— एच एफ एच एस 1992-93 और एन एफ एच एस 1998-99 के बीच कुल प्रजननक्षमता दर 3.39 से 2.85 रहकर 0.54 शिशु तक घट गई (16 प्रतिशत की गिरावट)।

— एन एफ एच एस 1998-99 और एन एफ एच एस 2005-06 के बीच कुल प्रजनन क्षमता दर 2.85 से 2.68 रहकर अत्यल्प 0.17 शिशु तक घट गई। (6 प्रतिशत की गिरावट)

2. सरकार देश में जनसंख्या स्थिरीकरण के मसले को उच्च अग्रता देती है और इसके लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:—

(क) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-II में स्पष्ट बदलाव उस ढंग से परिकल्पित है जिसमें उसे नियोजित करके अमल में लाया जाना है। मुख्य उद्देश्य तीन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों में परिवर्तन लाना है। 'कुल प्रजननक्षमता दर, नवजात मृत्युदर और मातृ मृत्युदर को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में उल्लिखित लक्ष्य के सामंजस्य में लाना।

— क्षेत्रव्यापी दृष्टिकोण अपनाना जिससे कार्यक्रमों की पहुंच प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तक ही नहीं अपितु संपूर्ण परिवार कल्याण क्षेत्र तक प्रभावी ढंग से हो जाती है। कार्यक्रम के विकास में आरंभ से ही राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके राज्य के स्वामित्व का सृजन। जिला एवं राज्य स्तरीय आवश्यकता आधारित योजनाओं के विकास के जरिए विकेन्द्रीकरण। निर्देशात्मक योजना आधारित सूक्ष्म-

नियोजन से विचलन तथा इसके स्थान पर राज्यों को कार्यक्रम इनपुट तय करने की आजादी के साथ आवश्यकता आधारित कार्य योजनाएं विकसित करने के उद्देश्य से नम्य कार्यक्रम तैयार करना।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य विशेषतौर पर जनसंख्या के निर्धन एवं असुरक्षित वर्गों को सुगम, वहनीय, भरोसेमंद, प्रभावी एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त मिशन का प्रयास राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तथा राष्ट्रीय स्वाथ्य नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य पणधारियों की भागीदारी के जरिए समुदाय के बीच कार्यक्रम का अपेक्षाकृत अधिक स्वामित्व बनाना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ढांचे में ग्राम, उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल परिचर्या से जिला तथा राज्य स्तरों तक, सभी स्तरों पर स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एक पूर्णतया कार्यात्मक आधार सृजित करने पर बल दिया गया है। वहनीय, सुगम, तथा उत्तरदायी गुणवत्तायुक्त सेवाओं के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दस्तावेज में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में गैर-सरकारी प्रदायकों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल के उन्नयन को बढ़ावा दिया गया है जहां कहीं इन प्रयासों से परिवार कल्याण सेवाओं सहित गरीबों के लिए सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना है।

(ग) बंध्यीकरण में निष्पादन-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की गई सुधारात्मक कार्रवाइयां:

ऐसा देखा गया है कि बंध्यीकरण में 2000-01 से 2003-04 तक मामूली वृद्धि हुई है। तत्पश्चात 2005-06 में 2004-05 की तुलना में बंध्यीकरण में 4.1% तक की गिरावट आई और 05-06 की तुलना में 06-07 में 3.8% की और आगे गिरावट आई। तथापि, सेवा प्रदायकों तथा ग्राहियों, दोनों की चिंताओं तथा सामान्य तौर पर कार्यक्रम पर ध्यान देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए—

(क) 29-11-05 से राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना:— जिसमें बंध्यीकरण ग्राहियों तथा प्रदायकों (डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों) दोनों को बंध्यीकरण के कारण मृत्यु, जटिलताओं एवं बंध्यीकरण की विफलताओं जैसी दुर्घटनाओं तथा अनुवर्ती मुकदमेबाजी की स्थिति में शामिल किया गया है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26 जुलाई, 2007 के आदेश:— बंध्यीकरण करने के लिए 5 वर्ष के अनुभव के मानदंड से संबंधित आदेश आस्थगित कर दिए गए थे।

(ग) पारिश्रमिक की हानि की क्षतिपूर्ति करने तथा सेवाओं के प्रदायकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए सितम्बर, 2007 में क्षतिपूर्ति पैकेज में संशोधन: इसमें गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारियों का भी प्रावधान था।

(घ) पुरुषों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नो स्केलपल वैसेक्टामी की स्वीकृति को बढ़ावा देना।

(ङ) आई यू डी 380 ए की 10 वर्षों की दीर्घायुता तथा अन्य आई यू डी की अपेक्षा अधिक लाभकर होने के कारण इसे जन्म अंतराल की विधि के रूप में अत्यधिक बढ़ावा देना।

(च) वर्ष के दौरान नियत दिवस नियत स्थान परिवार नियोजन सेवाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 24 × 7 आधार पर चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की बेहतर संख्या तथा बेहतर कार्यकरण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण संभव हुई।

(छ) कार्यक्रम में नए एवं प्रभावी गर्भनिरोधकों की सुव्यवस्थित ढंग से तथा ध्यानपूर्वक शुरुआत करके विकल्प का क्षेत्र बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा की संख्या तथा मासिक स्वास्थ्य पोषण दिवसों के जरिए आउटरीच कार्यकलापों से भी मदद मिली है।

(घ) 2007-08 में बंध्यीकरण में बेहतर निष्पादन :

गहन राज्यवार मानीटरिंग तथा कमियों को दूर करने तथा नई संशोधित क्षतिपूर्ति योजना में मांग पक्ष के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के संदर्भ में भी सरकार की संकेन्द्रित कार्यनीति के परिणामस्वरूप घाटा न केवल समाप्त कर दिया गया है वरन इसमें 06-07 की तुलना में सकारात्मक 9.4% वृद्धि हुई है। इस वर्ष (07-08) निष्पादन 06-07 में 45,24,092 की तुलना में 49,82,411 रहा है।

संक्षेप में, जनसंख्या स्थिरीकरण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है। यह मिशन बाल और मृत्यु-दर में कमी के लिए बल प्रदान करता है और प्रजनन दरों को कम करता है। जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति दृष्टिकोण इन सेवाओं के लिए अपूरित मांगों को पूरा करने के लिए व्यापक संख्या में गर्भनिरोधक विकल्पों सहित दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। गुणवत्तायुक्त प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रसव, सुरक्षित गर्भपात, जनन-मार्गीय संक्रमणों और परिवार नियोजन सेवाओं सहित महिलाओं को पूरी प्रजननात्मक विकल्प सुनिश्चित करते समय अपूरित जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास जारी हैं परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देना, जनसंख्या स्थिरीकरण की कमी और शिशु मृत्युदर के लिए और अधिक समामिरूपक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि महिला साक्षरता, सफाई, पोषण, लिंग और समाजिक अधिकारिता, प्रारंभिक बल्यावस्था विकास, 18 के पश्चात् शादी, बच्चों के जन्म में अंतर और आचरणात्मक परिवर्तनों इत्यादि जैसे स्वास्थ्य परिचर्या के व्यापक निर्धारकों को प्रभावित किया जा सके।

[अनुवाद]

स्क्रैप की खरीद में अनियमितताएं

2809. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डब्ल्यूसीएल की विभिन्न कोयला कंपनियों में स्क्रैप की खरीद में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) डब्ल्यूसीएल किसी स्क्रैप की खरीद नहीं करता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

रेल ऊपरि पुलों पर पथकर

2810. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यस्त रेल ऊपरि पुलों (आर ओ बी) पर पथकर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) दिनांक 5.12.2008 को यथा अधिसूचित, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में स्थायी पुल, बाइपास या सुरंग के प्रयोग के लिए शुल्क दर का निर्धारण किया गया है। 10 करोड़ रु. से अधिक लेकिन 50 करोड़ रु. से कम लागत के किसी पुल जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का हिस्सा है, के मामले में प्रयोक्ता शुल्क, राजमार्ग खंड की लंबाई के भाग के तौर पर उद्‌गृहीत किया जाएगा। 50 करोड़ रु. से अधिक लागत के और राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड की लंबाई में शामिल पुल के मामले में, पुल की लंबाई को खंड की लंबाई में से निकाल दिया जाएगा ताकि खंड के लिए प्रयोक्ता शुल्क की गणना की जा सके; पुल के लिए प्रयोक्ता शुल्क की गणना, निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी और उसे राजमार्ग खंड के प्रयोक्ता शुल्क में जोड़ दिया जाएगा।

पात्रता हेतु अनुरोध स्तर पर लंबित एन एच डी पी परियोजनाएं

2811. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में एन एच डी पी परियोजनाएं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी

परियोजनाएं पात्रता हेतु अनुरोध (आर एफ क्यू) के स्तर पर लंबित हैं; और

(ग) इनकी लंबित स्थिति पर रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास इस समय, अर्हता हेतु अनुरोध स्तर पर कोई परियोजना लंबित नहीं है।

रक्ताधान के कारण एड्स

2812. श्रीमती मेनका गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ थेलेसीमिया रोगियों को अस्पतालों में रक्ताधान के पश्चात् एड्स हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्त बैंकों में एच आई वी संक्रमित रक्त के भंडारण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) थैलेसीमिया के रोगी विविध रक्ताधान किये जाने वाले रोगियों के समूह में से एक है जिन्हें रक्ताधन संचारणीय संक्रमणों यथा एच आई वी, संक्रमण होने का खतरा अधिक है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों तथा उसके नियमों के अंतर्गत, रक्त की प्रत्येक इकाई का रक्ताधान संचरणीय संक्रमणों यथा एच आई वी, हेपेटाइटिस बी (एच बी एस ए जी), हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस तथा मलेरिया के लिए अनिवार्य रूप से अनुवीक्षण किया जाता है। केवल वही रक्त इकाइयां रक्ताधान के उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं जो इन चिह्नों के लिए नकारात्मक पाई गई हों तथा सीरम-अभिक्रियाशील रक्त एककों को दिशा-निर्देशों के अनुसार अस्वीकृत किया जाता है।

[हिन्दी]

एम्स में अवसंरचना

2813. श्री रामदास आठवले : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नई कार्यशाला, लांड्री, अभिघात केन्द्र, रोटरी कैंसर संस्थान और नए आपातकालीन विभाग के लिए भवनों का निर्माण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या संस्थान द्वारा इन भवनों का पूर्ण रूप से मरीजों के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि हाल ही में निम्नलिखित भवनों का निर्माण किया गया है:—

(i) धुलाई गृह एवं कार्यशाला के भवन का निर्माण कार्य सितम्बर, 2002 में पूरा किया गया और यह पूर्ण रूप से कार्यात्मक है। भवन का निर्माण करने के लिए लगभग 4.00 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

(ii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित जय प्रकाश नारायण अभिघात केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य मार्च, 2007 में पूरा हुआ और यह पूरी तरह से कार्यात्मक है। संशोधित ईएफसी पर किया गया व्यय 138.53 करोड़ रुपए जमा 3 प्रतिशत आकस्मिकताएं हैं।

(iii) डा. बी.आर. अम्बेडकर रोटरी कैंसर अस्पताल संस्थान का विस्तार कार्य 98.41 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 2006 में पूरा किया गया है।

(iv) जहां तक नए आपातकालीन विभाग का संबंध है, ऐसे किसी भवन का निर्माण नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) ये सुविधाएं प्रचालनात्मक हैं और संस्थान द्वारा भवनों को रोगी परिचर्या सेवा के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारत-अरब निवेश सम्मेलन

2814. श्री अधीर चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-अरब निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) 18-19 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की विशेष पहल पर भारत-अरब आर्थिक मंच (आई ए ई एफ) द्वारा भारत अरब निवेश परियोजना संबंधी लघु सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:–

1. इस लघु सम्मेलन का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया।

2. अल्जीरिया, बहरीन, मिस्त्र, ईराक, कुवैत, लीबिया, लेबनान, ओमान, फिलीस्तीन, कतर, सऊदी अरब संयुक्त अरब, अमीरात और सुडान के प्रतिनिधिमण्डलों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3. इस लघु सम्मेलन में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और विनिर्माण, बैंकिंग, उपक्रम पूंजी, बीमा, शिक्षा, आई टी और आई टी ई एस, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, खनिज एवं धातु, रेल एवं गैस (अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम), अवसंरचना-तेल, सड़क, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ऊर्जा, संचार, रीयल इस्टेट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड;, स्वास्थ्य एवं पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चाएं हुईं।

4. इस लघु सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में विद्यमान निवेश अवसरों पर केन्द्रित एक पूर्ण सत्र और मिस्त्र तथा सऊदी अरब पर दो विशिष्ट देशों के विशेष सत्रों का आयोजन किया गया।

(ग) इस लघु सम्मेलन ने भारत और अरब क्षेत्र के बीच सुदृढ़ वाणिज्यिक व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास में भारत और अरब क्षेत्र के व्यवसायियों को साथ लाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया।

सी आई एल द्वारा वृक्षारोपण

2815. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोयला खानों के इर्द-गिर्द व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रयोजनार्थ किन-किन शहरों की पहचान की गई है तथा कौन-कौन से पेड़ों को छांटा गया है;

(ग) क्या कुछ पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त की है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या यह सही है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए स्थानीय विस्थापितों को अनदेखा करके बाहरी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो स्थानीय विस्थापितों को दी जा रही प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में 1993-94 से नवम्बर, 2008 तक 7.08 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। लगाए गए पौधे बहु-किस्मों के हैं और मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थलों पर लगाए गए हैं:–

(i) अवसंरचना और कालोनियों के चारों ओर

(ii) खान क्षेत्र में कोयला परिवहन सड़कों के किनारे

(iii) मिट्टी के ऊंचे ढ़ेर

(iv) ओवर बर्डेन डम्प

(v) भरे गए क्षेत्रों तथा पुनरुद्धारित भूमि पर

(vi) एवेन्यू वृक्षारोपण आदि

लगाए गए विभिन्न किस्मों के पौधों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-अरब निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) 18-19 अप्रैल, 2008 को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की विशेष पहल पर भारत-अरब आर्थिक मंच (आई ए ई एफ) द्वारा भारत अरब निवेश परियोजना संबंधी लघु सम्मेलन का आयोजन किया गया।

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:—

1. इस लघु सम्मेलन का उद्घाटन माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया।

2. अल्जीरिया, बहरीन, मिस्त्र, ईराक, कुवैत, लीबिया, लेबनान, ओमान, फिलीस्तीन, कतर, सऊदी अरब संयुक्त अरब, अमीरात और सुडान के प्रतिनिधिमण्डलों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

3. इस लघु सम्मेलन में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग और विनिर्माण, बैंकिंग, उपक्रम पूंजी, बीमा, शिक्षा, आई टी और आई टी ई एस, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, खनिज एवं धातु, रेल एवं गैस (अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम), अवसंरचना-तेल, सड़क, हवाई अड्डा, बंदरगाह, ऊर्जा, संचार, रीयल इस्टेट, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड;, स्वास्थ्य एवं पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चाएं हुईं।

4. इस लघु सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में विद्यमान निवेश अवसरों पर केन्द्रित एक पूर्ण सत्र और मिस्त्र तथा सऊदी अरब पर दो विशिष्ट देशों के विशेष सत्रों का आयोजन किया गया।

(ग) इस लघु सम्मेलन ने भारत और अरब क्षेत्र के बीच सुदृढ़ वाणिज्यिक व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रयास में भारत और अरब क्षेत्र के व्यवसायियों को साथ लाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया।

सी आई एल द्वारा वृक्षारोपण

2815. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोयला खानों के इर्द-गिर्द व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रयोजनार्थ किन-किन शहरों की पहचान की गई है तथा कौन-कौन से पेड़ों को छांटा गया है;

(ग) क्या कुछ पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त की है?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या यह सही है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए स्थानीय विस्थापितों को अनदेखा करके बाहरी एजेंसियों को ठेका दिया जाता है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो स्थानीय विस्थापितों को दी जा रही प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों में 1993-94 से नवम्बर, 2008 तक 7.08 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। लगाए गए पौधे बहु-किस्मों के हैं और मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थलों पर लगाए गए हैं:—

(i) अवसंरचना और कालोनियों के चारों ओर

(ii) खान क्षेत्र में कोयला परिवहन सड़कों के किनारे

(iii) मिट्टी के ऊंचे ढ़ेर

(iv) ओवर बर्डेन डम्प

(v) भरे गए क्षेत्रों तथा पुनरुद्धारित भूमि पर

(vi) एवेन्यू वृक्षारोपण आदि

लगाए गए विभिन्न किस्मों के पौधों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

क्र.सं.	प्रकार	पौधे	लगभग %
1.	फलदायक	बेर, जामुन, अमरूद, इमली, गंगा इमली, सीताफल, आम महुआ	15
2.	औषधीय/हर्बल	नीम, करांज, बेहरा, आंवला, अर्जुन, शिकाकाई	25
3.	वाणिज्यिक और टिम्बर उत्पादक वृक्ष	टीक, कुसुम, शिवान/घामर, शिशू, काला सीशम, सफेद सिरस, बांस	40
4.	खतरे वाली किस्म (परिधि के चारों ओर और एवेन्यू वृक्षारोपण के लिए लगाए) सहित सजावट तथा अन्य वृक्ष	गुलमोहर, अमलतास, सप्तपानी, ग्रावेलिया, पीपल, पाम केसिया सेमिया, बबूल, ग्लेसिडिया, महरूक, इलासियोकार्यस मनोरियल आदि	20

(ग) इस संबंध में पर्यावरणविदों तथा वैज्ञानिकों की ओर से कोई विशिष्ट आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) सभी सहायक कंपनियों में, वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकार के दिशा निर्देशानुसार राज्य वन निगम के माध्यम से ही निष्पादित किया जाता है। राज्य वन नियमों के साथ ठेका करार में आवश्यक खण्ड को शामिल करके स्थानीय लोगों/परियोजना प्रभावित लोगों को नियोजित किए जाने की प्राथमिकता सुनिश्चित की जाती है।

(च) मामले में पर्याप्त ज्ञान तथा कौशल रखने वाले संबंधित राज्य वन विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष काफी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है। वे संबंधित राज्यों में वानिकी कार्य के लिए नोडल एजेंसी है।

(छ) उपर्युक्त (ङ) में उल्लेख किए अनुसार वृक्षारोपण के कार्य के लिए, राज्य वन निगम द्वारा विस्थापित व्यक्तियों/ग्रामीणों को यदि उपलब्ध हो और सहमत हो तो अधिमानता दी जाती है।

गोवा से मलेरिया के मामले

2816. श्री रेवती रमन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेरिया के ऐसे 19 मामले जानकारी में आए हैं जिनमें से अधिकतर मामले गोवा से यूरोप में फैले हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गोवा में सरकारी स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सतर्क रहने का संकेत दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। यूरो सरवेलैंस खण्ड 13 अंक 1-3, जनवरी-मार्च, 2008 में भारत से 2006 से 19 मलेरिया मामले सूचित किए गए है जिसमें गोवा के मामले अधिक हैं। इसके अलावा 2006-07 के दौरान गोवा से लौटने वाले पर्यटकों में से आयतित सक्रंमक रोग निगरानी संबंधी यूरोपीयन नेटवर्क को पी. फाल्सीपेरम के 8 मामले सूचित किए गए थे।

(ग) और (घ) मलेरिया की स्थिति की लगातार मानीटरिंग की जाती है और राज्य सरकार नियंत्रण उपाय कर रही है जिनमें सघन निगरानी, प्रावासी मजदूरों की जांच, मलेरिया के पॉजिटिव मामलों का पूरा उपचार, निर्माण स्थलों के अन्दर और उनके आस-पास सघन लार्वा नष्ट करने और नियंत्रण उपाए करने के लिए समुदाय तथा बिल्डरों का मोबिलाइजेशन शामिल है। राज्य ने उप कानून भी लागू किए है जिनके अधीन सभी श्रमिकों के पहुंचने पर उनकी मलेरिया संबंधी जांच की जाती है और उन्हें उपचार प्रदान किया जाता है।

चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक योजना

2817. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न अस्पतालों का उनकी विशेषज्ञता के अनुसार स्तरोन्नयन करने और उन्हें एकीकृत करने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें विदेशी बाजारों में बढ़ावा देना और पुस्तिका, सीडी और फिल्मों जैसी प्रचार सामग्री तैयार करना तथा लक्षित बाजारों में उनका वितरण करना शामिल है। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन और आई टी बी, बर्लिन आदि जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों में विशिष्ट बढ़ावा भी दिया जाता है।

चिकित्सीय उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए वीजा की एक नई श्रेणी 'मेडिकल वीजा' शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोयला क्षेत्र में महिला कामगारों को मातृत्व लाभ

2818. श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कोयला क्षेत्र में कंपनीवार कितनी महिला कामगार कार्यरत हैं;

(ख) क्या मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत उन्हें मातृत्व लाभ दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों में 29252 महिला कामगार कार्य कर रही हैं। कंपनीवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार महिला कामगारों की श्रेणीवार/कंपनीवार संख्या

वर्ग	ईसीएल	बीसीसी एल	सीसीएल	डब्ल्यूसीएल	एसईसी एल	एमसीएल	एनसीएल	एनईसी	सीएमपी डीआईएल	डीसीसी	सीआईएल (मु.)	कुल
कार्यकारी	67	61	98	89	73	29	29	4	24	3	25	502
एम/रेटेड	1261	1276	856	1104	929	314	225	91	65	12	117	6250
डी/रेटेड	3811	4102	2689	1828	2432	670	325	161	69	19	11	16117
पी/रेटेड	2898	1164	1446	84	125	35	0	0	0	0	0	5752
अनियत	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92
बदली	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
कं. (टी)	210	178	27	37	85	0	0	0	0	0	0	537
	8247	6783	5208	3142	3644	1048	579	256	158	34	153	29252

(ख) जी, हां।

(ग) कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के लाभ उठाने वाले महिला कामगारों की संख्या निम्नवत है:–

2005	2006	2007	2008 (नवंम्बर, 08 तक)
265	332	342	302

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता है।

विभिन्न रोगों के कारण मातृत्व मौतें

2819. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोगों के कारण बड़ी संख्या में मातृत्व मौतें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये रोग कौन-कौन से हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) भारत के महापंजीयक-नमूना पंजीयन पद्धति द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित "भारत में मातृत्व मृत्यु: 1997-2003 रूझान, कारण और जोखिम कारक" नामक नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट "रक्तस्राव-38%", "सेप्सीस-11%", "गर्भपात-8%", "अवरूद्ध प्रसव-5%", "अति रक्तचाप विकार-5%" और "अन्य स्थितियां-34%" को मातृत्व मृत्यु के प्रमुख कारणों के रूप में बताती है। वही रिपोर्ट बताती है कि इन कारणों से महिलाओं के मरने का खतरा ग्राम क्षेत्रों में अधिक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005-2012) और इसके छत्र के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्राम क्षेत्रों में विशेषरूप से गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए समान, वहनीय, भरोसेमंद और कारगर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता में सुधार करना है। जिसमें कमजोर जन स्वास्थ्य संकेतकों और कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। मिशन के अधीन विभिन्न कारणों से होने वाली मातृत्व मौतों में कमी को और कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यनीतियां और कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं, अर्थात् – जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे की और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए स्थानिक प्रश्नों को बढ़ावा देने की एक नकद लाभ योजना; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल यूनिटों के रूप में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सातों दिन चौबीसों घंटों की सेवाओं के लिए प्रचालित करना; दक्ष जन्म परिचर्या जैसे विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षणों के जरिए कुशल कार्मिक शक्ति की उपलब्धता को बढ़ाना; सीजेरियन सैक्शन सहित जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशलों और आपाती प्रसूति परिचर्या में एम.बी.बी.एस. डाक्टरों को प्रशिक्षित करना; गर्भवस्था और दूध पिलाने के दौरान आयरन और फॉलिकएसिड की गोलियों के संपूरन द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार; आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित करना; गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुलभता को सुकर बनाने के लिए एक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) की नियुक्ति; स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों अर्थात् जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को अबद्ध अनुदानों वार्षिक अनुरक्षण अनुदानों और सेवा प्रदानगी में सुधार करने के लिए कारपस निधियों सहित निधियां प्रदान करके सुदृढ़ बनाना।

मोबाइल टी.वी. के प्रसारण संबंधी नीति

2820. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टैरेसट्रियल टेलीविजन (टी.वी.) का प्रसारण शुरू करने की अनुमति देने का है ताकि प्रचालक देश में मोबाइल टेलीविजन सेवाएं प्रदान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मोबाइल टी.वी. प्रसारण उपलब्ध कराने वाली कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की कोई सीमा निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(च) मोबाइल कंपनियों और टी.वी. कंपनियों के बीच मौजूदा अवसंरचना का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (च) ऑपरेटरों को मोबाइल टी.वी. सेवाओं की पेशकश करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्थलीय टेलीविजन प्रसारण की शुरूआत करने की अनुमति देने संबंधी नीति सरकार के विचाराधीन है। प्रस्तावित नीति में, अन्य के साथ-साथ, लाइसेंसिंग, विनियामक तंत्र, अंतर-मीडिया प्रतिबंध, विदेशी निवेश, अवसंरचना की हिस्सेदारी आदि जैसे सभी मुद्दे शामिल हैं।

ट्राई ने दिनांक 23.01.2008 की अपनी सिफारिशों में समग्र रूप में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण पहलुओं से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की पूर्ण समीक्षा के बारे में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराते हुए मोबाइल टी.वी. सेवा के लिए 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित सामासिक विदेशी निवेश सीमा की सिफारिश की थी ताकि इस नीति को सभी क्षेत्रों के लिए संगत बनाया जा सके। प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की है कि स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49% तक के विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए जिसके पश्चात एफ. आई.पी.बी. अनुमोदन की आवश्यकता होगी। विस्तृत सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं और इनमें अवसंरचना की हिस्सेदारी से संबंधित सिफारिशें शामिल हैं।

[हिन्दी]

तिब्बत से भारत में बहने वाली नदियों से खतरा

2821. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत से भारत में बहने वाली नदियों से कोई खतरा उत्पन्न होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चीन सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने चीनी पक्ष के साथ सीमा-पार की नदियों से संबंधित मामलों को उठाया है। भारत और चीन ने बाढ़ के मौसम में चीन द्वारा यालुंग जांग्बो/ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज/लांग्केन जांग्बो नदी के जल-विज्ञान संबंधी सूचना भारत को उपलब्ध कराने संबंधी समझौता ज्ञापनों पर क्रमशः जनवरी, 2002 और अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मपुत्र से संबंधित समझौता-ज्ञापन को जून, 2008 में नवीकृत किया गया है। दोनों देशों ने बाढ़ के मौसम में जल-विज्ञान संबंधी आंकड़े प्रदान करने, आपातकालिक प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर तालमेल और सहयोग करने पर चर्चा करने के लिए सीमा-पार नदियों पर एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र भी गठित किया है। सितंबर, 2007 और अप्रैल, 2008 में दो बैठकें हो चुकी हैं। इसकी अगली बैठक वर्ष 2009 के पूर्वार्द्ध में चीन में होने की आशा है।

[अनुवाद]

उपस्कर की खरीद में पारदर्शिता की कमी

2822. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंतरिक्ष विभाग द्वारा उपस्कर और सामग्रियों की खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी को उजागर किया है, जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 2008 के "द हिंदू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक (नि.म.ले.) ने अपनी 2008 की रिपोर्ट सं. पी.ए.2 (वैज्ञानिक विभाग) में अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के कुछ उपकरण/सामग्री की प्राप्ति में सीमित स्पर्धा को प्रदान करने के अपवादात्मक मोड को अपनाना, तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तों में परिवर्तन, पुराने अग्रिम के निपटारे में देरी, घटकों का आधिक्य आदि के बारे में बताया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, विक्रेता विकास नीतियां, अंतरिक्ष की गुणता एवं परांपरा के पहलुओं और कार्यक्रमपरक अपेक्षाओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के मद्देनजर अंतरिक्ष विभाग के अनुमोदित/प्रकाशित क्रय एवं भण्डार प्रक्रिया के अनुसार क्रांतिक/सामरिक महत्व के घटकों को प्राप्त किया गया है।

फिर भी, संसद में नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, वित्त मंत्रालय में मानीटरन कोष्ठ को भेजने से पूर्व, विभाग, मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट लेखा-परीक्षा की जांच हेतु भेजेगा।

(ङ) निविदा की विवेकसम्मत रीति, निविदाओ का सख्त मूल्यांकन, अग्रिमों का मॉनीटरन तथा वस्तु सूची का स्पष्टतमीकरण सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने प्रापण प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाया है।

[हिन्दी]

पोत परिवहन उद्योग में माल ढुलाई में कमी

2823. डा. चिन्ता मोहन :
श्री सूरज सिंह :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन मार्गों पर माल ढुलाई में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके कारण क्या है; और

(ग) इस कमी से विश्व के प्रमुख जलमार्गों तथा भारतीय पोत परिवहन व्यापार पर कितना प्रभाव पड़ा है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां। लाइनर तथा शुष्क बल्क क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत-भाड़े में पिछले तीन महीनों से निरन्तर गिरावट आ रही है।

(ख) और (ग) अंतर राष्ट्रीय मार्गों पर भाड़े में अत्यधिक कटौती के कारण लाइनर कंटेनर सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

आमतौर पर, भारतीय उपमहाद्वीप से सुदूर पूर्व क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र तथा यूरोपीय क्षेत्र में गिरावट 50-70% के बीच है। इसी प्रकार, वापसी में भी भाड़े पर 35-50% के बीच कमी हो रही है।

सुदूर पूर्व क्षेत्र पर अर्थात् भारत से चीन, कोरिया, हांग कांग, सिंगापुर तथा मलेशिया में भाड़े की दरों में लगभग 50% की कमी हुई है। सुदूर पूर्वी पत्तनों से (अर्थात् चीन, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर तथा मलेशिया) भारतीय उप-महाद्वीप में भाड़े की दरों में लगभग 60% की कमी हुई है।

भारत से मध्य पूर्वी क्षेत्र (अर्थात् यू ए ई, जेबीलाली, डम्माम, कुवैत, मस्कट, बहरीन तथा आबू-धाबी) में भाड़े की दर में लगभग 45-50% कमी हुई है तथा एक्स मध्य पूर्वी क्षेत्र से भारत में कमी लगभग 40% है।

भारत से यूरोप क्षेत्र (अर्थात् जर्मनी, नीदरलैण्ड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इटली, पोलैण्ड, डेनमार्क, फ्रांस, टर्की, मिश्र, सेंटपीटर्सबर्ग, उक्रेन, पुर्तगाल, स्वीडन आदि) में भाड़े की दरों में गिरावट 65-70% के बीच रही है।

यूरोप से भारत में भाड़े की दर में कमी लगभग 50% रही है।

ब्रेकबल्क कार्गो के लिए भाड़ा विशेषकर यूरोप से भारत के लिए 01 सितम्बर, 2008 के बाद पिछले तीन माह में गिरावट दर्ज की है। यह मुख्यतया बंकर कीमतों में कमी के कारण है और बंकर समायोजन फैक्टर (बी ए एफ) को अब पिछले तीन महीनों में लगभग 55% तक कम कर दिया है।

बालटिक ड्राइ इन्डैक्स (बी डी आई) शुष्क बल्क बाजार का संकेतक है और इसकी तीव्रता से गिरावट शुष्क बल्क बाजार में भाड़े की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। जुलाई, 2008 से नवम्बर, 2008 तक के लिए बालटिक ड्राइ इन्डैक्स की मासिक औसत निम्न प्रकार है:—

महीना	जुलाई, 2008	अगस्त, 2008	सितम्बर, 2008	अक्टूबर, 2008	नवम्बर, 2008
मासिक औसत बी डी आई	8934	7407	4975	1808	824
पूर्व माह से प्रतिशतता परिवर्तन	12.80%	17.09%	32.83%	63.66%	54.42%

जुलाई, 2008 से नवम्बर, 2008 तक बी डी आई में समग्र गिरावट 90.78% बैठती है।

टैंकर क्षेत्र के संदर्भ में 1 जुलाई, 2008 की स्थिति के अनुसार बालटिक डर्टी टैंकर इन्डैक्स 1866 और 28 नवम्बर, 2008 को 1073 था, इस अवधि के दौरान 42.5% की कमी थी। बालटिक क्लीन टैंकर इन्डैक्स के विद्यमान आंकड़े उन्हीं तारीखों में क्रमशः 1454 और 880 है जिसमें 39.58% की गिरावट है।

रसायन बाजार विशेषकर ईजिकैम्स अर्थात बैन्जीन, टॉलीन, जीलीन भी विशेषकर पूर्वी स्वेज बाजारों में लगभग 10-15% हल्के रहे।

निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप भाड़े के प्रभारों में कमी हुई है:-

(i) वित्तीय संकट जो संयुक्त राज्य अमरीका से आरंभ हुआ और यूरोप तथा अन्य देशों में फैला है।

(ii) विकास के एक अग्रणी देश, चीन के पास लौह अयस्क और कोयले का विशाल संचय है।

(iii) प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं की कीमतें, उदाहरण के लिए लौह अयस्क, स्टील, अन्य अयस्क, धातुएं आदि मांग की कमी के कारण गिर गई हैं, प्राइमरी उद्योगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है और इन उद्योगों में मांग में गिरावट तथा कच्चे माल की बहुत बड़ी सूची ने इन वस्तुओं के व्यापार में उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया है।

(iv) बैंकों, जिनके माध्यम से साख-पत्र आता है, के बीच विश्वास की कमी के कारण भी व्यापार बाधित हुआ है।

(v) भारत में लौह अयस्क के निर्यात में कीमतों के मसले और चीन में मांग में कमी के कारण भी तेजी से गिरावट आई है।

(vi) टैंकर व्यापार में भाड़े की दरों में कमी के लिए ईंधन की कीमतों में कमी और मांग में कमी प्रमुख घटक रहे हैं।

पोत मालिकों को अब अपने जलयानों से बिना हानि-लाभ के व्यापार से बहुत कम प्रतिलाभ प्राप्त हो रहा है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय पोत मालिकों के दिवालिया होने के दृष्टांत घटित हुए हैं फिर भी भारतीय उद्योग इस मंदी से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी विशिष्ट एजेंसी

2824. श्री सुरेश अंगडि : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासात्मक सहायता का प्रबंध करने हेतु जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी तथा साऊथ कोरियन इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी की तर्ज पर एक एजेन्सी का सृजन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इसके फलस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में एक स्वायत्तशासी एजेंसी का गठन सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रस्तावित एजेंसी के अंतर्गत दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना से विकासशील देशों को आपदा एवं मानवीय राहत सहायता और ऋण-श्रृंखला प्रदान करने सहित भारत के विदेशी विकास सहयोग से संबंधित मौजूदा कार्यकलापों की पूरी श्रृंखला अधिदेशित है। एजेंसी विदेश मंत्रालय के बजट से यथावश्यक निधियां प्राप्त करेगी।

(ग) प्रस्तावित एजेंसी भारत सरकार के विदेशी विकास सहायता की पूरी श्रृंखला को कार्यान्वित करने के लिए कारगर तंत्र और एकछत्र संस्था के रूप में परिकल्पित है।

समाचार पत्र के कर्मचारियों को सुविधाएं दिया जाना

2825. श्री पी.सी. गद्दीगौडर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रचालनरत दैनिक समाचार पत्रों सहित प्रचालित समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन समाचार एजेंसियों/पत्रों के कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस प्रकार की सुविधाएं दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) सरकार किसी समाचार पत्र को प्रत्यायन प्रदान नहीं करती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सरोकार पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के माध्यम से

प्रत्यायन दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रैस प्रत्यायन कार्ड प्रदान करके पत्रकारों का प्रत्यायन करने मात्र से है। पीआईबी प्रत्यायित मीडियाकर्मियों को रेलवे के रियायती कूपन भी जारी करता है और पत्रकार कोटा के अंतर्गत उनके लिए क्वार्टरों का आबंटन करने हेतु संपदा निदेशालय को सिफारिश करता है।

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता

2826. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सूरज सिंह :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय सड़क परियोजनाओं को विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है तथा अब तक परियोजना-वार कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है; और

(ग) वे परियोजनाएं कौन-सी हैं जिनके निर्धारित समय अवधि में पूरा न होने की संभावना है तथा इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) विश्व बैंक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय सहायता से शुरू की गई सड़क परियोजनाओं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा तथा कार्यों की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जैसा कि अनुबंध में उल्लेख किया गया है, कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हुआ है। विलंब के विभिन्न कारणों में भूमि अधिग्रहण और सुविधाओं के स्थानांतरण में प्रारंभिक विलंब, रेल उपरि पुलों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब और ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य किया जाना आदि शामिल हैं।

विवरण

विदेशी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई	पूर्ण हो चुकी लंबाई	सौंपी गई लागत (करोड़ रु.)	वास्तविक प्रगति (%)	ठेके के अनुसार कार्य पूरा होने की तय तारीख	पूरा होने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) (चार लेन बनाने की पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं)							
1.	शिवपुरी बाइपास और मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा तक (ईडब्ल्यू-II-एमपी-I)	25, 76	53	53	294.98	100.00	फर.-2008	अक्तू.-2008
2.	गुड़गांव-कोटपुतली	8	126	126	265	100.00	मार्च-2001	मार्च-2001
3.	अटूल-कजली	8	38.6	38.6	162.05	100.00	अप्रैल-2003	जन.-2004
4.	नंदीगांव-विजयवाड़ा	9	48	48	58.7	100.00	अप्रैल-2000	अप्रैल-2000
5.	सीरा-तुमकुर	4	41.4	41.4	153.23	100.00	अग.-2004	जन.-2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	चित्रदुर्ग-सीरा	4	66.7	66.7	253.24	100.00	अग.-2004	मई-2008
7.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-11)	76	70	70	278.09	100.00	मार्च-2008	अक्तू.-2008
8.	झांसी-शिवपुरी (ईडब्ल्यू-II-एमपी-2)	25	35	35	157.36	100.00	फर.-2008	नवं.-2008
9.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-I)	8बी	50.5	50.5	193.23	100.00	नवं.-2007	मई-2007
10.	बरवा अड्डा – बराकर	2	43	43	134	100.00	दिसं.-2001	दिसं.-2001
11.	रानीगंज – पानागढ़	2	42	42	161	100.00	नवं.-2001	नवं.-2001
12.	राधनपुर से गागोधर (पैकेज-V)	15	106.2	106.2	288.54	100.00	नवं.-2007	मई-2008
13.	डीसा से राधनपुर (पैकेज-VI)	14	85.4	85.4	326.04	100.00	नवं.-2007	सितं.-2008
14.	इलूरू-विजयवाड़ा पैकेज-V)	5	72	72	275	100.00	जन.-2002	जन.-2002
15.	कजली – मनोर	8	57.4	57.4	168.85	100.00	अक्तू.-2003	नवं.-2003
16.	सूरत (चलथन) – अटूल	8	79.6	79.6	234.88	100.00	अक्तू.-2003	जून-2005
(कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं)								
1.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-10)	76	59.85	49	347.36	78.42	अप्रैल-2008	जून-2009
2.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-11)	7	42.4	0	174.81	26.85	अग.-2009	अग.-2009
3.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-15)	7	45.6	0	218.29	34.70	अग.-2009	अग.-2009
4.	चित्रदुर्ग बाईपास	4	18	18	103.93	25.10	सितं.-2008	अप्रैल-2009
5.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-12)	7	42.6	0	213.45	23.58	सितं.-2009	सितं.-2009
6.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77	62.92	196.65	0.00	जून-2010	जून-2010
7.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-10)	7	40	0	167.39	22.26	अग.-2009	अग.-2009
8.	हावेरी-हरिहर	4	56	46.85	207.56	0.00	जुलाई-2010	जुलाई-2010
9.	ललितपुर सागर (एडीबी-II/सी-3)	26	38	0	140.387	12.61	नवं.-2008	नवं.-2009
10.	सागर बाईपास (एडीबी-II/सी-5)	26	26	0	116.073	27.40	अक्तू.-2008	नवं.-2009
11.	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-7)	26	42	36.03	189.637	76.52	अक्तू.-2008	दिसं.-2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	राजमार्ग चौराहा से लखन्दन (एडीबी-II/सी-9)	26	54.7	0	203.504	14.07	अक्तू.-2008	नवं.-2009
13.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-13)	7	40	0	231.27	19.61	सितं.-2009	सितं.-2009
14.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-II/सी-14)	7	42	0	183.98	31.19	अग.-2009	अग.-2009
15.	गागोधर से गारामोड़ (पैकेज-IV)	15, 8ए	90.3	83	339.02	80.48	नवं.-2007	जून-2009
16.	गारामोड़ से बामनबोर (पैकेज-III)	8ए	71.4	64	289.92	79.67	नवं.-2007	मार्च-2009
17.	जेतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-II)	8बी	64.5	64	299.84	96.76	नवं.-2007	फर.-2009
18.	झांसी-शिवपुरी (यूपी-एमपी-I) (यूपी-II किमी. और एमपी-30 कि.मी.)	25	41	35	150.03	76.00	अप्रैल-2008	दिसं.-2008
19.	झांसी बाईपास (यूपी-3)	25	15	0	115.24	47.32	मई-2008	दिसं.-2009
20.	उरई से झांसी (यूपी-4)	25	66	0	414.88	49.98	अप्रैल-2008	दिसं.-2009
21.	राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-9)	76	43.15	25	286.65	77.79	अप्रैल-2008	जून-2009
22.	ललितपुर-सागर (एडीबी-II/सी-4)	26	55	0	171.463	35.39	अक्तू.-2008	मार्च-2009
23.	चित्तौड़गढ़ बाईपास (आरजे-6)	76	40	40	314.41	94.75	अप्रैल-2008	दिसं.-2008
24.	सागर-राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	26	44	0	163.87	13.66	अक्तू.-2008	नवं.-2009
25.	राजमार्ग चौराहा से लखन्दन (एडीबी-II/सी-8)	26	54	0	219.01	25.14	अक्तू.-2008	दिसं.-2010
26.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरजे-8)	76	65	59	397.44	94.06	अप्रैल-2008	दिसं.-2008
27.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरजे-7)	76	63	59	375.98	95.09	अप्रैल-2008	दिसं.-2008
28.	उरई से झांसी (यूपी-5)	25	50	0	302.97	24.10	मार्च-2008	दिसं.-2009
	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) (चार लेन बनाने की पूरी हो चुकी परियोजनाएं)							
1.	चंडीखोल-जगतपुर	5	27.8	27.8	105.61	100.00	फर.-2003	जन.-2003
2.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-I	5	25	25	60.16	100.00	मार्च-2002	जन.-2003
3.	गाजियाबाद-हापुड और हापुड बाईपास	24	33	33	81.1	100.00	अप्रैल-2002	सितं.-2002
4.	नैनी के निकट यमुना नदी पर केबल आधारित पुल	27	6	6	219.78	100.00	फर.-2004	जुलाई-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-II	5	32	32	59.43	100.00	मार्च-2002	जन.-2003
6.	विजयवाड़ा-चिल्कालूरीपेट पैकेज-III	5	23.78	23.78	55.19	100.00	मार्च-2002	जन.-2003
7.	विजयवाड़ा-चिल्कालरीपेट पैकेज-IV	5	2.88	2.88	52.8	100.00	मई-2002	मई-2002
विश्व बैंक (डब्ल्यूबी)								
(पूरी हो चुकी चार लेन)								
1.	सासाराम-डेहरी ओन सोन (जीटीआरआईपी/IV-सी)	2	30	30	197.95	100.00	मार्च-2005	जुलाई-2008
2.	औरंगाबाद-बाराचट्टी (टीएनएचपी/V-ए)	2	60	60	284.878	100.00	मार्च-2005	जुलाई-2007
3.	डेहरी-ओन-सोन-औरंगाबाद (टीएनएचपी/IV-डी	2	40	40	217.99	100.00	फर.-2004	नवं.-2005
4.	मोहनिया-सासाराम (टीएनएचपी/IV-बी)	2	45	45	229.96	100.00	फर.-2004	मार्च-2006
5.	खागा-कोखराज (टीएनएचपी/III-ए)	2	43	43	179.85	100.00	जून-2004	जन.-2005
6.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-I (पुल)	2	1.02	0	108.23	100.00	मार्च-2006	अक्तू.-2008
7.	बाराचट्टी-गोरहर (जीटीआरआईपी/V-बी)	2	80	80	434.68	100.00	मार्च-2005	जुलाई-2007
8.	हंडिया-वाराणसी (टीएनएचपी/III-सी)	2	72	72	265.38	100.00	जुलाई-2004	अप्रैल-2008
9.	शिकोहाबाद-इटावा (जीटीआरआईपी/I-बी)	2	59.02	59.02	236.98	100.00	सितं.-2007	सितं.-2008
10.	इटावा-राजपुर (जीटीआरआईपी/I-सी)	2	72.825	72.83	323.95	100.00	मार्च-2005	मई-2008
11.	सिकंदरा-भौंती (टीएनएचपी/II-ए)	2	62	62	289.3	100.00	अग.-2004	मई-2007
12.	कानपुर-फतेहपुर (जीटीआरआईपी/II-बी)	2	51.5	51.5	496.11	100.00	मार्च-2005	मई-2008
(कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं)								
1.	कोटवा से दीवापुर (एलएमएनएचपी-10)	28	38	0	263.97	16.59	नवं.-2008	दिसं.-2009
2.	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	28	40	4	253.12	37.00	दिसं.-2008	दिसं.-2009
3.	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	28	41.115	4.5	259.77	33.59	दिसं.-2008	दिसं.-2009
4.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	28	36	16.8	198.06	51.84	अक्तू.-2008	जून-2009
5.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2)	28	47	20.4	212.33	60.19	अक्तू.-2008	जून-2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	28	41.925	16.5	249.95	55.83	नवं.-2008	जून-2009
7.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4)	28	29	1	255.21	51.00	नवं.-2008	दिसं.-2009
8.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	28	44	0	266.06	20.00	अक्तू.-2008	दिसं.-2009
9.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	28	43.7	0	262.6	51.00	अक्तू.-2008	जून-2009
10.	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	28	40	0	318.77	18.88	सितं.-2008	दिसं.-2009
11.	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/II-सी)	2	77	73.29	295.53	87.20	अक्तू.-2004	मार्च-2009
12.	दीवापुर से यूपी/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9)	28	41.085	0	357.14	15.12	नवं.-2008	दिसं.-2009
13.	इलाहाबाद बाईपास ठेका-II	2	38.987	38.5	446.99	82.20	दिसं.-2006	दिसं.-2008
14.	वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	2	76	73.97	396.47	89.02	मार्च-2005	जून-2009
15.	आगरा-शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I-ए)	2	50.83	49.89	328.49	97.97	मार्च-2005	मार्च-2009
16.	गोरहर-बरवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	2	78.75	71.69	299.711	85.66	मार्च-2005	मार्च-2009
17.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III	2	44.708	40	505.27	80.00	मई-2007	फर.-2009
18.	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी-12)	28	40	0	311.13	18.19	सितं.-2008	दिसं.-2009

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केंद्र

2827. श्री किशनभाई वी. पटेल :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केन्द्र के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे भारतीय चिकित्सा पद्धति को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान केंद्र (एनसीएनपीआर), मिसिसिपी विश्वविद्यालय, अमेरिका के साथ पहले से ही एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत आयुष विभाग द्वारा एनसीएनपीआर में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित एक संयुक्त भारतीय-अमेरिकी अनुसंधान केंद्र (सीआरआईएसएम) स्थापित किया जाएगा। सीआरआईएसएम का प्राथमिक उद्देश्य सहयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित सूचना के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण और प्रचार कार्यों को सुग्राही बनाना होगा।

इस केंद्र के द्वारा अमेरिका में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और भारतीय चिकित्सा औषध उत्पादों के लिए बाजार के सृजन और आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाओं के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहित होने के साथ-साथ अमेरिका में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

पी.आई.बी. द्वारा अंग्रेजी में प्रेस विज्ञप्ति जारी करना

2828. श्री गिरिधारी यादव : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) में अधिकांश प्रेस विज्ञप्तियां अंग्रेजी भाषा में तैयार की जाती है और हिंदी भाषा की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(घ) इस संबंध में, सरकार द्वारा सभी प्रेस विज्ञप्तियां अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

विदेशी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रैस विज्ञप्तियां अंग्रेजी में जारी की जाती हैं और बाद में उनका पत्र सूचना कार्यालय द्वारा हिंदी में अनुवाद किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध

2829. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री फ्रांसिस फैन्थम :
श्री रनेन बर्मन :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्लास्टिक/पोलीथीन के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्लास्टिक थैलों के प्रयोग से पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ता हैं तथा इस खतरे की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिक प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाइयों की स्थापना करके प्लास्टिक थैला विनिर्माताओं को बढ़ावा देने तथा जैव-अपघटनीय प्लास्टिक के विकास हेतु अनुसंधान करने के लिए कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को किसी अन्य देश द्वारा प्लास्टिक थैलों के विकल्प के रूप में फूड रेपर्स तैयार करने हेतु अपनाई जा रही किसी पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी की जानकारी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक थैलियों के परिणाम, प्लास्टिक उद्योग के आकार और सस्ते विकल्प उपलब्ध न होने के कारण इस समय भारत सरकार के पास संपूर्ण देश में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्थानीय अधिकारियों द्वारा कुछ हिल स्टेशनों, पर्यटक और तीर्थ स्थलों में प्लास्टिक कैरीबैग्स का उपयोग निषेध किया गया है।

(ग) वर्जिन प्लास्टिक थैलियां स्वास्थ्य के लिए इतनी नुकसानदायक और पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं हैं। उपयोग की गई प्लास्टिक थैलियों और पुन: चक्रित/प्लास्टिक की रंगीन थैलियों जिनमें कुछ रासायनिक एडिटिप्स होते हैं, को अविवेकपूर्ण इधर-उधर फैकने से पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है, भूमि बंजर हो सकती है, खुली नालियां बंद हो सकती है तथा भूमि जल प्रदूषित हो सकता है। भारत सरकार ने प्लास्टिक मैन्यूफक्चर, सेल एंड यूजेज रूल्स, 1999 यथासंशोधित 2003 अधिसूचित किए है इन रूल्स के उपबंधों के अनुसार वर्जिन प्लास्टिक से बने कैरी बैग्स और डिब्बे प्राकृतिक शेड अथवा सफेद रंग में होंगे।

(घ) और (ङ) यदि प्लास्टिक थैलियों का पुन: चक्रण सही ढंग से नहीं किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप टॉक्सिक गैसों का उत्सर्जन हो सकता है जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल सकता है और यह स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पुन: चक्रण केवल पंजीकृत इकाइयों द्वारा और इन नियमों के निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाना आवश्यक है। सरकार अनुसंधान और विकास गतिविधियों सहित प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

(च) और (छ) कुछ विकासशील देश ने खाद्य सामग्री की पैकेजिंग में जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक, कागज आदि का उपयोग शुरू कर दिया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2830. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :
श्रीमती के. रानी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन बैंकों का बकाया ऋण कितना है;

(ग) ऐसे बकाया ऋणों को वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, देश में 91 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कार्यरत हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बकाया ऋण 5909673.67 लाख रुपए (अनन्तिम) था।

(ग) सामान्यत:, ऋणों की वापसी आदयगी उनके संवितरण के निबंधनों के अनुसार की जाती है। ऐसे बकाया ऋणों, जो देय तिथि को अदा नहीं किए जाते हैं, उनकी वसूली के लिए मांग नोटिस जारी किया जाना, राज्य सरकार की सहायता से वसूली कैंप जैसे नियमित प्रयासों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे हैं:—

(i) लोक अदालत के माध्यम से बकाया का समझौता निपटान।

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अग्रिम ऋण के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसईआरएफएईएसआई एक्ट) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं:—

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राज्य स्तर पर प्रायोजक बैंक-वार समामेलन/समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालन के एक बड़े क्षेत्र को लाभ प्रदान करेगा तथा ऋण वितरण की सीमाओं में विस्तार करेगा।

(2) कमजोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्पूंजीकरण।

(3) बीमा पालिसियों की बिक्री, पेंशन का वितरण, वेतन आदि जैसे गैर-निधि आधारित व्यावसायिक क्रिया-कलापों का विस्तार तथा आय अर्जन को बढ़ाने के लिए सरकारी व्यवसाय का परिचालन।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा राशियों को स्वीकार करने की अनुमति देना।

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता संघ से ऋण के लिए अनुमति।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	आरआरबी की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3
10.	झारखंड	2
11.	कर्नाटक	6
12.	केरल	2

1	2	3
13.	मणिपुर	1
14.	मेघालय	1
15.	मिजोरम	1
16.	मध्य प्रदेश	10
17.	महाराष्ट्र	6
18.	नागालैंड	1
19.	उड़ीसा	5
20.	पंजाब	3
21.	पांडुचेरी	1
22.	राजस्थान	6
23.	तमिलनाडु	2
24.	त्रिपुरा	1
25.	उत्तर प्रदेश	12
26.	उत्तराखंड	2
27.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	91

एटीएम की आउटसोर्सिंग

2831. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक एटीएम को बाह्य अभिकरणों को आऊटसोर्स करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन एटीएम की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि (i) एटीएम स्थापित करने में लगने वाले पूंजीगत व्यय को कम करने, (ii) ग्राहकों के लिए एटीएम उपलब्धता में सुधार करने तथा (iii) ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस माडल के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर 500 एटीएम को भाड़े पर लिए जाने की उम्मीद है। स्थान की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

पेट्रोल/डीजल पर बिक्री कर लगाया जाना

2832. श्रीमती करूणा शुक्ला :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों द्वारा पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर लगाए जाने के कारण तेल कंपनियों पर पड़ रहे कर के बोझ के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) पेट्रोल एवं डीज़ल पर राज्यों के बिक्री कर के कारण कर बोझ के मुद्दे को अनेक अवसरों पर विभिन्न दावेदारों द्वारा उठाया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची की 54वीं प्रविष्टि के अनुसार माल के क्रय या विक्रय पर कर राज्य का विषय है तथा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का गठन राज्य स्तर के मूल्य वर्धित कर (वैट) से संबंधित सभी मामलों एवं बिक्री कर से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए किया गया है। राज्यों से पेट्रोल एवं डीज़ल पर बिक्री कर की दर को संपूर्ण भारत में समान स्तर पर कम करने का अनुरोध करते हुए दिनांक 9.6.2008 को तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने भी अध्यक्ष, राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को पत्र लिखा था।

[हिन्दी]

निजी बैंकों द्वारा अवैध लेन-देन

2833. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री बी.के. हुम्बर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी बैंक धन के अवैध लेन-देन तथा काले धन के प्रचालन में सहायक हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार बनाए प्रावधान का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) वित्तीय आसूचना यूनिट-इण्डिया (एफआईयू-इण्ड) की स्थापना, वित्तीय क्षेत्र से बहुत अधिक नकदी तथा संदेहास्पद लेन-देन से संबंधित सूचना प्राप्त करने, उसका विश्लेषण करने तथा उचित मामलों में संबंधित आसूचना/विधि प्रवर्तन एजेंसियों की सूचना प्रदान करने के लिए की गई थी। एफआईयू-इण्ड कोई जांच कार्य नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, एफआईयू-इण्ड वांछित सूचना नहीं रखता है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित संपूर्ण विनियामक ढांचे के अंतर्गत परिचालन अपेक्षित हैं। धन शोधन का मामला जब कभी बैंक की जानकारी में आता है तो उसे बैंक द्वारा एफआईयू-इण्ड को सौंप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2005 का अधिनियमन किया गया है तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, धन शोधन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को "अपने ग्राहक को पहचानें" (केवाईसी) के मानदंडों तथा धन शोधन निवारण का अनुपालन करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2005 तथा "अपने ग्राहक को पहचानें" और धन शोधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक निर्देश परिचालित तथा बैंकों द्वारा इन प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

सामान्य बीमा कंपनियों के साथ पुनर्बीमाकर्ता

2834. श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं को नियोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ पुनर्बीमाकर्ताओं का परिसमापन हो गया था और उन पर करोड़ों रुपये का बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जनरल इन्श्योरर पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (जीआईपीएसए) ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां आपत्तिजनक ऋण रेटिंग वाले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं को नियोजित नहीं कर रही हैं। पुनर्बीमा कारबार नियोजित करते समय, बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित कम से कम "बीबीबी" अथवा मानक एवं खराब के समतुल्य रेटिंग का हो।

(ग) और (घ) जीआईपीएसए ने यह सूचित किया है कि ओरिएंटल इन्श्योरेंस कंपनी (ओआईसी) के मामले में, उनके द्वारा नियोजित कुल पुनर्बीमा कारबार में से, सिर्फ एक कंपनी नामत: रिलायंस नैशनल ऑफ सिंगापुर का परिसमापन हो गया है। 23.89 मिलियन अमरीकी डालर की वसूली में से, सिर्फ 3.8 मिलियन अमरीकी डालर, व्यवस्था स्कीम के अंतर्गत स्वीकार किए गए हैं। ओआईसी ने पूरी राशि एवं वास्तविक निपटान तक उस पर ब्याज के लिए सिंगापुर में वसूली-वाद भी दायर किया है।

एड्स तथा कैंसर की दवाओं पर आयात शुल्क

2835. श्री किरिप चालिहा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एड्स तथा कैंसर रोधी दवाओं के मूल्यों को कम करने के लिए लगभग 60 ऐसी दवाओं पर से आयात शुल्क हटाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) 2006-07 में, सरकार को 27 एड्स रोधी दवाओं को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देने की सिफारिश प्राप्त हुई थी।

(ख) 2006-07 के बजट में, इस सिफारिश की जांच की गयी थी तथा 10 विनिर्दिष्ट एड्स रोधी दवाओं, 14 कैंसर रोधी दवाओं एवं बल्क ड्रग्स विनिर्माण को 5% की रियायती शुल्क उपलब्ध करायी गयी। इन दवाओं को उत्पाद शुल्क के बराबर सी वी डी से भी

छूट दी गयी थी। 2008-09 के बजट में औषधियों और दवाओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करके 16% से 8% करने तथा 7.12.2008 को और कटौती करके 4% करने से सभी दवाओं पर आयात शुल्क में और कमी हुई है।

[हिन्दी]

खाद्य उत्पादों पर राजसहायता

2836. प्रो. एम. रामदास :
श्री मदन लाल शर्मा :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य उत्पादों पर राजसहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यमान राजसहायता में कोई परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) सरकार खाद्य उत्पादों पर राजसहायता नहीं देती। तथापि, भारतीय खाद्य निगम को, जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति और वितरण तथा खाद्य सुरक्षा के उपाय के रूप में खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है, उसे सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सब्सिडी ऐसे राज्यों को मुहैया कराई जाती है, जिन्होंने राज्य के भीतर ही खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने और टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लक्षित जनता को वितरित करने का बीड़ा उठाया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय किया गया धन और 2008-09 की पूरक अनुदान मांगों सहित बजट अनुमानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

केन्द्र सरकार की निश्चित खाद्य सब्सिडी

(करोड़ रुपये)

	2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम) वास्तविक आंकड़े)	2008-09 (ब.अ.+प्रथम पूरक मांगे)
खाद्य सब्सिडी	23077	24014	31328	37731

स्रोत: 1. व्यय बजट खण्ड 1
2. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय

[अनुवाद]

शुल्क प्रति अदायगी दरों में वृद्धि

2837. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र कंपनियों की सहायता करने के लिए पहले घटाई गई शुल्क प्रति अदायगी दरों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) प्रति अदायगी दरों का निर्धारण शुल्क प्रति अदायगी की सभी उद्योग दरों को निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। प्रति अदायगी दरों की घोषणा के बाद अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें वस्त्र मदों सहित विभिन्न मदों के लिए प्रति अदायगी दरों में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। इन अभ्यावेदनों को समिति के पास विचारार्थ अग्रेषित कर दिया गया हैं आगे की कार्रवाई पर विचार समिति की सिफारिश प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

[हिन्दी]

वाहन तथा आवास ऋण

2838. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वाहन ऋण तथा आवास ऋण लेने वाले व्यक्तियों की बैंक-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लिए गए इन ऋणों का पुनर्भुगतान समय पर किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे ऋणों का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या बैंकों ने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित आवास और मोटर वाहन ऋण में बकाया और अनर्जक ऋण के बैंकवार आंकड़े विवरण-I से

III के रूप में संलग्न हैं। इस तरह के ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने इन ऋणों की वापसी अदायगी नहीं की है और इस संबंध में बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, बैंकों के पास, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है और बकाया के एकबारगी निपटान के लिए दिशानिर्देश, उपलब्ध हैं। बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई) और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत ऋणों के चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

विवरण-I

राशि करोड़ रुपए में

बैंक का नाम	मार्च 2006					
	खुदरा-बकाया		खुदरा-अनर्जक		एनपीए अनुपात (%)	
	आवास ऋण	वाहन ऋण	आवास ऋण	वाहन ऋण	आवास ऋण	वाहन ऋण
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	2377.44	113.98	71.37	5.94	3.00	5.21
आंध्रा बैंक	1571.42	55.56	40.13	5.6	2.55	10.08
बैंक ऑफ बड़ौदा	4279.24	203.53	141.67	6.23	3.31	3.06
बैंक ऑफ इंडिया	4201.55	223.05	71.24	6.92	1.70	3.10
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1522.69	166.35	26.38	7.41	1.73	4.45
केनरा बैंक	5599	620.52	97.32	31.79	1.74	5.12
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1921.02	94.97	79.94	6.07	4.16	6.39
कार्पोरेशन बैंक	3668.94	314.89	170.54	16.16	4.65	5.13
देना बैंक	1275.75	22.99	35.05	1.59	2.75	6.92
आईडीबीआई बैंक लि.	7399.44	3.21	54.42	0.93	0.74	28.97
इंडियन बैंक	3302.3	107.75	101.61	9.52	3.08	8.84
इंडियन ओवरसीज बैंक	2714.22	150.47	76.88	3.8	2.83	2.53
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2608.92	54.84	85.95	3.45	3.29	6.29
पंजाब एंड सिंध बैंक	1222.88	36.79	26.58	5.18	2.17	14.08
पंजाब नेशनल बैंक	6360.48	650.8	91.51	21.57	1.44	3.31
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	1685.8	73.26	27.73	2.79	1.64	3.81

1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2262.34	18.53	34.73	4.48	1.54	24.18
भारतीय स्टेट बैंक	32002.08	4274.77	1072.67	80.77	3.35	1.89
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	882.48	209.07	56.08	3.53	6.35	1.69
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1323.43	214.56	32.99	0	2.49	0.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2014.08	272.01	79.52	4.64	3.95	1.71
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	954.21	27.85	21.34	0.2	2.24	0.72
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2843.09	516.65	53.67	4.63	1.89	0.90
सिंडिकेट बैंक	3893.35	106.81	154.2	4.26	3.96	3.99
यूको बैंक	2632.69	59.85	49.82	3.25	1.89	5.43
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4587.58	465.5	174.26	23.42	3.80	5.03
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1500.27	57.41	52.12	0.18	3.47	0.31
विजया बैंक	3376.71	266.2	147.8	11.18	4.38	4.20

स्रोत: बैंकों द्वारा जमा किए गए परोक्ष विवरण

विवरण-II

राशि करोड़ रुपए में

बैंक का नाम	मार्च 2007					
	खुदरा-बकाया		खुदरा-अनर्जक		एनपीए अनुपात (%)	
	आवास ऋण	वाहन ऋण	आवास ऋण	वाहन ऋण	आवास ऋण	वाहन ऋण
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	3177.08	202.91	109.34	8.35	3.44	4.12
आंध्रा बैंक	1772.22	107.87	31.54	4.76	1.78	4.41
बैंक ऑफ बड़ौदा	5877.22	390.11	170.06	6.77	2.89	1.74
बैंक ऑफ इंडिया	5345.43	424.26	94.72	3.17	1.77	0.75
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2165.89	636.61	50.57	8.23	2.33	1.29

1 2	3	4	5	6	7	
केनरा बैंक	6575.17	886.98	205.46	50.48	3.12	5.69
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2868.65	134.72	117.59	4.6	4.10	3.41
कार्पोरेशन बैंक	4195.33	430.55	168.23	17.57	4.01	4.08
देना बैंक	2521.69	55.24	75.61	2.22	3.00	4.02
आईडीबीआई बैंक लि.	9235.57	30.81	114.64	2.52	1.24	8.18
इंडियन बैंक	3801.11	145.1	112.31	9.29	2.95	6.40
इंडियन ओवरसीज बैंक	2959.8	233.98	104.03	4.74	3.51	2.03
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3305.48	310.28	95.02	3.79	2.87	1.22
पंजाब एंड सिंध बैंक	982.75	234.94	23.28	3.73	2.37	1.59
पंजाब नेशनल बैंक	7350.8	924.23	178.05	30.82	2.42	3.33
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	1767.21	133.86	53.61	2.8	3.03	2.09
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2688.12	283.65	38.7	4.82	1.44	1.70
भारतीय स्टेट बैंक	37310.27	5503.95	1413.94	116.23	3.79	2.11
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1028.8	142.93	47.19	4.19	4.59	2.93
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1834.03	233.41	62.54	5.92	3.41	2.54
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2481.79	404.49	106.64	7.6	4.30	1.88
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1109.15	45.45	20.78	2.25	1.87	4.95
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	3490.99	790.67	51.5	5.91	1.48	0.75
सिंडिकेट बैंक	5298.67	172.84	227.34	5.81	4.29	3.36
यूको बैंक	3332.69	56.02	78.52	2.12	2.36	3.78
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4465.02	714.55	146.6	44.6	3.28	6.24
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2218.02	337.1	66.54	2.93	3.00	0.87
विजया बैंक	3819.39	519.63	167.1	12.41	4.38	2.39

स्रोत: बैंकों द्वारा जमा किए गए परोक्ष विवरण

विवरण-III

राशि करोड़ रुपए में

बैंक का नाम	मार्च 2008					
	खुदरा-बकाया		खुदरा-अनर्जक		एनपीए अनुपात (%)	
	आवास ऋण	वाहन ऋण	आवास ऋण	वाहन ऋण	आवास ऋण	वाहन ऋण
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	3061.81	234.93	132	8.31	4.31	3.54
आंध्रा बैंक	1994.76	132.58	26.02	3.78	1.30	2.85
बैंक ऑफ बड़ौदा	6950.73	495.72	301.68	12.2	4.34	2.46
बैंक ऑफ इंडिया	6342.61	584.04	190.85	8.52	3.01	1.46
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2610.23	742.58	71.95	11.63	2.76	1.57
केनरा बैंक	6658.6	943.66	143.86	18.9	2.16	2.00
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3825.51	223.07	170.9	5.43	4.47	2.43
कार्पोरेशन बैंक	4431.66	543.21	143.2	25.56	3.23	4.71
देना बैंक	3155.41	146.97	84.02	2.79	2.66	1.90
आईडीबीआई बैंक लि.	10367.04	35.39	139.03	2.88	1.34	8.14
इंडियन बैंक	4188.07	191.69	110.58	9.87	2.64	5.15
इंडियन ओवरसीज बैंक	2961.13	332.8	100.07	4.93	3.38	1.48
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	3141.13	345.11	119.45	6.78	3.80	1.96
पंजाब एंड सिंध बैंक	1007.86	54.5	17.71	0.62	1.76	1.14
पंजाब नेशनल बैंक	7664.35	926.02	309.79	48.6	4.04	5.25
स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर	1853.5	178.11	59.94	2.2	3.23	1.24
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	3210.67	361.4	35.74	5.9	1.11	1.63
भारतीय स्टेट बैंक	41957.02	7149.11	1420.69	212.22	3.39	2.97
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	1272.63	200.66	41.4	4.44	3.25	2.21
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1991.69	267.1	59.9	10.47	3.01	3.92

1	2	3	4	5	6	7
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2901.67	572.56	87.09	9.92	3.00	1.73
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1224.13	63.72	28.87	3.16	2.36	4.96
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	4157.63	921.2	48.14	10.78	1.16	1.17
सिंडिकेट बैंक	7183.16	206.29	288.77	8.69	4.02	4.21
यूको बैंक	3808.51	72.96	121.36	3.67	3.19	5.03
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5252.92	805.07	188.58	30.52	3.59	3.79
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4147.59	717.41	34.46	0.3	0.83	0.04
विजया बैंक	4198.37	841.05	202.37	10.89	4.82	1.29

स्रोत: बैंकों द्वारा जमा किए गए परोक्ष विवरण

कृषि बैंक

2839. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केवल किसानों को, ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कृषि बैंक की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण

2840. श्री वी.के. ठुम्मर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सहकारी बैंकों द्वारा कुल संवितरित ऋणों में से कृषि क्षेत्र को कितना ऋण संवितरित किया गया;

(ख) क्या सहकारी बैंकों द्वारा दिया जाने वाला कृषि ऋण का हिस्सा कम हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण नीचे दिया गया है:–

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण	कृषि क्षेत्र को संवितरित ऋण	कुल ऋणों की तुलना में कृषि ऋण का %
2005-06	50,226	39,786	79
2006-07	55,727	42,480	76
2007-08 (अनंतिम)	58,902	43,684	74
2008-09 (31 अक्तूबर, 2008 तक)	उपलब्ध नहीं	21,978	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)

यद्यपि पिछले तीन वर्षों में कृषि क्षेत्र में सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों के प्रतिशत हिस्से में मामूली सी कमी आई है, तथापि समग्र दृष्टि से इसमें वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

जाली हस्ताक्षर के माध्यम से ऋण

2841. श्री एस. अजय कुमार :
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006 के दौरान इलाहाबाद बैंक द्वारा जाली हस्ताक्षरों के माध्यम से ऋण स्वीकृति के कितने मामलों का पता लगाया गया है तथा इस प्रकार क्षेत्र-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(ख) इसमें संलिप्त अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इन मामलों की जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) इलाहाबाद बैंक से प्राप्त सभी अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006 के दौरान जाली हस्ताक्षरों पर संस्वीकृत ऋणों के मामले

क्रम. सं.	शाखा	अंचल	राशि (लाख रुपए में)	शामिल अधिकारी/ अन्य	की गई कार्रवाई	क्या सीबीआई/ सीवीसी को जांच हेतु भेजा गया	यदि हां, तो उसका विवरण और इसकी अभी तक की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आरबीबी, मेरठ यूनिवर्सिटी	मेरठ	7.45	पी.के. जैन	मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
2.	मसकंनवा	गोंडा	5.74	मुह. खुर्शीद	मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
3.	आरबीबी, एल्गिन रोड	कोलकाता-मेट्रो	65.98	1. एम.एम. राय	1. कम करके निचले स्तर पर	नहीं	शून्य
				2. संजीब घोष	2. परनिन्दा		
				3. फुलोरा अधिकारी	3. चेतावनी		
4.	मैहर	सतना	9.40	आर.पी. सिंह	मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
5.	टेरवा मनकापुर	सीतापुर	2.62	जी.एम. कपूर	अनिवार्य सेवानिवृत्ति	नहीं	शून्य
6.	बरासत	बरासत	16.70	1. दिनेश कुमार	1. परनिन्दा	नहीं	शून्य
				2. एसएस. हाजरा	2. मूल वेतन में कमी		
7.	बेगुसराय	मुज्जफरपुर	4.92	1. बी.के. झा	1. मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
				2. वी.एस. सिंह	2. परनिन्दा		

1	2	3	4	5	6	7	8
				3. यू.एन. उपाध्याय	3. परनिन्दा		
				4. एस.एस. पाण्डेय	4. कोई कार्रवाई नहीं		
8.	उदयपुर	जयपुर	9.46	1. के.एल. अग्रवाल	1. मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
				2. आर.एल. गुर्जर	2. पदोन्नति पर रोक		
9.	पुरी सी बीच	भुवनेश्वर	5.13	के.सी. राठ	कम करके निचले स्तर	नहीं	शून्य
10.	पाटलीपुत्र कालोनी	पटना	21.73	वी.एस. सोमित्र	सेवा से निष्कासन	सीबीआई के पास एफआईआर पंजीकृत	मामला जांचाधीन
11.	कोटवा	बहराइच	3.86	1. आर.के. तिवारी	1. मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
				2. के. साहू	2. परनिन्दा		
12.	होलीपुरा	कानपुर	3.25	दिनेश सक्सेना	मूल वेतन में कमी	नहीं	शून्य
13.	पार्लियामेंट स्ट्रीट	नई दिल्ली	46.14	1. बी.एम. पाल	1. गैर-सर्तकता	नहीं	शून्य
				2. जे.के. गुप्ता	2. गैर-सर्तकता		

मत्स्य नौकाओं पर राजसहायता

2842. श्री ए.वी. बेल्लारमिन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 एचपी तथा इससे ऊपर के इंजनों वाली कैरोसीन तथा डीजल पर चलने वाली मत्स्य नौकाओं पर राजसहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2 एचपी से 7 एचपी के इंजन वाली कैरोसीन तथा डीजल पर चलने वाली नौकाओं को राजसहायता नहीं दी जाती;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग समुद्री-मत्स्य अवसंरचना और मत्स्य-प्रचालनों के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित कर रहा है। सीएसएस के परंपरागत शिल्प के मशीनीकरण से संबंधित घटक के तहत, परंपरागत नाव को मोटरयुक्त नाव बनाने के लिए प्रति नाव 20,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस सब्सिडी का खर्च भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच बराबर बांटा जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, सब्सिडी का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है। यह सब्सिडी 8 एचपी से 10 एचपी के आउटबोर्ड इंजनों पर दी जाती है।

(ग) से (ङ) 8 एचपी से कम के इंजनों को इस योजना के तहत सब्सिडी के लिए शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इतनी कम क्षमता के इंजन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु जाने के लिए कार्यक्षम नहीं होंगे। हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर मुछआरा विकास छूट के घटक के अंतर्गत, 20 मीटर की कुल लम्बाई (ओएएल) से कम की मशीनीकृत मत्स्य-नावों द्वारा इस्तेमाल किए गए हाई स्पीड डीजल पर 1.50 रुपये प्रति लीटर की छूट/सब्सिडी दी गई है। ऐसे राज्यों के मामले में जहां उनके द्वारा बिक्री कर से छूट दी गई है और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, सब्सिडी की समस्त राशि को भारत सरकार वहन करती है।

तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध

2843. श्रीमती जयाप्रदा :
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपने सदस्य देशों से अपने संबंधित देशों को तम्बाकू मुक्त बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में तम्बाकू तथा इससे बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को क्या परामर्श दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन-तम्बाकू नियंत्रण संबंधी स्वरूप अभिसमय में तम्बाकू उत्पादों की मांग और आपूर्ति को कम करने के लिए कार्यनीतियों का पता लगाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सदस्य देशों को तम्बाकू मुक्त बनाने की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन-तम्बाकू नियंत्रण संबंधी प्रारूप अभिसमय फरवरी, 05 में प्रवृत्त हो गया है।

(ग) और (घ) "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" की धारा-5 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन को प्रतिबंधित करती है। राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर भी अनुवीक्षण समितियां गठित करने के लिए राज्य सरकारों को मई, 2008 में पत्र लिखे हैं।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों में गर्भावस्था के दौरान मृत्यु

2844. एडवोकेट सुरेश कुरूप :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर जटिलताओं के कारण मरने वाली महिलाएं अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से होती हैं जैसा कि दिनांक 11 अक्तूबर, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, उसमें प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूनिसेफ द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार मातृत्व मृत्युदर दर्शाती है कि महिलाएं ऐसे कारणों से मर रही हैं जिनकी रोकथाम की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) भारत के महापंजीयक-नमूना पंजीयन प्रणाली (आरजीआई-एसआरएस) की "भारत में मातृत्व मृत्यु : 1997-2003 रूझान, कारण और जोखिम कारक" (2006) नामक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों में गर्भावस्था प्रसव या प्रसवोत्तर काल में होने वाली मातृत्व मौतों की प्रतिशतता इंगित नहीं की गई है।

मातृत्व मौतों के कारणों के संबंध में देश के लिए समग्र रूप से यूनिसेफ द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित आंकड़े नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीयक की सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश में मातृत्व मृत्यु के प्रमुख कारणों को "रक्तस्राव", "सेप्सिस", "गर्भपात", "अवरूद्ध प्रसव", "उक्त रक्तचाप संबंधी विकारों" तथा "अन्य स्थितियों" के रूप में बताया गया है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) (2005-2012) और इसके अंतर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण-II का उद्देश्य दुर्बल जन स्वास्थ्य संकेतकों एवं दुर्बल अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष बल देते हुए विशेष तौर पर निर्धन महिलाओं एवं बच्चों के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में समान, वहनीय, उत्तरदायी एवं प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना है। इस मिशन के अंतर्गत मातृत्व मृत्यु में और कमी करने के लिए निम्नलिखित मुख्य कार्यनीतियां एवं कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं, नामतः जननी सुरक्षा योजना, गरीबी रेखा से नीचे एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष बल देते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की एक नकद लाभ

योजना; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल एककों के रूप में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24x7 सेवाओं के लिए प्रचालित करना; विभिन्न कौशल-आधारित प्रशिक्षणों जैसे कि कुशल जन्म परिचर्या के जरिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना; जीवन रक्षक संवेदनाहरण कौशल एवं सीजेरियन सेक्शन सहित आपातकालीन प्रसूति परिचर्या में एमबीबीएस डाक्टरों का प्रशिक्षण; प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था गर्भावस्था एवं स्तन्यकाल के दौरान आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों के संपूरण के द्वारा रक्ताल्पता की रोकथाम एवं उपचार; आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन करना; गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए एक प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की नियुक्ति; स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों अर्थात जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों की सेवा प्रदानगी को बेहतर करने के लिए उन्हें अबद्ध अनुदान, वार्षिक अनुरक्षण अनुदान और समग्र निधियों सहित निधियां प्रदान करके उन्हें सुदृढ़ करना।

विभिन्न विभागों में रिक्त पद

2845. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रैस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी.), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), क्षेत्र प्रसार निदेशालय (डी.एफ.पी.) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) में संगीत एवं नाटक प्रभाग में कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) ये पद कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पूर्वोत्तर के इन विभागों में कितने नए पद सृजित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.), विज्ञान एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डी.एफ.पी.) और गीत एवं नाटक प्रभाग में रिक्त पड़े पदों की संख्या निम्नानुसार है:—

माध्यम एकक का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	2
पत्र सूचना कार्यालय	12
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	13
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	51
गीत एवं नाटक प्रभाग	19

(ख) केंद्र सरकार के विभागों में रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है और इन रिक्तियों को जहां कहीं आवश्यक है, यथोचित अनुमति प्राप्त होने के बाद भरा जाता है।

(ग) शून्य।

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे

2846. श्री हरिन पाठक :
श्री मधुसूदन मिस्त्री :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे पर संरेखण (प्रथम चरण) कार्य के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रारंभ हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आबंटित निधियों सहित तत्संबंधी स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) संरेखण निर्धारित करने का कार्य, परामर्शदाता (मैसर्स सीकॉन प्रा. लि.) के माध्यम से शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) परामर्शदाता ने कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। संरेखण निर्धारित करने के पश्चात्, नियुक्त परामर्शदाता साध्यता अध्ययन प्रारंभ करता है। तत्पश्चात् संरेखण पर विस्तृत भूमि योजना अनुसूची तैयार की जाती है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है जिसमें लगभग दो वर्ष लगते हैं। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा होने की नियत तारीख से लगभग एक वर्ष पहले निविदा प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है ताकि परियोजना की रियायत सौंपने और वित्तीय पूर्ति (रियायत सौंपने के

6 माह के अंदर) और संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण का कार्य साथ-साथ पूरा किया जा सके। परामर्शदाता की नियुक्ति के पश्चात् साध्यता अध्ययन जिसके लिए पहले ही प्रस्ताव मिल चुके हैं, के लिए आवश्यक धनराशि आबंटित कर दी गई है।

[हिन्दी]

कारपोरेट जालसाजी

2847. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार विनियामक सेबी ने नई आचार संहिता बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बाजार विनियामक द्वारा बनाई गई नई आचार संहिता के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तथा निक्षेपागार के लिए वार्षिक रूप से अपने लेनदेन का लेखा परीक्षण कराना अधिदेशात्मक बनाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कारपोरेट जालसाजी को रोकने के लिए उपायों की जांच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेकर एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) कारपोरेट जालसाजी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सेबी ने बाजार भागीदारों के लिए कोई नई आचार-संहिता जारी नहीं की है। तथापि, इसने बोर्ड के सदस्यों के लिए हित टकराव संबंधी एक आचार-संहिता जारी की है। उक्त संहिता की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विनियमों में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक निक्षेपागार अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षोपायों का वार्षिक निरीक्षण करवाए तथा रिपोर्ट की एक प्रति सेबी को अग्रेषित करें। सेबी ने यह निर्धारित किया है कि एक्सचेंज अपनी प्रणालियों की लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर किसी प्रतिष्ठित स्वतंत्र लेखापरीक्षक से करवाएंगे। प्रणाली लेखापरीक्षा व्यापक होनी चाहिए जिसमें कारोबार प्रणालियों, समाशोधन तथा निपटान प्रणालियों (समाशोधन निगम/समाशोधन गृह), जोखिम प्रबंधन, आंकड़ाधारों, आपदा राहत स्थलों, व्यवसाय निरंतरता आयोजना, सुरक्षा, क्षमता प्रबंधन तथा सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा की जांच से जुड़ी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा शामिल हो।

(ङ) और (च) ऐसी किसी समिति का गठन कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने नहीं किया है।

(छ) सेबी सूचकांकों के स्तरों के बावजूद बाजार पर सतत् निगरानी रखता है तथा इसने जहां भी अपेक्षित हो, कार्रवाई की है। सेबी स्टॉक एक्सचेंजों तथा निक्षेपागारों के पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठकों का संचालन कर रहा है तथा उन्हें अपने स्वये के निगरानी उपाय बढ़ाने तथा जहां भी आवश्यक हो, त्वरित प्रदर्शनात्मक कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी गई है ताकि निवेशकों के हित का संरक्षण किया जाए तथा स्टॉक बाजार का सुव्यवस्थित कार्यकरण सुनिश्चित हो।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सूचित किया है कि:

(i) गंभीर कारपोरेट धोखाधड़ियों के मामलों की जांच करने के लिए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) का गठन किया गया है;

(ii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने पणधारकों के लिए बेहतर कारपोरेट सूचना और पारदर्शिता समर्थ बनाने के लिए ई-अभिशासन प्रणाली का क्रियान्वयन किया है;

(iii) सनदी लेखाकर, कंपनी सचिवों; लागत और कर्म लेखाकारों को विनियमित करने वाली संविधियों में ऐसे व्यवसायियों के आचरण को अनुशासित एवं विनियमित करने के निमित्त अधिक कड़ा और प्रभावी ढांचा प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है; और

(iv) कंपनी विधेयक, 2008 लोक सभा में पेश किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जहां आवश्यक हो, कंपनियों का अधिक प्रभावी निरीक्षण/जांच के लिए प्रस्ताव शामिल हैं।

विवरण

बोर्ड के सदस्यों के लिए हित टकराव संबंधी संहिता

इस संहिता को बोर्ड द्वारा 4 दिसम्बर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि वह ऐसे

तरीके से संचालन करे जो इसके अधिदेश को पूरा करने के इसके सामर्थ्य को कम न करे अथवा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के सदस्य (सदस्यों) के सामर्थ्य में जन विश्वास को कम न करे।

परिभाषाएं

1. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(i) "परिवार" का अर्थ है पत्नी तथा 18 वर्ष की आयु के कम से आश्रित बच्चे।

(ii) "हित टकराव" का अर्थ है सदस्य का कोई व्यक्तिगत हित या संबधन जिसके द्वारा किसी तीसरे, पक्ष द्वारा यथा अवलोकित बोर्ड का निर्णय प्रभावित होने की संभावना है।

(iii) "सदस्य" का अर्थ है बोर्ड का सदस्य तथा इसमें बोर्ड का अध्यक्ष शामिल है।

(iv) "विनियमित निकाय" का अर्थ है ऐसी कंपनी जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है अथवा सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित है अथवा सेबी द्वारा पंजीकृत कोई मध्यवर्ती है।

(v) "शेयर" का अर्थ है किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीयन के लिए प्रस्तावित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों में रूपांतरणीय कोई अन्य लिखत।

(vi) "महत्वपूर्ण सौदे" का अर्थ है कम से कम 5,000 शेयरों के या कम से कम 1,00,000 रुपए मूल्य के शेयरों के लेन-देन।

(vii) "डब्ल्यूटीएम" का अर्थ है बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य तथा इसमें बोर्ड का अध्यक्ष शामिल है।

2. इस संहिता में प्रयुक्त किए गए तथा परिभाषित न किए गए किन्तु प्रतिभूति कानूनों में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः उन कानूनों में समनुदेशित किए गए हैं।

अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त संहिता

3. यह संहिता सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 7क के प्रावधानों, सेबी (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें तथा निबंधन) के नियम 3(1) तथा 19क (1) तथा सेबी (बोर्ड बैठकों की प्रक्रियाविधि) विनियम, 2001 के विनियम 9 तथा 11 के अतिरिक्त होगी।

सामान्य सिद्धांत

4 (1) सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएगा कि उस पर अभिभावी कोई हित टकराव बोर्ड के किसी निर्णय को प्रभावित न करे।

(2) सदस्य अपने कर्त्तव्यों के टकराव वाले अपने हितों का प्रकटन करेगा।

(3) सदस्य विनियमित निकायों या ऐसे निकायों के किसी कर्मचारी के साथ किसी वैयक्तिक या व्यावसायिक संबंध का दोहन अपने वैयक्तिक लाभ के लिए नहीं करेगा।

बाहरी या निजी क्रियाकलाप

5 (1) पूर्णकालिक सदस्य कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा।

(2) पूर्णकालिक सदस्य किसी अन्य व्यावसायिक क्रियाकलाप में रत नहीं होगा जिसमें वेतन या व्यावसायिक शुल्क की प्राप्ति अंतर्ग्रस्त हो।

शेयरों में लेनदेन

6 (1) सदस्य पद ग्रहण करने के 15 दिन के भीतर अपनी शेयर-धारिता तथा अपने परिवार की शेयरधारिता का प्रकटन करेगा।

(2) सदस्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 15 दिन के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी शेयरधारिता तथा अपने परिवार की शेयरधारिता का प्रकटन करेगा।

(3) पूर्णकालिक सदस्य अपने तथा अपने परिवार द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेनों का ऐसे लेनदेन के 15 दिन के भीतर प्रकटन करेगा।

(4) सदस्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी कंपनी की प्रतिभूतियों में ऐसी किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जिस तक उसका अभिगम हो, के आधार पर लेनदेन नहीं करेगा।

कार्यसूची के संबंध में टकराव

7 (1) बोर्ड की बैठक में विचारार्थ उठने वाले किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिलचस्पी रखने वाला सदस्य ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा।

(2) सदस्य बोर्ड द्वारा मांगी गई व्यावसायिक सलाह को छोड़कर ऐसे मामले के संबंध में बोर्ड के किसी विचार-विमर्श या चर्चा में भाग नहीं लेगा।

सदस्य कतिपय मामलों में सुनवाई या निर्णय नहीं करेंगे।

8. कोई भी सदस्य ऐसे किसी मामले की सुनवाई या उसपर निर्णय नहीं करेगा जिसमें उसका हित टकराव है।

मध्यवर्तियों की सेवाएं प्राप्त करना

9. सदस्य, मध्यवर्ती से प्राप्त किए गए उत्पाद या सेवाओं के संबंध में हुए अपने या अपने परिवार के किसी विवाद का प्रकटन करेगा।

उपहार स्वीकार करना

10. (1) पूर्णकालिक सदस्य किसी विनियमित निकाय से यथासंभव सीमा तक कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उसको कोई भी नाम दिया गया है।

(2) पूर्णकालिक सदस्य सेबी के सामान्य सेवा विभाग को उपहार सौंप देगा यदि उसे कोई उपहार प्राप्त होता है तथा उसका मूल्य 1000/- रुपए से अधिक है।

अन्य प्रकटन

11. सदस्य निम्नलिखित का प्रकटन करेगा:—

(क) कोई पद, अन्य रोजगार या न्यासधारी दर्जा, जो किसी विनियमित निकाय के संबंध में सदस्य धारिता करता है या विगत 5 वर्षों में उसने धारित किया है;

(ख) विनियमित निकाय के संबंध में धारित व्यावसायिक, व्यक्तिगत, वित्तीय या पारिवारिक संबंध सहित कोई अन्य महत्वपूर्ण संबंध

(ग) किसी संगठन में कोई अवैतनिक पद, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता है।

टकराव के प्रबंधन के लिए प्रक्रिया

12. (1) सदस्य यथाशीघ्र संभव अवसर पर हित टकराव का प्रकटन करेगा।

(2) सदस्य, अध्यक्ष से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा, यदि उसे संदेह है कि हित टकराव है अथवा नहीं।

(3) अध्यक्ष, बोर्ड से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा, यदि उसे संदेह है कि हित टकराव है अथवा नहीं।

(4) यदि अध्यक्ष अथवा बोर्ड, जो भी मामला हो, यह स्पष्टीकरण देता है कि हित टकराव है, तो सदस्य अथवा अध्यक्ष उस विशेष विषय में कार्यवाही करने से दूर रहेगा।

(5) अध्यक्ष अथवा बोर्ड, जैसा भी मामला हो, उस विषय को किसी अन्य सदस्य अथवा सदस्य समिति को सौंप देगा।

हित टकराव के मामले को उठाने के लिए जनसाधारण हेतु प्रक्रिया

13. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास यह मानने के लिए तर्कसंगत आधार है कि किसी सदस्य का किसी विशेष मामले में हित है, इसे ठोस साक्ष्य के साथ बोर्ड के सचिव की जानकारी में लाएगा।

(2) बोर्ड का सचिव, प्राप्त ब्यौरों को उपखंड (1) के तहत सदस्य के मामले में अध्यक्ष के समक्ष और अध्यक्ष के मामले में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) अध्यक्ष अथवा बोर्ड, जैसा भी मामला हो, यह निर्धारित करेंगे कि सदस्य अथवा अध्यक्ष का ऐसा कोई हित है जो उसके द्वारा दिए गए निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

(4) सदस्य अथवा अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, उस विषय विशेष में कार्यवाही करने से दूर रहेंगे, यदि अध्यक्ष अथवा बोर्ड यह निर्णय करते हैं कि हित टकराव है।

(5) अध्यक्ष या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, उस विषय को किसी अन्य सदस्य अथवा सदस्य समिति को सौंप देंगे।

प्रकटनों का अनुरक्षण

14. (1) इस संहिता के अंतर्गत यथा प्रकट सूचना गोपनीय रखी जाए और निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर इसका प्रकटन नहीं किया जाएगा:—

क. जहां सभावित अथवा वास्तविक टकरावों के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ प्रकटन की आवश्यकता है;

ख. जहां सदस्य के उत्तरदायित्वों में परिवर्तन के कारण प्रकटन की आवश्यकता है;

ग. जहां अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ ऐसी आवश्यकता है;

घ. जहां सूचना के प्रकटन के लिए कोई कानूनी अथवा विनियामक बाध्यता है।

(2) सदस्य द्वारा किए गए प्रकटनों की संवीक्षा सदस्यों के उत्तरदायित्व क्षेत्रों को यथेष्ट रूप से ध्यान में रखकर अध्यक्ष के प्राधिकार के अंतर्गत की जाएगी।

(3) अध्यक्ष द्वारा किए गए प्रकटनों की संवीक्षा अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों को यथेष्ट रूप से ध्यान में रखकर बोर्ड के प्राधिकार के अंतर्गत की जाएगी।

(4) सेबी (बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रियाविधि) विनियम, 2001 के विनियम 12(1) के तहत नामांकित सचिव इस संहिता के तहत सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी प्रकटन से संबंधित दस्तावेजों/अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

अस्थायी प्रावधान

15. मौजूदा सदस्य बोर्ड द्वारा इस संहिता के अपनाए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर इस संहिता के तहत यथापेक्षित प्रकटन करेंगे।

बीड़ी पीने का प्रभाव

2848. श्रीमती मेनका गांधी :
श्री उदय सिंह :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्यादा संख्या में भारतीय व्यक्तियों की मौत तम्बाकू के अन्य रूपों की तुलना में बीड़ी पीने से होती है जैसाकि दिनांक 13 मई, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिगरेट पीने की अपेक्षा बीड़ी पीने से अधिक विषाक्त रसायन निर्मुक्त होता है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत में तंबाकू नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू आरोपणीय रोगों के कारण लगभग 8-9 लाख व्यक्ति वार्षिक तौर पर मर जाते हैं। हालांकि, बीड़ी पीने से होने वाली मौतों का सटीक अनुमान नहीं है, ''बीड़ी धूम्रपान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य 2008'' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार बीड़ी का उपयोग सिगरेट की तुलना में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 55वें दौर (1999-2000) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 36.5% घरों तथा शहरी क्षेत्रों में 19% घरों ने बीड़ी का उपयोग किया।

(ग) और (घ) हालांकि, बीड़ी में पाये, जाने वाले विषाक्त रसायनों की जांच के लिए कोई मानकीकृत धूम्रपान मशीन विधियां नहीं हैं जो यह दर्शाए कि पत्ते के खोल की कम छिद्रिलता के कारण बीड़ी पीना ज्यादा हानिकारक है। पर्याप्त छनाई के अभाव के कारण, बीड़ी के धुएं से निर्मुक्त होने वाले उच्च विषाक्त रसायन सिगरेट से ज्यादा होते हैं। बीड़ी के धुएं अथवा बीड़ी तम्बाकू में अंगों पर रसायनों के अपावरण से भी क्रोमोसोम संबंधी तथा श्वसनी तंत्र को क्षति पहुंचती हैं।

भारत सरकार ने धूम्रपान न करने वालों को निष्क्रिय धूम्रपान के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए तथा साथ ही तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए 2003 में व्यापक तम्बाकू नियंत्रण कानून का अधिनियमन किया है।

[अनुवाद]

संपूर्ण स्वच्छता अभियान

2849. श्री नवीन जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को और अधिक लोकप्रिय और सफल बनाने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समन्वय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति एकल पहल के रूप में नहीं बल्कि संबद्ध विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की अंतर्क्षेत्रीय अभिसारिता के जरिए करना चाहता है। स्वास्थ्य एवं संपूर्ण स्वच्छता अभियान के

साथ अभिसारिता के सुदृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:—

जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर विचार करने के लिए सांझी ग्रामीण समिति बनाए जाने का समर्थन किया गया है। मौजूदा निर्माण जल एवं स्वच्छता समिति का स्वास्थ्य को शामिल करने के लिए ग्रामीण जल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के रूप में पुनः नामकरण किया जाना है।

– जल एवं स्वच्छता के क्रियाकलापों के लिए अबद्ध निधि का उपयोग।

– अंतर्क्षेत्रीय अभिसारिता के पहल-प्रयासों जिनमें राज्य जल स्वच्छता मिशन तथा जिला जल स्वच्छता समिति के क्रियाकलापों का एकीकरण भी शामिल हे, को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त अ.शा. पत्रों के जरिए अनुदेश प्रसारित किए गए हैं।

– टी.एस.सी. के अंतर्गत विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग हेतु शौचालयों के निर्माण के लिए प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रोत्साहकों के रूप में शामिल करना।

– स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं स्वच्छता शिक्षा संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को स्वच्छता संबंधी सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री दी जानी है।

– जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के निवारक एवं उपचारक पक्षों के संबंध में सूचना, शिक्षा एवं संचार की कार्रवाइयों की संयुक्त योजनाएं तैयार की जानी हैं। सूचना टी.एस.सी. तथा एनआरएचएम के सांझे संदेशों के लिए सारी प्रचार सामग्री में उपलब्ध कराई जाए।

– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के डॉक्टरों को उनकी रबड़ स्टेम्प सहित शामिल करना जिन पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी ऐसे संदेश लिखे हों जो दवाइयों की सलाह वाली पर्चियों पर लगाई जानी हों।

(ग) संयुक्त पहल-प्रयास न केवल स्वच्छता तथा जल का अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारकों के तौर पर महत्ता को उजागर करने में सहायता करेगा बल्कि जल एवं स्वच्छता से संबंधित रूग्णताओं की रोकथाम में भी मदद करेगा और इससे रोग भार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

अन्य गंतव्यों के लिए एलटीसी योजना के विस्तार का प्रस्ताव

2850. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एलटीसी नियमों में ढील देने और ऐसे वर्ग को भी विमान यात्रा करने की अनुमति देने का भी है जो इसके पात्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को दूसरे स्थानों के लिए भी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) सरकार ने, विमान यात्रा के लिए कर्मचारियों की गैर-हकदार श्रेणियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों का भ्रमण करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाकर विमान द्वारा यात्रा करने हेतु, छुट्टी यात्रा नियमावली में दिनांक 02.05.2008 को 2 वर्ष की अवधि के लिए पहले ही छूट दे दी है।

(ख) समूह 'क' और 'ख' कर्मचारियों को अपने तैनाती के स्थान से पूर्वोत्तर राज्यों तक विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी गई है। कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को गुवाहाटी या कोलकाता से पूर्वोत्तर राज्यों तक विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति है। सभी कर्मचारियों को उनके गृह नगर छुट्टी यात्रा की एक रियायत को पूर्वोत्तर छुट्टी यात्रा रियायत में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुसंधान संबंधी कार्यों पर किया गया व्यय

2851. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा अनुसंधान संबंधी कार्यों पर कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ख) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अनुसार, दसवीं योजनावधि के दौरान अनुसंधान एवं इससे संबंधित कार्यों पर 1124.44 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) 11वीं योजनावधि के दौरान इसके लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

कागज उद्योग में प्रयुक्त मशीनों पर शुल्क

2852. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग में प्रयुक्त मशीनों के आयात पर लगने वाले शुल्क में कमी की है/कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने सामान्य रूप से गैर-कृषि माल पर यथा मूल्य 10% की उच्च दर की तुलना में कागज उद्योग में प्रयुक्त मशीनरी सहित सभी पूंजीगत माल पर यथा मूल्य 7.5% की रियायती दर उपलब्ध करा रखी है। फिलहाल, कागज उद्योग में प्रयुक्त मशीनों पर सीमा शुल्क दर में और कमी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रीन फील्ड प्राइवेट रूरल एग्रीकल्चर बैंक

2853. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और सहायक क्षेत्रों को ऋण देने के लिए ग्रामीण और अर्द्धग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन फील्ड प्राइवेट रूरल एग्रीकल्चर बैंकों की शाखाएं स्थापित करने हेतु 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा

2854. श्री के.एस. राव : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रगति बहुत धीमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर, आवधिक समीक्षाओं के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी रही है। यह धीमी प्रगति, सामान्यतः भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, सुविधाओं के स्थानांतरण में विलंब, कुछ ठेकेदारों द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या जैसे विभिन्न कारणों से है।

(ङ) भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृति, सुविधाओं के स्थानांतरण में तेजी लाने और कार्यों की प्रगति को सुकर बनाने के लिए समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु मामला, संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया जाता है। कार्य न करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध, ठेके के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है।

विवरण

गत तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आबंटित धनराशि और किए गए व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रु.)

2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (30.09.08 तक)
8741.58	8661.85	10476.07	10398.55	11193.76	11133.786	11691.17	5926.54

[हिन्दी]

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) को सहायता

2855. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों 2010 का आयोजन करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) तथा अन्य आयोजक संस्थान को कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितना वित्तीय आबंटन किया गया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : (क) और (ख) खेलों के आयोजन का दायित्व राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति का है। सरकार ने आयोजन समिति को खेलों के आयोजन के लिए ऋण के रूप में 767 करोड़ रु. का बजट अनुमोदित किया है जिसमें से अब तक 302 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

लिंकेज प्रणाली के अंतर्गत कोयला

2856. **श्री हितेन बर्मन :**
श्री रनेन बर्मन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला लिंकेज प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ प्राइवेट उद्यमियों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ने उक्त प्रणाली के अंतर्गत कोयला लेने से इंकार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) सरकार ने 18 अक्टूबर, 2007 को नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) अधिसूचित की है। कोर तथा गैर-कोर में उपभोक्ताओं के मौजूदा वर्गीकरण की समीक्षा की गई है तथा इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाय, अन्य बातों के साथ-साथ, उसके लिए अनुमेय विनियामक प्रावधानों तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ताओं को उनके गुणावगुण के आधार पर माना जाएगा। हालांकि रक्षा क्षेत्र तथा रेलवे की मांग को इस समय अधिसूचित कीमतों पर पूरा किया जाएगा, विद्युत और उर्वरक क्षेत्र की 100% ''नियामक'' मांग का ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) के माध्यम से कोयले की आपूर्ति हेतु विचार किया जाएगा। शेष उपभोक्ताओं/वास्तविक उपयोगकर्ताओं को ईंधन आपूर्ति करार के माध्यम से ''नियामक'' मांग के 75% की आपूर्ति की जाएगी। लिंकेज पद्धति को लागू ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) की अधिक पारदर्शी द्विपक्षीय वाणिज्यिक व्यवस्था में बदल दिया गया है।

प्रचलित मानकों के आधार पर तथा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जिसने अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्र, मौजूदा क्षमता, योजनावधि के दौरान क्षमता वृद्धि की मांग आदि के संबंध में उपभोक्ता को पहले से मंजूर आश्वासन पत्र/लिंकेज का सम्मान करते हुए विद्युत, उर्वरक, सीमेंट और स्पंज लोहे के नए उपभोक्ताओं को आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किया जा सकता है। अन्य सभी उपभोक्ताओं को प्रचलित मानकों तथा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर सीआईएल/एससीसीएल द्वारा आश्वासन पत्र (एलओए) जारी किया जा सकता है। यदि ऐसी श्रेणी के उपभोक्ताओं/क्षेत्र के लिए कोई प्रचलित मानदण्ड नहीं हैं तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की कोयले की आवश्यकता पर कार्रवाई करने/प्रमाणीकरण

के प्रयोजनार्थ सीआईएल किसी स्वतंत्र सरकारी अथवा मान्यताप्राप्त अभिकरण/संस्था को भी रख सकती है।

(ख) से (घ) स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधि), जो एक अन्तर मंत्रालयी समिति है, विद्युत, सीमेंट तथा स्पंज लोहे के क्षेत्रों के संबंध में आश्वासन पत्र का अनुरोध करने वाले विभिन्न आवेदकों के निवेदन पर निर्णय लेती है। विद्युत, सीमेंट और स्पंज लोहे से संबंधित स्थायी लिंकेज समिति(दीर्घावधि) ने अगस्त, 2007, नवम्बर, 2007 तथा दिसम्बर, 2007/मार्च, 2008 की अपनी बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन बैठकों के दौरान प्रशासनिक मंत्रालयों की सिफारिशों के आधार पर क्रमशः स्पंज तथा सीमेंट/सीमेंट कैप्टिव विद्युत संयंत्रों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) सहित विद्युत आवेदनों पर विचार किया था। जिन कुछ मामलों, जिन्हें यूनिट का पता न चलने आदि जैसे विशिष्ट कारणों से समिति द्वारा समाप्त/रद्द कर दिया गया है, उनको छोड़कर विचारार्थ लिए गए मामलों में से अन्य मामलों को आश्वासन पत्र जारी करने हेतु या तो अनुमोदित कर दिया गया है अथवा ब्यौरों के अभाव में आस्थगित कर दिया गया है।

एच.आई.वी./एड्स रोगियों को पूरक पोषाहार

2857. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को माइक्रो और मैक्रो पूरक पोषाहार मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) में इस प्रकार के पूरक पोषाहार प्रारंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-III (2007-2012) में एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के लिए एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी संबंधी पूरक सहायता का अवयव है। माइक्रो पूरक पोषाहार विभिन्न आयुसमूहों हेतु मल्टी विटामिन तथा मिनरल ड्रॉप्स/सिरप/टेबलेट के रूप में होगा। मैक्रो पूरक पोषाहार अनाज एवं दालों से बने उत्पादों के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है जो सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय आहार संबंधी परम्पराओं पर आधारित हो।

(ग) और (घ) पूरक पोषाहार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के कुछ एआरटी केन्द्रों पर प्रायोगिक आधार पर पहले से ही दिया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश का वन क्षेत्र

2858. श्री एल. राजगोपाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी वन को सघन अथवा कम सघन अथवा खुले वन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.) दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा प्रत्येक दो वर्षों में एक बार देश के वन क्षेत्र का आकलन करता है तथा परिणामों को ''वन स्थिति रिपोर्ट'' (एस.एफ.आर.) में प्रकाशित करता है। ऐसी अंतिम रिपोर्ट एस.एफ.आर. 2005 में जारी की गई, तथा इसलिए पिछले तीन वर्षों की वन क्षेत्र प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश के संबंध में एस.एफ.आर. 2005 के अनुसार वन क्षेत्र तथा एस.एफ. आर. 2003 के डाटा से इसकी तुलना नीचे दी गई है:—

आंध्र प्रदेश हेतु वन क्षेत्र के ब्यौरे

ब्यौरे	वन स्थिति रिपोर्ट					
	2003		2005		2003 से 2005 में परिवर्तन	
	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	
1	2	3	4	5	6	7
वन क्षेत्र अति सघन	130		130		0	

1	2	3	4	5	6	7
	कम सघन	24,221	16.15	24,199	16.13	-22
	खुले वन	20,061		20,043		-18
	योग	44,412		44,372		-40

(ग) वन स्थिति रिपोर्ट में वन क्षेत्र को वर्गीकृत करने के लिए अपनाया गया मानदण्ड निम्न प्रकार से है:—

वन क्षेत्र मैपिंग की वर्गीकरण स्कीम

श्रेणी	विवरण
अति सघन वन	पूरी भूमि जिनके वन क्षेत्र की केनॅपी सघनता 70% से अधिक है।
कम सघन वन	पूरी भूमि जिनके वन क्षेत्र की केनॅपी सघनता 40% से 70% के बीच है।
खुले वन	पूरी भूमि जिनके वन क्षेत्र की केनॅपी सघनता 10% से 40% के बीच है।

[हिन्दी]

धूम्रपान तथा तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध

2859. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता से नशामुक्ति कार्यक्रम प्रारंभ करके सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने तथा तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने "सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिषेध नियमावली, 2008" को दिनांक 30 मई, 2008 के सा.का.नि. सं. 417 (अ) के तहत अधिसूचित किया है। यह नियमावली 2 अक्तूबर, 2008 से प्रवृत्त हुई है। सरकार ने तम्बाकू की लत छोड़ने के लिए उपभोक्ताओं की मदद हेतु देश भर के 17 राज्यों में 18 तंबाकू परित्याग केंद्र स्थापित किए हैं।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के तहत एक तंबाकू परित्याग सुविधा केन्द्र 18 प्रायोगिक जिलों में से प्रत्येक जिले में उपलब्ध कराया गया है। 1.55 करोड़ रु. 18 राज्यों को तंबाकू छोड़ने सहित जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम क्रियाकलापों के लिए जारी किया गया है।

[अनुवाद]

यू.के. द्वारा आप्रवासन कानूनों में संशोधन

2860. श्री विजय कृष्ण :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप्रवासन कानूनों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो यू.के. में भारतीयों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काफी भारतीयों ने इस प्रकार के संशोधन पर आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यू.के. सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। यू.के. ने अपने आप्रवासन कानूनों में संशोधन किया है तथा गैर ई यू कामगारों हेतु पांच विस्तृत श्रेणियों में प्रवेश के 80 से अधिक मौजूदा मार्गों को मुख्यधारा में लाने हेतु बिन्दु-आधारित प्रणाली

(पी बी एस) की शुरूआत की है। 5 स्तरों में से प्रत्येक के लिए भिन्न-भिन्न शर्तें, पात्रता और प्रवेश मंजूरी जांच होगी। प्रथम चरण के रूप में पूर्ववर्ती अति कुशल प्रवासी कार्यक्रम (एच एस एम पी) के स्थान पर अति कुशल कामगारों हेतु पी बी एस के स्तर-1 को रखा गया है तथा इसे 1 अप्रैल, 2008 से भारत में लागू किया गया है। कुशल कामगारों हेतु स्तर-2 को 27 नवम्बर, 2008 से लागू किया गया है। पी बी एस के अन्य स्तरों को 2009 की बसंत तक लागू किया जाएगा।

(ग) और (घ) 2008 में शुरू की गई नई बिन्दु-आधारित प्रणाली का भारतीयों द्वारा विरोध किए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार ने द्विपक्षीय वार्ताओं में यू.के. प्राधिकारियों से अनुरोध किया है कि नई प्रणाली से भारतीय राष्ट्रिकों के लिए यू.के. में प्रवेश करने अथवा उनके वहां रहने पर कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

बच्चों की रक्षा के लिए सिंगल शॉट वैक्सीन

2861. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों को कई बीमारियों से बचाने के लिए सिंगल शाट वैक्सीन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) वैक्सीन कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) भारत सरकार बच्चों को वैक्सीन से रोकथाम किए जाने वाले रोगों अर्थात डिफ्थीरिया, परटयूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस-बी तथा हिब से बचाने के लिए केवल एक ही टीके से पंचसंयोजक निरूपण प्रारंभ करने पर विचार कर रही है। तथापि, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

थोरियम आधारित नाभिकीय विद्युत संयंत्र

2862. श्री महावीर भगोरा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में थोरियम आधारित नाभिकीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) का विचार, 300 मेगावाट-ई क्षमता वाले एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्युआर) का निर्माण करने का है, जिसका डिजाइन, उसकी अधिकांश विद्युत का उत्पादन थोरियम आधारित ईंधन से करने के लिए किया गया है, और जो थोरियम से संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। तथापि, इस प्रस्तावित संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) देश में उपलब्ध थोरियम के विशाल भंडारों का उपयोग करना, परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के प्रारंभ से ही उसका एक हिस्सा रहा है। ये प्रयास, प्रगत भारी पानी रिएक्टर के डिजाइन तथा विकास में सहायक रहे हैं, जोकि विकसित प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करने के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। अगली पीढ़ी के नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुबद्ध की जा रही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस रिएक्टर में उपलब्ध कराई गई नई प्रगत विशेषताओं की स्वीकार्यता स्थापित करने में कोई विशाल प्रायोगिक सुविधाओं ने सहायता की है। इस रिएक्टर के निर्माण से सम्बद्ध काम की शुरूआत, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किए जाने की योजना है।

[अनुवाद]

भूटान के लिए वैकल्पिक पहुंच मार्ग

2863. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 31ए पर बार-बार जाम लगता है जो कि भूटान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सिक्किम सरकार से भूटान जाने के लिए वैकल्पिक पहुंच मार्ग की अनुमति के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) समय-समय पर, सड़क के टूटने और धंसने तथा भू-स्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा गोरखालैंड के समर्थकों द्वारा आयोजित राजनीतिक बंद के कारण रारा 31ए पर चलने वाला यातायात अवरुद्ध होता है।

(ग) से (ङ) सरकार ने चालसा से गंगटोक तक एक वैकल्पिक राजमार्ग के विकास के प्रस्ताव को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तथापि, सिक्किम से भूटान के लिए किसी वैकल्पिक पहुंच मार्ग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नील गायों को अन्य जगह ले जाया जाना

2864. श्रीमती मेनका गांधी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के नए समेकित टर्मिनल के क्षेत्र से नील गायों (ब्ल्यू बुल्स) को अन्य जगह ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली में इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के नए समेकित टर्मिनल के क्षेत्र से नील गायों (ब्ल्यू बुल्स) को, पकड़ने और उन्हें असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य स्थानान्तरित करने की अनुमति वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार मुख्य संचालन अधिकारी, दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (प्राइवेट) लिमिटेड, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-1बी, नई दिल्ली को दी गई है। दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा वाइल्ड लाइफ एस.ओ.एस., डी-210 डिफैंस कॉलोनी नई दिल्ली के माध्यम से 62 नील गायों को स्थानांतरित किया गया है। वन और वन्यजीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित नील गायों के पुनर्वास के लिए प्रबंध किए हैं।

डायस्पोरा परोपकार के लिए गैर-लाभ न्यास निधि

2865. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायस्पोरा परोपकार को चैनलबद्ध करने के लिए गैर-लाभ न्यास निधि गठित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(ग) इस निधि में पारदर्शी लेने-देने सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (ग) भारतीय मूल के लोगों की पूंजी को भारत में सरणीबद्ध करने के लिए एक गैर-लाभ अर्जक ट्रस्ट को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह प्रवासी भारतीयों को सामाजिक कार्यों में सहयोग करने में सहायता करने के एक प्रतिष्ठित संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करेगा। ट्रस्ट में एक बोर्ड होगा जिसकी अध्यक्षता प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री करेंगे और 12 नामित सदस्यों (प्रमुख प्रवासी भारतीयों, निवासी भारतीयों और भारत सरकार द्वारा नामित सरकार में से प्रत्येक से चार-चार) सभी का नामांकन सरकार द्वारा किया जाएगा। ट्रस्ट का दैनिक प्रबंध एक प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव होंगे और ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका सचिव होगा। प्रबंध समिति में 7 सदस्य होंगे जिनमें सरकारी अधिकारी और साथ ही सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। ट्रस्ट के अगले वित्तीय वर्ष से पूर्णतः कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

[हिन्दी]

विशेष सीबीआई न्यायालय

2866. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायालयों का अवस्थिति-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इन न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या क्या है; और

(ग) इन लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) आज तक की स्थिति के अनुसार सी.बी.आई. मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से गठित 39 विशेष जज न्यायालयों तथा 10 विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों के अवस्थिति-वार ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) मामलों के न्यायालय-वार लंबित होने से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) सरकार न्यायालयों की न्यायिक कार्य प्रणाली में कोई दखल नहीं देती है। तथापि, सतत् निगरानी/पर्यवेक्षण के माध्यम से सी.बी.आई. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इसकी तरफ से सुनवाई में कोई विलम्ब न हो।

विवरण

शाखा	विशेष न्यायालयों की संख्या			
	विशेष जज	कार्य करने का स्थान	विशेष मजिस्ट्रेट	कार्य करने का स्थान
1	2	3	4	5
बंगलौर	2	बंगलौर	–	–
भुवनेश्वर	1	भुवनेश्वर	–	–
चण्डीगढ़	1	पटियाला	1	पटियाला
	1	चण्डीगढ़		
चेन्नई	2	चेन्नई	–	–
	1	कोयम्बटूर		
	1	मदुरै		
कोचीन	2	एर्नाकुलम	–	–
देहरादून	1	देहरादून	1	देहरादून
	1	गाजियाबाद	2	गाजियाबाद
दिल्ली	2	तीस हजारी	–	–
गांधीनगर	2	अहमदाबाद	2	अहमदाबाद
गुवाहाटी	1	गुवाहाटी	–	–
हैदराबाद	1	हैदराबाद	–	–
जबलपुर	–	–	1	रायपुर
जयपुर	1	जयपुर	1	जयपुर
जोधपुर	1	जोधपुर	1	जोधपुर

1	2	3	4	5
कोलकाता	1	कोलकाता	—	—
	1	सिलीगुड़ी	—	—
लखनऊ	3	लखनऊ	2	लखनऊ
मुम्बई	4	मुम्बई	—	—
पटना	2	पटना	—	—
	1	ए.एच.डी./पटना	—	—
रांची	1	रांची	—	—
	4	ए.एच.डी./रांची	—	—
विशाखापट्टनम	1	विशाखापट्टनम	—	—
योग	39		10	

म्यांमार को सहायता

2867. श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री रेवती रमन सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्यांमार में चक्रवात पीड़ितों को कोई सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेशी मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत मई, 2008 में आए चक्रवात नर्गिस के पश्चात म्यांमार को आपातकालीन राहत सहायता तत्काल प्रदान करने वाले देशों में एक था। भारतीय नौसेना के दो जहाज और भारतीय वायु सेना के आठ वायुयानों ने म्यांमार को खाद्यान्न, छत बनाने की सामग्री और चिकित्सा आपूर्तियों सहित तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध करायी। 47 चिकित्सकों और सहायक स्टाफ कर्मियों वाले दो स्वत:पूर्ण चिकित्सा दल चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में दो से अधिक सप्ताहों तक रहे। भारत ने यांगेन में श्वेडागोन पागोडा पसिर के पुनर्निर्माण के लिए 2,00,000 अमरीकी डालर की नगद सहायता भी प्रदान की। पुनर्वास के दौर में भारत ने छत बनाने के लिए 1020 टन इस्पात की नालीदार चादरें, 500 सौर टार्च और लालटेन और 1.8 लाख बोतल आई वी द्रवों की आपूर्ति की और म्यांमार द्वारा मांगे गए ट्रांसफार्मरों और अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति करेगा।

[अनुवाद]

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल जोन मेनेजमेंट

2868. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य में राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल जोन मेनेजमेंट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) देश में नीति और एकीकृत तटीय प्रबंधन जोन एप्रोच से संबंधित कानूनी मुद्दों जैसे मामलों को हल करने के लिए संबंधित राज्यों में विभिन्न स्थानों पर सतत तटीय जोन प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना हेतु केरल सहित कुछ तटीय

राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और आज की तारीख तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

बी.ए.आर.सी. द्वारा संदूषणमुक्त बनाने की किट

2869. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री नन्द कुमार साय :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने एक सुवाह्य व्यैक्तिक संदूषणमुक्त करने वाली किट का डिजाइन तैयार किया है और उसे विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संदूषणमुक्त करने वाली किट की उपयोगिता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त किट किन-किन स्थानों से कार्य कर रही है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने 'सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट' (पीपीडीके) का विकास, आबादी वाले क्षेत्र में होने वाले किसी विकिरणात्मक आपात-स्थिति से निपटने के लिए किया था। 'सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट' विकिरण के मॉनीटरन और विसंदूषण के लिए पृथक स्थान सहित स्फीतीय/अपस्फीतीय संरचना युक्त होती है। इसमें दाबित पानी की डिलीवरी और अपशिष्ट जल को इकट्ठा करने के लिए अलग प्रावधान होता हैं इस प्रणाली में पावर बैकआप के लिए बैटरी तथा इनवर्टर होता है। यह पूरी किट आठ पैकेटों में पैक की हुई होती है जिसे अपेक्षित स्थान तक ले जाया जा सकता है और आधे घंटे के अंदर उसे उपयोग के लिए स्थापित किया जा सकता है।

(ग) आबादी वाले क्षेत्र में किसी विकिरणात्मक आपात-स्थिति के मामले में जहां व्यक्तियों के संदूषित होने की संभावना हो, 'सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट', लोगों को विसंदूषित करने में काफी उपयोगी होगी। यह, विकिरणसक्रिय संदूषण से पड़ने वाले विकिरण के किसी संभावित प्रभाव से व्यक्तियों का बचाव करेगी। आशा की जाती है कि रक्षा तथा अन्य राष्ट्रीय आपात-कालीन प्रतिक्रिया एजेंसियां, इस डिजाइन को काम में लाकर, अपनी सुविधाओं में ऐसे यूनिटों का विकास और रख-रखाव कर सकती हैं।

(घ) एक यूनिट भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), मुंबई में कार्य कर रहा है और इसका उपयोग आपात-स्थिति अभ्यासों के दौरान किया जाता है। महानगरों में उपयोग के लिए 'सुवाह्य कार्मिक विसंदूषण किट' के चार यूनिटों का बेहतर दर्शन तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित योजनाओं का कार्यान्वयन

2870. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न योजनाओं को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए इससे आबंटित एवं व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) जी हां, केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी संख्या में स्कीमों का वित्तपोषण किया है। स्कीमवार ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों के आउटकम एवं निष्पादन बजट के मुद्रित दस्तावेजों में पहले से ही उपलब्ध है। ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों अर्थात् भारत निर्माण (जिसमें 6 घटक अर्थात् ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सफाई कार्यक्रम, ग्रामीण आवास/इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और ग्रामीण टैलीफोन योजना शामिल है) और शहरी विकास अर्थात जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जिसमें 4 घटक अर्थात्-शहरी अवसंरचना एंव प्रशासन (यूआईजी), शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी), छोटे एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) शामिल है) तथा पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आवंटन/जारी राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

I ग्रामीण विकास-भारत निर्माण

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	घटक	जारी निधि 2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल जारी
1.	ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	1900.314	2301.972	5445.71	2163.36	11811.356
2.	ग्रामीण जल आपूर्ति	4093.12	4552.4	6425.83	3825.65	18897
3.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	4185.6	6265.08	10833.8 (नाबार्ड विन्डो के लिए 4500 रु. सहित)	5358.82 (नाबार्ड विन्डो के लिए 4500 रु. सहित)	26643.3
4.	इंदिरा आवास योजना	2738.21	2907.53	3882.37	2707.8	1235.91
5.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	1495.182	3353.278	3811.69	539.93	9200.08
6.	ग्रामीण टेलीफोनी	34.204	55.29	44.74	7.15	141.38

II शहरी विकास-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	जेएनएनयूआरएम घटक	कुल आबंटन (2005-12)	वर्ष वार आबंटन 2006-07	2007-08	2008-09
1.	(i) शहरी अवसंरचना एवं प्रशासन (यूआईजी)	25500.00	2500.00	2805.00	3513.89
2.	(ii) शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सुविधाएं (बीएसयूपी)	13650.00	1000.00	1501.00	1880.35
3.	(i) छोटे एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी)	6400.00	900.00	704.00	881.92
4.	(ii) एकीकृत आवास और गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएनएसडीपी)	4450.00	500.00	490.00	613.84
	योग	50000.00	4900.00	5500.00	6890.00

[अनुवाद]

उच्च चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा

2871. **श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा के लिए प्रोफेसर रणजीत राय चौधरी की अध्यक्षता के तहत एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) जी, हां। देश में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा को आयोजित करने और उसे विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई डिप्लोमेट डिग्रियों सहित देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए स्नातकोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा और डिग्रियों के स्तर को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण गठित करने की आवश्यकता की जांच करने और उसके संबंध में सिफारिशें करने तथा ऐसे निकाय की व्यवहार्यता को आंकने, उसकी स्थापना के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने प्रोफेसर रणजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सिफारिशें विचाराधीन हैं।

टेलीविजन प्रसारण की गुणवत्ता

2872. श्री फ्रांसिस फैन्थम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीविजन प्रसारण की गुणवत्ता आशानुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में अभी भी कुछ क्षेत्रों में टेलीविजन कवरेज नहीं है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेषकर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में टेलीविजन के प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) निजी प्रसारकों और दूरदर्शन द्वारा विभिन्न पद्धतियों नामत: डायरेक्ट-टू-होम, केबल और स्थलीय पद्धति के माध्यम से टी.वी. ब्रॉडकास्ट लिया जाता है। इन सभी पद्धतियों में टी.वी. ब्रॉडकास्ट की गुणवत्ता से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यद्यपि, कुछ ट्रांसमीटरों के खराब होने के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, तथापि दूरदर्शन नेटवर्क में टी.वी. ट्रांसमीटरों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है। इस संबंध में कोई केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) स्थलीय पद्धति में टी.वी. कवरेज लगभग 92.2% आबादी को उपलब्ध होने का प्राक्कलन है जिसमें जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। देश में स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों और शेष भाग को दूरदर्शन की फ्री-टू-एयर डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.) सेवा के माध्यम से बहु-चैनल टी.वी. कवरेज उपलब्ध कराया गया है जिसके सिगनल देशभर में (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) प्राप्त किए जा सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए डी.टी.एच. सेवा (सी-बैंड में) के लिए परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है। स्थलीय कवरेज के विस्तार एवं सुधार के लिए देश के विभिन्न भागों में 116 ट्रांसमीटर परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

चिकित्सा अनुदान आयोग

2873. श्री वसुभाई धानाभाई बारड :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिकित्सा अनुदान आयोग (एम जी सी) की स्थापना हेतु प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या एम जी सी से संबंधित मामले को योजना मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो एम जी सी से संबंधित निर्णय को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) चिकित्सा अनुदान आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। आयोग की रूप-रेखा तैयार की जा रही है।

इस प्रयोजन की निधियों के प्रावधान के मामले का अनुवर्तन योजना आयोग में किया जा रहा है।

फिल्म प्रभाग का अभिलेखागार

2874. श्री नन्द कुमार साय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐतिहासिक महत्व की पुरानी फिल्मों के फुटेज नई दिल्ली स्थित फिल्म प्रभाग के भवन के गालियारे में डिब्बों में पड़े हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में फिल्म प्रभाग के अभिलेखों को डिजिटल करने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ सामग्री/एजेंसी के चयन के निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या सफलता प्राप्त की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। फिल्म प्रभाग अपने अभिलेखागार की सभी 8131 फिल्मों को डिजिटलीकृत करने की कार्रवाई कर रहा है।

(घ) फिल्म प्रभाग के अभिलेखागार की फिल्मों को उनके ऐतिहासिक महत्व और उनकी विषय-वस्तु के आधार पर "सर्वाधिक मूल्यवान", "मूल्यवान" और "सामान्य" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। "सर्वाधिक मूल्यवान" फिल्मों को हाई डेफिनीशन फॉर्मेट पर डिजिटलीकृत किया गया है/किया जा रहा है और "मूल्यवान" एवं "सामान्य" फिल्मों को स्टैंडर्ड डेफिनीशन फॉर्मेट पर डिजिटलीकृत किया जाता है। डिजिटलीकरण करने के लिए एक निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन किया गया था जिसे अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापित किया गया था और एजेंसी के पास उपलब्ध तकनीकी आवसंरचना के आधार पर उसका चयन किया गया था।

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	आबंटित निधियां	व्यय
2007-08	535.00 लाख रुपये	533.76 लाख रुपये
2008-09	300.00 लाख रुपये	285.84 लाख रुपये (नवंबर, 2008 तक)

नवंबर 2008 तक कुल 8131 फिल्मों में से 7278 फिल्मों को डिजिटलीकृत कर दिया गया है।

एटीएम की संस्थापना

2875. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) की संस्थापना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा साथ ही 2009-10 के दौरान विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक एटीएम संस्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार चिन्हित स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार, बैंकों को नए स्थान पर कारबार, जैसे शाखाएं/स्थलेतर एटीएम खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होता है। ऐसे अनुमोदन वर्तमान शाखा प्राधिकार नीति के जोर और इस संबंध में जारी किए गए निदेशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। शाखा प्राधिकार नीति को उदार और युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से, सितम्बर, 2005 से शाखा प्राधिकार नीति का एक ढांचा, जो बैंकों की मध्यावधिक कार्पोरेट नीति और लोक हित के अनुरूप है, स्थापित किया गया है। इस संशोधित नीति के अनुसार, बैंकों को शाखाएं/स्थलेतर एटीएम खोलने के लिए अपनी शाखा विस्तार योजनाएं वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होती है।

शाखाएं/स्थलेतर एटीएम खोलने के आवेदनों पर विचार करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक विशेष रूप से कम बैंक सुविधाओं वाले क्षेत्रों

में बैंकों द्वारा आम आदमी को प्रदान की गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप और क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण प्रवाह, उत्पादों के मूल्य निर्धारण और उपयुक्त नए उत्पादों की शुरूआत सहित वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के समग्र प्रयत्नों तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को महत्व प्रदान करता है। ऐसे मूल्यांकन में न्यूनतम शेष की अपेक्षाओं से संबंधित नीति और जमाकर्ताओं को न्यूनतम बैंकिंग या अतिरिक्त सुविधा रहित (नो फ्रिल) बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता, बुनियादी बैंकिंग सुविधा अर्थात जमाराशियों की स्वीकृति और ऋण का प्रावधान तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता शामिल है, जैसाकि, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा इस प्रयोजन के लिए बैंक में स्थापित निवारण तंत्र से पता चलता है।

बैंक-शाखाओं/स्थलेतर एटीएम खोलने के वास्तविक स्थान तथा इसके साथ-साथ सेवाएं प्रदान करने का प्रकार अर्थात सेवा नियमित शाखाओं/स्थलेतर एटीएम के माध्यम से है, संबंधी कार्य बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तथापि, जब भी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों/कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाएं/स्थलेतर एटीएम खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय अन्वेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पर सामान्यतया अनुकूल रूप से विचार किया जाता है।

हालांकि बैंकों द्वारा वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत करने की एक प्रणाली सितम्बर, 2005 से लागू कर दी गई है, बैंक, वार्षिक योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान किसी भी समय शाखाएं/स्थलेतर एटीएम, विशेषकर ग्रामीण एवं कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में, खोलने के संबंध में तात्कालिक प्रस्ताव हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं जिन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

बैंकों को शाखाओं के परिसरों में कार्य स्थल एटीएम स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

अवसंरचना क्षेत्र हेतु संसाधन

2876. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी प्रवाह की धीमी गति से निपटने तथा अवसंरचना क्षेत्र में अधिक निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को तेज करने के लिए सरकार द्वारा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या विदेशी बाजारों से अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश हेतु पर्याप्त संसाधनों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा घरेलू तथा साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी एवं अनुकूल निवेश का वातावरण तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक से अतिरिक्त ऋण मांगा है जो आगामी तीन वर्षों में भारत को विश्व बैंक के निवल संवितरण के अलावा होगा। इस अतिरिक्त ऋण में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए सहायता शामिल होगी।

(ग) विश्व बैंक ने देशगत सहायता कार्यनीति 2009-12 में 3 बिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त ऋण शामिल किया है।

(घ) से (च) विदेशी संसाधन, अवसंरचना का वित्तपोषण करने के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से जुटाए जाते हैं सरकार ने इन मार्गों के जरिए अन्तर्प्रवाहों को उदार बनाने के लिए हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं, जिनसे अब संरचना क्षेत्र के लिए संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

सरकार ने स्वचालित मार्ग के अंतर्गत सभी अनुमेय अंतिम उपयोगों के लिए रुपये में व्यय और/अथवा विदेशी मुद्रा में व्यय के लिए प्रत्येक उधारकर्ता को प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक ईसीबी की अनुमति दी है। ईसीबी के प्रयोजन के लिए अवसंरचना की परिभाषा में विस्तार किया गया है जिससे इसमें और अधिक क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

विदेशी संस्थागत निवेशों के माध्यम से अन्तर्प्रवाहों को उदार बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए है जैसे कि (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों के संचयी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कारपोरेट ऋण में

6 बिलियन अमरीकी डालर और सरकारी प्रतिभूतियों में 5 बिलियन अमरीकी डालर करना, (ii) इक्विटी और ऋण में निवेश के क्रमशः 70:30 के अनुपात के प्रतिबंध के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एफआईआई विनियमों की शर्तों को समाप्त करना, (iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा प्रतिभूतियों के एवज में पार्टिसिपेटरी नोट जारी करने पर प्रतिबंध को हटाना, और (iv) शुल्कों के भुगतान की शर्त पर विदेशी संस्थागत निदेशकों का स्थायी रूप से पंजीकरण करना।

सरकार ने कई नीतिगत उपाय भी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी उदार और निवेश के अनुकूल नीति, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कमी करना, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर निविष्टियों की बेहतर पहुंच मुहैया कराने के लिए विदेशी व्यापार प्रणाली का उदारीकरण करना, बेहतर अवसंरचना सहायता देना, राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को पुनर्वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों के लिए कर छूट

2877. डा. धीरेंद्र अग्रवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए कर में छूट देने का कोई प्रावधान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में नए स्थापित औद्योगिक उपक्रमों या होटल व्यवसाय से लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में धारा 80ज ज के अंतर्गत एवं अवसंरचना विकास उपक्रम के अतिरिक्त अन्य कतिपय औद्योगिक उपक्रमों के लाभ एवं अभिलाभ के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 80झख के अंतर्गत कर रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में रियायत के अतिरिक्त, कतिपय क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्य एवं विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को धारा 10ग, 10 (23खखच), 10(26), 10(26क), 10(26ककक), 80-झग, 80-झड के प्रावधानों के अंतर्गत छूट उपलब्ध है। नई इकाइयों एवं महत्वपूर्ण इकाइयों के लिए इन क्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रियायतें एवं छूटें निम्नानुसार उपलब्ध हैं:—

- उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित इकाइयों के लिए दिनांक 10.6.2003 की दोनों अधिसूचनाएं सं. 49/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 50/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यथासंशोधित, लागू होती है।
- जम्मू एवं कश्मीर में स्थित इकाइयों के लिए दिनांक 14.11.2002 की दोनों अधिसूचनाएं सं. 56/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 57/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, यथासंशोधित, लागू होती है।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दिनांक 25.4.2007 की अधिसूचना सं. 20/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क यथासंशोधित लागू होती हैं।

रीयल एस्टेट में विदेशी निवेश

2878. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रीयल एस्टेट में स्वतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर कोई रोक लगाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

2879. श्री ए.वी. बेल्लारमिन :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री अबु अयीश मंडल :
श्री किन्जरपु येरननायडू :
श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षणिक ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रभारित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे साधारण ब्याज में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का शिक्षा ऋण पर ब्याज दर को कम करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करने तथा उनके लिए प्रति-गारंटी देने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा परिचालित मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, बैंकों द्वारा वापसी अदायगी अवकाश/अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज प्रभारित किया जाता है।

(ग) और (घ) 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अक्तूबर, 1994 से अविनियमित कर दी गई हैं और ये दरें बैंकों द्वारा, अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) और स्प्रैड दिशानिर्देशों के अध्यधीन, अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से, स्वयं तय की जाती हैं। तथापि, शिक्षा ऋण योजना संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज दरें बैंक के बीपीएलआर के बराबर और 4 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर बीपीएलआर+1 प्रतिशत चाहियें।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातकों को रियायतें

2880. श्री प्रतीक पी. पाटील :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्यातकों को बड़े पैमाने पर रियायतें देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन रियायतों से वस्त्र, तैयार वस्त्र, रत्न आभूषण तथा चमड़ा क्षेत्र लाभान्वित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (घ) सरकार ने वस्त्र, रत्न एवं आभूषण तथा चमड़े इत्यादि सहित सभी क्षेत्रों के लाभ तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) निम्नलिखित श्रमोन्मुख क्षेत्रों को ब्याज में 2% की छूट दी गयी है- वस्त्र (हथकरघा सहित), हस्तशिल्प, चमड़ा, रत्न तथा जवाहरात, समुद्री उत्पाद एवं एस एम ई;

(ii) लौह अयस्क फाइंस पर निर्यात शुल्क वापस ले लिया गया है और लौह अयस्क पर कम करके 5% कम दिया गया है;

(iii) टर्मिनल उत्पाद शुल्क (टी ई डी)/केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी)/मानद निर्यात पर शुल्क प्रतिअदायगी के बकाए दावों का निपटारा करने के लिए 1100 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध करायी गयी है;

(iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टी यू एफ) योजना के बकाए दावों का निपटारा करने के लिए 1400 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध करायी गयी है;

(v) निर्यात प्रोत्साहन के रूप में 350 करोड़ रु. की अतिरिक्त निधि उपलब्ध करायी गयी है।

(vi) निर्यातकों को क्रेडिट गारंटी जारी करने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ई सी ई सी) को 350 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता दी गयी है।

(vii) सेवाकर की धन वापसी उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना सं. 33/2008-एस टी दिनांक 7.12.2008 जारी की जा चुकी है भले ही निर्यात माल पर प्रति अदायगी ली जा चुकी हो। इसके अलावा, अब कमीशन एजेंट द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवा पर सेवाकर की धन वापसी पूर्ववर्ती एफ ओ बी वैल्यू की दो प्रतिशत की सीमा के बजाय निर्यात के एफ ओ बी वैल्यू के दस प्रतिशत तक अदा की जाएगी।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) नौप्रेषण-पूर्व और नौप्रेषण उपरांत रुपया निर्यात क्रेडिट प्रत्येक के लिए 90 दिन बढ़ा दी गयी है;

(ii) बैंकों को तरलता बढ़ाने के विचार से सी आर आर, एस एल आर, रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दी गयी है;

(iii) वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात क्रेडिट रिफाइनेंस (ई सी आर) सुविधा की सीमा बढ़ाकर बकाया रुपया निर्यात क्रेडिट 50% कर दी गयी है;

(iv) गैर-हैसियत धारी निर्यातकों के लिए निर्यात रियलाइजेशन की समयावधि बढ़ाकर 12 महीने कर दी गयी है।

विकिरण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं

2881. श्री रेवती रमन सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी के समुद्र तट सहित दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों के पास उच्च स्तर का प्राकृतिक विकिरण मौजूद है जो समुद्र तटों पर प्राप्त होने वाले खनिजों से उत्पन्न होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है; और

(ग) सरकार द्वारा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। केरल तथा तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर उच्च प्राकृतिक पृष्ठभौमिक विकिरण पाया गया है।

(ख) क्षेत्र में प्राकृतिक पृष्ठभौमिक विकिरण का ऊंचा स्तर, थोरियम और उसके क्षयजात युक्त मोनाज़ाइट खनिज के निक्षेपों की वजह से है। यह एक सजह ही घटित होने वाली परिघटना है और वहां पर लोग काफी समय से उच्च प्राकृतिक पृष्ठभौमिक विकिरण की स्थिति में रह रहे हैं। पिछले चार दशकों में, तटीय केरल और तमिलनाडु के उच्च प्राकृतिक पृष्ठभौमिक विकिरण वाले क्षेत्रों में किए गए अध्ययनों से, मानव स्वास्थ्य पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने का पता नहीं चला है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, अध्ययन जारी हैं क्योंकि यह क्षेत्र, मानव और उसके साथ-साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्राकृतिक विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला का काम करता है।

[हिन्दी]

खेलों को बढ़ावा

2882. **श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में ग्राम/पंचायत स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने हेतु मूलभूत अवसंरचना के विकास/सुधार के लिए कोई योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम.एस. गिल) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य सभी गांवों तथा ब्लाक पंचायतों में 10 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से बुनियादी खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना और गांव तथा ब्लाक पंचायत स्तर पर संगठित खेल स्पर्धाओं के लिए पहुंच उपलब्ध कराना है।

स्कीम के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा ब्लाक को क्रमशः 1.00 लाख रु. तथा 5.00 लाख रु. के एक मुश्त पूंजीगत अनुदान दिए जाएंगे। साधारण राज्यों के लिए राज्य का अंश 25% होगा तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10% होगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों को वार्षिक अधिप्रापण अनुदान और वार्षिक संचालन अनुदान के रूप में प्रति माह क्रमशः 10,000/- रु. तथा 12,000/- रु. दिए जाएंगे जबकि ग्राम पंचायतों को क्रमशः 20,000/- रु. व 24,000 रु. दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लाक पंचायत को ब्लाक स्तरीय स्पर्धाएं आयोजित करने के लिए 50,000/- रु. का वार्षिक स्पर्धा अनुदान तथा प्रत्येक जिले को जिला स्तरीय स्पर्धाएं आयोजित करने के लिए 3.00 लाख रु. का स्पर्धा अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा, ब्लाक स्तरीय तथा जिला स्तरीय स्पर्धाओं में विजेताओं (प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले) को पुरस्कार राशि भी दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की संख्या

2883. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत वाहनों का नवीनतम ब्यौरा क्या है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे वाहनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के दबाव को सह लेने के लिए सड़क की स्थिति व्यवहार्यता का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2004 को देश में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या 7,27,17,935 थी। प्रत्येक पंजीकृत वाहन, राष्ट्रीय राजमार्गों सहित किसी भी सार्वजनिक सड़क पर चल सकता है। तथापि, संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले वाहनों की संख्या के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। कोई विकास परियोजना शुरू करते समय राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुमानित यातायात के आकलन के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम आदि जैसे विकास कार्यक्रमों के विभिन्न चरणों के माध्यम से देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

जैव विविधता अधिनियम, 2002

2884. एडवोकेट सुरेश कुरुप :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उपबंधों की प्रभावकारिता के बारे शंकाएं व्यक्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्तमान अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जैव विविधता तथा पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा देने/संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) जी, हां।

(ख) केरल कृषि विश्वविद्यालय; अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एन्वायरमेंट, बंगलौर; और सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के एक वैज्ञानिक समूह ने अपने दो प्रकाशनों के माध्यम से शंकाएं व्यक्त की है कि जैव विविधता अधिनियम, 2002 भारत में वर्गिकी अनुसंधान के लिए नमूनों के स्वतंत्र आदान-प्रदान की वैज्ञानिक स्वतंत्रता को कम कर सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी), जिसका भारत भी एक पक्षकार है, में देश के जैविक संसाधनों पर साझा धरोहर की पूर्व अवधारणा के स्थान पर सार्वभौमिक अधिकार की अवधारणा को अपनाया गया। सीबीडी के अनुसरण में भारत ने उच्च बातों के साथ-साथ बायोपायरेसी और जैनेटिक संसाधनों और उससे संबंधित पारम्परिक ज्ञान के दुरुपयोग की घटनाओं से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में किसी भी जैविक सामग्री को अनुसंधान अथवा वाणिज्यिक उपयोग अथवा जैवसर्वेक्षण के लिए भारत से बाहर भेजने से पूर्व जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) से पूर्व अनुमोदन लेने की व्यवस्था है। इस अधिनियम का प्रयोजन आधारभूत वार्डों की अनुसंधान में बाधा डालने का नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को संप्राप्त आनुवंशिकी सामग्री तथा संबंधित परम्परागत ज्ञान के किसी तरह से वाणिज्यिक उपयोग से लाभ मिले।

समाचार/विज्ञापन एजेंसियों का विस्तार

2885. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रेस आसूचना ब्यूरो तथा क्षेत्र प्रचार निदेशालय (डीएफपी) की गतिविधियों में विस्तार पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है;

(घ) उक्त योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ संगठन-वार कुल कितनी निधियां निर्धारित और जारी की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त संगठनों को अधिक पेशेवर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) पूर्वोत्तर राज्यों के प्रिंट मीडिया और श्रव्य-दृश्य मीडिया में विज्ञापन जारी करने तथा विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लक्षित प्रर्दशनियों एवं बाह्य प्रचार कार्यकलापों का आयोजन करने का भी प्रयास करता है।

पत्र सूचना कार्यालय (पी.आई.बी.) ने अपने ''मीडिया-पहुंच कार्यक्रम'' के अंतर्गत अप्रैल, 2007 से नवम्बर, 2008 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30 जन सूचना अभियानों (पी.आई.सी.) का आयोजन किया। गुवाहाटी और गंगटोक से शिमला तक दो प्रैस दौरों का भी आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय ने फरवरी, 2008 में आईजॉल, मिज़ोरम में सामाजिक एवं अवसंरचनात्मक मुद्दों पर अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन का भी आयोजन किया।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डी.एफ.पी.) ने भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया।

(ङ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को और अधिक पेशेवर बनाने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के उपयोग से इनके कार्यकरण को सरल बनाया गया है।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और वन विकास एजेन्सी के लिए निधियां

2886. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम तथा वन विकास एजेन्सी (एफडीए) के लिए चिन्हित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वार्षिक कार्यक्रम हेतु निधियां जारी करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) दसवीं और ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में कितनी निधियां जारी की गईं/की जानी थीं;

(घ) क्या एफ डी ए के लिए गुजरात सहित राज्यों को जारी की गई निधियां समय से जारी की गई हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कब तक निधियां जारी किए जाने की संभावना हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) हेतु वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए उदिष्ट की गई निधियां क्रमशः 249.83 करोड़ रुपये, 292.81 करोड़ रुपए, 392.95 करोड़ रुपए तथा 345.62 करोड़ रुपए हैं।

(ख) परियोजनाओं के लिए निधियां, पहले जारी की गई निधियों के संतोषजनक उपयोग सहित उपयुक्त प्रस्तावों तथा अपेक्षित दस्तावेजों जैसे प्रगति रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखों आदि की प्राप्ति पर जारी की जाती हैं। निधियों का जारी करना आगे, वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड से निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन ए पी परियोजना के संबंध में 1133.11 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के लिए 2000 करोड़ रुपए के एक आवंटन में से 617.61 करोड़ रुपए (3.12.08 के अनुसार) की धनराशि जारी की गई थी।

(घ) उपरोक्त (ख) के अध्ययाधीन संबंधित वर्ष के कार्यक्रमों हेतु, गुजरात सहित सभी राज्यों के वन विकास अभिकरणों को निधियां जारी की गई थी।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का खोला जाना

2887. श्री बालसोवरी वल्लभनेनी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका का विचार हैदराबाद में एक वाणिज्य दूतावास खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक यह कार्य करने लगेगा?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने 24 अक्तूबर, 2008 को हैदराबाद में अपने वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। आशा है कि हैदराबाद में अमरीकी वाणिज्य दूतावास दिसम्बर, 2008 से कार्य करना शुरू कर देगा।

भारत की अंतरिक्ष सेवाओं का विपणन

2888. श्री नवीन जिन्दल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं का अन्य देशों में विपणन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए उत्पादों का निर्यात और नए बाजारों को तलाशने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने विदेशों में अन्तरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन हेतु एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन नामक एक वाणिज्यिक खण्ड को स्थापित किया है।

(ग) ए.सी.एल. भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) द्वारा विदेशी देशों के उचित उपग्रहों के प्रमोचन हेतु नये अवसरों की नियमित रूप से खोज करता है, इसरो के सुदूर संवेदन तथा भू-प्रेक्षण उपग्रहों के आंकड़ों का विपणन करता है; और सुदूर संवेदन आंकड़ों के अभिग्रहण हेतु विश्व-भर में भू-केन्द्रों की स्थापना करता है। साथ ही, ए.सी.एल. अंतरिक्ष उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु समय-समय पर प्राप्त होने वाली विभिन्न पूछताछों का उत्तर देता है।

गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थापित करने हेतु मानदंड

2889. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थापित करने हेतु मौजूदा मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार मौजूदा मानदंडों में छूट देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा) : (क) से (ग) परिवेशी और उद्योग/प्रक्रिया विशिष्ट पर्यावरणीय मानदण्डों, अर्थात् जल और वायु प्रदूषण के लिए पैरामीटरों हेतु सीमाओं को, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियमों के साथ पठित, के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.बी.) और प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पी.सी.सी.), संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रदूषण को स्रोत पर नियंत्रित करने के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अंतर्गत ऐसे निर्धारित किए गए मानदंडों को कार्यान्वित कर रहे हैं।

गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए कोई नामपद्धति नहीं है। तथापि, कम प्रदूषण संभावनाओं वाले उद्योगों को हारित श्रेणी में रखा जाता है। सरकार ने उत्तराखंड में दून घाटी और महाराष्ट्र में दाहानू तालुक में उद्योग/खनन प्रचालन के स्थलों और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध, के संबंध में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत दो अलग-अलग अधिसूचनाओं में, उद्योगों/प्रक्रिया को ग्रीन, औरेंन्ज और रेड श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण, जल और ईंधन के उपभोग, बहि:स्रावों का छोड़ा जाना, नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर हैं। तत्पश्चात्, कुछ एस पी सी बी और पी सी सी ने प्रदूषण संभावना के आधार पर, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति प्रदान करने के लिए इसी प्रकार मानदण्ड अपनाए हैं।

भारत की स्वतंत्रता पर फिल्म

2890. श्री के.सी. पल्लानी शामी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत की स्वतंत्रता पर फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फिल्म को कब तक प्रदर्शित किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर लागू नहीं।

नकली औषधियां

2891. श्री के.एस. राव :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही नकली औषधियों पर भारतीय भेषज उद्योग तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के निष्कर्षों और सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बाजार में केवल असली औषधियों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए औषधि विनियामक स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में नकली दवाओं की मात्रा के बारे में कोई वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। एसोचैम ने देश में नकली दवाओं की अत्यधिक प्रतिशतता की सूचना दी थी जो वास्तविक नहीं थी और असली दवा निर्माताओं के घटते बाजार शेयर पर आधारित थी। दरअसल, पिछले पांच वर्षों में समग्र देश में परीक्षित दवाओं के नमूना अध्ययन से जाहिर होता है कि प्रति वर्ष लगभग 40000 नमूनों में से करीब 0.3% से 0.4% तक दवाएं ही नकली दवाओं की श्रेणी में आती है। जालसाजी और पाइरेसी की आर्थिक लागत संबंधी अंतरराष्ट्रीय संगठन आर्थिक सहयोग और विकास संघटन के प्रतिवेदन में नीतियों को और असरदार बनाने के वास्ते वर्तमान कानूनों का प्रवर्तन बढ़ाने और सरकारों तथा उद्योग के बीच सहयोग मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

(ख) सरकार ने नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. संसद ने हाल ही में औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित करते हुए नकली दवाओं संबंधी कदाचारों में लिप्त लोगों के लिए और कड़ी शास्तियों का प्रावधान करने वाले संशोधन औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में अधिनियमित किए हैं।

2. केंद्र सरकार ने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, हैदराबाद द्वारा कराए अध्ययन के आधार पर देश में नकली दवाओं की मात्रा का निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण किया है। पांच स्तरों अर्थात् महानगरों, बड़े नगरों, शहरों, जिला मुख्यालय, गांवों के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र तकरीबन 31000 नमूनों का विश्लेषण नकली दवाओं की उपलब्धता का जायजा लेने हेतु किया जाएगा।

3. राज्य सरकारों के विनियामक पदधारियों के लिए आसूचना, मुकदमेबाजियों आदि का संभारतंत्र संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एफ डी ए, महाराष्ट्र की सहायता से आयोजित किया गया है।

4. दवा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र को नकली दवाओं के खतरे से मिलजुलकर जूझने के लिए अभिप्रेरित किया गया है। दवा उद्योग के नेटवर्क के जरिए उसके द्वारा की गई पहल से अधिकतर मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाकर जांच करने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और राज्य सरकारों के संबंधित अभिकरण इस पहलू पर पहले से ही ध्यान दे रहे हैं। तथापि, औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2007 नामक एक विधेयक राज्य सभा में 21.8.2007 को पुरःस्थापित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ केंद्रीय औषध प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था है।

पर्यावरणीय मंजूरी के बिना औद्योगिक इकाई

2892. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी प्राप्त किए बिना बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 इसकी सूची में सूचीबद्ध औद्योगिक इकाइयों की श्रेणियों के लिए अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की व्यवस्था करती है। तथापि, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत किसी परियोजना के मूल्यांकन के अंतर्गत यदि किसी अभिकथित अधिक्रमण की सूचना मिलती है तो संबंधित राज्य सरकारों से पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया जाता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी प्राप्त किए बिना स्थापित की गई औद्योगिक इकाइयों के संबंध में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्यों में से प्रत्येक में एक-एक औद्योगिक इकाई सहित कुल पांच मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी। इन राज्य सरकारों से उपरोक्तानुसार कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

शल्य चोट

2893. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष निवारण योग्य शल्य चोटों के कारण बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्र स्तर पर ऐसी सूचना नहीं रखी जाती है।

तथापि, जहां तक केन्द्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, प्रत्येक अस्पताल में शल्यक चोटों का उपयुक्त रूप से उपचार किया जाता है। यदि चोटें स्वरूप में मध्यम अथवा छोटी-मोटी हों तो अक्सर मौतें नहीं होती हैं।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में अभिघात रोगियों के उपचार के लिए एक नया अभिघात केन्द्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली स्थित अभिघात केन्द्र पूरी तरह से कार्यात्मक है।

उड़ीसा को तटीय क्षेत्र प्रबंधन हेतु विश्व बैंक ऋण

2894. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को कार्यान्वित करने हेतु उड़ीसा राज्य सरकार के लिए ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विशेषज्ञ समूह ने राज्य के पुरी समुद्र तट और अन्य तटीय क्षेत्रों में समुद्री अपरदन के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) परियोजना निर्माण सुविधा हेतु वित्तीय व्यवस्था विश्व बैंक सहायता प्राप्त एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तीन राज्यों नामतः उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात में अभिनिर्धारित क्षेत्रों में पायलट स्केल पर एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने उड़ीसा के पुरी-कोणार्क क्षेत्र के लिए एक एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए महासागर प्रबंधन संस्थान, चैन्नई को एक अध्ययन प्रायोजित किया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ तटीय प्रणालियों और जैव-विविधता की दशा, पारि-पर्यटन सहित तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग को प्रोत्साहन और स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा का सुधार शामिल है।

ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की घटती संख्या

2895. श्रीमती मेनका गांधी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) और (ख) ओलिव रिडले कछुए नेस्टिंग के लिए भारतीय तटों पर आते हैं, जो कि प्रवासी प्रजातियां है। इनका नेस्टिंग पैटर्न एक

वर्ष से दूसरे वर्ष में भिन्न-भिन्न होता है जो कि अनेक कारणों पर निर्भर करता है। यद्यपि ओलिव रिडले कछुओं की संख्या में इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर (आई यू सी एल) ने वैश्विक रूप से इसके गिरते रुख को इंगित किया है, जिसका कारण ट्रालर फिशिंग, वासस्थलों का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग आदि है। तथापि देश में ओलिव रिडले कछुओं की संख्या में गिरावट दर्शाने वाली कोई सूचना नहीं है।

(ग) आलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं:

(i) ओलिव रिडले (लेपिडोचिलायीज ओलिवासिया) कछुए को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और इस प्रकार उन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को संशोधित किया है और इसे अधिक कठोर बनाया गया है। अपराध के मामलों में दण्ड बढ़ाए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों को करने में इस्तेमाल में लाए गए उपकरण, वाहन, हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के संबंध में अवैध शिकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है।

(iii) केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) ओलिव रिडले कछुओं के प्रमुख नेस्टिंग ग्राउन्डों को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

(ii) समुद्री अभ्यारण्य क्षेत्र में मछली पकड़ना और निषेधात्मक फिशिंग जोन पर निषेध है। मुछआरों को यह सलाह दी गई है कि ट्रालिंग के दौरान टर्टल एक्सक्लूडिंग डिवाईस (टी ई डी), जो अनिवार्य है, का उपयोग करें और नेस्टिंग सीजन के दौरान ट्रालिंग करने से बचें।

(iii) वन्यजीव विभाग द्वारा राज्य मत्स्य विभाग और भारतीय तट रक्षक के सहयोग से समुद्र में नियमित गश्त लगाई जाती है।

(vi) ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा में स्थानीय फिशिंग समुदायों का समर्थन प्राप्त करने के लिए समन्वय बैठकें आयोजित की गई है। जन जागरुकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण मत्स्य स्थलों पर होर्डिंग लगाए गए हैं।

(v) मुख्य वन्यजीव वार्डन उड़ीसा के कार्यालय में एक केन्द्रीय मानीटरिंग इकाई प्रत्येक कैम्प में रोजाना आधार पर चलाए जा रहे संचालन की मानीटरिंग की जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। यह संबंधित प्रभागों से सूचना प्राप्त और समेकित कर रहा है।

(vi) समुद्री कछुओं के सुरक्षा कार्यों की पुनरीक्षा के लिए विभिन्न विभागों और भारतीय तट रक्षकों के बीच समय-समय पर समन्वय करने के लिए मुख्य सचिव, उड़ीसा की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। चालू वर्ष में उपर्युक्त समिति की बैठक 29.11.2008 को आयोजित की गई थी। इसके अलावा, उड़ीसा तटीय जलों में प्रतिबंधित फिशिंग जोनस् में अवैध फिशिंग पोतों को रोकने के लिए उड़ीसा मेराइन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट, 1981 के अंतर्गत तटीय वन प्रभागों में सहायक वन संरक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।

एच.आई.वी./एड्स के संबंध में भारत-यूनिसेफ समझौता

2896. **श्री विजय कृष्ण :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों के साथ हिंसा रोकने, किशोरों में एच.आईवी./एड्स की दर को घटाने के लिए भारत और यूनिसेफ के बीच समझोते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) 2008-12 कंट्री प्रोग्राम एक्शन प्लान भारत सरकार (महिला और बाल विकास मंत्रालय) और यूनिसेफ के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। 2008-2012 कंट्री प्रोग्राम का समग्र लक्ष्य भारत में सभी महिलाओं और बच्चों को लिंग, जाति, नस्ल या क्षेत्र पर आधारित सामाजिक असमानताएं घटाकर उनको जीवित रहने, उनका विकास करने, उन्हें भागीदार बनाने और उनकी रक्षा करने संबंधी अधिकारों की प्राप्ति को बढ़ावा देना है।

शिशु और एड्स कार्यक्रम में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संख्या 6 की प्राप्ति में सहयोग की कोशिश है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-III के ढांचे और भारत सरकार के शिशु तथा एड्स संबंधी नीतिगत ढांचे में काम करने वाली यह नीति 31 जुलाई, 2007 को प्रवृत्त की गई और इसमें मुख्य मंत्रालयों तथा उनकी संबंधित भूमिकाओं की रूपरेखा बनाई गई है। शिशु और एड्स कार्यक्रम में पीड़ित होने के मामले घटाने, नए संक्रमणों की दर कम करने और 0-18 वर्ष के बच्चों में एच.आई.वी./एड्स के असर को प्रशमित करने की कोशिश होगी, इसके अलावा, निवारण के क्षेत्र में जोर अधिकतम जोखिमपूर्ण खासकर कमजोर समूहों पर होगा। पहले से यौनक्रिया में सक्रिय युवक यौनकर्मी, इंजेक्शन से नशा लेने वाले, अधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, प्रवासी जनता आदि, 24 वर्ष तक के युवा व्यक्ति इस समूह में शामिल हैं। यह कार्यक्रम वंचित समूहों के बीच एच.आई.वी./एड्स व्याप्तता दर घटाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता ढांचा परिणाम 1.5 की प्राप्ति में अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के घनिष्ठ सहयोग में काम करेगा।

वैश्विक गरीबी पर विश्व बैंक का प्राक्कलन

2897. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैश्विक गरीबी पर विश्व बैंक के नवीनतम प्राक्कलन ने यह उजागर किया है कि विश्व के एक-तिहाई गरीब भारत में हैं जैसा कि दिनांक 27 अगस्त, 2008 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विश्व बैंक के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर इस मुद्दे का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) टाइम्स आफ इंडिया में दिनांक 27 अगस्त, 2008 को प्रकाशित एक समाचार में यह कहा गया है कि "इंडिया इज होम टू रफली वन-थर्ड आफ आल पुअर पीपुल इन द वर्ल्ड"। संभवत: यह समाचार शाओहुआ चेन और मार्टिन रेवेलियन द्वारा अगस्त, 2008 में प्रकाशित "द डेवलपिंग वर्ल्ड इज पुअरर दैन वी थॉट, बट नो लैस सक्सेसफुल इन द फाइट अगेंस्ट पावर्टी" नामक "पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नं. 4703" (विश्व बैंक का विकास अनुसंधान दल) के निष्कर्षों पर आधारित है। इस पत्र के अनुसार 1.25 यूएस डालर प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की प्रतिशतता जो 1981 में 59.8% थी गिरकर वर्ष 2005 में 41.6% रह गई। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की पूर्ण संख्या वर्ष 1981 की 420.5 मिलियन से बढ़कर 2005 में 455.8 मिलियन हो गई। पेपर में व्यक्त निष्कर्ष, व्याख्या और परिणाम पूर्णत: लेखकों के अपने हैं और व निश्चित रूप से विश्व बैंक और इससे संबद्ध संगठनों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर विश्व बैंक द्वारा लगाए गए गरीबी अनुमानों का उपयोग नहीं करती है क्योंकि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और देश के विभिन्न राज्यों के बीच भेद नहीं करती है। योजना आयोग राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता एवं संख्या का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग अनुमान, गरीबों के अनुपात एवं संख्या का अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में निहित कार्य प्रणाली को अपनाते हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल पर कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से लगाता है।

(ग) ग्यारहवीं योजना का मुख्य विजन उस विकास प्रक्रिया को प्रवर्तित करना है जो लोगों, विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि के जीवन स्तर में व्यापक सुधार को सुनिश्चित करती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और उसका उद्देश्य इस अवधि के अन्त तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत के संधारणीय विकास पथ पर लाना है। गरीबी घटाने के उद्देश्य से सरकार अनेक गरीबी रोधी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे कि सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित आय के अतिरिक्त, मजदूरी रोजगार और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए परिसम्पत्ति सृजन कार्यक्रम। ग्यारहवीं योजना में उपभोग गरीबी के व्यक्ति अनुपात को 10 प्रतिशतता बिन्दु तक घटाने का मानीटरण योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

सीएनजी वाहन

2898. श्री महावीर भगोरा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन नगरों का ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में सीएनजी वाहन चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में सीएनजी वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) कोई भी विधिवत् पंजीकृत सीएनजी वाहन, पूरे देश में चल सकता है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, सीएनजी वाहनों का प्रचालन, अधिकतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और पुणे में केंद्रित है।

(ख) इस मंत्रालय ने सीएनजी किटों संबंधी विनिर्देशों के साथ-साथ सीएनजी वाहनों के टाइप अनुमोदन, सुरक्षा और उत्सर्जन मानक पहले ही अधिसूचित कर दिए हैं। ईंधन के रूप में सीएनजी के प्रयोग के बारे में निर्णय लेने का काम वाहन मालिकों का है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एमपी लैड योजना में परिवर्तन

2899. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन कार्यों की सूची में कुछ परिवर्तन लाने का है जिन्हें एमपी लैड योजना के अंतर्गत निष्पादित किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) फिलहाल, एमपीलैड योजना के अंतर्गत कार्यों की सूची में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यूरेनियम संसाधनों की खोज

2900. श्री सुग्रीव सिंह : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद ने देश में यूरेनियम संसाधनों का कोई सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय का विचार पहचान किए गए कुछ प्रोटेरोजोइक बेसिनों में चरणबद्ध तरीके से एयरबोर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम डोमेन सर्वे कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे प्रत्येक स्थान पर यूरेनियम संसाधनों की कितनी मात्रा होने का अनुमान है; और

(ङ) ऐसे संसाधनों की खोज करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्यारहवीं योजनवधि के दौरान, परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद का विचार निम्नलिखित स्थानों पर, वायुवाहित वैद्युत-चुम्बकीय काल प्रक्षेत्र सर्वेक्षण सहित वायुवाहित भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने का है:

गतिविधि	11वीं योजना का लक्ष्य	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7
वायुवाहित (एजीआरएस) सर्वेक्षण (लाइन किलोमीटर)	400000	16500	77000	115000	100000	91500

1	2	3	4	5	6	7
बेसिन/क्षेत्र/राज्य	भारत के प्रोटेरोजोइक तथा फेनेरोजोइक बेसिन	मोहर (मध्य प्रदेश) अल्बीटाइट लाइन, (राजस्थान तथा हरियाणा)	सिंहभूम शीयर जोन तथा उत्तरी सिंहभूम मोबाइल बेल्ट (झारखंड तथा पश्चिम बंगाल)	महाडेक बेसिन (मेघालय) छत्तीसगढ़ बेसिन (छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा)	अरावली फोल्ड बेल्ट (राजस्थान) इंद्रावती तथा अबूझमर बेसिन (महाराष्ट्र)	कुडप्पा बेसिन तथा श्रीसैलम-पलनाड बेसिन, (आंध्र प्रदेश) विंध्यन-महाकौशल बेसिन (मध्य प्रदेश)
			भीमा बेसिन (कर्नाटक)	कलाडगी बेसिन (कर्नाटक)	कलाडगी बेसिन (कर्नाटक)	
			सोनराय बेसिन (उत्तर प्रदेश)	अल्बीटाइट लाइन (राजस्थान तथा हरियाणा)	कुंजर-दार्जिंग-कोलहन बेसिन (उड़ीसा तथा झारखंड)	पखाल बेसिन

(घ) वायुवाहित सर्वेक्षणों को चरणबद्ध तरीके से योजनाबद्ध किया जा रहा है, और उसके बाद, उक्त सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या की जानी है, और यूरेनियम की विद्यमानता को अंतिम रूप देने के लिए विस्तृत भू-वेधन कार्य किए जाने हैं। इस प्रकार ये सर्वेक्षण, भू-विकिरणमितीय, भू-भौतिकीय तथा अधःसतह अन्वेषण द्वारा आगे और विस्तृत अन्वेषण करने के लिए अनुकूल क्षेत्रों का सीमांकन करने में सहायक होंगे। अतः, इस समय वायुवाहित सर्वेक्षणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकने वाले यूरेनियम के भंडारों की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन होगा।

(ङ) परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा विभागीय तौर पर और उसके साथ-साथ अन्य एजेंसियों के माध्यम से किए जाने वाले वायुवाहित/भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के लिए उत्साहशील लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत, 4.00 लाख लाइन किलोमीटर से अधिक वायुवाहित/भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निधियों का प्रति व्यक्ति आबंटन

2901. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निधियों के प्रति व्यक्ति आबंटन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा मांगी गई और योजना आयोग द्वारा संस्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) राज्यों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, योजना आयोग प्रत्येक राज्य के कुल वार्षिक योजना परिव्यय को विभिन्न क्षेत्रकों को आबंटित करता है जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, विद्युत, उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, सामाजिक कल्याण और पिछड़ा वर्ग आदि। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों और ग्रामीण विकास क्षेत्रक को राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक योजना में से दिए गए परिव्यय/किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। चूंकि कृषि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, इसलिए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों के अंतर्गत अधिकतर निधियां तथा ग्रामीण विकास क्षेत्रक के मामले में निधियों का लगभग संपूर्ण प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही होता है। इन क्षेत्रकों के लिए परिव्यय प्रतिव्यक्ति के आधार पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

राज्य सरकारें परिव्यय विभिन्न क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों को राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संसाधनों की उपलब्धता और विस्तृत योजना

प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए आबंटित करती हैं। तथापि, पिछड़े क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए भारत सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को क्रियान्वित कर रही है जिसने वर्ष 2006-07 से राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) का स्थान ले लिया है। बीआरजीएफ/आरएसवीवाई के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई राशियां संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

विभिन्न राज्य योजनाओं में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों के संबंध में व्यय/परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 2005-06	वास्तविक व्यय 2006-07	संशोधित परिव्यय 2007-08	अनुमोदित परिव्यय 2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	477.91	515.80	847.49	2242.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	82.14	80.30	84.85	72.58
3.	असम	121.18	96.88	212.68	926.67
4.	बिहार	146.34	273.05	282.21*	407.12
5.	छत्तीसगढ़	224.75	316.80	402.65*	936.92
6.	गोवा	47.52	37.87	54.49*	61.06
7.	गुजरात	589.38	709.04	934.67*	$
8.	हरियाणा	150.20	165.57	228.53	340.05
9.	हिमाचल प्रदेश	185.34	200.00	221.92	251.97
10.	जम्मू और कश्मीर	305.65	218.78	91.52*	151.96
11.	झारखंड	203.37	332.43	493.70*	481.00
12.	कर्नाटक	539.89	863.45	1255.04*	2491.63
13.	केरल	178.18	375.88	383.29*	418.61
14.	मध्य प्रदेश	331.03	419.52	538.61*	1167.63
15.	महाराष्ट्र	367.47	732.27	775.82*	1022.79
16.	मणिपुर	43.79	33.05	34.59	39.76
17.	मेघालय	61.23	64.69	95.60	150.39

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	73.46	72.54	78.12	78.42
19.	नागालैंड	60.62	78.44	84.48	107.60
20.	उड़ीसा	55.34	145.33	241.25	464.45
21.	पंजाब	69.97	142.99	200.09*	302.52
22.	राजस्थान	354.29	317.49	255.79	341.65
23.	सिक्किम	29.27	34.66	46.45	71.17
24.	तमिलनाडु	479.06	843.69	1065.50	1465.47
25.	त्रिपुरा	46.44	57.51	92.23	173.99
26.	उत्तर प्रदेश	924.49	768.04	1719.41	3413.83
27.	उत्तराखंड	324.89	333.22	384.19	525.25
28.	पश्चिम बंगाल	128.89	160.89	410.00	432.98
	कुल (राज्य)	6602.11	8390.22	11515.20	18039.80
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	25.05	28.54	35.10*	46.58
30.	चंडीगढ़	4.63	5.92	8.40*	7.52
31.	दादरा और नगर हवेली	7.21	7.57	7.50*	7.76
32.	दमन और दीव	7.47	2.30	2.36*	2.98
33.	दिल्ली	116.99	23.69	50.20*	17.20
34.	लक्षद्वीप	8.89	13.10	31.25*	42.08
35.	पुडुचेरी	80.24	89.47	73.37	70.41
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	250.47	170.59	208.17	194.52
	कुल (राज्य और सं.रा. क्षेत्र)	6852.58	8560.82	11723.35	18234.28

* : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया है।

$: क्षेत्रकवार ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना में ग्रामीण विकास क्षेत्रक का परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वास्तविक व्यय 2005-06	वास्तविक व्यय 2006-07	संशोधित परिव्यय 2007-08	अनुमोदित परिव्यय 2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	971.94	1456.66	1573.21	2900.99
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.88	20.96	23.99	18.44
3.	असम	122.46	303.46	320.51	617.80
4.	बिहार	759.26	820.07	961.82	926.25
5.	छत्तीसगढ़	445.36	296.21	453.13	605.14
6.	गोवा	28.65	28.61	32.63	39.92
7.	गुजरात	394.91	610.36	513.16	$
8.	हरियाणा	161.24	172.20	387.98	395.95
9.	हिमाचल प्रदेश	36.80	56.51	103.87	116.56
10.	जम्मू और कश्मीर	91.91	143.76	156.25	87.80
11.	झारखंड	955.40	434.10	772.56	905.00
12.	कर्नाटक	542.25	723.52	1209.80	1302.80
13.	केरल	273.57	247.73	241.88	264.75
14.	मध्य प्रदेश	1247.94	1301.29	1399.31	1679.44
15.	महाराष्ट्र	1533.95	1215.45	1518.14	1420.13
16.	मणिपुर	35.76	31.17	79.60	42.30
17.	मेघालय	63.21	99.52	100.45	145.93
18.	मिजोरम	22.84	37.93	48.83	46.15

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैंड	42.09	41.98	40.62	85.02
20.	उड़ीसा	154.01	164.04	145.82	233.54
21.	पंजाब	344.27	839.84	350.87	540.42
22.	राजस्थान	646.43	659.30	885.95	1278.93
23.	सिक्किम	48.57	77.05	124.29	141.48
24.	तमिलनाडु	763.98	1619.91	1671.65	1943.51
25.	त्रिपुरा	57.30	66.12	81.30	104.80
26.	उत्तर प्रदेश	1149.71	652.43	1665.45	2289.48
27.	उत्तराखंड	165.22	235.72	317.81	320.87
28.	पश्चिम बंगाल	567.95	531.40	776.51	851.47
	कुल (राज्य)	11646.00	12887.44	15957.47	19304.87
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36.25	39.20	38.91	48.51
30.	चंडीगढ़	1.03	6.42	3.00	3.02
31.	दादरा और नगर हवेली	1.56	1.58	2.04	3.43
32.	दमन और दीव	1.49	1.65	3.06	7.38
33.	दिल्ली	105.61	130.43	130.05	151.10
34.	लक्षद्वीप	1.16	0.89	1.13	2.30
35.	पुडुचेरी	28.03	32.78	27.87	53.91
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	175.15	212.98	206.06	299.65
	कुल योग	11821.16	13100.42	16163.53	19604.52

$: क्षेत्रकवार ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

आंकड़ों को पूर्णांक बनाने के कारण कुल योग में छोटा-मोटा अंतर आ सकता है।

विवरण-III

बीआरजीएफ/आरएसवीवाई के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि 2005-06	जारी निधि 2006-07	जारी निधि 2007-08	जारी निधि 2008-09
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	37.50	82.50	421.18	87.55
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.50	7.50	7.60	7.50
3.	असम	7.50	52.50	113.58	59.24
4.	बिहार	135.00	232.50	639.28	127.50
5.	छत्तीसगढ़	90.00	127.50	271.22	5.98
6.	गुजरात	15.00	37.50	8.10	21.05
7.	हरियाणा	15.00	22.50	25.80	3.23
8.	हिमाचल प्रदेश	15.00	30.00	42.85	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	22.00	22.50	15.30	15.00
10.	झारखंड	142.50	315.00	105.60	305.27
11.	कर्नाटक	15.00	37.50	139.97	30.00
12.	केरल	15.00	15.00	30.88	0.00
13.	मध्य प्रदेश	150.00	135.00	404.82	128.86
14.	महाराष्ट्र	60.00	90.00	108.20	43.00
15.	मणिपुर	15.00	15.00	34.96	0.95
16.	मेघालय	*	15.00	7.80	45.04
17.	मिजोरम	7.50	15.00	34.17	2.00
18.	नागालैंड	7.50	22.50	32.19	3.00
19.	उड़ीसा	45.00	45.00	336.12	37.68
20.	पंजाब	7.50	15.00	7.60	7.50

1	2	3	4	5	6
21.	राजस्थान	37.50	15.00	302.10	0.00
22.	सिक्किम	7.50	22.50	7.60	0.00
23.	तमिलनाडु	75.00	30.00	23.10	16.32
24.	त्रिपुरा	7.50	15.00	7.60	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	202.50	300.00	163.71	564.24
26.	उत्तराखंड	22.50	37.50	30.30	22.50
27.	पश्चिम बंगाल	45.00	60.00	275.87	88.86
	कुल (राज्य)	1207.50	1815.00	3597.50	1622.27

*निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मेनिनजाइटिस टीके

2902. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मेनिनजाइटिस के रोगियों के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरे देश में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मेनिनजाइटिस के टीके को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में मेनिनजाइटिस के टीकों को शामिल करने की सिफारिश की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में मेनिनजाइटिस रोग को फैलने से रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो (सी.बी.एच.आई.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2006-2008 के दौरान देश में मेनिनजाइटिस के सूचित रोगियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:—

वर्ष	रोगियों की संख्या	मौतों की संख्या
2006	3438	312
2007	5067	311
2008 (आज की तारीख तक)	257	142

विगत तीन वर्षों के दौरान मेनिनजाइटिस के रोगियों की संख्या से कोई निश्चित रूझान प्रदर्शित नहीं होता है।

(ग) से (च) विश्व स्वास्थ्य संगठन मेनिनगोकोक्कल रोगों के प्रकोपों को नियंत्रित करने के लिए समूह ए तथा सी या ए, सी, वाई और डब्ल्यू 135 की पालीसैकराईड वैक्सीनों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन रोग प्रतिरक्षण की सिफारिश करता है। यह इस बात की भी सिफारिश करता है कि राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में संयुग्मी वर्ग सी वैक्सीन को शामिल करने पर उन क्षेत्रों में विचार

किया जाना चाहिए जहां वर्ग सी मेनिंगोकोक्कल रोग छोटे बच्चों में एक बड़ी जन स्वास्थ्य समस्या है।

सार्वभौमिक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में मेनिंगोकोक्कल वैक्सीन को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के जरिए रोग की रोकथाम करना तथा शुरू में ही निदान एवं तत्काल उपचार सहित अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान मेनिंगाकोक्कल रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण करने के लिए राज्यों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रोगियों का पता लगाने तथा रसायनरोग निरोध प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली में तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में रोग की स्थिति का अनुवीक्षण भी करता है और अस्पतालों से नमूने भी प्राप्त करता है। समेकित रोग निगरानी परियोजना के अंतर्गत मेनिनजाइटिस सहित संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई हेतु निगरानी कार्यकलापों को सुदृढ़ करने तथा किसी प्रकोप का शुरू में ही पता लगाने को बढ़ावा देने हेतु तंत्र स्थापित किया गया है।

राज्य के वित्त मंत्रियों द्वारा ज्ञापन

2903. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के वित्त मंत्रियों ने राज्यों में हाल के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि पर केन्द्रीय कर के पुनर्गठन और वित्त आयोग के पुनर्विचार के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय को राज्य के वित्त मंत्रियों से केंद्रीय करों की पुनर्संरचना एवं राज्यों में किसी वित्तीय संकट की पृष्ठ भूमि में वित्तीय आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

नेत्र बैंक

2904. श्री नवीन जिन्दल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेत्र बैंक की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष नेत्रदान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन नेत्र बैंकों द्वारा प्राप्त सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) भारतीय नेत्र बैंक ऐसोसिएशन के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 577 नेत्र बैंक हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नेत्र बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	96
2.	असम	4
3.	बिहार	7
4.	चंडीगढ़	7
5.	दिल्ली	16
6.	गुजरात	42
7.	गोवा	2
8.	हरियाणा	16
9.	कर्नाटक	47
10.	केरल	19
11.	मध्य प्रदेश	31
12.	महाराष्ट्र	94
13.	मिजोरम	1
14.	उड़ीसा	12
15.	पुडुचेरी	5
16.	पंजाब	25
17.	राजस्थान	23

1	2	3
18.	तमिलनाडु	50
19.	त्रिपुरा	2
20.	उत्तर प्रदेश	44
21.	पश्चिम बंगाल	34
	कुल	577

(ख) और (ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.बी.) के अंतर्गत नेत्रदान हेतु प्रतिवर्ष लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं। वर्ष 2005-2006 से नेत्रदान हेतु वर्षवार लक्ष्यों तथा उनकी प्राप्ति और नेत्र बैंकों को अनावर्ती सहायता के लिए व्यवस्था निम्नानुसार की गई है:-

वर्ष	नेत्रदान के लिए लक्ष्य	दान किए गए नेत्रों का संकलन	नेत्र बैंकों को अनावर्ती सहायता देने का प्रावधान
2005-06	40,000	28,007	150 लाख
2006-07	45,000	30,089	230 लाख
2007-08	45,000	38,596	240 लाख
2008-09	50,000	15,222 (अनंतिम)	100 लाख

एन.पी.सी.बी. के अंतर्गत नेत्र बैंकों को सहायता देने की योजना वर्ष 2005-06 से विकेन्द्रीकृत की गई है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवेदन मंगाने और जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटियों के जरिए पात्र नेत्र बैंकों को सहायता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसायटी द्वारा नेत्र बैंकों को आंखों के प्रत्येक जोड़े के लिए 1500/- रुपये और नेत्रदान केन्द्रों को आंखों के प्रत्येक जोड़े के लिए 1000/- की आवर्ती सहायता दी जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन.पी.सी.बी. के दौरान सहायता के परिशोधित स्वरूप के अनुसार, 16 अक्तूबर, 2008 से नेत्र बैंकों के सुदृढ़ीकरण/विकास के लिए अनावर्ती सहायता को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति नेत्र बैंक कर दिया है।

पत्तन विकास हेतु समुद्रीय भूमि को वापस लेना

2905. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये पत्तनों की स्थापना और मौजूदा पत्तनों के प्रसार करने हेतु समुद्री भूमि को वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रसार एवं विकास कार्य के कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख) पत्तनों का विकास और विस्तार एक व्यापक गतिविधि है जिसे नए घाट बढ़ाने, उपकरणों के आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्क और पत्तन प्रचालन के अन्य क्षेत्रों में सुधार के माध्यम से किया जाता है। इस विकास में समुद्री भूमि का पुनरुद्धार शामिल हो सकता है जैसा कि कुछ महापत्तनों में प्रस्तावित किया जा रहा है जैसे कि चेन्नई और जवाहरलाल नेहरू पत्तन। जहां तक महापत्तनों से इतर पत्तनों का संबंध है, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत, इनका विकास करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पोलियो उन्मूलन

2906. श्री एल. राजगोपाल :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल के अनुसार पोलियो पी-1 विषाणु के उन्मूलन की कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पी-3 विषाणु की व्याप्ति में भी कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में पी-2 और पी-4 जैसे अन्य विषाणुओं की स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम

में प्रगति हुई है। इस वर्ष कुल 63 पोलियो पी-I वायरस के मामले अब तक सूचित किए गए हैं जो कि गत वर्ष 83 थे।

(ग) इस वर्ष कुल 472 पी-3 मामलों की सूचना मिली है जो गत वर्ष 794 थी।

(घ) पी-2 का वर्ष 1999 में उन्मूलन किया गया था और पी-4 वायरस अस्तित्व में नहीं है।

[हिन्दी]

भारत में गरीबी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

2907. श्री सूरज सिंह :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्ययन ने यह उद्घाटित किया है कि 10 में से लगभग पांच भारतीय प्रतिदिन 55 रुपये से भी कम में जीवनयापन करते हैं जैसाकि दिनांक 25 अगस्त, 2008 के 'द हिन्दु' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) द हिन्दू में दिनांक 28 अगस्त, 2008 को प्रकाशित समाचार, शीर्षक "वर्ल्ड बैंक न्यू पावर्टी नार्म्स फाइण्ड लार्जर नम्बर ऑफ पुअर इन इण्डिया" में उल्लेख किया गया है कि "एक डालर प्रति दिन के अपने अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा मानदंड में उपरिमुखी संशोधन के साथ, विश्व बैंक के एक अध्ययन से पता चला है कि 10 भारतीयों में से लगभग पांच भारतीय 1 दिन में 1.25 डालर से भी कम (लगभग 55 रुपये) पर जीवनयापन कर रहे हैं"। संभवत: यह समाचार शाओहुआ चेन और मार्टिन रेवेलियन द्वारा अगस्त, 2008 में प्रकाशित "द डेवलपिंग वर्ल्ड इज़ पुअरर दैन वी थॉट, बट नो लैस सक्सेसफुल इन द फाइट अगेंस्ट पावर्टी" नामक "पालिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नं. 4703" (विश्व बैंक का विकास अनुसंधान दल) के निष्कर्षों पर आधारित है। इस पत्र के अनुसार 1.25 यूएस डालर प्रतिदिन की अन्तरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की प्रतिशतता जो 1981 में 59.8% थी गिरकर वर्ष 2005 में 41.6% रह गई। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की पूर्ण संख्या वर्ष 1981 की 420.5 मिलियन से बढ़कर 2005 में 455.8 मिलियन हो गई। पेपर में व्यक्त निष्कर्ष, व्याख्या और परिणाम पूर्णत: लेखकों के अपने हैं और वे निश्चित रूप से विश्व बैंक और इससे संबद्ध संगठनों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

(ग) भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर विश्व बैंक द्वारा लगाए गए गरीबी अनुमानों का उपयोग नहीं करती है क्योंकि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और देश के विभिन्न राज्यों के बीच भेद नहीं करती है। ग्यारहवीं योजना का मुख्य विजन उस विकास प्रक्रिया को प्रवर्तित करना है जो लोगों विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि के जीवन स्तर में व्यापक सुधार को सुनिश्चित करती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवधि (2007-12) के लिए अर्थव्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत के संधारणीय विकास पथ पर लाना है। गरीबी घटाने के उद्देश्य से सरकार अनेक गरीबी रोधी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जैसे कि सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित आय के अतिरिक्त, मजदूरी रोजगार और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए परिसम्पत्ति सृजन कार्यक्रम। ग्यारहवीं योजना में उपभोग गरीबी के व्यक्ति अनुपात को 10 प्रतिशतता बिन्दु तक घटाने का मानीटरन योग्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[अनुवाद]

करेंसी नोटों पर भाषा

2908. डा. टोकचोम मैन्या : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय करेंसी नोटों पर संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं में उसका मूल्य शब्दों में अंकित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, नहीं। संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं में से हिन्दी के अतिरिक्त जो कि सभी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों पर प्रमुख रूप से दर्शायी जाती है, 15 भाषाओं को बैंक नोटों के भाषा पेनल में शामिल किया गया है।

बैंक नोटों के भाषा पेनल में भाषाओं को सम्मिलित किया जाना बैंक नोटों के डिजाइन का एक हिस्सा है जिसमें हर 7-8 वर्ष के बाद परिवर्तन किया जाता है और स्थान की अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इसे समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है।

भारतीय परम्परागत दवाओं की गुणवत्ता

2909. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री मधु गौड़ यास्खी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय परम्परागत दवाओं का आयात करने वाले किसी देश से इन दवाओं के घटिया स्तर के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधियों (एएसयू) की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) निर्यात की जाने वाली जड़ी बूटीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधियों में भारी धातुओं की मौजूदगी का अनिवार्य परीक्षण दिनांक 01.01.2006 से शुरू कर दिया गया है। ऐसा आयात करने वाले देशों की विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है।

(ii) राज्य औषध लाइसेंस प्राधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) औषधि कंटेनर के लेबल अथवा एएसयू औषधि के पैकेज में रखे जाने वाली पर्ची में दवा के विनिर्माण में प्रयुक्त औषधि की मात्राओं सहित सभी घटकों के बारे में उल्लेख करने के प्रयोजनार्थ नियम 161 (1) और (2) से संबंधित उपबंधों का एएसयू औषध विनिर्माताओं द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

(iii) कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति आयुर्वेद औषध अनुसंधान संस्थान, चैन्नई, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र, लखनऊ और श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने लगभग 600 पादपों का विश्लेषण करके यह नतीजा बरामद किया था कि उनमें सीसे, संखिया और पारे की मात्रा अनुमत सीमा के भीतर विद्यमान थी।

(iv) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची न में संशोधन करके देश के सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध (एएसयू) विनिर्माण एकांशों हेतु अच्छी विनिर्माण पद्धति को अनिवार्य कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति

2910. श्री गणेश सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) तेरहवें सार्क शिखर सम्मेलन (ढाका 12-13 नवम्बर, 2005) में प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एस ए यू) की स्थापना का प्रस्ताव किया था। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सार्क सदस्य देशों के बीच अन्तर-सरकारी करार पर चौदहवें सार्क सम्मेलन में 4 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें यह सहमति हुई कि विश्वविद्यालय का प्रमुख परिसर भारत में होगा।

परियोजना का कार्य देखने वाली अन्तर-सरकारी संचालन समिति के अन्तर्गत कार्य करने हेतु मेजबान देश, भारत के सी ई ओ की अध्यक्षता में एक परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है। परियोजना हेतु एन सी आर में भूमि की पहचान कर ली गई है तथा कार्य तेजी से चल रहा है।

विभिन्न योजनाओं के लिए एमपीलैड निधि

2911. श्री रशीद मसूद : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एमपीलैड योजना

के अंतर्गत विद्यालयों, अस्पतालों, मदरसों, कब्रगाहों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) क्या विभिन्न प्रयोजनों के लिए जारी की गई एमपीलैड धनराशि के कुप्रबंधन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, संघ सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यों के लिए निधि जारी नहीं की जाती। सरकार सांसदों के नोडल जिला प्राधिकारियों को सीधे निधि जारी करती है, जो माननीय सांसदों द्वारा अनुशंसित पात्र विकासात्मक कार्यों की जांच करते हैं तथा उन्हें कार्यान्वित करते हैं।

(ख) और (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि के कुप्रबंधन के बारे में अलग-अलग सांसदों, आम लोगों और अन्य से समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है। इन रिपोर्टों में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो मंत्रालय प्रत्येक मामले के आधार पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई और/अथवा निधि की प्रतिपूर्ति की अनुशंसा करता है।

[अनुवाद]

ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग परियोजना

2912. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रांस-अरूणाचल राजमार्ग परियोजना को पूरा करने का है; और

(ख) इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के शुरू होने और पूरा होने की संभावित तारीखों के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि सरकार को अभी संदर्भाधीन राजमार्ग से संबंधित निवेश को अनुमोदन प्रदान करना है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। *देखिए* संख्या एल.टी. 9805/08]

(2) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9806/08]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला डॉक लेबर बोर्ड, कांडला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9807/08]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 9808/08]

(ख) (एक) ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम का वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टनम के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 9809/08]

(3) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेंटर, विशाखापट्टनम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 9810/08]

(4) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) संशोधन विनियम, 2008, जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 811(अ) में प्रकाशित हुए थे, के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 9811/08]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : मैं, सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं:—

(1) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 13 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 9812/08]

(2) (एक) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9813/08]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा

[श्री संतोष बागड़ोदिया]

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 9814/08]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन), नई दिल्ली के 29.6.2007 से 28.6.2008 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (परिसमापनाधीन), नई दिल्ली का 29.6.2007 से 28.6.2008 तक का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9815/08]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 834(अ) जो 9 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 796(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 796(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का.आ. 790(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 850(अ) और का.आ. 851(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 852(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 853(अ) जो 10 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154, (मोनाचारा बाजार से आयनाखल तक) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1091(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 645(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 1176(अ) जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 1548(अ) और का.आ. 1549(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1550(अ) जो 25 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1570(अ) जो 26 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 630(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ. 1910(अ) और का.आ. 1912(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद- विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2079(अ) और का.आ. 2080(अ) जो 20 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति से आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2129(अ) जो 28 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाड़ा खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2153(अ) जो 3 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2274(अ) जो 25 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (तमिलनाडु/केरल सीमा वालायार-त्रिशूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2426(अ) और का.आ. 2427(अ) जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1100(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

(बीस) का.आ. 1101(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ. 1163(अ) जो 16 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1629(अ) जो 7 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ. 1873(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का.आ. 1874(अ) जो 29 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ. 2297(अ) जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ. 2298(अ) जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 2477(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 2228(अ) जो 18 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे-शोलापुर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 832(अ) जो 9 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 939(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 814(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1428(अ) और का.आ. 1429(अ) जो 10 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 11 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 1836(अ) जो 24 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2181(अ) जो 10 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुड़गांव-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 805(अ) जो 3 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1818(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का.आ. 815(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बड़ोदरा-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 816(अ) जो 4 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1438(अ) जो 12 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1009(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का.आ. 2028(अ) जो 12 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 2044(अ) जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 815(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का.आ. 2154(अ) जो 3 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (भरूच-सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 2246(अ) जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 2313(अ) और का.आ. 2314(अ) जो 30 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बड़ोदरा-सूरत खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 2196(अ) जो 15 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ-जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2440(अ) जो 13 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 524(अ) जो 18 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 206(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

(सैंतालीस) का.आ. 1029(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 601(अ) में कतिपय संशोध किए गए हैं।

(अड़तालीस) का.आ. 1582(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1583(अ) और का.आ. 1584(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 1580(अ) और का.आ. 1581(अ) जो 30 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 2260(अ) जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का.आ. 1917(अ) से का.आ. 1919(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 1920(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 1921(अ) से का.आ. 1924(अ) जो 1 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (बाइहाटा चारियाली-तेजपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1031(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 36 और 37 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 1177(अ) जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 40 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का.आ. 2237(अ) जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालबारी-बिजनी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 1030(अ) जो 28 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1178(अ) जो 21 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(साठ) का.आ. 1443(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जागीरोड-ठेकेरागुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 1746(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का.आ. 1747(अ) और का.आ. 1748(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 1744(अ) से का.आ. 1746(अ) जो 22 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (नालाबारी-बिजनी खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लैन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 2403(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-कालाघाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंसठ) का.आ. 2468(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 9 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1401(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया हुआ है।

(छियासठ) का.आ. 2601(अ) जो 5 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-झांसी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सड़सठ) का.आ. 788(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़सठ) का.आ. 804(अ) जो 2 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 पर स्थित एयरपोर्ट जंक्शन पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का.आ. 933(अ) जो 24 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के निर्माण (चार लैन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तर) का.आ. 945(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का.आ. 946(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का.आ. 1096(अ) और का.आ. 1097(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिहत्तर) का.आ. 1278(अ) जो 2 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुन्दुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौहत्तर) का.आ. 1444(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचहत्तर) का.आ. 1445(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छिहत्तर) का.आ. 1447(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतहत्तर) का.आ. 1448(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठहत्तर) का.आ. 1449(अ) और का.आ. 1450(अ) जो 13 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नासी) का.आ. 1495(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडिवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अस्सी) का.आ. 1496(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का.आ. 1497(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का.आ. 1498(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का.आ. 2107(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौरासी) का.आ. 941(अ) जो 25 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-टिंडिवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का.आ. 1052(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियासी) का.आ. 1053(अ) जो 30 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तासी) का.आ. 1073(अ) जो 2 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (त्रिची-डिंडिगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठासी) का.आ. 1094(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुन्दुरपेट खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का.आ. 1098(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नब्बे) का.आ. 1099(अ) जो 6 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यानवे) का.आ. 1173(अ) जो 19 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का.आ. 1186(अ) जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरुचिरापल्ली-विरालीमलै-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का.आ. 1187(अ) से का.आ. 1191(अ) जो 22 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरुचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का.आ. 1220(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1582(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचानवे) का.आ. 1229(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का.आ. 1398(अ) और का.आ. 1399(अ) जो 9 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का.आ. 1483(अ) से का.आ. 1485(अ) जो 18 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठानवे) का.आ. 1493(अ) जो 19 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1301(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(निन्यानवे) का.आ. 8(अ) जो 2 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टाई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सौ) का.आ. 22(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 629(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ एक) का.आ. 23(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 508(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ दो) का.आ. 76(अ) जो 10 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तीन) का.आ. 114(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 (पांडिचेरी-तिंडिवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ चार) का.आ. 115(अ) जो 21 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पांच) का.आ. 257(अ) से का.आ. 262(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/ चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ छह) का.आ. 263(अ) 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलै-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सात) का.आ. 264(अ) और का.आ. 265(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ आठ) का.आ. 266(अ) जो 6 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क (पलायमकोट्टई-थूथुकुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ नौ) का.आ. 299(अ) से का.आ. 301(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ दस) का.आ. 302(अ) से का.आ. 305(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ ग्यारह) का.आ. 306(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बारह) का.आ. 307(अ) से का.आ. 309(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (सेलम-करूर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ तेरह) का.आ. 310(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 सितम्बर 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1040(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ चौदह) का.आ. 311(अ) और का.आ. 316(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ पंद्रह) का.आ. 317(अ) से का.आ 318(अ) जो 12 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (टिंडिवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सोलह) का.आ. 416(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ सत्रह) का.आ. 2834(अ) जो 2 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना के स्तम्भ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में है।

(एक सौ अठारह) का.आ. 1227(अ) जो 27 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि),

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ उन्नीस) का.आ. 1579(अ) जो 27 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धालेश्वरी-भैराबी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(एक सौ बीस) का.आ. 2258(अ) जो 23 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धालेश्वरी-भैराबी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9816/08]

(4) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का.आ. 797(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 795(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9817/08]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9818/08]

(2) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9819/08]

(3) (एक) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9820/08]

(4) (एक) इंस्टिट्यूट, ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष

2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवदेन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9821/08]

(5) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज़्मा रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ प्लाज़्मा रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9822/08]

(6) (एक) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश्चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9823/08]

(7) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9824/08]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9825/08]

(ख) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9826/08]

(ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9827/08]

(घ) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई ~~का~~ वर्ष 2007-2008 का वार्षिक

[श्री पृथ्वीराज चव्हाण]

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9828/08]

(ङ) (एक) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9829/08]

(च) (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 9830/08]

(9) (एक) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज आफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9831/08]

(10) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सैंटर, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सैंटर, शिलांग के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9832/08]

(11) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9833/08]

(12) (एक) नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9834/08]

(13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 9835/08]

(14) (एक) सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर (पंजाब) के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर (पंजाब) के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9836/08]

(15) (एक) फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9837/08]

(16) (एक) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, गंडाकी के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमोस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, गंडाकी के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9838/08]

(17) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 726(अ), जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9839/08]

(18) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव) भर्ती नियम, 2007 जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 74(अ), जो 6 मई, 2007 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9840/08]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : मैं दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:—

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या सैंतीस — पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9841/08]

2. विवरण संख्या उनतालीस — तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9842/08]

ग्यारहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या उनतीस — छठा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9843/08]

बारहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या अड़तीस — तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9844/08]

तेरहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या इकतालीस — दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9845/08]

6. विवरण संख्या अड़तीस — चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9846/08]

7. विवरण संख्या बत्तीस — आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 9847/08]

[श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील]

8. विवरण संख्या सत्ताईस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9848/08]

9. विवरण संख्या चौबीस बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9849/08]

10. विवरण संख्या इक्कीस तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9850/08]

11. विवरण संख्या बीस चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9851/08]

चौदहवीं लोक सभा

12. विवरण संख्या तेरह पांचवा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9852/08]

13. विवरण संख्या बारह छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9853/08]

14. विवरण संख्या ग्यारह सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9854/08]

15. विवरण संख्या नौ आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9855/08]

16. विवरण संख्या आठ नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9856/08]

17. विवरण संख्या सात दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9857/08]

18. विवरण संख्या पांच ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9858/08]

19. विवरण संख्या चार बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9859/08]

20. विवरण संख्या दो तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9860/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनान्स एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9861/08]

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9862/08]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ड्राबैक (संशोधन) नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9863/08]

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी विनिमय डेरिवेटिव कांट्रैक्ट्स) (संशोधन), विनियम, 2008 जो 5 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (कंपाउंडिंग प्रोसिडिंग्स) (संशोधन), नियम, 2008 जो 27 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9864/08]

(5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत 'गुरु ग्रंथ साहिब के गुर-ता-गद्दी के 300वें वर्ष' के अवसर पर 100 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की ढलाई नियम, 2008 जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9865/08]

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 708(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 709(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 33/99-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 710(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 39/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 711(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 56/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 712(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 57/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 713(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जून 2003 की अधिसूचना संख्या 56/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 714(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 71/2003-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 715(अ) जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या 20/2007-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9866/08]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और टेकओवर्स) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

26/142801 में प्रकाशित हुए थे की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9867/08]

(8) (एक) नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9868/08]

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9869/08]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) सलीम अली सेन्टर फॉर ओर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबूटर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेन्टर फॉर ओर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयंबूटर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9870/08]

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) आठवां संशोधन, नियम, 2008 जो 24 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन, नियम, 2008 जो 11 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9871/08]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का.आ. 1720(अ) जो 18 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ. 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1539(अ) जो 24 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ. 1894(अ) जो 31 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोगशालाओं को पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता दी गई है।

(चार) का.आ. 1634(अ) जो 8 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, सिक्किम और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य

और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 417(अ) जो 3 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, तमिलनाडु और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(छः) का.आ. 737(अ) जो 27 मार्च, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, अरूणाचल प्रदेश और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(सात) का.आ. 899(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, हरियाणा और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(आठ) का.आ. 1887(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, राजस्थान और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(नौ) का.आ. 2244(अ) जो 22 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(दस) का.आ. 1888(अ) जो 30 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, दिल्ली और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 898(अ) जो 22 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, महाराष्ट्र और उसमें उल्लिखित चेयरमैन, सदस्य और सदस्य सचिव वाले राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9872/08]

(4) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7 (क) के अंतर्गत जारी पर्यावरण राहत निधि स्कीम, 2008 जो 4 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 768(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9873/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9874/08]

(2) जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम के 38वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9875/08]

(3) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 395(अ) जो 29 मई, 2007 के भारत

[श्री पवन कुमार बंसल]

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2007 से अहमदाबाद में एक और ऋण वसूली अधिकरण (जिसे ऋण वसूली अधिकरण-दो के रूप में जाना जाएगा) की स्थापना करने और इसके न्याय निर्णयन क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 20 दिसंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 783(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धि-पत्र।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9876/08]

(5) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा 3 के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008 जो 7 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 777(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 9877/08]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 9878/08]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 दिसंबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 21 अक्तूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे, संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 अक्तूबर, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे, राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008, को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 अक्तूबर, 2008, की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे, उप-राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 24 अक्तूबर, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और

यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 अक्तूबर, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03½ बजे

प्राक्कलन समिति

19वां और 20वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय—वार्षिक प्रतिवेदन के भाग दो का मुद्रण बंद किया जाना के बारे में 19वां प्रतिवेदन; और

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग)—नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

लोक लेखा समिति

78वां से 80वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2008-2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) "डीडीए द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 42वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 78वां प्रतिवेदन।

(1) "निम्नतर परस्पर सम्मत मूल्य के अनुकूलन के कारण अवमूल्यन" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 57वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

(3) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों (2006-2007) पर आधिक्य" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 80वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04½ बजे

याचिका समिति

43वां से 45वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:—

(1) रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) से संबंधित अभ्यावेदनों संबंधी 43वां प्रतिवेदन;

(2) संस्कृति, ग्रामीण विकास, नागर विमानन, भारी उद्योग और लोक उद्यम (भारी उद्योग विभाग) मंत्रालयों से संबंधित अभ्यावेदनों संबंधी 44वां प्रतिवेदन; और

(3) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

---

*उपर्युक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत 8 नवम्बर, 2008 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत उपर्युक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराह्न 12.05 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

212वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी) : महोदय, मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 212वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शीघ्र अति शीघ्र प्रतिवेदन देने के मेरे अनुरोध को मानने के लिए मैं समिति की सराहना करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे अनुरोध पर ध्यान दिया।

अपराह्न 12.05½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन) : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के निर्देश 73ए के अनुसरण में वित्त संबंधी स्थायी समिति की सत्तरवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की जानकारी मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंधों में की गई है जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है मैं अनुबंधों की विषय-वस्तु को पढ़ने में सभा का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया मान लिया जाए।

वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2008-09 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदान की मांगों की जांच की थी और अपनी 70वीं रिपोर्ट 16 अप्रैल तथा 15 अप्रैल, 2008 को क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा को प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट में समिति ने 14 सिफारिशें की हैं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करनी है। प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं—

(1) "व्यावसायिक सेवाएं" शीर्ष के अंतर्गत योजना निधियों का कम उपयोग।

(2) योजना आयोग के साथ परामर्श से मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना।

(3) योजना स्कीम "स्थानीय स्तर के विकास के लिए बुनियादी सांख्यिकी" के कार्यान्वयन में प्रगति।

(4) कार्मिकों की कमी और प्रशिक्षित कर्मियों का सेवा छोड़कर चले जाने की समस्या से निपटने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम।

(5) कोर सांख्यिकी के क्षेत्रों की पहचान, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा ऐसे आंकड़े संग्रहित करने के लिए समुचित मानक तथा पद्धति का विकास।

(6) शहरी तथा ग्रामीण मूल्य सूचकांकों को अलग-अलग तैयार करने का कार्य सम्पन्न करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।

(7) मूल्य सांख्यिकी में कमियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा की गई सिफारिशें।

(8) चालू वर्ष के दौरान योजना स्कीम "भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना" के कार्यान्वयन में प्रगति।

(9) विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण के वास्ते एक उचित पद्धति और फ्रेमवर्क के विकास में प्रगति।

(10) संबंधित मंत्रालयों से केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के संबंध में सम्पन्न होने की अनुमोदित समय सारणी/सम्पन्न होने की अनुमानित तारीख प्राप्त करने के बारे में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास और इसमें हुई प्रगति।

(11) संबंधित मंत्रालयों द्वारा अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की सतत आधार पर निगरानी तथा समय और लागत में वृद्धि से बचने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई

---

*सभा-पटल पर रखा गया तथा मंत्रालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9879/08

सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयास।

(12) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर से संबंधित परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि न हो, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।

(13) परियोजना लागत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराए गए लोगों के बारे में संबंधित मंत्रालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई।

अपराह्न 12.06 बजे

(दो) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 204वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. एम. एस. गिल) : महोदय, मैं लोक सभा बुलेटिन भाग-II, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के द्वारा माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73ए के अनुसरण में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 204वीं रिपोर्ट में उल्लिखित टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की 204वीं रिपोर्ट लोक सभा में दिनांक 5.12.2007 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट समिति की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है, जो सभा पटल पर रखा गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा गया मान लिया जाए।

---

*सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9880/08

अपराह्न 12.06½ बजे

(तीन) (क) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की सरकार की नीति के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : महोदय, कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति ने अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की सरकार की नीति पर अपनी 23वीं रिपोर्ट में 12 सिफ़ारिशें की थीं। इन सिफारिशों पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में विधिवत् विचार किया गया और यह पाया गया था कि इन सिफ़ारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन/इन पर कार्रवाई करने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से भी परामर्श अपेक्षित होगा। तदनुसार, मामले को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया गया था। अब दो मंत्रालयों से टिप्पणियां/इनपुट प्रतीक्षित हैं। राज्य सभा सचिवालय ने उपर्युक्त सिफ़ारिशों पर की गई कार्रवाई का उत्तर देने का समय 5.2.2009 तक बढ़ा दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ मामले पर आगे कार्रवाई कर रहा है और 23वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रगति पर गहनता से मॉनीटर कर रहा है।

(ख) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : महोदय, मैं, दिनांक सितम्बर 1, 2004 को लोक सभा बुलेटिन भाग-II (सं. 456) द्वारा लोक सभा में कार्य-व्यापार की प्रक्रिया एवं आचरण नियम

---

*सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9881/08

**सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9882/08

[श्री पृथ्वीराज चव्हाण]

के नियम 389 के प्रावधान के अंतर्गत जारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश 73ए के अनुसरण में अन्तरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगें 2008-2009 पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 189वें प्रतिवेदन में अन्तर्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी व्यक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय स्थायी समिति ने 3 अप्रैल, 2008 को अनुदानों की मांगे 2008-2009 पर विचार करते हुए अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लिये थे। समिति ने 29 अप्रैल, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत तथा 29 अप्रैल, 2008 को लोक सभा के पटल पर रखे अपने 189वें प्रतिवेदन में अन्तरिक्ष विभाग के अनुदानों की मांगों की सिफारिश की।

समिति की रिपोर्ट में आठ (8) सिफारिशें दी गई थीं। समिति की सभी सिफारिशों पर अन्तरिक्ष विभाग द्वारा सितम्बर 2008 के दौरान 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' प्रस्तुत की गई।

समिति ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर विचार किया और उसे अक्तूबर, 2008 में आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार किया। विभाग द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट को संतोषपूर्वक स्वीकार करते समय समिति ने और सुझाव दिये जो निरंतर जारी रहने वाली प्रकृति के हैं। विभाग ने इन सुझावों को कार्यान्वयन के लिए नोट कर लिया है। संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/स्थिति को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

अपराह्न 12.07½ बजे

(चार) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : महोदय, मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति की बीसवीं रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी यह विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9883/08

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2008-2009 हेतु विदेश मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की तथा 15 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में अपनी बीसवीं रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में 15 सिफारिशें शामिल थीं, जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जुलाई, 2008 में समिति को प्रस्तुत की गई थी। माननीय अध्यक्ष के उक्त निर्देश के तहत यथा अपेक्षित समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को अब मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं।

हम मंत्रालय द्वारा धनराशि के उचित उपयोग तथा इसकी गतिशील विदेश नीति की सराहना करने के लिए समिति के प्रति आभारी हैं। मंत्रालय को यह रिपोर्ट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष भाग में धनराशि की प्रत्याशित आवश्यकता तथा व्यय की वर्तमान गति के आकलन से यह स्पष्ट होता है कि मंत्रालय योजनागत वर्ष के अन्तर्गत 2008-2009 के बजट अनुमान में आवंटित धनराशि से अपनी वचनबद्धताओं को पूरा कर सकेगा।

समिति ने परिणाम बजट और अनुदान मांगों संबंधी दस्तावेजों में आंकडों में कुछ कमियां पाई हैं। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मंत्रालय ने सभी प्रभाग प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदार ठहराया है कि संसद को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों में शामिल किए जाने संबंधी सूचना/आंकडे त्रुटिहीन हैं। कारक वार लागत वृद्धि, अधिक समय, आदि जैसे परियोजना संबंधी अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने हेतु समिति के निर्देशों का भी अनुपालन किया गया है।

पदों के सृजन के संबंध में, मंत्रालय को यह रिपोर्ट करते हुए प्रसन्नता है कि मुख्यालय में 514 पदों-249 पदों तथा हमारे विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में 265 पदों के सृजन हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन 21 अगस्त, 2008 को प्राप्त कर लिया गया है। वार्षिक आधार पर विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के दौरान इन पदों का सृजन किया जाएगा।

हम यह नोट करने के लिए समिति का धन्यवाद देते हैं कि ताला जल-विद्युत परियोजना ने भारत को अतिरिक्त विद्युत की बिक्री शुरू कर दी है तथा परियोजना में 90 करोड़ रुपए की बचत हुई जिसके 140 करोड़ रुपए तक बढ़ने की आशा है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि यह परियोजना संतोषजनक तरीके से कार्य कर रही है तथा ताला जल-विद्युत परियोजना से आयातित 1020 मेगावाट बिजली विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत में विभिन्न इकाइयों को आवंटित की जाएगी।

मंत्रालय ने समिति की सिफारिश के अनुसार लागत वृद्धि के बिना ही कसादान बहुविध पारगमन परियोजना को समय पर पूरा करना

सुनिश्चित करने हेतु भारतीय अन्तर्देशीय जल प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) के परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति की हैं।

जहां तक ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना का संबंध है, मंत्रालय समिति को यह अवगत कराना चाहेगा कि सरकार ईरान से भारत को गैस के दीर्घकालीन, किफायती और सुरक्षित अन्तरण का तौर-तरीका अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी स्तरीय बैठकों के अलावा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अप्रैल, 2008 में अपने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। तत्पश्चात पाइपलाइन पर ईरान के राष्ट्रपति की नई दिल्ली यात्रा के दौरान चर्चा किए गए विशिष्ट प्रस्तावों पर 20-21 मई, 2008 के बीच विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान की सरकार के साथ चर्चा की गई थी। विदेश मंत्री ने भी नवम्बर, 2008 में तेहरान में हुई भारत-ईरान संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान भी परियोजना पर चर्चा की थी।

14-18 सितम्बर, 2008 के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान उच्चतम स्तर पर नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों के समग्र पहलुओं पर चर्चा की गई थी। दोनों पक्षों ने सड़क नेटवर्क, रेल संपर्क, पन बिजली परियोजना, एकीकृत जांच चौकियों आदि जैसी प्रमुख परियोजनाओं के विकास के जरिए दोनों देशों के मध्य आर्थिक विकास की गति में और वृद्धि करने पर सहमति जतायी।

"भारत-अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी" का नाम विकास में साझेदारी हेतु भारतीय एजेंसी (आई ए पी डी) रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रालय आई ए पी डी की शीघ्र स्थापना मामले पर सक्रिय रूप से कार्रवाई करता रहा है। मंत्रिमंडल टिप्पणी में मंत्रिमंडल सचिवालय के सुझावों के अनुसार प्रस्तावित एजेंसी संबंधी संशोधित मंत्रिमंडलीय टिप्पणी को पहले ही 7 मार्च, 2008 को प्रस्तुत किया गया था जिसे मंत्रालय द्वारा पुन: 23 सितम्बर, 2008 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि इस संबंध में और अधिक अन्तर-मंत्रालयीय परामर्शों की आवश्यकता थी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के विचार 2 दिसम्बर, 2008 को मांगे गए हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की टिप्पणियों के साथ इस टिप्पणी को मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

समिति की सिफारिशों के अनुरूप, मंत्रालय आइटेक/स्कैप तथा सार्क के अन्तर्गत छात्रवृद्धि स्लाटों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल एवं कारगर बनाता रहा है। स्लाटों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए समर्पित वेबसाइटों पर व्यापक प्रचार-प्रसार और आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कुछ नए उपाय हैं।

तीव्रतर पासपोर्ट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए पासपोर्ट के नियमों और प्रक्रियाओं को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। संशोधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को अनुपालनार्थ सभी पासपोर्ट कार्यालयों को सूचित किया जाता है और लोगों के सूचनार्थ इसे सी पी वी प्रभाग के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है। पासपोर्ट सेवा परियोजना के क्रियान्वयन के भाग के रूप में पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा, तद्नुसार सी पी वी प्रभाग के वेबसाइट को संशोधित किया जाएगा और लोगों को स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कॉल सेन्टर स्थापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिर्फ वास्तविक आवेदकों को ही "तत्काल" और पश्च सत्यापन योजनाओं के तहत पासपोर्ट जारी किये जाएं, कड़े प्रलेखन मानदंडों का अनुपालन किया जाता है और कागजातों की सावधानी पूर्वक जांच हेतु प्रणाली कार्य कर रही है। विधि मंत्रालय ने यह मंतव्य प्रकट किया है कि "तत्काल" पासपोर्ट के लिए प्रभारित किया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क विदेश मंत्रालय के सामर्थ्य-क्षेत्र में है क्योंकि यह पासपोर्ट अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित होगा और साथ ही इन सेवाओं को उपलब्ध कराने में हुए व्यय के अनुरूप होगा।

प्रस्तावित सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सार्क-सदस्य देशों के शैक्षिक/आयोजना/वित्तीय/विदेश कार्य तंत्रों के प्रतिनिधियों वाली एक अन्तर-सरकारी संचालन/सलाहकार समिति का पहले ही गठन किया जा चुका है। समिति ने विश्वविद्यालय के परियोजना कार्यालय के लिए सी ई ओ, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक मसलों की देख-रेख के लिए विशेषज्ञ एवं कार्य-बलों के संयोजकों की नियुक्ति कर दी है।

सरकार पाकिस्तानी जेलों में बंद मछुआरों और कैदियों को रिहा कराने के संबंध में शीर्षस्थ स्तर सहित पाकिस्तान की सरकार के साथ निरन्तर इस मामले को उठा रही है ताकि पाकिस्तान द्वारा दी गई वचनबद्धताओं का कारगर कार्यान्वयन हो सके। मछुआरों और भारतीय कैदियों को समय-समय पर कौंसली सुविधा भी प्रदान की जाती है।

सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में हुई प्रगति का विवरण अनुबंध में दिया है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इन्हें पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता किन्तु, मेरा यह अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब हम महत्वपूर्ण तत्कालिक मामलों पर चर्चा करेंगे। मुझे 49 नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए, आप मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं अधिक से अधिक नोटिसों को रखने का प्रयास करूंगा। मुझे ज्ञात है कि श्री गंगवार सहित आप सभी उत्सुक हैं, माननीय सदस्यगण धैर्य बनाए रखें। और कार्यवाही में व्यवधान डालने का प्रयास नहीं करे। कृपया धैर्य बनाए रखें और देखें कि आपको अवसर मिलता है या नहीं और तत्पश्चात् हम कार्यवाही जारी रख सकते हैं। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने 2जी स्पेक्ट्रम के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, यह मामला परसों उठाया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप उन्हें रोक पाते। मैं उन्हें नहीं रोक सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा घोटाला...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखते हैं कि यह चर्चा कितनी लंबी चलती है।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जिस प्रकार स्पैक्ट्रम जी-2 की अनुमति दी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि आपने किस विषय पर नोटिस दिया है। किसी मामले को एक ही सत्र में दोबारा नहीं उठाया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे सही हैं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तो क्या हुआ? आप उसी मामले को उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : महोदय, हमने प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया था। आपने वायदा किया था कि आप अनुमति देंगे...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं स्वतंत्रता पश्चात् के उस सबसे बड़े घोटाले का उल्लेख कर रहा हूं जिसकी वजह से स्पैक्ट्रम के आवंटन के तरीके के कारण राजकोष को भारी घाटा हुआ है।...*(व्यवधान)*

क्या सभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती जब सभा से बाहर इस पर चर्चा की जा रही है? किन्तु आप सभा में इस पर वाद-विवाद करने और चर्चा करने का अवसर नहीं देंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्पष्ट करने दें। परेशानी यह है कि मेरी अपील का एक मिनट के लिए भी सम्मान नहीं किया गया। आप एक-एक करके ऐसा कर सकते हैं। आचार्य जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सामान्य तौर पर यह रहस्योद्‌घाटन नहीं करता कि मेरे कक्ष में क्या हो रहा है। आजकल – मैं अपनी व्यक्तिगत अस्वस्थता के कारण जल्दी नहीं आ सकता। मैं शीघ्र चला आया, जब मुझे यह बताया गया कि प्रश्नकाल के स्थगन के लिए दो प्रस्ताव मौजूद हैं। एक श्री आचार्य द्वारा दिया गया था और दूसरा श्री ढींकसा द्वारा। मैंने कहा कि मैं प्रश्नकाल के पश्चात् दोनों मामलों पर चर्चा की अनुमति दूंगा। सच कहूं तो, मैंने इन नोटिसों पर विस्तारपूर्वक गौर नहीं किया है और यह गलत नहीं है, यदि इस बात को नोट किया जाए।

...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : पूरा देश देख रहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री वसुदेव आचार्य : यह स्वतंत्रता पश्चात् का सबसे बड़ा घोटाला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री ढींडसा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : अध्यक्ष जी, यह बहुत बड़ा स्कैम है। इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री ढींडसा को बोलने के लिए पुकारा है और केवल उन्हीं का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी अनुमति के बिना मंत्री महोदय के वक्तव्य सहित कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप बोलना जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ढींडसा जी, आप बैठिए। आपका नाम पुकारा है। आपको बोलने का समय दूंगा। फिलहाल आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप यहां जे.पी.सी. गठित करने की बात करते हैं और जब जे.पी.सी. रिपोर्ट देती है, तो रिपोर्ट की निंदा करते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस प्रकार से तो जे.पी.सी. की रिपोर्ट भी नहीं आएगी। क्या आप को इस प्रकार से चिल्लाने में बहुत अच्छा लगता है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप निरादर कर रहे हैं। कल सभापटल पर रखे गए प्रतिवेदन को सभा के कुछ सदस्यों द्वारा जिस प्रकार आलोचना की गई थी, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इस बारे में कार्यवाई की जाएगी। आप यहां है और आप बोल पाते हैं क्योंकि आप इस संस्था के सदस्य हैं। आप जानबूझकर इस संस्था को बदनाम कर रहे हैं। आप अपना व्यवहार देखें, जो आप अध्यक्षपीठ के प्रति संपूर्ण सभा के प्रति और देश के प्रति दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : समितियां विचार विमर्श करने के पश्चात् प्रतिवेदन तैयार करती हैं। यह तरीका भी देखिए किस प्रकार उन सदस्यों द्वारा भी इसकी आलोचना और निंदा की जा रही है, जो कह रहे हैं कि हमने इसे नहीं पढ़ा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह, आपको अधिकार है। तो फिर आप संयुक्त संसदीय समिति की मांग क्यों उठाते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप संयुक्त संसदीय समिति क्यों चाहते हैं? मुझे बताइए। इसलिए, क्योंकि आपके नेता ऐसा चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक व्यवस्थित वाद-विवाद की मांग का यह कोई तरीका नहीं है। पिछली बार भी मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी थी। अब आप ठीक वैसा ही मामला उठा रहे हैं। इसलिए, जवाब पाने का यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी आप संयुक्त संसदीय समिति की मांग करते आ रहे हैं। अब, आप वाद-विवाद चाहते हैं। वाद-विवाद के होने के लिए एक प्रक्रिया है। मुझे आपको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे अधिक जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, देखा जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम उसे देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मैं स्थगन प्रस्ताव के आपके नोटिस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप क्यों चिल्ला रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री मिस्त्री, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप यहां समस्या खड़ी कर रहे हैं। अपना आसन ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, सरकार जवाब नहीं दे रही है...*(व्यवधान)* विरोध स्वरूप हम सभा से उठकर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.19 बजे

(इस समय श्री रूपचंद पाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री ढींडसा अपनी बात कहें। केवल श्री ढींडसा का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : स्पीकर सर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक ऐसा इश्यू, जो हमारी डिफेंस फोर्सेज़ से सम्बन्धित है, उसे उठाने का मुझे मौका दिया है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि डिफेंस फोर्सेज़ जो हमारे देश की हैं, जिन्हें इस देश की रक्षा करनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज मध्याह्न भोजनावकाश नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : सिक्स्थ पे कमीशन के खिलाफ सारे चीफ सरकार से मिले। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इतनी बेइंसाफी हुई है, तो उनके लिए प्राइममिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनायी। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक वह रिपोर्ट देगी, लेकिन आज तक उस कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी। जब हमारे नेबर के साथ हालात भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में हमारी डिफेंस फोर्सेज बहुत डीमोरलाइज्ड हुई हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि उनके लिए जल्दी से जल्दी पे-कमीशन का काम पूरा करे। पहले कई कमीशन

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बने, उन्होंने वन रैंक, वन पेंशन की रिपोर्ट की। इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी उनका फैसला किया जाए और जो उनकी पे-कमीशन की रिपोर्ट है, उसे दोबारा रिमाइंड करके, उसका काम पूरा किया जाये।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, बालाघाट जिले में मैंगनीज ओर इंडिया की अनेक खदानें हैं। उकवा, भरवेली, कंरटोली में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको तो मिल गया और क्या होगा?

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : आपके आशीर्वाद से मिला है। मैंगनीज ओर इंडिया की खदानों में विगत दो महीने में 3 ऐसी दुर्घटनाएं हुयी हैं, जिनमें चार लोगों की जानें चली गयीं। अंडरग्राउंड मैंगनीज के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। ठेकेदारी प्रथा के कारण भारी भ्रष्टाचार है। इस तरह से यदि होता रहा तो निर्दोष श्रमिकों की रोज जानें जाएंगी।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से खनिज मंत्रालय से निवेदन है कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन किए जाएं, चाहे मैंगनीज की खदान हो या कोयले की खदान हो। बालाघाट में सर्वाधिक मैंगनीज है और भारत सरकार का जो उपक्रम है, उसका व्यवस्थापन वहां ठीक से नहीं चल रहा है। तीसरी बात है कि 500 करोड़ रुपए के मुनाफे में अकेले बालाघाट का उपक्रम रहा, लेकिन जो 5 प्रतिशत राशि उसकी बसावटों के विकास पर खर्च करना चाहिए। पर्यावरण, सड़क, पेयजल और सामाजिक विकास पर मैंगनीज ओर इंडिया एक प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं करता है। जब उपक्रम घाटे में थे, तब यह समझ में आता था कि वे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन जब 5,000 करोड़ के मुनाफे में है, पूरे विश्व में मैंगनीज का रेट बढ़ा हुआ है, लोहे के भी रेट बढ़े, ऐसी स्थिति में इस तरह से असुरक्षा की स्थिति बनेगी, तो मुझे लगता है कि उपक्रम कहीं और रसातल में न चला जाए। इसलिए पूरे देश के लिए इस बात की आवश्यकता है कि भारत सरकार इस बात की चिंता करे। मैंगनीज ओर इंडिया भारत सरकार का अधीनस्थ है, उसे इतनी छूट न हो कि रात-दिन लोगों की जानें चली जाएं। उनके बसावटों की अन्य विकास की भी योजनायें होनी चाहिए। लंबे समय से वहां सीएमडी का पद खाली है, उसे आज तक नहीं भरा गया। ऐसे लोगों को बैठाया गया, जो अक्षम हैं। इसकी समीक्षा करें। मैंगनीज ओर इंडिया में काम करने वाले श्रमिकों के वेजेज, सुरक्षा और बसावटों के दस किलोमीटर के विकास की चिंता करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे प्रॉमिस की क्या वैल्यू है?

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन : महोदय, अंतिम बार हम आज लोकसभा में बोल रहे हैं, बीजेपी के 6 सांसद विधायक बन गए हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अंतिम बात जो सुन रहे हैं, जो होने वाले हैं, हम उसके लिए बधाई देते हैं। आप भी हमारे मेंबर हैं, वहां जाने के पहले आपको हमारे पास आना होगा।

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्रकुमार (कालीकट) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

एक स्वागतयोग्य चर्चा चल रही है कि ईंधन की कीमतों में फिर से कटौती की जाएगी। यह कच्चे तेल की कीमतों में 147 डॉलर की उच्च सीमा से घटकर 47 डॉलर प्रति बैरल आ जाने के परिप्रेक्ष्य में है। पहले पेट्रोल की कीमतों में पांच रु. और डीजल की कीमतों में तीन रुपए कटौती की गई थी।

ऐसे परिदृश्य में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि क्षेत्र को कोई रियायत नहीं दी गई है। कपास और चीनी उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एम.पी.) दिया गया और उनसे खरीद की गई। इस संदर्भ में, संपूर्ण कृषि क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए उर्वरकों की कीमतों में तात्कालिक कटौती की घोषणा की जानी चाहिए। वर्ष 1990 से उर्वरक की कीमतों में भारी वृद्धि होती रही हैं। वर्ष 1970 में समस्त राज्यों की 228 रु. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उर्वरकों की औसत लागत दरें, 1980 में बढ़कर रु. 534 हो गई, 1990 में बढ़कर 1339 रु. हो गईं और चालू दशक के पहले पांच सालों में बढ़कर 1,755 रु. प्रति हेक्टेयर हो गईं।

फैक्टमफोस और यूरिया तथा उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि केरल में स्थित एफएसीटी, जिसके उत्पादन में भारी कमी आई है। उसकी उत्पादकता को पूर्व उत्पादन स्तर पर वापस लाया जाना चाहिए।

कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋण के संबंध में केवल 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए 4% ब्याज का स्लैब निर्धारित किया गया है। वित्त के बढ़ते प्रत्येक स्तर के साथ ही ब्याज दरों में भी वृद्धि होती जाएगी। अतएवं उच्चतर राशि के ऋण के लिए कृषि ऋणों पर भी संभावित 4 प्रतिशत की दर से ब्याज मुहैया करवाना तुरंत कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि कृषकों को रियायती दरों पर विद्युत मुहैया करायी जाए क्योंकि विद्युत प्रभार बढ़ते जा रहे हैं।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी, बीबीयूएनएल के अन्तर्गत कार्यरत एक सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। इसका कार्य क्षेत्र हावड़ा और बर्नपुर में है। अब सरकार ने सरकारी क्षेत्र की इस इकाई को बेचने विशेषकर हावड़ा वर्क्स की फाउण्ड्री डिवीजन के आपरेशन प्राईवेट क्षेत्र को देने का निर्णय ले लिया है। हम सरकार के इस कार्य का पुरजोर विरोध करते हैं। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड और बीबीयूएनएल के प्रबंधन रेल मंत्रालय से वैगन के आर्डर न लेकर जानबूझकर बर्नपुर और हावड़ा के कारखानों का उत्पादन कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कामगारों पर कार्रवाई इसलिए की गयी क्योंकि कामगारों ने मजदूरी में संशोधन की मांग की है। पिछले 20 वर्षों से इस कंपनी के कामगारों के पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं हुयी है जबकि अधिकारी बढ़े हुए वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

अतएव, महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से कामगारों के पारिश्रमिक में संशोधन करने, भारतीय रेल से आर्डर प्राप्त करवाने और बीएससीएल के हावड़ा वर्क्स की फाउण्ड्री डिवीजन का कार्य गुपचुप तरीके से प्राइवेट कंपनी को देकर कंपनी का निजीकरण होने से रोकने का अनुरोध करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बंसगोपाल चौधरी इससे स्वयं को संबद्ध करते हैं। क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं?

श्री बंसगोपाल चौधरी (आसनसोल) : महोदय, मैं केवल एक दो बातें ही कहना चाहता हूं। पिछले कुछेक महीनों से हम रेल मंत्रालय द्वारा इस बर्नपुर इकाई का अधिग्रहण कराने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु जैसा कि आप जानते ही हैं, दुर्भाग्य से पिछले बजट सत्र में रेल मंत्रालय द्वारा भारत वैगन की एक इकाई को अपने नियंत्रण में लिया गया हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री से पहले ही मिल चुके हैं। कल भी हम रेल मंत्री से मिले थे।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से रेल मंत्रालय द्वारा बर्नपुर इकाई को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आगे, श्री रामजी लाल सुमन। मुझे यह मिल चुका है। मैं समझता हूं कि मैं इसे पहले ही भेज चुका हूं या मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए।...*(व्यवधान)* आप हमारे कस्टडियन हैं। हमारी पार्टी के सांसद चंद्रपाल यादव जी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दीजिए वे क्या कह रहे हैं। श्री सुमन, बिना समुचित प्रक्रिया अपनाए आप किसी अवैधानिक निकाय से संबंधित मामले नहीं उठा सकते। अतएवं, इस प्रकार के मुद्दे न उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि श्री चंद्रपाल यादव के साथ जो व्यवहार किया गया, हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग को प्रचार करने के लिए 40 नेताओं की सूची दी थी। उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया गया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह भेज चुका हूं। हमें भारत के निर्वाचन आयोग का सम्मान करना चाहिए। वह एक ऐसा अतिमहत्वपूर्ण संगठन है जो पूरा सम्मान पाने का हकदार है। मुझे यह पढ़ने दीजिए। मैं सदन और संपूर्ण राष्ट्र के सम्मुख आपको यह आश्वासन देता हूं कि इस मामले को मैं पूरी गंभीरता से देखूंगा। या तो यह मैं समिति के पास भेजूंगा या मैं ही कोई निर्णय लूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं। यदि मैं दो दिन में ऐसा नहीं कर पाता तो आप मेरे पास आ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप दो मिनट चंद्रपाल जी की बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात है। चंद्रपाल जी, आप खड़े हो जाइए। आपके साथ जो कोई घटना घटी है, मैं उसे देखूंगा, हम आपको आश्वस्त करते हैं।

.**श्री चन्द्रपाल सिंह यादव** (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि 22 तारीख को मैं और हमारी पार्टी के सांसद माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग छतरपुर जनपद के बिजावर विधान सभा क्षेत्र में प्रचार के लिए गए थे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभा की अनुमति ली गई थीं और जब हम सभा करने के बाद वापिस आ रहे थे, वहां से निकलने पर वहां के पुलिस इंचार्ज गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए।

उन्होंने कहा कि हम आपकी गाड़ी को बंद करेंगे। हमने उनसे रिक्वैस्ट किया कि चुनाव आयोग को हमारी पार्टी की तरफ से कानून

के अंतर्गत लिखकर दिया गया है कि ये लोग चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश जायेंगे, इसलिए हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हम लोग चलने लगे, जबकि उनको बताया गया कि इसमें झांसी के सांसद हैं, उन्होंने लगातार अपशब्दों का प्रयोग किया और हमारा जो सुरक्षा कर्मचारी था, उसकी गन पकड़ ली और उससे मार-पीट करना शुरू कर दिया। इस घटना को छुपाने के लिए केवल पेशबंदी में वहां की पुलिस ने हमारे खिलाफ संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज कर लिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव : उसके बाद वहां की पुलिस और झांसी की पुलिस ने मिलकर हमारे घर को घेरने का काम किया। इस तरीके से लगातार हमें ह्रासमैंट किया जा रहा है, अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, इस मामले में कार्रवाई करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि अगर कोई सांसद अपनी बात कहता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही बात बार-बार बोलते जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अब मैं इस पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मैं कह चुका हूं कि यदि किसी माननीय सदस्य को गलत तरीके से उत्पीड़ित या उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव : मान्यवर, हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये कि क्या बात है?

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुकदमा इस बात का लिखा गया कि हम थानेदार...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम हर चीज को डिलीट कर देंगे और आपकी पेटीशन को भी रिजैक्ट कर देंगे। हमने रूलिंग बतायी है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। यह एक गंभीर मामला है। यहां पर निर्वाचन आयोग के कार्यकरण से जुड़े कुछ तत्व भी शामिल हैं। हम इसे हल्के ढंग से नहीं ले सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुद्दे पर कोई और चर्चा करें। अतएव, मैंने केवल कुछ समय मांगा है *[हिन्दी]* हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने कहा है कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हमने अभी तक आपकी पेटीशन को रिजैक्ट नहीं किया है। *[अनुवाद]* मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या निर्णय लिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न करें। वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम क्या संतोष गंगवार नहीं है? आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कंट्रोल कीजिए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : आज पूरे देश के करीब 50 हजार से अधिक नौजवान किशनगंज में चिकननेक पर बंगलादेशी घुसपैठ, जो एक राष्ट्रीय संकट है, उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं। वे वहां मार्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि 'पूर्वी भारत को बचाना आज पूरे भारत को बचाना है।'

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिस पर सदन में निरंतर चर्चा होती है। अभी दो दिन पहले आपके द्वारा इस पर चर्चा की अनुमति दी गयी थी और इस पर चर्चा भी हुई थी। आज की तारीख में करीब छः हजार घुसपैठिये रोज हमारे देश में विभिन्न स्थानों से, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, वहां से प्रवेश कर रहे हैं। एक अनुमानित आंकड़ा यह है कि तीन करोड़ से ज्यादा बंगलादेशी घुसपैठिये हमारे देश में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सरकार घुसपैंठ रोकने

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री संतोष गंगवार]

के लिए ठोस उपाय करे और देश में स्थान-स्थान पर घुसपैठियों को ढूंढकर तुरंत मतदाता सूची से बाहर किया जाये एवं तीव्र गति से उन्हें वापस बंगलादेश भेजने की कार्रवाई की जाये। बंगलादेश सरकार पर उपरोक्त दोनों कार्यों में सहयोगात्मक रवैया रखने के लिए दबाव बनाया जाये और मुख्य रूप से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त घुसपैठियों को ढूंढने हेतु, चाहे धार्मिक स्थल क्यों न हो, उनकी तलाशी ली जाये और पूर्वोत्तर को जोड़ने वाले गलियारे चिकननेक को घुसपैठियों से तुरंत खाली कराया जाये एवं विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाकर उसे नियंत्रित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में है कि कल इस पर एक सवाल भी था। उस सवाल का जो उत्तर दिया गया, वह बहुत ही भ्रामक है। सरकार ने कहा कि बाड़ लगाना, तीव्र रोशनी करना, ओवर पोस्ट लगाना आदि सारे काम करना है। मैं स्वयं कई बार त्रिपुरा, अगरतला गया हूं। मैंने देखा है कि सैंकड़ों की तादाद में वहां से बंगलादेशी लोग हमारे देश में आ रहे हैं और सरकार उन्हें रोकने में असमर्थ हो रही है।...*(व्यवधान)* हम चाहेंगे कि सरकार तत्काल प्रभावी कदम उठाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री ने असम में हुए बम विस्फोट पर चर्चा का उत्तर देते हुए इस विषय पर विशिष्ट टिप्पणी की थी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री शाहनवाज़ हुसैन, श्री उदय सिंह, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्री कीरेन रिजीजू, श्री रामस्वरूप कोली, श्री लाल मुनी चौबे, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री गिरधारी लाल भार्गव, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा और श्री बी.के. देव इस मामले से संबद्ध हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने नाम दीजिए।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम) : मुझे अवसर देने का बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं महिलाओं द्वारा सही जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या को यहां पर उठाना चाहूंगी।

महोदय, लोग यूपीए सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा से बहुत प्रसन्न हैं...*(व्यवधान)*। निस्संदेह, बड़े लंबे समय से यह उम्मीद की जा रही थी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भारत की संसद है? क्या यह लोगों का सदन है? आप कभी भी, कहीं भी आ सकते हो, बैठ सकते हो और चिल्ला सकते हो।

[हिन्दी]

चुनाव लड़ना होगा, आदमी देख रहे हैं, समझा कीजिए। ऐसी बच्चों जैसी बातें मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन : महोदया, चूंकि यू.पी.ए. सरकार गरीब आदमी की सरकार है, अतएव लोगों विशेषकर महिलाओं को अब घरेलू एल.पी.जी. के कीमतों में कमी की घोषणा की काफी उम्मीद है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, डा. एम. करूणानिधि ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने की प्रशंसा की गयी है और इसमें घरेलू एल.पी.जी. की कीमतों में कटौती करने पर भी जोर दिया गया है।

महोदय, जब वे पांचवीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिलेंडरों के साथ निःशुल्क एल.पी.जी. कनैक्शन दिए थे। आप सभी जानते हैं कि डा. के. करूणानिधि गरीबों पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए प्रसिद्ध हैं वे हमेशा से ही गरीबों के पक्षधर रहे हैं। 2006-07 में उन्होंने गरीब लोगों के लिए निःशुल्क एल.पी.जी. कनैक्शन की योजना की घोषणा की थी। 60 लाख लोगों में से तकरीबन तीन लाख लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। ये सब लाभार्थी समाज के गरीब तबकों के ही हैं। 2007-08 में 160 लाख लोगों में से 7.52 लाख लोगों को इनका लाभ मिला। इस प्रकार से अब तक तकरीबन 10.52 लाख लोगों को निःशुल्क एल.पी.जी. कनैक्शन दिए जा चुके हैं। अब तमिलनाडु सरकार ने अपने 160 लाख लोगों में से आठ लाख लोगों को निःशुल्क एल.पी.जी. कनैक्शन देने की योजना तैयार की है।

अतएव; यू.पी.ए. सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए और घरेलू एल.पी.जी. के दामों में हाल ही में हुई मूल्यवृद्धि से पहले के मूल्यों तक कमी की जाए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, हमें ज्ञात हुआ है कि पेट्रोलियम मंत्री घरेलू एलपीजी की कीमतें घटाने पर विचार कर रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है और हम शीघ्रातिशीघ्र एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि अभी जैसे मुम्बई में ब्लास्ट हुआ, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद देश में हर जगह फैला हुआ है। जब भी आन्तरिक सुरक्षा की बात आती है तो सवाल उठता है कि हमारे यहां सुरक्षा बलों की कमी है, एनएसजी के जवानों की कमी है। मैं कहना चाहूंगी कि यूपी की माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 750 पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के पास एक हजार जवान सुरक्षा के लिए है। आज देश में लगभग 17,000 एनएसजी के जवान हैं, जिनमें से 32 से 40 प्रतिशत जवान राजनीतिक लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मैं कहना चाहती हूं कि यदि हम लोग आम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो यह कौन सा न्याय है, यह कहां की मान्यता है कि परिवार का मुखिया अपने लिए सुरक्षा लेकर घूमे और अपने बच्चों को बिना सुरक्षा के कहीं भी छोड़ दे। मैं कहना चाहती हूं कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जिनको सुरक्षा की वास्तव में जरूरत है, उनको सुरक्षा दी जाए। आज अधिकतर राजनीतिक लोगों ने शौकिया तौर से जेड और वाई श्रेणी की सुरक्षा ली हुई है। वे राजनीतिक लोग या तो मानवीय तौर पर स्वयं सोचें या फिर इसकी जांच या मॉनीटरिंग हो और उनको जो आवश्यकता से ज्यादा सुरक्षा दी गयी है, हटाकर आम लोगों को सुरक्षा दी जाए। मैं इसके लिए उस चैनल को भी धन्यवाद दूंगी जिसने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज अब के बाद महिलाओं का दिन है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन : अध्यक्ष जी, मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि जिन लोगों ने शौकिया तौर पर इतने ज्यादा जवानों को इनवाल्व किया है, उनके बारे में आप जरूर एक्शन लें। जब यह सच्चाई है कि मौत एवं जिंदगी ईश्वर के हाथ होती है और वही देता है, तो हम इतने ज्यादा चिन्तित क्यों हैं कि हमें ज्यादा सुरक्षा चाहिए और आम व्यक्ति को नहीं। इस पर ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, केन्द्रीय सरकारी संघ, नेफेड ने 15 रुपये प्रति किलो की राजसहायता देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 10,000 टन पाम ऑयल का प्रापण करने की निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह निर्णय भी सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका है। पाम ऑयल के आयात और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसकी बिक्री से नारियल तेल के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषक, विशेषकर केरल के नारियल कृषक, पहले ही से गंभीर विपदा से गुजर रहे हैं और पाम ऑयल के आयात से उनकी स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। हालांकि केरल के पत्तन पाम ऑयल का आयात करने से छूट प्राप्त हैं। मंगलापुरम से इसका प्रापण किया जा सकता है क्योंकि मंगलापुरम से आयात की अनुमति है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि नारियल क्षेत्र और कृषकों की रक्षा के लिए पाम ऑयल का आयात करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उसकी बिक्री करने का निर्णय न लें।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, मैं अपने आपको श्रीमती सुजाता द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे 16-12-2008 को अमेरिका में आंध्र प्रदेश के विद्यार्थी पर हाल ही में हुए हमले के मुद्दे को उठाने की अनुमति दें।

आंध्र प्रदेश से इंजीनियरिंग, मेडिसिन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे पेशेवर निकले हैं। वे उच्च अध्ययन करने या रोजगार के अवसरों के लिए यू.एस. जाते हैं। हाल ही में यू.एस. में आंध्र प्रदेश के कई विद्यार्थियों की या तो हत्या कर दी गयी अथवा वे दुर्घटना या रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं। मैं उनमें से सभी के तो नहीं परंतु कुछेक का ही नाम लेना चाहूंगी। वे पी.एच.डी. के विद्यार्थी आलम किरन कुमार, कोम्मा चन्द्रशेखर रेड्डी; इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी विद्यार्थी सौम्या रेड्डी, कंप्यूटर प्रोगामर लक्ष्मीनिवास राव नेरेसु; प्रौद्योगिकिविद् अर्पणा जिनाता उनमें से कुछेक हैं। यू.एस. में भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश के काफी सारे लोग हैं। वे यू.एस. में उच्च अध्ययन के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बड़ी संख्या में भारतीय न केवल यू.एस. छोड़कर आ रहे हैं अपितु कोई भी भारतीय अमेरिका नहीं जा रहा है। विदेशी विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान कराना यू.एस. प्राधिकरण का दायित्व है। मैं माननीय मंत्री से उन पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा प्रदान करने का अनुरोध करूंगी जो पूरी तरह से अपने मृतक बच्चों पर निर्भर थे।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

इस सम्माननीय सभा के माध्यम से मैं विदेश मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि कुछ तत्वों द्वारा इस प्रकार की बिना सोचे विचारे हत्या को रोकने और भारतीय विशेषकर आंध्र प्रदेश के विद्यार्थियों की रक्षा के लिए यू.एस. सरकार के साथ इस मामले को उठाया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आजादी के महान सपूत मौलाना अली जौहर की स्मृति में हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव ने रामपुर क्षेत्र में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की संघीय बुनियाद 18 दिसम्बर, 2006 को रखी थी, जब वह प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। इस विश्वविद्यालय का नाम आजादी की लड़ाई में योगदान करने वाले जाँबाज सेनापति मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर रखा गया था। जब हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, तब प्रदेश के विधान मंडल में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर की स्थापना हेतु एक बिल पारित किया गया था। उसके बाद महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद वह अधिनियम बन गया था। लेकिन सत्र प्रारंभ करने के लिए सरकार की तरफ से अनुमति पत्र, जिसे अधिकार पत्र कहते हैं, वह विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र को जारी नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद बदले की भावना से मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कैम्पस की चार दीवारी तोड़ दी गई। उस भवन को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है, रामपुर के बच्चे शिक्षित न हो सकें, इसलिए ऐसा कदम उठाया गया है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को अपना शिक्षा सत्र प्रारम्भ करने के लिए अधिकार पत्र की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप केन्द्र की तरफ से प्रदेश सरकार को प्राधिकार पत्र देने का आदेश दें। साथ ही साथ हमारे बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहे हैं चाहे अकलियतों के बच्चे हों, चाहे हिन्दू बच्चे हों, समाज के सारे बच्चों की शिक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि प्रदेश सरकार को प्राधिकार पत्र मिले। लेकिन मौजूदा सरकार प्राधिकार पत्र देने का आदेश देने के लिए राजी नहीं है। हम लोग बहुत चिंतित हैं और अपने बच्चों की शिक्षा का जो हम लोग सपना देख रहे थे। मैं सांसद हूं और बच्चों की शिक्षा का सपना पूरा करने के लिए, प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए, आप आदेश यहां से जारी करें, ताकि जल्दी से जल्दी इस विश्वविद्यालय को शुरू किया जा सके — यह मैं आपसे अनुरोध करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास अधिकार नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : सर, आपके माध्यम से मैं करना चाहती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : यहां से आदेश होगा, तभी वहां होगा। कई सालों से हम इसकी कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बात मैं सरकार तक पहुंचा दूंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा : सर, आपकी डायरेक्शन की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : डायरेक्शन नहीं, पासिंग ऑन।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश के भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता तथा डी जी आर के दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

अब आत्मविश्लेषण और यह सोचने का उपयुक्त समय आ गया है कि क्या हम अपने उन भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा में लगा दिया।

महोदय, समय की मांग को देखते हुए हमने रक्षा मंत्रालय के अधीन पुनर्वास महानिदेशक द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार किया गया था। सभी बड़े सरकारी उपक्रमों को यह निदेश दिया गए थे कि वे सुरक्षा संबंधी रोजगार में इन भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दे।

इनमें से एक बड़े सरकारी उपक्रम, बी एस एन एल, देश के टेलीफोन एक्सचेंजों और मोबाइल टॉवरों की सुरक्षा के लिए इन भूतपूर्व

सैनिकों को सुरक्षा संबंधी रोजगार प्रदान कर रहा है। केरल राज्य में बीएसएनएल प्राधिकारियों ने सुरक्षा गार्ड के रूप में लगभग 4500 भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया था। लेकिन हाल ही में कुछ जिलों विशेषकर पालघाट और पथानामितिथा, में इन भूतपूर्व सैनिक गार्डों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसके कारणों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि कारपोरेट आफिस से इस बात के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बीएसएनएल के कार्यकरण संबंधी खर्चों में कमी की जाए।

अध्यक्ष महोदय : कोई एक मुद्दे पर इतनी देर तक नहीं बोल सकता। इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकती?

श्रीमती पी. सतीदेवी : महोदय, इस मुद्दे को रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए। पलक्कड जिले में केवल 42 लोगों को सेवाएं समाप्त किए जाने का नोटिस जारी किया गया है। डीजीआर के मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह बात साफ-साफ कही गई है कि इन लोगों की नियुक्ति के पश्चात इनके हितों की रक्षा की जाएगी; 58 वर्ष की आयु पूरी होने तक या उनके द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त किए जाने तक उनके रोजगार को समाप्त नहीं किया जा सकता।

बीएसएनएल के प्राधिकारियों का यह रवैया कि बीएसएनएल के खर्चों को कम करने के लिए वे ऐसे कदमों का स्वागत करते हैं, उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद-विवाद नहीं है। आप सभी चीजों को मुद्दा बना रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता? आप केवल इनका उल्लेख कीजिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी : महोदय, इसलिए मैं रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय से इस पर गौर करने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह भी एक कला है। किसी मुद्दे को उठाना भी एक कला है।

श्रीमती पी. सतीदेवी : मैं इन दो मंत्रालयों से इस मुद्दे पर गौर करने और जिन भूतपूर्व-सैनिकों की सुरक्षा गार्ड के रूप में सेवाएं समाप्त की गई हैं, उनको हल करने तथा उनके रोजगार को बनाए रखने का अनुरोध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि श्री हन्नान मोल्लाह के साथ किसी भी तरह से माननीय महिला सांसद जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता लेकिन मैंने उनसे वायदा किया था। इसलिए मैं उन्हें एक या दो मामले उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे धन्यवाद इसलिए दे रहे है क्योंकि मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं सभा और यहां उपस्थित सरकार के नेताओं तथा सं.प्र.ग. की अध्यक्षा, का ध्यान देश के एक भाग में साम्प्रदायिक दंगे फैलाने के लिए रचे जा रहे षड्यंत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह अत्यंत विकट षडयंत्र है। महोदय, जैसाकि आपको पता है कि विश्व में ईसाइयों के सबसे बड़े त्यौहार के दिन उड़ीसा में एक साम्प्रदायिक संगठन ने बंद का ऐलान किया है। 25 दिसम्बर, को एक साम्प्रदायिक संगठन ने बंद का ऐलान किया है। हमें पता है कि कंधमाल सहित देश के विभिन्न भागों में ईसाइयों पर हुए हमलों के कारण साम्प्रदायिक शक्तियां भी बहुत सक्रिय है। हम एक अधिनियम पारित कर रहे हैं। साम्प्रदायिक कृत्यों को भी आतंकवादी कृत्यों में शामिल किया जाए। साम्प्रदायिकता भी एक आतंकवादी कृत्य है...*(व्यवधान)*।

अध्यक्ष महोदय : यह 25 दिसम्बर की एक नई घटना है। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ये आप उनसे विभ्रांत न हों।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। यदि उड़ीसा में बंद का ऐलान किया जाता है तो कंधमाल की तरह राज्य के विभिन्न भागों में ईसाइयों पर हमले हो सकते हैं...*(व्यवधान)* विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, और इन सभी साम्प्रदायिक संगठनों द्वारा उन पर हमले किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को उठा चुके हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : सरकार को इस मामले पर गौर करना चाहिए और इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि उड़ीसा में साम्प्रदायिकता नहीं फैले या उड़ीसा के साम्प्रदायिक सौहार्द में किसी भी प्रकार का खलल न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : अब, शेष मामलों को दिन के आखिर में लिया जाएगा?

अपराह्न 12.50 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

(एक) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऐतिहासिक शहर कालपी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठ की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन-गरौठ में कालपी नगर है, जिसे महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है, यह ऐतिहासिक नगरी है। यहां पर सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड है जो कि पृथ्वी का मध्य माना जाता है। सूर्य ग्रहण पड़ने पर कई विदेशी एवं भारतीय खगोलशास्त्री दूरबीन लगाकर यहां अध्ययन करने आते हैं। यहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया, घटोत्कच का जन्म भी इसी नगर में हुआ था और भीष्म पितामह ने भी यहां पर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। यहां पर कई प्राचीन मंदिर जैसे-पचपंडा देवी, काली का मंदिर, वन खण्डर देवी का मंदिर है। जिसके कारण यहां पर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। स्वतंत्रता संग्राम में कई महापुरूष जैसे चन्द्रशेखर आजाद, वीरांगना लक्ष्मीबाई आदि ने यहां समय व्यतीत किया। सम्राट अशोक ने यहां 84 गुम्बद बनावाये थे। कुतुब मीनार की तर्ज पर लंका भी है।

मेरी केन्द्र से मांग है कि कालपी तहसील के इन ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाये।

(दो) राजस्थान के जोधपुर में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खोले जाने और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर में आई.आई.टी. एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय को खोलने की मांग मैं काफी लंबे समय से कर रहा हूं। जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का सिरमौर है एवं आजादी के समय से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सभी संकाय हैं। पश्चिमी राजस्थान में गरीब, दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं जो शिक्षा के लिए बाहर जाने में असमर्थ है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय वे सभी योग्यताएं रखता है जो आई.आई.टी. एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। कृपया यहां जनहित में आई.आई.टी. एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का आदेश देकर अनुग्रहीत करें।

(तीन) उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, भारत सरकार द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ही उत्तराखंड में स्थित हेमवन्ती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है और इस संबंध में केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 को लोक सभा में दिनांक 23.10.2008 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रारंभ में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक ही विश्वविद्यालय उत्तराखंड विश्वविद्यालय के नाम से स्वीकृत था जिसे बाद में गढ़वाल व कुमाऊं के लिए अलग-अलग किया गया। उत्तराखंड राज्य दो भौगोलिक इकाइयों में बंटा है, एक गढ़वाल दूसरा कुमाऊं। ये दोनों मंडल हैं। दोनों ही विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र अपने-अपने मंडल तक समिति है।

गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का सबने स्वागत किया है लेकिन साथ ही पूरे कुमायूं क्षेत्र की मांग है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये ताकि कुमाऊं क्षेत्र के साथ कोई अन्याय न हो तथा वहां के छात्रों को भी उच्चस्तरीय शिक्षा का लाभ मिल सके।

मैंने इस विषय को दिनांक 23.10.2008 को शून्य-काल में उठाया था तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 में संशोधन कर कुमाऊं विश्वविद्यालय का नाम जोड़ने का अनुरोध भी सरकार से किया है। उत्तराखंड सरकार की ओर से भी इस कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने हेतु प्रधानमंत्री जी व मानव संसाधन मंत्री जी को पत्र दिया गया है। परन्तु, केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिये जाने से क्षेत्र की जनता में तीव्र रोष व्याप्त है।

अत:, मैं मांग करता हूं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये और लंबित विधेयक में आवश्यक संशोधन किया जाये।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(चार) देश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, पशुधन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान भारत के अर्थव्यवस्था, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के पोषण और स्वरोजगार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दुग्ध उत्पादन, अण्डा उत्पादन, मांस उत्पादन एवं कुक्कुट पालन में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कृषि द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कुल योगदान का 30% भाग पशुपालन द्वारा दिया जाता है। पशुपालन एवं पशु उत्पादन का विकास दर 6% से बढ़ रहा है, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के बावजूद कुक्कुट पालन का विकास दर 17% से बढ़ रहा है, जबकि कृषि का विकास दर 2% पर ठहरा है। आज भारत के आम किसान, युवा बेरोजगार पशुपालन को जीवन-यापन का जरिया बना रहे हैं एवं पशुपालन, खेती के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में अपना स्थान ले रहा है।

वर्तमान समाज में देश के आर्थिक विकास, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बेहतर शोध और नये अनुसंधान के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरह भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीवीआर) का गठन करने की आवश्यकता है जो देशहित एवं जनहित में जरूरी है। अत: वर्तमान समय में पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान के प्रति गंभीर होने की आवश्यता है। यही कारण है कि उच्च स्तरीय एवं तकनीकी समितियों द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीवीआर) की स्थापना की संदर्भ में बार-बार जोरदार सिफारिश की गई है ताकि सरकार के पास लंबे समय से लंबित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से स्वतंत्र भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना हो सके।

(पांच) राजस्थान के अजमेर में एक विमानपत्तन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटन एवं शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर रेलवे तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, परन्तु अभी तक हवाई यातायात से जुड़ा हुआ नहीं है। फलस्वरूप देश-विदेश के हजारों पर्यटकों को यहां तक आने-जाने में अत्यधिक असुविधा होती है। इस नगर का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो पा रहा है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि अजमेर में शीघ्र ही हवाई अड्डे की स्थापना कर इसे देश के हवाई यातायात से अविलम्ब जोड़ा जाये।

(छह) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में काजू उद्योग को बचाने के लिए आवश्यक उपाय आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन) : काजू गिरी की गिरती कीमतों के कारण काजू उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण काजू के निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। सरकार द्वारा इस उद्योग को राहत प्रदान करते हुए, आन्तरिक बाजार एवं विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए इस पारम्परिक उद्योग को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि संबंधित पक्षों की बैठक बुलाये और इस उद्योग को बचाने के लिए उचित कदम उठाएं।

(सात) पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रशान्त प्रधान (कोंटई) : जुलाई, 2008 में पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों ने प्रचंड बाढ़ की विभीषिका का सामना किया था। पूर्व मेदिनीपुर जिला में भगवानपुर, पाटनपुर, चांदीपुर, रामनगर, कोंटई पी.एस. क्षेत्र और पश्चिम मेदिनीपुर में सबोंगपिंगला, नारायणगढ़ पी.एस. क्षेत्र भारी वर्षा तथा झारखण्ड द्वारा अचानक अत्यधिक मात्रा में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गये हैं। इन दो जिलों के लोग भारी संकट से जूझ रहे हैं। 50 से अधिक लोग मारे गये हैं और 10 लाख से अधिक कच्चे घर बर्बाद हो गये हैं। सड़कें, ग्रामीण सड़कें तथा संपर्क सड़कें पूरी तरह नष्ट हो गयीं और फसलें बर्बाद हो गयीं। राज्य सरकार पुनर्निर्माण का प्रयास कर रही थी। ऐसा प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक दो वर्ष में एक बार हो रहा है। यदि कालियाघाई, बघाई और कपालेश्वरी नदियों की गाद और कीचड़ निकाल दी जाए तो इस बाढ़ को रोका जा सकता है। इस संबंध में हाल ही में केन्द्र सरकार को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डी.पी.आर. भी भेजी गई थी। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान उपर्युक्त कार्य के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु आकृष्ट करता हूं।

(आठ) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बेतवा नदी के जल के बंटवारे की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव (झांसी) : महोदय, बेतवा नदी के पानी का बंटवारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बीच बहुत पहले

[श्री चन्द्रपाल सिंह यादव]

हुआ था। मध्य प्रदेश अपने पानी का उपयोग नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के बबीना ब्लाक से गुजरने वाली नहरों के पानी को गांव के किसान बहते हुए देख सकते हैं पर उसका उपयोग नहीं कर सकते जिससे बबीना ब्लाक का बहुत बड़ा भूभाग पानी से वंचित है। पानी के अभाव से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। पुराने बंटवारे को निरस्त कर नए बंटवारे की आवश्यकता है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश को बेतवा नदी का पानी किसानों की आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कराया जाये तथा नए सिरे से बंटवारे हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए जायें।

(नौ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्षों से मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकार के साथ हाथ से हाथ मिला कर वहां के राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ एवं मोटोरेबल बनाये रखें। राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति के कारण वहां के पर्यटन उद्योग पर भारी असर पड़ रहा है। साथ ही साथ आवागमन की समस्या हो रही है। बिहार से पूरे नॉर्थ-ईस्ट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों और नेपाल का सीधा संपर्क है। अतः, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाये।

(दस) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण देने वाले वित्तीय संगठनों को कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : वर्ष 2008 की कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना ने किसानों के एक बड़े वर्ग को कृषि ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाया है। किन्तु जमीनी हकीकत यह है कि बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टरों, पावर टिलर तथा अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए भी ऋण लिया है। इसी प्रकार किसानों द्वारा डेयरी इकाइयों और अन्य पशुपालन योजनाओं के लिए भी ऋण लिये गये हैं। वर्ष 2008 की ऋण राहत और ऋण माफी योजना सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक और नाबार्ड पर ही लागू है। किन्तु, सरकार के शीर्ष वित्तपोषण संगठन यथा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम तथा अन्य सरकारी स्वामित्व वाले शीर्ष वित्त संगठन जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के किसानों को वित्त उपलब्ध कराते हैं, उन्हें इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की ऋण जरूरतों को प्रत्यक्षतः पूरा करने वाले राज्य स्तरीय वित्तपोषण संगठन इस योजना के लाभों से वंचित हो गये हैं जिससे बड़ी संख्या में गरीब किसानों तक ऋण माफी का लाभ नहीं पहुंच रहा है। अतएव, यह मेरी पुरजोर अपील है कि देश के सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के कृषकों को मूलरूप से ऋण देने वाले ऐसे सभी वित्तपोषण निकायों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(ग्यारह) असम पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अरूणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना चालू किए जाने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : अरूणाचल प्रदेश और भूटान से असम घाटी होकर बहने वाली उन सभी नदियों के जिन पर जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गयी हैं, प्रभाव का आकलन डाउनस्ट्रीम प्रभाव का आकलन किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। हाल के वर्षों में अरूणाचल प्रदेश सरकार ने असम के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों का कोई आकलन किए बगैर काफी संख्या में निजी कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी है। विगत में, रंगानदी बांध परियोजना के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में न तो मुआवजा दिया गया और न ही बाढ़ के लिए कोई निवारणात्मक उपाय किए गए थे? इस वर्ष जून में इस बांध से अचानक अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण लखीमपुर और बिहपुरिया नगर सहित विशाल डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में तबाही हुई। इस परियोजना के लिए पर्यावरण आकलन करीब 13 वर्ष पहले किया गया था। इसका पुनः आकलन किए जाने की आवश्यकता है। इस अंतराल में अधिकांश नदियों के जलमार्ग में काफी गाद जमा हो गई जिससे उनके मुख्य जलमार्ग बन्द हो गए और उनकी धारा बदल गयी जिससे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को भारी क्षति पहुंची।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रंगानदी बांध परियोजना का प्रचालन जारी रखने की अनुमति देने से पहले इस परियोजना का डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के संबंध में ताजा आकलन कराए। ठीक इसी प्रकार, लोवर सुबनसिरि बांध परियोजना का निर्माण कार्य इसका ताजा आकलन किए जाने तक रोका जाए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अरूणाचल प्रदेश में शुरू की जाने

वाली अन्य सभी स्वीकृत नई बांध परियोजनाओं का आकलन कार्य प्रभावित जनता और असम सरकार से परामर्श करके किया जाए। रंगानदी बांध से डिक्रोंम और रंगानदी में अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से प्रभावित हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(बारह) असम के कारबी-आंगलौंग और नॉर्थ कछार हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बोडो-कछारियों को असम की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) की सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : कारबी-आंगलौंग और नॉर्थ कचार हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बोडो-कछारियों को असम राज्य की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु सहायता किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

10 फरवरी, 2003 को पूर्ववर्ती बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी.एल.टी.) के नेताओं के साथ नए राजनीति समझौते पर हस्ताक्षर करते समय संघ सरकार ने कारबी-आंगलौंग और नार्थ कछार हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बोडो-कछारियों को असम राज्य की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) सूची में शामिल करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने को सहमत हुई थी। मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि पांच वर्षों का लम्बा समय बीत जाने के बावजूद इस संबंध में अब तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं किया गया है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह असम के संबंध में अब और विलम्ब किए बिना कारबी-आंगलौंग और नॉर्थ कछार हिल आटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले बोडो-कछारियों को राज्य की अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) सूची में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए समुचित कदम उठाए और प्रभावी पहल करे।

अपराह्न 12.52 बजे

असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 — *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 23, माननीय मंत्री महोदय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के संबंध में है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। आप इस मामले से सम्बद्ध हैं।

...(व्यवधान)

श्री एल.एन. कृष्णदास (पालघाट) : महोदय, कल आपने मुझे अवसर देने का वादा किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं वादाखिलाफी करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत महत्वपूर्ण विधायी कार्य है। मेरी समझ से इनमें से कुछ को सभी का समर्थन प्राप्त है। हम यह कार्य करें।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक विधान, 'असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008' अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया है। हम माननीय सदस्यों के हस्तक्षेप से लाभान्वित हुए हैं। वाद-विवाद में करीब 35 सदस्यों ने भाग लिया। मैं अहलादित हूं कि इस विधेयक को माननीय सदस्यों की ओर से इतना समर्थन मिला है। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर चर्चा के दौरान प्रभाव डालने का प्रयास करूंगा।

मैं अपने प्रति और मंत्रालय के प्रति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी के सहयोग और मुझे दिए गए मार्गदर्शन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जो बार-बार यह पूछ रही थीं कि हम यह विधेयक संसद में कब ला रहे हैं। मैं इस विधेयक को संसद में लाने में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दर्शायी गई अत्यावश्यकता और उनके मार्गदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.54 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

सर्वप्रथम मैं सभा का ध्यान गरीबों की चिंता के संबंध में महात्मा गांधी के दर्शन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं: उन्होंने कहा था:—

"मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जहां गरीब से गरीब लोग यह महसूस करें कि यह देश और राष्ट्र उनका हैं... मेरे सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज हैं। मुझे यह बात कहने में लेशमात्र भी हिचकिचाहट नहीं है कि जब तक निर्धनतम लोगों को जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की गारंटी नहीं दी जाती तब तक स्वराज की परिकल्पना अधूरी है।"

यह दर्शन भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के हमारे प्रयासों में दिखाई देना चाहिए।

हम असंगठित कामगारों के समक्ष आई समस्याओं को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम समाज के इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति भी सजग है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सरकार की इस प्रतिबद्धता का पता चलता है जिसमें स्पष्टतौर पर कहा गया है:—

"संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार सभी कामगारों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के उन कामगार जो हमारी जनशक्ति का 94 प्रतिशत है, का कल्याण और भलाई सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। बुनकरों, हथकरघा, कामगारों, मछुआरों, और मछुआरिनों, ताड़ी निकालने वाले, चर्मकारों, बागान मजदूरों, बीड़ी कामगारों इत्यादि जैसे कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।"

10 सितम्बर, 2007 को असंगठित सेक्टर कर्मकार सुरक्षा विधेयक, 2008 राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इसे श्रम संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने 3 दिसम्बर, 2007 को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मैं विनम्रतापूर्वक सांताश्री चटर्जी को यह बताना चाहता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि हमने स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार नहीं किया है। वास्तव में हमें इन सिफारिशों से फायदा हुआ हैं इस पर सरकार ने विभिन्न पक्षधरों के साथ कई बार विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के अनुसरण में हमने स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर अनेक संशोधनों को शामिल करते हुए इन संशोधनों को राज्य सभा में पेश किया था। इन संशोधनों में असंगठित क्षेत्र में नियोजित ऐसे असंगठित कामगारों को सम्मिलित करने के मद्देनजर विधेयक का पुनः नामकरण, कतिपय योजनाओं के संबंध में अनिवार्य उपबंध, असंगठित कर्मकारों की परिभाषा को सम्मिलित करना, प्रत्येक योजना में शिकायत निवारण तंत्र का उपबंध, राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों से "सलाहकार" शब्द हटाना कर्मकार सुविधा केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित हैं। इन सरकारी संशोधनों के साथ 23 अक्तूबर, 2008 को यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था।

महोदय, एक बात और कही गई है कि हमने यह विधेयक लाने में देर की है। इस संबंध में मैं सभा के माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सभा और लोक सभा दोनों में इस विधेयक के पारित होने से पहले ही हमने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर देते हुए इस विधेयक को कतिपय लाभों को लागू कर दिया है। हमने सभा में इस विधेयक के पारित होने से पूर्व ही आम आदमी बीमा योजना भी शुरू कर दी है। हमने इस विधेयक के पारित होने से पहले ही देश के गरीब लोगों के लिए पेंशन योजना का लाभ दिया है। इसलिए मैं इस आरोप से इत्तिफाक नहीं रखता कि हमने सभा में यह विधेयक लाने में बहुत देर की है और इसके विपरीत मैं इतना ही कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आपने सभी ग्यारह कार्यक्रमों में बहुत ही चालाकी से कार्य किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री हन्नान मोल्लाह मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इस विधेयक के पारित होने से पहले ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के कल्याण के लिए जो कुछ किया है उसे भी इस विधेयक में रखा है। लेकिन यदि आप इस योजना के लाभार्थियों की संख्या को देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हम पांच वर्षों की आवधि में 30 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान करेंगे। यह कोई मामूली संख्या नहीं है। विश्व में कहीं भी ऐसी योजना को स्वीकृति नहीं दी गई है जबकि हम ऐसी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

योजना लागू कर रहे हैं। हम लाभार्थियों को 10 लाख कार्ड पहले ही जारी कर चुके हैं। यह एक बड़ी शुरूआत है...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : कुल संख्या कितनी है?...*(व्यवधान)*

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : प्रत्येक वर्ष की कुल संख्या एक करोड़ बीस लाख परिवार हैं अर्थात छह करोड़ लोग हैं। हमने केवल यही काम नहीं किया है। इसके अतिरिक्त हम 75 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जबकि 25 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। उत्तर-पूर्वी राज्य सरकारों को मात्र 1.0 प्रतिशत प्रीमियम का अंशदन करना है। अत: यह योजना केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के तालमेल से लागू हो गई हैं। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के बिना, मैं आपको यह आश्वासन नहीं दे सकता कि थोड़े समय के भीतर ही पूरी योजना को लागू कर दिया जाएगा। हमें राज्य सरकारों का सहयोग मिलना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि हम इस विधेयक के माध्यम से ही यह कार्य असंगठित क्षेत्र के लिए नहीं कर रहे हैं। अपितु, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी उनके लिए एक योजना है। हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री यहां उपस्थित हैं। यह योजना भी असंगठित कर्मकारों के लिए ही है। हम सौ दिनों का गारंटी शुदा रोजगार देकर कर्मकारों को 10,000 रुपए दे रहे हैं। यह एक सहस्राब्दि कार्यक्रम है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अतिरिक्त यदि आज संसद इस बिल को पारित कर देती है तो मैं यह बात कह सकता हूं कि इस देश के संपूर्ण लोगों के लिए संसद द्वारा पारित यह योजना सहस्राब्दि योजना बन सकती है। यहां तक कि एनसीईयूएस ने कहा है कि बहुत से लोगों के लिए हमारे लोगों की प्रति व्यक्ति औसत आय बीस रुपये प्रतिदिन है।

अपराह्न 1.00 बजे

जब हमारे लोगों की आय 20 रुपये है, हमारी संसद ने इस विधेयक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के हमारे लोगों को प्रतिदिन दो डॉलर की आय प्रदान की है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मुझे काम चाहिए। आपको प्रतिदिन दो डॉलर का काम मिल जाता है। यह कितनी अधिक वृद्धि हैं, 20 रुपये से 80 रुपये तथा दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब जैसे राज्यों में 135 रुपये है। यह एक क्रांतिकारी बात है। इसमें कुछ खामियां हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें खामियां नहीं हैं। लेकिन एक साथ हम सब लोगों को काम नहीं दे सकते हैं। यदि हमें सभा के सदस्यों की सलाह एवं समर्थन का लाभ मिलता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही कम समय में हम असंगठित क्षेत्र में लोगों के प्रत्येक वर्ग को शामिल करने का प्रयास करेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों श्री रेड्डी, श्री चटर्जी तथा श्री हन्नान मोल्लाह से अपील करना चाहता हूं कि वे कृपया अपने संशोधन वापस ले लें ताकि हम यह विधेयक पारित कर सकें तथा यह देखें कि इसका लाभ अतिशीघ्र लोगों को मिले तथा इस देश के लोगों का सपना साकार हो सके।

हम इस पर पिछले 60 वर्षों से चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि हम इस पर पिछले 60 वर्षों से चर्चा कर रहे हैं फिर भी हमने पहला कदम नहीं उठाया है। आज हमने न केवल पहला कदम उठाया है अपितु यह इस देश में लोगों की मुश्किलों को दूर करने में सबसे बड़ा कदम हैं।

महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए तथा इसे पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2 परिभाषाएं

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह ने संशोधन संख्या 1 दिया है। क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 3, पंक्ति 22,—

"*असंगठित क्षेत्र*", *के पश्चात*

"कृषि सेक्टर सहित" *अंत:स्थापित* किया जाए। (1)

आपकी अनुमति से मैं एक वाक्य कहना चाहता हूं। महोदय, आप जानते ही हैं कि मैं इस विधेयक के लिए संसद में गत 27 वर्षों से लड़ रहा हूं। वर्ष 1980 के बाद से प्रतिवर्ष मैं इस विधेयक के लिए लड़ता आ रहा हूं। अब जब यह विधेयक आ गया है तो मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं।

सभापति महोदय : क्या आपने संशोधन पेश कर दिया है?

श्री हन्नान मोल्लाह : इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि हमने दो अलग-अलग अधिनियमों की मांग की है। श्री अर्जुन सेनगुप्त समिति ने भी सिफारिश की थी कि दो अलग-अलग, अधिनियम होने चाहिए – एक असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तथा दूसरा कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए। लेकिन एक अकेला विधेयक ही तैयार किया गया है तथा इसमें दिखावा ज्यादा है। इसके नामकरण के बारे में बहुत सी बाते गैर-सरकारी विधेयकों से ली गई हैं लेकिन उक्त विधेयक की विषय वस्तु को ठीक से नहीं लिया गया है। इस कारण ही मैं चाहता हूं कि कम से कम "कृषि क्षेत्र" का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए। मैं मांग करता हूं कि इसका विशेषरूप से उल्लेख किया जाए।

श्री ऑस्कर फर्नान्डीस : महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि 'असंगठित कामगार' का अर्थ देश में उस प्रत्येक कामगार से है जो कि संगठित क्षेत्र में नहीं है। मैंने अपने 94 प्रतिशत लोगों का उल्लेख किया हैं जिसमें प्रत्येक कृषक शामिल है। विशेष रूप से, मैं कहना चाहता हूं कि प्रवासी कामगार वह जो 150 दिन कृषि कार्य करता है तथा वह शहर चला जाता है तथा वहां वह मिस्त्री या असंगठित कामगार के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस विधेयक में असंगठित क्षेत्रों के सभी कामगारों को शामिल किया गया है। कृषि कामगार भी इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह इस संशोधन को वापस ले लें क्योंकि हमने कृषकों सहित सभी वर्गों को शामिल कर लिया है।

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, क्या आप अपना संशोधन वापस लेने जा रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह : मैं इस संशोधन पर मतदान कराने के लिए जोर नहीं दे रहा हूं। मैं अपने तीसरे संशोधन पर मतदान कराने के लिए जोर दूंगा तथा पहले एवं दूसरे संशोधन के लिए मतदान कराने पर जोर नहीं दूंगा।

सभापति महोदय : आप यह प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : श्री सांताश्री चटर्जी, श्री बसुदेव आचार्य तथा श्री हन्नान मोल्लाह ने संशोधन संख्या 2 दिया है।

श्री सांताश्री चटर्जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 62, पंक्ति 28,–

"दस से कम", के *पश्चात*

"और कृषि की दशा में", भूधारिता दो हेक्टेयर से कम हो"
"*अंतःस्थापित* किया जाए।" (2)

सभापति महोदय : अब मैं श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब श्री सांताश्री चटर्जी संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करेंगे।

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 2 में, पंक्ति 29 से 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

> "(ङ) असंगठित कर्मकार से अभिप्रेत है असंगठित सेक्टर कर्मकार और इसमें संगठित सेक्टर के कर्मकार, जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विद्यमान विधियों द्वारा संरक्षित नहीं है, भी सम्मिलित होंगे।
>
> *स्पष्टीकरण:* इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, असंगठित कर्मकारों में कर्मकारों का कोई वर्ग जैसे आंगनवाड़ी कर्मकार जो संगठित सेक्टर या असंगठित सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विद्यमान विधियों के अंतर्गत नहीं आते या उनके द्वारा संरक्षित या लाभान्वित नहीं होते, भी सम्मिलित होंगे।" (3)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस संशोधन के लिए मैंने भी नाम दिया है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब श्री हन्नान मोल्लाह संशोधन संख्या 4, 5 तथा 6 प्रस्तुत करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 से 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(ड) 'असंगठित कर्मकार' से अभिप्रेत है कृषि सेक्टर, कर्मकार, बंटाईदार सहित असंगठित सेक्टर कर्मकार और इसमें संगठित सेक्टर के कर्मकार, जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विद्यमान विधियों द्वारा संरक्षित नहीं है, भी सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण: इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, असंगठित कर्मकारों में कर्मकारों का कोई वर्ग जैसे आंगनवाड़ी कर्मकार जो संगठित सेक्टर या असंगठित सेक्टर में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विद्यमान विधियों के अंतर्गत नहीं आते या उनके द्वारा संरक्षित या लाभान्वित नहीं होते, भी सम्मिलित होंगे।" (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,–

"घरेलू कर्मकारों" के पश्चात्,
"और कृषि मजदूरों" अंत:स्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 37,–

"मासिक" के पश्चात्,
"या दैनिक" अंत:स्थापित किया जाए। (6)

सभापति महोदय : अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 4, 5 तथा 6 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, सभी इसके पक्ष में हैं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी, क्या आप संशोधन सं. 12, 13, 14 तथा 15 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा) : महोदय, मैं संशोधनों के लिए आग्रह करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 2, पंक्ति 2,–

"व्यक्ति" से पहले,
"नैसर्गिक या विधिक" अंत:स्थापित किया जाए। (12)

पृष्ठ 2, पंक्ति 8,–

"जिला प्रशासन" के पश्चात्,
"या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य निकाय" अंत:स्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 2, पंक्ति 24,–

"कृषि योग्य भूमि" से पहले
"दो हेक्टेयर से अनधिक" अंत:स्थापित किया जाए। (14)

पृष्ठ 2, पंक्ति 30,–

"शामिल है" से पहले
"जिसमें आंगनवाड़ी कर्मकार और सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कार्यरत अन्य स्वैच्छिक कार्यकर्ता भी" अंत:स्थापित किया जाए। (15)

सभापति महोदय : अब मैं श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 12, 13, 14 तथा 15 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैंने मत-विभाजन की मांग की थी। ऐसा कैसे हो सकता है?...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)* जब एक सदस्य संशोधन के लिए आग्रह कर रहा है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं?...*(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने मत-विभाजन के लिए आग्रह किया था।

श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड) : महोदय, उन्होंने मत-विभाजन की मांग की थी...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैंने इसपर मत-विभाजन की मांग की है...*(व्यवधान)* आप अगले संशोधन के लिए कैसे कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

खण्ड 3 योजना तैयार करना

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। संशोधन सं. 7, 8 तथा 9 प्रस्तुत करने के लिए अगला नाम श्री सांताश्री चटर्जी का है।

...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 3, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,—

"1(क) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के अतिरिक्त इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर सभी असंगठित सेक्टर/असंगठित कर्मकारों को निम्नलिखित राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रदान करेगी:—

(i) कर्मकारों की नैसर्गिक या दुर्घटना मृत्यु के लिए निम्नलिखित रीति से जीवन और नि:शक्तता कवर—

(क) समाप्ति तारीख से पूर्व नैसर्गिक मृत्यु होने पर, तीस हजार रुपए;

(ख) दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर पचहत्तर हजार रुपए;

(ग) दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण नि:शक्त होने पर पचहत्तर हजार रुपए;

(घ) दुर्घटना के कारण दो आंखें या दो अंगों या एक आंख और एक अंग की हानि पर पचहत्तर हजार रुपए; और

(ङ) एक आंख या एक अंग की हानि पर, सैंतीस हजार पांच सौ रुपए।

(ii) स्वयं, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निम्नानुसार स्वास्थ्य प्रसुविधा तथा महिला कर्मकारों या पुरुष कर्मकारों की पत्नी के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं—

(क) असंगठित कर्मकार और उसके परिवार (पांच की इकाई) के लिए एक परिवार फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000/- रुपए की कुल बीमाकृत राशि सहित कवर;

(ख) सभी शामिल रोगों के लिए नि:शुल्क परिचर्या;

(ग) सर्वाधिक सामान्य रोगों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च;

(घ) सभी पूर्व विद्यमान रोगों के लिए कवरेज; और

(ङ) महिला कर्मकारों या पुरुष कर्मकारों की पत्नी के लिए दो बच्चों तक प्रति गर्भधारण घर पर प्रसूति प्रसुविधा के लिए 500/- रुपए और निम्न निष्पादनकारी राज्यों में संस्थागत प्रसूति के लिए 1000/- रुपए (ग्रामीण क्षेत्रों में) और 1400/- रुपए (शहरी क्षेत्रों में); और उच्च निष्पादनकारी राज्यों में 600/- रुपए (ग्रामीण क्षेत्रों में) और 700/- रुपए (शहरी क्षेत्रों में); और

(iii) 60 वर्ष से अधिक आयु के असंगठित कर्मकारों के लिए न्यूनतम 200/- रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण:

परंतु यह कि उपर्युक्त लाभों के मूल्य में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में संशोधन किया जाएगा।"। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 में,—

"उप-धारा (1)" के पश्चात्,

"और उप-धारा (1क)" अंत:स्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 10 में,—

"समझा जाएगा" के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

"और जिसमें सभी असंगठित कर्मकार सम्मिलित होंगे और इसे 'गरीबी रेखा से नीचे' श्रेणी तक सीमित नहीं रखा जाएगा।" (9)

सभापति महोदय : अब मैं, श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 7, 8 और 9 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरे विचार में "पक्ष में" निर्णय हुआ है। हम इसपर मत-विभाजन चाहते हैं।

सभापति महोदय : क्या आप मत-विभाजन की मांग कर रहे हैं?

श्री पी. करुणाकरन : जी हां, हम सब इस पर मत-विभाजन की मांग करते हैं।

सभापति महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अपराह्न 1.11 बजे

[*अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, दीर्घाएं खाली कर दी गयी हैं। मैं प्रश्न मतदान के लिए रखता हूं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण यह कोई तरीका नहीं है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ, 3, पंक्ति 8 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

"1(क) केंद्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के अतिरिक्त इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर सभी असंगठित सेक्टर/असंगठित कर्मकारों को निम्नलिखित राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रदान करेगी:—

(i) कर्मकारों की नैसर्गिक या दुर्घटना मृत्यु के लिए निम्नलिखित रीति से जीवन और नि:शक्तता कवर—

(क) समाप्ति तारीख से पूर्व नैसर्गिक मृत्यु होने पर, तीस हजार रुपए;

(ख) दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर पचहत्तर हजार रुपए;

(ग) दुर्घटना के कारण स्थायी पूर्ण नि:शक्त होने पर पचहत्तर हजार रुपए;

(घ) दुर्घटना के कारण दो आंखें या दो अंगों या एक आंख और एक अंग की हानि पर पचहत्तर हजार रुपए; और

(ङ) एक आंख या एक अंग की हानि पर, सैंतीस हजार पांच सौ रुपए।

(ii) स्वयं, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निम्नानुसार स्वास्थ्य प्रसुविधा तथा महिला कर्मकारों या पुरुष कर्मकारों की पत्नी के लिए प्रसूति प्रसुविधाएं—

(क) असंगठित कर्मकार और उसके परिवार (पांच की इकाई) के लिए एक परिवार फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000/- रुपए की कुल बीमाकृत राशि सहित कवर;

(ख) सभी शामिल रोगों के लिए नि:शुल्क परिचर्या;

(ग) सर्वाधिक सामान्य रोगों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च;

(घ) सभी पूर्व विद्यमान रोगों के लिए कवरेज; और

(ङ) महिला कर्मकारों या पुरुष कर्मकारों की पत्नी के लिए दो बच्चों तक प्रति गर्भधारण घर पर प्रसूति प्रसुविधा के लिए 500/- रुपए और निम्न निष्पादनकारी राज्यों में संस्थागत प्रसूति के लिए 1000/- रुपए (ग्रामीण क्षेत्रों में) और 1400/- रुपए (शहरी क्षेत्रों में); और उच्च निष्पादनकारी राज्यों में 600/- रुपए (ग्रामीण क्षेत्रों में) और 700/- रुपए (शहरी क्षेत्रों में); और

(iii) 60 वर्ष से अधिक आयु के असंगठित कर्मकारों लिए न्यूनतम 200/- रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण:

परंतु यह कि उपर्युक्त लाभों के मूल्य में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष में संशोधन किया जाएगा।"। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 9 में,—

"उप-धारा (1)" के पश्चात्,

"और उप-धारा (1क)" अत:स्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 10 में,—

"समझा जाएगा" के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए:—

"और जिसमें सभी असंगठित कर्मकार सम्मिलित होंगे और इसे 'गरीबी रेखा से नीचे' श्रेणी तक सीमित नहीं रखा जाएगा।" (9)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत-विभाजन संख्या-1 पक्ष में अपराह्न 1.18 बजे

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजय कुमार, श्री एस.

अनंत कुमार, श्री

*अप्पादुरई, श्री एम.

अर्गल, श्री अशोक

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

*आदिकेसवुलु, श्री डी.के.

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

ओराम, श्री जुएल

करूणाकरन, श्री पी.

कुरूप, एडवोकेट सुरेश

*कृष्णदास, श्री एन.एन.

*कृष्णन, डा. सी.

खंडेलवाल, श्री हेमन्त

खां, श्री सुनील

खैरे, श्री चंद्रकांत

गंगवार, श्री संतोष

गीते, श्री अनंत गंगाराम

चक्रवर्ती डा. सुजान

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी.के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री बंसगोपल

*चौबे, श्री लाल मुनी

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

डोम, डा. रामचन्द्र

*ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह

तोपदार, श्री तरित बरण

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

दास, डा. अलकेष

दास, श्री खगेन

देव, श्री बिक्रम केशरी

नन्दी, श्री अमिताभ

*नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्रीमती अर्चना

*पंडा, श्री ब्रह्मानन्द

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई

परांजपे, श्री आनंद

पटिसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

*पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर.

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाल, श्री रूपचंद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री सुकदेव

*प्रधान, श्री प्रशान्त

बर्मन, प्रो. बसुदेव

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बेल्लारमिन, श्री ए.वी.

बोस, श्री सुब्रत

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मनोज, डा. के.एस.

महताब, श्री भर्तृहरि

मान, श्री जोरा सिंह

मिडियम, डा. बाबू राव

मुर्मु, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

राजेन्द्रन, श्री पी.

*राधाकृष्णन, श्री वरकला

रावले, श्री मोहन

रियान, श्री बाजू बन

*रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

लाहिरी, श्री समिक

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.

*शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील

शुक्ला, श्रीमती करूणा

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सर, श्री निखिलानन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सत्पथी, श्री तथागत

सलीम, मोहम्मद

साय, श्री नन्द कुमार

साय, श्री विष्णु देव

सिंह, श्री उदय

*सिंह, श्री लक्ष्मण

*सिंह, श्री सुग्रीव

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी

सील, श्री सुधांशु

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा

*सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

*हमजा, श्री टी.के.

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अंसारी, श्री फुरकान

*अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, डा. शकील

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

कलमाडी, श्री सुरेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.

कामत, श्री गुरुदास

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती परनीत

खारवेनथन, श्री एस.के.

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गिल, श्री आत्मा सिंह

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

पुरन राम, श्री

चालिहा, श्री किरिप

*चित्तन, श्री एन.एस.वी.

*चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह

चौरे, श्री बापू हरी

*जयाप्रदा, श्रीमती

*जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर.एल.

जिन्दल, श्री नवीन

तुम्मर, श्री वी.के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

डेलकर, श्री मोहन एस.

तंगबालु, श्री के.वी.

*तस्लीमुद्दीन, श्री

दत्त, श्रीमती प्रिया

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देवरा, श्री मिलिन्द

धनराजु, डा. के.

*निखिल कुमार, श्री

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पल्लानी शानी, श्री के.सी.

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पाटील, श्री प्रतीक पी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पायलट, श्री सचिन

पासवान, श्री वीरचन्द्र

बब्बर, श्री राज

*बर्क, डा. शफीकुर्रहमान

*बहुगुणा, श्री विजय

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बारकु, श्री शिंगाडा दामोदर

*बालू श्री टी.आर.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

*मुखर्जी, श्री प्रणब

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मूर्ति, श्री ए.के.

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यास्खी, श्री मधु गौड

रंजन, श्रीमती रंजीत

राजा, श्री ए.

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी

रानी, श्रीमती के.

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

राव, श्री के.एस.

राव, श्री डी. विट्टल

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

*रेड्डी, श्री ए. इंद्र करण

*रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

विजयन, श्री ए.के.एस.

*विरूपाक्षप्पा, श्री के.

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार

शर्मा, डा. अरविन्द

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

*शिवन्ना, श्री एम.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शैलेन्द्र कुमार, श्री

सरोज, श्री तूफानी

*सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

*सिंह, श्री गणेश प्रसाद

*सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्री सूरज

सिंह, श्रीमती प्रतिभा

सिब्बल, श्री कपिल

सुग्गवनम, श्री ई.जी.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई.

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। अब पर्चियां एकत्रित की जा रही हैं। कुछ सदस्यगण पर्चियों का उपयोग कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि या तो वे अपना स्थान ग्रहण करें अथवा सभा से बाहर चले जाएं।

श्री शिवन्ना और श्री तोपदार, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :–

पक्ष में : 90

विपक्ष में : 107

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सांताश्री चटर्जी, क्या आप अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी : महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। और यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 3 पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,–

"(3) केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा 1क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के खर्चों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का सृजन करेगी।"। (10)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

पृष्ठ 3 पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,–.

"(3) केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा 1क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के खर्चों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का सृजन करेगी।"। (10)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हम मत-विभाजन चाहते हैं।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदय, दीर्घाएं खोल दी गई हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्लियरली ओपन नहीं होता है, ओपन करने के बाद क्लियर होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए, आप क्या करेंगे? आएंगे, फिर वोट होगा।

[अनुवाद]

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:–

पृष्ठ 3 पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए,–

"(3) केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा 1क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम

---

*पक्ष में 72 + सर्वश्री एम. अप्पादुरई, डी.के. आदिकेसवुलु, लाल मुनी चौबे, सुखदेव सिंह ढींडसा, टी.के. हमज़ा, एन.एन. कृष्णदास, डा. सी. कृष्णन, श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे, श्री ब्रह्मानन्द पंडा, प्रबोध पाण्डा, बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल), प्रशान्त प्रधान, वरकला राधाकृष्णन, सुरवरम सुधाकर रेड्डी, लक्ष्मण सेठ, अधलराव पाटील शिवाजीराव, लक्ष्मण सिंह तथा सुग्रीव सिंह ने पर्ची के माध्यम के माध्यम से मतदान किया = 90

विपक्ष में 89 + सर्वश्री धनुषकोडी आर. अतिथन, टी.आर. बालू, विजय बहुगुणा, डा. शफीकुर्रहमान बर्क, सर्वश्री पी. चिदम्बरम, एन.एस.वी. चित्तन, श्रीप्रकाश जायसवाल, श्रीमती जयाप्रदा, सर्वश्री प्रणब मुखर्जी, निखिल कुमार, ए. इंद्र करण रेड्डी, एन. जनार्दन रेड्डी, फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना, एम. शिवन्ना, गणेश प्रसाद सिंह, रेवती रमन सिंह, तस्लीमुद्दीन तथा के. विरूपाक्षप्पा ने पर्ची से मतदान किया = 107

सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के खर्चों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण निधि का सृजन करेगी।"। (10)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-2 पक्ष में अपराह्न 1.44 बजे

अजनाला, डा. रतन सिंह

अजय कुमार, श्री एस.

अनंत कुमार, श्री

अप्पादुरई, श्री एम.

अर्गल, श्री अशोक

अहीर, श्री हंसराज ग.

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

ओराम, श्री जुएल

कनोडीया, श्री महेश

करूणाकरन, श्री पी.

कुरूप, एडवोकेट सुरेश

*कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कृष्णन, डा. सी.

खंडेलवाल, श्री हेमन्त

खां, श्री सुनील

खैरे, श्री चंद्रकांत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गंगवार, श्री संतोष

गढ़वी, श्री पी.एस.

गीते, श्री अनंत गंगाराम

चक्रवर्ती डा. सुजान

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी.के.

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चौधरी, श्री बंसगोपल

*चौबे, श्री लाल मुनी

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जावले, श्री हरिभाऊ

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

डोम, डा. रामचन्द्र

तोपदार, श्री तरित बरण

त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

दास, डा. अलकेष

दास, श्री खगेन

देव, श्री बिक्रम केशरी

नन्दी, श्री अमिताभ

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्रीमती अर्चना

पंडा, श्री ब्रह्मानन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पटेल, श्री हरिलाल माधवजी भाई

पटैरिया, श्रीमती नीता

परांजपे, श्री आनंद

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौडा आर.

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डा, श्री प्रबोध

पॉल, डा. सिबैस्टियन

पाल, श्री रूपचंद

पासवान, श्री सुकदेव

प्रधान, श्री अशोक

प्रधान, श्री प्रशान्त

बर्मन, प्रो. बसुदेव

बसु, श्री अनिल

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बेल्लारमिन, श्री ए.वी.

बोस, श्री सुब्रत

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंडल, श्री अबु अयीश

मनोज, डा. के.एस.

महताब, श्री भर्तृहरि

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

मान, श्री जोरा सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिडियम, डा. बाबू राव

मुर्मु, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

राजेन्द्रन, श्री पी.

राधाकृष्णन, श्री वरकला

रावत, प्रो. रासा सिंह

रावले, श्री मोहन

रिजीजू, श्री कीरेन

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

लाहिरी, श्री समिक

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.

शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील

शुक्ला, श्रीमती करूणा

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सर, श्री निखिलानन्द

सत्पथी, श्री तथागत

सलीम, मोहम्मद

साय, श्री नन्द कुमार

साय, श्री विष्णु देव

सिंह, श्री उदय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*सिंह, श्री कल्याण

*सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्री सरताज

*सिंह, श्री सुग्रीव

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी

सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन

सील, श्री सुधांशु

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

*हमज़ा, श्री टी.के.

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

अंसारी, श्री फुरकान

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, डा. शकील

अहमद, श्री ई.

*आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

कलमाडी, श्री सुरेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कादर मोहिद्दीन, प्रो. के.एम.

कामत, श्री गुरूदास

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती परनीत

खारवेनथन, श्री एस.के.

गणेशन, श्री एल.

गमांग, श्री गिरिधर

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गिल, श्री आत्मा सिंह

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

घुरन राम, श्री

*चन्द्र कुमार, प्रो.

चालिहा, श्री किरिप

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्री अधीर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौरे, श्री बापू हरी

जयाप्रदा, श्रीमती

जालप्पा, श्री आर.एल.

जिन्दल, श्री नवीन

झा, श्री रघुनाथ

डांगावास, श्री भंवर सिंह

डेलकर, श्री मोहन एस.

तंगबालु, श्री के.वी.

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

दत्त, श्रीमती प्रिया

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देवरा, श्री मिलिन्द

धनराजू, डा. के.

निखिल कुमार, श्री

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पल्लानी शामी, श्री के.सी.

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पाटील, श्री प्रतीक पी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता

पायलट, श्री सचिन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री वीरचन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

प्रसाद, कुंवर जितिन

*बंसल, श्री पवन कुमार

*बब्बर, श्री राज

बहुगुणा, श्री विजय

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बालू श्री टी.आर.

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

भूरिया, श्री कांति लाल

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मूर्ति, श्री ए.के.

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री मित्रसेन

*यादव, श्री राम कृपाल

यास्खी, श्री मधु गौड

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रंजन, श्रीमती रंजीत

रघुपति, श्री एस.

रंठवा, श्री नारनभाई

राजा, श्री ए.

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी

राणा, श्री रबिन्दर कुमार

रानी, श्रीमती के.

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

राव, श्री के.एस.

राव, श्री डी. विट्टल

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

*रेड्डी, श्री ए. इंद्र करण

रेड्डी, श्री ए. जनार्दन

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

लालू प्रसाद, श्री

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विरूपाक्षप्पा, श्री के.

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

वेलु, श्री आर.

शर्मा, डा. अरविन्द

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*शिवन्ना, श्री एम.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

शैलेन्द्र कुमार, श्री

सज्जन कुमार, श्री

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोष्मी

साहु, श्री चंद्रशेखर (ब्ररहामपुर)

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्री सूरज

सिंह, श्रीमती प्रतिभा

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सेल्वी, श्रीमती वी. राधिका

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

हनुमनथप्पा, श्री एन.वाई.

हर्ष कुमार, श्री जी.वी.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:-

'पक्ष में' - 106

'विपक्ष में' - 126

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधाकर रेड्डी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 33,-

"योजना को" **के पश्चात्**

"समयबद्ध और लक्षित रीति से" **अंत:स्थापित** किया जाए। (16)

संशोधन प्रस्तुत हुआ तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,–

"असंगठित" से पहले

"मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मजदूर संघों द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले" अंत:स्थापित किया जाए। (17)

पृष्ठ 4, पंक्ति 15,–

"पांच" से पहले

"चक्रानुक्रम से" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

पृष्ठ 4, पंक्ति 31,–

"केन्द्रीय सरकार को असंगठित कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमों की सिफारिश करना" **के स्थान पर**

"असंगठित कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करना" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (19)

पृष्ठ 5, पंक्ति 2,–

"पुनर्विलोकन करना" **के पश्चात्**

"और यह सुनिश्चित करना कि सभी अर्ह असंगठित कर्मकारों को समयबद्ध रीति से पहचान पत्र जारी किए गए हैं" **अंत:स्थापित** किया जाए। (20)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सुखरम रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किए गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 5, पंक्ति 35,–

"राज्य सरकार को असंगठित सेक्टर कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के उपयुक्त स्कीम तैयार करने में सिफारिश करना" **के स्थान पर**

"असंगठित सेक्टर कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करना" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (21)

*पक्ष में 106 + सर्व श्री लालमुनी चौबे, टी.के. हमजा, डा. रामकृष्ण कुसमरिया, श्री कल्याण सिंह, और श्री लक्ष्मण सिंह ने भी पर्ची के माध्यम से अपना मत दान किया = 111

विपक्ष में 126 + सर्व श्री जे.एम. आरून रशीद, राज बब्बर पवन कुमार बंसल, प्रो. चन्द्र कुमार, डा. राजेश मिश्र सर्व श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी, एम. शिवन्ना और राम कृपाल यादव ने भी पर्ची के माध्यम से अपना मत दान किया = 134

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 राज्य सरकार की योजनाओं का वित्तपोषण

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 6, पंक्ति 16,—

"प्रदान कर सकेगी" के पश्चात्

"और इस प्रयोजनार्थ परिक्रामी निधि सृजित कर सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (22)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित नहीं हैं कि 'हां' कहा जाय या 'नहीं'?

(व्यवधान)

खंड 11 केन्द्र सरकार की निदेश देने की शक्ति

अध्यक्ष महोदय : श्री सांताश्री चटर्जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री सांताश्री चटर्जी : हां, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:—

पृष्ठ 7, पंक्ति 11 में,—

"और निदेश दे सकेगी" के पश्चात्

निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए—

"और प्रवासी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी गारंटी, आवासन और शिक्षा सहायता सहित एक विशेष स्कीम तैयार करने के निदेश भी दे सकेगी।"। (11)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सांताश्री चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या 11 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची I और II विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री गुरूदास दासगुप्त : "यथा संशोधित।"

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : संशोधन कहां हैं?

अध्यक्ष महोदय : श्री ऑस्कर फर्नांडीस अभी भी श्री दासगुप्त को अपना मित्र मानते हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:--

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खोल दी जाएं।

अपराह्न 1.48 बजे

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008*
और
विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में अगली मद पर विचार किया जाएगा जो कि मेरी समझ से बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि विपक्ष के नेता भी यहां उपस्थित हैं।

इससे पहले कि हम लोक सभा में यथा पुर:स्थापित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 पर विचार करें और उसे पारित करें, मुझे सभा को सूचित करना है कि इस विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर विचार हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश की सूचना दी है।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, यदि आप इससे सहमत हों तो मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2008 इन दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जाए क्योंकि ये एक-दूसरे से मिलते-जुलते विधेयक है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदन सहमत है।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री पी. चिदम्बरम : सांझी चर्चा की जा सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, चर्चा सांझी होगी किन्तु इन्हें अलग अलग पारित किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : उन्हें परिचालित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कर दिया जाएगा। आतंकवादी नोटिस देकर नहीं आते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : 13 नवम्बर, 2008 को हुई सर्वदलीय बैठक तथा इस सभा में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से हुए परामर्श के पश्चात् हम ये दो महत्वपूर्ण विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आज का दिन समाप्त होने तक हम दोनों विधेयकों का कार्य पूरा कर लेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 1.49 बजे

[**श्री अर्जुन सेठी** *पीठासीन हुए*]

महोदय मैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए कुछ मिनट का समय लेना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य बोलते समय अपना बहुमूल्य सुझाव दे सकें। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 का उद्देश्य एक ऐसे अन्वेषण अभिकरण की स्थापना करना है जो मात्र आठ विधियों से संबंधित मामलों से निपटेगा। मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण है। यह ऐसा अभिकरण नहीं है जो सभी कानूनों के विरूद्ध हुए अपराधों से निपटेगा। यह केवल आठ विधियों से संबंधित है और ये आठ विधियां अनुसूची में उल्लिखित हैं।

दूसरे, जो अभिकरण स्थापित होने जा रहा है वह केन्द्र सरकार के अंतर्गत स्थापित होगा। अध्याय तीन में हमने प्रक्रिया निर्धारित की है जो ऐसे अपराधों की जांच के लिए राज्य सरकारों की प्राथमिक जवाबदेही को मानती है किन्तु केवल विशिष्ट परिस्थितियों में अधिकार

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपने हाथों में लेती है। इन आठ विधियों में से किसी एक के संदर्भ में जब अपराध की सूचना किसी पुलिस स्टेशन में प्राप्त होती है तो यह सूचना पहले राज्य सरकार को दी जाएगी और राज्य सरकार इसे केन्द्र सरकार के पास भेजेगी।

केन्द्र सरकार को पंद्रह दिनों के भीतर अपराध की गंभीरता तथा अन्य प्रासंगिक कारकों यह महत्वपूर्ण बात है और जिनका उल्लेख हम नियमों में करेंगे के मद्देनजर यह निर्णय लेना होगा कि एनआईए द्वारा यह मामला लिये जाने के योग्य है अथवा नहीं। यदि केन्द्र सरकार एनआईए को मामला नहीं सौंपती तो वह मामला राज्य सरकार के पास रहेगा। किन्तु यदि केन्द्र सरकार एनएआई को मामला सौंपने का निर्णय लेती है केवल तभी एनआईए मामले को लेगा। मामले का अन्वेषण शुरू करने के बाद यह बेहद महत्वपूर्ण खंड है जिसमें ऐसा करना समीचीन है कि- एनआईए राज्य सरकार को अन्वेषण के साथ जुड़ने को कहेगी। वस्तुतः कई मामलों में मैं अपेक्षा करता हूं कि एनआईए राज्य सरकार से जांच में जुड़ने को कहेगी अथवा मामले की जांच करने के बाद यदि एनआईए को लगता है है कि यह मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच की जा सकती है, यह राज्य अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच किये जाने के लिए राज्य को मामला वापस सौंप सकता है। अतः हमने अधिक महत्वपूर्ण मामलों के अन्वेषण का राज्य सरकार के अधिकार तथा केन्द्र सरकार के दायित्वों के बीच एक संतुलन बिठाया है।

महोदय, हमने विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी निर्णय लिया है। इस विशेष न्यायालय का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विशेष न्यायालय में न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नामित किया जाएगा। न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद हमने कहा है कि न्यायाधीश की अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करना मुकदमा जारी रखने में रूकावट नहीं बनेगा और केन्द्र सरकार एक आदेश द्वारा न्यायाधीश को एक खास तिथि तक या मामले की सुनवाई पूरी होने तक कार्य करते रहने का अनुरोध कर सकती है। हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि क्योंकि न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं और न्यायाधीश बदलते हैं इसीलिए ये मामले वर्षों तक खिंचते रहते हैं। हमें इस बात की चिन्ता है कि मामलों की दिन-प्रति दिन आधार पर सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई पूरी की जानी चाहिए और हम सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामांकित न्यायाधीश एक खास तिथि के भीतर सुनवायी पूरी करे।

विशेष न्यायालयों के बारे में सामान्य उपबंध तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों की व्यवस्था की गयी है। यह कोई असाधारण उपबंध नहीं हैं।

महोदय, इसके बाद हमने कहा है कि अपील किए जाने का अधिकार होगा और यह अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जा सकेगी तथा उच्च न्यायालय की खंडपीठ इस अपील का निपटान तीन महीने के अंदर करेगी।

महोदय, विविध उपबंधों का अवलोकन किया जा सकता है। इसमें कोई असाधारण उपबंध नहीं है तथा कोई अप्रायिक उपबंध नहीं हैं। मैंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट किया है। मैं सभा के सभी वर्गों से आदरपूर्वक यह अनुरोध करता हूं कि वे एन.आई.ए. का समर्थन करें। कृपया विधेयक को पारित होने दीजिए। मैं जानता हूं कि कई खंडों के बारे में आपत्तिया होंगी। लेकिन यह समय देश को यह दिखाने का है कि अपनी आपत्तियों के बावजूद हम सभी एक हैं। कृपया विधेयक को पारित होने दीजिए। अगर विधेयक के कार्यकरण में हमारे सामने कोई कमियां आती हैं, तो फरवरी में जब सभा पुनः समवेत होगी तब मैं वैसे सुधार कर सकता हूं जो माननीय सदस्य आवश्यक समझेंगे...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोई और सत्र होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : लेखानुदान के लिए एक सत्र होगा...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्र वर्तमान सत्र को जारी रखकर किया जाएगा।

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे इसकी जानकारी नहीं हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ यह कहा है कि सभा फरवरी में पुनः समवेत होगी। अतः मेरा अनुरोध यह है कि एन.आई.ए. विधेयक को पारित किया जाए। राष्ट्र हमें देख रहा है और इस समय जबकि मैं बोल रहा हूं उस समय भी राष्ट्र हमें देख रहा है। वे जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी चाहते हैं। मैं इस सिद्धांत से सहमत होने के लिए सभी वर्गों का आभारी हूं। अतः, इस तथ्य के बावजूद कि विधेयक के किसी पहलू पर आपमें से एक-दो सदस्यों को कुछ आपत्ति हो सकती है...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए और फिर आप पूछ सकते हैं। मैं आपके द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरणों का उत्तर दूंगा। मैं पूरे दिन यहां उपस्थित हूं। मैं आपके द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरणों का उत्तर दूंगा।

दूसरा विधेयक निश्चित रूप से एक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में सभी पक्षों की अलग-अलग दृढ़ राय है। मैं सही-गलत का निर्णय बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सही-गलत का निर्णय नहीं कर रहा हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है

[श्री पी. चिदम्बरम]

कि पोटा अथवा पोटा के समान कोई कानून वापस लाया जाए। यहां तक की मेरी अपनी पार्टी में, यू.पी.ए. में एक ऐसा वर्ग है जिसकी राय है कि पोटा को वापस नहीं लाया जा सकता है। एक वर्ग ऐसा है कि जिसका मानना है कि किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए। एक वर्ग की ऐसी ही दृढ़ राय है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। एक वर्ग ऐसा है जिसका यह मानना है कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जेल ही नियम है तथा जमानत अपवाद है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् दूसरे वर्ग का यह मानना है कि जमानत नियम है तथा जेल अपवाद है लेकिन रक्षोपाय किए जा सकते हैं। अत: मुझे इस विषय-वस्तु पर विस्तापूर्वक चर्चा के लिए प्रतिपक्ष के माननीय नेता तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श से लाभान्वित होने का मौका मिला। मुझे प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा का लाभ प्राप्त हुआ है। हमने यू. पी.ए. में भी इसकी चर्चा की है। मैं पूर्ण विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि यहां जो भी प्रस्तुत किया जा रहा है वह सभी विचारों का सही संतुलन है तथा इसमें अपराधी के अभियोजन के लिए एजेंसी की क्षमता से समझौता नहीं किया गया है और इसके साथ ही मूल, बुनियादी मानव अधिकारों की उपेक्षा भी नहीं की गई है। मैंने इन दो प्रतिस्पर्धी तथा समान रूप से महत्वपूर्ण मूल्यों तथा गुणों के बीच यथासंभव सर्वोत्तम संतुलन बनाने का प्रयास किया है, जिनकी हम जीवन में कद्र करते है। अत: मेरा अनुरोध है कि कृपया मुझे विधेयक की चार अथवा पांच विशेषताओं के बारे में तीन अथवा चार मिनट और स्पष्ट करने का अवसर दें। पुन:, मैं अपील करूंगा: कृपया इस विधेयक को पारित किया जाए। अगर इसमें सुधार किया जाना है तो हम विधेयक पर उस समय विचार कर सकते हैं जब फरवरी में पुन: सभा समवेत होगी।

यह विधेयक के अंतर्गत क्या होता है? जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में अध्याय चार शामिल किया गया है। अध्याय-तीन विधिविरूद्ध संगठनों से संबंधित है। अध्याय चार आतंकवादी अपराध से संबंधित है। हमने अभी आतंकवादी अपराध अथवा आतंकवादी कार्य की परिभाषा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र संकल्प से लिया है। अब यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है। सार्वभौमिक रूप से यह परिभाषा स्वीकृत है। हमने सिर्फ इस परिभाषा को ले लिया है। परिभाषा के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। हम जो महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं वे हैं: प्रथम: आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराए जाने को इसमें शामिल किया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने की जड़ पर प्रहार किया जाए। अत: हमने आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने संबंधी उपबंध को शामिल किया है। इस धारा 17 को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। हम आतंकवादी शिविर लगाए जाने संबंधी एक उपबंध को शामिल कर रहे हैं। यह धारा 18(क) है और इसके लिए दंड का उपबंध धारा 18(ख) में किया गया है।

महोदय, एक और उपबंध जिसे हमने शामिल किया है वह है जमानत उपबंध। मैं इसे स्पष्ट करूंगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अनुसार 15 दिनों के स्वत: रिमांड मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा के मामले में 90 दिनों तथा किसी अन्य मामले में 60 दिनों के रिमांड का उपबंध है। हम इसमें यह कर रहे हैं कि 15, 90 तथा 60 को 30, 90 तथा 90 दिनों के उपबंध से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, अर्थात् 15 दिनों बढ़कर 30 दिन हो जाएगा, 90 दिनों के लिए 90 दिन ही बना रहेगा तथा 60 दिन का उपबंध बढ़कर 90 दिन हो जाएगा। किसी आतंकवादी मामले में हमें इस अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। वैसा अपराध जिसके लिए आजीवन कारावास का दंड नहीं दिया गया है, ऐसे मामलों में 60 दिनों के अंदर जांच पूरा करना संभव नहीं है। अत:, जैसा कि पोटा में है इसे एक वर्ष करने के स्थान पर हमने इसे 30 दिन, 90 दिन तथा 90 दिन किया है। मैं मानता हूं कि यह उचित संतुलन है और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

हमने एक परन्तुक जोड़ा है। मैं परन्तुक की व्याख्या करना चाहता हूं। परन्तुक में यह उल्लेख है कि अगर 90 दिनों की अवधि के अंदर जांच पूरी करना संभव नहीं हो, तो सिर्फ लोक अभियोजक के कहने पर नहीं एवं सिर्फ लोक अभियोजक द्वारा बगैर प्रमाण वाले कथनों के आधार पर नहीं, बल्कि अगर न्यायालय लोक अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट है जिसमें जांच की प्रगति को दर्शाया गया है तथा आरोपी को 90 दिनों से अधिक निरूद्ध रखने के लिए विशिष्ट कारण का उल्लेख किया गया है, तो न्यायालय इसकी अवधि बढ़ाकर 180 दिन कर सकता है। अनिवार्यत: 180 दिन ही नहीं, बल्कि वे एक सप्ताह और अधिक दे सकते हैं, अथवा 10 दिन अधिक अथवा 15 दिन अधिक दे सकते है। यह सिर्फ अपवादात्मक स्थिति होगी। अगर रिपोर्ट में जांच की प्रगति को दर्शाया जाता है। मान लीजिए कि किसी मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। निश्चित रूप से न्यायालय अतिरिक्त समय नहीं देगा। 90 दिनों के अंत में स्वत: जमानत मिल जाएगी।

पुनः हमने जमानत आवेदन से संबंधित तरीके में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पोटा में लोक अभियोजक के कथन को असाधारण महत्व दिया गया है। वस्तुतः, अगर आप सावधानीपूर्वक पोटा का अवलोकन करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा अपने प्राधिकार का दावा किए जाने की बजाय लोक अभियोजक ही न्यायालय को निदेश दे रहा था। अब, हम यह कह रहे हैं कि न्यायालय जमानत आवेदन पर विचार कर सकती है लेकिन उसे लोक अभियोजक को अपनी बात कहने का एक अवसर जरूर देना चाहिए।

अपराह्न 2.00 बजे

इसका अर्थ है कि आप एकपक्षीय आदेश पारित नहीं कर सकते हैं, आप लोक अभियोजक को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद हमारा कहना है कि किस परिस्थिति में जमानत स्वीकृत नहीं हो सकती है। यह ऐसा उपबंध है जिसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारा कहना है कि केस डायरी या धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट जो अंतिम रिपोर्ट है या जिसे हम चालान कहते हैं, का अवलोकन करने के बाद न्यायालय की यह राय है कि किसी व्यक्ति के विरूद्ध लगाए गए आरोप के प्रथम दृष्टया सही होने का विश्वास करने के तर्कसंगत आधार हैं तभी जमानत से इनकार किया जा सकता है। कृपया याद रखें कि 'पोटा' और अन्य अधिनियमों में यह अन्य प्रकार का था। न्यायालय को इस निष्कर्ष पर आना चाहिए कि आरोपित व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है और वह कोई अन्य अपराध नहीं करेगा जबकि जमानत में इसका वास्तविक अर्थ है कि मामले के बारे में पहले ही निर्णय लिया जा रहा है। अतः हमने कहा है कि आप केवल एक ही परिस्थिति में जमानत नहीं दे सकते हैं अर्थात यदि किसी केस डायरी या धारा 173 के अंतर्गत रिपोर्ट के अवलोकन से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह विश्वास करने के तर्कसंगत आधार हैं कि आरोपित व्यक्ति के विरूद्ध लगाया गया आरोप प्रथम दृष्टया सही है तभी न्यायालय जमानत देने से मना कर सकता है। फिर, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के पास पर्याप्त अधिकार हैं और यह किसी भी प्रकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर कोई सीमा आरोपित नहीं करता। यह मुख्यतः विचारण न्यायालय पर लागू होगा।

हम इस प्रावधान की शुरूआत प्रतिवाद करने की धारणा के आधार पर कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य और जो सदस्य वकील हैं वे अवश्य यह जानते होंगे...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : आपने इस प्रक्रिया का अनुकरण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है?

श्री पी. चिदम्बरम : न्यायालय जमानत प्रार्थनापत्र को खारिज कर देगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन : यह तो अनिश्चित समय तक चलता रहेगा।

श्री पी. चिदम्बरम : न्यायालय में अनिश्चित काल तक कैसे चल सकेगा? न्यायालय को सुनवाई करनी है और आदेश पारित करना है। मैं न्यायालयों के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता। यह कभी भी स्वीकार्य नहीं है।

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, आप इसके बाद अपनी बात कह सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, वह जो कहना चाहते हैं इसके बाद कह सकते हैं और मैं स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा।

महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं साक्ष्य अधिनियम में तीन प्रकार की उपधारणाएं हैं नामतः उपधारणा कर सकता है, 'उपधारणा करेगा' और 'निर्णायक साक्ष्य'। 'उपधारणा कर सकता है' का अर्थ है कि न्यायालय उपधारणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 'उपधारणा करेगा' के दूसरे मामले में, यद्यपि शब्द हैं 'उपधारणा करेगा' लेकिन इसका अर्थ है कि यदि कतिपय तथ्य सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरे पक्ष पर किसी उपधारणा जो बनाई जा सकती है जिसे हम प्रतिकूल निष्कर्ष कहते हैं, का खंडन करने के लिए प्रतिकूल तथ्य दर्शाने की बाध्यता आ जाती है। आम भाषा में इसका अर्थ है 'प्रतिकूल निष्कर्ष'। यदि 'कतिपय तथ्य सिद्ध हो जाते हैं और कोई प्रतिकूल निष्कर्ष है तो जिस अन्य दल के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो उसे उपधारणा का खंडन करने हेतु साक्ष्य देना होता है। अतः यह दोनों को एक ही धरातल पर लाता है लेकिन उपधारणा का खंडन करने की पहली जिम्मेदारी अभियोजना पक्ष की है और दूसरी जिम्मेदारी बचाव पक्ष की है।

हमारा कहना है कि यदि अभियुक्त की अंगुलियों के निशान पाए जाते हैं या कोई अन्य निर्णायक साक्ष्य जैसे डीएनए रिपोर्ट, खून के धब्बे आदि अपराध स्थल पर पाए जाते हैं जिससे अपराध में अभियुक्त के संलिप्त होने का पता चलता है, यदि अपराध की जगह से मैं अंगुलियों के निशान लेता हूं, यदि मैं खून के धब्बे लेता हूं या यदि मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : यह उल्लेख नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह पूरी तरह ठीक है। न्यायालय बने हैं। यहां हम किसी मामले पर निर्णय नहीं ले रहे हैं।

यदि अपराध स्थल पर अभियुक्त के अपराध में संलिप्त होने का सुझाव देने वाला कोई निर्णायक साक्ष्य पाया जाता है, यदि अपराध स्थल से यह साक्ष्य प्राप्त होता है जो निश्चित रूप से अभियुक्त की तरफ इंगित करता है या यदि अभियुक्त से हथियार या विस्फोटक बरामद होता है तो जब तक इसके विपरीत कुछ नहीं दर्शाया जाए तो न्यायालय यह निष्कर्ष निकालेगा और निष्कर्ष उसके प्रतिकूल आएगा कि अभियुक्त कह सकता है कि वह वहां नहीं था, अंगुली के निशान उसके नहीं हैं, वह अन्यत्र था आदि। वह साक्ष्य दिखा सकता है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश मामलों में बचाव पक्ष चुप रहेगा। सामन्यतया, आतंकवादी मामलों में आतंकवादी या तो आत्महत्या कर लेते हैं या मार दिए जाते हैं। विरले मामलों में ही कोई आतंकवादी जिन्दा पकड़ा जाता है जैसे मोहम्मद अजमल आमीर। उपसाधन एवं दुष्प्रेरक पलायन कर जाते हैं। हम सभी को राजीव गांधी मामले का पता है, अनेक अभियुक्त आसानी से पलायन कर गए। निचली अदालत में अनेक अभियुक्त बच गए क्योंकि उन्होंने चुप रहने का निर्णय लिया और न्यायालय ने पाया कि युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य से दोष सिद्ध नहीं होते। अत:, कतिपय निष्कर्ष निकाला जाना है। हमने बड़े ध्यान से इस धारा का प्रारूप तैयार किया है। निष्कर्ष ठोस साक्ष्य, अंगुली के निशान, निर्णायक साक्ष्य या हथियारों एवं विस्फोटकों की जब्ती से निकाले गए हैं। ये ऐसे मामले हैं जो अभियुक्त की तरफ इशारा करते हैं इसके बाद अभियुक्त की यह ड्यूटी है कि वह साक्ष्य देने जाए या साक्ष्य में यह कहे कि वह इसके विपरित साक्ष्य दे रहा है।

महोदय, हम ये प्रमुख संशोधन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय यह है कि आज कार्यपालिका मामला दायर करती है, कार्यपालिका मामले की जांच करती है और कार्यपालिका अभियोजन की मंजूरी स्वीकृत करती है। अत: हमारा कहना है कि कार्यपालिका को मामला दायर करने दीजिए, कार्यपालिका को मामले की जांच करने दीजिए लेकिन अभियोजन को स्वीकृति देने से पहले जांच में एकत्रित साक्ष्य की समीक्षा किसी स्वतन्त्र प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। स्वतन्त्र प्राधिकारी को सिफारिश करनी चाहिए और उस सिफारिश पर कार्य करते हुए आप अभियोजन को स्वीकृति दे सकते हैं। इसलिए, यह मंजूरी देने की ऐसी समीक्षात्मक प्रक्रिया सैंकशन फिल्टर है जो किसी ऐसे मामले की भी जांच करेगी जहां साक्ष्य से अभियुक्त पर अभियोजन सिद्ध नहीं होता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : लेकिन प्रमाण की जिम्मेदारी के बारे क्या कहना है?

श्री पी. चिदम्बरम : जब वह बोलेंगे मैं सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। अभी मैं सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे सकता हूं?

इसलिए, हमने यह महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय किया है कि अभियोजन तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक जांच न की जाए एवं एकत्रित साक्ष्य को किसी विधि के अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जांच करके सही न बताया जाए कि अमुक मामला अभियोजन के लिए उपयुक्त है या अमुक मामला अभियोजन के लिए उपयुक्त नहीं है।

ये इस विधेयक की मुख्य-मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था हमने विभिन्न प्रकार के विचारों में संतुलन बनाने को कहा है। हमने विभिन्न प्रकार के विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास किया है। मैं प्रत्येक विचार का सम्मान करता हूं। परन्तु मैं इस चरण पर एक बात को स्वीकार और दूसरी को अस्वीकार नहीं कर सकता। हमने इसे संतुलित करने का प्रयास किया है। हमने मानवाधिकार कार्यकर्त्ताओं, वकीलों, विधिवेत्ताओं इत्यादि द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखा है। हमने उन लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा है, जो यह चाहते हैं कि आतंकवाद से लड़ने हेतु हमारे कानूनों को मजबूत बनाया जाए। हमने एक विधेयक प्रस्तुत किया है जो मैं समझता हूं कि हमारे हित को संतुलित करता है।

मेरा अनुरोध है कि इस पर अच्छी तरह से वाद-विवाद करें, मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने प्रयास करूंगा। मेरे सहयोगी, श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने और विधेयक के किसी भी पहलू का विश्लेषण करने का अनुरोध किया है। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। परन्तु अतत: मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि हम इन दो विधेयकों को पारित करे तथा जो भी सुधार करने होंगे हम इस विधेयक पर पुनर्विचार कर सकते हैं और कालांतर में इन सुधारो को अपना सकते हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

"कि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : सभापति महोदय, इस बार का सत्र 10 दिसम्बर को शुरू हुआ। 10 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गया था, स्वाभाविक था कि 11 तारीख को सदन की कार्यवाही औपचारिक रूप से वास्तव में शुरू हुई। पहले दिन ही हमने मुम्बई की घटनाओं पर चर्चा की। पूरे सदन ने एक स्वर से सारी दुनिया को यह बताया कि जहां तक आतंकवाद की चिंता का सवाल है, यह सदन, जो देश का प्रतिनिधि है, वह एक है। मैंने अपनी पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से जो कुछ कहा, उसे दोहराते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जहां तक इस आतंकवाद की चिंता का सवाल है, सरकार इस चिंता पर विजय पाने के लिए जो भी कदम उठाएगी, जो हमें सही लगते हैं, आवश्यक लगते हैं, तो मेरा दल और एनडीए उनका समर्थन करेंगे।

अपराह्न 2.10 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इसके कारण भी और आज जो दो विधेयक पेश किये गये हैं, जिनमें जो कमियां मुझे दिखाई देती हैं, उनका उल्लेख मैं करूंगा। लेकिन मैं आरम्भ में ही कहना चाहूंगा कि मैं सिद्धांततः इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। अभी मैंने माननीय गृह मंत्री जी को यह कहते हुए सुना कि हमारा अगला सत्र फरवरी में होगा। मुझे लगा कि क्या यह सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होता कि जो अलग-अलग व्यू-पाइंट्स हैं जिनका उल्लेख करके आपने यह बिल बनाया है तथा सदन और देश के लिए भी अगर इस विधेयक को भी हम स्टैंडिंग कमेटी को भेजते, यह निर्देश देते हुए कि उनको फरवरी महीने से पहले सारी चर्चा और विचार-विमर्श, जिन-जिन लोगों से सलाह करनी है, उसको लेकर हमारे पास आयें। आपने स्वयं कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक हैं। हमने जो स्टैंडिंग कमेटीज बनाई हैं वे इस उद्देश्य से बनाई हैं कि महत्वपूर्ण विधेयक स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएं ठीक प्रकार से उनके सब पहलुओं पर विचार करके और खासकर ऐसा विधेयक जिसमें शासन और प्रमुख विरोधी दल, दोनों सिद्धांततः एकमत हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। मैंने इसके बारे में पहले आग्रह नहीं किया क्योंकि मुझे कभी-कभी संदेह होता था कि यह सत्र अंतिम सत्र न हो। लेकिन जब आफिशियली आज कहा गया कि फरवरी के माह में हम फिर मिलेंगे तो मुझे लगा कि अच्छा होगा अगर अभी भी शासन इस पर विचार करे और इस सदन में आज चार या छह घंटे में इसे पारित कराने के बजाए स्थायी समिति के पास भेजा जाए और जिसमें अलग-अलग लोगों से विचार भी ले लें। इस पर सिद्धांततः हम सहमत हैं। एनडीए और आप सहमत हैं। कुछ रिजर्वेशन्स हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरे जो रिजर्वेशन हैं मैं उनका उल्लेख करूंगा, वे कुछ कमियों को लेकर हैं मगर सिद्धांततः आपत्ति नहीं है, न फैडरल एजेंसी पर और न ही आप जो एंटी टैरर कानून लाए हैं, उसके बारे में। लेकिन यह शासन का अधिकार है, शासन निर्णय करे, लेकिन मैं सुझाव के रूप में अपनी बात आपके सामने रखता हूं।

मुझे आज संतोष है। संतोष इस बात का है कि लगभग 10 साल तक जो स्टैंड सरकार ने लिया और जब विपक्ष में थे, तब भी उन्होंने वही स्टैंड लिया। यह आज की बात नहीं है। अचानक 10 साल के अंत में उन्होंने अपना स्टैंड मूलतः बदला है। मूलतः इस बात में बदला है कि जिस समय प्रीवेंशन आफ टैररिज्म एक्ट हम लाए थे, पहले आर्डिनेंस के रूप, फिर विधेयक के रूप में। जब विधेयक राज्य सभा में पास नहीं हुआ तो जाइंट सेशन के सामने, ऐसा नहीं है कि उस समय विपक्ष जो था वह आतंकवाद का मुकाबला करने के विरुद्ध था; नहीं, हम आतंकवाद को खत्म करने के पक्ष में थे और आप भी। दोनों आतंकवाद को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन आपका मत था कि जो आज कानून है वह आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है, जबकि हम इस मत के थे कि यह पर्याप्त नहीं है। हमने यह बात न केवल देश के भीतर कही बल्कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जी ने अमरीका में भी जाकर वह बात अमरीका को 9/11 से भी पहले कही कि आतंकवाद की जो काली विभीषिका है और उनको बताया कि हमें कितनी तकलीफ हुई है और हमको तकलीफ इसलिए हुई है कि हमारे लिए आतंकवाद एक युद्ध (वार) का सब्सीटयूट हमारे पड़ोसी देश ने बना दिया है।

अध्यक्ष महोदय, पड़ोसी देश ने हमारे साथ तीन-तीन युद्ध किए। जब इन युद्धों में उसे सफलता नहीं मिली, तब उसने वर्ष 1971 के युद्ध के बाद, जब वहां सैनिक शासन हुआ, उसके बाद योजनापूर्वक प्रोक्सी वार की नीति आतंकवाद के माध्यम से अपनाई। इस प्रयोग में सबसे पहले पाकिस्तान ने पंजाब को चुना और फिर जम्मू-कश्मीर तथा फिर सारे देश में आतंकवाद फैलाया। अस्सी के दशक के शुरूआत से ही हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अमरीका में आतंकी हमला वर्ष 2001 में हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने अमरीकी कांग्रेस के सामने यह बात कही कि अमरीका यह न समझे कि वह चाहे विश्व

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

के दूसरे देशों से दूर है, इसलिए शायद आतंकवाद से बचा रहेगा। 9/11 की घटना हुई और शायद आतंकवाद के इतिहास में इस प्रकार का भयंकर कांड कभी नहीं हुआ तथा भगवान न करे कि ऐसा कभी दोबारा हो। उस भयंकर कांड में आतंकवादियों ने चार हवाई जहाज हाईजैक करके उनका मिसाइल्स के रूप में प्रयोग किया। उसके कारण अमरीका हिला, दुनिया के दूसरे देश भी हिल गए। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 28 सितम्बर, 2001 को 1373 प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उन्होंने दुनिया के सब देशों से कहा कि आतंकवाद भयंकर समस्या है और सामान्य अपराध के लिए जो कानून बने हुए हैं, वे उसके लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए आतंकवाद के लिए विशेष कानून बनाए जाएं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके द्वारा प्रस्तुत बिल, अन लॉ फुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल, 2008 को देख कर आश्चर्य हुआ। वर्ष 2008 में आप अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) बिल के एक्ट के प्रिएम्बल को अमेंड कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि पहले कभी किसी ने प्रिएम्बल को अमेंड किया हो। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि वर्ष 2001 में जो सलाह यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने दुनिया को दी और जिसका पालन दुनिया के प्राय: सभी देशों अमरीका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि ने किया। मेरा बहुत से देशों में जाना हुआ और सभी देशों ने कोई न कोई कानून बनाया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान ने भी कानून बनाया था। हमने जब बनाया, उस समय आप विपक्ष में थे और आपने इस प्रकार से हम पर हमला किया मानो हमने कोई अपराध कर दिया हो। हमने अगर प्रिवेंशन आफ टेरोरिज्म एक्ट बनाया, तो क्या हमने अपराध किया था। एक रेयर प्रावधान भारत के संविधान में है कि अगर लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों के मत में अंतर हो तो निर्णय ज्वायंट सैशन बुलाकर किया जाएगा। भारत के इतिहास में ज्वायंट सैशन शायद दो बार या तीन बार बुलाया गया है। आज मैं देखता हूं कि अचानक सरकार को लगता है कि एक विशेष नए कानून की जरूरत है, जबकि पिछले आठ-दस साल इस कानून को बनाने की बात नहीं सोची। मैंने कहा कि मुझे संतोष है, लेकिन मैं खुशी प्रकट नहीं कर सकता हूं। आखिर एक कहावत है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कह सकते। लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए और सुबह तथा शाम के समय के बीच में अनर्थ हो जाए, उस भूल के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, तो मैं उस व्यक्ति को भूला जरूर कहूंगा। आपने एक प्रकार से इस बिल को प्रस्तुत करके और उसकी वकालत करके तथा यह कह कर कि आज ही इसे पास करना है, एक प्रकार से आपने अपनी गलती स्वीकार की है और आपको स्वीकार करना भी चाहिए कि आप दस साल पहले गलत थे। स्वयं आपने अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल के क्लाज-2 में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी के बारे में लिखा है।

हमने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 'पोटा' पास किया था। आपने उसे मैंडेटिड माना। एक प्रकार से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मैंडेट है।

[अनुवाद]

"जबकि संयुक्त राष्ट्रकी सुरक्षा परिषद ने अपनी 4,385वीं बैठक में संकल्प सं. .... अमुक अमुक और इत्यादि, इत्यादि, को स्वीकार किया था.... और जबकि .... अमुक अमुक ..... तथा जबकि केन्द्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम की धारा 2 द्वारा प्रदत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा परिषद संकल्प आदेश के क्रियान्वयन में आतंकवाद का निवारण और दमन विधान बनाया है।"

आपने आतंकवाद से संबंधित स्वीकार किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्पों को उद्धृत किया है।

[हिन्दी]

बहुत अच्छा किया है। मैंने कहा कि मुझे इससे संतोष है लेकिन मैं कहूंगा जैसे कुम्भकरण को लंबी-लंबी नींद आती थी वैसे ही आप 7-8 साल की नींद के बाद जगे हैं।...*(व्यवधान)* शेम की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करते कि इस बात में गलत थे। मैं टाइम्स आफ इंडिया देख रहा था जिस की कटिंग मुझे किसी ने दी है।

[अनुवाद]

"यह नई बोतल में पुरानी शराब है।" "संप्रग पोटा पर लौट आया है" ये शीर्षक हैं।

[हिन्दी]

आप चाहे कुछ भी इनकार करें। मैं उस समय मानता था कि हम बिना स्पेशल कानून के टैररिज्म का सामना नहीं कर सकते थे। मैं नहीं जानता कि मेरे वामपंथी साथी इस पर क्या कहने वाले हैं। उन्हें भी समझना चाहिए। मुझे स्वयं अनुभव है कि आपके मुख्यमंत्री कई बार मुझे कहते थे कि जब तक इस मामले में देश कठोर नहीं होगा, तब तक समस्या बड़ी भयंकर रहेगी।...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : आडवाणी जी, आप पहले से मालूम मत करिए कि हमारी ओपीनियन क्या है? हमारी स्ट्रेट जैकिट है। पोटा समाधान है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक। आपको अपना अवसर मिलेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : भाजपा और कांग्रेस ने भी एकसाथ मतदान किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरा ध्यान भंग न करें।

[हिन्दी]

गुरूदास दासगुप्त जी बीच-बीच में इंटरवेंशन करके अच्छा करते हैं। आजकल के अखबारों में छपेगा कि वामदल और भाजपा ने एक साथ मतदान किया। लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : जब मतदान होगा तब वे यह समाचार प्रकाशित करेंगे कि- भाजपा और कांग्रेस ने एकसाथ मतदान किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब मैं आपकी तरह राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करता।

[हिन्दी]

आप अगर सही बात करेंगे तो मैं उसका समर्थन करूंगा। आप गलत बात करेंगे तो चाहे आप मेरे साथ होंगे तो भी मैं विरोध करूंगा।

[अनुवाद]

मैं राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं रखता। आप इसमें विश्वास कर सकते हैं।

[हिन्दी]

मैं दुनिया भर के उदाहरण दे सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं इसे स्थायी समिति को सौंपने के आपके कदम का समर्थन करूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। कम से कम इस मामले में आपने अपनी राजनीतिक अस्पृश्यता त्याग दी है।

[हिन्दी]

यह बात बार-बार कही जाती है कि इसका इसलिए विरोध किया गया कि उसका दुरूपयोग हो सकता है। क्या कोई कानून बना है जिस का दुरूपयोग न हो सके। बहुत सारे साधारण कानून हैं जिनका बहुत दुरूपयोग होता है। इस बात को लॉ कमिशन ने बड़े प्रभावी रूप से लिखा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट राजस्थान वर्सिज यूनियन ऑफ इंडिया को कोट किया है।

[अनुवाद]

मोइली कमीशन ने उसे विधि आयोग रिपोर्ट के भाग के रूप में उद्धृत किया है। विधि आयोग की रिपोर्ट आतंकवाद निवारण विधेयक के संबंध में है। जिसमें उन्होंने कहा है:-

"इसे अवश्य याद रखा जाना चाहिए कि सिर्फ इस आधार पर कि अधिकारों का कभी-कभी दुरूपयोग किया जा सकता है अधिकार देने से मना नहीं किया जा सकता। मनुष्य की बुद्धि अभी तक ऐसी सरकार की कल्पना करने में सक्षम नहीं हो पायी हो जो सभी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त अधिकार प्राप्त हो और साथ ही साथ धोखाधड़ी करने में समर्थ न हो।"

[हिन्दी]

मतलब लैजिटिमेट नीड है कि टैररिज्म पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।

कोई ऐसी सरकार नहीं है और इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है कि सरकार को उसके खिलाफ अधिकार भी दें और साथ-साथ उसका दुरूपयोग न हो सके, इसका भी प्रबंध करें। सेफगार्ड प्रोवाइड करने चाहिए। जब हमने प्रिवेंशन आफ टैररिज्म एक्ट बनाया था तब मैंने अपने सब अधिकारियों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में टाडा के बारे में जो आपत्तियां की गई हैं कि इस तरह से दुरूपयोग हो सकता है इसलिए सेफगार्ड इनकारपोरेट करो और वो किए गए क्योंकि यह टैररिज्म और डिसरप्टिव एक्टिविटी के खिलाफ था। आपने भी कुछ किए हैं, बहुत अच्छा किया है। मैं इससे इनकार नहीं करूंगा लेकिन बेसिकली यह सोचना कि क्योंकि किसी लॉ का दुरूपयोग हो सकता है इसलिए यह पास नहीं होना चाहिए, यह सरासर गलत है। आज

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

आपने यह बिल लाकर स्वीकार किया है कि हां, हमसे यह गलती हुई है लेकिन कहने के लिए तैयार नहीं हैं। हिन्दुस्तान में टैरेरिज्म पर विजय प्राप्त करने के लिए स्पेशल लॉ जरूरी है। लेकिन स्पेशल लॉ में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, देखना होगा। आप जो बिल लाए हैं मैं उसमें इनएडीक्वेसिस और मेरी दृष्टि में जो होना चाहिए, बताऊंगा। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने कहा पुलिस अफसर के सामने कोई कन्फेशन हो तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह एडमिसिबल नहीं है क्योंकि स्वीकार तो होगा नहीं। कोई अपराधी स्वयं कन्फेस करता है और कहता है कि मैंने मर्डर किया है, यह निर्णायक साक्ष्य नहीं है। यह कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसके साथ कारोबोरेटिव एविडेंस कितना है। यह भी अधिकार है कि कोई कहे कि मैं कन्फेस करता हूं तो रिट्रेक्ट करने का भी अधिकार है। वह कोर्ट के सामने कहे कि मैं रिट्रेक्ट करता हूं। आप स्वयं वकील हैं और आप यही सब बातें ज्यादा जानते हैं। मैंने वकालत पढ़ी तो है लेकिन कभी प्रेक्टिस नहीं की लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पुलिस अफसर के सामने कन्फैशन को क्यों एडमिसिबल एविडेंस किया। अभी एक आतंकवादी पकड़ा गया है, क्या उसके लिए और एविडेंस लाएंगे? उसकी एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगी क्योंकि पुलिस अफसर या ज्यूडिशिएल अफसर या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया गया है? हां, यह प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि इस लैवल का पुलिस अफसर होना चाहिए जिसके सामने हो तो वह एडमिसिबल एविडेंस होगी, यह निर्णयक साक्ष्य नहीं बन जाता। यह कन्क्रीट केस है जो अभी आया है कि एक आतंकवादी पकड़ा गया। तुका राम ने बहादुरी की और उसे पकड़ा। वह सब कुछ बताने के लिए तैयार होगा तो भी साधारण लॉ के तहत एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। इसलिए मैं लॉ कमीशन की ऑब्जर्वेशन कोट करना चाहूंगा। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं जिसमें 73वीं रिपोर्ट में कहा है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री जी, मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आपने इसे पढ़ा है। तथापि मैं ईसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा:—

> "आतंकवादी कृत्य का उद्देश्य आतंक फैलाना और लोगों के मन में डर पैदा करना होता है। इन कृत्यों के गवाह मिलने भी कठिन होते हैं क्योंकि लोग अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा के कारण गवाही देने से डरते हैं। यह सर्वविदित है कि पंजाब में आतंकवाद के बुरे दौर के दौरान न्यायाधीश और अभियोजक भी इतने भयभीत और आतंकित थे कि वे आतंकवादियों के विरूद्ध चलने वाले मामलों के विचारण या अभियोजन से बचते थे। आज जम्मू और कश्मीर में भी यही स्थिति है और आतंकवादियों के विरूद्ध विचारण में भारी विलम्ब का यह सबसे बड़ा कारण हैं। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र साक्ष्य या सामान्य परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले मानदंडों को लागू किए जाने पर जोर देने की वकालत करना सही नहीं हैं।"

विश्व भर में आतंकवादियों से निपटने के लिए बनाए गए अधिकतर कानूनों में इन उपबंधों को शामिल किया गया हैं।

[हिन्दी]

यह सोचना कि यह लॉ इतना स्ट्रिंजेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि माइनोरिटी इसके खिलाफ है। आप इस प्रकार से कह कर माइनोरिटी को बदनाम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह कानून आतंकवाद के विरूद्ध हैं, यह कानून आतंकवादियों के विरूद्ध हैं जिसे हमने अधिनियमित किया हैं और जिसे आज आप अधिनियमित कर रहे हैं।

अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि वह जो था, वह कम्युनल लॉ था और यह सेक्युलर लॉ है, यह तो नहीं कहोगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपने देश का बहुत नुकसान किया है मैंने पहले भी कहा था मैं आज फिर दोहराता हूं कि आतंक के विरूद्ध बनाए गए कानून को बहुसंख्यकों या अलसंख्यकों के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि तब जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था।

[हिन्दी]

हिंदुस्तान में यहां की कांस्टिटुएंट असैम्बली, अपने संविधान पर विचार करने बैठी। यह विभाजन कांग्रेस नहीं चाहती थी, देश नहीं चाहता था और यह विभाजन इस आधार पर हुआ कि कहां हिन्दू बहुमत है और कहां मुसलमान बहुमत है और उन परिस्थितियों में पाकिस्तान ने अपने को थियोक्रेटिक स्टेट डिक्लेयर किया हिन्दुस्तान ने अगर सेक्युलरवाद अपनाया तो यह स्वयं में एक ऐसी बात है कि जिसे दुनिया का कोई देश भूल नहीं सकता और हिन्दुस्तान भी नहीं भूल सकता और बहुत उचित किया, उसके आधार पर हमने साठ साल देश को चलाया। लेकिन फिर भी इतनी देर हर चीज को इस चश्मे से देखना, इससे न देश का भला है और न अल्पसंख्यकों का भला है। आप उनका भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस चश्मे

से मत देखो। इस चश्मे को एक तरफ रखकर इन्डिपैंडैन्टली देखो कि टैररिज्म का मुकाबला करने के लिए कैसे-कैसे कानून जरूरी हैं। साधारणत: कोई इंटरसैप्शन आफ मैसेज, टेलिफोन टाक वह एडमिसिबल एविडैन्स नहीं है। हमने प्रावधान बनाये, जिसमें किसी भी आतंकवादी के पास बाहर से आने वाली टेलीफोन इंटर कालों और संदेशों को इंटरसेप्ट कर ग्राह्य साक्ष्य के रूप में मान्यता *[हिन्दी]* दे सकते हैं, मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री, जी जो ढेर सारे प्रावधान थे संदेशों के इंटरसेप्शन से संबंधित। उन्हें भी इस नये कानून में समाविष्ट करें। उसकी एडिमिसिबिलिटी को स्वीकार करे। उसमें प्रावधान था कि वह एडमिसिबल होगा, इंटरसैप्शन आफ कम्युनिकेशन। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से कंफैशन रिपोर्ट पुलिस आफिसर्स एडमिसिबल एविडैन्स होना चाहिए, वैसे एडमिसिबिलिटी आफ इंटरसैप्टिव इंफार्मेशन भी आनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि कानून का दुरूपयोग होता था, टाडा का भी दुरूपयोग होता था। मैं इनकार नहीं करूंगा और एक स्टेज पर मुझे याद है, इस समय चिदम्बरम जी चले गये, चिदम्बरम जी टाडालाये थे। उस समय भी वह मिनिस्टर आफ स्टेट, होम थे, जब टाडा आया था और मुझे याद है कि उसका दुरूपयोग कैसे-कैसे होता था। पुलिस वाले को सुविधाजनक लगता था कि इस अपराधी को इस एजिटेशन को, चाहे वह ट्रेड यूनियन का एजिटेशन हो, मैं गुजरात में गया था, जहां पर फारमर्स एजिटेशन के खिलाफ, यहां हमारे दोनों साथी बैठे हैं और पहली बार अगर मैं टाडा के खिलाफ बोला तो उस फारमर्स कांफ्रैन्स में बोला, जहां फारमर्स के एक एजिटेशन को सप्रैस करने के लिए वहां पर टाडा का उपयोग किया गया। लेकिन किसी स्टेज पर तभी हमने यह नहीं कहा कि टाडा को स्क्रैप करो, कभी नहीं कहा। टाडा का दुरूपयोग हो रहा है, इसलिए हमेशा हम इसका विरोध करते थे। लेकिन किसी स्टेज पर टाडा खत्म करो, यह हमने नहीं कहा। मैं उम्मीद करता था कि आप भी हमें यह कहेंगे कि ठीक है, पोटा बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन दुरूपयोग मत करना, ऐसा कहते और अगर कहीं दुरूपयोग होता है तो आप उसे रोकते, उसकी आलोचना करते। लेकिन आपने लगातार अपनी एक थ्योरी बनाई कि *[अनुवाद]* आतंकवाद विधि-व्यवस्था का मुद्दा है। स्टेट को करने दो; केन्द्र की जरूरत नहीं है। मैं इस संबंध में श्रीमती सोनिया गांधी जी का हवाला दे सकता हूं और मैं गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटील का भी हवाला दे सकता हूं जो अब गृह मंत्री नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और गृह मंत्री से लेकर कांग्रेस अध्यक्षा तक सभी का मत है कि वर्तमान कानून आतंकवाद से निपटने के लिए पूर्णत: पर्याप्त हैं। और उन्हें इससे निपटने दीजिए क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। यही सबसे बड़ी खामी है कि आज तक इसके बारे में आपकी सोच यही रही है। आज आपने अचानक अपने विचार बदल दिए। *[हिन्दी]* मैं तो बहुत खुश हूं। नेचुरली खुश हूं क्योंकि मैं लगातार आरग्यू करता था क्योंकि कानून हमने बनाया था और जिस कानून को समाप्त करना यूपीए के कार्यक्रम में आतंकवाद *[अनुवाद]* के संबंध में, लगभग एकमात्र चीज थी कि पोटा को हम खत्म करेंगे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में केवल ऐसी बात का उल्लेख किया गया था।

वस्तुत: मेरे पास प्रधानमंत्री का उद्धरण भी है। 3 सितम्बर, 2005 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने चेन्नई में कहा था:

> ''उनकी सरकार ने उस आतंकवाद निवारण अधिनियम के निरसन का अपना वायदा पूरा किया है जिसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग को अनावश्यक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। हमारी सरकार ने पोटा को समाप्त करने का वायदा किया था और हमने पिछले लोक सभा चुनाव में किए गए अपने वायदे को पूरा किया है।''

होम मिनिस्टर साहब, आपने प्रधान मंत्री की इतनी बड़ी गर्वोक्ति को बिल्कुल नकार दिया।...*(व्यवधान)*

हमने इतना बड़ा वचन पूरा किया और आपने उनको एक प्रकार से उस सारे को निरस्त कर दिया। क्यों? *[अनुवाद]* आप इस बात पर सोचिए। माननीय गृह मंत्री जी, यह इतना आसान नहीं है कि आप सिर हिलाकर इससे अपना पीछा छुड़ा ले। यह केवल मुम्बई के कारण नहीं है *[हिन्दी]* मुम्बई से पहले जो घटना थी, वह इतनी बड़ी नहीं थी। मैं उस पर कहना चाहूंगा। मैं मन में सोचने लगता हूं कि क्यों, आखिर मुम्बई में ही दो साल पहले लोकल ट्रेन्स पर हमला हुआ था। वह हमला भी कोई कम भयंकर नहीं था और इसके बाद जो पहला वक्तव्य बाहर से निकला, था, वह यह था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है और उसके थोड़े ही समय बाद अचानक प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि पाकिस्तान तो स्वयं ही आतंकवाद का शिकार है, *[अनुवाद]* आतंकवाद से प्रभावित पाकिस्तान में भी कुछ मामले हुए हैं, वहां के राष्ट्रपति पर तथा दूसरे लोगों पर हमले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बताना और वह भी प्रधानमंत्री द्वारा तथा उसके दो दिन बाद इस बात की घोषणा करना कि आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत और पाकिस्तान को मिलकर एक संयुक्त तंत्र बनाना चाहिए। मैं यह सुनकर बहुत आश्चर्य चकित और स्तब्ध हुआ था हमने कहा कि इतने साल हमको दुनियाभर को विश्वास दिलाने में लगे कि हमारे यहां जो आतंकवाद है, वह कोई होमग्रोन नहीं है,

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

यह सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद है और वे मानने लगे थे कि हां, यह सही है। अभी-अभी आकर दो दिन पहले यह कहा गया कि "पाकिस्तान आतंकवाद का केन्द्र है" *[हिन्दी]* ये जो इतने सारे परिवर्तन हुए हैं, मैं मानता हूं कि कुछ तो सच्चाई है जो किसी को भी देखने में आएगी और दूसरी बात है कि देश में जैसा वातावरण मुम्बई पर उस हमले के बाद पैदा हुआ, फर्क यह है कि इससे पहले के जो विस्फोट होते थे, वे दो-चार घंटों के लिए होते थे। लेकिन इस बार तीन दिन तक यह सब लगातार चलता रहा और उसमें टेलीविजन चैनल्स ने जिस प्रकार से उसे दिखाया, हालांकि वह एक अलग बात है कि उसमें क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए या कोई उसका कोड बनना चाहिए, मैं इससे सहमत होते हुए भी समझता हूं कि टेलीविजन ने एक प्रकार से बहुत बड़ी देश की सेवा की कि उनको स्वयं कि एक-एक व्यक्ति, एक-एक नागरिक जो टेलीविजन देख सकता था, उन्हें बहुत धक्का लगा था कि हमारे यहां क्या हो रहा है, यह कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? टेलीविजन ने वह चिंता पैदा की और इसी के परिणामस्वरूप लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। लोगों ने आकर किसी एक पार्टी के खिलाफ, एक सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया बल्कि पूरी पोलिटिकल कम्युनिटी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। यह इसीलिए क्योंकि आपने दस साल तक इस बात से इंकार किया कि कोई स्पेशल लॉ नहीं बनाएंगे। और स्पेशल लॉ नहीं बनाया और अगर स्पेशल लॉ किसी ने बनाया है, तो उसे खत्म करना, एक प्रकार से सरकार ने आर्टिकल आफ फेथ बना दिया। इसका जो नुकसान हुआ, उसे हम लोगों को उस दिन भुगतान पड़ा। लोग यह समझने लगे कि ये सब लोग सुरक्षित हैं, किसी के साथ कमांडोज हैं, किसी के पास यह है, किसी के पास वह है, और आम नागरिक दुखी है। एक प्रकार से उनका गुस्सा जायज है। यह गुस्सा हमारी सरकार के स्टैंड के कारण है कि किसी कानून की जरूरत नहीं है, आर्डिनरी लॉज पर्याप्त हैं, *[अनुवाद]* यह राज्य का विषय है और निस्संदेह यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है यह केवल मात्र कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह बहुत ही खतरनाक बुराई है। *[हिन्दी]* और जिस इविल ने दुनिया भर को इफलिक्ट किया और आज भी किया है। मैं आपको बताऊं कि हमने कितने कानून बनाने हैं? अमरीका ने कितने कानून बनाये हैं, अमरीकन पैट्रीयट एक्ट नहीं, अनेक बनाये हैं। होम सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट बनाया है। मैं इन बातों में अभी नहीं जाना चाहता। जरूरत नहीं है कि जब हम बैठकर डिसकस करेंगे तो सोचेंगे कि क्या करना है? बेसिकली हम लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि आज अल कायदा जैसे टैररिस्ट आर्गनाइजेशन्स, उनका सब से बड़ा दुश्मन, अगर कोई है तो वह भारत नहीं है, उनकी नजरों में अमरीका है, दूसरे नम्बर का इजराइल है और शायद हमारा नम्बर तीन हो सकता है, हम नहीं जानते। उनकी नजरों में सब से बड़ा दुश्मन अमरीका है, भारत नहीं है। लेकिन अमरीका सब से बड़ा दुश्मन होते हुये भी 9/11 में उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली कि उसके बावजूद वहां कोई छोटी-मोटी घटना तक नहीं हुई जब कि यहां पर 2004 के बाद से न जाने कितनी ऐसी घटनायें हुई हैं। मैं अगर गिनाना चाहूं तो ढेर सारी गिना सकता हूं। मैं छोड़ देता हूं। मैं आज पुनः उस बात को दोहराना नहीं चाहता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर आप लोग भाषण में बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं। कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये लीगल फ्रेमवर्क चाहिये जिसकी दिशा में एक कदम आज उठाया गया है। उसमें भी मैंने बताया कि इसमें मुझे जो इनएडीक्वेसीज लगती हैं, *[हिन्दी]* अपराध संस्वीकृति के संबंध में लगती हैं। मुझे यह लगता है कि इंटरसैप्टेड इनफार्मेशन के बारे में जो प्रावधान थे, पोटा में जो थे, आप देख लीजिये, वे अनेक और सब के सब हैं। और इसकी इंटरसैप्टेड इनफौर्मेशन एडमिजिब्लिटी और प्रीजम्पशन आफ आफिस के बारे में आपने जो कुछ कहा है, मैं उससे ज्यादा डिसएग्री नहीं करता हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि कुल मिलाकर अमरीका शासन और अमरीका समाज - दोनों का एटिट्यूड बहुत इम्पार्टेंट है। हिन्दुस्तान में भी सरकार और समाज तथा सरकार और देश के एटीट्यूड की बहुत इम्पार्टेंस है। मैं एटीट्यूड की बात जब कहता हूं तो 2001 में जो घटना हुई थी लेकिन उसके परिणामस्वरूप 2008 में आज भी अगर कोई अमरीका जाता है तो जो आदमी एअर ट्रेवल करता है, उसकी पूरी जांच होती है, अच्छी खासी जांच होती है कि जुराब खोलो, जूते खोलो, यह खोलो, वह खोलो। अगर ऐसी स्थिति यहां हो तो क्या हमारा देश इस बात को स्वीकार करेगा? दिक्कत करेगा, मैं देश की बात कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज तक क्यों ऐसा हुआ? भारत की संसद पर 13 दिसम्बर, 2001 को हमला हुआ। मुकदमे का फैसला 2002-03 में पूरा हो गया। अपराधी पकड़े गये, सजा भी हुई, और जिसे फांसी की सजा हुई; उस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, एंडोर्स किया लेकिन इम्पलीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कोई लौजिक नहीं, कोई बात समझ में नहीं आती है। कुल मिलाकर ये बातें एक संदेश भेजती हैं कि सारे आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्यवाही करने में देश ढीला-ढाला है आप इससे

पीछा छुड़ा सकते है। मैं एक प्रावधान और भी कहूंगा। जिस प्रावधान का रिकमैंडेशन मोइली कमीशन ने किया था, उसका जिक्र भी आपने किया है। मोइली कमीशन ने यह रिकमंड किया कि जो बैनड आरगेनाइजेशंस हैं, मोइली कमीशन में पैटीशन है।

[अनुवाद]

विधि आयोग ने अपनी एक सौ तिहत्तरवीं रिपोर्ट में भी इस बात की सिफारिश की थी कि प्रतिबंधित संगठनों की सदस्यता को भी आतंकवादी कृत्य माना जाए। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा हैं। इसलिए हमारे आतंकवादी गतिविधियां निवारण अधिनियम में हमने इसे शामिल किया था। यह विधि आयोग की सिफारिश थी।

आज, विशेषकर मुम्बई हमले से पूर्व जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद की विभिन्न घटनाओं के संबंध में यह कहा गया था कि यह हमारे देश में जनित आतंकवाद है जो कि मुख्यत: सिमी के कारण है। सिमी एक प्रतिबन्धित संगठन हैं जो एक तरह से थोड़े समय के लिए छूट गया था क्योंकि गृह मंत्रालय, अधिकरण के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। तत्पश्चात गृह मंत्रालय ने 'सिमी' रोक लगाते हुए इस पर पुन: प्रतिबंध लगा दिया। आज सिमी एक प्रतिबन्धित संगठन है हालांकि मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं इसका बचाव करते रहते है। यह बहुत ही विचित्र स्थिति है। इसलिए, मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि जब आप कानून की कमियों और खामियों के बारे में विचार करें तब विधि आयोग की सिफारिशों पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

मैं एक बार पुन: कहना चाहता हूं कि यह किसी युद्ध से कम नहीं है। यह एक युद्ध है जिसका सामना हम कर रहे हैं। इस युद्ध में विजय पाने के लिए हमें एकता बनाए रखनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हममें इस युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। आज इसी शक्ति का अभाव है। आज अगर आपके दो कानून इस बात के सूचक हैं कि आपने एक नई शुरूआत करने का निर्णय लिया है जो पहले के विपरित हैं, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

मैं सोचने लगा कि अचानक मुंबई की घटना के तुंरत बाद सरकार ने अपना स्वर क्यों बदल लिया। मुंबई की घटना के तुंरत बाद आई कुछ प्रतिक्रियाओं ने और फिर इन दो विधेयकों के रूप में तथा सरकार की ओर से आए कुछ वक्तव्य पहले कही गई बात से पूर्णत: भिन्न हैं। सर्वप्रथम मुझे इस बात की खुशी है कि अब इसे आतंक रोधी कानून को अल्पसंख्यक विरोधी कानून नहीं कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सोचते हैं कि आप सत्ता में हैं इसलिए यह अल्पसंख्यक विरोधी नहीं हो सकता।

दूसरे, इन आतंकवादियों ने तीन स्थानों को चुना। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुंबई की घटना के कतिपय आयाम ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने ओबराय को चुना, ताज को चुना, ट्राइडेंट को चुना, जो ओबराय के निकट हैं। वे आश्वस्त थे कि इन पांच सितारा होटलों में विदेशी नागरिक अवश्य होंगे। इसलिए, उन्हें निशाना केवल भारतीयों पर ही नहीं, अपितु विदेसी नागरिकों की पहचान कर उनपर भी हमला करना था। फिर उन्होंने नरीमन हाउस को चुना। मैं यह नहीं जानता पर मुझे बताया गया है कि हमारे किसी एक मंत्री ने नरीमन हाउस को इसमें नहीं जोड़ा है। इसकी जानकारी प्रेस ने दी है। मैं नहीं जानता। पर अगर ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने नरीमन हाउस का चयन यह निरीक्षण करने के बाद किया कि यह एक ऐसा स्थान है जहां इजरायल के लोग अथवा मुंबई में रहने वाले सभी यहूदी एकत्रित होते हैं। वस्तुत: जब इजरायली राजदूत मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि यह तो बुधवार था, अगर यह शुक्रवार होता, शुक्रवार रात्रि शनिवार की पूर्व संध्या पर जब कोशर दिवस होता है, अगर मुंबई में रहने वाले सभी परिवार एकत्रित हुए होते तो यह त्रासदी और भीषण तथा बड़ी हो सकती थी।

विदेशी नागरिकों को, निशाना बनाया गया; नि:संदेह भरतीयों को भी निशाना बनाया गया। इसलिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर देश के विभिन्न भागों से रेलगाड़ी से आने वाले अनेक लोगों को, एके-47 थामे दो आतंकवादियों ने मार गिराया। यह सब भयावह था। क्या ऐसा नहीं है कि हम नींद से जाग गए हैं क्योंकि आतंकवाद के प्रति लचीले रवैये के कारण भारत असुरक्षित हो गया है- ऐसा केवल भारतीय लोगों का ही मानना नहीं है बल्कि समूचे विश्व का मानना है कि आतंकवादी हमलों के खतरे के कारण भारत असुरक्षित है? क्या इस कारण ही हम इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं? मेरा मानना है कि 2001 का सुरक्षा परिषद प्रस्ताव एक ठोस प्रस्ताव था और जिन्होंने इसका पालन किया उन्होंने अपने देश के हित में, मानवता के हित में कुछ किया और यह आतंकवाद के विरूद्ध एक सही कदम था। मुझे खेद है कि हम इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस विशिष्ट प्रस्ताव का अक्षरश: पालन करते और आतंकवाद से निपटने के लिए विशेष कानून अधिनियमित करते तो हमारी आलोचना की जाती।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस वाद-विवाद की शुरूआत करने की अनुमति प्रदान की।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : आपकी अनुमति से मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा क्योंकि वह मैं ही हूं जिसने सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम पुकारा गया था और वे स्पष्टीकरण देने के पात्र हैं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कोई नाम नहीं पुकारा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने नहीं पुकारा पर यह माननीय सदस्यों को पूर्ण रूप से सुनाई पड़ गया।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : यह समाचार-पत्र की खबर थी। यह मेरा दायित्व है कि मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। तथ्य यह है कि मैं भारत सरकार द्वारा तैयार भाषण को पढ़ते हुए केवल अपना दायित्व निभा रहा था। यह मैंने नहीं कहा है। निःसंदेह मैंने भाषा में अपना योगदान दिया है। हमने किसी भी समुदाय या स्थान का उल्लेख नहीं किया है- ताज, ट्राइडेन्ट किसी का भी उल्लेख नहीं किया है। हमने केवल दो होटलों, एक कैफे और रेलवे स्टेशन तथा सार्वजनिक स्थानों का उल्लेख किया है। हमने केवल भारतीयों और विदेशियों का उल्लेख नहीं किया है। यह जानबूझकर नहीं किया गया; अगर वे ऐसा समझते हैं तो मुझे खेद है क्योंकि एक भारतीय होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक भारतीय और भारत में प्रत्येक विदेशी की रक्षा करूं। मैंने इसमें कोई भेद नहीं किया। किसी और मामले में मेरे विचार अलग हो सकते हैं पर इस मामले में हम सब एक हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे आशा है कि मैंने अपने स्पष्टीकरण से उनका भय दूर किया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : हिन्दी में बोलिये ना, हम लोग भी समझेंगे।

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आडवाणी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि सरकार जो दो विधेयक ला रही है, वे इनका समर्थन करते हैं। उसके लिए हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। जब आडवाणी जी बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि आज एक नई शुरूआत होनी चाहिए। सारा देश हमारी बहस सुन रहा है। एक ऐसी शुरूआत होनी चाहिए जिससे लगे कि सारा देश इस बात पर इकट्ठा है कि जहां तक आतंकवाद की लड़ाई है, हम इकट्ठा लड़ेंगे और आज के दिन हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। यह भी अपेक्षा उनसे थी, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ ...*(व्यवधान)* मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप हर बात पर दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत कमजोर है, हम अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते और इसलिए सारे विश्व में फैला हुआ है कि भारत कमजोर है और यह सरकार ऐसी-वैसी है। आज के दिन जब हम बहुत अहम बहस कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने मामले को मजबूत आधार और समय की मांग के साथ सुसंगतता प्रदान की है। आपको कम से कम इस बात का तो आदर करना चाहिए। आपने उनकी बात पूरे मनोयोग से सुनी है और हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा है। इस पर टीका टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : आज के दिन मैं जरूर यह चाहता था कि आडवाणी जी उठकर कहें कि आज मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, इस विधेयक को पास करते हैं, राजनीति बाद में देखी जाएगी। ऐसे अवसर पहले भी कई बार आए और मैंने कई बार आडवाणी जी से अपेक्षा भी की।

[अनुवाद]

आप मेरी उम्मीद पर कभी खरे नहीं उतरे...*(व्यवधान)* आप कभी भी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें। वे उस मामले पर केवल आपकी इच्छा के अनुरूप ही नहीं बोल सकते। उस मामले पर कोई नहीं बोल सकता। अतएव, आपको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। निस्संदेह आपको आलोचना करने का अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : परंतु दुर्भाग्य से आप हमारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। *[हिन्दी]* मैं आपको याद दिलाऊं, आपको सारी

बातें मालूम है कि जब आतंकवादी अमृतसर से कंधार प्लेन लेकर गए, आपको याद है...*(व्यवधान)* आपको याद होगा कि हमने एक ऐसा नजारा पहले कभी हिन्दुस्तान में नहीं देखा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगर इसके बाद आपके दल के किसी वक्ता के भाषण में व्यवधान उत्पन्न किया जाए तो आप मुझसे कुछ न कहें। कृपया ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता था कि हमने ऐसा नजारा पहले कभी हिन्दुस्तान में नहीं देखा था। उस समय की सरकार का एक बहुत अहम् मंत्री तीन टैररिस्ट को कंधार में एस्कार्ट कर रहा है और उस समय पोटा लागू था, आपको मालूम है। वे तीन टैररिस्ट कौन थे, यह सबसे अहम् बात है - एक मौलाना मसूद अजहर, दूसरा उमर शेख और तीसरा जरदार। आपको मालूम है कि वे उसके बाद पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में जाकर मौलाना मसूद अजहर ने एक आर्गनाइजेशन बनाई, जिसके वे सदस्य बने, उसे जैश-ए-मेहम्मद बोलते हैं। उसने यहां हमला किया, सदन पर जैश-ए-मोहम्मद द्वारा हमला हुआ। आपके रिहा करने की वजह से पार्लियामेंट पर हमला हुआ।...*(व्यवधान)* आप सच्चाई सुनिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न करें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हर व्यक्ति किसी की पसंद के अनुसार बोले।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फिर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब सहमत होंगे तो बहस की कोई जरूरत ही नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यहां पर मतों में अंतर होगा। कृपया सुनें और इसका जवाब दें। मेरी आप सभी से विनम्र अपील है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया निर्देश देने का प्रयास न करें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि अगर आप मोहम्मद मसूद अजहर को रिहा नहीं करते तो पार्लियामेंट पर हमला भी नहीं होता...*(व्यवधान)* आप उस समय गृह मंत्री थे, आपने खुद कहा है कि मुझे जानकारी ही नहीं थी कि हमारे मंत्री इन्हें लेकर गए। दुख की बात यह है कि मैं समझता कि आज के दिन या आज से पहले आपको खड़े होकर एनडीए सरकार की तरफ से जनता और पार्लियामेंट से माफी मांगनी चाहिए थी कि आपने ऐसी गलती की।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाईये।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए आपको जो बोलना है, बोलिए।

अपराह्न 3.00 बजे

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठिए।

[अनुवाद]

आप बैठ जाएं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह सही नहीं है। कृपया सहयोग दें। श्री अशोक प्रधान, आज आपको क्या हो गया है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी सीट कहां है? जहां आपकी सीट है, आप वहां बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनका पाइंट आफ आर्डर सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सर, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि उस वक्त जब कंधार में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जानकारी देना, पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सारे विपक्षी दलों को बुलाया था और इसका मैं सबूत दे सकता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। अब मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसमें व्यवस्था को कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सदन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित करने में विपक्ष ने जिस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज आडवाणी ने भी जिस प्रकार से बोले उसके बाद मैनें सोचा कि स्वस्थ चर्चा होगी। यदि आप प्रत्येक वाक्य पर टीका टिप्पणी करेंगे, तो मैं इसे कतई पसंद नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री सिब्बल के वक्तव्यों के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : आडवाणी जी ने एक बात शुरू में कही, वह यह कि जब आप यहां विधेयक ला रहे हैं और 22 फरवरी, 2009 को संसद का अधिवेशन शुरू होगा, तो आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को क्यों नहीं भेज सकते? उन्होंने यह पहली बात, यहां कही और उन्होंने जोर देकर यह कहा कि यदि इसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजते, तो इस पर सही तरीके से विचार होता और उसके बाद हम विधेयक पारित करते, तो बेहतर होता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब उन्हें पोटा लागू करना था, तो वे अपनी सरकार के समय एक आर्डिनेंस लाए। क्या आपके दिमाग में यह बात तब नहीं आई कि इतना गम्भीर और महत्वपूर्ण विधेयक आप पास करने वाले हैं, तो आपको आर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए, बल्कि उसे सदन में लाकर, सब लोगों से विचार-विमर्श कर के, उसे पारित करना चाहिए था? आप हमेशा ऐसा करते रहे हैं। मैं केवल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुख की बात है कि आप लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। आप लोग यह क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय आडवाणी जी भाषण दे रहे थे, तब हम लोग शांति के साथ सुन रहे थे, लेकिन ये बीच-बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहेंगे कि जब आप बोल रहे हों

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

तो कोई इस प्रकार व्यवधान उत्पन्न करे जैसे कि आप कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल : दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूं और जिसे आप पहले ही से अपने भाषण का केन्द्र बिन्दु बना चुके हो; आप यह कहे जा रहे हो कि दस वर्षों के बाद हमने भारी परिवर्तन कर दिया है। और दस वर्षों के बाद हमें अचानक यह महसूस हुआ कि पहले हमने जो किया था; वह सही नहीं था। आप इस बात से प्रसन्न हो कि हमने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। परंतु आडवाणी जी आपको यह याद होना चाहिए कि *[हिन्दी]* अगर टैररिज्म का किसी ने मुकाबला किया है, तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए। टाडा कानून हम लाए थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। मैं बहस रोक दूंगा और विधेयक पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाऊंगा। आप जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। अब इस तरह से नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। यदि कोई चर्चा करना नहीं चाहता तो विधेयक पारित करने का कार्य प्रारंभ कर दूंगा।

श्री कपिल सिब्बल : मैं यह बात कर रहा था कि जीवन ही की भांति राजनीति में भी कुछ भी स्थायी नहीं है। आप हमेशा जीवन से सीखते रहते हैं। कई बार विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। जब हम पहली बार टाडा लाए थे तो यह एक भयावह आतंकी कानून था और हम आतंकवाद के साथ पूरी सख्ती से निपटना चाहते थे। उस समय कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही थी और आपने उसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया। हमने टाडा के कार्यान्वियन के दौरान यह महसूस किया कि काफी ज्यादा अत्याचार किए गए थे।

अंततः आपको यह याद होगा कि इस देश के दो महान नेताओं ने आतंकवाद के चलते अपने प्राण गंवा दिए। आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि ऐसे दल जिसने स्वतंत्रोत्तर देश में अपने दो महान नेताओं का बलिदान दिया उस पर आरोप लगाना और यह कहना कि यह दल आतंकवाद से लड़ने में सक्षम नहीं है मैं समझता हूं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है। आपको इतिहास के तथ्यों को समझना चाहिए। आप इतिहास की गलत व्याख्या कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा है परंतु आपको इतिहास के तथ्यों को समझना चाहिए।

[हिन्दी]

जब हमने देखा कि टाडा का दुरूपयोग हो गया है तो हमने उसको लैप्स करा दिया। उसको दोबारा लागू नहीं किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद 1998 में *[हिन्दी]* आप सत्ता में आये और अपने यह तय किया कि हम पोटा जैसा कानून लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप महाराष्ट्र में सत्ता में आये। सबसे पहले 1999 में आपने महाराष्ट्र में मकोका बनाया और मकोका जो कानून था, वह टाडा का एकदम रैप्लीकेट था, हूबहू, जो टाडा था, वही मकोका था तो आप अपनी तरफ से कोई कानून नहीं लाये। आप यह जनता को गलत बता रहे हो कि पोटा हमारा कानून था। पोटा, जो मकोका है, वह टाडा का हूबहू वही कानून था। आपने टाडा को कापी किया, अच्छी बात है, आपने कापी किया। वह 1999 में था, फिर 2001 में आप पोटा का आर्डिनेंस लाये, लेकिन जब आप मकोका और पोटा का अन्तर देखते हैं तो आप देखेंगे कि कई जगह आपने जो मकोका के प्रावधान हैं, प्रोवीजन हैं, उनको आपने नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? जैसे, मकोका में प्रोवीजन है कि अगर किसी एक्युज्ड को बेल मांगनी है तो वह याचिका देगा और पब्लिक प्रोसीक्यूटर को उसको अपोज करने के लिए एक मौका मिलेगा और बेल उसको तभी मिलेगी, अगर पब्लिक प्रोसीक्यूटर मान जाये कि उसको बेल मिलनी चाहिए। दूसरे, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि वह दोषी है ही नहीं और तीसरे, कोर्ट इस नतीजे पर भी पहुंचे कि अगर उसको रिहा किया जायेगा कि ऐसा कोई ऑफेंस वह कमिट नहीं करेगा। ये तीन बातें आप मकोका में लाये, आप की ही सरकार महाराष्ट्र में थी, हमारी सरकार नहीं थी। जब आप वह लाये, जब पोटा आप लाये तो आपने यह प्रावधान उसमें नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, हम आपसे पूछना चाहते हैं? आप टैररिज्म की बड़ी बात करते हैं, टफ कानून की बात करते हैं, क्यों नहीं रखा, क्योंकि आपने समझा कि यह कानून...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे?

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपकी बात नहीं सुनुंगा, महोदय... *(व्यवधान)* । महोदय, मैं आपकी बात नहीं सुनुंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिब्बल, कृपया उन्हें बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नियम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जब हम पोटा को बना रहे थे तब मैंने गृह मंत्रालय में अपने सभी मित्रों से कहा था कि हमें यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार के कानूनों के बारे में जो कुछ भी कहा है, पोटा में उन सभी सुरक्षोपायों का उपबंध किया जाना चाहिए। इसलिए हो सकता है कि यह उनमें से एक हो परन्तु मुझे ज्ञात नहीं हैं।

श्री कपिल सिब्बल : अगर आप नहीं जानते है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रूप से टाडा की सांविधानिक वैधता बरकरार रखी गई थी...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक मकोका का संबंध हैं, आपकी सरकार के होते हुए, तीन राज्य जिन्होंने इसी प्रकार के कानून पारित किए उन्हे इसकी अनुमति नहीं दी गई...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने टाडा की नकल कर दी लेकिन जब पोटा लागू हुआ तो उन्होने पोटा तक में भी मकोका के उपबंधों को शामिल नहीं किया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अच्छा हुआ।

श्री कपिल सिब्बल : अच्छा इसलिए हुआ कि आपको जानकारी हुई आपके अनुभव के कारण कि ऐसे प्रोविजन पोटा में नहीं होने चाहिए।

मतलब जैसे कि कन्फेशन, मकोका में प्रोवीजन है कि कन्फेशन पुलिस आफीसर का एक्युज्ड के खिलाफ तो हो सकता है, लेकिन उसके को-एक्युज्ड के खिलाफ भी हो सकता है। यह प्रावधान मकोका में था, लेकिन जब पोटा लाए, तो आपने को-एक्युज्ड को निकाल दिया। क्यों निकाला? इसलिए...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा) : ...*(व्यवधान)* बात क्या हुयी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या है, उनकी बात उन्हीं को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

उन्होने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा जिसका मैं लाये करूं। वे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बोलेंगे।

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून स्थिर नहीं होते हैं; विचारधाराएं स्थिर नहीं होती है। आप अनुभव से सीखते हैं और जैसे ही आप अपने अनुभव से सीखते हैं वैसे ही हम भी अपने अनुभव से सीख लेते है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम दस वर्षों बाद पुनः वहीं लौट आए हैं जहां से हम चले थे। यहां तक कि यह विशिष्ट कानून पोटा की नकल नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। आप गलत फहमी का शिकार हैं।

पोटा में ऐसे तीन मूलभूत उपबंध कौन से थे जिनका हम विरोध कर रहे थे? पोटा में पहला मुलभूत उपबंध था पुलिस अधिकारी के समक्ष दोष स्वीकारना। ऐसे कन्फेशन के आधार पर अनेक निर्दोष लोगों को सजा हुई। हम इसके पूरी तरह विरोध में थे। हमने देखा की गुजरात में क्या हो रहा था और किस प्रकार कन्फेशन करवायी जा रही थी। इस कानून में पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकारोक्ति कन्फेशन की ग्राह्यता का कोई उपबंध नहीं है।

[हिन्दी]

आपने अपनी बहस में कहा कि कन्फेशन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कन्फेशन का इस्तेमाल होता है। यह नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर में कोर्ट में कन्फेशन का प्रावधान ही नहीं है। कन्फेशन है, 164 सीआरपीसी का प्रावधान है। उसके अंतर्गत कन्फशन हो सकता है। उस कन्फेशन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आज के दिन पुलिस क्या चाहती है और कुछ सरकारें ऐसा चाहती हैं कि वहां जाने की क्या जरूरत है? इनको पीटो, इनसे कन्फेशन लो, अपना पोलिटिकल एजेंडा पूरा करो और आगे बढ़ो। यह है प्रालिटिक्स। ...*(व्यवधान)* मेरे कहने का मतलब यह है कि...

[अनुवाद]

आपके लिए पोटा, आतंकवाद निरोधक अधिनियम नहीं है। यह आपकी राजनीति को आगे ले जाने का एक राजनीतिक हथियार और एजेन्डा हैं आपके लिए यही पोटा है। यही वस्तुस्थिति है। आपके लिए आतंकवाद एजन्डे की राजनीति ही पोटा है।

महोदय, अब मैं अन्य उपबंधों पर आता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह किस प्रकार का वक्तव्य है? ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यवधान को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न करे।

आप निराश हैं कृपया आप बैठ जाएं। आप निराश हैं लेकिन आप कृपया बैठ जाएं।

श्री सिब्बल कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, दूसरा उपबंध जमानत के संबंध में है। पोटा के तहत निम्नलिखित उपबंध था कि लोक अभियोजक की सुनवाई की जाएगी तथा न्यायालय यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है तो न्यायालय उसे जमानत दे देगा जैसा कि आप जानते है कि अभियोजन से पहले कोई न्यायालय कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता हैं कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है। इसलिए, कभी भी कोई जमानत नहीं दी जा सकती है। वर्तमान कानून में हमनें इस उपबंध को शामिल नहीं किया है। मौजूदा कानून में हमने इसे स्वीकार नहीं किया है। मौजूदा कानून के अनुसार आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह उपबंध है कि अभियोजक की सुनवाई की जाएगी परंतु जमानत केवल तभी दी जाएगी अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है कि प्रथम दृष्टा यह विश्वास करने का तर्क संगत आधार हैं कि अभियुक्त के विरूद्ध मामला बनता है। इसलिए, इस उपंबध से विपथन हुआ है। वे इस गलत फहमी में लगते है कि दस वर्ष पश्चात् पुनः हम पोटा को अपना रहे हैं। यह सही नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दस वर्ष बाद आप एक विशेष कानून ला रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल : यह विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का ही एक संशोधन है। हम सरकार में राजनीति में रहकर अपने अनुभव से ही सीखते हैं जैसे आप सीखते हैं। इसलिए, हमारा विश्वास है कि मौजूदा परिस्थितियों में इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जमानत के कतिपय उपबंधों में संशोधन करें ताकि आप सर्वसाधारण से यह न कह सकें कि देखिये यह सरकार राष्ट्र के समक्ष आ रही। आपातकालीन स्थिति से निपटने के संबंध में कुछ नहीं कर रही है। आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं। हम देश को बताना चाहते है कि राजनीतिक दल के रूप में हमारा तथा यूपीए का आतंकवाद पर निश्चित ही सख्त रूप है लेकिन साथ ही हम मूल्यवान मानवाधिकारों को नकारना नहीं चाहते है तथा देश में किसी भी कानून को बनाने के लिए दोनों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर हम आगे बढ़े हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानवाधिकारों का उल्लघंन न हो और साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवाद से निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त कानून हों।

तीसरा मुद्दा जो मैं रखना चाहता हूं वह यह है कि वर्ष 2002 में आपके द्वारा पोटा लाए जाने के बाद, आप कितने आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाये? एक भी आतंकवादी गतिविधि को नहीं रोका जा सका। क्योंकि एक अधिनियम का मतलब आतंक को रोकना नहीं है। अधिनियम आतंकवादियों को सजा देने के लिए बनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग चीजे हैं। पोटा आतंक को नहीं रोक पाएगा और नहीं विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम आतंक को रोक पाएगा। इसलिए, कोई आतंकवादी घटना होती है अथवा नहीं होती है ऐसा इस वजह से नहीं है कि यहां पोटा है अथवा यहां पोटा नहीं है। अजमल कसाब मुंबई आया जबकि वहां मकोका है और मकोका टाडा से खतरनाक है। परंतु वह मुंबई आया। मकोका उसे वहां आने और जो उसने किया उसे करने से नहीं रोक पाया। कानून का आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास ऐसे कानून होने चाहिएं जिससे कि हम जब कभी एक आतंकवादी को पकड़ें, तो उसे आसानी से जमानत नहीं मिले तथा कानून में ऐसे पर्याप्त प्रावधान हों, जिससे उसे दंडित किया जा सके। यही बात ध्यान में रखते हुए यह सरकार अवैध गतिविधि निरोधक अधिनियम में एक संशोधन लाई है न कि दस वर्ष बाद घर लौटने की बात को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपने कहा।

[हिन्दी]

कि सुबह का भूला शाम को घर आया, मतलब असल बात यह है आडवाणी जी कि जब आपने खड़े होकर सैकुलरिज्म की बात की तो मैं बहुत खुश हुआ, खुश हुआ कि आपने पहली बार कहा कि सैकुलरिज्म इस देश की एक सभ्यता है, ऐसा तो होना चाहिए। लेकिन अगर आप सैकुलरिज्म की बातें करते हैं तो उसे अपनाएं भी। ...*(व्यवधान)* उसे साथ लेकर चलें भी, उस रास्ते पर चलें भी, केवल बातें मत करें।...*(व्यवधान)* देखिए, आपको बहुत दर्द होता है, मैंने सुना भी है कि आपको दर्द हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें टार्चर किया गया है और हमें बेल नहीं मिलती। आपको दर्द हुआ और सही दर्द हुआ। हम चाहते हैं कि किसी को टार्चर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। शायद

[श्री कपिल सिब्बल]

आप उसे स्वीकार करेंगे।...*(व्यवधान)* गोधरा कांड के बारे में सबको मालूम है। गोधरा कांड में यह हुआ कि सन् 2001 में जब यह कांड हुआ, उसके बाद लोग हिरासत में लिए गए और आज के दिन भी लगभग 90 से 100 लोग हैं। उन्हें आज तक बेल नहीं मिली, मतलब उन्हें 27 फरवरी, 2009 को सात वर्ष हो जाएंगे, किसी को एक बेल नहीं मिली। कार्यवाही चलती रही। आप ही की वजह से, आपने पोटा के अंतर्गत एक स्टेट रिव्यू कमेटी बनाई थी। उस स्टेट रिव्यू कमेटी के अंतर्गत, स्टेट रिव्यू कमेटी को अधिकार है कि जो ऐविडैंस किसी के खिलाफ भी है, स्टेट रिव्यू कमेटी उसे देखे और यदि स्टेट रिव्यू कमेटी कहे कि यह पोटा का केस बनता ही नहीं है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसी स्टेट रिव्यू कमेटी सन् 2005 में बनी। उस स्टेट रिव्यू ने जो निर्णय लिया, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं। 16 मई, 2005 में

[अनुवाद]

राज्य पुनरीक्षा समिति ने यही कहा है। मैं इसमें से संबद्ध अंश पढ़ना चाहूंगा।

"हमारे विचार में यह दंड संहिता तथा अन्य विशेष अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न अपराध करने वाली अवैध रूप से एकत्र होने का एक साधारण मामला है लेकिन निश्चित रूप से पोटा के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है।"...*(व्यवधान)*

मैं सांविधिक समिति की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं यह सं.प्र.ग. सरकार ने नहीं किया है।

"यह घटना अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तिथि, समय तथा स्थान पर हुई लेकिन निश्चित रूप से पोटा के प्रावधानों के अनुसार षडयंत्र का हिस्सा नहीं थी।"

[हिन्दी]

यह सन् 2005 में वर्डिक्ट आ गया। आपके पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने केस में याचिका दी कि यह स्टेट रिव्यू कमेटी का ओपीनियन है, हम इसे नहीं मानते और आपको मानना नहीं चाहिए। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट का जजमैंट था कि स्टेट रिव्यू कमेटी का ओपीनियन बाइंडिंग है, लेकिन आपके पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि हम नहीं मानते इसलिए कोर्ट ने नहीं माना।...*(व्यवधान)* नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 21, अक्तूबर 2008 को यह निर्णय लिया, जिसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं।

[अनुवाद]

"अत:, हमारा यह मत है कि एकबार जब पुनरीक्षा समिति निरसन अधिनियम की धारा 2(3) के अंतर्गत पुनरीक्षा करते हुए यह मत प्रकट करती है कि उन मामलों में जहां अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, जहां न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, ऐसे मामले वापस ले लिए माने जाने चाहिए।"

"वापस ले लिए माने जाने" का अर्थ है

[हिन्दी]

अक्तूबर 21, 2008 में, जब स्टेट रिव्यू कमेटी का डिसीजन 2005 में था, उन्हे 2005 से वापस ले लिया माना गया। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और वे लोग आज तक पोटा के अंतर्गत जेल में बंद हैं। जो बेकसूर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लोग लेंगे, कौन सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी? उनको जेल में बंद हुए सात साल होने वाले हैं, लेकिन उनको आज तक बेल नहीं मिली। इसलिए हम ऐसे प्रोविजन का विरोध करते हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए हमने यह प्रोविजन नहीं लिया। इसलिए हमने विरोध किया क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से इसका दुरूपयोग हो रहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कपिल सिब्बल, कृपया बोलते रहें।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : अगर हम ऐसा ही कानून आपके हाथ में कभी भी देंगे, जो आपके हाथ कुछ प्रदेशों में है, आज के दिन भी हो रहा है। हम उसके पक्ष में नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मिस्टर आडवाणी जी, आपने और भी कई बातें कही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो बहुत परेशान हो रहे हैं वे थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल : आडवाणी जी, आपने और भी कई बातें कहीं।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, हम भी बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जब बोलेंगे तब वे लोग भी आपको टोकेंगे।

(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : अगर वे बीच में बोलेंगे, तो बहुत अच्छा है।...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : आपने कहा कि जब 9/11 हुआ, तो अमेरिका ने क्या किया?...*(व्यवधान)* वे इतने कानून लाये कि वहां दोबारा 9/11 नहीं हुआ। आपको शायद मालूम है कि उनका जो पेट्रियॉट एक्ट है, वह अपने सिटीजन्स के खिलाफ नहीं है, वह केवल विदेशियों के खिलाफ है। उनका पेट्रियॉट एक्ट नान सिटीजन्स के खिलाफ है, किसी एक सिटीजन के खिलाफ नहीं है। मतलब यह है कि वहां 24 घंटे में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, आज के दिन भी, 9/11 होने के बाद भी। नॉन सिटीजन्स के खिलाफ कानून क्या है कि आप सात दिन के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे इवन नॉन सिटीजन्स, आप सात दिन को बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अटार्नी जनरल आफ अमेरिका से एक सर्टीफिकेट लेना होगा कि वे अमेरिका के लिए खतरा हैं। जब तक वह सर्टीफिकेट नहीं आयेगा, तो वह सात दिन के बाद कोर्ट जा सकता है। आप कौन से अमेरिका के कानून की बात कर रहे हो? इसका मतलब है कि जानकारी ही नहीं है। लेकिन दुनिया को बता रहे हैं कि अमेरिका ने यह कर दिया, यह कानून बना दिया। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम में क्या है? वह प्रावधान मैं आपको बता दूं। यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 2006 का टेरोरिज्म एक्ट है, उसके अंतर्गत आप किसी को 28 दिन के लिए डिटेन कर सकते हो। उसे 28 दिन के बाद कोर्ट में जाने का हक है। वर्ष 2008 में एक काउंटर टेरोरिजम एक्ट, इस सरकार ने, जो यू.के. की प्रैजेंट सरकार है, वह हाउस आफ कामन्स में विधेयक लाये। हाउस आफ कामन्स ने उसे 315 और 306 के अगेन्स्ट पास कर दिया। यह बड़ी स्मॉल मैजोरिटी थी। लेकिन हाउस ऑफ लार्ड में रिजैक्ट हो गया। अब यह पास क्या किया? वह चाहते थे कि यह जो 28 दिन की हिरासत है, उसे 42 दिन किया जाये। वह भी हाउस ऑफ लार्ड नहीं माना। वह 28 का 28 दिन ही है जबकि यहां 180 दिन है। इस लॉ में अब हमने 180 दिन का प्रावधान रखा है। हमारे जो लॉज हैं, वे अमेरिका से भी कहीं ज्यादा टफ हैं। इंग्लैंड से भी ज्यादा कहीं टफ हैं। आप मुझे विश्व में कोई एक उदाहरण दे दीजिए जहां ऐसे लॉज हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इस गलतफहमी में न बैठिए कि दूसरे देश ऐसे विधेयक लाए हैं, जो इससे ज्यादा टफ हैं, यह कोई ऐसी-वैसी सरकार है या एक कमजोर सरकार है। एक विपक्ष के नेता को सदन में ऐसी बात कहनी ही नहीं चाहिए। सरकार सरकार ही होती है, चाहे वह किसी भी दल की हो।...*(व्यवधान)* फिर आप कहते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मैं दिल्ली के इलेक्शन में था, मुझे मालूम है कि वहां क्या हो रहा था। जिस दिन वहां यह हो रहा था, दिल्ली में अखबारों में इश्तहार निकाले जा रहे थे कि अगर आप टेररिज्म का सामना करना चाहते हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप कहते हैं कि आप राजनीति से उठकर बातें करते हैं। कहने की बात अलग होती है, लेकिन आज आपने सदन के सामने जो बातें रखी, उससे मुझे आश्चर्य हुआ। आज के दिन हमें इस मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए था, हमें विश्व को एक संदेश देना चाहिए था कि हम इस लड़ाई में इकट्ठे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : अब आप क्या कर रहे हैं?

श्री कपिल सिब्बल : मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : ये कह रहे हैं कि कथनी और करनी एक रखिए।

श्री हरिन पाठक : सिब्बल जी, आप बिल के पक्ष में बोलिए। विपक्ष में होने के नाते हमारा यह अधिकार है कि हम आपकी कमियां बताएं। आप केवल बिल के पक्ष में बोलिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सिब्बल जी, आप बिल को अपने हाथ में लेकर बोलिए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : महोदय, आप सिब्बल जी को यह संदेश दीजिए कि यह कोर्ट नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोर्ट से बड़ा है। यह जनता की कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री लाल मुनी चौबे : मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आप तो न्याय कीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या न्याय करूं। मैं आप लोगों से केवल अपील कर सकता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर) : महोदय, मैं उनसे उस समय उपस्थित रहने का अनुरोध करूंगा जब हमारी बोलने की बारी आए. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को सभा में उपस्थित रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायगा।

*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, बात को पूरी करते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में विनिर्दिष्ट कानून सभी को मालूम है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन 2005 तक, राज्य बनाम नवजोत संधू (2005) मामले में 11 उच्चतम न्यायालय मामलों 600 में, उन्होंने करतार सिंह तथा पोटा में समूचे कानून पर चर्चा की। यह न्यायाधीश ने कहा और मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं पैरा 54 को उद्धृत कर रहा हूं:—

"संविधान पीठ का निर्णय हम पर बाध्यकारी है। वास्तव में, वह निर्णय पोटा पर ज्यादा लागू होता है क्योंकि संविधान पीठ के दिशानिर्देश धारा 32 में शामिल किए गए हैं। शायद संविधान पीठ के न्यायाधीशों के बहुमत से लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करने में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। लेकिन जब हम धारा 32 को देखते हैं, तो करतार सिंह मामले में निर्णय के बावजूद हमारे दिमाग में महत्वपूर्ण संदेह रह जाता है। यह पोटा अपराधों की सुनवाई के लिए साक्ष्य के रूप में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष जुर्म कबूल करने संबंधी कठोर प्रावधान के पीछे औचित्य या कारण से संबंधित है। कई प्रश्न उठते हैं तथा हम उनका संतोषजनक उत्तर पाने में असमर्थ हैं।"

यह करतार सिंह के संबंध में स्वयं उच्चतम न्यायालय ने कहा है। इस तरह, इस देश में वास्तविक बहस चल रही है। न्यायपालिका में सच्ची बहस चल रही है कि एक पुलिस अधिकारी के समक्ष अपराध स्वीकार करने को अनुमति दी जाए या नहीं तथा इस परिप्रेक्ष में हमने अपने कानून तैयार किए हैं। जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने सही ही कहा है, हम कानून में संतुलन लाना चाहते हैं ताकि यह उनके दुरूपयोग करने वाले लोगों के हाथ में हथियार न बने। साथ ही, हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि आतंकवादियों से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त प्रावधान हों। इसे ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े हैं।

अपराह्न 3.31 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

दूसरी बात मैं नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी के बारे में कहना चाहता हूं और अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह यह विधेयक लाई। आपको मालूम होगा कि माननीय आडवाणी जी जब होम-मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम-मिनिस्टर थे, वे कई सालों तक फैडरल एजेंसी की बात करते रहे। इनके पास बड़े-बड़े नेता भी थे जो कानून जानते थे, लेकिन 6 सालों में भी ये फैडरल एजेंसी नहीं बना पाए। वे चाहते थे कि हम करें, हार्ड आन टैरर हैं, टफ ऑन टैरर हैं लेकिन टैरिज्म पर फैडरल एजेंसी नहीं बना पाए। हमने दो हफ्ते में वह कर दिया जो इन्होंने 6 सालों में नहीं किया। हमने क्यों दो हफ्ते में किया, मैं उसका कारण बताता हूं। हमने सोचा कि टैरिज्म जो है यह केवल एक कानून है लेकिन कई ऐसे कानून हैं जो इस फैडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी के पास हैं और वे शैड्यूल में दिये गये हैं। जैसे एटोमिक एनर्जी है। यहां एक फैडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी चाहिए। यह स्टेट का लॉ एंड आर्डर इश्यू नहीं बन सकता। एंटी हाइजैकिंग एक्ट,

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जैसे कंधार में हुआ, उसके लिए स्टेट लॉ काफी नहीं है। यह आपको करना चाहिए था, आपने इसे 6 सालों में क्यों नहीं किया?

[अनुवाद]

सिविल विमानन, सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम 1982 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय (आतंकवाद दमन) अधिनियम, 1993 1 सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय रुग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरूद्ध विधिविरूद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002।

[हिन्दी]

हमने सोचा कि कुछ ऐसे कानून इस देश में हैं जहां केवल एक फैडरल इंवैस्टीगेशन एजेंसी ही जांच कर सकती है। इसीलिए हम यह कानून लाए हैं। यह केवल अनलॉफुल एक्टीविटीज एक्ट के लिए ही नहीं है, यह कई और एक्ट्स के लिए भी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं क्यों इसमें सेक्शन 18 है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि:—

[अनुवाद]

"विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध की इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई..."

[हिन्दी]

क्योंकि ये शैड्यूल आफेंस हैं। शैड्यूल आफेंस के अंतर्गत कोई भी नेशनल इंवैस्टीगेटिंग एजेंसी शैड्यूल क्राइम को इंवैस्टीगेट कर सकती है। इस में लिखा गया है कि:—

[अनुवाद]

"विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध की इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यदिवसों को दिन प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी तथा इसे किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले में हो रही सुनवाई की वरीयता दी जाएगी।..."

[हिन्दी]

गोधरा के केस में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है जबकि 7 साल उसे हो गये हैं, अभी चार्जेज भी फ्रेम नहीं हुए। अगर स्टेट रिव्यू कमेटी का निर्णय सही है कि वे अपनी सजा भी भुगत चुके हैं लेकिन उन्हें बेल भी आज तक नहीं मिली। आपने सही नहीं किया, हमने सही किया। हम ये परिवर्तन लाए हैं और हम ये सीख रहे हैं। जैसे आपने सीखा और आने वाले दिनों में मैं सोचता हूं कि और आगे भी आप सीखोगे। हम एक दूसरे से सीखते हैं और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। सेक्युलरिज्म की बात अगर आप सीखोगे तो देश बड़ी गति से आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी समझें। उसका जो भाव और प्रेरणा है उसे समझो और आगे बढ़ो।

[अनुवाद]

इस प्रकार, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का क्रियान्वयन भी समान रूप से सफल हो एक संघीय जांच एजेंसी बनाने का प्रयास किया है।

वस्तुतः माननीय गृह मंत्री ने तथा संप्रग सरकार ने इस कानून में यह बताने का प्रयास किया है कि न केवल विशेष न्यायालय ही होंगे बल्कि यथार्थ में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाएगी। अन्य शब्दों में, मान लीजिए सूची में उल्लिखित कोई अपराध गुजरात में किया जाता है अथवा मध्य प्रदेश में किया जाता है अथवा दिल्ली में किया जाता है तो इस अपराध के घटित होने के 7 दिन के भीतर ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाएगा और उन्हें 7 दिनों के अंदर एक न्यायाधीश देना होगा। यह बात पोटा में नहीं थी। मेरा प्रश्न जो मैं रखना चाह रहा हूं यह है कि हमने अनकों सुधार लाने का प्रयास किया है। हमने सिर्फ धारा 167 के संबंध में पिछले पोटा को अपनाया है जहां 180 दिनों तक हिरासत में पूछताछ करने की व्यवस्था है।

केवल इसी उपबंध के मामले में हमने पोटा को अपनाया है। परन्तु शेष के मामले में यह कानून पोटा से बिल्कुल अलग है क्योंकि-हमने अनुभव से सीखा है, हमने आपके अनुभव से सीखा है, हमने अपने अनुभव से सीखा है तथा आपके लिए यह कहना अच्छी बात है कि

[हिन्दी]

हम दस साल के भूले हुए अब घर आए हैं, यह बात सही नहीं है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस तरफ के भूले हुए लोग अभी भी घर वापिस नहीं आए हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप घर वापिस आ जाओ। शाम हो चुकी है, आप घर आ जाओ। अगर आप घर नहीं आओगे, तो अंधेरे में ही रहोगे, जैसे दिल्ली और राजस्थान में रहे और आगे भी यही होने वाला है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आतंकवाद से लड़ाई कभी समाप्त नहीं होने वाली है। हम यह देख सकते हैं

[श्री कपिल सिब्बल]

कि इराक में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ क्या घटित हो रहा है। सभी सुदृढ़ कानूनों के बावजूद, बड़ी सेना के बावजूद इराक में प्रतिदिन अमरीकी सैनिक मारे जा रहे हैं क्योंकि आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई अंतहीन है। वस्तुतः द इलियाड के प्रारंभ में यह भविष्यवाणी की गयी थी। जब यूरोपीय सेना ने पहली बार ट्राय पर आक्रमण किया तो अपोलो ने नौ दिनों तक अपने रजत धनुषों से यूनानियों पर अपने तीरों की बौछार की जिससे हजारों लोग प्लेग से मारे गए। मृत लोगों की चिताएं दिन-रात तब तक जलती रही जब तक कि इस दैविक जैव-आतंकवाद को त्याग के प्रतिकारक से शांत नहीं किया गया और यह संघर्ष जारी रहा।

आतंकवाद हमारे साथ रहेगा। हमें इस बात की जरूरत है कि हम प्रयास करें और इसे सीमित करें, हम प्रयास करके इसे रोकें तथा हम एकजुट होकर प्रयास करें और आतंकवाद की चुनौती का सामना करें। ऐसा संसदीय वाद-विवाद में राजनीतिक फायदा उठाकर नहीं किया जा सकता बल्कि इसे एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर ही किया जा सकता है। इसे इन दो कानूनों को पारित करने मात्र से ही नहीं किया जा सकता, इसके लिए इससे काफी कुछ अधिक किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम एकजुट हों, सभी राज्य सरकारें एकजुट हों, हमारे देश में पुलिस तंत्र में सुधार किए जाएं, हमारे देश में पुलिस को अधिकार दिए जाए, हम कम से कम कतिपय मुद्दों पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आम सहमति बनाएं।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। वे कहते हैं कि आतंकवाद फुटबाल का खेल है। आप सौ शॉट को बचा सकते हैं लेकिन लोग केवल उसी शॉट को याद रखते हैं जिससे गोल हो जाता है। लोग बचाए गए शॉट्स को याद नहीं करेंगे। गोल कर देनेवाला शॉट मुम्बई का रहा। हमें उठकर एक साथ खड़े होने तथा जो यह एक शॉट हम पर मारा गया है उस पर शोक मनाने की जरूरत है। कृपया हम इस वाद-विवाद को विवादास्पद न बनाएं, हमे आज एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होने, अतीत को भूल जाने, भविष्य की और आगे बढ़ने और 21वीं शताब्दी में एक साथ मिलकर कदम बढ़ाने की जरूरत है।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मुम्बई की इन भयावह घटनाओं के पश्चात् 11 दिसंबर को जब इस सभा में चर्चा हो रही थी तो हमने यहां एक विरल एकता देखी। आतंकवाद से लड़ने के लिए वास्तव में ऐसी एकता की जरूरत है। आज हम लोगों के बीच वही एकता देखते हैं, चाहे वह व्यक्ति हिन्दू हो अथवा मुसलमान अथवा ईसाई अथवा जैन। हमने अपने देश की जनता में ऐसी विरल एकता और एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता देखी है।

महोदय, ये दोनों विधेयक काफी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। मुम्बई की घटना के पश्चात् राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में प्रस्ताव किया गया था। लेकिन चूंकि ये दोनों विधेयक काफी महत्वपूर्ण हैं, हमारा सुझाव है कि इन विधेयकों को स्थायी समिति को सौंप देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री ने बताया है कि इसकी अत्यावश्यकता है। सरकार देश की जनता को यह दिखाना चाहती है कि वह आतंकवाद से निपटने एवं उससे लड़ने के लिए काफी संजीदा है। दूसरा सत्र भी होगा, जैसा कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने संकेत दिया है, यदि दोनों विधेयक नहीं तो कम से कम एक विधेयक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक को इसकी जांच एव इसे एक बेहतर अधिनियम बनाने हेतु स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। यहा तक कि पुरःस्थापित किए जाने के पश्चात् इसे चर्चा हेतु कल के बजाय आज लाया गया है। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसा अधिनियम हमारे देश में आतंकवाद को रोकने में समक्ष होगा?

जब कभी भी कोई घटना घटती है तो मुख्य विपक्षी दल, भाजपा से पहली प्रतिक्रिया यही आती है कि पोटा अस्तित्व में नहीं है और इसी वजह से आतंवादी घटना अथवा अमुक घटना घटी है। मैं मुख्य विपक्षी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह कठोर एवं क्रूर कानून अस्तित्व में था तब हमने इसका विरोध किया था। हमने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें ऐसे अनेक उपबंध थे जो अत्यंत कठोर थे और यही कारण था कि संप्रग ने 2004 के चुनाव में लोगों को वचन दिया था कि सत्ता में आने पर वे लोग पहला काम पोटा का निरसन करने का करेंगे। हमारे देश की जनता ने मतदान के द्वारा राजग को सत्ता से बाहर कर दिया।

हमने संप्रग सरकार का समर्थन किया तथा वाम दलों ने मांग की थी कि संप्रग सरकार को पहला काम यह करना चाहिए कि वह पोटा का निरसन करे, पोटा के कठोर उपबधों को हटाए। हमारे दल के साथ परामर्श किए गए।

हमने सुझाव दिया था कि पोटा के उन कठोर प्रावधानों को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप संशोधन विधेयक 2008 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। पोटा में ऐसे 3-4 प्रावधान थे। उन प्रावधानों को पुनः इस विधेयक में शामिल किया गया है।

हम इतने कठोर अधिनियम के विरूद्ध क्यों थे? हम इसके विरूद्ध इसलिए थे क्योंकि पोटा का दुरूपयोग किया गया था। मैं उदाहरण

दे सकता हूं। झारखण्ड एक छोटा राज्य है जहां एक विशिष्ट समुदाय के 14 से 85 आयु वर्ग के 600 लोगो को गिरफ्तार किया गया। बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में रखा गया। हमने देखा कि 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद किस प्रकार पोटा का दुरूपयोग किया गया। प्रश्न यह है कि इस विधान के अधिनियम के बाद क्या इस विधान का भी दुरूपयोग होगा। टाडा के मामले में भी, जब टाडा को अधिनियमित किया गया था, तब विपक्ष के नेता ने क्या कहा था? दुरूपयोग के बावजूद जब टाडा को किसानों के आंदोलन के विरूद्ध उपयोग किया गया था तो उन्होंने कभी भी टाडा का निरसन करने के लिए नहीं कहा क्योंकि उस कठोर अधिनियम का उपयोग एक विशिष्ट समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के विरूद्ध किया गया था। इसलिए जबकि टाडा को किसान आंदोलन के विरूद्ध उपयोग किया गया था, उन्होंने कभी भी टाडा के निरसन के लिए नहीं कहा। टाडा को व्यपगत होने दिया गया।

एक कानून कड़ा या कठोर हो सकता है परंतु यह आंतकवाद की घटनाओं को नहीं रोक सकता है, जैसा कि हमने एनडीए के शासनकाल में देखा। हमने संसद भवन पर हमले को देखा; हमने अक्षरधाम मंदिर पर हमला देखा; हमने रघुनाथ मंदिर पर हमला देखा। हमने देश में अनेक आंतकवादी घटनाओं को देखा जबकि यहां पोटा लागू था। आवश्यकता राजनीतिक इच्छाशक्ति की है जिसकी कमी है।

आज हमारे देश में क्या स्थिति है? जब हम पुलिस बलों की बात करते है; अभी कपिल सिब्बल जी ने कहा कि हमारे पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। स्थिति क्या है? यूएनओ संकल्प के अनुसार एक लाख लोगों की जनसंख्या पर 220 पुलिस बल होने चाहिए। हमारे देश में क्या स्थिति है? एक लाख की जनसंख्या पर केवल 176 पुलिस कर्मी हैं। ऐसे कुछ राज्य है जहां विगत में, और आज भी, अनेक घटनाएं हो चुकी है जैसे असम, जहां एक लाख की जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या केवल 86 है। यहां अनेक आयोग है; पांच-छह कमीसन जैसे रिबेरो आयोग हैं। इन आयोगों ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की सिफारिश की, परंतु किसी भी आयोग की सिफारिश को कभी भी ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। हमनें मुबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर क्या देखा है? हमने देखा कि पुलिस 303 राईफल लिए खम्बे के पीछे छिप रही है। इसलिए हमें निचले स्तर पर पुलिस बलों को मजबूत बनाना होगा।

मैं गृहमंत्री से जानना चाहता हूं कि वित्त से गृह मंत्रालय संभालने के बाद, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पुलिस बलों को सुदृढ़ करने के संबध में गृह मंत्रलाय के समक्ष कौन से ठोस प्रस्ताव है।

महोदय, जब एनडीए सरकार सत्तारूढ़ थी तब आसूचना प्रणाली की जांच करने के लिए 2003 में एक मंत्रिसमूह का गठन किया गया था। आसूचना ब्यूरो में 4000 पदों को संस्वछित किया गया था। यह सभी 4000 पद रिक्त पड़े हैं। कोई भी भर्ती नहीं हुई।

कानून इन सभी घटनाओं को रोक नहीं पाएगा। यदि प्रस्तावित विधान में पोटा के कठोर उपबंध शामिल किए गए, तो इन उपबधों के दुरूपयोग की संभावना है। यह हमारा अनुभव है।

महोदय, हमने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 के संबंध में अपने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। खण्ड 43(घ) में क्या है? मैं इसे पढ़ रहा हूं। इसके अनुसार:—

"(1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध को, संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थातर्गत संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और उस खंड में यथापरिभाषित "संज्ञेय मामला" का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) संहिता की धारा 167, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अंतर्वलित किसी मामले के संबंध में लागू होगी कि उपधारा (2) में:—

(क) "पन्द्रह दिन" "नब्बे दिन" और "साठ दिन" के प्रतिनिर्देशों को, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः "तीस दिन", "नब्बे दिन" और "नब्बे दिन" के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा; और

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करना संभव नहीं है तो न्यायालय, यदि वह लोक अभियोजक की अन्वेषण की प्रगति और नब्बे दिनों की उक्त अवधि से पूरे, अभियुक्त को निरूद्ध रखने के लिए विनिर्दिष्ट कारणों को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट से संतुष्ट है तो उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिनों तक विस्तारित कर सकेगा:"

[श्री बसुदेव आचार्य]

जो पोटा में था ठीक वही इस विधेयक में भी है। महोदय विश्व में कहीं भी किसी कानून में भी इस प्रकार के उपबंध नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक खूनी के मामले में भी, एक व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक निरूद्ध किया जा सकता है तथा जमानत नहीं दी जाएगी। परंतु इस मामले में इसे बढ़ाकर 180 दिन क्यों कर दिया गया है? इसलिए हमने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि भारतीय दण्ड संहिता में जो भी उपबंध है, उसे इस विधान में भी बनाए रखा जाना चाहिए। अन्यथा इस विधान में पोटा जैसे ही उपबंध होगें।

गुवाहाटी में बम फटने के संबंध में चर्चा पर बोलते हुए, मैंने कहा था कि अगर सरकार विधेयक लाती है तो हम इसका समर्थन करेंगे।

परंतु अगर आप पोटा के उन्ही कठोर उपबधों को विधेयक में शामिल करेंगे तो हम उस उपबंध का समर्थन करने में सक्षम नहीं होगें; बल्कि हम इसका विरोध करेंगे। इसे 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने की क्या आवश्यकता थी, केवल पोटा के उपबंधों को बनाए रखने के लिए माननीय मंत्री को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

महोदय, हमने खण्ड 43(ङ) तथा 43(च) में अन्य संशोधन का भी सुझाव दिया था। खण्ड 43(ङ) में पंक्ति 44 के स्थान पर हमने सुझाव दिया था कि "न्यायालय इसे अपराध मानेगा।" अंत:स्थापित किया जाए। इसलिए हमारी धारणा यह है कि विधेयक में कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए, जो हमारे अनुसार कठोर हो। सभा में इस पर एकमत और आम राय बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अगर विधेयक में इस प्रकार के कठोर प्रावधान लाए जाते हैं तो हम इसका समर्थन नहीं करेंगे।

इसीप्रकार, दूसरे विधियक - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक - में हमने स्पष्टरूप से गृह मंत्री को बता दिया है कि पहले तो हम इस प्रकार के किसी भी केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरण के पक्ष में नहीं हैं, परंतु आज कल जो आतंकवाद की घटनाएं हो रही है, उनमे राज्य सरकार के लिए जांच करना व कार्यवाही करना संभव नहीं हो पाएगा इसलिए, इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता है।

लेकिन हमने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में की जाने वाली जांच में राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए हमने सुझाव दिया है कि इन अनुसूचियों को दो अनुसूची यथा अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में विभक्त किया जाए। अनुसूची 'क' में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962, यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप दमन अधिनियम जैसे अधिनियम होने चाहिए।

सभापति महोदय : श्रीमान आचार्य जी, आपके दल को दिया गया समय समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने अपना भाषण अभी शुरू ही किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप पहले ही 20 मिनट का समय ले चुके हैं। मैं अपनी बात यथाशीघ्र समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक हैं, श्री मो. सलीम भी बोलेंगे... *(व्यवधान)* मैंने अपना भाषण अभी शुरू किया हैं। मैंने सिर्फ पांच मिनट लिए हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : पांच मिनट।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आप सभापति महोदय की बात नहीं सुन रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आप पहले ही 20 से 22 मिनट का समय ले चुके हैं जबकि आपकी पार्टी को 19 मिनट का समय दिया गया था।

श्री पी. चिदम्बरम : आप पहले ही 22 मिनट ले चुके है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम दो विधेयकों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं।

अनुसूची 'ख' के अंतर्गत विधि विरूद्ध क्रियाकलाप 1967, भारतीय दंड संहिता के अध्याय चार के अंतर्गत आने वाले अपराधों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 489क और 489ङ दोनों आनी चाहिए।

अपराह्न 4.00 बजे

इसलिए, हमने सुझाव दिया है कि खंड 7 में संशोधन किया जाना चाहिए।" इस अधिनियम की अनुसूची 'क' के अंतर्गत किसी अपराध की जांच करते समय जांच अभिकरण को अपराध की गंभीरता तथा अन्य संगत कारकों का भी ध्यान रखना चाहिए....." हमने इस संशोधन का सुझाव दिया हैं। हमने कहा कि इसमें एक नया खंड,

खंड 7क होगा जिसमें यह कहा गया है कि "इस अधिनियम की अनुसूची 'ख' के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध की जांच करते समय जांच अभिकरण इसमें संबंधित राज्य सरकार को भी सम्मिलित करेगा।"

जब मैंने कतिपय अधिनियमों के अंतर्गत कुछ अपराधों की जांच में संबंधित राज्य सरकार को शामिल करने की बात कही थी तो उस समय माननीय गृह मंत्री ने इस बात की हामी भरी थी, लेकिन इसके बावजूद इसे विधेयक में शामिल नहीं किया गया। इसलिए हमने कहा है कि इन अनुसूचियों को दो अनुसूची यथा अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' में विभक्त किया जाए। क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण हो सकता है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और देश की जनता को मिल जुलकर आतंकवाद का सामना करना हैं। हमें इसका अहसास है। लेकिन जब हम राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ पुलिस बलों, आसूचना विभाग को सुदृढ़ करने जैसे उपाय करेंगे तभी हम इसके विरूद्ध कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। हम इसे जड़ से समाप्त नहीं कर पाएंगे लेकिन हम ऐसी घटनाओं की संख्या में कमी जरूर ला सकते है।

आज जरूरत अस बात की है कि लोगों में एकता बनी रहे। लोग आज एकजुट है। कुछ महीने पहले जब माननीय प्रधानमंत्री अमरीका की यात्रा पर गए थे तो अमरीकी राष्ट्रपति बुश ने उन्हें अपनी पत्नी से मिलवाते हुए कहा था कि हमारे देश में 150 मिलियन मुस्लिम है लेकिन इनमें से एक भी 'अल कायदा' से संबंधित नहीं हैं। हमारे देश की परम्परा यही है। लेकिल जब हम देखते है कि ऐसी किसी घटना के घटित होने पर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को बांटने तथा समाज के किसी एक तबके को दोषी ठहराने का प्रयास किया जाता हैं और वे इसके लिए किसी समुदाय विशेष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा देते है एवं जब हम देखते है कि गुवाहाटी तथा असम में ऐसी भयानक घटना घटित होने के बाद मुख्य विपक्षी दल के नेता कहते है कि असम के लोग आगामी लोक सभा चुनावों में इस घटना का जबाव देगें।

अत: महोदय ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमें ऐसी घटनाओं से लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें मिलकर लड़ना है। लेकिन जब तक आप सब इसका विरोध करेंगें तब तक ऐसा नहीं हो सकता। हम सभी ने पोटा जैसे कठोर अधिनियम का विरोध किया है। हमारे देश के लोगों ने पोटा को समाप्त करने की मांग की हैं। यदि आप पोटा जैसे अधिनियम में विद्यमान कतिपय कठोर उपबंधों को वापस लाते है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपने लोगों से क्या वायदा किया था और हम पोटा के कठोर और कड़े उपबंधों का विरोध किस आधार पर करेंगे? हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि गुजरात और देश के अन्य भागों में इसका दुरूपयोग किस प्रकार किया गया था।

हम यहां पर आतंकवाद का सामना करने के लिए एक कानून ला रहे है। लेकिन आतंकवाद और साम्प्रदायिकता एक ही सिक्के के दो पहलू है। उड़ीसा के कंधमाल जिले में क्या हुआ है। यह हम ने मालेगांव में देखा हैं।

महोदय आतंकवादी का कोई धर्म, कोई जाति और कोई नस्ल नहीं होती लेकिन यदि आतंकवाद की घटना का साम्प्रदायीकरण किया जाता है तो हम देश में आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते। आज समय की यही मांग है। हम महसूस करते है कि एक कानून की आवश्यकता हैं। आपके पास एक विशेष विधान है क्योंकि पोटा के स्थान पर विधि विरूद्ध अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह एक विशेष कानून हैं। अब इस कानून में संशोधन किए जा रहे हैं और इस विधेयक में और अधिक कडे और कठोर उपबंध जोडे जा रहे हैं। हम उन उपबंधों का समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि इस विधेयक को सभा में पेश करने के स्थान पर इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए था क्योंकि स्थायी समिति का गठन करते समय हमने यह निर्णय लिया था कि सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। मुझे इसकी जरूरत के बारे में पता है लेकिन इस विधेयक को लाकर तथा पुर:स्थापित करके आप जनता को इसकी जरूरत एवं गंभीरता के बारे में बता सकते है। लेकिन इसे स्थायी समिति के पास भेजने से स्थायी समिति इसकी संवीक्षा करने में समर्थ होगी।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या ये विधेयक पोटा से भी कठोर हैं, जैसा कि आपने कहा है?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं पहले ही बता चुका हूं। मेरे पास विभिन्न देशों के आतंकवाद विरोधी कानून हैं। यदि आप अन्य देशों से इसकी तुलना करते है तब आपको पता चल जाएगा। मुझे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन के छह वर्षों के दौरान आपके कार्यो के बारे में पता है। आज आप बोल रहें कि कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं उस समय आप कहां थे?

सभापति महोदय : आप आधे घंटे का समय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने तीन दुर्दान्त आतंकवादियों को आजाद किया था? उनको लेकर, मेहमान बनाकर उस समय उनको छोड़ दिया, तब नहीं सोचा था, उस समय कहां थे? आडवाणी जी, लौह पुरुष, उनका लौह पुरुष क्या हो गया।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : स्टेटमेंट मत दीजिए। हिम्मत है क्या? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जरूर हिम्मत है। हिम्मत क्यों नहीं होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ख़ारबेल स्वाईं : तब आप यहां पर यह वक्तव्य दें कि हमने उन 150 यात्रियों को मार दिए जाने की अनुमति दी है मुझे लगता है कि आप एक सिद्धसी व्यक्ति हैं। आप आइये और वक्तव्य दीजिए. ..*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों? आप कहेंगे और मैं वक्तव्य दे दूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं : आप ज्यादा चालाक मत बनिए।

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप पहले ही 30 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपने तीन दुर्दातं आतंकवादियों को मुक्त कर दिया था। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि कोई समय सीमा नहीं है तो मैं यहां पर नहीं बैठ सकता। आप 30 मिनट ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप 6 वर्षों तक सत्ता में रहे थे। आप एक क्रूर अधिनियम लाए थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री बसुदेव आचार्य : आप इस देश का सांप्रदायिक विभाजन करना चाहता थे और आतंकवाद के विरूद्ध संगठित लड़ाई को कमजोर करना चाहते थे।

सभापति महोदय : अब श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

माननीय सदस्यों, यदि आप सहयोग देंगें और समय-सीमा के अनुरूप चलेंगें तो हम समय का सार्थक उपयोग कर पाएगें। अन्यथा दूसरे मामले की तरह यह भी लंबे समय तक चलता रहेगा। अतएवं आप नियत समयानुसार कार्य करें। तभी ठीक ढंग से चर्चा हो पाएगी। अपने सुन्दर विचारों की अभिव्यक्ति करे। यदि आप अपना भाषण इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएगें तो इससे हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, जो लोग ब्रीफ नहीं रहते हैं, उनको आप ब्रीफ करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम तो स्वत: ही आज बहुत कम बोलेंगे क्योंकि मेरी तबियत ठीक नहीं है। मैं केवल इस बात के लिए खड़ा हूं कि इन दोनों विधेयकों का हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं।

यह बात यहां बार-बार कही गई और सभी वक्ताओं द्वारा कही गई कि जनता एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करे। तो जनता एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करे और इस सदन में बैठे हुए नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की अंत्याक्षरी करें, ये दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

अपराह्न 4-11 बजे

[डा. सत्यनारायण जटिया *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

इसीलिए मुम्बई शहर में जो घृणित घटनाएं हुई, उसके बाद सारा इल्जाम नेताओं के ऊपर लगाना शुरू हुआ और कुछ चैनल्स ने तो बहुत ही भद्दे ढंग से कहना शुरू किया कि...* हम ऐसा सोचते हैं कि इस तरह की भद्दी टिप्पणियां हम लोगों पर क्यों हो रही हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आज की भद्दी अंत्याक्षरी को देखकर मैं संतोष कर सकता हूं कि क्या इस तरह की टिप्पणियों के संभवत: हम लोग पात्र हो गए हैं? यदि हम आतंकवाद की घटनाओं को और आतंकवाद से निपटने के लिए बनने वाले कानूनों का सर्वसम्मति से और मजबूती से समर्थन नहीं करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उसको करने वालों के मनोबल को चूर करने में हमारी जो कोशिश और पहल होनी चाहिए, उसमें हमें कमजोरी दिखाई देगी। यह बात सही नहीं है कि एकाएक राष्ट्रीय जांच आयोग का विधेयक इस सदन के सामने आ गया। पिछले दो वर्षों से भारत सरकार इस प्रयास में थी कि एक फैडरल इनवैस्टिगेटिंग एजेन्सी होनी चाहिए और इस तरह के विधेयक पर संसद के गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति में कई बार विचार हो गया था। सभी दलों के, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने इस पर सलाह दी थी और मैं उन लोगों में था जिन्होंने इस तरह की जांच एजेन्सी का समर्थन किया था। उसके बाद भारत सरकार ने इस तरह की जांच एजेन्सी बनाने के संबंध में अपने विधेयक को सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया था। उसमें से अधिकांश राज्य सरकारों ने केवल इस आधार पर उसको नकार दिया कि इस देश के संविधान का संघीय ढांचा इससे प्रभावित होगा, अपराधों की छानबीन करने के लिए राज्यों का अधिकार प्रभावित होगा, इसलिए भारत सरकार को इस तरह की एजेन्सी नहीं बनानी चाहिए। हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि सामान्य कानून व्यवस्था से संबंधित जो अपराध हैं, उन अपराधों से वृहद् अपराध आतंकवादी अपराध है और इसके बहुत सारे प्रमाण देश और दुनिया के सामने आ गए हैं कि भारत में जो प्रायोजित आतंकवाद है, वह केवल देशी नहीं है। देश में भी फूटने और फलने वाला एक किस्म का आतंकवाद है लेकिन जिसका स्वरूप काफी वृहद् है, जिससे काफी नुकसान होता है, वह हमारे आस-पास के देशों से प्रायोजित है। दक्षिण एशिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे देश के लिए आतंकवाद के एक्सपोर्टर देश के रूप में न हो गया हो। बंग्लादेश की कहानी परसों कही गई। नेपाल से भारत की ओर घटनाएं प्रायोजित होती हैं। कई सारी घटनाएं हुई। सबसे बड़ा गढ़ पाकिस्तान हो गया भारत की तरफ आतंकवाद को मोड़ने के लिए। ऐसी स्थिति में जब इसका स्वरूप बहुदेशीय है और जब इसका स्वरूप बहुराज्यीय है, तो एक राज्य की पुलिस किसी भी हालत में इस तरह की घटनाओं की छानबीन सही ढंग से नहीं कर सकती। हमें अपने पुलिस बल को, जो जांच वाला पुलिस बल है, उसको बहुभाषी बनाना होगा और आज के जितने आधुनिक छानबीन के संयंत्र आ गए हैं, उन सारे संयंत्रों में उनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और दीक्षित करना पड़ेगा। हमारी दुष्वारी है कि हमारे देश में केन्द्रीय स्तर पर केवल एक जांच एजेन्सी है जिसको हम सीबीआई के नाम से जानते हैं।

जब कोई छोटी-मोटी घटना होती है, किसी पड़वे को किसी भैंस ने मार कर गिरा दिया तो किसी आदमी का उसे मारने में हाथ है तो यह मांग आ जाती है कि उसकी जांच सीबीआई करे, नहीं तो इसकी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। हमारी सीबीआई इतनी ओवर बर्डन हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई कि क्या हाई कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि किसी भी राज्य के अपराध को अपने आदेश से कहे कि सीबीआई इसकी जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी हाई कोर्ट को इस बात का अधिकार है कि सीबीआई जांच कर सकती है। राज्यों की सरकारें जब एक-दूसरे से बदल जाती हैं तो राजनैतिक द्वेष भाव से कोई घटना होती है, सीबीआई इसकी छानबीन करे। इसमें सीबीआई की बदनामी भी हो रही है। लोग कहते हैं कि केन्द्र में जो सरकारें रहती हैं, वे अपनी सुविधा के अनुसार राजनैतिक इस्तेमाल के लिए भी सीबीआई का उपयोग अथवा दुरूपयोग करती हैं। ऐसी हालत में एक जांच एजेंसी से इस तरह के बड़े आपराधिक कृत्यों की जांच नहीं हो सकती थी।

महोदय, हमारे यहां सूचना की दो एजेंसियां हैं - एक को आईबी के नाम से जानते हैं और दूसरी को रॉ के नाम से जानते हैं। रॉ इस बात के लिए बनी थी कि भारत विरोधी गतिविधियां यदि किसी देश के अंदर हो रही हैं तो उसकी सूचना भारत के पुलिस बल को देने में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, जो सक्षम हो। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था और कॉव साहब उस जमाने में पुलिस प्रशासन के एक वरिष्ठ और दक्ष व्यक्ति थे, जो रॉ के जमाने में डायरेक्टर बनाए गए थे। लेकिन धीरे-धीरे रॉ का भी पतन हो गया। ये खबरें अखबारों में पढ़ने के बाद बहुत ही भद्दा लगता है कि रॉ का कोई अधिकारी विदेशों में भारत की सूचना देने के लिए भेजा गया है, लेकिन वह भारत के प्रति अपनी वफादारी छोड़ कर उस देश का नागरिक बन कर, उसका एजेंट बन जाता है। ऐसी घटनाएं अखबारों में आने के बाद रॉ की प्रतिष्ठा बुरी तरह गिर गई। हम आईबी के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह की बाहर से प्रायोजित घटनाएं हो जाती हैं और हमारे देश की जो प्रमुख सूचना देने वाली संस्थाएं हैं, उन्हें जिस दृढ़ता और दक्षता के साथ हमारे देश का सहयोग करना चाहिए, नहीं करती हैं। नेताओं पर कार्यवाही हो जाती है, गृह मंत्री हटा दिए जाते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक चूक होती है, उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न होना, मैं समझता हूं कि यह भी शासन की कमजोरी को सिद्ध करता है। इसलिए सरकार को इस तरह के जिम्मेदार अधिकारियों को एकाउंटेबिल बनाना चाहिए।

महोदय, यह बात बार-बार कही जाती है कि जो आईएसआई पाकिस्तान की संस्था है, वह एक स्वतंत्र संस्था है। उसके ऊपर किसी

[श्री मोहन सिंह]

का नियंत्रण नहीं है। हम बहुत मोटे तौर पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान उस रूप में लोकतांत्रिक देश नहीं है। भारत सही मायने में एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहां की कोई भी संस्था स्वछंद और स्वतंत्र नहीं है। सभी एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह हैं। ये हमारे तंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। यदि हम सब के प्रति जवाबदेह हैं तो केवल गृह मंत्री क्यों, केवल एक राज्य का मुख्य मंत्री ही क्यों, क्या उनके बारे में हम नहीं पूछ सकते। हम इस बात को बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहते हैं कि बाहर से जो प्रायोजित आतंकवाद था, हमने देश को इस रूप में फैंसिंग करके पाकिस्तान की सीमा से गुजरात से लेकर काश्मीर तक फैंसिंग की, बंग्लादेश की सीमा पर अधिकांश जगहों पर फैंसिंग की, उसके सकारात्मक परिणाम हमारे देश को मिले कि उधर से जो तस्करी और आतंकवाद का इम्पोर्ट हमारे देश में था, वह काफी रुका। लेकिन क्या हमारे देश की एजेंसी इस बात को गहराई से पहले से देखने में विफल और अक्षम क्यों हो गई कि हमारी जो खुली हुई सीमा है - चाहे वह नेपाल से या समुद्री रास्ते से निकलने वाली हों, इन आतंकवादियों और तस्करों का एक रास्ता वह भी हो सकता है। उसके ऊपर हमें दृढ़ चौकसी बरतनी चाहिए। इसमें किस की विफलता है, इसके बारे में भारत सरकार को छानबीन करनी चाहिए और उसकी एक जिम्मेदारी इन्हें सुनिश्चित करनी चाहिए।

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह जो कानून बना है, यह बहुत सही है कि जब कभी भी इस देश के इतिहास में मानव अधिकार के प्रति आवाज उठेगी कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है और हमारे देश के आधुनिक इतिहास में जब कभी भी इस तरह के कठोर कानून बने, उनके दुरूपयोग का भारी विरोध हुआ। सभी लोग जानते हैं कि इस देश में रॉलर एक्ट से लेकर, डी.आई.आर. , मीसा और प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के बहुत सारे दुरूपयोग हुए और उनके दुरूपयोग की संभावनाएं रहती हैं। इसी कारण से मानव अधिकारवादी देश होने के नाते इस देश में इस तरह के कानूनों का विरोध होता है।

महोदय, इसी सदन के भीतर जब रॉलट एक्ट आया, तो मदन मोहन मालवीय जी जैसे आदमी ने, मोहम्मद जिन्नाह जैसे आदमी ने और मोती लाल नेहरू जैसे आदमी ने उसका पुरजोर विरोध किया और गांधी जी ने उन्हें तार देकर कहा कि यह राक्षसी कानून है, तुम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। दुनिया की दूसरी लड़ाई के बाद डी.आई.आर. का कानून आया और अंग्रेजी सरकार ने उसका उपयोग सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ किया और उसी का अनुभव लेते हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने, अपने संविधान के तहत, प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून से परहेज किया था, लेकिन देश की आजादी के तत्काल बाद, सभी जानते हैं कि तेलंगाना का आन्दोलन हुआ और उस आन्दोलन में इस देश में जबर्दस्त हिंसक घटनाएं हुई। इसलिए भारत के संविधान में पहला संशोधन प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून का हुआ। इसके विरोध में गोपालन साहब ने सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को खारिज कर दिया था। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ, उससे प्रिवेंशन डिटेंशन का कानून फिर अस्तित्व में आया।

महोदय, चूंकि तस्करी रोकनी है, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने जमाने में मीसा का कानून बनाया फिर पोसा का कानून बनाया, लेकिन जब इमर्जैंसी लगी, तो उसका पूरा-पूरा उपयोग, जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उसके खिलाफ उनकी सरकार ने किया। अपने अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि असी सदन के दो माननीय सदस्य, जब टाडा का कानून आया, तो श्री कल्पनाथ राय जैसे व्यक्ति, श्री बृज भूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति, डेढ़-डेढ़ साल तक जेल में रहे और अन्त में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि इनके खिलाफ इस तरह के कानून के दुरूपयोग करने का किसी पुलिस अधिकारी को अधिकार नहीं है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन देनों को रिहा किया। जब हम इस तरह के कानून बनाते हैं और यदि उसका दुरूपयोग श्री कल्पनाथ राय जैसे व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, हम लोगों के खिलाफ हो सकता है, 21-21 महीने हम जेल में रह सकते हैं, तो इसके दुरूपयोग होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, लेकिन इसी बहाने हम इस बात से भी परहेज नहीं कर सकते कि इस देश में आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने वालों को दंडित करने के कठिन कानून हैं, इस बात से भी हम परहेज नहीं कर सकते। इसलिए भारत सरकार ने इसमें जो संशोधन प्रस्तुत किया है, हम उसका स्वागत करना चाहते हैं।

महोदय, इसमें दो बातें कही गई हैं कि भारत के ज्यादातर फौजी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और जांच करने की अवधि 90 दिन की निर्धारित है। हम निजी अनुभव से कह सकते हैं कि 90 दिन पूरे होने के बाद भी, बहुत से लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिलती। यदि किसी दंड विधान में, कानून में ऐसे प्रावधान हैं कि अधिकतम छः महीने की सजा हो सकती है, तो ऐसे बहुत सारे अंडर ट्रायल्स को हम जानते हैं जिनका छः-छः महीने ट्रायल ही नहीं होता और वे जेल के भीतर ही बैठे रहते हैं। इसलिए प्रावधान होना अपनी जगह एक बात है और प्रावधान का दुरूपयोग न हो, इसके लिए भी कुछ सेफगार्ड निर्धारित किए जाने चाहिए।

महोदय, जैसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून आया, उसके लिए सूबे में हर जगह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने या किसी भी राज्य की सरकार ने उस कानून के ही तहत एक बोर्ड का गठन किया कि जिस अभियुक्त को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उसकी वह बोर्ड सुनवाई करेगा कि उसकी गिरफ्तारी सही है, प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं। यह एक व्यवस्था उस समय थी। अभी आपने जो कानून रखा है, इसमें हमें इस तरह की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ी, इसलिए हम गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि जब हम इस तरह के कठोर कानून का प्रावधान कर रहे हैं, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं तो उस कानून का दुरूपयोग न हो, उसके लिए एक सेफगार्ड के मकेनिज्म की भी व्यवस्था हमें इस कानून के तहत करनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इसमें दुरूपयोग की सम्भावनाएं थोड़ी कम हो जाएंगी।

जिस तरह की हमारे देश में पुलिस मशीनरी है, कानूनों के दुरूपयोग हुए हैं और होते रहेंगे। एक आपत्ति की गई कि आपने किसी की चार्जशीट को फाइल करने के लिए 180 दिन कर दिया, लेकिन यदि आप राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कानून को पढ़ें तो उसमें कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई घटना होती है तो वहां का मुकामी पुलिस स्टेशन पहले उसको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद अपनी डायरी में लिखेगा कि यह साधारण अपराध की घटना नहीं है, बल्कि आतंकवाद की घटना है। वह अपने प्रदेश की सरकार को उस केस को रैफर करेगा। प्रदेश की सरकार उस रैफरेंस के बाद उसकी समीक्षा करेगी, फिर प्रदेश की सरकार, चाहे हमारी केन्द्रीय जांच एजेंसी होगी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी होगी, उसको लिखकर भेजेगी तो इसके बीच में केन्द्रीय जांच एजेंसी जब संतुष्ट हो जाएगी तो उस केस को अपनी जांच की परिधि में ले लेगी। तब तक जो मुकामी थाना है, वह उसकी जांच करता रहेगा। यह 180 दिन का प्रावधान, मैं ऐसा समझता हूं कि केवल इस मंशा से किया गया कि केन्द्रीय जांच एजेंसी के पास केस आते-आते महीने, दो महीने, तीन महीने भी लग सकते हैं, इसलिए 180 दिन का प्रावधान, मैं ऐसा समझता हूं कि बिल्कुल जायज है और इसका प्रावधान किये जाने के लिए जो इस कानून के बनाने वालों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ हम कुछ खास बातें सुझाव के तौर पर गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं। बहुत हो चुका, इस देश में, अपराधी पकड़े जाते हैं और उसके बाद वे भारत सरकार को प्रैशराइज करते हैं और ब्लैकमेल करके अपने कुछ साथियों को छुड़ाते हैं। ऐसी 3-4 घटनाएं इस देश में हुई। वी.पी. सिंह की सरकार बनी। सरकार बनने के थोड़े ही दिन बाद गृह मंत्री की लड़की का उपहरण हुआ और उस अपहरण से उसको मुक्त कराने के लिए जाने कितने अपराधी छोड़े गये, जो बहुत दिन से आतंकवादी इस देश के अन्दर विभिन्न जेलों में थे। अब हम उस बहस में नहीं जाना चाहते कि क्या किया। कंधार में ले जाकर रिश्तेदार की तरह उनको छोड़ा। बाद में बयान आये कि गृह मंत्री और उस सरकार के रक्षा मंत्री तक को जानकारी नहीं थी। प्रावधान किये जाने चाहिए, जैसे दो कानून इस देश में हरिजन उत्पीड़न के हैं और दहेज उत्पीड़न के कानून बने हैं। उन दोनों कानूनों में लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टीगेटिंग व्यक्ति होगा, यदि जान-बूझकर वह किसी को छोड़ देगा तो वह दोनों अपराध की जो धाराएं हैं, उस व्यक्ति के ऊपर भी लागू हो जाएंगी। हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि अपराधी को किसी भी ब्लैकमेल में आकर कोई भी सरकार अगर छोड़ती है तो उस सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भी इस कानून को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस बात को हम गम्भीरतापूर्वक रखना चाहते हैं।

कहा जाता है कि इस सरकार ने इस मुम्बई के आन्दोलन के बाद क्या किया? उसके बाद तो हम इस लीपापोती में नहीं पड़ते कि आपने क्या किया। मुझे ठीक से याद है कि जब इस पार्लियामेंट के ऊपर आक्रमण हुए, हमले हुए, उस समय टेलीविजन को मैं वाच कर रहा था और उस जमाने के गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान को इसका दंड भोगना पड़ेगा और दंड कैसे भोगना पड़ेगा, हिन्दुस्तान की किसी भी सरहद पर जो सेना तैनात थी, वह पाकिस्तान की सीमा पर लाकर खड़ी कर दी गई और रोजाना दुनिया वाच करती थी कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने वाला है। अब आजकल हम रोज उन्हीं नेताओं के बयान पढ़ते है कि भारत को पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन देश भर की सेनाएं लाकर आपने पश्चिमोत्तर सीमा पर एक साल खड़ी रखीं, किसी ने नहीं पूछा कि किन कारणों से सेना को पश्चिमोत्तर सीमा पर आपने खड़ा किया और किन कारणों से एक साल एक महीने बाद उन सभी सेनाओं को अपनी बैरक में, जहां-जहां वे तैनात थीं, वहां भेज दिया। अरबों रुपया इस देश का बर्बाद हुआ। आम को लकुवी शगुन बतावें, अपने कुकरन से पिटवावें।

इस देश में कभी भी आतंकवाद का मुकाबला हम इस तरह के कानूनों से नहीं कर सकते। संकल्पशक्ति से कर सकते हैं और उस संकल्पशक्ति का अभाव हमेशा दिखाई पड़ता है, मैं इस बात को बहुत ही दुख के साथ कहना चाहता हूं, इसलिए भारत सरकार को इसके विरूद्ध लड़ने के लिए एक संकल्पशक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए और इस बात का भी प्रदर्शन होना चाहिए कि आतंकवाद के विरूद्ध के लड़ने में सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनीतिक नेता और सारी जनता एक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, आज राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एमेंडमेंट बिल, 2008 पर सदन विचार कर रहा है। इन दोनों विधेयकों पर संपूर्ण देश की आज चट्टानी एकता दिखनी चाहिए थी। इसमें बिल्कुल पारदर्शिता दिखनी चाहिए कि हमारे देश के सभी लोग एकजुट हैं, आतंकवाद के विरूद्ध संपूर्ण सदन एकजुट है। जब 11 तारीख को आतंकवाद पर बहस हो रही थी, तो मैंने माननीय विपक्ष के नेता के अंदर वह भाव देखा था, लेकिन आज पता नहीं कैसे वे हिडेन एजेंडे पर चले गए? इसीलिए मुझे आज उन बातों का भी जिक्र करना होगा। आखिर जब आतंकवाद के खिलाफ युद्ध करना है, आतंकवाद का खात्मा करना है, उसे मिटाना है, उससे लड़ने के लिए पूरे देश को, अवाम को एक संकल्प लेना है, ऐसे समय में हिडेन एजेंडे को लाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो फिदाईन हैं, वे बाहरी आतंकवादी हैं। बाहरी आतंकवादी इतने ताकतवर हो जाते हैं, उनके हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि देश के अंदर आकर वे भाग भी जाते हैं, जबकि कुछ मारे भी जाते हैं। हमारे देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, नागरिकों की सुरक्षा है, उसका वे नाश कर देते हैं, यहां तक कि संस्था पर भी हमला कर देते हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि ये बाहरी आतंकवादी फिदाईन हैं। यहां दो तरह की बातें हैं। जब तक देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव मजबूत नहीं रहेगा, देश की एकता महफूज नहीं रहेगी। सभी धर्मों, चाहे वह हिंदू हो, मुसलाम हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे यहां जितनी बिरादरी हैं, सब को एकजुट होना पड़ेगा। इसको कौन तोड़ता है, कम्युनल भारत कौन ला रहा है, यह भी आज बहस करने का एक विषय है। आतंकवाद से लड़ने के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को मजूबत करना जरूरी है। यह पहला कर्तव्य है। बिना सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत किए आतंकवाद से लड़ना कठिन होगा। मैं इसीलिए इस सवाल का जिक्र करना चाहता हूं कि देश के अंदर आतंकवाद कब से प्रारंभ हुआ? आज हम बहुत नेक विधेयक पर चर्चा में जुटे हैं। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, तब से जो कम्युनल फीलिंग है, कम्युनल वायरस है, उसका जन्म हुआ। उस समय से यह शुरू हुआ। माननीय विपक्ष के नेता उस समय जम्मू-कश्मीर के इंचार्ज भी थे, गृहमंत्री भी थे, उस समय जम्मू-कश्मीर में क्या-क्या हुआ? किन-किन जगहों पर आतंकी हमला हुआ? विधान सभा से लेकर, रघुनाथ मंदिर से लेकर, लालकिला से लेकर, संसद तक को नहीं बचा पाए। संसद पर भी आतंकी हमला हुआ। आपको मालूम है कि लालकिला भी महफूज नहीं रह सका। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले वर्ष 2001 से शुरू हुए। यही सही रूप से देखा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाएगा। उस समय क्या पोटा कानून नहीं था? पोटा कानून था, लेकिन पोटा कानून के बावजूद भी ऐसा हुआ। हम लोगों को पता लगा कि झारखंड सहित कई राज्यों में 80 वर्ष के वद्ध लोगों के ऊपर पोटा कानून लगाया गया, बड़े पैमाने पर पोटा कानून का दुरूपयोग किया गया। 80 वर्ष के बूढ़े को भी नहीं छोड़ा गया और जो 9,10,11 या 15 साल के बच्चे थे, उनको भी पोटा कानून के अंदर रख दिया गया। पोटा इसीलिए फेल्योर हुआ। पोटा इसीलिए लोटा में चला गया। पोटा का जो असर था, उसका किसी खास वर्ग को टार्गेट करके इस देश में उपयोग किया गया।...*(व्यवधान)* इससे एक अलग तरह की भावना इस देश में फैली।...*(व्यवधान)* आज ही बोलने का वक्त है। आपने एजेंडा खोल दिया है। आपका इशारा उधर ही है, इसीलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं आपकी तरफ मुखातिब होकर बोलना चाहता हूं। उदय सिंह जी टोकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज इस बात की जांच गृहमंत्री जी करें कि आईएसआई और संघ परिवार का देश में क्या संबंध है, इसकी जांच की जाए। यह जांच हो जाए कि कैसे मालेगांव की घटना होती है, मालेगांव की घटना से किनके तार जुड़े हुए हैं? इसकी भी जांच होनी चाहिए।

जब हम आतंकवाद पर समूल रूप से विचार कर रहे हैं तो क्या मालेगांव की घटना, जो लोग विस्फोट में संलिप्त हैं, जो शहीद हो गए, बलिदान हो गए, श्री हेमंत करकरे, एटीएस के प्रमुख थे, उनके खिलाफ महाराष्ट्र बंद करने की कॉल किसने दी थी? दो दिन बाद वे शहीद होते हैं, दो दिन पहले महाराष्ट्र बंद की काल किस दल ने दी थी? इस देश के अंदर कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने इस तरह की काल दी? वह बजरंग दल था, आरएसएस था, कौन सी सेना थी, वह आप बताइए।...*(व्यवधान)* बीजेपी थी, विद्यार्थी परिषद थी, कौन था, यह भी पता लगाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इन ताकतों पर विचार किए बिना बहस अधूरी होगी। साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले जो तत्व हैं, फंडामेंटलिस्ट ताकत, जो कट्टरपंथी ताकत है, जो कट्टरपंथी विचारधारा वाला संगठन है, यदि आप समूल रूप से आतंकवाद पर रोक लगाना चाहते हैं तो उसे भी बिल की परिधि में लाना चाहिए। बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद् आरएसएस आदि पर बिना प्रतिबंध लगाए इंसाफ नहीं होगा, हम आतंकवाद के खिलाफ समूल रूप से नहीं लड़ पाएंगे।...*(व्यवधान)*

मैंने उस दिन कहा था तो कुछ माननीय सदस्यों को बहुत तकलीफ हो गई थी। पूरे देश में कहीं देशभक्ति नहीं जगी। मुम्बई में जब घटना घटी, एटीएस चीफ, श्री हेमंत करकरे का बलिदान हुआ, देश के जितने चीफ मिनिस्टर हैं, किसी में देशभक्ति नहीं जगी, बगल

के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के एक मुख्य मंत्री के अंदर देशभक्ति जगी और वे एक करोड़ रुपये का थैला लेकर वहां पहुंच गए। पहले कुछ लोगों ने जश्न मनाया कि चलो, करकरे चला गया, अब मालेगांव की आतंवादी घटना का जो तार था, उससे हम बच जाएंगे।...*(व्यवधान)* यह शर्मनाक वाकया है। इसके बाद थैला लेकर जाते हैं। उनकी पत्नी भी बहादुर थी। एक निष्ठावान अधिकारी की पत्नी ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि देशभक्ति की एवज में हमें आपके एक करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं चाहिए।...*(व्यवधान)* उन्होंने जश्न मनाने वाले लोगों का रुपया नकार दिया। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं। कारगिल में क्या हुआ था?...*(व्यवधान)* आतंकवाद पर बहस हो रही है तो वह कारगिल को छोड़कर नहीं हो सकती। चाहे पाकिस्तानी आतंकवादी हों, चाहे अफगानिस्तानी हों, पाकिस्तान और भारत की बात ...*(व्यवधान)* मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

हम आपको यील्ड नहीं कर रहे हैं। सभापति जी, परमीशन कैसे दी जाएगी।...*(व्यवधान)* आप कैसे बोल सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सीधे चेयर की तरफ देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि जश्न मनाया गया, मैं कहना चाहता हूं कि क्या किसी के मरने पर जश्न मनाया जाता है?...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिल में संशोधन करके फरवरी में एक और बिल लाना पड़ेगा जिसमें इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* यह बिल अधूरा रह गया है।...*(व्यवधान)* आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)* मैं बिल पर बोलूंगा।...*(व्यवधान)* मैं आतंकवाद के बारे में बोल रहा हूं कि आतंकवाद कैसे रुकेगा।...*(व्यवधान)* आतंकवाद केवल कानून बनाने से नहीं रुकने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप समाज में जो जहर घोलते हैं, उसे भी रोकना जरूरी है, तभी आतंकवाद रूक सकता है, कानून बनाकर आतंकवाद नहीं रुक सकता।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपकी बोलने की बारी आएगी, तब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसीलिए मैंने कहा कि यह बिल अधूरा है, इसमें और बिन्दु जोड़ने की जरूरत है।...*(व्यवधान)* कारगिल में क्या हुआ था? अभी हमारे मित्र मोहन सिंह जी ने कहा, मैंने उस दिन बोल दिया था, मैं उसे दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि गंधार में आतंकवादी कैसे छोड़े गए।...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य : गंधार नहीं कंधार है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आप पुराना इतिहास पढ़िए, उसमें गंधार लिखा है। कंधार अब हुआ है, पहले गंधार था।...*(व्यवधान)* इतिहास पढ़िए। क्या बीजेपी को इतिहास का भी ज्ञान नहीं है? हम भारतीय संस्कृति वाला नाम बोलते हैं।...*(व्यवधान)* क्या आपको महाभारत का ज्ञान नहीं है? क्या आपने महाभारत में गांधारी का नाम नहीं सुना है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप विषय पर बात कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आपस में चर्चा मत कीजिए। चेयर को संबोधित करके बोलिए। यदि विषय पर बात करेंगे तो अच्छा होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, कारगिल में आतंकवादी, चाहे अफगानिस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, बाहरी भाड़े पर घुस गये। इन्होंने एक आतंकवादी उधर छोड़ा और दूसरे आतंकवादी इधर घुस गये। डेढ़ महीने तक लगातार कारगिल में, अपने देश में बमबारी होती रही। आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई वक्त नहीं मिलेगा, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी, जब अपने ही देश में, कारगिल में वे लोग बमबारी करते रहे और ये लोग सोये रहे। उस बमबारी का क्या नतीजा हुआ? अब ये लोग बतायें कि बाहर कहीं एक जगह भी आतंकवादी ठिकाने पर आपकी बमबारी हुई हो? डेढ़ महीने तक लगातार कारगिल में वे लोग बमबारी करते रहे। उसमें देश के कितने जवान शहीद हो गये। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बड़े जोर-शोर से कहा था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप प्रॉम्पटिंग न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जब कारगिल का मुद्दा आया तब उन्होंने कहा था कि यह लड़ाई अब आर-पार की लड़ाई है। आर-पार की लड़ाई-इस पार आतंकवादी घुसा दिये और उस पार आतंकवादी को छोड़ दिया, क्या यही आर-पार की लड़ाई थी। आर-पार की लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट यह है कि आतंकवादी

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

को मेहमान की तरह उधर छोड़ दो और दूसरी तरफ आतंकवादियों को कारगिल में घुसा दो। यही आर-पार की लड़ाई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बिल पर बोलिये। आप विधेयक पर बोलें, तो अच्छा होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, लालू जी का कहना है कि आर छोड़कर पार हुए। चलिए उनकी बात रहने दीजिए।...*(व्यवधान)* मेरे कहने का यह मतलब है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, जब बहुसंख्यक आतंकवादी होगा, इसलिए मैंने चर्चा की थी कि जब बहुसंख्यक आतंकवादी होगा, तो देश की, दुनिया की कोई भी फौज देश में आतंकवाद को नहीं रोक सकती। यह मेरा कहना है, यह मेरा निश्चित मत है। डा. राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में कहा था। उनका 1962-63 का भाषण है। उन्होंने हैदराबाद में भी साफ कहा था। डा. राम मनोहर लोहिया दार्शनिक थे, विचारक थे। उन्होंने साफ-साफ कहा था।...*(व्यवधान)* वे धर्मनिरपेक्षता पर बोलते थे, जो हमारे संविधान का अंग है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यदि भारत में बहुसंख्यक आतंकवादी हो जायेगा, तो इस देश में कोई भी फौज उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए बहुसंख्यक पर विचार करना पड़ेगा।...*(व्यवधान)* ये लोग फैला रहे हैं। बहुसंख्यक में जहर फैला रहे हैं। इस देश में बहुसंख्यक आतंकवादी नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : पार्टी का निर्धारित समय पूरा हो रहा है। आप विषय पर आइये और अपना भाषण कन्कलूड कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, अभी हमें भी बोलना है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर यह पार्टी का सारा समय बोल लेंगे, तो आपको बोलने का समय कैसे मिलेगा?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मैं बिल पर भी चर्चा करता हूं। इन्होंने पहले ही आतंकवाद की चर्चा की। अब आतंकवाद को कैसे रोका जाये, इस पर तो हमें बोलना ही था। आतंकवाद केवल कानून बनाने से ही खत्म नहीं होगा। केवल एक बिल बनाने से आतंकवाद नहीं रुकेगा। आतंकवाद के लिए संकल्प जरूरी है, इच्छाशक्ति जरूरी है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।

आपने कहा कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान में जो टेरोरिस्ट है, उसके खिलाफ हम हैं। पाकिस्तान में जो आईएसआई है, फिदायीन है, मुजाहिद हैं, उनके खिलाफ हम हैं। पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल यानी हमारी पार्टी नहीं है। हम अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान की जनता, हिन्दुस्तान की जनता एक है। केवल वहां जो टेरोरिस्ट गतिविधियां हैं, क्योंकि माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि कई पाकिस्तान हैं। एक फिदायीन वाला पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वह है जिसमें आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। एक आक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें अलग पाकिस्तान है। एक आईएसआई का पाकिस्तान है। एक मुजाहिदों का पाकिस्तान है। गजब का पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में कुछ लोकतांत्रिक लोग भी हैं। जरदारी, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनका पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में जो लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, जो जम्हूरियत को मानने वाले हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं बिल के विषय में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो कानून बना है, वह अधूरा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हिरासत की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर कोई संशोधन लाना हो, तो आप वह संशोधन लाइये।

यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत साफगोई से कहा कि राज्य सरकार को भी जांच में शामिल किया जाएगा और जब तक आरोप साबित नहीं हो जाएगा, तब तक दण्ड की कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन इसको ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। जब संकल्प है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, तो उतने ही दिनों में साक्ष्य क्यों नहीं इकट्ठे किए जा सकते हैं। इसमें इसके लिए एक साल का समय दिया गया है, इसलिए इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है। उस आदमी की बेल छः महीने के बाद, 180 दिन के बाद होगी। यदि कोई रास्ते में चलते हुए गाड़ी में लिफ्ट ले ले, कोई उसे पानी पिला दे, कोई उनका मोबाइल नंबर टैप कर ले, आजकल दुनिया में किसी का नंबर कोई भी जान सकता है, तो उनको क्या उसमें संलिप्त माना जाएगा? इन खामियों को देखना चाहिए क्योंकि नागरिकों के मानवाधिकारों का किसी भी तरह से हनन नहीं होना चाहिए, इसके लिए इस बिल में सेफगार्ड्स कायम होने चाहिए। दोषी को किसी भी तरह से दण्डित करना चाहिए और उसमें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि प्रथम दृष्टया आरोप साबित हो जाए तो दोषी पर निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए, उसे कठोर से

कठोर दण्ड देना चाहिए। आतंकवाद से हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, लेकिन समूचे देश के सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखें, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक संकल्प लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। हम इसीलिए इस बिल का समर्थन करना चाहते हैं क्योंकि यह बिल आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवादियों को दण्डित करने के लिए आया है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया है कि टेरेरिज्म और कम्युनलिज्म, दोनों जुड़वा बहनें हैं। इसलिए हमें दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मुंबई में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक क्रोध उभर आया और देश की जनता का क्रोध इतना बढ़ गया है कि अब सरकार भी उस क्रोध का एहसास करने लगी है, इसीलिए सरकार की ओर से गृहमंत्री जी ने ये दो विधेयक, नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेंसी बनाने संबंधी विधेयक और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल सदन के सामने रखे हैं। इन दोनों विधेयकों पर चर्चा आज यहां हो रही है।

महोदय, आम आदमी में जो गुस्सा है, उसके कुछ उदाहरण मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। ऐसी अनेक चिट्ठियां हैं जो मुंबई और दिल्ली के पते पर मुझे और मुझ जैसे कई सांसदों के पास आई हैं। इन खतों में से अधिकतर खत महिलाओं द्वारा लिखे गए हैं। कुछ खतों को मैं यहां पर लाया हूं, जो मेरे पास पोस्ट से आए हैं। इनसे यह महसूस होता है कि देश का आम आदमी कितना क्रोधित है।...*(व्यवधान)* अगर महिलाओं पर भी इनको आपत्ति हो, तो चर्चा करना बेमतलब है। मैं इन खतों को सदन के सामने रखने जा रहा हूं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आपकी सेना ने क्या किया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं उसके बारे में भी बताने जा रहा हूं।

सभापति जी, एक खत है जिसे मैं पूरा न पढ़कर आखिरी पंक्ति पढ़ता हूं। *[अनुवाद]* "इससे पहले की पाकिस्तान दोबारा आक्रमण करे उस पर आक्रमण करो" *[हिन्दी]* पाकिस्तान के फिर हमला करने से पहले उस पर अटैक करिये। नीचे लिखा है, *[अनुवाद]* भारत की बेटी रूपाली कदम की ओर से *[हिन्दी]* साहस की बात यह है कि उसने अपना मोबाइल नम्बर दिया है। यह गुमनाम खत नहीं है। एक दूसरा खत है जो मराठी में है। इसे भी एक बहन ने लिखा है। मैं मराठी में इसे पढ़ता हूं, फिर हिन्दी में आपको बता दूंगा। खत केवल दो लाइन का है। मराठी में यह खत लिखा है।...*(व्यवधान)* इसमें लिखा है कि अलग-अलग भाषा, धर्म, जाति और पंथों से बना हमारा देश है, इस देश की जनता शांति और अमन चाहती है और आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके खिलाफ पाकिस्तान के साथ युद्ध करें। इस प्रकार की इसकी भावना है। लिखने वाली महिला का नाम सुप्रिया वीरा काटकर है, उसने थाणे का एड्रेस दिया है और वह वागले स्टेट की रहने वाली है तथा उसने भी अपना फोन नम्बर दिया है। एक उमेश पाटिल है, उन्होंने भी इसी प्रकार से दो लाइन का खत लिखा है। *[अनुवाद]* "मैं अपनी सरकार द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण करने की बात का समर्थन करता हूं और सैनिकों को शुभकामनाएं भेजता हूं। जय हिन्द।" *[हिन्दी]* ऐसे ही ये सारे खत हैं। सुचिता पाटिल नाम की लेडी का भी एक खत है। जिन्होंने खत लिखे हैं, मैं केवल उनका नाम पढ़ता हूं। एक महिला हैं वीरा, यह उनका खत है, एक महिला अश्विनी वीरा हैं, यह उनका खत है। इतना क्रोध देश की जनता में है। इसीलिए जब हमने इस विषय पर चर्चा की, पहली बार, इस आतंकी हमले के खिलाफ, जैसे सारा देश युनाइट हुआ है, उसी तरह से यह सदन भी युनाइट हुआ है। इस सदन में उसी प्रकार से चर्चा हुई और सदन में हमनें एक मत से एक रैजोल्यूशन पारित किया। हमने आतंकी हमले और पाकिस्तान की निंदा की और जो शहीद हुए उन्हें सदन में श्रद्धांजलि दी।

माननीय आडवाणी जी ने आज जब इस बहस को शुरू किया, उन्होंने उस दिन जो अपना वक्तव्य दिया था उसी को लेकर उन्होंने यहां पर अपनी बात को कहा। माननीय डीपी यादव जी जब यहां बोल रहे थे, बार-बार कह रहे थे कि आतंक से लड़ने के लिए कानून की जरूरत नहीं, यह कानून कुछ नहीं कर सकता, कानून के द्वारा हम उनसे टकरा नहीं सकते।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : संकल्प जरूरी है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : संकल्प जरूरी है लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार ने कानून लाकर जो कदम उठाया है क्या वह गलत है, क्या आप इस कदम को गलत मानते हैं, क्या सरकार ने गलती की है और क्या आप इसका विरोध करने वाले हैं?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कानून के बनने के बाद भी फिदायीन आ जाएंगे। मरता क्या नहीं करता। मरने वाला कुछ भी करेगा। हमें संकल्प लेना होगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : संकल्प किसका। संकल्प किसका होना चाहिए?

सभापति महोदय : आप सीधा सवाल-जवाब करें। आपस में बात न करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह संकल्प सरकार का होना चाहिए। सभापति जी, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने इस चर्चा के संबंध में बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम दो नये कानून बनाने जा रहे हैं, इस सदन में हम इस कानून को लाएंगे और इसी सत्र में इसे पारित किया जाए।

आज जब सुबह सदन में मंत्री जी ने इस कानून को पेश किया, तब भी उन्होंने मांग की कि आज ही इस कानून को पास किया जाए। इससे पता चलता है कि यह कानून कितना महत्व रखता है कि सरकार आज ही इस कानून को पास कराना चाहती है। यदि कानून का कोई महत्व नहीं है, तो यह बहस बिना मतलब की है। आप चाहे कुछ भी नाम दो, मैं तो कहता हूं कि यह मिनी पोटा है। आज दस साल के बाद सरकार ने कम से कम इस बात का एहसास किया कि आतंक से लड़ने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। वह समय हम पर न आए कि सरकार को यह कहने पर मजबूर होना पड़े कि पोटा से भी अधिक कड़े कानून को बनाने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)* शिव सेना ने क्या किया, यह आपको पता चलेगा। आज यह विषय नहीं है। आप मुम्बई के सभी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में जाइए और पूछिए कि वहां किन लोगों ने रक्तदान किया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप चेयर को सम्बोधित करते हुए बोलें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुम्बई के अस्पतालों में जा कर देखिए कि जख्मी लोगों की खून की जरूरत किसने पूरी की है।

सभापति महोदय : श्री गीते के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, हमें सख्त कानून बनाने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन साथ में सरकार को संकल्प लेने की भी आवश्यकता है कि इस कानून को सख्ती से लागू करे। मुझे आश्चर्य होता है कि जब इस सदन पर हमला हुआ, उसकी जांच भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी। सरकार की तरफ से अजहर मसूद की बात कही जाती है कि कंधार में उस आतंकवादी को क्यों छोड़ा गया। क्या आप अजहर मसूद की बात कह कर, जो संसद पर हमला हुआ, जो हमारे वाच एंड वार्ड के सिपाही मारे गए, क्या आप उन आतंकवादियों का समर्थन करना चाहते हैं। संसद में जो वाच एंड वार्ड के सिपाही मारे गए, क्या आप अजहर मसूद का नाम ले कर संसद पर हमले की घटना का । करना चाहते हैं। उस समय यदि सरकार की गलती थी, तो आप उस गलती को अब सुधार सकते हैं। यदि उस समय में सरकार ने गलती की, तो क्या आप उस गलती को दिखा कर अपनी गलती छिपाना चाहते हैं। मेरे मन में आशंका है कि अफजल की फाइल बहुत समय से केबिनेट के पास पड़ी हुई है। उसे क्यों बचाया जा रहा है? आप कानून की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को कानून ने सजा दी है, उसे बचाने के लिए वह फाइल केबिनेट के पास क्यों पड़ी है? क्या इसका जवाब सरकार के पास है?

महोदय, यह हमला आतंकी हमला है। हमने उस दिन भी कहा था कि सरकार ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है कि यह हमला मुम्बई पर नहीं, बल्कि यह हमला हमारे देश पर किया गया है। हमने इस बात को स्वीकार करने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया है। हमने यह मांग भी की थी कि यह केवल आतंकी हमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ओर से हमारे विरूद्ध चलाया गया युद्ध है और युद्ध के तौर पर हमें इसका मुकाबला करना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय, मैं एक बात का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं कि आज जो आतंकवादी कैद में जीवित हैं, उसे लेकर सदन के बाहर देश में अलग-अलग चर्चा शुरू हो गई है। आज कोई भी वकील उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको वकील मुहैया कराना चाहिए और किसी न किसी को उसकी वकालत करनी चाहिए। आज देश का कोई भी वकील उनकी वकालत करने के लिए तैयार नहीं है। आज यह मुद्दा वकालत का नहीं है। जो 10 आतंकवादी मुम्बई में आए, वे पाकिस्तान से आए, वे पाकिस्तान से बोट में आए, चाहे वह गुजरात से चुरायी हो, कुबेर नाव से देश में आए और आते समय हैंड ग्रेनेड, एके-47, आर्म्स एंड एम्युनिशयन लेकर आए। उन्होंने पाकिस्तान से आकर हमारे देश पर हमला किया है। वह केवल आतंकवादी ही नहीं हैं, बल्कि जो कैद में है, वह हमारा युद्ध कैदी भी है। इसलिए युद्ध कैदी की तरह उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हमारे देश के खिलाफ युद्ध किया था। वे स्टेनगन, एके-47, हैंड ग्रेनेड लेकर आए थे।

सभापति महोदय : पार्टी का टाइम खत्म हो गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। टेलीविजन में एक बात आ रही है। सदन में हमारे मंत्री अंतुले जी

बैठे हैं। आजकल उनका एक बयान टेलीविजन में दिखाया जा रहा है जिसे सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि वह सरकार के एक मंत्री हैं। सदन में होम मिनिस्टर, प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उनके मुताबिक उस आतंकी हमले में एटीएस प्रमुख हेमन्त करकरे, अशोक काम्टे, विजय सालेस्कर, उन्नीकृष्णनन् और 35 पुलिस तथा सुरक्षा कर्मी आतंकवादियों के हाथों मारे गए। यह बयान सदन में सरकार की ओर से दिया गया था और लिखित रूप में भी सदन में रखा गया है। आज दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है कि अंतुले जी जो मंत्री हैं, वह आरोप लगा कर कर रहे हैं कि जो हेमन्त करकरे के ऊपर गोली लगी और उनकी हत्या हुई, वह आतंकवादियों ने की है या और किसी ने की है, यह जांच करने की आवश्यकता है। यह किस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने मंत्री जी का नाम लिया है, इसलिए उनकी बात सुनें।

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) : इनको मिर्ची क्यों लगी है, मुझे समझ नहीं आता और यह समझने की बात है।

सभापति महोदय : आप ठीक भाषा का प्रयोग करें।

श्री ए.आर. अंतुले : दुनिया जानती है कि ताज, नरीमन हाउस और तीसरे ऑबराय में बहुत गोलीबारी चल रही थी। मैं मुम्बई का हूं। मेरे घर के पास ही ये सारी चीजें हुई जिसे गीते जी जानते हैं। मैंने उनको यह नहीं कहा कि आतंकवादियों ने नहीं मारा, वह क्यों मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज डाल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता।

श्री अनंत गंगाराम गीते : टेलीविजन में आपका बयान आया है और उसे लाइव दिखाया गया। आप दूरदर्शन से वह कैसेट मंगवा लीजिए। आप सदन को गुमराह नहीं कर सकते। आप टेलीविजन से उन्हें मंगवा लीजिए।...*(व्यवधान)*

डा. शकील अहमद : यह लाइव बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : आप इनको बोलने दीजिए।

श्री ए.आर. अंतुले : दुनिया जानती है कि यह अंतुले डरपोक नहीं है। वह एक मर्तबा जो बोलता है, उसी बात को कायम रखता है, कभी नहीं पलटता है। मेरी जिन्दगी इसी में गई। मुझे पूरा हिन्दुस्तान, पूरा महाराष्ट्र खुसूसन जानता है। मैंने जो कहा है, मैं उसे बताता हूं। मैंने यह कहा और अभी भी वही कह रहा हूं।

मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं गीते जी का, क्योंकि गीते जी आपकी वजह से मुझे बोलने का मौका मिला, नहीं तो मुझे नहीं मिलता।

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो टीवी पर कहा है वह कहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.आर. अंतुले : मैं बोल रहा हूं और आपका धन्यवाद देकर बोल रहा हूं। मैंने यह कहा कि बजाय इसके कि ताज में जाते, ओबराय में जाते, नरिमन हाउस जाते तो यह जवां मर्द वहां जाता तो उसका नक्शा ही अलग होता। मेरा ईमान है, और मैं ऊपर वाले से डरकर कह रहा हूं, लेकिन उसे कहा गया होगा कामा अस्पताल की तरफ जाओ। मैं यह नहीं कह रहा कि कामा अस्पताल में कुछ नहीं हुआ होगा। कामा अस्पताल का नाम आतंकवाद के बारे में कितने लोगों ने सुना? अगर कामा में एक या दो इंसीडेंट शायद हुए होंगे तो यहां ताज वगैरह में कितने लोग मारे गए। दस लड़के आए और दस लड़कों ने तीन दिन तक हिन्दुस्तान में ये अंधाधुंध काम किया, यह हमारे लिए शर्म की बात है।...*(व्यवधान)* उनके साथी एक ही गाड़ी में बैठे, जो प्रोटोकाल के खिलाफ है, उनको फौरन ऐसा कहा गया होगा, लेकिन किसने कहा ये मैं नहीं जानता और न मैं कह रहा हूं। जिनके दिल के अंदर चोर है, क्यों है यह मेरी समझ में नहीं आता।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, टीवी पर लाइव आ रहा है।. ..*(व्यवधान)* आपको सदन में माफी मांगनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)* आप सदन में गलत बयान दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। हमें डिबेट पर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उनको कहना है तो कहेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, अभी भी टीवी पर लाइव आ रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। ऐसे नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.आर. अंतुले : मैंने वही कहा है जो उस वक्त मैंने कहा और मैं गलत नहीं कहता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आठवले जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको कुछ कहना है तो आप अपनी सीट पर जाकर कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.आर. अंतुले : मैं हल्फिया कह रहा हूं। मैंने यह कहा कि उनको अलग तरीके से अलग डायरेक्शन में भेजने वाला कौन था, जिसकी वजह से वो जवां मर्द, जिनके ऊपर हमें फख्र है और हमेशा फख्र रहेगा, उनको मारा गया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.आर. अंतुले : मेरी आंख के सामने गीते जी नहीं थे, हमारे दोस्त नहीं थे। मैंने कहा जांच की जाए, इसमें क्या गलत कहा है? मैं अभी भी कहता हूं जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सत्पथी जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे अंतुले जी से यह उम्मीद नहीं थी कि अंतुले साहब इस सदन को गुमराह करेंगे। टीवी पर बयान अभी भी आ रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उसकी चर्चा यहां मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो बयान आ रहा है, वह अभी भी लाइव है। अंतुले जी बोल रहे हैं, कैप्स ऑन नहीं आ रहा है। अंतुले जी बोल रहे हैं और वही टीवी पर अभी भी दिखाया जा रहा है। ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गीते जी, हमने मिलकर चर्चा करनी है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मैं इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस सदन में यह प्रयास पहले दिन से रहा है कि पूरे देश में सांप्रदायिकता बनी रहे, वह न टूटे। ...*(व्यवधान)* इसलिए पूरे सदन में इस बात का हमने एक जुबान और एक दिल से समर्थन किया है, निंदा की है और आज इस सदन में इस कानून का समर्थन देने के लिए यहां खड़े हैं। इस समय इस बात को, सांप्रदायिक एकता को तोड़ने वाली बात जो अंतुले जी के मुंह से आती है, यह बहुत शर्मनाक बात है।

सभापति महोदय, यह सरकार है और सरकार को इस प्रकार से बयान नहीं देना चाहिए। जो सदन में कहता है, वही सही है। इसलिए इसके बारे में...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये, आपकी गरिमा है, उसे बीच में बोलकर उसे खराब मत करिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : होम मिनिस्टर को इसके बारे में क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, जो सदन में उन्होंने बयान दिया है, वह सदन के सामने दिया है और अंतुले साहब का बयान टी.वी. पर आ रहा है और यहां पर वह अपनी बात से मुकर रहे हैं। इस तरह से यह सदन को फिर से गुमराह कर रहे हैं।

सभापति महोदय, एन.डी.ए. की ओर से आडवाणी जी ने यह विश्वास दिलाया है कि इस कानून को बनाने में हमारा सहयोग रहेगा और हम भी यही कहते हैं कि इस कानून को बनाने में हम सहयोग करेंगे, सरकार के साथ रहेंगे, आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार जो भी कदम उठायेगी, हम उनका समर्थन करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठिये। रिकार्ड पर कुछ भी नहीं जायेगा, जिसे कहा गया है उसी का स्टेटमैन्ट जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? रामदास जी, आपको कहा है, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कोई सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया कोई भी सदस्य बैठे-बैठे चर्चा न करे। आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपस में बातें नहीं करनी हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपस में बात करने का कौन सा दस्तूर है, आप चेयर से पूछिये, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, निस्संदेह इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के दौरान इस सदन के सदस्यों का आचरण बेहद शर्मनाक है और इस देश के लोग इस सदन में हमारे अभद्र व्यवहार से हताश हैं। मुझे इस बात का खेद है कि लोगों के बीच हम इस प्रकार की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। परंतु यहां पर हर सदस्य निर्वाचित सदस्य है और उन सब का मैं बहुत आदर करता हूं।

महोदय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारक) संशोधन विधेयक, 2008 पर चर्चा करते समय केन्द्र सरकार को इस देश में व्याप्त भीषण स्थिति को ध्यान में रखना होगा। मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज पहले विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सभी वर्गों के लिए कहा था मैं समझता हूं इस सदन का हर व्यक्ति इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता है।

परंतु इन विधेयकों का स्वागत करते हुए हमारे मन में हमारी कई गलतफहमियां और आशंकाएं विद्यमान हैं। राज्य की स्वायत्तता एक चिरकालिक मुद्दा है और यदि हम सरसरी तौर पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक पर नजर डालें तो पाएंगे कि संयुक्त राज्य अमरीका की नकल करने के असफल प्रयास में हम शायद यह भूल रहे हैं कि हम एक ऐसे देश जिसे भारत कहते हैं, के निवासी हैं और इस देश में वैधता पर विचार करते समय हमें अपनी कुछ खामियों पर भी ध्यान देना चाहिए।

महोदय, विधेयक का अध्याय-तीन, खंड-6, पैरा-5 के अनुसार:-

"इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अनुसूचित अपराध कारित किया गया है जिसका इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो वह स्वप्रेरणा से, अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निदेश दे सकेगी।"

आगे खंड-7 (क,) में यह कहा गया है:

"इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करते समय, अभिकरण, अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, यदि ऐसा करना समीचीन है तो राज्य सरकार को यह अनुरोध कर सकेगा कि वह स्वयं अन्वेषण से सहबद्ध हो",

महोदय, गृह मंत्री ने पहले ही इस उपबंध का विशेष रूप से उल्लेख किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या 'स्वप्रेरणा' शब्द यहां प्रयोग किए गए थे और न ही यह बताया कि क्या केन्द्र सरकार या एजेंसी ऐसा करना उचित मानती है। इसका मतलब है कि यह एजेंसी उस विशेष समय या केन्द्र में जो भी सत्ता में है उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि इस अनुसूची के अंतर्गत जांचों के लिए किसी एक या सभी राज्य सरकारों को शामिल किया जाए या नहीं।

महोदय, सबसे पहले हमे इस बात को स्वीकार करना होगा कि आतंकवाद भारत के लिए कोई विशेष बात नहीं है और न ही यह भारतीय भौगोलिक सीमा के अंदर या बाहर तक ही सीमित है। बल्कि आज आतंकवाद संपूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले चुका है और हम सबको इस वास्तविकता से बहुत पहले ही परिचित हो जाना चाहिए था। जैसा कि भारतीय राज्यमार्गों पर लिखा होता है "कभी नहीं से देरी भली", हम इन दो विधेयकों का स्वागत करते हैं। हालांकि ये देर से आए पर हमें उनका समर्थन करना चाहिए।

मेरी जानकारी में अब तक इस देश में लगभग तीन जांच एजेंसियां है। ये हैं आसूचना ब्यूरो, रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग और सैन्य आसूचना स्कंध। इसके अलावा हमारी राज्य सरकारों के अपने राज्य आसूचना ब्यूरों हैं। दुर्भाग्यवश कम से कम चार विभिन्न ज्ञात संगठनों के अतिरिक्त मुझे नहीं मालूम की सरकार के पास कोई अन्य संगठन भी है जो गुप्त सूचनाएं एकत्रित करता है क्योंकि आज देश में होने वाली किसी घटना की कोई पूर्व जानकारी नहीं मिल पाती, चाहे वह ट्रेनों में विस्फोट हो जिसमें आम आदमी मारे जाते हैं चाहे वह सुसज्जित पांच सितारा होटलों में होने वाली हत्याएं हों। पर इन घटनाओं के बाद हर बार आसूचना एजेंसियां और सरकार के कुछ स्कंध यह बताते हैं कि उनके पास इनकी पूर्व सूचना उपलब्ध थी। लेकिन इसका सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया।

उड़िया में एक कहावत है - मार, मार, भंडारिया को मार इसका मतलब है कि जब आपको किसी को पीटने का मन करे तो अपने

[श्री तथागत सत्पथी]

नाई को पीटो क्योंकि नाई एक गरीब आदमी है, चूंकि वह आपके बाल काटता है और आदम तथा ईव को नहीं जानता। इसलिए अगर आप क्रोधित हैं तो उसे पीटें। ठीक उसी तरह पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटील भंडारिया बन गए। मैं भले ही श्री पाटील का प्रशंसक नहीं हूं लेकिन मुझे श्री पाटील और महाराष्ट्र के अन्य आर.आर. पाटील के लिए बहुत दु:ख हुआ। क्या सही में इन घटनाओं के लिए वे जिम्मेदार थे? हम कार्यवाही नहीं कर सकें क्या इसके लिए हम उनकी आलोचना करेंगे। क्या वह समय आ गया है जब हम जागें और इस वास्तविकता का सामना करें कि देश की नौकरशाही व्यवस्था पूरी तरह से निष्क्रिय है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है?

क्या दिल्ली में बैठे हुए गृह मंत्री अधिकारियों के संज्ञान में आने वाली प्रत्येक आसूचना जानकारी पर नजर रख सकते है? वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देखिए हमने उनको जिम्मेदार ठहराया। पार्टी आलाकमान को यह ठीक लगा और लोग भी 'बस बहुत हो चुका' के इश्तेहार लेकर आ गए। क्या यह समय नहीं है जब हम लोगों को यह समझाएं की आतंकवाद की कोई हद नहीं हैं और न ही आतंकवाद की कोई सीमा है। यह किसी धर्म और देश तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक समस्या है और जब मैं यह कह रहा हूं तो मुझे इस एक तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि मारे गए आतंकवादियों को मुंबई के किसी भी मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया गया क्योंकि वहां के समुदाय इनसे घृणा करते थे और इन आतंकवादियों के अंतिम संस्कार का विरोध कर उनके प्रति नफरत को व्यक्त कर रहे थे। इसलिए हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि वहां के लोग यह नहीं चाहते थे कि उनके निकट संबंधी इन निकृष्ट अपराधियों के साथ ही दफनाए जाएं।

अत: यह किसी धर्म से संबंधित प्रश्न नहीं है। ये हिन्दू आतंकवादी नहीं हैं और न ही मुस्लिम आतंकवादी हैं। आतंकवादी अपने आप में धर्म हैं।

लेकिन हमारे पास विविध पुलिस और आसूचना स्कंध हैं जो सूचनाओं को शेयर करते अथवा समन्वय नहीं करते हैं। इसलिए हम हमेशा नुकसान में रहते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। जब मैं इन दो विधेयकों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वास्तव में इन विधेयकों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। एक बार किसी की मौत हो जाए, एक बार आतंकवादी गतिविधि पूरी हो जाए, जब एन.एस.जी को दिल्ली से बंबई पहुंचने में नौ घंटे से अधिक समय लग जाए, इन तमाम नाकामयाबियों पर आपके विशेष न्यायालय और विशेष कानून पर्दा डाल देते हैं। मैं मंत्री साहब से उम्मीद करूंगा कि वे कृप्या ध्यान दें कि इन सब चीजों से नाकामयाबियों पर रिपोंट की मांग कर रहे हैं। आखिर कब तक ये नाकामयाबियां हमारे चलती रहेंगी?

जब से लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने का चलन शुरू किया था तभी से राजनेताओं के प्रति नफरत और किसी भी चीज के लिए उन्हे जिम्मेदार ठहराने की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन हमारे पास नौकरशाही की असफलता की ओर ध्यान देने का समय नहीं है।

अब समय आ गया है कि हम देश की जनता को इस बात के लिए जागरूक करें कि उन्हें भी कतिपय भूमिका निभानी है। जनता के लिए केवल यही काफी नहीं है कि वे सड़कों पर निकलकर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की मांग करें। जनता को यह समझने की आवश्यकता है कि यह 21वीं सदी का विश्व है जहां भारत जैसे देश का किसी भी देश के साथ युद्ध, पाकिस्तान तो तैयार है उसे छोड़कर मालदीव या श्रीलंका के जैसे छोटे देशों के खिलाफ भी भारत निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए यह कहना निरर्थक है कि हमें युद्ध करना चाहिए। इसके बजाय हमें यह सोचना चाहिए की इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को हम कैसे रोक सकते हैं। क्या हम आसूचना नेटवर्क से समन्वय कर पाए है? क्या हम सशस्त्र बलों से समन्वय कर पाए है? क्या विशेष पुलिस बलों से हम समन्वय कर पाए है? तथा अंत में क्या हम जनता को जागरूक बना पाए हैं?

यहां इस बात का उल्लेख करना उचित ही होगा कि इजराइल जैसा छोटा देश, जो कि एक तरफ अर्थात उत्तरी दिशा में भूमध्यसागर से घिरा हुआ है तथा शेष तीन तरफ से कट्टर विरोधी राष्ट्रों से घिरा हुआ है, ने न केवल अपने आप को सुरक्षित रखा है बल्कि अधिकांश आतंकी गतिविधियों को कुचला है और अपने शुत्रओं को धूल चटाई है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि सरकार प्रतिक्रियाशील थी। यह प्रतिक्रियाशीलता संसद में केवल कानून और विधेयकों को पारित करने से नहीं है तथा मुद्दे की गंभीरता को न समझते हुए एक दूसरे पर चिल्लाने भर नहीं हैं अपितु आम नागरिकों के साथ सरकारी कार्यवाही, पुलिस तथा सैन्य कार्यवाही में समन्वय स्थापित करने से थी। इसलिए सरकार से मेरी विनम्र प्रार्थना और निवेदन है कि इस विधेयक को पारित करते समय उन्हें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सत्ता में आज या कल कुछ शरारती लोग अवश्य होंगे। एक ऐसी एजेंसी जो स्वयं संचालित हों और जब उचित समझे, जांच में राज्य सरकार से सहयोग का अनुरोध करे, अन्यथा हम अपने लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डाल देंगे। जब हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो हमें

यह भी सोचना होगा कि यदि देश के लोगों की जान खतरे में हो तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जनता को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य को प्रथम महत्व देते हुए हमें यह सोचना है कि आतंकवादी घटना हो जाने के बाद कोई विधेयक लाने के बजाय हम अपने संसाधनों में उपलब्ध वर्तमान सुरक्षा बलों, वर्तमान खुफिया तंत्र के माध्यम से यह कैसे बेहतर ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की तैयारी ऐसी हो कि हम शुरू में ही आतंकवाद और सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का सामना कर सकें और हमें उस समय का इंतजार न करना पड़े जब हम यह निर्णय ले रहे हो कि इस अकेले आतंकवादी को बम्बई के किसी चौराहे पर सरेआम फांसी दी जाए अथवा इसके लिए विशेष न्यायालय बनाए जायें। यह वह समय है जब हमें एकसाथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम सभी इस कार्य में सरकार का समर्थन करते हैं। परन्तु मुझे आशा है कि गृह मंत्री जी और सरकार वास्तविकताओं को समझेगी, राज्यों की स्वायत्तता को ध्यान में रखेंगी और भारत के नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेंगी।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने चर्चा हेतु इन विधेयकों को प्रस्तुत करते हुए कहा है, हम दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं।

सर्वप्रथम मैं यह अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा देश आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में एकजुट है। दूसरा, हमने एक केन्द्रीय जांच एजेन्सी बनाने के विचार को अस्वीकार नहीं किया है। हमने इसे अस्वीकार नहीं किया है। तीसरा, हमने आतंकवाद से निपटने और आतंकवादियों को विशेषकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को क्योंकि आतंकवादी आत्मघाती दस्ता तैयार करते हैं, सजा दिलाने हेतु विधि तंत्र को मजबूत करने के विचार को अस्वीकृत नहीं किया है।

ऐसा करते हुए मुझे यह अवश्य बताना है कि कानून भले ही कितना ही कठोर क्यों न हों, वे किसी भी प्रकार से आतंवाद निवारक नहीं है। कानून कितने ही कठोर क्यों न हों वे निवारक नहीं हैं। कानून अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए। मैं सावधानीपूर्वक अपने शब्दों का चयन कर रहा हूं। कानून अति कठोर नहीं होना चाहिए। कानून को निश्चित रूप से देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। आतंकवाद के विरूद्ध हमारी दृढ़ लड़ाई के दो महत्वपूर्ण घटक (क) लोकतंत्र और (ख) जनता है। हमारे मंत्रियों के भाषण चाहे कितना ही प्रशंसनीय क्यों न हों, लोकतंत्र के बगैर, जनता के समर्थन के बगैर तथा देश की एकता के बगैर हम आतंकवाद से नहीं लड़ सकते।

महोदय, बात यह है कि राज्य सभा ने निरूद्ध किए जाने की अवधि को बढ़ाकर 28 दिन से अधिक किए जाने को क्यों अस्वीकार कर दिया है? क्या राज्य सभा का दृष्टिकोण आतंकवाद के प्रति नरम है। अमरीका ने निरूद्ध किए जाने की अवधि बढ़ाने से क्यों इनकार कर दिया है? क्या हम यह विश्वास करें कि अमरीका आतंकवाद से नहीं लड़ना चाहता? मूल बात यह है कि आतंकवाद से लड़ते समय लोकतंत्र को कमजोर नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे दो उदाहरण देने दें। आपके पास बिना आरोप पत्र के 180 दिन निरूद्ध किए जाने की व्यवस्था है। क्या यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है? क्या यह उन लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार हैं जिसके लिए भारत जाना जाता है?

दूसरे अब आरोपित व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है वह अपने आप को निर्दोष साबित करे। आरोप तो अभियोगपक्ष द्वारा साबित किया जाना चाहिए। यहां यह बिल्कुल उल्टा है। आरोपित व्यक्ति को अपने को निर्दोष साबित करना होगा। हां, ऐसा कुछ मामलों में है। मुझे पढ़ने दें। महोदय, क्या यह लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के उच्च आदर्शों के अनुकूल है जिसके लिए भारत जाना जाता है।

महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है। हम समझते हैं कि इस अधिनियम के दो उपबंध लोकतंत्र विरोधी और ऐसे हैं जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया। यह हमारे लिए बिल्कुल अस्वीकार्य है। भाजपा ने पोटा की मांग की है। श्री चिदम्बरम उनकी बात सावधानीपूर्वक सुन रहे थे। वह पोटा की मांग कर रहे थे। भाजपा को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वह सरकार को अपनी कार्य शैली और सोच की ओर खींच लायी। भाजपा ने उन्हें वस्तुतः अपनी ओर खींचा है। यदि पूरी तरह 'यू' टर्न की स्थति नहीं है तो भी भाजपा कांग्रेस पार्टी को कम से कम अपने रूख के नजदीक खींच लाने में सफल रही है। यह आधा पोटा है। ऐसा भाजपा को शांत करने के लिए किया गया है क्योंकि चुनाव नजदीक है। आप झूठी अफवाह के साथ जनता का सामना नहीं करना चाहते कि आतंकवाद के प्रति आपका रुख नरम है मानो एक कठोर कानून बनाकर आप जनता को आतंकवाद से लड़ने का अपना इरादा जता सकते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यह एक अकेली महत्वपूर्ण कार्रवाई है जिसे सरकार ने किया है।

श्री कपिल सिब्बल काफी स्पष्टवादी रहे हैं। उन्होंने कहा था: "हम और आगे जा सकते थे, और अधिक कठोर कदम उठा सकते थे। हम उस हद तक नहीं गए हैं।" श्री कपिल सिब्बल जी धन्यवाद। आप क्या और अधिक कर सकते थे? आपने यह कहा होता मुकदमें की सुनवाई किए बिना, बिना साक्ष्य के दंड देना। शायद यही कठोर कदम उठाया गया होता। आपने यह कदम नहीं उठाया। इसके लिए

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

आपको धन्यवाद। आपको उनकी अपेक्षा थोड़ा और अधिक लोकतांत्रिक होने के लिए धन्यवाद।

महोदय, बात यह है कि राज्य (देश) को एक पुलिस राज्य बनाना बहुत खतरनाक है। लोगों को जरूरत से ज्यादा अधिकार देने का मतलब इसका बुरी तरह, दुरूपयोग किया जाना है। यह श्री चिदम्बरम हैं जो कानून लागू करेंगे न कि श्री कपिल सिब्बल जिनके पास इच्छा होगी। नीचे के स्तर पर प्रशासन में पक्षपात की स्थिति है। देश में पक्षपात है। जब पक्षपात की स्थिति हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो यह महत्वपूर्ण अधिकार सौंप रहे हैं उसका दुरूपयोग न होगा। यदि राज्य के अतार्किक कार्रवाई का एक व्यक्ति भी शिकार होता है तो यह देश के लिए शर्म की बात है।

महोदय, पुलिस को बहुत अधिकार दिए जाने का अर्थ निरंकुशता है और न कि लोकतंत्र। पाकिस्तान एक निरंकुश देश है। यह एक सर्वसत्तात्मक देश है। यह एक पुलिस देश है, यह एक मिलिटरी देश है। क्या पाकिस्तान अपने स्वयं के देश में आतंकवाद से निपटने में सक्षम रहा है? हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को देखिए। बांग्लादेश को देखिए। सेना बार-बार सत्ता हथिया लेती है। क्या सैनिक शासन जेहादियों पर काबू पाने में सक्षम रहा है, जो अपने ही लोगों पर बंदूकें चला रहे हैं? इसलिए, यह अनुभव है। हमें आतंकवाद से लड़ने के क्रम में लोकतंत्र को विकृत नहीं करना चाहिए। इतिहास से हमें यही सीख मिली है तथा इस दिशा में आधी दूरी तय करके इस सीख को भूला नहीं जा सकता, भारतीय जनता पार्टी उसे घसीटना चाहती है।

मैं अचम्भित हूं। महोदय, मैं श्री आडवाणी द्वारा प्रस्तुत तर्क पर अचम्भित हूं। वह क्या बोल रहे थे? वह बोल रहे थे कि पुलिस के सामने दिए गए बयान को साक्ष्य माना जाना चाहिए। वस्तुतः मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मैं किसी भारतीय की बात सुन रहा हूं अथवा किसी अन्य की। किसी आपराधिक मामले में पुलिस के समक्ष किए गए कबूलनामे को साक्ष्य माना जाना। मैं हतप्रभ हूं। क्या यह प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार की आवाज है? क्या यह भारत में लोक सभा के विपक्ष के नेता की आवाज है? यहां तक कि श्री आडवाणी ने यह कहा है कि टेप की गयी टेलीफोन वार्ता को भी साक्ष्य माना जाना चाहिए। आप किस हद तक जाना चाहते हैं? आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। यदि उनके नेता यह कहते है कि- पुलिस के सामने किए गए कबूलनामे को साक्ष्य माना जाना चाहिए तो उनके हाथों में सिर्फ लांकतेत्र ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी असुरक्षित है। मुझे पता नहीं कि हिटलर की जर्मनी में भी ऐसा था या नहीं। मुझे पता नहीं कि फासीवाद के अंतर्गत ऐसी स्थिति थी अथवा नहीं। मैं किसी भी व्यक्ति को हिटलरशाह नहीं कह रहा हूं। परन्तु मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यह काफी खतरनाक है। इस सभा में कठोर उपायों के पक्ष में इस प्रकार से खुलेआम बोलना अत्यंत खतरनाक व शर्मनाक है। यह शर्म की बात है।

महोदय, सिर्फ कानून ही पर्याप्त नहीं है। हमारी तैयारी महत्वपूर्ण है। हमारी तैयारी का अभिप्राय है लोगों की एकता, जनता की इच्छा को प्रेरित करना है। हमारी तैयारी का अभिप्राय राज्य (देश) की तैयारी है।

हमारी तैयारी का अभिप्राय विभिन्न खुफिया एजेन्सियों के बीच समन्वय है। हमारी तैयारी का अभिप्राय यह है कि सुरक्षा बल खुफिया एजेन्सियों द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना पर कार्रवाई करें। हमारी तैयारी का अभिप्राय गृह मंत्रालय का बेहतर कार्यकरण है जो कि हम देखते आ रहे हैं। मैं इस बात के लिए श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देता हूं कि वह क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को उड़ीसा जाने के लिए राजी हो गए हैं जबकि उग्रराष्ट्रवादी ताकतों ने हड़ताल घोषित की है। यह वह भारत है जिसमें हम रह रहे हैं। आम आदमी पर आक्रमण करना मात्र ही आतंकवाद नहीं है। उग्रराष्ट्रवाद का हमला भी आतंकवाद है। साम्प्रदायिकता का हमला भी आतंकवाद है। अलगाववादी ताकतों का हमला आतंकवाद है। हमारे देश में आतंकवाद विविध रूपों में मौजूद है। इससे लड़ने की जरूरत है।

इसलिए, गृह मंत्रालय को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए। जांच किए जाने की जरूरत है। हमें इसके बारे में अवश्य पता लगाना होगा। क्या यह सच है कि तीन संदेशों को बीच में पकड़ा गया था? क्या यह सच है कि नौसेना प्रमुख ने कहा था कि यह व्यवस्था की विफलता है? क्या यह सच है कि श्री एंटनी ने कहा था कि हमारी सामुद्रिक सीमा असुरक्षित है? क्या यह सच है? यदि हां, तो किस पर दोषारोपण किया जाए। आप आतंकवादियों को फांसी पर लटका सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को छह महीने तक निरुद्ध कर सकते हैं। परन्तु मुम्बई में हुए इस कायर अपराध के लिए किसकी खामी उत्तरदायी है? किसकी खामी अथवा किसकी अदूरदर्शिता इसके लिए जिम्मेवार है? हमें इसका अवश्य पता लगाना होगा। मात्र यह जानना काफी नहीं है कि सरकार कठोर कार्रवाई करने जा रही है। सरकार को सब कुछ साफ-साफ बताना चाहिए। हमें यह जानने का अधिकार है कि वास्तविकता क्या है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं यह महसूस करूंगा कि यह इस सभा में एक अभ्यास मात्र

है। सरकार की सत्यनिष्ठा तभी साबित होगी जब वह इन प्रश्नों का साफ-साफ जवाब दे पाएगी कि सरकार के पास ऐसी घटनाओं के लिए तैयारी नहीं थी, इस संबंध में सरकार की ओर से पर्याप्त नहीं किया गया, खुफिया रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं की गयी।

इसके लिए सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि यदि आतंकवाद का स्वरूप बहुराष्ट्रीय हो गया है तो आतंकवाद से लड़ने की रणनीति भी बहुराष्ट्रीय होनी चाहिए। मात्र इस विधेयक को पारित करने से हम सुरक्षित महसूस नहीं करने लगेंगे। क्या सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा यदि हम 180 दिनों की हिरासत स्वीकृत कर लें? क्या सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा यदि एक केन्द्रीय जांच एजेन्सी बना दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य कदम क्या है? क्या आपने वे कदम उठाए हैं।

इसलिए, सरकार द्वारा कठोर कानून बनाने के अभियान से भारी मन से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं कि हम लोग आरोप पत्र दाखिल किए बगैर 180 दिनों तक निरूद्ध किए जाने की बात का विरोध करते हैं। हम इस बात का भी विरोध करते हैं कि आरोपित को अपने को निर्दोष साबित करना होगा। अंततः मैं विश्वास करता हूं कि यह मात्र जनता है, जनता की एकता है, जनता की राजनीतिक सोच है जो महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, यह मदर इंडिया है जो इंडिया की रक्षा कर सकती है न वे कुछ कानून जो सरकार बना रही है। धन्यवाद।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदूर) : धन्यवाद महोदय। मैं डी.एम.के. पार्टी की ओर से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा पेश किए गए दो विधेयकों नामतः राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक पर विचार करने तथा इन्हें पारित करने का समर्थन करता हूं। मुम्बई में जो घटना घटित हुई है उससे पूरा देश बहुत चिंतित है तथा भारत के सभी लोगों ने इसका विरोध किया था तथा वे बहुत ही गुस्से में थे। विशेषकर उनमें राजनीतिज्ञों के प्रति आक्रोश था। जनता यह सोचती है कि इसकी सारी जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों की है और उन्होंने टेलीविजन पर जो वक्तव्य दिए है उससे राजनीतिज्ञों को बहुत धक्का लगा है। उन्होंने राजनीतिज्ञों को भला बुरा कहा है। वे राजनीतिज्ञों के विरूद्ध एकजुट हुए है।

महोदय, हमारे देश को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी द्वारा आतंकवाद और ऐसी बुराइयों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पेश किए गए इन दो विधेयकों की पृष्ठभूमि की भी सराहना करता हूं।

महोदय, यह ऐसा पहला विधेयक है जिसमें आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए राष्ट्रीय स्तर के अन्वेषण अभिकरण का गठन किया गया है। हम सभी को मालूम है कि कानून और व्यवस्था के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर जांच नहीं कर सकता। वह राज्य सरकार की अनुमति से ही जांच की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इस विधेयक के खंड 6(5) के अंतर्गत अनुसूची में उल्लिखित अपराधों के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर जांच कर सकता है। इससे राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच करने संबंधी सभी जटिलताएं भी समाप्त हो जाएंगी।

महोदय, मैं सादर यह कहना चाहता हूं कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों की जांच करने के बारे में हमारी कुछ आपत्तियां हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वास्तव में घटित आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित किसी अपराध की जांच कोई केन्द्रीय अभिकरण करे। खंड 9 की भाषा अस्पष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है इसमें कहा गया है कि "अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए राज्य सरकार अभिकरण की हर संभव सहायता और सहयोग देगी।" 'सहायता' और 'सहयोग' जैसे शब्द अस्पष्ट हैं। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों जैसे केन्द्रीय अभिकरणों के समक्ष आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को समाप्त करना चाहिए। केन्द्रीय अभिकरण और राज्य सरकार के अभिकरणों के बीच कोई संघर्ष, विवाद अथवा गतिरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की दरकार होती है। वास्तव में एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे यह मालूम हुआ है कि अनेक मामलों में अनेक कारणों से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य सरकार की सहायता नहीं मिल पाती है। इस बारे में स्थिति सुस्पष्ट होनी चाहिए।

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप संबंधी मूल अधिनियम की धारा 18 में ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम पांच वर्षों की सजा का उपबंध है जो आतंकवादी कृत्य का षडयंत्र रचता है अथवा उसका प्रयास करता है अथवा उसका समर्थन करता है; दुष्प्रेरणा, सलाह देता है अथवा भड़काता है अथवा जानबूझकर इसमें शामिल होता हैं। अब पांच वर्ष का दंड दिया जाता हैं। इसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर देना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही गंभीर अपराध हैं। न केवल धारा 18 में अपितु धारा 18 ख में इसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर देना चाहिए।

आज प्रतिपक्ष के नेता श्री एल.के. आडवाणी ने कहा है कि यह नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। मैं खेद के साथ कहता हूं कि मैं इससे इत्तिफाक नहीं रखता। मैं कहना चाहता हूं कि यह

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

पुरानी बोतल में नई शराब है क्योंकि ये नया कानून हैं। आप इसकी तुलना पोटा से नहीं कर सकते। महोदय आपको पता है कि पोटा कानून का पूरे देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, कई तरह से दुरूपयोग किया गया हैं। तत्कालीन तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने राजनीतिक निहितार्थों के लिए इसका दुरूपयोग किया था। इसके अतिरिक्त विबाध्यता के अधीन पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति को ग्राह्य साक्ष्य माना गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष लोगों विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का उत्पीड़न किया गया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने शासन में आने के बाद पोटा को समाप्त कर दिया था। लेकिन पड़ोसी देश के उग्रवादी और आतंकवादी तत्वों द्वारा किए गए गंभीर आतंकवादी हमलों को देखते हुए सरकार इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए यह विधेयक लाई है। इसके साथ-साथ उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि इस बारे में मानवाधिकार कार्यकत्ताओं और विधिवेत्ताओं के विचारों का भी ध्यान रखा जाए ताकि इसे एक संतुलित रूप दिया जा सके।

मैं इस विधेयक के लिए सरकार का समर्थन करता हूं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के माध्यम से उक्त दुरूपयोग नहीं हो पाएंगें। डी.एम.के. पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज सदन में नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजेंसी बिल, 2008 एवं अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल, 2008 पर चर्चा हो रही है। सरकार जो नैशनल इन्वैस्टीगेशन एजेंसी बना रही है, उस पर मेरी और मेरी पार्टी की रिजर्वेशन्स हैं।

मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले भी बहुत सी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया की एजेंसीज हैं, जिनमें आई.बी. है, सी.बी. आई. है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलीजेंस है, स्टेट्स में कुछ टास्क फोर्स हैं, कोई एंटी टैररिस्ट स्कैड्स हैं — एजेंसी तो बहुत हैं, लेकिन यह बिल इसलिए जल्दी लाया गया, क्योंकि जो बहुत दुखदायी घटना मुम्बई में हुई, उसके बाद सारे हिन्दुस्तान में एक जुबान होकर बोलें, इसलिए सरकार ने सोचा कि कोई ऐसा बिल लायें, तो यह बिल भी उन बिलों के क्रम में लाया गया है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आपने होम मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, लेकिन उन एजेंसियों का क्या हुआ, जिन एजेंसियों ने रिपोर्ट में कहा, जो अलग-अलग बोल रही हैं? कोई कहता है कि हमने पहले इन्फोर्मेशन दी थी, कोई कहता है कि हमें पहले कोई इन्फोर्मेसन नहीं मिली। क्या किसी एजेंसी पर कोई एक्शन किया, किसी आफिसर को आपने जवाबदेह बनाया?

इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं कि जो गुरूदास दासगुप्त जी ने कहा कि हम टैररिज्म के बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि जितना टैररिज्म का दुख पंजाब में हमने झेला है, उतना किसी ने नहीं झेला, इसलिए हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन इसका मकसद यह नहीं है कि आप किसी एजेंसी को, पुलिस को इतनी पावर दे दें, वह भी हमने नौ साल में पंजाब में देखा कि कितने बेगुनाहों को पुलिस ने कत्ल किया, कितने बेगुनाहों को जेलों में भेजा। वह सब भी हमने देखा है, हमारे ऊपर आया है। मैं होम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप इतनी पावर किसी एजेंसी को मत दो, जिससे वह बेगुनाहों को, जैसा गुरूदास दासगुप्त जी ने कहा, वे करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी पार्टी इसीलिए इसके खिलाफ है।

दूसरे, क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि आप एजेंसी तो बना रहे हैं, लेकिन क्या एजेंसीज में कोआर्डीनेशन है? स्टेट में और सैंटर में कितना कोआर्डीनेशन रहा, मुम्बई में जो हुआ, उसमें स्टेट और सैंटर में कितना कोआर्डीनेशन रहा और सैण्ट्रल फोर्सेज और स्टेट फोर्सेज में कितना कोआर्डीनेशन था, इसको तो देखें कि उनके बीच में कोआर्डीनेशन बनाने की जरूरत है। यह नहीं है कि बिल पर बिल, एक्ट पर एक्ट बनाये जाओ, लेकिन कोआर्डीनेशन किसी का न हो। मुझे यह भी शंका है, जैसा आज बहस में हमने देखा है कि यहां पर कहते तो हम यही हैं कि सारा हाउस इसके खिलाफ है, लेकिन आज जो स्पीचेज आपने सुनी हैं तो क्या आप देख सकते हैं कि यह एजेंसी वही काम कर सकेगी, जो हिन्दुस्तान चाहता है? क्या यह पोलिटिकल लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ उसे नहीं बरतेगी? यह आज हम सब ने देख लिया, इसीलिए मैं और मेरी पार्टी इसके खिलाफ हैं। अगर यह एजेंसी बनानी भी थी तो स्टेट के सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाते, उनके साथ कंसेंसस बनाते, लेकिन वह नहीं बनाई, क्योंकि इफैक्टिड तो इससे स्टेट्स होंगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और बी.जे.पी. को छोड़कर, यह चाहे यू.पी.ए. में हैं, चाहे एन.डी.ए. में हैं, इसके खिलाफ हैं। जो रीजनल पार्टीज हैं, हम तो यह चाहते थे, वे तो कहती हैं कि फैडरल सिस्टम होना चाहिए। हिन्दुस्तान का फैडरल सिस्टम रियल सैंस में होना चाहिए। स्टेट्स को पावर्स मिलनी चाहिए, स्टेट्स के काम में दखल नहीं होना चाहिए। हमारा आनन्दपुर साहिब का रैजोल्यूशन यही कहता था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत करिये। आप बोलते जाइये।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : हम उस पर खड़े हैं, क्योंकि रैजोल्यूशन में क्लियर है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बिना इजाजत बात न करें।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : रैजोल्यूशन में यह है कि चार सबजैक्ट्स हैं, उन चार सबजैक्ट्स को छोड़कर सभी स्टेट्स को मिलना चाहिए, यह आनन्दपुर साहिब रैजोल्यूशन कहता है। मैं यह कहता हूं कि हमारा इसलिए रैजोल्यूशन है कि इसका भी मिसयूज किया जा सकता है। इस पर कंसेंसस बननी चाहिए थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बिना इजाजत कोई बात रिकार्ड पर नहीं आएगी।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा : यह बननी चाहिए थी। आप यह क्यों नहीं करते? सैंटर पावर तो ले रहा है, लेकिन आप स्टेट्स फोर्सेज को मजबूत करने के लिए सैंटर से मदद क्यों नहीं करते? उनकी मदद होनी चाहिए, उनको पावर देनी चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, ताकि टेररिज्म के खिलाफ स्टेट्स भी लड़ सकें। फोर्सेज को नयी टैक्नालाजी मिलनी चाहिए, नये साधन उनको देने चाहिए। आखिर इसे करना ही था और अगर आप स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को भी नहीं बुलाना चाहते, तो इसे स्टैंडिंग कमेटी को देते, तो इस पर पूरा विचार तो होता कि क्या होना है? इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को यह जाता।

सिब्बल जी गोधरा की बात कह रहे थे। जब वर्ष 1984 के राइट्स हुए, तब तीन-चार हजार सिख मार दिए गए। उसके बाद बोलते हुए मैंने कहा था कि वहां पर किसी को सजा आज तक नहीं मिली। अगर वहां उस वक्त सजा मिल जाती, तो कभी गोधरा न होता या और कहीं कुछ न होता, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा। सरकार के देखते हुए गोधरा हुआ और भी आगे होंगे, क्योंकि लोग समझेंगे कि यहां तो कोई पूछता ही नहीं है, किसी को सजा ही नहीं मिलती। ऐसा होता ही रहेगा।...*(व्यवधान)*

महोदय, यादव जी कह रहे थे, वह मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उस वक्त लोगों में काफी गुस्सा था, वह कह रहे थे कि अटैक पाकिस्तान, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं। पाकिस्तान में मुश्किल से डेमोक्रेसी आयी है। उनकी मजबूरी भी है। उनके ऊपर आईएसआई और फोर्सेज का पूरा दबाव है। वे कभी कुछ बोल जाते हैं, तो कभी कुछ बोल जाते हैं। उनको खतरा है कि अगर कोई ऐसी बात हो गयी, तो फिर मिलिट्री का राज हो जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि मुश्किल से आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों में, जैसा यादव जी कह रहे थे, मैं उनके साथ हूं कि इंटरएक्शन होनी शुरू हुयी है। अगर फिर से लड़ाई हो गई तो दस-बारह सालों से आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान के साथ हमारी जो बात चल रही है, वह फिर खत्म हो जाएगी। उसको पालिटिकल लेवेल पर, डिप्लोमेटिक लेवेल पर, इंटरनेशनल प्रैशर और दूसरे प्रैशर डालकर समस्या को हल करना चाहिए। अटैक से या जंग से उसका कोई हल नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा टेररिज्म का दुख हमने झेला है, हम उसके हक में हैं। हम कहते हैं कि टेररिज्म सारी दुनिया से खत्म हो। मेरी पार्टी इसके पक्ष में है, लेकिन इस कानून के संबंध में जो मेरी बातें हैं, उसे होम मिनिस्टर साहब थोड़ा ध्यान रखें कि इतनी पावर देकर, कहीं बेगुनाहों को कोई अंदर रखे, कोई गोली मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बहुत कुछ देखा है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता की तरह मैं भी इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। पहला विधेयक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और दूसरा है विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 है। वाद-विवाद के दौरान सत्तापक्ष के दल ने इस देश के सबसे प्रख्यात अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल के कुशल नेतृत्व में एक बात कही थी। मुझे इस बात की खुशी है कि वे मेरा उत्तर सुनने के लिए मौजूद है: उन्होंने कहा था।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आपने इनसे उपस्थित रहने का अनुरोध किया था।

श्री खारबेल स्वाईं : आमतौर पर ये ऐसा नहीं करते। लेकिन भाषण देने के बाद ये गायब हो जाते है। इसलिए मुझे खुशी है कि आज वे उपस्थित हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : महोदय, मैं इनकी बात का विरोध करता हूं। आप इस सभा का रिकार्ड देख लीजिए मैं इस सभा में बोलने के पश्चात यहां से कभी नहीं जाता।

महोदय, यह आपकी सूचना के लिए है, मैंनें कई बार आपको जाते हुए देखा हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : परस्पर आरोप-प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : पूरी सभा को पता है कि कौन रहता है और कौन चला जाता है। इसलिए मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता।

उन्होंने कहा और उनकी इस बात का देवेन्द्रजी और अन्य द्वारा पूरा समर्थन किया गया कि आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में सभी को एकजुट होना चाहिए। उनका यह कहने का क्या आशय है? क्या उनके कहने का आशय यह है कि हमें वे सभी बातें स्वीकार करनी चाहिए जो सत्ता पक्ष वाले कहते है और हमें इस विधेयक का विरोध नहीं करना चाहिए? क्या एकता और ईमानदारी का यही अर्थ है? यदि ऐसा है तो यहां विपक्ष की क्या आवश्यकता है? यदि हम इस विधेयक में विद्यमान खामियों को उजागर नहीं करेंगे तो हमारे यहां होने का क्या औचित्य है? इसलिए जब हम यह कहते है कि हम इस विधेयक का समर्थन करते है और इसके साथ-साथ हम यह भी कहते है कि यदि इस देश के लोग हमें दोबारा सत्ता पर काबिज करेंगे तो हम इस विधेयक में विद्यमान खामियों को दूर कर देंगे। लेकिन फिलहाल हम इस विधेयक का समर्थन करते है।

माननीय कपिल सिब्बल जी ने अपने भाषण के आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। श्री देवेन्द्र प्रसाद ने उसी को दोहराया है। उनका कहना है कि इन विधेयकों को पारित किए जाने से आतंकवाद समाप्त नहीं होगा; इसके लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। बहुत अच्छी इच्छाशक्ति। यू.पी.ए. सरकार पिछले साढ़े चार वर्षों से सत्ता में है। इस अवधि के दौरान देश में पच्चीस आतंकवादी हमले हुए। मैं सरकार से कुछ सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब तक कितने आतंकवादियों को पकड़ा गया है? उनमे से कितनों पर मुकदमा चलाया गया है? कितने आतंकवादियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया और उनमें से कितने आतंकवादियों को दंडित किया गया। यदि सरकार के पास इच्छाशक्ति थी तो इन साढ़े चार वर्षों में कितने आतंकवादी पकड़े गए?

अब अचानक सरकार कहती है कि वह यह विधेयक लाई है क्योंकि उसके पास राजनीतिक इच्छाशक्ति है। चुनाव से केवल तीन-चार माह पहले यह विधेयक अचानक कैसे आ गया? इसका एक कारण तो यह है कि चुनाव बहुत निकट है और दूसरा यह कि पूरा देश अत्याधिक गुस्से से भरा है। मैंने जानबूझकर 'अत्यधिक गुस्से' शब्दों का प्रयोग किया है। उनमें गुस्सा है क्योंकि सरकार उनकी रक्षा करने में विफल रही है; सरकार उनके जीवन की रक्षा करने में विफल रही है; सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है। लोग इसी बात से आहत हैं। चूंकि चुनाव होने वाले हैं इसलिए सरकार अचानक इस विधेयक को लाई है।

श्री एम.के. नारायण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने कितनी बार कहा है कि इस देश को आतंकवाद से निपटने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता है? क्या वे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? उन्होंने कई बार पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई। महानिदेशकों ने मांग की थी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक विशेष कानून होना चाहिए। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

उन्होंने अब, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री वीरप्पा मोइली का हवाला दिया है।

सायं 6.00 बजे

उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश के आतंकवाद निरोधक कानून निष्प्रभावी हो चुका है। चूंकि कानून निष्प्रभावी हैं, इसलिए आतंकवादी अनेक खामियों का लाभ उठाकर बच निकलते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने यही सिफारिश की है। पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रशासनिक सुधार अधिकरण जोकि इसी सरकार का अंग है- वे एक माह अथवा दो माह पहले नहीं वर्षों से यह सिफारिश करते रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अब श्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि वे अनुभव से सीख रहे हैं। यहां तक कि वे भी और लोग भी विचारधारा की बात करते है- आप उनके रिकार्ड देख सकते हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सवाई जी, छः बज रहे हैं। अगर सदन की अनुमति हो, तो इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाये।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : ठीक है, आप समय बढ़ा दीजिए।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए छः घंटे का समय तय किया गया है। अब इसमें हम दो घंटे और बढ़ा रहे हैं यानी आठ बजे तक यह चर्चा चलेगी। क्या हाउस की इसके लिए सहमति है?

श्री कपिल सिब्बल : सभापति महोदय, साढ़े सात बजे तक गृह मंत्री जी को जवाब देने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : यह ठीक बात है, लेकिन मैं आठ बजे तक चर्चा करने के लिए सदन से अनुमति चाहता हूं। क्या दो घंटे बढ़ाने की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : ठीक है, आप समय बढ़ा दीजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, जब तक बिल पर चर्चा खत्म न हो तब तक आप हाउस का समय बढ़ा दीजिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।

सभापति महोदय : इस बिल पर चर्चा जारी रखी जाये क्योंकि सदन से समय बढ़ाने के लिए अनुमति मिल गयी है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : इस वाद-विवाद के दौरान श्री सिब्बल, श्री देवेन्द्र प्रसाद और लालू जी के साथ उनके सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कई बार दोहराया। केवल आज ही नहीं, वे कई बार दोहरा चुके हैं कि एन.डी.ए. सरकार ने कंधार में आतंकवादियों को छोड़ा था। हां, हमने ऐसा किया। मैंने श्री सिब्बल से कई बार पूछा कि इस तरह की बातें करके क्या आप यह कहना चाहते है कि हमने गलती की है और हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। हम उन्हें भारत की जेलों में रख सकते थे; अपहृत किए गए लोगों के बदले में हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम उन्हें नहीं छोड़ते तो केवल एक ही विकल्प था- वे अपहृत किए गए 150 अथवा 160 यात्रियों की हत्या कर देते। मैं उन्हें कई बार यह बता चुका हूं। हां, मंत्री महोदय, क्या आप ऐसा कुछ चाहते थे?

सभापति महोदय : व्यवधान मत डालिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्वाईं जी, आप सीधे-सीधे बोलते जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : बात यह है कि मुझे बाहर जाना पड़ा. ..*(व्यवधान)* जो मैं आपके पीछे कर सकता हूं, वो आपके सामने भी कर सकता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : हो सके, तो लौटकर आना।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : मैंने कुछ नहीं कहा। इन माननीय सदस्यों ने कहा। आप जा सकते हो। मुझे प्रसन्नता होगी। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। मेरी बात को सुनना आपके लिए अनिवार्य नहीं है।

मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं। यदि वे बार-बार यह कहने की हठ करते हैं कि एन.डी.ए. सरकार ने कंधार में उन आतंकवादियों को छोड़कर बहुत बड़ा अन्याय तथा गलती की है तो वह सभा-पटल पर सीधा वक्तव्य दें कि हमें उन 160 लोगों को मरने देना चाहिए था और हमें इन तीन आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या वे ऐसा करेंगे? मैं कई बार यह प्रश्न पूछ चुका हूं, परन्तु इसका उत्तर नहीं दिया गया।

उन्होंने अपने वामपंथी मित्रों से अच्छा सबक सीखा है, क्योंकि 'रेड बुक' में लिखा है कि यदि एक झूठ को दस बार बोला जाए तो वह सच बन जाता है। वे बार-बार यह बात कहते रहे हैं क्योंकि उनके साथ वे लंबे समय तक रहे हैं।

इसलिए वे यह सोचकर इसे दोहराते रहते हैं कि एक दिन यह स्वत: ही सच बन जाएगा।

परन्तु, जितनी बार भी आप यह प्रश्न उठाएंगे, मैं आपसे फिर यही प्रश्न करूंगा कि- आप इस सभा के पटल पर यह घोषणा करें कि उन सभी लोगों का मर जाना बेहतर होता...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सलीम साहब, आप बैठ जाइए। यह जो बात बिना अनुमति के कही गई है, उसे रिकार्ड में शामिल न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : जहां तक मेरा या मेरी पार्टी के अन्य लोगों का संबंध है, हमें कोई तीसरा विकल्प नहीं मिला। जब मोहम्मद सलीम इस देश के रक्षा मंत्री अथवा विदेश मंत्री अथवा गृह मंत्री बनेंगे तो वह तीसरा विकल्प ढूंढेंगे। उस समय हम उनकी बात सुनेंगे... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप लोग बैठे-बैठे बात मत करिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : उनके एक साथी श्री गुरूदास दासगुप्त ने पूछा था कि 180 दिन क्यों। आपने उसे 180 दिन क्यों रखा? क्या यह लोकतंत्र के सिद्धान्त हैं? वे लोकतंत्र और नंदीग्राम के बड़े प्रशंसक हैं। वे लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र के लाभ प्रदान करने के बारे में बात कर रहे हैं, परन्तु ये लाभ किसके लिए हैं? क्या लोकतंत्र की प्रक्रिया की हत्या करने के इच्छुक आतंकवादियों को लोकतंत्र के मूल्य तथा लाभ प्रदान करने चाहिए।

श्री कपिल सिब्बल मानव अधिकारों की बात कर रहे है लेकिन वे किसके लिए मानव अधिकारों की बात कर रहे है? क्या वे आतंकवादियों के मानव अधिकारों की बात कर रहे है? वे आतंकवादियों के मानव अधिकारों के बारे में बात कर रहे है। देश में ये चीजें क्यों हो रही है? यदि आप मुझे सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि हमारा द्रष्टिकोण यही है। भारत में बार-बार आतंकवादी हमले होने के क्या कारण हैं। हमने क्या अपराध किया हैं?

उनका कहना है कि अमेरिका और यू.के के कानून लचीले हैं। लेकिन अमेरिका में एक ही आतंकवादी हमला क्यों हुआ? अमेरिका जैसे देश ने दो मुस्लिम देशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया हैं और वहां दूसरा हमला नहीं हुआ। हमने क्या अपराध किया है? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि हम पर बार-बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं?

मैं 'दि टाइम्स आफ इंडिया' का हवाला देना चाहता हूं। मात्र 2-3 दिन पूर्व दिनांक 14 दिसंबर के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में छपा था। इंद्राणी बागची ने अपने लेख में लिखा है:–

> "लश्कर-ए-तैय्यबा की रणनीति क्या हैं? यदि आप लश्कर-ए-तैय्यबा की रणनीति पर गौर करें तो उसकी रणनीति भारत को कमजोर करके खिलाफत की स्थापना करना है जो उनकी विचारधारा संबंधी कार्यक्रम का एक हिस्सा हैं।"

यह कोई साम्प्रदायिक अखबार नहीं है। यह शत-प्रतिशत धर्मनिरपेक्ष अखबार है। यह "पायनियर" नहीं है। यह "दि टाइम्स आफ इंडिया" है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो कुछ इररेलेवेन्ट है, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : श्री डी.पी. यादव यहां उपस्थित हैं। उनका क्या तर्क था? उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिकता और आतंकवाद के बीच भेद नहीं किया जा सकता। इसका क्या अर्थ हैं?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : स्वाईं जी, अखबारों को देखने का अपना नजरिया बदल लीजिए।...*(व्यवधान)* मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ये दोनों जुड़वा बहनें हैं।

सभापति महोदय : आपने बहनें क्यों कहा।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : उनके कहने का अर्थ यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल; विश्व हिन्दु परिषद और संघ परिवार जैसे दल है इसलिए मुस्लिम और इस्लामिक आतंकवादी भारत पर हमले कर रहे है। इसका यही अर्थ हैं। अब उन्होंने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान के लोग भारत के लोग जैसे ही हैं।

1999 में पाकिस्तान में तख्तापलट डाला था तब जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल कर दिया था। जब उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया तो उन्हें पाकिस्तान की जनता का पूरा समर्थन हासिल था। वे लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता थे जिन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने कारगिल से सेना को वापस बुलाया था। उस समय परवेज मुशर्रफ नायक थे...*(व्यवधान)* कृपया मुझे कुछ समय और दीजिए। मैं अकेला वक्ता हूं। लोगों की यही सोच है।

मैं दिनांक 14 दिसंबर के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में आयशा नामी हक जोकि पाकिस्तानी हैं की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं। "सामाजिक कार्यकर्ता अनीला शाह ने कहा है कि भारत को सच्चर आयोग की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को हल करना चाहिए। हमें अपने घर की समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है।" इसका क्या अर्थ हैं? क्या इसका यह अर्थ है कि भारत में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है? भारत सरकार ने सच्चर आयोग का गठन किया था जिसमें कहा गया है कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति बहुत खराब है और यही कारण है कि वे आतंकवादियों के हिमायती हैं। पाकिस्तान के लोग तो यही कहते हैं।

सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि यद्यपि यह विधेयक लाया गया है मेरी आशंका यह है कि इस विधेयक को लागू नहीं किया जाएगा। इसे लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकार के पास इच्छाशक्ति का अभाव है। सरकार के पास इच्छाशक्ति का अभाव है क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से सरकार सोच रही है कि यदि आतंकवादियों के विरूद्ध जांच करती है; को उन्हें पकड़ती है और जेलों में बंद करती है तो इस देश के मुस्लिम उससे नाराज हो जाएंगे तथा वे उन्हें वोट नहीं देंगे। यही कारण है कि सरकार ने किसी भी आतंकवादी को गिरफ्तार करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि चुनाव आ रहे है इसलिए अचानक सरकार यह विधेयक लाई है।

हमेशा उत्पीड़न की मानसिकता की भावना रहती है। इस देश के अधिकतर मुस्लिम बुद्धिजीवियों का यह मानना है कि यहां उत्पीड़न की मानसिकता विद्यमान है जिसका इन सभी धर्म निरपेक्ष सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाता है। वे सोचते है कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के कारण इस देश के मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। आपने कहा है कि इस देश के मुस्लिम आतंकवादी नहीं हैं। हम भी यही कहते हैं...*(व्यवधान)* हमने यह कभी भी नहीं कहा कि हर मुसलमान को आतंकवादी बताकर उसकी भर्त्सना की जा सकती है। जब बाटला हाउस की घटना हुई थी जहां दो आतंकवादी मारे गए थे तो कांग्रेस पार्टी सहित अधिकतर पार्टियों के नेताओं ने कहा था कि यह गलत है। उन्होंने कहा था कि ये मुठभेड़ फर्जी थी। उन्होंने तो यह भी कहा था कि इस घटना में मारे गए निरीक्षक मोहन चंद शर्मा आतंकवादियों की गोलियों से नहीं अपितु अपने किसी साथी की गोली से मारे गए थे। आप यह कहकर क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप देश के मुस्लिमों में उत्पीड़न की मानसिकता का झूठा डर नहीं भर रहे है? क्या आप उन्हें ठकसा नहीं रहे हैं? आपके अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एन.के. नारायणन ने कहा है कि पुलिस मुठभेड़ सही थी।

आज माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जायसवालजी यहां बैठे हैं। उन्होंने पहले राज्य सभा में कहा था कि इस देश में 50 लाख बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की है और बाद में इन्होंने अपना वक्तव्य वापस ले लिया।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : सभापति जी, मेरा नाम लिया गया है। आप फाल्स स्टेटमेंट क्यों देते हो। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : आप मंत्री हैं, आप फाल्स स्टेटमेंट क्यों देते हो?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : कोई फाल्स स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। अगर कहीं टैक्नीकल मिस्टेक हुई है तो क्या उसे फाल्स स्टेटमेंट माना जाएगा?

श्री संतोष गंगवार : तीन करोड़ घुसपैंठिये हैं।...*(व्यवधान)* आप रिकलैक्ट कीजिए, तीन करोड़ घुसपैंठिये हैं, 50 लाख नहीं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : बस इसी तरह से स्टेटमेंट दे-देकर आप पूरे देश को गुमराह कर रहे हो।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बिना अनुमति से कही गयी बात को रिकार्ड में न लें।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : अब प्रत्येक व्यक्ति हुजी और आईएसआई के बारे में जानता है। ये लोग अधिकांशत बांग्लादेश की बिना चौकसी वाली सीमा से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। हर व्यक्ति यह कह रहा है कि ऐसा हो रहा है। पुनः मैं यह कहूंगा कि मुसलमानों को आतंकवादी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए परंतु केवल एक दिन पहले जब प्रो. के.एम. कादर मोहीदीन जो तमिलनाडु से इस सभा में माननीय सदस्य है ने कहा कि बांग्लादेश से कोई घुसपैठ नहीं हो रही है। जैसे कि असम से माननीय सदस्य जो पिछले बैंच पर बैठे थे, यह बता रहे थे कि असम के सभी मुसलमान स्वत्रंता से पहले या 100 वर्ष पूर्व आए थे और वहां कोई भी घुसपैठ नहीं है। इसलिए, जब आप इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं तब क्या आप मुसलमानों के प्रति भेदभाव की गलत भावना को नहीं भड़का रहे हैं? एक भारतीय मुसलमान किसी बांग्लादेशी मुसलमान को क्यो अनुमति दे? अगर आप कहते है कि मुसलमान-मुसलमान को इकट्ठे होना चाहिए, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पृथक देश क्यों हैं? तो वे एक साथ क्यों नहीं हो जाते?

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय मैं नियम 356 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : यह अर्तकसंगतता और पुनरावृति तथा उन बातों से संबंधित है जो इन दोनों विधेयकों से जुड़ी हुई नहीं है। आप किसी सदस्य को पुनरावृति करने की किस प्रकार अनुमति दे सकते हैं? हम दो विधेयकों पर चर्चा कर रहे हैं और जो वे कह रहे हैं इनसे सम्बद्ध नहीं है, अर्थात् मुसलमानों तथा मुसलमान बुद्धिजीवियों आदि के बारे में।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह सबके लिए लागू होता है।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : महोदय, आपको एक निदेश देना चाहिए कि वे अपना भाषण केवल इन्हीं दो विधेयकों तक सीमित रखें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, आपकी बात समझ में आ गयी है, आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : जब श्री सलीम जैसे मुसलमान समुदाय के एक विशिष्ट नेता ऐसा कहते है, तो वे अत्यंत चालाकी से आतंकवादियों को उचित ठहरा रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम : सभापति जी, परसों माननीय आडवाणी जी बोले कि इस मामले को लेकर संकीर्ण दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आप अपने लीडर से उल्टा बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय ; मैं इसे अलाऊ नहीं करता हूं, आप मेरी तरफ होकर सीधा बोलिये। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो शब्द पार्लियामेंट्री नहीं हैं उन्हें हम निकालेंगे। आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, आतंकवादी अत्यंत चालाक हैं। उन्होंने जानबूझ कर पश्चिम बंगाल पर हमला नहीं किया क्यों वे जानते है कि...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सलीम जी, अगर आपने बोलना है, तो इजाजत ले कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री स्वाई, कृपया अब भाषण समाप्त करे।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई : महोदय, वे बांग्लादेशी आईएसआई ऐजन्ट तथा हूजी एजेन्ट को समर्थन दे रहें हैं उन्होंने उन्हे अपना मतदाता बना रखा है और उनके वोट के कारण वे पिछले 30 वर्षों से चुनाव जीतते आ रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम : महोदय वे किस आधार इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे है?...*(व्यवधान)* वे ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं?... *(व्यवधान)*। उन्हे माफी मांगनी ही होगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने अगर कुछ गलत कहा है, तो वह प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम देखेंगे कि क्या कोई असंसदीय टिप्पणी की गई है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अब अपना स्थान गृहण करें। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : स्वाईं जी, आप कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहस हो सकती है परंतु किसी भी सदस्य के विरूद्ध अत्यंत गंभीर आरोप लगाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया ऐसी सभी टिप्पणियां, कार्यवाही वृतांत से हटा दें।

सभापति महोदय : कुछ भी असंसदीय कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। हम इस पर कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी असंगत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो आरोप लगाए हैं, उन्हें प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम : महोदय, उन्हे माफी मांगनी चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैं किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

[हिन्दी]

मैं किसी को बोलने के लिए अलाओ नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है।

...*(व्यवधान)*

सायं 6.25 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। सर्वप्रथम, मैं श्री रूपचंद पाल जी का भाषण सुनना चाहूंगा।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को कार्यवाही वृतांत से हटा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पहले ही किया जा चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री एन.एन. कृष्णदास : महोदय, इस प्रकार का वक्तव्य सभा की सामान्य भावना के बिल्कुल विरूद्ध है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही हटाया जा चुका है। कृपया बैठ जाएं। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी, कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं : माननीय मंत्री महोदय, श्री कपिल जी ने कहा कि अपराध की स्वीकारोक्ति क्यों होनी चाहिए। पुलिस के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में क्यों स्वीकार किया जाए। उनका इससे क्या अभिप्राय था? क्या उनका यह अभिप्राय था कि आतंकवादी आयेंगे और अपने विरूद्ध गवाही देंगे? क्या वे इसकी स्वीकारोक्ति करेंगे? अगर आप अच्छी-अच्छी बातें करते रहेंगे तो क्या जो उन्होंने किया है उसे वे स्वीकार कर लेंगे? यह अत्यंत स्वाभाविक बात है कि स्वीकारोक्ति के लिए उन्हें जेल में डालना होगा। यह अत्यंत स्वाभाविक बात है और ऐसा करके सरकार ने ठीक किया है। ऐसा आप कैसे कह सकते है, 180 दिन ही क्यों, 90 दिन क्यों नहीं? यह अवधि अधिक होनी चाहिए थी जैसे तीन वर्ष। क्या हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है? वे ऐसा इसलिए बोलते है चूंकि पश्चिम बंगाल पर कभी भी हमला नहीं किया गया और केरल पर भी कभी हमला नहीं किया गया। वे ऐसे बोलते हैं जैसे अन्य लोगों के जीवन का कोई महत्व ही नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। केवल श्री स्वाईं के वक्तव्य को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री खारबेल स्वाईं : मैं केवल अपनी अंतिम बात कहूंगा। हमारे पास राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जैसी संस्था होने जा रही है। हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बनाने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी चीज है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। आप जो कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। वह जो कह रहे हैं वह भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री खारबेल स्वाईं : हमारे पास सी.बी.आई. नामक एजेंसी है। यह देश की काफी सम्मानित एजेंसी है। जब भी कोई समस्या आती है तो सभी कहने लगते हैं कि "सी.बी.आई. को इसकी जांच करने दो।" लेकिन जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई है, उन्होंने इसका स्तर कितना गिरा दिया है? उदाहरण के लिए ताज कॉरीडोर और आय से अधिक संपत्ति के मामले को ही लें। मैं नाम नहीं ले रहा। सीबीआई ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ थी तो वे चाहते थे कि ताज कॉरिडोर मामले की जांच न की जाए। अब जबकि एक अन्य पार्टी अर्थात समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में आ गई है तो सीबीआई अदालत जाती है और कहती है कि भारत सरकार ने उसे धीमी कार्यवाही करने को कहा था। उनहोंने सीबीआई के मान सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। मुझे इस बात की प्रबल आशंका है कि अगर यह सरकार सत्ता में रही तो वह इस एजेंसी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेगी और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को नुकसान पहुंचाते हुए उसे सरकारी एजेंट बना देगी।

इस देश की जनता हमें और उन्हें भी सुन रही है। यह निर्णय हम उन पर ही छोड़ दें कि इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए और जनता के लिए कौन है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर बीस से भी अधिक माननीय सदस्यों को बोलना है। अतः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस विधेयक पर बोलने और अपने सुझाव देने के लिए पांच मिनट का ही समय लें। अन्यथा इस बहस को आज समाप्त कर पाना संभव नहीं होगा।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नए गृह मंत्री द्वारा लाए गए इन दो विधेयकों राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

ये विधेयक बहुत ही उपयुक्त समय पर आए हैं। चूंकि हम दोनों विधेयकों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं, मैं पहले राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक 2008 पर विचार प्रकट करना चाहूंगा। इस नई संस्थान की अवधारणा के लिए मैं गृह-मंत्री का अभिनन्दन करता हूं। यह मैं कहूंगा की लंबे समय से आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए हमारी काफी समय से यह मांग थी। जैसा की उचित ही बताया गया है, दाएं ओर बैठे हमारे साथी रात-दिन आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई का राग अलापते रहे है लेकिन उन्होंने कोई भी प्रभावी कार्य नहीं किया। आज, हमने कम से कम ऐसा कानून बनाया है जिससे केन्द्र सरकार को समाज-विरोधी ताकतों और आतंकवाद की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने का सशक्त औजार मिला है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि राज्य तंत्र और राज्य पुलिस व्यवस्था कई मामलों में असक्षम साबित हुई है।

यह सच है कि आतंकवादी नेटवर्क और आतंकवादी संगठनों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हैं। उनसे निपटने के लिए राज्य पुलिस या विधि व्यवस्था जो कि राज्य के विषय हैं, ने पिछले वर्षों में संतोषजनक परिणाम नहीं दिए हैं। हमारा अनुभव कहता है कि राष्ट्रीय एजेंसी जो राज्यों की सीमाओं से बंधी नहीं होगी जो आतंकवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की जांच कर सकती है की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि बनाए जाने वाला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण सही दिशा में आतंकवाद से निपटने में काफी सही ढंग से भूमिका निभाएगी। हमारे मित्रों द्वारा कई बार कहे जाने वाले 'सत्तावादी' और कई बार मित्रों द्वारा कहे जाने वाले 'उदार' के बीच यह सही सामजस्य बनाने वाली सिद्ध होगी।

मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उपयुक्त विधेयक है। अध्याय III, खण्ड 5 केन्द्र को किसी अपराध को स्वतः संज्ञान में लेने का अधिकार देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार कुछ घटनाएं किसी राज्य में घटती हैं जबकि उसकी उत्पत्ति किसी अन्य राज्य में हुई होती है। जब तक किसी एजेंसी के पास ऐसी शक्ति नहीं होगी तब तक यह पूर्णतः निष्प्रभावी साबित होगी। ठीक इसी तरह, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को वित्तीय अपराधों तथा तस्करी एवं स्वापक पदार्थों आदि सहित अन्य अपराधों जिनसे उग्रवाद और आतंकवाद पनप रहा हैं की जांच करने की शक्तियां प्रदान की गई है; एक सही कदम है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन शक्तियों को प्रदान करने की खास बात यह है कि इससे हम राज्य सरकारों से उनकी शक्तियां नहीं छीन रहे हैं बल्कि राज्य सरकारों की निहित शक्तियां इन मामलों की जांच करने में बरकरार रहेगी। यह अभिकरण केवल उनका प्रतिपूरक है। यह केवल आतंकवाद के विरूद्ध उठाया गया अतिरिक्त कदम है। मेरा मानना है कि इस विधेयक की यही विशेषता है।

महोदय, न्यायिक क्षेत्र ने भी मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए कदम उठाए हैं तथा अपनी कमजोरियों के संरक्षण करके अतिवादियों के दबाव को महसूस कर रहा है तथा उसी प्रकार न्यायाधीशों को शक्तियां प्रदान की गई है। तथा उनकी नियुक्ति को बरकरार रखना स्वागत योग्य कदम है और यह तथ्य कि उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है बिल्कुलसही है।

महोदय, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक में लाए गए परिवर्तन के बाद ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण प्रभावी हो पाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आपके पास आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कम से कम एक प्रभावी तंत्र है। मैं वह बात नहीं कह रहा हूं जो मेरे विपक्षी मित्रों ने कही है सरकार यह नहीं कह रही है कि यह विधेयक हर चीज का समाधान है और इस विधेयक से आतंकवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं कह रहा। लेकिन हमने एक अच्छा और सही कदम उठाया है जिसकी तात्कालिक उत्पन्न स्थिति पर सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है और हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए।

महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्य पर लगाए गए आरोप तथा ऐसे लोगों द्वारा इसके लिए सुझाए गए परिवर्तन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा जो यह सोचते हैं कि आतंकवाद राजनीतिक समर्थन का एक अच्छा साधन हो सकता है और संभवत: उपलब्ध साक्ष्यों के बावजूद सत्ता पाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं दो या तीन उदाहरण दूंगा जो मेरे दिमाग में अभी-अभी आए है। मैं नहीं समझता कि आतंकवाद का राजनीतिकरण होना चाहिए? आतंकवाद से प्रभावित होने वाले ही जानते हैं कि आतंकवाद क्या होता है। आप आतंकवाद का राजनीतिकरण कर सकते हैं लेकिन यहां यह महत्वपूर्ण हैं कि आतंकवाद का राजनीतिकरण करते समय और उनसे वोट मांगते समय आपको आतंकवाद के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए।

महोदय, एक राष्ट्रीय नेता असम गए थे। मैं अत्यंत खेद के साथ यह कह रहा हूं मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा है। जब मृतकों को लाया जा रहा था तो अगले दिन उन्होंने कहा था कि असम की जनता आगामी चुनावों में मतदान करके इसका करारा जवाब देगी। जब लोग आतंकवाद से प्रभावित हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं क्या उस समय एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक राष्ट्रीय नेता का वोट मांगना उचित है? मेरे मित्र श्री खारबेल स्वाईं ने आतंकवाद के बारे में काफी कुछ कहा है। आतंकवाद कल आपको भी प्रभावित कर सकता है और आतंकवाद जो हमें प्रभावित कर रहा है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जनता उन्हें वोट देगी और इस सरकार को उखाड़ फेकेंगी। चाहे यह सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, हमें एकजुट होकर आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा।...*(व्यवधान)* हम आपको विपक्ष की भूमिका निभाने के दायित्व से मुक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अनेक क्षण होते है जब आपको वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होता है; ऐसे अनेक क्षण होते है जब आपको प्रत्येक भारतीय नागरिक की जान-माल की हिफाजत करने के लिए सामने आना होता है जिनका जीवन आतंकवाद के कारण खतरे में पड़ गया है। आतंकवाद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आधार पर आप वोट मांगे...*(व्यवधान)* सरकारे आती-जाती रहती है अथवा मंत्री आते-जाते रहते है लेकिन आतंकवाद बहुत ही खतरनाक है।

महोदय, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। दायित्व और जमानत देने के मामलों के संबंध में कुछ कानूनों के उदार होने के बारे में अनेक आपत्तियां उठाई गई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम बाटला हाउस के बारे में कुछ आपत्तियां उठाते हैं तो हमें मालेगांव के बारे में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि मालेगांव की घटना के लिए किसी साध्वी को गिरफ्तार किया जाता है और उसे निरूद्ध किया जाता है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ हो जाती है। हम बड़े-बड़े भाषण देते है; हम जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन करते है और हम बाटला हाउस की घटना के तरह तरह के कारण बता रहे हैं। दोहरे मानदंडो को अपनाने से कोई फायदा नहीं होता है। हर किसी को यह सबक सीखना चाहिए। जब तक हम यह सबक नहीं सीखेंगे तब तक आतंकवाद के विरूद्ध हमारी लड़ाई अधूरी ही रहेगी। यह हमेशा एक दिखावटी लड़ाई होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो. एम. रामदास से बोलने का अनुरोध करता हूं। कृपया पांच मिनट ही लीजिएगा।

प्रो. एम. रामदास (पुडुचेरी) : महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि कुछ माननीय सांसदों का भी यही मत है। पार्टीयों को दिया गया समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : नेशनल पार्टीज जिनका पहले समय खत्म हो गया, उनको समय नहीं दिया जाएगा। जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको बोलने के लिए समय देंगे।

श्री राम कृपाल यादव : सर, ऐसे कैसे होगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन पार्टीज के पास समय होगा, उनको जरूर बुलाऊंगा लेकिन जिन पार्टीज का समय खत्म हो गया है, उनको नहीं। प्रो. रामदास जी, आप कंटिन्यू करिए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य अपने भाषण सभा पटल पर रखना चाहते है वे रख सकते है। उन्हें कार्यवाही वृतांत का अंग माना जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. रामदास जी, आप कंटिन्यू करिए।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास : महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत इन विधेयकों का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं इन दोनों विधेयकों को लाने के लिए डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार तथा मैडम सोनिया गांधी जी के कुशल मार्गदर्शन की सराहना एवं प्रशंसा करता हूं। ये दोनों विधेयक देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में समर्थ होंगे। जिसने इस देश की संप्रभुता और अखंडता के समक्ष एक गंभीर तथा बड़ी चुनौती खड़ी कर दी हैं। जब ये दोनों विधेयक, अधिनियम बनकर लागू हो जाएंगे तब इस देश के लोगों के साथ-साथ पूरे विश्व के लोग इस बात को समझेगें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार आतंकवाद को समाप्त करने के प्रति उदार नहीं है अपितु वह देश में आतंकवाद से लड़ने के प्रति कठोर रूख रखती हैं। वस्तुत: इन दोनों विधेयकों में लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ वैयक्तिक मानवाधिकारों से छेड़छाड़ किए बिना लोगों की स्वतंत्रता तथा राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने का प्रयास किया गया हैं। वे सही मार्ग पर हमारे देश की तथा इसके नागरिको की भलीभांति रक्षा करेंगे।

हमें आतंकवाद को रोकने के संबंध में विरोधाभाषी विचार सुनने को मिलते रहे हैं। लेकिन हम आतंकवाद को रोकने के लिए इन दोनों चरमपंथी विचारों को अपना सकते। इसका समाधान मध्यम मार्ग अपनाकर किया जा सकता हैं। पोटा लाया जाए अथवा नहीं इन दोनों विचारों के गुणावगुणों पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस विधेयक में इन दोनों विचारों के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। जैसाकि माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि इसमें देश में आतंकवाद को रोकने के संबंध में विरोधाभाषी विचारों के बीच समुचित संतुलन बनाए रखा गया हैं।

उदाहरण के लिए इन विधेयकों को बनाने के लिए विधिक दक्षता का बहुत ध्यान रखा गया है और इन दोनों विधेयकों के निर्माण में अकृष्ट शिल्प का मुजायरा करने के लिए हमें माननीय गृह मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए। दोनों विधेयक कतिपय स्पष्ट-परिभाषित उद्देश्यों पर आधारित है। ये विधेयक प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लाए गए हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक के बारे में, मुझे कहना चाहिए कि इस विधेयक में सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था के गठन की बात कही गई है जो देश में जांच और आतंकवादियों को अभियोजित करेगी। विधेयक की अनुसूची में इन अपराधों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है। क्योंकि यह विधेयक कानून और व्यवस्था के अपराधों का निपटान नहीं करेगा। और न ही इसमें अंतर्विष्ट उपबंध राज्य के कानूनों के विरूद्ध होंगे। वास्तव में ये राज्यों की मदद करेगा। राज्यों को इसकी जांच में मदद मिलेगी। वास्तव में केन्द्र सरकार इस अभिकरण को राज्य विशेष से किसी घटना के घटित होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही आदेश देगी। इसलिए केन्द्र सरकार को कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के अधिकारों के अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में यह अभिकरण कानून और व्यवस्था की स्थिति से ही नहीं निपटेगा अपितु ये राष्ट्र, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों से भी निपटेगा। इसलिए किसी के दिमाग में लेशमात्र का भी संदेह नहीं होना चाहिए कि राज्य स्तर पर इस विधेयक के क्रियान्वयन से केन्द्र और राज्य के बीच कोई विवाद पैदा होगा।

इस विधेयक का दूसरा गुण यह है कि इसमें आतंकवादियों के त्वरित विचारण और सजा देने की व्यवस्था की गई है तथा इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों से यह पता चलता है कि त्वरित विचारण कैसे होगा। उदाहरण के लिए भारत सरकार से संसूचना प्राप्त होने के बाद

अभिकरण द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 7 दिनों के अंदर न्यायधीश की नियुक्ति की जाएगी। इससे यह पता चलता है कि सरकार इसके प्रति कितनी संजीदा है और ऐसे मामलों को यथा शीघ्र, समाप्त करेंगी।

दूसरा, विशेष न्यायलय दिन-प्रतिदिन आधार पर ऐसे मामले की सुनवाई करेगा और ऐसे ममाले को अन्य मामलों की तुलना में वरीयता दी जाएगी तथा विशेष न्यायालयों को सत्र न्यायालय की शक्तियां दी जाएगी जिसका अर्थ यह हुआ कि इस न्यायालय में जिस मामले का विचारण किया जाएगा उसकी अपील केवल उच्च न्यायालय में ही की जा सकेगी और तत्पश्चात ये सीधे उच्चतम न्यायालय में जाएगी इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्तर पर सुनवाई एवं विचारण नहीं होगा।

तीसरे, ऐसी अपील का निस्तारण 3 महीने के भीतर किया जाएगा। इन सभी गुणों के बावजूद, मैं माननीय गृह मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसे दो उपबंध नहीं है जो सामान्यत प्रत्येक विधेयक में होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि अधिकारी सदाशय से कोई कार्रवाई करते है तो उनकी रक्षा की जाएगी। अनेक अधिनियमों में ऐसा उपबंध मौजूद है लेकिन इस अधिनियम में यह उपबंध नहीं है। अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम का दुरूपयोग किए जाने की स्थिति में क्या दंड दिया जाएगा इस अधिनियम में इसका उल्लेख करने वाला उपबंध भी नहीं है। इसके बाद वित्तीय ज्ञापन में इस अभिकरण पर होने वाले वार्षिक व्यय का भी उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने शायद इस वित्तीय वर्ष के शेष तीन माह का ही अनुमान लगाया है, परन्तु इसे भी लिया जा सकता है।

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक के संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक दो विशिष्ट परिस्थितियों में प्रमाण का भार अभियुक्त पर डालता है। यदि अभियुक्त के कब्जे से हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री बरामद होती है और ऐसा मानने का कारण है कि ऐसे हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल अपराध के लिए किया गया है, अपराध स्थल पर उंगलियों के निशान अथवा कोई अन्य स्पष्ट साक्ष्य पाया जाता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियों में न्यायालय यह मानता है कि अभियुक्त ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसका विपरीत साक्ष्य नजर न आए। यह पोटा के उपबंधों से भी कड़ा है, जिसमें उल्लिखित है कि न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकता है। दोष के बारे में निर्णय लेने के लिए तीन प्रमुख मानदंड हैं। अधिकांश कानून अपेक्षा करते हैं कि साक्ष्य को किसी भी प्रकार के संदेह से परे होकर सिद्ध किया जाए। यह विधेयक अभियुक्त को अपराधी मानता है, जब तक कि उसे निर्दोष सिद्ध न किया जाए।

इसलिए, मैं इन दोनों विधेयकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और विपक्षी दलों को बताना चाहता हूं कि पूरा देश यू.पी.ए. सरकार के साथ है। यदि श्री स्वाईं अथवा अन्यों के मस्तिष्क में कोई संदेह है तो वे दिल्ली, राजस्थान और मिजोरम में जनता के जनादेश को देख सकते हैं, जहां लोगों ने पिछले साढ़े चार वर्षों की उपलब्धियों के लिए यू.पी.ए. सरकार को स्पष्ट मत दिया। ये दोनों विधेयक यू. पी.ए. सरकार की एक और उपलब्धि है और इसलिए मैं इन दोनों विधेयकों का पूरा समर्थन करता हूं।

***श्री जे. एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम) : माननीय महोदय, आतंकवाद निरोधक यह नया विधेयक लाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय की पहल का स्वागत करते हैं। इस देश के नागरिकों और देश की रक्षा कर रहे बलों के लिए यह विधेयक बहुत ही उत्साहवर्धक है। इससे पहले माननीय महोदय सोनिया गांधी जी के पुनीत मार्गदर्शन तथा डा. मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व और अगुवाई में केन्द्र में सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने पोटा जैसे कठोर कानून को वापस लिया था।

सभी क्षेत्रों विशेषकर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। चंद्रमा पर अपना उपग्रह चन्द्रयान भेजने वाला भारत विश्व में तीसरा देश है, जोकि प्रौद्योगिकी में भी बहुत विकासित है, भोजन तथा राष्ट्र निर्माण हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में आत्म निर्भर है। पड़ोसी देश तथा विश्व शक्तियां नहीं चाहती कि भारत सैन्य रूप से महाशक्ति बने तथा वित्तीय रूप से आर्थिक शक्ति बने। महोदय, हाल में आई मंदी से विश्वभर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, बहुत से अमरीकी और यूरोपीय बैंक अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। वहां की सरकारों ने उन्हें बचाने के लिए बिलियन डालर धनराशि प्रदान की है। महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के मार्गदर्शन में भारतीय बैंक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

हाल के चुनाव में विपक्षी दल विशेषकर एन.डी.ए. उस समय सदा ही बहुत प्रसन्न होते हैं जब चुनाव से पहले कोई बम विस्फोट होता है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य सभी क्षेत्रों में इस देश को आगे ले जाने वाले हमारे महान करिश्माई नेता श्री राजीव जी की श्री पेरम्बुदूर में प्रतिबंधित गुट एल.टी.टी.ई. के मानव बम द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिससे देश और पूरे विश्व में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी।

हमें अपने महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों, तीर्थस्थलों तथा ऐतिहासिक स्थनों की रक्षा करनी होगी। प्रत्येक देशवासी हमारे माननीय प्रधानमंत्री

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जे.एस. आरुन रशीद]

जी तथा गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित आतंकवाद निरोधक इस नए कानून का स्वागत कर रहा है। लोगों, सांसदों तथा पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों, प्रमुख औद्योगिक घरानों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार की सर्वसम्मत्ति पहले कभी नहीं देखी गई।

आतंकवाद की कोई जात तथा धर्म नहीं होता। जिस किसी का भी, किसी आतंकवादी गुट से संबंध है, उससे कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। मालेगांव विस्फोटों ने इस देश के लोगों की आंखें खोल दी हैं। भगवा समर्थकों ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के नाम पर महात्मा जी की हत्या की थी। अब ए.टी.एस. पुलिस द्वारा एक साध्वी (प्रज्ञा सिंह ठाकुर), सैन्य अधिकारियों तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश के लोग विश्वभर में मानवता को झकझोरने वाले हाल के बम विस्फोटों में अपने जीवन का बलिदान करने वाले ए. टी.एस. प्रमुख श्री हेमन्त करकरे और उनके दो सहयोगियों श्री अशोक काम्टे तथा श्री विजय सालस्कर, एन.एस.जी. के बहादुर कमाण्डो आफिसर श्री संदीप उन्नीकृष्णन की शहादत से शोक संतप्त हैं। देश के वीरता पुरस्कार प्रदान कर इन महान अधिकारियों को सम्मानित किया जाना चाहिए तथा हमें संबंधित राज्यों में पुलिस मुख्यालयों/सैन्य प्रतिष्ठानों में इनकी प्रतिमाएं लगानी चाहिएं ताकि प्रत्येक अधिकारी में इन अधिकारियों के समान साहस, सैन्य समझ-बूझ विकसित हो और वे राष्ट्र कल्याण हेतु ईमानदारी तथा प्रतिबद्धता से प्रयास कर सकें।

महोदय, हाल के चुनावों में, एन.डी.ए. ने सोचा था कि मुंबई बम विस्फोटों के बाद वे चुनावों में जीत जाएंगे। उन्होंने समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में रंगीन विज्ञापन निकालकर अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना का राजनीतिकरण करने तथा स्वयं को देश का रक्षक दर्शाने का पूरा प्रयास किया। परन्तु बम विस्फोटों के पश्चात् विशेषकर राजधानी दिल्ली और राजस्थान चुनाव में यह सब बेकार गया। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारी माननीय नेता श्रीमती सोनिया जी के गतिशील नेतृत्व में, हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली, मिजोरम और राजस्थान में जीत दर्ज की और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में अधिकतर सीटें जीतीं। चुनाव के परिणामों से सस्ती और सांप्रदायिक राजनीति कर रहे एन.डी.ए. को वास्तव में गहरा धक्का लगा।

मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि विस्फोटों के लिए मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछले कई वर्षों से देश इन विस्फोटों का सामना कर रहा है, जिसमें निर्दोष लोगों का खून सड़कों पर बहा है चाहे वह जम्मू और कश्मीर हो, पूर्वोत्तर हो, बंगलौर, जयपुर, गुजरात, दिल्ली तथा हाल ही में मुंबई हो। मैं इस सम्मानीय सभा से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हिन्दू अथवा मुस्लिम अथवा ईसाई के खून की पहचान करने का कोई तंत्र/वैज्ञानिक फार्मूला है। नहीं महोदय, यह भारत और इंसानियत का खून है "ये इन्सानियत का खून है और हैवानियत की दरिंदगी"। आगे मैं इस सम्मानीय सभा और यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में और देश में शांति, बंधुत्व, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देने और किसी समुदाय विशेष अथवा दल की ओर अंगुली न उठने सहिष्णुता का अनुरोध करता हूं।

केन्द्र सरकार को पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों की संलिप्तता के संबंध में गहराई से जांच करनी होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इन बातों की गहराई से जांच करने और विस्फोटों में संलिप्त वास्तविक दोषियों को सामने लाने, विस्फोट के कारणों और उसके पीछे उनकी मंशा और चुनाव से ठीक पहले विस्फोट होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच आयोग का गठन करना होगा। भ.ज.पा. नेतृत्व में एनडीए बहुसंख्यकों के वोट बटोरने के लिए मुस्लिम समुदाय को लक्षित करके इन विस्फोटों का राजनैतिक लाभ उठा रहा है। हाल ही में पांच राज्यों में चुनाव के दौरान भारत के लोग समाचार पत्रों में आतंकी फोटो के विज्ञापन को देखकर उनकी बुरी नीयत को जान चुके हैं।

महोदय, माननीया महोदया, सोनिया जी के मंगलकारक और गतिशील मार्गदर्शन तथा माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है तथा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो हमेशा इस देश के लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है।

महोदय, राष्ट्र के व्यापक हित में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अधिनियमन करने हेतु इस विधेयक का स्वागत करता हूं। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री प्रह्लाद जोशी** (धारवाड़ उत्तर) : माननीय महोदय, मैं गृहमंत्री द्वारा आज सदन में पुरःस्थापित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 के रूप में आतंकी कृत्यों के विरुद्ध कानून बनाने के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

देश में इस प्रकार का कानून बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी परंतु इस सरकार की गहरी नींद के चलते

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लंबे समय से इस दिशा में कभी प्रयास नहीं किया गया। परंतु अब कम से कम सरकार ने अपनी आंखें खोल ली हैं और देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर आतंकवाद के वास्तविक खतरे को महसूस कर लिया है। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को हमारे व्यापार और वाणिज्य के केन्द्र मुम्बई पर हुए इस प्रकार के भयंकर हमले और निरीह लोगों के जीवन की अमूल्य क्षति के बाद सावधान हो जाने की जरूरत थी।

मैं इस विधेयक के गुणों और दोषों की गहराई में नहीं जाना चाहता। हमें एक बात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि जिस उद्देश्य से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 लाया जा रहा है हमें उसका राजनीतिकरण करने की बजाय उस पर विचार करना चाहिए। जैसा कि विपक्ष के हमारे माननीय नेता श्री आडवाणी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है यदि यह विधेयक एनडीए द्वारा लाया गया होता तो इसे सांप्रदायिक विधान कहा जाता।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को यही सुझाव देना चाहूंगा कि इस कानून में इस प्रकार के पर्याप्त खण्ड अन्तर्विष्ट करने में पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियां इसका जरा भी दुरूपयोग न कर सकें क्योंकि ऐसे कानून जिनका उद्देश्य आतंकवादियों पर अंतिम विजय प्राप्त करना है, का बड़ा उद्देश्य इस अधिनियम के किसी उपबंध का जानबूझ कर प्रयोग करने से विफल हो जाएगा। अतएव सभा अपने सर्वोत्तम विवेक से निर्दोष लोगों के शोषण के विरूद्ध और राजनीतिक द्वेष का बदला लेने के खिलाफ इसमें पर्याप्त और उचित सुरक्षोपाय शामिल करे।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि कठोर कानूनों पर जोर देकर हम आतंकवाद की समस्या से कभी नहीं निपट सकते। पहले भी हम पोटा और अन्य कानून बना चुके हैं परंतु अभी भी आतंकी घटनाएं घट रही हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सका है।

मैं यह कहना चाहता हूं और जिसकी मांग हर कोई करता है कि लंबे समय तक बंदी बनाए रखना इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने का एक उपाय है। यहां मैं भारत के मुख्य न्यायधीश के शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था:—

"आगे आतंकी हमलों के परिणाम स्वरूप उभरे अभिघात को व्यैक्तिक अधिकारों और स्वतंत्रता में अनुचित कटौती के लिए "औचित्य" के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बढ़ते आतंकवाद का सोच विचार कर जवाब देने की बजाय देश संदिग्ध आतंकियों को अनिश्चित काल तक बंदी बनाए रखने, अवपीड़क पूछताछ तकनीक का उपयोग करने और निष्पक्ष विचारण का अधिकार से इंकार जैसे आपत्तिजनक उपायों का सहारा ले सकता है।"

भारत के मुख्य न्यायधीश ने यह टिप्पणी की है।

महोदय, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि श्री एल.के. आडवाणी जिन्होंने कहा था कि स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में लिया माना जाना चाहिए। यदि आडवाणी जी सहित हम में से किसी को भी पुलिस अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाए तो वह भी स्वीकार कर लेगा कि वे इस देश के एक दुर्दांत आतंकवादी हैं। पुलिस अधिकारी अवपीड़क पूछताछ के तरीके अपनाकर इस प्रकार की स्वीकारोक्ति आसानी से करवा सकते हैं। ऐसा हो सकता है।

यह भी कहा गया कि ऐसे तेज पुलिस अधिकारी भी हैं जो 24 घंटे में दोषियों को पकड़ सकते हैं सभी पुलिस स्टेशनों ने दोषियों को पकड़ा है। ऐसे उपाय अपनाकर आप किसी को भी अपराधी बना सकते हैं। अतएव स्वीकारोक्ति को साक्ष्य का भाग नहीं माना जाना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ।

आतंकवाद का सामना करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे और धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। मुम्बई हमले के बाद यह बात हिम्मत बंधाने वाली है कि इस देश में एक भी साम्प्रदायिक हिंसा नहीं हुई। राष्ट्र में हिन्दू, मुस्लिम और हर व्यक्ति एक साथ हैं। यही सही उत्तर है। मैं नहीं मानता कि केवल कानून से आतंकवाद रोका जा सकता है। देश के सभी लोगों को चौकीदार, पुलिस की भूमिका निभानी पड़ेगी, उन्हें अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा और इस समस्या से निपटने का यही एक तरीका है। लोगों को बांटने वाली कोई भी राजनीति बहुत खतरनाक है।

विधायिका के संबंध में मैं कहना चाहता हूं और मैं मुख्य न्यायधीश के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं "भारत में जो इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं वे भी हमारे आपराधिक और साक्ष्य विधि में बदलाव चाहते हैं- जैसे निवारण निरोध तथा पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति को न्यायालय में ग्राह्य बनाना। जबकि इस संबंध में अंतिम विकल्प विधायिका के पास है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम संवैधानिक सिद्धांतों जैसे 'अधिष्ठापी सम्यक प्रक्रिया' का अपमान न करें। हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सविधान के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा में इस गारंटी

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

की व्याख्या की गई थी।'' इसलिए जब हम विधान बनाते है, तो हमें मूल अधिकारों के रक्षण हेतु उपबंधों को सुदृढ़ करना होगा।

साथ ही, जब हम नौकरशाहों को बहुत अधिक शक्तियां दे देते हैं तो क्या होगा? पुनः मैं मुख्य न्यायाधीश के कथन को उद्धृत करना चाहता हूं: ''इसकी आवश्यकता है क्योंकि हाल ही के आतंकवाद-रोधी आपरेशनों में कतिपय समुदायों से संबंधित लोगों की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी तथा साक्ष्य को तोड़मरोड़ने और विभिन्न स्थानों में निरूद्ध संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा एक जैसे शब्दों में स्वीकारोक्ति पेश करने-की अनेक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। पुलिस के समक्ष अपराध स्वीकार करने संबंधी बयान की ग्राह्यता का प्रस्ताव भी समस्या को जन्म देने वाला है चूंकि इस बात की आशंकाएं होती हैं कि इस प्रकार के बदलाव से जांच एजेंसियों द्वारा पूर्ण जांच करने की बजाय अपराध सिद्धि करवाने के लिए यातना तथा बल पूर्वक पूछताछ को बढ़ावा मिलेगा। यह मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है जो उन्होंने आतंकवाद पर बोलते हुए दी।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि पोटा के विषय में सुझाए गए कतिपय उपबंधों को हटा दिया गया है और इस विधेयक के साथ समझौता किया गया है। परंतु अब भी मैं महसूस करता हूं कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी होगी अन्यथा यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त नहीं हो सकता है। अंततः इसे अभियोजन को सिद्ध करना होगा। यही कानून है। मेरा विचार है कि इन सभी मामलों में हमें यह देखना होगा कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाए।

जहां तक संघीय एजेंसी का संबंध है तो यह राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकती है। स्वतः वह राज्यों के सभी अधिकारों को छीन सकती है तथा अंततः ऐसा ही होगा। केन्द्र सरकार राज्यों के साथ कुछ भी कर सकती है। वे कहीं भी कार्रवाई कर सकते है वे किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकते हैं और वे किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक एजेंसी के रूप में किया जाता है। इस एजेंसी का दुरपयोग भी किया जा सकता है। यह देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर देगा। इन मामलों में हमें सावधान रहना होगा।

मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक में उपबंधित कतिपय उपायों को इसमें से हटा लिया जाना चाहिए और मेरा विचार है कि, हमें यह देखने के लिए अधिक ध्यान देना होगा कि इस देश के लोगों में एकता रहे, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे, हमारी धर्मनिरपेक्षता बनी रहे तथा कोई ताकत इसे मिटा न पाए। मेरे विचार से आतंकवाद का मुकाबला करने का यही तरीका है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़) : महोदय, मैं इन दो विधानों पर अपनी कुछ टिप्पणियां देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा विचार है कि ये विधान हमारे माननीय गृह मंत्री, श्री चिदम्बरम जी के वैधानिक तथा सांविधिक ज्ञान की उपज हैं। बहुत कम समय में उन्होंने इस सभा में ये महत्वपूर्ण विधान लाने हेतु अत्यधिक प्रयास किए हैं। मुझे आशा है कि अगर इस विधेयक का उचित रूप से उपयोग किया जाए तो विधेयक का प्रधान उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। आतंकवाद ने देश भर में तबाही फैला रखी है तथा इस देश के लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा की है। इसीलिए यह आज की जरूरत है। परंतु इस विशिष्ट विधेयक के कार्यान्वयन की प्रक्रिया मे, हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा चूंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमें असम तथा उत्तर पूर्व में कुछ निष्ठुर कानूनों अर्थात संशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 तथा टाडा के कुछ कटु अनुभवों से गुजरना पड़ा है। यही वे अधिनियम हैं जिनके कारण असम तथा उत्तर पूर्व के लोगों विशेषरूप से निर्दोष लोगों को बहुत कष्ट झेलने पड़े हैं। इसीलिए, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के उपबंध के तहत जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को कुछ औचित्यपूर्ण प्रतिबंधों के साथ कठोरता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि इस औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए इस विशिष्ट विधेयक के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में, शांतिप्रिय लोगों को परेशान न किया जाए। इसलिए हम आतंकवादियों को मिटाने के लिए उन्हे निशाना बना रहे हैं न कि देश के निर्दोष लोगों को। इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि हमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो देश की सुरक्षा देश, संप्रभुता के बारे में बहुत चिंतित है। उनको विश्वास में लेते हुए इस विशिष्ट कार्यवाही को जारी रखा जाना चाहिए।

महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि पहले असम में हमें इस प्रकार के निष्ठुर कानूनों के दुरुपयोग के कारण आवाज उठानी पड़ी; सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का उचित रूप से उपयोग नहीं किया गया। इसके कारण अनेक निर्दोष लोगो को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए, जो लोग इस विशिष्ट प्रसिद्ध संस्था के साथ जुड़ेंगे, उन्हें उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें देशवासियों

की स्थानीय भाषा को सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमारे देश में अनेक मान्यता प्राप्त भाषाएं तथा स्थानीय बोलियां भी हैं। अगर अधिकारी जिन्हें यह जिम्मेदारी उठाने का कार्य सौंपा गया है, वे देश के लोगों की भाषा एवं बोलियों को नहीं समझते तो उन्हें ये कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए, देश के लोगों के साथ संपर्क करने के लिए, उन्हें भली-भांति प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चूंकि, पहले सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का अंतराल था। आज संचार का युग है। अगर हम लोगों के साथ बेहतर तरीके से संपर्क नहीं करेंगे तो देश के लोगों के बीच रहने वाले अपराधियों का पता लगाना अत्यंत मुश्किल होगा।

ये मेरी कुछ बातें हैं। मैं अत्यंत गंभीरतापूर्वक केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार का यह विशिष्ट कदम एक सफल कदम होगा।

इसके लिए एक अत्यंत प्रभावी तंत्र होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री निश्चित ही इस विशिष्ट बिंदु को ध्यान में रखेंगे तथा वे देश के लोगो के जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण उचित प्रतिबंध लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं श्री असादुद्दीन ओवेसी जी से केवल पांच मिनट तक बोलने का अनुरोध करता हूं।

सायं 7.00 बजे

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आरंभ में यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम सरकार के साथ हैं, भारत की जनता सरकार के साथ है और जिस समस्या से हम आज जूझ रहे हैं, भारत सरकार की उस समस्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पूरी सहानुभूति है।

यहां पर दो विधेयक हैं। मैं सर्वप्रथम दूसरे विधेयक विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। महोदय, मेरी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। हम इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं? यह इसलिए क्योंकि मुख्य अधिनियम की धारा 50 आतंक की बात करता है। आतंक क्या है? इसको परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरे, मुख्य अधिनियम की धारा 50 आतंकवादी अधिनियम की बात करता है। पूरी परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 से ली गई है। मैं इसे बौद्धिक बेईमानी कहूंगा। आइए हम देखें कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 क्या कहता है। पैराग्राफ 'म' में आतंकवादी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार है:—

> "आतंकवादी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कानून सम्मत सरकार को आतंकित करने के उद्देश्य से या लागों पर अथवा, किसी एकवर्ग पर आतंकी हमला करके या लोगों को अलग-थलग करके या विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच के आपसी सौहार्द को प्रभावित करने की मंशा के साथ...."

इसके बाद यह कहता है: ".... बमों के प्रयोग से ऐसा कोई कृत्य करता है ...." इसमें यह सम्मिलित है। यदि आप पूरी परिभाषा के साथ आतंकवादी अधिनियम की बात करते हैं तो फिर परिभाषा के इस भाग को क्यों छोड़ रहे हैं? यदि वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले कार्य और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले कार्य के बीच कोई अंतर नहीं है तो क्या यह भारत की संप्रभुता और भारत की एकता के लिए खतरनाक नहीं होगा?

कृपया मुख्य अधिनियम की धारा 50(क) का अवलोकन करें। इसके अनुसार: "(क) किसी भी प्रकृति के साधन द्वारा करना या करने की संभावना....।" यह एक सापेक्ष विषय है। और कल यदि कोई जांच अधिकारी अंरूधति रॉय को भी उनके लेखन के लिए गिरफ्तार कर सकता है। यह- "किसी भी प्रकृति के साधन ...." एक सापेक्ष विषय है इसे कौन परिभाषित करता है?

मेरी तीसरी बात यह है। आप 180 दिनों की कैद से संबंधित खण्ड 43(घ) का अवलोकन करें, मैं यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अल्प-संख्यकों की गिरफ्तारी के 100 प्रतिशत मामलों में उन्हें 180 दिनों तक बिना आरोप-पत्र के कैद में रखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्यों कि अब तक ऐसा ही होता रहा है। मेरे राज्य में भी ऐसा हुआ है। हमारे यहां प्रगतिशील मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया है। वास्तविकता यह है कि वास्तविकता और उम्मीद के बीच काफी अंतर है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति वर्दीधारियों में जन्मजात घृणा होती है। यह हकीकत है। सच्चाई यह है कि वे अपनी जांच की शुरूआत ही इस बुनियाद पर करते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन्हें 180 दिनों तक कैद में रखा जाएगा।

दूसरे, अगर किसी व्यक्ति पर तीन मामले दर्ज किए जाते है तो उसे प्रत्येक मामले में 180 दिनों तक कैद में रखा जाएगा। इसे यहां रखे जाने से पहले ही सभी जगह ऐसा हो रहा है।

एक और मुद्दा जमानत का है। कृपया पृष्ठ सं. 5 का पैरा 25 देखें। यह न्यायिक विवेकाधिकार की एक सीमा है। कोई भी सरकारी

[श्री असादूद्दीन ओवेसी]

अभियोजक जमानत का विरोध कर सकता है। केस डायरी क्या कहेगी? क्या केस डायरी अभियुक्तों के बारे में सराहनीय बात लिखेगी? निःसंदेह केस डायरी उसी का पालन करेगी जो चार्ज शीट में लिखा है और जो एफआईआर में दर्ज हैं। इस सब को छिपाने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पुनः कृपया खण्ड 43(ङ) का अवलोकन करें— अगर वह विस्फोटक और हथियार के साथ पाया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी अभियुक्त की हो जाती है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के भाषण को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वे दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दिसंबर 2005 में दो मुस्लिम लड़कों इरसाद अलि और माहरूफ कमर को दिल्ली, पुलिस की विशेष शाखा ने गिरफ्तार किया। चार दिनों पहले सीबीआई ने अदालत में दायर अपने रिपोर्ट में कहा कि विशेष शाखा ने आरडीएक्स रखा, दो पिस्तौलें रखीं और उन सबको अलबद्र आतंकवादी संगठन का बताया। क्या यह संभव नहीं है। क्या आरडीएक्स उनकी एजेंसी नहीं रख सकती? यहां पर इस अधिनियम के सुरक्षोपाय क्या हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी : सर, प्लीज आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए। यदि आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे, तो मैं बैठ जाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि आप कनक्लूड कीजिए।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : सर, यह हमारी जिन्दगी और मौत की बात है। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुसलमानों के लीडर तो ये लोग हैं। हम इन्हें वोट डालकर आए हैं। मैं तो लीडर नहीं हूं। मैं अपनी बात किसे बोलूंगा? मेरी आंखों में आंसू हैं। वे आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कम से कम मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। यह एक अहम मुद्दा है, जो हमारी जिन्दगियों को तबाह और बर्बाद कर के रख देगा।

पैट्रियट एक्ट की बात हुई। जॉर्ज बुश ने पैट्रियट एक्ट को पहली मर्तबा बगैर किसी बहस के पास किया। कम से कम हमारे होम मिनिस्टर साहब ने 24 घंटे का वक्त तो दिया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वहां तो पैट्रियट एक्ट एक ही झटके में पास हो गया।

[अनुवाद]

एक अन्य मुद्दा खण्ड 51क से संबंधित है। वहां प्रयुक्त किए गए शब्द हैं:—

"आतंकवाद में संलिप्त अथवा संलिप्त होने के संदेह वाला कोई अन्य व्यक्ति।"

महोदय, अपराध न्यायशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि केवल संदेह अपराध नहीं है।

ये वे शब्द हैं जिसका प्रयोग यहां किया गया है। कल आप दारूल-उलुम देवबंद के किसी विद्वान की संपत्ति को आतंकवाद के संदेह के आधार पर जब्त कर सकते हैं। ये वे शब्द हैं जिनका प्रयोग आपने इस विधेयक में किया है।

इस विधेयक का अंतिम खंड कहां है? इस विधेयक में अंतिम खंड क्यों नहीं हो सकता? सनसेट क्लाज होना चाहिए इससे जांच एजेंसी पर जवाबदेही आएगी। इस संसद के प्रति आसूचना ब्यूरो को उत्तरदायी क्यों नहीं बनाया गया? आसूचना ब्यूरो को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाने में गलत क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, भारत में जब भी कोई राजनीतिक परिवर्तन होता है तब आंध्र प्रदेश का आसूचना ब्यूरो मुझे फोन करता है और पूछता है— "यह सत्तारूढ़ दल को किस प्रकार प्रभावित करेगी?" मैं उनसे पूछना चाहता हूं— "उन आतंकवादी कार्यवाही का क्या जहां निर्दोष मुसलमानों को हिरासत में ले लिया जाता है? यह हमें किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?" परंतु ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाते हैं।

मैं फिर से माननीय विज्ञान मंत्री द्वारा कही गई बातों पर आता हूं। उन्होंने मकोका की बात की है। अगर श्री कपिल सिब्बल को ऐसा लगता है कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक से आतंकवादी गतिविधियों का समाधान किया जा सकता है तो उनकी पार्टी को महाराष्ट्र से मकोका को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। जब टाडा वहां है ही तो फिर वहां मकोका क्यों लागू है? जब 26 मार्च 2002 को पोटा लागू किया जा रहा था तब उनके नेताओं द्वारा दिए गए भाषण को पढ़ना वे पूर्णतः भूल चुके हैं। मैं लाइब्रेरी गया और उन सभी भाषणों को पढ़ा। उस दिन दिए गए कांग्रेसी नेताओं के भाषण को अगर मैं अद्धृत करूं तो यहां काफी हंगामा मच जाएगा। 'कठोर कानून आतंकवाद नहीं रोक सकते। ये शब्द उनके द्वारा कहे गए थे।

पर अब वे क्या कर रहे हैं? मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि आतंकवाद के नाम पर केवल मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। आतंकवाद

को रोकना होगा। पर किस प्रकार? वास्तविकता में घटित हो रही चीजों में काफी अंतर है। मुझे प्रतिदिन निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि जब श्री राजशेखर रेड्डी इन सांप्रदायिक पुलिस अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकते है, तो हम यह आशा कैसे करें जब आप एक प्राधिकरण गठित करने की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : महोदय, कृपया मुझे थोड़ा समय दें।

प्राधिकरण अभियोजन की स्वीकृति देगा। प्राधिकरण कौन होगा? आप नई दिल्ली के लिए कानून नहीं बना रहे हैं, आप आंध्र प्रदेश के लिए कानून नहीं बना रहे हैं।आप वह कानून बना रहे हैं, जो वृहत्तर रूप से पूरे राष्ट्र को प्रभावित करेगा। गुजरात में क्या होगा? उन राज्यों में क्या होगा, जो मुसलमानों से शत्रु जैसा व्यवहार करते है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के रक्षक नहीं है? क्या आपने इसपर विचार किया है?

कम से कम, कुछ समय दिया जाना चाहिए था। मैं अपने सं. प्र.ग. नेतृत्व के पास जा सकता, तथा उनसे यह सब समस्या बताता कि देश इस समय क्या चाहता है। मैं अपनी बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल करना चाहता हूं और कहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ भी नहीं है। वे कहते है कि यह विधेयक केवल समाज की सामूहिक चेतना को संतुष्ट करने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन क्या मुसलमान, अल्पसंख्यक आपकी सामूहिक चेतना के अंग हैं या नहीं? यही मूक प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

द्वितीयत:, एन.आई.ए. पर आते हुए, सर्वदलीय बैठक में मेरी पार्टी ने इसका स्वागत किया। लेकिन आपकी अपनी स्थायी समिति ने इस वर्ष 31 मार्च को इससे असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि सी. बी.आई. को एन.आई.ए. की तरह बना दो, एन.आई.ए. की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां तक कि एन.आई.ए. विधेयक में भी, अपराध पर, 8 अनुसूची है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 तथा 135 की बात करती हैं। कोई समस्या नहीं है। फिर, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 488 तथा 489 हैं जो अवैध राशि के कारोबार से संबंधित हैं। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धाराएं 153 क तथा 153ख के बारे में क्या कहा जाय?

कंधमाल में क्या हुआ? क्या यह भारत की एकता तथा अखंडता के प्रति खतरा नहीं है? मुझे आश्चर्य हुआ कि इस अधिनियम में धाराएं 153 क तथा 153 ख नहीं लाई जा रही हैं। आपको यह लाने से कौन रोक रहा है? राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण ठीक है लेकिन इसका गठन किस प्रकार किया जाएगा? क्या यह फिर उच्च जाति के लोगों का क्लब बन जाएगा?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री असादूद्दीन ओवेसी : अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण का समर्थन करेगी। लेकिन दूसरे विधेयक पर, मैं सदन से बाहर चला जाऊंगा क्योंकि मैं यहां नहीं बैठ सकता सरकार जल्दबाजी में काम कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री के. फ्रांसिस जार्ज। आप कृपया पांच मिनट बोलें।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी) : महोदय, मैं डा. मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदामबरम द्वारा लाए गए दो अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं।

आपराधिक न्याय परिदान प्रणाली तीन अधिनियमों अर्थात्, साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता पर आधारित है। ये विनिमय ब्रिटिश शासकों द्वारा उनके शासन काल में 145 वर्षों से पहले अधिनियमित किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 6-12-1992 तक, जब बाबरी मस्जिद को संघ परिवार तथा उसके सहयोगियों द्वारा गिराया गया, वे पुरातन आपराधिक कानून देश में अपराध को नियंत्रित करने में पर्याप्त थे। उपर्युक्त घटना के पश्चात् इस देश का समूचा परिदृश्य बदल गया तथा हर जगह हम आतंकवादी गतिविधियां देख सकते है। दिन-प्रतिदिन हम आतंकवाद, अपहरण तथा मादक पदार्थों का कारोबार बढ़ रहा है। इसके आगे, अपराधी कुछ कमजोर पुलिस बल, आपराधिक न्याय प्रणाली में खामियों तथा अधीनस्थ न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का लाभ उठा रहे हैं।

केन्द्र सरकार देश की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए जिम्मेवार है। संविधान की धारा 355 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह प्रत्येक राज्य को आंतरिक उथल-पुथल से संरक्षण प्रदान करे। हमारे देश में, हमारे पास केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। इसके लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के अंतर्गत शक्तियां ली गई हैं। हमारे संविधान के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसी मामले की जांच प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, जब तक कि मामला सबंद्ध राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा भेजा नहीं जाय। हमारे संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। इस आधार पर, हमारे कुछ सहयोगी आगे आए और कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की स्थापना का वर्तमान

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनपन]

विधेयक हमारी संघीय ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है लेकिन यह सही नहीं है। मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष कतिपय तथ्य रखना चाहता हूं। हमारी कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू किया तथा इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इसकी संवैधानिक वैधता के लिए चुनौती दी गई थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। 1999 में काठमांडों से आई सी 804 के अपहरण के पूर्व, सभी हवाई अड्डों पर राज्य पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाता था। उसके बाद, सभी हवाई अड्डे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नियंत्रण में आ गए।

इस देश में, प्रधानमंत्री सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेबारी राज्य सरकार की है लेकिन किसी राज्य ने प्रधानमंत्री तथा अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा देनेवाली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर आपत्ति प्रकट नहीं की। अमेरिका की एफ.बी.आई. को किसी विशेष अपराध की जांच के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हमारी सरकार ने इस विधेयक का प्रस्ताव जेहादी अतिवादियों तथा आतंकवादियों से निबटने के लिए किया। वर्तमान विधेयक में समवर्ती क्षेत्राधिकार है तथा केन्द्र को देश की संप्रभुता तथा अखंडता को संरक्षण प्रदान करने के लिए सशक्त बनाता है। राज्य सरकारें आतंक संबंधी अपराधों के बेहतर जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को हर प्रकार की सहायता देंगी। यह वर्तमान विधेयक केन्द्र सरकार को आतंक से संबंधित सभी अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह स्वागत योग्य कदम है कि अभियुक्त 180 दिनों तक जमानत पाने का पात्र नहीं होगा। इसके अलावा, विशेष न्यायालय में बैठे न्यायिक अधिकारी को जमानत याचिका रद्द करने का अधिकार होगा, यदि अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस प्रावधान से पुलिस को निश्चित रूप से बेहतर जांच में मदद मिलेगी। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह विधेयक सं.प्र.ग. सरकार द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है।

यह विधेयक आतंकवादियों के खिलाफ तेजी से मामला निपटाने का रास्ता प्रशस्त करेगा। यह देश में आतंकवादी गतिविधियों को दो प्रकार से रोकेगा- पहला, आतंकवादी घटना को रोककर, दूसरा, आतंकवादियों को सजा दिलाकर। आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए हमें खुफिया एजेन्सियों को मजबूत बनाना होगा। पुलिस अधिकारियों को आतंकवादी घटनाओं के संबंध में खुफिया एजेन्सियों से सूचना प्राप्त होते ही बिना विलंब किए कार्रवाई करनी होगी। तभी हम अपराधों को रोक सकते है। हमारी सरकार को खुफिया लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाने हैं तथा उन्हें हर सुविधा प्रदान करनी है।

इसी तरह हमारे माननीय गृहमंत्री ने आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया। आजादी के बाद कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने आतंकवाद के सामने अपने महान नेताओं जैसे महात्माजी, इंदिरा गांधी, और राजीव गांधी को खोया है। कांग्रेस ही देश में आतंकवाद रोक सकती है। इस संशोधन विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान उन व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए एक नया खण्ड-17 को शामिल करना है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त विदेशी नागरिकों को तब तक जमानत प्राप्त नहीं मिल सकती जब तक मामले का निपटारा न हो जाए। इसके अलावा प्रमाण का भार अभियुक्त पर है अर्थात् उसे यह सिद्ध करना होगा कि वह निर्दोष है। ये अच्छे प्रस्ताव हैं। निश्चित रूप से इन दोनों अधिनियमों से इस देश में आतंकवादी गतिविधियों में कमी आएगी।

एक बार फिर मैं अपने गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : हम दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर कई घंटों से चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में कतिपय आपत्तियों के साथ सभी खंडों को समर्थन प्राप्त है। संभवत: हमारा राष्ट्र एक ऐसे पड़ाव पर आ गया है जहां हमें एक ऐसा कानून बनाना है जो कुछ हद तक हमारे संघीय ढांचे के विरूद्ध हो सकता है इस विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक के संबंध में, मैं अपने माननीय मित्र श्री ओवेसी जो मुझसे पहले बोल चुके हैं, ने जो उद्धृत किया है, ठीक वही उद्धृत करना चाहता हूं। इस विधेयक में आतंकवादी गतिविधि की एक परिभाषा दी गई है जो वास्तव में एक संशोधन है। लेकिन मूल एनएसजी अधिनियम; राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 2 के खण्ड 'म' में 'आतंकवादी' शब्द की परिभाषा दी गई है। मैं इसे दोहराना चाहता हूं।

खण्ड 'म' में कहा गया है कि:

''(म) ''आतंकवादी'' से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या जनता के किसी वर्ग को

पृथक् करने या जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने..."

इसमें इस तरह कहा गया है। इस खंड को क्यों छोड़ा गया? जब इस संशोधन विधेयक में आतंकवादी गतिविधि या आतंकवादी का उल्लेख है, तो इस खंड को क्यों छोड़ा गया? हम देश के अन्दर इस प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं। आतंकवाद का यही अर्थ नहीं है कि आतंकवादी बाहर से आने वाले ही है या पाकिस्तान से आने वाले हैं। हमारे यहां अपने देश के आतंकवादी भी हैं।

उड़ीसा में आज क्या हो रहा है? उड़ीसा से केन्द्रीय बलों को वापस बुलाने की बात चल रही है। वहां लोग भय के साये में जी रहे हैं। मैं सरकार और माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ऐसा न किया जाए। जब तक उड़ीसा में पूरी शांति एवं सद्भावना न हो वहां से केन्द्रीय बलों को वापस न बुलाएं। क्योंकि इसके बाद न जानें उन लोगों के साथ क्या होगा? इस समय उड़ीसा में सब कुछ बर्बाद हो गया है। देश में अल्पसंख्यक समुदाय, ईसाई समुदाय से संबंधित सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। सभी संस्थाएं, गिरजाघर- नष्ट कर दिए गए है। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की सहायता हेतु कुछ नहीं किया है। किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ऐसा 24 दिसम्बर 2007 को हुआ और इस वर्ष भी अगस्त से हो रहा है।

उन्होंने इस 24 दिसम्बर, 2008 जो क्रिसमस की पूर्व संध्या है, को बंद का आह्वान किया है। संघ परिवार के लोगों ने बंद का आह्वान क्यों किया है? इस संबंध में केन्द्र सरकार क्या कर रही है? हमें नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से कोई आशा नहीं है। वहां इस प्रकार का आतंकवाद है...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : यह एक कार्य दिवस है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। कृपया, उनकी बात में व्यवधान न डालें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : आप कहना चाहते थे कि यह एक कार्य दिवस है। इस दिन छुट्टी है...*(व्यवधान)* श्री तथागत सत्पथी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?...*(व्यवधान)* आपकी इस टिप्पणी पर आपकी मां कब्र में आहत हो रही होंगी...*(व्यवधान)* मुझे अफसोस है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस जार्ज, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रांसिस जार्ज, आप केवल अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए। अपना समय बर्बाद न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मेरे साथी श्री खारबेल स्वाई ने इस देश के दो राज्यों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात में व्यवधान न डालें।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : उन्होंने केरल और पश्चिम बंगाल के बारे में कहा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपकी बारी आएगी। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह शर्म की बात है...*(व्यवधान)* आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें बोलने दे।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : आप ऐसा कैसे कर सकते है?. ..*(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : महोदय, ये ऐसा कैसे कह सकते है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देव आप अगले वक्ता हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं नहीं समझा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, प्रभावित होने वाली चर्चों और संस्थाओं का पुनर्निर्माण एक अच्छा संकेत है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यह बहुत ही शर्मनाक हैं। आप अपनी सरकार के साथ-साथ अपनी पार्टी पर भी इसे वापस लेने के लिए दबाव डालें ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री और सरकार से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक में विभाजनकारी शक्तियों से निपटने के लिए समुचित उपबंध किए जाएं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने भाषण को समाप्त कीजिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार से इसे आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में शामिल करने का अनुरोध करता हूं...*(व्यवधान)* श्रीमान महताब, पूरा देश देख रहा हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपना भाषण समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : ठीक है महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अगले वक्ता है।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यह सच है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान महताब, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, यदि मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं उसे ठीक कर देता हूं। माननीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में वहां एक प्रतिनिधिमंडल गया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, कृपया मुझे अपनी बात पूरा करने दीजिए...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा गया है उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, श्री शरद पवार जी के नेतृत्व में मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल उड़ीसा गया था श्री शरद पवार ने वहां क्या देखा यह वही बताए तो बेहतर होगा। यदि मैं कोई गलती करूंगा तो मैं उस गलती में सुधार भी करूंगा। यदि मैंने उड़ीसा के बारे में कुछ गलत कहा है तो मैं सभा से माफी मांगता हूं। श्री शरद पवार जी को यह बताने दें कि उन्होंने वहां क्या देखा। वे वहां गए थे। उन्होंने केन्द्रीय मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था...*(व्यवधान)* जो कुछ भी हो, आतंकवादी कृत्य की परिभाषा के अंतर्गत इस भाग को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : जी हां, महोदय, अन्यथा इस प्रकार के कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम सभी इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन किसी आतंकवादी को उसके समुचित बचाव का अवसर प्रदान किए बिना इस प्रकार के कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

जैसा कि, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में इस बात का उपबंध किया गया है कि पुलिस के उप-निरीक्षक से लेकर उच्चतम स्तर के अधिकारी को यह लगता है कि यह स्थिति की मांग और यदि केन्द्र सरकार आतंकवादी हमले या इसी प्रकार की किसी घटना के बाद स्वप्रेरणा से किसी राज्य में हस्तक्षेप करती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारी सारी जांच की कमान अपने हाथ में ले लेगा। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। मुझे आशा है कि इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डा. मनमोहन सिंह जी या श्री पी. चिदम्बरम जी हमेशा सत्ता में नहीं रहेंगे। मैं यह सोचकर कांप जाता हूं कि श्री स्वाईं की पार्टी सत्ता पर काबिज हो और वह तत्पश्चात इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर रही हो...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं : आप अमेरिका जाइए तथा आप बहुत खुश होंगे। यह एक अमीर देश है...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : मेरे मित्र, हम आप से ज्यादा भारतीय हैं...*(व्यवधान)* हमने भारत के लिए अपनी जान दे दी है...*(व्यवधान)* हमारा जन्म यहां हुआ है तथा हम यहीं रहेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

...*(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : हम इस देश के अंग रहे हैं तथा हम हमेशा भारत के लिए कार्य करेंगे। आपने जिस प्रकार केरल के खिलाफ आरोप लगाया, वह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी मेरी अनुमति के बिना बोलता है, उसका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : आप कैसे कह सकते हैं कि केरल. ..* किस साक्ष्य के आधार पर आप यह कह रहे हैं? आपको वह वक्तव्य वापस लेना चाहिए...*(व्यवधान)**

वे ऐसा कैसे कह सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, आपको किसी व्यक्ति को नहीं वरन् अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : हां, महोदय। यह उनके द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार को इस विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक में परिभाषा के उस अंश को शामिल करने के संबंध में विचार करना चाहिए।

***श्री फ्रांसिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट)** : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण विधेयक, 2008 तथा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री फ्रांसिस फैन्थम]

विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 के समर्थन में खड़ा हूं।

ये विधेयक जांच करने, अभियोजन करने तथा देश की एकता एवं सुरक्षा करने में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकार किए गए अभिसमयों तथा संकल्पों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने में सहायता करेंगे।

महोदय, राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की स्थिति को देखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि कानूनी ढांचा राष्ट्र की संप्रभुता पर आक्रमण करनेवाले तथा इसकी धर्मनिरपेक्ष सामाजिक ताने बाने से छेड़-छाड़ करनेवालों को दंड दिलाने में मदद करे।

स्पष्टत: विद्यमान परिस्थिति ऐसी है जिसमें देश को अस्थिर करने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास पर चोट पहुंचाने की साजिश है। इन विधेयकों में इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कानूनी तथा जांच प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गत दो सौ वर्षों से पोषित सामाजिक ताना बाना भारत की शक्ति रही है। बहुरेखीय चित्रपट स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं की सोच का परिणाम था जिन्होंने राष्ट्र को 'विविधता में एकता' प्रदान की।

मुम्बई नगर में हाल ही की घटनाओं ने देश के लोगों में एक अनूठी संवेदनशीलता को जन्म दिया जिसने इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए उत्प्रेरक का काम किया।

ये विधेयक कानूनी तथा जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करेंगे लेकिन लोगों के बीच असुरक्षा की भावना, प्रवर्तन एजेंसियों के दृष्टिकोण, विश्वसनीय खुफिया जानकारी का अभाव तथा अल्प संख्यकों के एक बड़े वर्ग को मुख्यधारा से विलगन में परिवर्तन नहीं करेंगे।

महोदय, सभी समुदायों के बीच सुरक्षा की भावना का संचार करने की आवश्यकता हैं महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इन दोनों विधेयकों के प्रावधानों का समर्थन करता हूं।

*डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं दो महत्वपूर्ण विधेयकों, (एक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 तथा (दो) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशीधन विधेयक, 2008 का समर्थन करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, आतंकवाद की बजाय आतंक का मुकाबला करने के लिए, जो मानवता विरूद्ध युद्ध कर रहा है, वर्तमान विधेयक-राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 अपने आप में सबसे अच्छा विधेयक है। हम यह बात सही प्रकार से जानते हैं कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो कई मामलों में काम से दबा हुआ है। इसलिए न्याय का परिदान पर्याप्त नहीं है क्योंकि जांच में समय असामान्य रूप से लंबा है। इसलिए कहा जाता है: ''न्याय में देरी, न्याय का नहीं मिल पाना है।''

वर्तमान अधिनियम सभी संबद्ध पक्षों की पूर्ण संतुष्टि के साथ घटनाओं की पर्याप्त जांच का एक ईमानदार प्रयास है। क्षेत्रीय जांच कभी भी पर्याप्त क्यों नहीं हो पाती हैं? यह आंशिक रूप से अवसंरचना तंत्र की कमी के चलते होता है। इसलिए, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का मिला जुला प्रयास, जैसा कि वर्तमान विधेयक में विनिर्दिष्ट है, भारत तथा विश्व में आतंकवाद को रोकने में काफी मदद करेगा।

महोदय, यह विधेयक निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देगा। हमें सर्वोत्तम के लिए प्रयास करने हैं। हम सफल होंगे।

महोदय, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 ऐसा विधेयक है जो बदनाम पोटा को निरस्त करने के बाद प्रभावी ढंग से कार्य करता है। मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। भविष्य में भी और संशोधन आवश्यक होंगे।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं विनम्रतापूर्वक इस सम्मानीय सभा का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करता हूं कि इस अधिनियम का अत्यंत सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे राज्य मणिपुर - मणिपुर के लोगों को वर्तमान ए.एफ.एस.पी.ए. का कटु अनुभव रहा था। चिंता का विषय केवल नागरिक प्रशासन के लिए सेना का उपयोग है। यह नहीं होना चाहिए। ए.एफ.एस.पी.ए. जैसे बदनाम कठोर अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का पर्याप्त दुरूपयोग हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान फिर इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति ने ए.एफ.एस.पी.ए. को समाप्त करने की सिफारिशें की है। सिफारिशें केन्द्र सरकार के पास पड़ी हैं। मणिपुर, उत्तर पूर्व राज्यों तथा जम्मू कश्मीर के लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जब पोटा समाप्त किया जा सकता है तो ए.एफ.एस.पी.ए. क्यों नहीं समाप्त हो सकता है।

महोदय, ये दोनों विधेयक एक दूसरे के पूरक हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों विधेयक उचित समय पर लाए गए हैं तथा इनकी तत्काल आवश्यकता है। मैं अपने सभी मित्रों तथा सभा में दूसरी ओर बैठे सदस्यों से हार्दिक सहयोग की आशा करता हूं कि वे इन विधेयकों का समर्थन

करे ताकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। हम आतंकवाद के इस खतरे से लड़ने के लिए एक जुट हों।

महोदय, एक बार पुन:, मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं तथा नए योग्य माननीय गृहमंत्री को मेरी शुभकामनाएं।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरूआत करूं, उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि यूपीए सरकार के सत्ता में आने से पहले ही पोटा अस्तित्व में था, पर यूपीए ने इसको यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त है। पर वे अब दोबारा इस विधेयक को लेकर आए हैं कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप में संशोधन किया जाए ताकि इसे और अधिक सशक्त बनाया जा सके और आतंकवाद से निपटने में पोटा सक्षम नहीं था।

सायं 7.21 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

पोटा को निरस्त किए जाने और विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू किए जाने के बाद कई आतंकवादी घटनाएं - बॉम्ब बलास्ट, ट्रेन बलास्ट, मुम्बई की घटना के साथ बढ़ती आंतरिक घुसपैठ की घटना हो चुकी है। इसलिए हम इन दोनों विधेयकों का स्वागत करते हैं।

हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भारत आंतरिक या बाह्य आतंकवाद का निशाना नहीं बनेगा। क्या वे सभा को आश्वस्त कर सकते हैं? वे कहते हैं कि अब सशक्त बनाया जा रहा है, पर इसका समुचित कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि इसमें राज्यों की भी जिम्मेदारी है, पर मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि कई राज्यों के पास आतंकवाद से निपटने के या सामना करने के उचित साधन नहीं हैं। इसलिए उन्हें आधुनिक हथियारों और गोलाबारूद से सुसज्जित होना चाहिए तथा उनसे लड़ने के लिए युद्धक्षेत्रों के आधुनिक तकनीक से परिचित होना चाहिए। यहां इस विधेयक को पारित करने के दौरान मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर आतंकवाद को खत्म कर दें और इसे इतना महिमामंडित न करें कि यह फिर से सर न उठा सके।

महोदय, यह देखा गया है कि देश में अनेक आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु देश के बाहर भी ऐसा हो रहा है जिसका नतीजा 9/11 की घटना है। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका में पैट्रीयोटिक एक्ट लागू किया गया। यह केवल एक दिन में पारित कर दिया गया। परंतु मैं यह बताते हुए माफी चाहूंगा कि जब हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हम दलगत भावना में फंस कर झगड़ा कर रहे हैं। आज केरल के श्री थामस यह आरोप लगा रहे हैं कि उड़ीसा में ईसाइयों को सताया जा रहा है। संभवत: यह धार्मिक हिन्दू संत अथवा सन्यासी की हत्या के बदले की कार्यवाही है परंतु उड़ीसा सरकार ने चर्च बनाकर और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश से न्यायिक जांच करवाकर उनमें विश्वास बहाल करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। वे उड़ीसा में प्रभावित लोगों को, जिसके अंतर्गत उड़ीसा की आबादी का एक प्रतिशत आता है, को काफी अनुग्रह राशि भी दे रहे हैं। इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगा सकते। अगर मैं भी यह आरोप लगाना शुरू कर दूं कि अतिवाद देश को खराब कर रहा है, तो यह मुस्लिम अतिवाद या हिन्दू अतिवाद या ईसाई अतिवाद हो सकता है।

महोदय, मैं एक हिन्दू हूं क्योंकि मेरा जन्म हिन्दू परिवार में हुआ है। मैं हिन्दूवाद के सिद्धांत को मानता हूं जिसकी विभिन्न संस्कृति और जिसके विभिन्न पहलू हैं। इसके साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आतंकवाद हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। स्वतंत्रता पश्चात, ठीक विभाजन के समय से जम्मू और कश्मीर सीमा पार आतंकवाद का निशाना रहा है और 40,000 से अधिक लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं परंतु विकसित देश यह मानने को तैयार ही नहीं कि यहां आतंकवाद का अस्तित्व है। इससे निपटने के लिए हमारी पार्टी इस सरकार, जिसने अधिकतर समय इस देश पर शासन किया है, से लगातार कहती रही है, लेकिन वह इससे निपटने में सक्षम नहीं हो पाई है। साथ ही जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को भी उड़ा दिया गया और आतंकवाद वहां अब भी जारी है। जम्मू और काश्मीर के विकास और पुनरूद्धार के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं, पर इसके साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि अमेरिका या पश्चिमी विश्व 9/11 की घटना के बाद ही आतंकवादी समस्या के प्रति जागरूक हुआ। संभवत: हम भी 26/11 की घटना के बाद ही जागृत हुए हैं। मैं एक शब्द में यह उम्मीद करता हूं कि भविष्य में प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक वोटर आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई लड़ेगा। समूचे देश और समूचे विश्व को तीन दिवसीय खलबली और सैनिक तथा आतंकवादियों के बीच हुई गोलीबारी दिखाने के लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं।

पर यह अफसोस की बात है कि आज केवल 10 आतंकवादी पूरे देश को बंधक बना लेते हैं। यह दिखाता है कि हमारे देश की सीमा और तटरेखा आतंकवादियों के लिए कितनी संवेदनशील है। अत: मेरा सरकार से यह निवेदन है कि तटरेखा और नौसेना को मजबूत करे। नौसेना हमेशा यह मांग करती है कि भारतीय नौसेना आधुनिकीकरण

[श्री बिक्रम केशरी देव]

की प्रक्रिया से काफी पीछे है। इसका और आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और तट रक्षकों को भी और अधिक आधुनिक किया जाना चाहिए।

इसी संबंध में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आतंकी गतिविधि को ईमानदारी और गंभीरता से रोकेगा, आतंकवादी को आतंकित करेगा और उनका महिमामंडन नहीं करेगा। उनका महिमामंडन किया गया है। जिस अफजल ने हमारे सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद पर हमला किया आप उसे फांसी क्यों नहीं दे रहे? आपने उसे गिरफ्तार किया पर उसे फांसी नहीं दी। अतः यह उसका महिमामंडन करना हुआ। अधिनियम इस प्रकार के हों कि आतंकवादी बच कर न निकल पाएं।

अध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता हैं श्री शैलेन्द्र कुमार। क्या आप इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी कई सम्माननीय सदस्यों ने इस बिल पर अपनी बात रखी है। जहां तक पोटा का सवाल है, तमाम सम्माननीय सदस्यों ने दोनों तरफ से पोटा के बारे में बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। यह बात सत्य है कि पोटा का जो दुरूपयोग हुआ था, उसकी सबसे जीती-जागती मिसाल अगर कहीं मिलती है, तो वह उत्तर प्रदेश में मिलती है। हमारे वहां के एक जन-प्रतिनिधि के ऊपर पोटा लगाया गया, उसके बूढ़े पिता के ऊपर पोटा लगाया गया और इसका दुरूपयोग हुआ। हमारा कहना है कि तमाम जितने भी कानून बीच में बने हैं, वे इसलिए बने हैं, क्योंकि समाज के अंदर जो आतंक फैला हुआ है, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। अभी इसमें तमाम संशोधन भी आये हैं। मुम्बई में आतंकवादी घटना के बाद यह आम चर्चा थी कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक संघीय जांच एजेंसी बनायी जाये, जिससे इस आतंकवाद पर रोक लगायी जा सके। जब यह कहना शुरू हुआ कि संघीय जांच एजेंसी बनायी जाये, तो उस पर कई राज्यों के अपने विचार और सुझाव आये। जैसा सदन में एक राय से तमाम सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है, सबने बढ़-चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और आतंकवाद को पूरी तरीके से सफाया करने के लिए अपनी बात रखी है, वहीं पर कुछ राज्यों को शक हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि हमारी पावर्स पर कुछ कंट्रोल लगे, भारत सरकार उस पर कुछ कंट्रोल करे या हमारे कंधों में, हमारी शक्तियों में कोई कमी आये, इस प्रकार की जो एक आम चर्चा थी, उनको भय था, वह भी दूर हुआ है। हिन्दुस्तान में ज्यादातर राज्य सरकारों ने इसको सपोर्ट ही किया है। इसलिए यहां जो बिल आया है, मैं इसका पूरी तरह से स्वागत करता हूं। अभी हमारे कुछ सम्मानीय सदस्यों ने राज्यों को लेकर टिप्पणी की हैं। अब राज्यों की अपनी-अपनी परिस्थितियां होती हैं। वहां स्थानीय स्तर पर तमाम झगड़े हैं, जिन्हें वहां की सरकारें खुद दूर कर सकती हैं।

मैं इस बिल का तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल का दुरूपायोग न होने पाये। इसकी मौनीटरिंग के लिए, इसकी जांच के लिए हमारे पास अलग से कोई समिति हो। अगर इस बिल का किसी पर दुरूपयोग नहीं होना चाहिए, खासकर राजनीतिक दुरूपयोग नहीं होना चाहिए। एक वर्ग पर नहीं होना चाहिए, किसी धर्म-मजहब को लेकर नहीं होना चाहिए। जो देश को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, अगर उन पर इसे लागू करने की बात आती है, तो इसे लागू करना चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद श्री शैलेन्द्र कुमार। माननीय सदस्यों मुझे सात और ऐसे माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हुए है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं।

यदि माननीय सदस्य अपना भाषण चार मिनट में पूरा करने को सहमत हैं तो मैं उन्हें बुलाऊंगा अन्यथा मुझे खेद है।

श्री रामकृपाल यादव, आपके नेता बिल्कुल आपके पक्ष में ही हैं।

***श्री विजय बहुगुणा** (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, अपने देश के विभिन्न भागों में हाल ही में सीमापार से संचालित आतंकी हमलों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हमारी सुरक्षा संप्रभुता और गौरव के लिए गंभीर खतरा है।

महोदय, आज पूरा देश अपने धर्म, नस्ल अथवा क्षेत्र से ऊपर उठकर अभूतपूर्व ढंग से संगठित है और यूपीए सरकार उन आतंकी और उग्रवादी समूहों के जघन्य तंत्र को विफल करने के प्रति कृतसंकल्प है जो हमारे विकास और शांति को भंग कर रहे हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दोषी व्यक्तियों हेतु "प्रभावी जांच शीघ्र मुकदमा और अपेक्षित सजा" सुनिश्चित करने के लिए यह विधेयक लाने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई देता हूं।

यह विधेयक मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक न्यायोचित और उचित संतुलन बनाए हुए हैं।

दोषियों को पकड़ने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच प्रभावशाली समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना करना आवश्यक है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि अन्वेषण अभिकरण से जुड़े पुलिसकर्मी आपराधिक न्यायशास्त्र के इस मूलभूत सिद्धांत का अपेक्षित सम्मान करें कि जब तक दोषसिद्धी न हो जाये व्यक्ति निर्दोष है और ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जा सकता है तथा किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। अतएव यह आवश्यक है कि पुलिस सुधारों को लागू किया जाए। प्रस्तावित विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वैधानिक सुरक्षोपाय है कि इस अधिनियम के उपबंधों का उस प्रकार कोई दुरूपयोग न हो जिस प्रकार से पहले पोटा से संबंधित मामलों में किया गया था।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में जांच पूरी करने के समय को बढ़ाकर 180 दिन करने के लिए संशोधन करना अनिवार्य है क्योंकि आतंकी हमले कहीं और रची गयी साजिश का परिणाम होते है यहां पर तो केवल वे तत्त्व होते है जो उन्हें आतंकी हमलों के लिए संभार तंत्र सहायता मुहैया करवाते हैं।

इन जांचों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए तथा आतंकी कृत्यों में लिप्त विदेशी नागरिकों को जमानत देने संबंधी मामलों पर कड़ी शर्तें लगया जाना आवश्यक था।

धारा 17,18 और 51-क को शामिल करके आतंकी समूहों और उनसे जुड़े लोगों को विधिविरूद्ध गतिविधियां अधिनियम के दायरे में लाया गया है और उसमें आतंकी समूहों और उनसे जुड़े लोगों की परिसंपत्तियों और संपत्तियों को जब्त करने की व्यवस्था है। अधिनियम की धारा 45 जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों की स्वतंत्र समीक्षा करने के बाद केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि तुच्छ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस देश में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है।

धर्मनिरपेक्षता हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का सार तत्व और हमारे संविधान का आधार है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विभाजन के बाद हमारे मुस्लिम भाइयों ने भारत को अपनी मातृभूमि माना और इस देश के विकास में वे अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं।

यह विधेयक आतंकवाद के खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं समझता हूं कि आप भी मेरे पक्ष में हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

महोदय, मैं गृहमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उससे भी पहले यूपीए की माननीय चेयरमैन, श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आतंकवाद से लड़ने के लिए वे एक सख्त कानून लाए हैं। यह कानून कमिटमेंट के साथ लाए हैं। मैं समझता हूं कि इसे पूरा करने का काम यूपीए सरकार करेगी और आतंकवाद समाप्त होगा।

महोदय, जब चर्चा हो रही थी, प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी बोल रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि वह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उनके मन में खोट थी जिसकी वजह से इसको राजनीतिक परिवेश देने की मंशा अपने अंदर लाकर उन्होंने इस बिल को कमजोर करने की कोशिश की है। आज देश के सामने आतंकवाद एक चुनौती है और हम सभी सदस्यों से पूरा देश यह आशा करता है कि हम लोग एक होकर आतंकवाद जैसी चुनौती का मुकाबला करने का काम करें और संकीर्ण एवं दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, एक होकर देश के सामने जाएं।

हमारा इतिहास रहा है कि देश की आजादी के बाद से अब तक जो भी समस्याएं आई हैं, हमने एक होकर उनका मुकाबला करने का काम किया है। इसी तरह आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आज विपक्ष, खासकर बीजेपी के हमारे साथियों के मन में कहीं न कहीं खोट है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वह आतंकवाद से निपटने के लिए यह कानून लाए हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कम्पोजिट कानून नहीं है, इसमें खामियां हैं। अगर हम आतंकवाद की बात करते हैं तो देश में जितनी परेशानी आतंकवाद से है, उतनी ही परेशानी सम्प्रदायवाद से भी है। मैं, हमारी पार्टी और हमारे नेता श्री लालू प्रसाद जी यह मानते हैं कि आतंकवाद और सम्प्रदायवाद, दोनों

[श्री राम कृपाल यादव]

जुड़वा बहनें हैं और देश से आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इस देश से सम्प्रदायवाद खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि फरवरी में पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है, आपने जो कानून बनाया है, उस पर विस्तार से चर्चा करें, डिबेट करें। जब हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कानून बना रहे हैं, तो इसी तरह से सम्प्रदायवाद को समाप्त करने के लिए भी देश में अलग से कानून होने पर ही मैं समझता हूं कि देश शान्तिपूर्ण ढंग से रह सकता है। जब तक देश में सम्प्रदायवाद रहेगा, आतंकवाद भी बना रहेगा। आतंकवाद की बुनियाद बाबरी मस्जिद ढहने के बाद तैयार हुई, आतंकवाद की शुरूआत गुजरात के दंगों, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, के बाद हुई। बाबरी मस्जिद ढहने के पहले हमारे देश में उग्रवाद था, आंतरिक परेशानी थी। मैं इस बात को मानता हूं कि पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों में परेशानी हुई, लेकिन हमने उसका सख्ती से मुकाबला किया क्योंकि हमारे पास उसके लिए इच्छाशक्ति है। हम आतंकवाद को दो धाराओं में नहीं बांट सकते हैं। हेमंत करकरे, एटीएस के प्रमुख के रूप में जब किसी संगठन को कष्ट में लाने का काम करता है, अभिनव अभियान के लोगों को पकड़ने का काम करता है, तो लोगों को परेशानी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को परेशानी होने लगती है। हेमंत करकरे के खिलाफ वे महाराष्ट्र बंद का आह्वान करते हैं। हमारा सिर उस समय शर्म से झुक जाता है, जब हेमंत करकरे और उनके तीन बहादुर जांबाज साथी, जिनको हम सैल्यूट करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके इस देश की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन उनके मरने के बाद जश्न होता है। वे कौन लोग हैं जो इस जश्न में शरीक हुए? माननीय मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं, इस बात का भी पर्दाफाश हो कि वे कौन लोग हैं, जो हेमंत करकरे की मौत के बाद झूठे आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों के चेहरों से भी नकाब उठनी चाहिए। आज हेमंत करकरे होते, तो जिस तरह से आगे की कार्रवाई की जा रही थी, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। मैं सीधे संघ परिवार पर चार्ज लगाना चाहता हूं कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रोटेक्ट करने का काम किया। एक की गिरफ्तारी की आप मांग करें और दूसरे की गिरफ्तारी पर आंदोलन करें, तो ये दो धाराएं नहीं चल सकतीं।

मैं सीधे संघ परिवार के लोगों पर चार्ज लगाता हूं, जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन करने का काम किया था। सारा देश और हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी खास जाति या मजहब के खिलाफ आप जहर घोलेंगे तो फिर हम देश में शांति का वातावरण पैदा नहीं कर सकते। इसलिए सबको समान रूप से देखना पड़ेगा। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों हमारे देश के स्तम्भ हैं। इन्हें मजबूत करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और किसी खास धर्म के प्रति नफरत की भावना मन में नहीं रखनी होगी। अगर हम नफरत की भावना किसी खास समुदाय या मजहब के प्रति रखेंगे तो देश में अमन कायम रखने में मुश्किल होगी। आज देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है।

प्रति पक्ष के नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी बता रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग करें और अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव : वह बता रहे थे कि राजनेताओं के खिलाफ देश में एक वातावरण बना, बड़े पैमाने पर देश में लोगों के मन में राजनेताओं के प्रति असंतोष प्रकट हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आईबी है, सीबीआई है, रॉ है और अन्य कई एजेंसीज हैं, क्या इनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व फिक्स नहीं किया जाएगा कि इनकी जो जिम्मेदारी थी, उसका इन्होंने पालन किया या नहीं। क्या इनके जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही फिक्स नहीं की जाएगी कि इनका जो कर्तव्य था, उसका पालन इन्होंने किया या नहीं। इसलिए यह जो राजनेताओं के खिलाफ षडयंत्र हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट और नहीं दिए जा सकते।

श्री राम कृपाल यादव : मैं शीघ्र ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने शहादत दी और न जाने कितनी ही मां-बहनों का सिंदूर मिट गया था, तब जाकर हमें आजादी मिली और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। वे बुद्धिजीवी जो लोक सभा में नहीं आ सकते, उन लोगों का यह षडयंत्र है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम वे करें और इसीलिए उनके द्वारा देश में सैनिक शासन लाने की बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, थोड़ी स्पीच आगे के लिए भी रख लें।

श्री राम कृपाल यादव : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। देश के सामने और हम सबके सामने समस्या है। हमारी और आपकी कुर्सी खतरे में है। जिस तरह का वातावरण पैदा किया जा रहा है कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उनकी छोड़िए, आप अपनी बात कहें।

श्री राम कृपाल यादव : जिन सैन्य कर्मियों ने मुम्बई घटना में अपनी जान दी, मैं उन्हें सेल्यूट करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि देश एक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी मारे गए, मुस्लिम भाइयों ने और उनके मौलानाओं ने एक स्वर से कहा कि हम उन्हें यहां दफन करने के लिए एक इंच जमीन भी नहीं देंगे। क्या सेक्युलरिज्म नहीं है, देश की आजादी में जितने लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया, उससे कम कुर्बानी अल्पसंख्यक समुदाय ने नहीं दी। उनका भी बड़ा योगदान रहा है। हर मुसलमान आतंकवादी हो जाएगा, विद्रोही हो जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। इसलिए देश को एक रखना है तो सबको समान रूप से देखना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। अब कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका भाषण का समय कम करने के लिए मुझे बेहद खेद है। परंतु कई बार मुझे ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है जो अप्रिय होते हैं।

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : सबसे अच्छा बोले हैं।

अध्यक्ष महोदय : मूड ठीक रहने से अच्छा बोलते हैं। कभी-कभी मूड ठीक नहीं होता।

मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं शुरू करूं?

अध्यक्ष महोदय : हां, बोलिये।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम : सर, ये दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं। माननीय मंत्री जी और विपक्ष के नेता ने भी यह बात कही है। संसद में अगर हम कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करते हैं, सरकार ने खुद अपने स्टेटमेंट और ऑबजैक्ट में कहा है कि "ड्यू कंसीडरेशन" और फिर दो बिल लाने की कोशिश की है। लेकिन हम इतने लाइटनिंग स्पीड में इस तरह के विधेयक को पारित करते हैं, यह हमारे लिए, संसद के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। मुम्बई में जो आतंकवादी हमले हुए, पूरा सदन, पूरा राष्ट्र एक साथ उठकर खड़ा हुआ। लेकिन सरकार क्या ऐसे समय का इंतजार करती है जब कुछ ऐसे हादसे हों और सरकार हरकत में आये। आज की बहस से एक निचोड़ तो निकला कि फरवरी में एक सत्र होगा। जब सत्र होगा तो फिर स्टैंडिंग कमेटी का जो रोल है और जब उसे सभी सराहते हैं, आप यह कहते हैं कि चार हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए कमेटी बनती है और आप उस कमेटी को इसे दे दो तो जितना सरकार इसे महत्व दे रही है, संसद भी उतना ही महत्व देती और उसके बाद दो, चार, पांच हफ्ते के अंदर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंनें सोचा कि सर्वसम्मति से संकल्प लेने के दौरान सदन के सभी वर्ग सर्वसम्मति से यह मांग कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो यह कानून बन जाना उतना ही बेहतर होगा। इस तथ्य के बावजूद कि अगले सत्र की कोई निश्चितता नहीं थी; मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह प्रश्न कभी उठाया जाएगा। मुझे लगा कि यदि मैं इसे स्थायी समिति के समक्ष भेज दूंगा तो लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे।

मोहम्मद सलीम : नहीं; यह कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब, यह मामला फरवरी में लिया जाएगा, जब सत्र होगा। इसके बावजूद आप मुझ पर, अध्यक्षपीठ पर कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि अध्यक्षपीठ ही इसे स्थायी समिति के पास भेजता है। यह सरकार का कार्य तो नहीं है। मेरा मतलब यह है कि यह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती है।

मोहम्मद सलीम : मैं नहीं चाहता कि मेरा वाद विवाद बेकार चला जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा कह सकते हैं, आप कल भी चर्चा कर सकते हैं।

मोहम्मद सलीम : उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की अनिश्चितता थी कि क्या सत्र होगा या नहीं। माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल

[मोहम्मद सलीम]

ने कहा यह 22 फरवरी को होगा - यह निश्चित है। सर, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार के कानूनों का पूरे विश्व में, विशेषकर इस देश में,

[हिन्दी]

जितने यूज हुए हैं उससे ज्यादा एब्यूज हुए हैं। माननीय कपिल सिब्बल जी ने खुद अपने भाषण में कहा है कि किस तरह से ये एब्यूज हुए हैं। अगर आप देखें कि जो लॉ इनफोर्सिंग एजेंसिज हैं, अथॉरिटीज हैं हमेशा कहती हैं कि हमें स्पेशल एक्ट चाहिए। कहीं भी कोई घटना हो जाए तो वे मजबूरी दिखाती हैं कि हमारे पास ये हथियार नहीं है। लेकिन मुल्क में यह नहीं है कि हमारे पास कानून नहीं हैं। समस्या इस बात की है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इंफोर्समेंट ठीक नहीं है। सर, कोई गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। संसद तथा राजनीति के विरोध में लोग इसलिए खड़े होते हैं कि हम कोई ऐसा कानून पारित कर रहे हैं जिससे हम कानून से आतंकवाद को रोक दें। कानून से आतंकवाद नहीं रुकता। कानून बना है पनिश करने और कंविक्शन के लिए या इंवेस्टीगेशन के लिए। इसका मतलब है कि आतंकवादी हमले होंगे, उसके बाद हम आतंकियों को पकड़ पाएं, उन्हें सजा दिला पाएं, वे छूटकर न भागे, इसके लिए कोशिश है। यह निवारक बात नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में प्रीवेंटिव डिटेंशन के लिए एक से एक कानून बने। सर, आप तो कानून के माहिर हैं। पीडी एक्ट, डिफेंस आफ इंडिया एक्ट, नासा, मीसा, पोटा, टाडा एक्ट आदि। स्पेशल एक्ट्स की कमी नहीं है। आजाद भारत में 60 साल के अंदर 5-6 साल छोड़ देने से भी, कभी न कभी, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी नाम से, कोई न कोई स्पेशल कानून है। हम मान लेते है कि स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा। आज तो आतंकवाद का स्पेशल हमला हैं इससे निपटने के लिए सब लोगों ने कहा कि हम सरकार को मदद देने के लिए तैयार हैं। सरकार को यदि कोई और भी साधन जुटाने हैं और भी कोई इकदामात लेने हैं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए तो सब लोग तैयार हैं। स्मगिंलग हो रही है और जिस तरह से पोरस बार्डर से हथियार आ रहे हैं या आतंकी आ रहे हैं या जो करप्शन है इस सिस्टम के अंदर, उसे अगर हम दूर नहीं कर पाएंगे तो कानून चाहे हम जितनी नेक-नीयती से बनाएं, अगर व्यवहार सही ढंग से नहीं होता है तो हम सफल नहीं होंगे। हमने स्पैसिफिक अमेंडमेंट्स दिये हैं लेकिन एक अमेंडमेंट है जो सर्कूलेट नहीं हुआ है, इसलिए हमें यह बताना पड़ेगा। उसमें यह है कि आतंकवाद का हमला तो है लेकिन आतंकवाद विरोधी कानून से आम नागरिक भी आतंकित होते हैं। आतंकवाद और आतंकी को कानून से आतंकित नहीं किया जा सकता है। जो फिदायीन होते हैं जो सुसाइड बम्बर होते हैं उसे हम यह नहीं कहते हैं कि तुम्हें हम मौत की सजा देंगे, इसलिए तुम नहीं आओ। ये डिटरेंट नहीं हैं। वे पोटेशियम साइनेट ले कर आते हैं। जिन आफिसर्स से इंफोर्मेशन मांगते हैं, अगर वे इंफार्मेशन नहीं देंगे या गलत इंफोर्मेशन देंगे, उन्हें हम तीन साल की सजा देंगे, कानून में ऐसा प्रावधान रखने के खिलाफ हमने अमेंडमेंट दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जब अमेंडमेंट आएगा, तब आप कहिएगा।

मोहम्मद सलीम : महोदय, जहां तक नेशनल इंवेस्टगेशन एजेंसी की बात है, फेडरल स्ट्रक्चर है। अकाली दल के नेता और दूसरी रीजनल पार्टी के नेता, सभी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि वे यूनिटरी सिस्टम चाहते हैं। हमने इसका समर्थन किया है। लेकिन जो शेड्यूल है, उसे हमने दो हिस्से में बांटने के लिए कहा है। छह कानून, जो एटोमिक लॉ की तरह हैं, उन्हें एक शेड्यूल में रखो और कोर्ट का जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से सम्बन्धित है, उसे दूसरे शेड्यूल में रखो।

अध्यक्ष महोदय, हमारे अमेंडमेंट्स हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार उन पर तवज्जो दे। चूंकि यह कानून अभी बन रहा है और हम बाद में इस पर डिस्कस करें, तो उससे बेहतर होगा कि हम एक दुरूस्त कानून लेकर आएं।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवान्ना (चामराजनगर)** : धन्यवाद, महोदय मैं इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका अभारी हूं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक 2008 तथा विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक 2008 माननीय गृह मंत्री श्री चिदम्बरम द्वारा पुरःस्थापित किए गए है तथा मैं माननीय गृहमंत्री को उनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई देता हूं।

हमारे देश में समय-समय पर आतंकवादी घटनाएं घटती रही है। इन अमानवीय कृत्यों में हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। देश के लोग इस प्रकार के बुद्धिहीन कार्यों पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आतंकवाद केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरा विश्व इस खतरे का सामना कर रहा है। उदाहरणार्थ आतंकवादियों का अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। हमारे देश के लगभग

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभी शहरों जैसे बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी ने आतंकवादी हमलों का सामना किया है और हाल ही में आतंकवादियों ने भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई को निशाना बनाया। आज अपनी जन्मभूमि से आतंकवाद को उखाड़ फेंकने हेतु ठोस कदम उठाने का सबसे उपयुक्त समय है। माननीय मंत्री श्री पी. चिदम्बरम सही समय पर यह ऐतिहासिक विधेयक लाए हैं। मैं उनके प्रयासों की सराहना करता हूं और देश में आतंकवाद की बुराई को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा की गई कड़ी कार्यवाही का समर्थन करता हूं। मेरा कहना है कि आतंकवाद से निपटने में पूरा सदन और पूरा देश उनके साथ है। अपने देश के सभी नागरिक आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई में उसके साथ हैं। महोदय, हाल के मुम्बई आतंकी हमले में हमारे एनएसजी कमान्डो मारे गए और मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडू (श्रीकाकुलम) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

माननीय गृहमंत्री ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया है। मैं दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं।

बेहतर होता यदि संसद के समक्ष कानूनों को संशोधन हेतु पहले लाया जाता। ऐसा क्यों है? हमारे पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प थे, हमारे पास प्रशासनिक सुधार आयोग था जिसने सुझाव दिया था कि हमें आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष करना चाहिए। ये दोनों रिपोर्टें भी बहुत लम्बे समय से लंबित थी तथा मुम्बई पर आतंकवादी हमलों के बाद ही इन्हें सदन के समक्ष लाया गया। यदि वे पहले लाई जाती तो हम कतिपय घटनाएं रोक सकते थे। यहां तक कि राज्यों के पास जो पुलिस बल हैं उनका भी आधुनिकीकरण नहीं किया गया है, उनके ऊपर अनेक सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। उनके पास धन भी बहुत कम है। आतंकवाद का सामना करने के लिए राज्यों को जो भी सहायता चाहिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। पुलिस बलों को भी आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अत्याधुनिक हथियार और अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक के पारित हो जाने के बाद पूर्व में हुए आतंकवादी हमलों के मामले भी इसे दे दिए जाने चाहिए। इसे पूर्व में हुए हमलों में संलिप्त अपराधियों की जांच एवं उन पर मुकदमा चलाना चाहिए।

धारा 6, नियम 5 के अनुसार, शक्तियों के पृथक्करण में: "इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अनुसूचित अपराध किया गया है जिसकी इस अधिनियम के अधीन जांच की जानी अपेक्षित है तो वह, स्वप्रेरणा से, अभिकरण को उक्त अपराध की जांच करने के लिए निदेश दे सकेगी।" यह भारतीय संविधान में दी गई राज्य की शक्ति का अतिक्रमण होगा। अत: पहले के प्रावधान ठीक हैं। एजेन्सी को राज्य सरकार की जानकारी के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रत्येक राज्य केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करेगा कि इसकी स्वप्रेरणा से जांच क्यों की जाए? अंतत:, इसका समग्र उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करना है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को मिलकर कार्य करना चाहिए। हमें राजनीतिक सीमा से ऊपर उठकर कार्य करना है। अत: राज्य सरकार की जानकारी के बिना, स्वप्रेरणा से मामले को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को हस्तांतरित करना एक ऐसा कार्य है जिसके संबंध में मेरा विचार है कि माननीय गृह मंत्री को यह बात राज्यों के समक्ष स्पष्ट करनी चाहिए।

हम जांच अधिकारियों को अधिक अधिकार दे रहे हैं। इन जांच अधिकारियों के चयन में सावधानी बरती जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, मैंने जब आपका नाम पुकारा आप यहां उपस्थित नहीं थे। मैं आपको बोलने का अवसर कैसे दे सकता हूं?

श्री किन्जरपु येरननायडू : हमें अधिकारियों को विभिन्न पुलिस संगठनों जैसे एसपीजी, सीबीआई से प्रतिनियुक्ति पर लेना है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, चार मिनट से अधिक समय न लें।

(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडू : मैं यही सारे सुझाव देना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने सदन में अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल 2008 और नेशनल इनवैस्टिगेशन एजेंसी बिल 2008 पर हो रही चर्चा में बोलने का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरा निवेदन है कि आप उन सुझावों

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

को अच्छी तरह समझें और बिल में शामिल करें। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवैंशन अमैंडमेंट बिल को जो नाम दिया गया है, मुझे समझ नहीं आया और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि 26 नवम्बर को मुम्बई में जो हमला हुआ और 30 अक्तूबर को असम की कुछ जगहों में जो शक्तिशाली बम विस्फोट हुए थे, उन्हें देखते हुए हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से दबाव आया कि यहां जो आतंकवाद चल रहा है, उसे दबाने के लिए एक शक्तिशाली कानून की जरूरत है। उस सोच और भावना को देखते हुए यह बिल आया है। मेरा सुझाव है कि अगर आतंकवाद और आतंकवादियों को डिफीट करना है तो इस विधेयक का नाम टैरोरिस्ट एक्टिविटीज प्रिवैंशन बिल, 2008 होना चाहिए।

पाकिस्तान और बंगलादेश की तरफ से क्रास बार्डर टैरोरिज्म होता है। उसे डिफीट करने के लिए कोई प्राविजन नहीं है। चाहे असम हो या नार्थ ईस्टर्न की दूसरी स्टेट्स हों, वहां जो आतंकवाद चल रहा है, वह बंगलादेश के रास्ते से होता है। अगर वह ऐसे ही चलता रहेगा तो आप उसे कैसे खत्म करेंगे। इसलिए क्रास बार्डर टैरोरिज्म को रोकने के लिए कोई प्रावधान करने की जरूरत है। हमारे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने में जो पुलिस अफसर अपने दायित्व को अच्छे ढंग से नहीं निभा पाते हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी एकाउंटिबिलिटि फिक्स करने की जरूरत है। हम जो नए कानून बनाने जा रहे हैं, उनका प्रयोग हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर खास तौर से ट्राइबल लोगों के ऊपर न किया जाए। हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जब हमारा बोडो लैंड आंदोलन चल रहा था, तब हजारों निर्दोष लोगों पर टाडा कानून इम्पोज किया गया था और हजारों लोगों को जेल भेजा गया था। आज तक भी बोडो लैंड के उन केसिस को भारत सरकार ने विदड्रा नहीं किया है। मैं आज मांग करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार, असम, सरकार और डीएलपी के साथ नया बोडो समझौता वर्ष 2003 में हुआ था, उसमें भारत सरकार ने वादा किया था कि बोडो लैंड मूवमेंट रिलेटिड जितने केस हैं, इन सारे केसिस को विदड्रा करेंगे। लेकिन आज तक भी उसे विदड्रा नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं बोडो लैंड आंदोलन के सिलसिले में जो केसिस पड़े हुए हैं, इन सब केसिस को विदड्रा किया जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, हम इस गंभीर वातावरण में दो कानून पास करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने के लिए चार मिनट मिलेंगे।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मुझे तो दस मिनट चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए, यह मजाक करने की जगह नहीं है।

श्री रामदास आठवले : महोदय, माननीय मंत्री श्री चिदंबरम जी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 और विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 सदन में लाए हैं। हमारे देश की संसद कानून बनाने में सबसे आगे है। हम कानून बना रहे हैं, लेकिन 13 दिसंबर, 2001 को पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, तब माननीय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे और माननीय आडवाणी जी गृह मंत्री थे, तब पोटा कानून बनाया गया था लेकिन यह बहुत खोटा था। वे पोटा लाए थे लेकिन उसका मिसयूज भी हुआ था। अब माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार है, चिदंबरम साहब को अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, पहले उनके पास दूसरा डिपोर्टमेंट था, यह भी सामना करने के लिए उससे अच्छा है। मुंबई में 26 तारीख को जो हमला हुआ है इसमें दस लोगों ने पूरी दुनिया को जगाने का प्रयत्न किया है। इससे निपटने के लिए भी कानून चाहिए और मेरी मांग है कि इसके लिए हमें हथियार भी चाहिए। एके-47 जैसे हथियार पुलिस के पास होने चाहिए। हमारे जैसे एमपी लोगों को भी एके-47 देना चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर कब हमला होगा इसका पता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फिर 'अध्यक्षपद' के लिए कोई उम्मीदवार नहीं बचेगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : हमारे एमपी सिर्फ पिस्तौल या बंदूक रखते हैं लेकिन बंदूक से क्या हो सकता है क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से आते हैं। अभी तक पाकिस्तान ठीक बात नहीं कर रहा है। वे कभी थोड़ी ठीक बात करते हैं तो कभी उल्टी-सीधी बात करते हैं लेकिन हमारे माननीय मंत्री प्रणव मुखर्जी बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन अब सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, वक्त आने पर उनके ऊपर हमला करने की जरूरत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती बिगाड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम भी युद्ध करके थक चुके हैं, अब दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में एक बात अच्छी हो जाती है कि जब हमला होता है तब हम एक हो जाते हैं लेकिन उसके बाद बिखर जाते हैं। हमारी स्थिति कुछ इस तरह की है। अब हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब यह कानून बनने वाला है और हमारी सरकार रहने वाली है। ये उधर ही रहेंगे और हम इधर ही

रहने वाले हैं। मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं अच्छे कानून बनाएं, चार महीने में अच्छा काम करें क्योंकि बाद में आपको ही स्पीकर बनाना है और आप ही को स्पीकर बनना चाहिए। आप तो स्पीकर बनेंगे लेकिन मेरा क्या होगा?

रात्रि 8.00 बजे

हम आपको स्पीकर तो जरूर बनायेंगे। सोनिया गांधी जी हैं, लालू जी हैं, श्री शरद पवार जी हैं, हम सब लोग दोबारा आपको स्पीकर बनायेंगे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी वाले कुछ भी करें, लेकिन हमारी मैज्योरिटी आने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : इससे आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, टाइम केवल चार मिनट ही मिलेगा।

श्री रामदास आठवले : हम चार मिनट से ज्यादा लेंगे, आपको स्पीकर बनाने के लिए मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूं। इसीलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए आतंकवाद के विरुद्ध जो कानून बन रहा है, उसका मैं अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूरा समर्थन करता हूं। हम सब एक हैं। जय भीम, जय भारत।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : किसी भी लिखित भाषण को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : सर, श्री तापिर गाव दो मिनट बोलने के लिए आए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक पर छः घंटे से अधिक चर्चा कर चुके हैं। दल का समय समाप्त हो चुका है। मैं सबको मौका दे चुका है।

[हिन्दी]

लेकिन दो मिनट में खत्म करेंगे तो ठीक है।

श्री खारबेल स्वाईं : सर, दो मिनट दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं से मैं डरता हूं।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : आनरेबल स्पीकर साहब, जो कानून सदन में लाया गया है, सुबह से इस पर चर्चा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन इस बिल को सदन में लाने के बाद हमें यह सोचना चाहिए कि हमें इस पर आगे क्या करना चाहिए, इस पर मैं केवल दो मिनट बोलना चाहता हूं। श्री चिदम्बरम साहब, इस पोस्ट पर नये हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि कांग्रेस सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को दिए गए उपहार सशस्त्र बल विशेष संरक्षण अधिनियम को देखें और कानून के अनुसार *[हिन्दी]* एक कांस्टेबल भी किसी को शूट कर सकता है। लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। आपको इस कानून को जरूर लाना चाहिए। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो पूर्वोत्तर राज्यों में सदियों से लागू है, उसे आपको रैक्टिफाई करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अनधिकृत स्थान से बोल रहे हैं। मैं आपके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को हटा दूंगा।

श्री तापिर गाव : महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बाद में।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव : भारत में आज हम देख रहे हैं कि ए.के. 47 वर्सेस 303 है, हैंड ग्रेनेड वर्सेस लाठी है। इस कानून को पारित करने के बाद *[अनुवाद]* मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह विधेयक पारित होने के बाद हमारे पुलिस बलों को आतंकवादियों से निपटने के लिए विज्ञान के इस उन्नत युग में ए.के.47 जैसे अत्याधुनिक हथियारों और अन्य अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित करेगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया और नहीं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, कृपया क्या आप मुझे एक वाक्य बोलने का मौका देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया और नहीं। यहां कई 'एक वाक्य' वाले लोग हैं।

श्री पी. चिदम्बरम।

*डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी भाव-भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

महोदय, मैं यह कहते हुए माफी चाहूंगा कि इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता काफी पहले से थी। इसमें काफी विलंब हुआ है, पर कभी नहीं से देरी भली "देरआयद दुरूस्त आयद" जब आग लगती है तभी हम कुंआ खोदते हैं। हमारे प्रिय राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए यह अत्यावश्यक है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लंबी गुलामी के बाद हम आजाद हुए हैं। वर्तमान में हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता को बचाए रखना हमारा परम कर्तव्य हैं।

आज हमारा देश आतंकवाद से लड़ रहा है। देश को आतंकवाद से लड़ना पड़ रहा है। यह सच है कि हमारा देश आतंक प्रभावित देशों में पहले स्थान पर है, परंतु हम आज तक इसका सामना करने में विफल रहे हैं।

महोदय, हमारा दल आतंकवाद के खिलाफ ऐसे कठोर कानून की मांग काफी लंबे समय से कर रहा है। गुजरात में आतंकवाद के विरूद्ध हम गुजकोक विधेयक पारित कर चुके हैं परंतु यह पिछले चार सालों से केन्द्र सरकार के पास अटका पड़ा है।

अब कम से कम सरकार ने ऐसे विधेयकों के प्रति दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है। हमें पूरे देश में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और एकता दिखाने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि सरकार विधेयक पारित करने के साथ-साथ सख्त कदम उठाए।

सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार अफजल की फांसी की सजा को जल्द से जल्द मंजूर करे। गुजरात के 'गुजकोक' विधेयक की तरह सरकार राज्य सरकार के ऐसे विधेयक को पारित करे।

महोदय, हमें इस क्षेत्र में नौकरशाही को व्यावहारिक बनाना होगा। नौकरशाह स्पष्ट और उचित रूप से कुछ नहीं बताते और केवल यह कहते हुए कि वर्तमान में "ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है" बात को टाल देते हैं। परंतु महोदय, यह उनका कर्तव्य है कि वे बिना पक्षपात या भय के देश की वास्तविक स्थिति के बारे में मंत्रियों को सावधान करें।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि गुजरात में हमारे मछुआरों को उनकी नावों सहित पाकिस्तानी तट रक्षकों ने पकड़ लिया। राजनीतिक वार्ता के बाद उन मछुआरों को छोड़ा गया। परंतु उनकी नाव नहीं लौटाई गईं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने केन्द्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए सावधान किया था कि पाकिस्तान इन नावों का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में कर सकता है। यह बात मुम्बई हमले के बाद साबित हो गई। गुजरात सरकार तटरक्षक द्वारा पाकिस्तानी नावों को जब्त करने के लिए तीव्र गति की नावों की मांग करती रही है। परंतु बजट में इसपर कभी भी विचार नहीं किया गया है।

मैं यह कहते हुए माफी चाहूंगा कि अब सरकार की नींद अचानक खुली है और अब वह नावों, हथियारों, उपकरणों और आवश्यक वस्तुओं का त्वरित आवंटन कर रही है। यह पैसा कहां से आएगा? इस प्रकार की विलम्बकारी तकनीक का बहिष्कार करना चाहिए।

महोदय, यह पहला आतंकी हमला है जिसके बाद राजनीतिज्ञों को इस तरह से दोषी ठहराया गया। वर्तमान में हमारी छवि सबसे निचले स्तर पर है। उनकी इच्छा है कि राजनीतिक आतंकवाद के स्रोत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। अन्यथा लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे।

'वेडनस्डे' और 'रंग दे बसंती' जैसे सिनेमा लोगों की प्रतिक्रिया के संकेतक हैं।

यह मेरा विनम्र निवेदन है कि सारे अति महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से जेड+और जेड श्रेणी की सुरक्षा का परित्याग कर दें। जनता की नजर में इस प्रकार की सुरक्षा काफी आलोचनीय है। मैं हमारे गृहमंत्री माननीय श्री चिदम्बरम जी को ऐसी सुरक्षा लेने से मना करने के लिए बधाई देता हूं।

इस मोड़ पर, मैं हमारे प्रिय नेताओं और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा को कम नहीं करना चाहता। पर जैसा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अन्य देशों में है, वहां के सुरक्षाकर्मी सादी वर्दी में बेहतर सुरक्षा करते हैं पर हमारे कमांडों की तरह सामने दिखाई नहीं देते क्योंकि कमांडो का सामने दिखना जनता के सामने गलत संदेश देता है। वे इसका गलत अर्थ समझते हुए यह मानते है कि अति महत्वपूर्ण व्यक्ति केवल अपनी सुरक्षा को लेकर ही चिंतित हैं, आम जनता के लिए नहीं। वे जनता की सुरक्षा और संरक्षा के लिए गंभीर नहीं हैं।

महोदय, इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परंतु इस कानून के संबध में हमें हर स्तर पर पहले से ही "आपदा प्रबंधन"

की तरह आतंकवाद से लड़ने की तैयारी करनी होगी। आतंकवाद का सामना करने के लिए 'समग्र' दृष्टिकोण अपनाना होगा।

मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि स्नातक डिग्री के बाद देश के सभी नौजवान युवाओं को कम से कम एक वर्ष का सैन्य प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया जाए। ब्यौरे तैयार किए जा सकते है। इसके लिए एनसीसी और एनएसएस पर्याप्त नहीं है।

हमें विभिन्न कार्यक्रमों और मीडिया के माध्यम से लोगों को अपनी रक्षा, संरक्षा और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना होगा। हमें लोगों में 'राष्ट्रवाद' की भावना पैदा करनी होगी। महोदय, जनता, पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी, सशस्त्र बलों और नौकरशाही सहित राजनैतिक दलों के बीच संतुलित समन्वय बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों का आयोजन करने और इन पर बातचीत करने की आवश्यकता हैं

महोदय, अंत में मैं मीडिया से उसके बीच चल रही प्रतिस्पर्धा में स्वःअनुशासन बनाए रखने का अनुरोध करूंगा। इस के लिए दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता है कि क्या दिखाया जाना है और क्या नहीं। तथा किस प्रकार की टिप्पणी की जा सकती है और किस प्रकार की नहीं? अन्यथा हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की दिशा में शानदार काम कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि कई संशोधनों पर शीघ्रातिशीघ्र विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा के समय में यह विधेयक शीघ्रातिशीघ्र अधिनियमित हो जाना चाहिए।

*श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली) : महोदय, मैं राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण विधेयक, 2008; और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। ये विधेयक मुम्बई आतंकी हमलों के बाद माननीय गृह मंत्री श्री चिदम्बरम द्वारा लाए गए हैं।

देश के विभिन्न भागों में भारत के विरूद्ध जिस प्रकार से पिछले चार वर्षों से आतंकवादी हमले कर रहे है और मासूम लोगों के मार रहे हैं तथा हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रहे हैं उसके मद्देनजर ये विधेयक बहुत ही पहले लाए जाने चाहिए थे। सौभाग्य से ऐसे कानूनों पर सदन के सभी वर्गों के बीच व्यापक सहमति बनी हुई है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को देश भर में आतंक संबंधी अपराधों की जांच करने के अधिकार प्राप्त होंगे। इन विधेयकों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय गृह मंत्री, श्री चिदम्बरम को बधाई देती हूं। इन विधेयकों की एक झलक देखने से मुझे ऐसा लगता है कि सं.प्र. ग. सरकार के प्रयासों से इन्हें और ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए हैं।

जैसा कि स्पष्ट है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कार्यान्वयन के समय इन विधेयकों का दुरूपयोग न हो। मैं माननीय गृह मंत्री से इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करने और सदन को पुनः आश्वस्त करने का अनुरोध करता हूं।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म, नस्ल अथवा क्षेत्र नहीं होता। इन कानूनों को शीघ्रता से लागू करने से निस्संदेह आतंकी गतिविधियों पर रोक लगेगी और यदि ऐसी कोई घटना घटती भी है तो रोजाना सुनवाई करके मुकदमा चलाकर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। वस्तुतः संसद में मुम्बई आतंकी हमलों की भर्त्सना करने में जिस प्रकार से सभी दलों ने पार्टी लाईन से हटकर अभूतपूर्व एकता का प्रदर्शन किया है, इसके लिए मैं सभी राजनैतिक दलों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। सभी राजनैतिक दलों को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और आतंकवाद के विरूद्ध एकजुट हो जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि एकजुट और मजबूत राजनैतिक इच्छा शक्ति आतंकवाद से लड़ने की दिशा में पहला कदम है।

वस्तुतः हम दो विरोधी पड़ोसियों से घिरे हुए हैं। वे अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां चलाने के लिए आश्रय देते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वे हमारे सुपर पावर बनने से ईर्ष्या करते हैं। अतएव, वे आतंकवादियों को सहयोग देने के काम में लगे हैं। क्या अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों को रोकना उनका दायित्व नहीं है? यदि वे अपने देश में शरारती तत्वों की लगाम नहीं लगा सकते तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। संसद से ऐसे राष्ट्रों को एक संक्षिप्त संदेश भेजा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 बड़े शानदार ढंग से तैयार किया गया है और प्रत्येक खंड पर टिप्पणियां दी गयी हैं। अधिकारियों को नोट करना चाहिए कि खंड 1 में यह कहा गया है कि वे कहीं भी हो और व्यक्ति, पोत और विमानो...."। मुझे लगता है कि यह विमान होना चाहिए। खंड 10 कुछ राज्य सरकारों की आशंकाओं को निर्मूल करते हुए यह व्यवस्था करता है कि जांच से राज्य सरकार की अनुसूचित अपराध या अन्य किसी अपराध की जांच

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

करने और उसके लिए अभियोजन चलाने की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से यह विधेयक राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग लेना चाहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें मामले की प्रगति के बारे में पूरी सूचना दी जाएगी।

खंड 21 में यह कहा गया है कि अपराध का मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती हैं...." क्या केन्द्र सरकार और अधिक विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां मुहैया कराएगी? यदि हां, तो कितने वर्षों तक? यह पांच वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए और तत्पश्चात् राज्य सरकारों को अपना खर्च वहन करना चाहिए। इस विधेयक में विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का उल्लेख किया गया है। न्यायालयों में वर्तमान में उपलब्ध अवसंरचना बेहद कम है। मैं नहीं जानती कि इनकी स्थापना किस प्रकार हो पाएगी?

उच्च न्यायालयों को नियम बनाने की शक्तियां दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खण्ड 23(2) में कहा गया है "इस खंड के अतंर्गत जारी प्रत्येक आदेश जारी होने के तुरंत बाद संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।" सं.प्र.ग. सरकार लोगों की इस आशंका का निवारण पहले ही कर चुकी है कि मुकदमा पारदर्शी और निष्पक्ष होगा।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़ में अभी तक भी अंतर है। हमारी सीमाओं पर अवैध व्यापार हो रहा है। इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं कि व्यापार के दौरान वे नशीले पदार्थ और अत्याधुनिक हथियार भी ला रहे हैं।

हमें भारत बांग्लादेश सीमा सील करने का कार्य पूरा करना चाहिए। उन्हें नदी तट के क्षेत्र में भी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। जहां कहीं भी सीमा पर बाड़ लगाना संभव नहीं है वहां सीमा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उपाय तलाश किए जाएं। क्या मंत्री महोदय सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने की समय-सीमा के बारे में हमें बता सकते हैं?

हम सभी जानते हैं कि आसूचना एकत्रित करने तथा आसूचना को बांटने में कोई उचित समन्वय नहीं है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा माननीय गृह मंत्री को शीघ्रतापूर्वक इस समस्या के हल पर ध्यान देना चाहिए।

हाल ही में हो रहे आतंकवादी हमलों अर्थात् सायबर अपराधों को भी इस नई एजेन्सी के अधिकार में लाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से सायबर अपराध से निपटने हेतु कदम उठाने का भी अनुरोध करता हूं। सायबर अपराध संपूर्ण विश्व के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। मेरे विचार से, निकट भविष्य में सायबर अपराध विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। आज के विश्व में "आतंकवाद" एक अत्यंत सामान्य शब्द बन चुका है। परंतु हम सायबर आतंकवाद की अनदेखी कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में धमाकों से पूर्व आतंक के संदेश भेजने के लिए अपराधियों ने कुछ व्यक्तियों की वाई-फाई प्रणाली को भेद दिया (हैक) है। गृह मंत्री को सायबर अपराधों का मुकाबला करने हेतु एक विशेषज्ञ निकाय संस्थापित करने के लिए दूसरे देशों के साथ परामर्श करना चाहिए।

अंत: मैं इन कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन तथा आतंकवादी कृत्यों को रोकने के लिए हमारे पुलिस बल को अत्यधिक अस्त्रशस्त्र व संचार प्रणाली से समन्वित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं सच्चे ह्रदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा) : महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में रखे गए दो विधेयक (1) राष्ट्रीय जांच ऐजन्सी विधेयक, 2008 और (2) विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 का समर्थन करती हूं, जिन्हें हमारे कृतसंकल्प प्रधान मंत्री, डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व तथा हमारी यूपीए अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में संप्रग की सरकार के गृह मंत्री माननीय, श्री पी. चिदम्बरम द्वारा पुर:स्थापित किया गया है।

चूंकि पोटा का कुछ ताकतों द्वारा दुरूपयोग किया गया था, इसलिए यूपीए सरकार ने इसे वापिस ले लिया। अब अनेक संशोधनों तथा अर्थपूर्ण कृत्यों के साथ दो नए विधेयक पुर:स्थापित किए हैं ताकि अपनी मातृभूमि पर आतंकवादी गतिविधियां रोकी जा सकें। महोदय, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। यह उनकी आतंरिक समस्या है। जिस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई सम्मान नहीं होता है उससे आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाने की आशा नहीं की जा सकती है।

एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत को पूरा हक है कि आतंकवादी हमलों से भारतीय जनता तथा अपनी सीमाओं की रक्षा करें चाहे वे बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका से आएं। एक शांतिपूर्ण देश के रूप में, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तथा हमारे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी जैसी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अमूल्य विभूतियों को खोने के बावजूद भारत ने इन घिनौनी ताकतों के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता दर्शायी है। हमारी संसद, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, बगंलूरू, जयपुर, मुंबई पर हमले के बाद अब भारत में आतंकवाद को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही है। इसीलिए सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए अब कड़े कानून बना रही है। हमें किसी भी निर्दोष व्यक्ति जिसका संबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय विशेष से हो, को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हमें देशभक्त भारतीयों के रूप में आचरण करना चाहिए।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि हमारे सशस्त्र बलों, कमाण्डो, पुलिस तथा अन्य सम्बद्ध लोगों को आधुनिक हथियार तथा उन्नत किस्म का गोला बारूद दिया जाए। कृपया उनके लिए सर्वाधिक व्यवहार कुशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। कृपया अच्छी आजीविका तथा अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास, उत्तम गुणवत्ता वाला राशन, गरीब पुलिस वालों के लिए छात्रवृत्तियां तथा सम्मान पूर्ण पेशेवर स्थितियां प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करें। उनका कार्य समय आठ घंटे तक ही सीमित किया जाए।

सरकार उन लोगों को मृत्युदण्ड देने के बारे में क्यों नहीं सोचती है, जो भारत की भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों का षड़यंत्र रचते हैं, उनकी सहायता करते हैं और इस कार्य के लिए उन्हें पैसा मुहैया कराते हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि भारत की भूमि पर तथा देश की जनता पर जानबूझ कर आतंकवादी हमला करने वालों को मृत्युदण्ड दिया जाए।

दो आतंकवादियों के बीच संदेश, एस.एम.एस. या अन्य इन्टरसेप्शन पर विचार करने के मामले में पुन: ध्यान दिया जाए। मेरे विचार से हमारी अन्वेषण एजेन्सी इस प्रकार के साक्ष्य की यथार्थता की पहचान करने के लिए सही एजेन्सी है। पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सच्चे ह्रदय से इस विधेयक को समर्थन देने पर मैं विपक्ष के नेता माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का धन्यवाद करती हूं।

अंत में, मै विपक्ष के नेता माननीय श्री एल.के. आडवाणी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपनी मातृभूमि में आतंकवाद रोकने के लिए सच्चे ह्रदय से सरकार का समर्थन किया।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, दो विधेयकों पर महत्वपूर्ण चर्चा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता तथा 25 अन्य माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और मैं उन सभी का आभारी हूं। वास्तव में, उनमें से एक या दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने दोनों विधेयकों का समर्थन किया है, बल्कि जिन सदस्यों ने विधेयक में दिए गए कतिपय खंडों के विरूद्ध अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने भी अपनी वास्तविक आपत्तियां व्यक्त की। वे मूल रूप से विधेयकों के विरूद्ध नहीं थे, और न ही विधेयकों के पीछे उनकी ऐसी कोई मंशा थी, परंतु उन्होंने कुछ आशंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की, जिनका मुझे ध्यान है।

अंतत: हम असहमत हो सकते है परंतु मैं उन माननीय सदस्यों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं जिन्होंने एक या दो खंडों के विरोध में अपने विचार रखे हैं। मैं उनके विचारों की कद्र सकता हूं, इन विधेयकों को कानून बनाने का मौका दें और इन कानूनों को लागू होने दें और यदि इन विधेयकों के किसी भाग पर पुर्नविचार करने की जरूरत पेश आती है तो हम निश्चित ही उन भागों पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

सबसे पहले मैं इन दोनों विधेयकों पर विचार करने तथा उन्हें तत्काल पारित करने के लिए लेने हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। यह पूरी तरह से आपके विशेषधिकार में है कि आप इसे स्थायी समिति को भेजें परंतु मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि आपने राष्ट्र की मंशा को समझ लिया है। राष्ट्र इस सभा से आशा करता है कि इन कानूनों को आज ही पारित कर दिया जाए और राष्ट्र संसद से आशा करता है कि इन्हें इस सत्र में ही पारित कर दिया जाए ताकि लोगों में आत्मविश्वास बहाल हो सके। इसलिए, सरकार तथा सभा की ओर से मैं इन विधेयको पर विचार करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

वाद-विवाद का अधिकांश भाग पोटा के बारे में है तथा इस विधेयक की पोटा से तुलना कैसे की जा सकती है। राष्ट्र के जीवन को पोटा-पूर्व तथा पोटा पश्चात दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। पोटा एक ऐसा कानून था जिसे उस समय की सरकार ने कानून की शक्ल दी क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा कानून आवश्यक है। परंतु उत्तरवर्ती चुनी हुई सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पोटा की आवश्यकता नहीं है और पोटा एक उपयुक्त कानून नहीं है। इसलिए उसने उस कानून का निरसन कर दिया। पोटा को लाने और पोटा का निरसन करने के बारे में वाद-विवाद करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। यह ऐसे मामले हैं जिनपर कार्यकारी सरकार ही कोई निर्णय ले सकती है तथा संसद के अनुमोदन के अध्यधीन कानून पारित किया जाता है अथवा कानून का निरसन किया जाता है।

[अनुवाद]

मैं जो बात कहना चाहता हूं और विशेषकर विपक्ष के माननीय नेता के ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं जैसा कि मेरे मित्र श्री

[श्री पी. चिदम्बरम]

कपिल सिब्बल ने कहा वह यह है कि ये सभी कानून दण्डात्मक हैं, निवारक नहीं हैं। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अतिरिक्त कोई और निवारक कानून नहीं बनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारत की रक्षा के लिए राज्य की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा से संबंधित मामलों सहित निवारक नजरबंदी की अनुमति देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लागू किया जा सकता है और व्यक्ति को एक वर्ष तक नजरबंद रखा जा सकता है परंतु यह नजरबंदी बेहद कठोर सुरक्षोपाय तथा न्यायालयों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्तियों का उपयोग करते हैं की निगरानी में होनी चाहिए। ये कानून केवल उसी समय लागू होते है जब अपराध हो चुका हो या होने वाला हो। जिस प्रकार के जेहादी आतंकियों का हमें इन दिनों सामना कर रहे हैं उनके लिए यह कानून बेअसर है। वह यहां मरने के लिए आता है, वह मारने के लिए आता हैं यह उनका रास्ता नहीं रोकता। अतएव क्या पोटा या मकोका अथवा यूपीए आदि का जेहादी आतंकियों को कोई डर नहीं है ये कानून (एक) लोगों में ये विश्वास पैदा करते हैं कि अपराधियों को सजा दी जाएगी (दो) पुलिस बल में यह आत्मविश्वास पैदा करता है कि उनके पास कानूनी कारवाई करने की पर्याप्त कानूनी शक्तियां हैं। (तीन) अभियोजन पक्ष को यह विश्वास कराते हैं कि यदि वे अपराध सिद्ध कर पाते हैं तो इस कानून के अंतर्गत उपलब्ध शक्तियों से वे दोषी को सजा दिलवा सकते हैं। और सामान्य रूप से लोगों में यह आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है कि हम राज्य की सुरक्षा के मुद्दे का समाधान गंभीरता से कर रहे हैं।

माननीय नेता ने इस मामले को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से न देखने को कहा था। मुझ पर कोई भी आरोप लगाया जा सकता है परंतु मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी ने मुझ पर मामलों को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखने का आरोप लगाया है। प्रत्येक धर्म के व्यक्तिगत कानूनों के अतिरिक्त इस देश के सभी कानून धर्म निरपेक्ष हैं। सभी कानून धर्मनिरपेक्ष है और आपराधिक कानून से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष कुछ हो भी नहीं सकता। अपराधिक कानून एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और यह धर्म, जाति नस्ल को कोई मान्यता नहीं देता। अपराधिक कानून तो केवल इसी बात की मान्यता देता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं? मैं इस सदन में यह आश्वासन देता हूं कि इन कानूनों को प्रवृत्त, क्रियान्वित करने के दौरान मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये कानून आतंकी अपराधों या आतंकी घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों के हर वर्ग पर बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू हो। हमें आतंकवादियों के धर्म, उनकी जाति या नस्ल से कोई मतलब नहीं है। यदि कोई आतंकवादी है तो उस पर ये कानून प्रवृत्त होंगे और उस पर तदनुसार अभियोजन चला कर उसे सजा दी जाएगी।

महोदय वामदल में ने मुख्य रूप से इस बात की आलोचना की है कि हम पोटा को फिर से ला रहे हैं। वस्तुत: एक आलोचना तो यह भी हो रही है कि मैं पोटा के मार्ग का आधा सफर पूरा कर चुका हूं।

सांच को आंच नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) संशोधन अधिनियम के उपबंधों का सावधानी-पूर्वक अध्ययन करने का अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम, एक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यह बताना चाहूंगा कि धारा 15 जिसे कि हमने अब बदला है और जो आतंकवादी गतिविधि पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति को परिलक्षित करती है उसमें यह शामिल किया गया है कि "कोई भी ऐसा कार्य जो लोगों या समाज के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या उस पर आघात करने की मंशा से किया गया हो, वह आतंकी गतिविधि माना जाएगा। मैं समझता हूं कि श्री जार्ज की अशंका का समाधान करने के लिए यह पर्याप्त है। यदि लोगों में या समाज के किसी वर्ग में आतंकवाद फैलाने की दृष्टि से कोई कार्य किया गया हो तो उस पर यह अधिनियम लागू हो सकता है।

पुन: अंतर्राष्ट्रीय सहमति की बात करते हुए हमने इस अधिनियम में यह व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति जो आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाएगा, आतंकी कैम्पों का आयोजन करेगा और आतंकवादी गतिविधि के लिए किसी को नियोजित करेगा" उस पर भी यह अधिनियम लागू होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सहमति है कि इन सब गतिविधियों को दण्डात्मक घोषित किया जाए। हमने उपरोक्त सभी गतिविधियों को "आतंकी अपराध" की परिभाषा के अंतर्गत ले आए हैं।

हमने कौन से अतिरिक्त उपबंध किये हैं और वे पोटा से किस प्रकार भिन्न हैं? वस्तुत: इस कानून को बनाने के लिए पोटा को मानदण्ड नहीं बनाया गया है। इसके लिए मैंने यूपीए सरकार और मेरा मानना है कि राष्ट्र के मूल्यों, सिद्धान्तों तथा न्याय की भावनाओं तथा इस राष्ट्र में विकसित प्राकृतिक न्याय और विधिशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग किया था।

निस्संदेह जमानत के उपबंध कड़े बना दिए गए हैं। ऐसा मैं कह चुका हूं और मेरे मित्र श्री कपिल सिब्बल ने भी ऐसा ही कहा है। हमने जमानत के उपबंध कड़े बना दिए हैं। परंतु नब्बे दिनों की समय सीमा पूरी होने के बाद हमने पोटा की नकल नहीं की। कृपया पोटा

के उपबंधों को देखें जो कि धारा 49(2) में उद्धृत हैं और इसकी तुलना नए उपबंध से कीजिए। पोटा में जब अभियोजक न्यायालय से 90 दिनों से ज्यादा समय मांगता है तो न्यायालय को वैसा "करना" ही होता है परंतु यहां हमने यह कहा है कि न्यायालय वैसा "कर सकते" हैं। न्यायालय द्वारा कुछ करने के लिए बाध्य होना और कुछ करने की शक्ति सपन्न होने में बहुत ज्यादा अंतर है।

तत्पश्चात् पोटा में कोई सीमा नहीं थी। यहां पर मैंने कहा है यदि आप 90 दिन से ज्यादा का समय लेते हो तो न्यायालय अनुमति दे सकता है परंतु 180 दिन से अधिक का नहीं। अतएवं पोटा की धारा 49(2) और इस कानून में जमानत पर प्रतिबंध लगाने वाले उपबंधों में बहुत ज्यादा अंतर है।

इसके बाद हमने कहा है कि लोक अभियोजक को सुनवायी का का अवसर दिए बिना आप जमानत नहीं दे सकते। हां, इस धारा में जैसा कि मूल रूप में प्रारूप बनाया गया था और यह कहा गया है कि अध्याय 3 के अंतर्गत गैर कानूनी रूप से एकत्र होने और विधिविरूद्ध संघ बनाने, अध्याय 4 के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियां माने जाने वाले अपराध, और अध्याय 6 के अंतर्गत जिसमे आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराने का कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतएव, यह कहते हुए हम आधिकारिक संशोधन कर रहे हैं कि "इस अधिनियम के अंतर्गत" शब्दों की बजाय इसे "इस अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 6 के अंतर्गत माना जाएगा। अतैव इसमें हम ये संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। हम इसे अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधों पर व्यापक रूप से लागू नहीं कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम प्रमाणित करने के दायित्व में परिवर्तन कर रहे हैं। मुझे डर है कि इस बात को पूरी तरह से गलत ढंग से समझा गया है। श्री कपिल सिब्बल इसे विस्तार से बता चुके हैं। मैं अपने ढंग से यह आपको समझाता हूं। किसी भी अपराधिक मामलो में सिद्ध करने का दायित्व हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। केवल सिविल मामलों में ही न्यायालय साक्ष्य की संभावना के आधार पर निर्णय लेते हैं और साक्ष्य के आधार पर सिद्ध करने का दायित्व एक से बदल कर दूसरे का हो जाता है। परंतु आपराधिक मामलों में प्रारंभ से लेकर अंत तक अपराध को सिद्ध करने का दायित्व हमेशा अभियोजन पक्ष ही का होता है।

हमारे यहां पर क्या किया? मैं विस्तार से बताता हूं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में तीन प्रकार की अवधारणाएं होती हैं। हमने दूसरी अवधारणा नामत: "होना चाहिए" की अवधारणा को चुना है और हमारा कहना है कि "धारा 43(ङ) के (क) और (ख)- मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि क्या - हथियार या गोलाबारूद जब्त किया गया है अथवा अंगुलियों के निशान मिले हैं अथवा अपराध के स्थल से कोई निर्णायक साक्ष्य मिले हैं जो अभियुक्त के शामिल होने की ओर इंगित करता हो।" यह कहीं और नहीं घटनास्थल पर ही मिलेगा। अगर घटना के स्थल पर ये सब मिलते है तभी 'न्यायालय' इसे "साक्ष्य मानेगा" जब तक कि इसके विपरीत यह प्रकट न हो जाए कि अभियुक्त ने उक्त अपराध किया है।

इसके साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 को पढ़ें। यह कहती है कि- "मैंने तथ्य को सिद्ध कर दिया है; मैंने तुम्हारी अंगुलियों के निशान को भी साबित कर दिया है; मैंने साबित कर दिया है कि ये हथियार और गोलाबारूद मैंने तुमसे जब्त किया है; और मैंने यह साबित कर दिया है कि घटना स्थल से मिले निर्णायक साक्ष्य तुम्हारी ओर इशारा करते हैं।" इस पर आप चुप नहीं रह सकते। अब आप बताइए कि जो मैंने साबित किया है वह गलत है, आप नए सबूत लाएंगे ताकि इसके विपरित सिद्ध कर सकें। इसमें गलत क्या है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जैसे चोरी की वस्तुओं को रखना।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं आपका आभारी हूं। हां, यह चोरी की वस्तुओं को रखने जैसा है। अर्थात अपराध को साबित करने का भार किसी और पर नहीं चला जाता। इस विशेष तथ्य को जिसे मैंने साबित किया है एक परिकल्पना को बढ़ावा देता है, एक विपरीत अनुमान को बढ़ावा देता है और अब आप इसके विपरीत साबित कीजिए। कृपया इसकी तुलना पोटा की पुरानी धारा 53 से कर के देखें, आपको इस धारा में और पोटा की पुरानी धारा 53 में अंतर समझ में आ जाएगा।

अंत में, मैंने एक महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय बताया है जिसकी ओर-मुझे लगता है- कि माननीय सदस्य ने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है श्री मोहन सिंह पुनरीक्षा बोर्ड चाहते थे। यह पहले से है। बजाए इसके यह पुनरीक्षा बोर्ड से ज्यादा बेहतर है। जो हमने कहा है वह धारा 45 की उपधारा-2 में है, कि कार्यकारी सरकार मामला दर्ज कर सकती है। कार्यकारी सरकार मामले की जांच कर सकती है। अभियोजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उसे मंजूरी देनी होती है। पर मंजूरी प्रदान करने से पहले एक स्वतंत्र प्राधिकरण साक्ष्य का पुनरावलोकन करती है और फिर सिफारिश करती है कि यह मंजूरी प्रदान करने का उचित मामला है। इसलिए यह अभियोजन शुरू करने के बाद पुनरावलोकन नहीं अपितु अभियोजन शुरू करने के पहले पुनरावलोकन करता है। अब इससे और अधिक क्या सुरक्षोपाय प्रदान किए जाएं?...*(व्यवधान)* यह नियमों में आएगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम आपके विचार जानना चाहते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : मेरा मानना यह है कि जो विधि प्रशिक्षित न्यायिक प्राधिकरण होगा जिसे ऐसे मामलों का अनुभव होगा और वह एक स्वतंत्र प्राधिकरण होगा इसलिए यह अभियोजन शुरू करने से पहले पुनरावलोकन है। मेरी जानकारी में यह पहली बार है जब हम आपराधिक कानून के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय प्रस्तावित कर रहे हैं। हमारे द्वारा प्रस्तावित यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय है जिससे कि इस कानून का गलत इस्तेमाल न हो सके।

महोदय मुझे लगता है कि मैंने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम का वर्णन कर दिया है। मुझे खुशी है कि कुछ माननीय सदस्यों ने अमरीकी और ब्रिटिश कानूनों में कुछ विशेषताएं खोज निकाली हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हमारा विधिशास्त्र और अमरीका तथा ब्रिटिश के विधिशास्त्र एक समान ही हैं। मुझे लगता है कि हमने जितना किया है वह जरूरत से अधिक है। यह जांच और अभियोजन एजेंसियों तथा मानवाधिकार के लिए आवश्यक तत्वों के बीच संतुलन बनाकर रखता है।

महोदय, इस संबंध में मैं केवल एक चीज पढ़ूंगा। जबकि मैं यह जानता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता यह चाहते हैं कि पुलिस के समक्ष दी गई संस्वीकृति को मान्य बनाया जाए तथा जमानत के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाया जाए, पर कृपया यह ध्यान रखें कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें छोड़कर ...*(व्यवधान)* अपने मूलरूप से लागू विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक की धारा 46 पहले से ही ग्राह्य इंटरसेपशन की व्यवस्था करती है। कृपया धारा 46 पढ़ें।

अब जबकि जनता हमें देख रही है और न्यायालय भी हमें देख रहे हैं जैसा कि काबिल दोस्त ने कहा है कि करतार सिंह के मामले पर दो न्यायाधिशों की खंडपीठ ने संदेह किया है। पर भारत के मुख्य न्यायधीश ने जो बात चार दिन पहले कही है उसको मैं उद्धृत करता हूं:–

"तथापि, केवल आतंकवादियों का पीछा करते हुए किसी राष्ट्र की संप्रभुता का निरंकुश अतिक्रमण औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता।"

फिर वे कहते हैं "इसके अलावा आतंकवादी घटना से उत्पन्न त्रासदी वैयक्तिक अधिकारों और स्वतंत्रा की अनावश्यक कटौती में इस्तेमाल की जा सकती है। आतंकवाद में बढ़ोतरी के विरूद्ध यथेष्ट प्रतिक्रिया की बजाय देश विवादास्पद प्रक्रिया जैसे कि संदिग्ध आतंकी को अनिश्चतकाल तक बंदी बनाने की आज्ञा, प्रपीड़क पूछताछ की तकनीक का प्रयोग तथा निष्पक्ष जांच के अधिकार की उपेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। आपराधिक न्याय व्यवस्था के बाहर आतंकी हमलों से उत्पन्न भय को नागरिकों पर बढ़ती सरकारी निगरानी तथा अप्रवास पर बढ़ते अनावश्यक रोकथाम से भी जोड़ कर देखा जा सकता है।"

"कुछ स्थानों पर यह आपत्ति की जाती है कि न्यायपालिका आतंकवाद से निपटने के लिए गठित जांच एजेंसियों की शक्ति पर अनावश्यक लगाम लगाती है। भारत में जो लोग उपर्युक्त विचार रखते हैं वे यह भी मांग करते हैं कि हमारे आपराधिक और साक्ष्य कानून में परिवर्तन किए जाएं जैसे कि निषेधात्मक कैद को लंबी अवधि तक बढ़ाने की व्यवस्था तथा पुलिस के समक्ष दिए गए संस्वीकृति को न्यायालय में मान्य बनाने की व्यवस्था की जाए। यद्यपि इस संबंध में अंतिम निर्णय विधायिका को लेना है परंतु हम इस बात का ध्यान रखें कि इससे संवैधानिक सिद्धांतों, जैसे कि स्वायत्त प्रक्रिया को आघात न पहुंचे।"

"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'वैयक्तिक स्वतंत्रता' की इस गारंटी को अवधारणात्मक रूप हमारे उच्चतम न्यायालय ने दिया। इसका आवश्यक क्रियान्वयन सभी सरकारी कार्यवाहियों में अपवादात्मक स्थितियों सहित-तर्कसंगत, गैर-निरंकुश तथा भेदभाव रहित होना चाहिए। इसका मतलब है कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उत्पीड़न तथा प्रपीड़क पूछताछ के अन्य तकनीकों के प्रति हमें काफी चौकन्ना रहना होगा। अवपीड़क पूछताछ की तकनीक केवल गलत स्वीकारोक्ति को बढ़ावा देती है और आतंकवादी हमलों के रोकथाम में मदद नहीं देती है। इसके अलावा अगर जांच एजेंसियों द्वारा इसे एक आसान रास्ते के रूप में देखा गया तो इस संबंध में उदारता से आत्मसंतोष को बढ़ावा मिलेगा।

"पुलिस के सामने दिए गए इकबालिया बयानों की स्वीकार्यता संबंधी प्रस्ताव भी संदिग्ध है क्योंकि इसमें इस बात का भय है कि इस प्रकार का परिवर्तन करने से जांच एजेन्सियां दोषसिद्धि हेतु पूरी जांच करने की बजाए यातना देने पर अधिक बल देंगी एवं अवपीड़क तरीके से पूछताछ करेंगी।"

"इस संबंध में न्यायपालिका की भूमिका का गलत अर्थ न लगाया जाए। 'स्वतन्त्र उपयुक्त प्रक्रिया' के संवैधानिक सिद्धांत का पालन करना आतंकवाद के प्रति हमारी सामूहिक जवाबदेही का आवश्यक भाग है। विधि समुदाय का एक हिस्सा होने के कारण हमें सभी व्यक्तियों के निष्पक्ष विचारण के अधिकार का समर्थन करना चाहिए अपराध चाहे जितना जघन्य क्यों न हो। यदि हम इस अधिकार के उल्लंघन की बात स्वीकार करते हैं तो यह हमारा उन लोगों

की तुलना में नैतिक पतन माना जाएगा जो घृणा एवं हिंसा का उपदेश देते हैं। हमें उन बातों के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए जो एक परिपक्व लोकतांत्रिक समाज के विचार को कतिपय दिग्भ्रमित व्यक्तियों के कार्य से भिन्न करती हैं।''

इसलिए, हमने कानून की आवश्यकताओं, अन्वेषण एवं अभियोजन एजेन्सियों और निष्पक्ष विचारण एवं मानव अधिकारों की आवश्यकताओं में संतुलन बनाने का प्रयास किया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में मेरा कहना है कि इसके लिए व्यापक समर्थन मिला है। मैं जानता हूं वामपंथी दलों के कुछ माननीय सदस्य ये कहेंगे कि ''अनुसूची को दो भागों में बांटा जाए, पहले छह को अनुसूची-एक के अंतर्गत रखा जाए जिसकी जांच एनआईए करे तथा शेष दो अधिनियमों को अनुसूची-दो में रखा जाए जिसकी जांच एनआईए एवं राज्य एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से की जाए।'' मेरा मानना है कि यदि वे शांतिपूर्वक सोंचे तो वे महसूस करेंगे कि विगत में भी ऐसे मामले हुए होंगे एवं भविष्य में भी होंगे जिनमें किसी राज्य में आतंकवादी घटना संबंधी अपराध होता है एवं स्थानीय पुलिस पर इस बात का संदेह होता है कि वह अपराध को छिपाने का प्रयास कर रही है तो ऐसे मामले में, यदि आप यूपीए को भाग दो में रख सकते हैं तो उस मामले की जांच करने में एनआईए के समक्ष समस्या आएगी एवं वह पूर्णतः पंगु हो जाएगी। मेरे विचार से शांतिपूर्वक सोचने से इसमें मद मिलेगी। मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं मामलों का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं लेकिन हमें ऐसे मामलों का पता है जिनमें स्थानीय पुलिस पर अपराध छिपाने का संदेह किया गया है। यदि आप इसे अनुसूची-दो में रखते हैं और संपर्क करना अनिवार्य बनाते हैं जो उनकी जांच पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी। इसलिए हमने सोचा है कि ऐसा करना व्यावहारिक है तो राज्य एजेन्सी से संपर्क करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन मैं नियम बनाऊंगा। मैं दिशानिर्देश विहित करूंगा, मेरा कहना है कि जहां अधिकांश मामलों में स्थानीय पुलिस पर संदेह नहीं हो एनआईए को सदैव राज्य एजेन्सी से संपर्क करने के लिए कहा जाए। इसलिए उस संशोधन पर जोर दें। इसे एक अनुसूची में रहने दें।

महोदय अंत में, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमने अनेक कदम उठाए हैं। मैं उन्हे दोहराना नहीं चाहता हूं। ये कानून उठाए कदमों का केवल एक भाग है। मैंने कुछ दिन पहले दिए गए वक्तव्य में उठाए गए कदमों की लम्बी सूची दी है। मैं इस सभा को बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने मुझसे पहले ही मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने को कहा है। मुख्य मंत्रियों की बैठक 6 जनवरी 2009 को बुलाई गई है। इसी बीच मैंने मुख्य मंत्रियों से उनको लिखे पत्र में अनेक कदम उठाने का अनुरोध किया है। मुझे आशा है कि वे इन महत्त्वपूर्ण कदमों को उठाएंगें और 6 जनवरी को सम्मेलन में दिल्ली आएगें जिसमें हम मुख्य मंत्रियों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे और तत्पश्चात इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करेंगे हम इस पर रात-दिन विचार कर रहे हैं। यह देश अपनी सुरक्षा में कमी नहीं कर सकता। सतत सतर्कता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है। हमें सतर्क रहना है और मैं पूरे सदन से इन विधेयकों का सर्वसम्मति से समर्थन करने की मांग करता हूं। हमें इस सदन को विभाजित नहीं करना चाहिए। हमें मत विभाजन की मांग नहीं करनी चाहिए। मैं वादा करता हूं कि अगली बार मिलने पर आप जो कहेंगे हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन इसी के साथ-साथ इन दोनों विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करके हमें एक उद्देश्य एवं कार्य की समानता दर्शानी चाहिए और पूरे देश को यह बताना चाहिए कि सतत सतर्कता स्वतन्त्रता का मूल्य होने के कारण यह सभा देश की स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा की रक्षा करेगी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008

अध्यक्ष महोदय : अब, हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 को पहले लेंगे।

प्रश्न यह है कि:–

''भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

खण्ड 2 परिभाषाएं

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,–

''इस अधिनियम की अनुसूची''

के स्थान पर''इस अधिनियम की अनुसूची I और II'' प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

अध्यक्ष महोदय : अब, मै श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे इसे नियमों में शामिल करेंगे। इसीलिए हम मत-विभाजन के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 7 राज्य सरकार को जांच अंतरित करने की शक्ति।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य। क्या आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि नियम बनाते समय वे हमारी मांगों को इसमें शामिल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आपकी मांगों का ध्यान रखा जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : अत: मंत्री जी के आश्वासन के मद्देनजर मैं उसके लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : तब मुझे संशोधन पेश करके इन्हें अस्वीकृत कराना चाहिए। वह यह नहीं कह रहे हैं कि वह इसके लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : उन्होंने कहा है कि वह इसके लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन प्रस्तुत नहीं करने का उनका दूसरा तरीका है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(1) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (I) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय के सुसंगत होगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 4 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17 क अभियोजन की अनुमति

संशोधन किया गया

"पृष्ठ 7, पंक्ति 24 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,-

> "17क. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात की बात अभिकरण के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य

करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी न्यायालय में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, नहीं की जाएगी।''। (4)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैः

''कि नया खंड 17क विधेयक में जोड़ दिया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 से 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जैसाकि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है इसलिए मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैः

''कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा अधिनियम का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है-

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि मैं यह कह सकता हूं कि विधेयक संशोधित रूप में सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैः

''कि विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:—

''कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 12 गिरफ्तारी और अभिग्रहण, आदि की शक्ति संबंधी नई धारा 43क से 43च का अंतःस्थापन

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 41,—

''एक सौ अस्सी दिनों तक विस्तारित कर सकेगा'' के स्थान पर ''नब्बे दिनों से अधिक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है'' प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : मुझे लगता है कि 'हां' वालों की संख्या अधिक है। हम मत विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मत विभाजन की मांग कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : 'हां' हम सभी मत विभाजन की मांग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है:—

पृष्ठ 5, पंक्ति 41,—

"एक सौ अस्सी दिनों तक विस्तारित कर सकेगा" के स्थान पर "नब्बे दिनों से अधिक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मतविभाजन संख्या 3 पक्ष में रात्रि 8.37 बजे

अप्पादुरई, श्री एम.

आचार्य, श्री बसुदेव

करूणाकरन, श्री पी.

कुरूप, एडवोकेट सुरेश

कृष्णदास, श्री एन.एन

कृष्णन, डा. सी.

खां, श्री सुनील

चक्रवर्ती, डा. सुजान

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी.के.

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

डोम, डा. रामचन्द्र

दासगुप्त, श्री गुरूदास

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाल, श्री रूपचंद

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

मनोज, डा. के.एस.

मिडियम, डा. बाबू राव

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

राधाकृष्णन, श्री वरकला

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सलीम, मोहम्मद

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा

हमजा, श्री टी.के.

विपक्ष में

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र

अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

अनंत कुमार, श्री

अहमद, डा. शकील

अहमद, श्री ई.

आठवले, श्री रामदास

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

*आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलँगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

ओला, श्री शीश राम

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कलमाडी, श्री सुरेश

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कादर मोहिद्दीन, प्रो. के.एम.

कामत, श्री गुरूदास

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती परनीत

खारवेनथन, श्री एस.के.

खैरे, श्री चंद्रकांत

गंगवार, श्री संतोष

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्री गिरिधर

गांधी, श्री राहुल

*गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गाव, श्री तापिर

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

गौडा, श्रीमती तेजस्विनी

घुरन राम, श्री

चालिहा, श्री किरिप

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

*चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्रीमती रेनुका

चौरे, श्री बापू हरी

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर.एल.

जेना, श्री मोहन

*जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

टाइटलर, श्री जगदीश

टुम्मर, श्री वी.के.

डेलकर, श्री मोहन एस.

तंगबालु, श्री के.वी.

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

थुपस्तन, श्री छेवांग

दत्त, श्रीमती प्रिया

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री बिक्रम केशरी

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देवरा, श्री मिलिन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नरबुला, श्री डी.

नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्रीमती अर्चना

निखिल कुमार, श्री

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पटेल, श्री दिनशा

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

परांजपे, श्री आनंद

पल्लानी शामी, श्री के.सी.

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़

पाटील, श्री प्रतीक पी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मणराव

पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब

पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.

पाठक, श्री हरिन

पायलट, श्री सचिन

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासवान, श्री रामविलास

पासवान, श्री वीरचन्द

पासवान, श्री सुकदेव

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रभु, श्री आर.

प्रसाद, कुंवर जितिन

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ

फैन्थम, श्री फ्रांसिस

बंसल, श्री पवन कुमार

बहुगुणा, श्री विजय

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बालू, श्री टी.आर.

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

भक्त, श्री मनोरंजन

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

भूरिया, श्री कांति लाल

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महावीर प्रसाद, श्री

माकन, श्री अजय

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मूर्ति, श्री ए.के.

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री एम. अंजनकुमार

यादव, श्री गिरिधारी

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री सीता राम

यास्खी, श्री मधु गौड

रंजन, श्रीमती रंजीत

*रघुपति, श्री एस.

रठवा, श्री नारनभाई

राजगोपाल, श्री एल.

राजा, श्री ए.

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेन्तीरन, श्रीमती एम.एस.के. भवानी

राणा, श्री गुरजीत सिंह

राणा, श्री रबिन्दर कुमार

रानी, श्रीमती के.

रामचन्द्रन, श्री जिन्जी एन.

राव, श्री डी. विट्टल

*राव, श्री रायापति सांबासिवा,

रावले, श्री मोहन

रिजीजू, श्री कीरेन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

लालू प्रसाद, श्री

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

विजयन, श्री ए.के.एस.

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

वेलु, श्री आर.

शर्मा, डा. अरविन्द

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम

शिवन्ना, श्री एम.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

सज्जन कुमार, श्री

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सहाय, श्री सुबोध कांत

सांगवान, श्री किशन सिंह

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहू, श्री चंद्रशेखर

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंह, चौधरी बिजेन्द्र

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री देवव्रत

*सिंह, श्री मानवेन्द्र

सिंह, श्री मोहन

*सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्री सूरज

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती प्रतिभा

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सुमन, श्री रामजीलाल

सुम्बरूई, श्री बागुन

सेनथिल, डा. आर.

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

स्वाईं, श्री खारबेल

हान्डिक, श्री विजय

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अनवर

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन** मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**पक्ष में + शून्य - 28

विपक्ष में 179 + सर्वश्री जे.एम. आरून रशीद, श्री पी. चिदम्बरम, श्रीमती सोनिया गांधी, सर्वश्री कैलाश जोशी, रायापति सांबासिवा राव, एस. रघुपति, लक्ष्मण सिंह और मानवेन्द्र सिंह ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया - 187

पक्ष में : 28

विपक्ष में : 179

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखिए। अगला संशोधन श्री गुरूदास दासगुप्त का है। क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त : जी नहीं, मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 3 श्री बसुदेव आचार्य। क्या आप इसे प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं इसके लिए आग्रह कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 4, माननीय मंत्री महोदय संशोधन किया गया:—

पृष्ठ 8, 19, "इस अधिनियम के अधीन दंडनीय" के स्थान पर "इस अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 8 के अधीन दंडनीय" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 धारा 45 का संशोधन

संशोधन किए गए:—

पृष्ठ 7, पंक्ति 27 और 28

"रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही दी जाएगी" के स्थान पर "रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे समय के भीतर दी जाएगी जो विहित किया जाए"; प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 7, पंक्ति 29

"केन्द्रीय सरकार को उसकी सिफारिश करेगा" **के स्थान पर** केन्द्रीय सरकार को ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उसकी सिफारिश करेगा" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 धारा 52 का संशोधन

संशोधन किया गया:—

पृष्ठ 8, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें,—

"14क. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(ङङ) वह समय जिसके भीतर धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की जाएगी; और',"। (7)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 14 क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खोल दी जाएं।

सभा अब कल 18 दिसंबर, 2008 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8-40 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा गुरूवार, 18 दिसंबर, 2008/27 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सुग्रीव सिंह	261
2.	श्री रनेन बर्मन श्री बसुदेव आचार्य	262
3.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	236
4.	श्रीमती मेनका गांधी	264
5.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	265
6.	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	266
7.	श्री सनत कुमार मंडल	267
8.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर	268
9.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	269
10.	श्री रायापति सांबासिवा राव श्री डी. विट्ठल राव	270
11.	श्री रामदास आठवले	271
12.	श्री फ्रांसिस फैन्थम	272
13.	श्री नन्द कुमार साय	273
14.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	274
15.	श्री विजय कृष्ण श्री के.सी. पल्लानी शामी	275
16.	श्री चन्द्र भूषण सिंह श्री महावीर भगोरा	276
17.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	277
18.	श्री किसनभाई वी. पटेल	278
19.	श्री गिरिधारी यादव	279
20.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2759
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2728, 2822, 2871, 2902
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद	2688, 2801, 2877
4.	अहीर, श्री हंसराज् गं.	2714, 2798, 2843, 2855
5.	अजय कुमार, श्री एस.	2721, 2841
6.	अंगडि, श्री सुरेश	2756, 2824

1	2	3
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2723
8.	आठवले, श्री रामदास	2698, 2721, 2813, 2866
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2707, 2795, 2818, 2829, 2873
10.	बर्मन, श्री हितेन	2786, 2856
11.	बर्मन, श्री रनेन	2738, 2754, 2829, 2856
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2694, 2721, 2842, 2879
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2759
14.	भगोरा, श्री महावीर	2698, 2803, 2862, 2898
15.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2745
16.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2777, 2778, 2845, 2884, 2885
17.	बोस, श्री सुब्रत	2738
18.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2703, 2741, 2831
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2685
20.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2736, 2820
21.	चालिहा, श्री किरिप	2746, 2835
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2724, 2834
23.	चौरे, श्री बापू हरी	2747
24.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2704, 2788
25.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2697, 2718, 2734, 2833, 2882
26.	चिन्ता मोहन, डा.	2823
27.	चौधरी, श्री पंकज	2771
28.	चौधरी, श्री अधीर	2814
29.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2750, 2834

1	2	3
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	2732
31.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	2821, 2870, 2901
32.	धोत्रे, श्री संजय	2742
33	दत्त, श्रीमती प्रिया	2686, 2781
34.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2769, 2818, 2829, 2872
35.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2825
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2696
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2703, 2751, 2779, 2909
38.	गांधी, श्रीमती मेनका	2749, 2812, 2848, 2864, 2895
39.	घुरन राम, श्री	2772
40.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2689, 2737, 2879
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2700
42.	जयाप्रदा, श्रीमती	2776, 2843
43.	जिन्दल, श्री नवीन	2760, 2783, 2849, 2888, 2904
44.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2730, 2809, 2815, 2873
45.	खां, श्री सुनील	2722,
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2691, 2728, 2784, 2850, 2889
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2693, 2720
48.	कृष्ण, श्री विजय	2806, 2860, 2896
49.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2687
50.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2710
51.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2777, 2844, 2884
52.	महरिया, श्री सुभाष	2720

1	2	3
53.	महतो, श्री नरहरि	2684
54.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2745
55.	महताब, श्री भर्तृहरि	2770
56.	महतो, श्री टेक लाल	2719
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	2703, 2711, 2751, 2779, 2909
58.	मनोज, डा. के.एस.	2731
59.	मसूद, श्री रशीद	2911
60.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2758
61.	मैन्या, डा. टोकचोम	2706, 2776, 2790, 2908
62.	मिश्रा, डा. राजेश	2759
63.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2753, 2846
64.	मंडल, श्री अबु अयीश	2740, 2879
65.	मुर्मु, श्री हेमलाल	2729, 2808, 2859
66.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	2739, 2810
67	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2774, 2883
68.	नायक, श्री अनन्त	2725
69.	ओराम, श्री जुएल	2699
70.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2768
71.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2791, 2851, 2890
72.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2750
73.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2689, 2737
74.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2697, 2797, 2860
75.	पासवान, श्री सुकदेव	2758

1	2	3
76.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2743, 2847
77.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2800, 2817, 2827, 2875
78.	पाठक, श्री हरिन	2753, 2757, 2846, 2886
79.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2709, 2721, 2793, 2880
80.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	2760, 2843
81.	पटले, श्री शिशुपाल, एन.	2775
82.	प्रधान, श्री प्रशान्त	2725
83.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2718, 2764, 2766, 2839, 2883
84.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2744, 2837, 2876
85.	राजगोपाल, श्री एल.	2807, 2858, 2906
86.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2701, 2819, 2868, 2903
87.	रामदास, प्रो. एम.	2769, 2836
88.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2690
89.	राणा, श्री काशीराम	2762
90.	रानी, श्रीमती के.	2760, 2830
91.	राव, श्री के.एस.	2698, 2713, 2796, 2854, 2891
92.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2805, 2861, 2879, 2893
93.	राव, श्री डी. विट्टल	2767
94.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2726
95.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2721
96.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2727, 2752, 2756
97.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2705, 2789, 2853
98.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2728, 2829, 2891, 2912

1	2	3
99.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2716, 2724, 2884
100.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2763, 2764
101.	साय, श्री नन्द कुमार	2800, 2817, 2827, 2869, 2874
102.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2752
103.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2780
104.	सेन, श्रीमती मिनाती	2755
105.	सेनथिल, डा. आर.	2716
106.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2717, 2733, 2799, 2867, 2899
107.	शर्मा, डा. अरविन्द	2767
108.	शर्मा, श्री मदन लाल	2769, 2836
109.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2728, 2822, 2844, 2847
110.	शिवन्ना, श्री एम.	2773
111.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	2689, 2832, 2879
112.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2698, 2785, 2852, 2880, 2892
113.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2752, 2804, 2857, 2897
114.	सिंह, श्री गणेश	2760, 2910
115.	सिंह, श्री मानिक	2758
116	सिंह, श्री रेवती रमन	2733, 2816, 2867, 2881
117.	सिंह, श्री सुग्रीव	2800, 2817, 2869, 2900
118.	सिंह, श्री सूरज	2823, 2826, 2907
119.	सिंह, श्री उदय	2802, 2848
120.	सिंह, श्री विजयेन्द्र पाल	2683, 2782
121.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2712, 2794, 2804

1	2	3
122.	सुब्बारायण, श्री के.	2735
123.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2702, 2760, 2787, 2829
124	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2761
125.	सुमन, श्री रामजीलाल	2826, 2907
126	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2841
127	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2692, 2779
128.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	2689, 2695, 2876
129.	थामस, श्री पी.सी.	2765
130.	तुम्मर, श्री वी.के.	2734, 2763, 2833, 2839, 2840
131.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2689, 2832, 2879
132.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2807, 2811, 2863, 2894
133.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2749, 2830, 2887
134.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2762, 2766, 2801, 2838, 2878
135.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2708, 2792, 2905
136.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2715
137.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2728, 2809, 2822, 2865
138.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2751, 2779, 2909
139.	यादव, श्री गिरिधारी	2828
140.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2775
141.	यादव, श्री राम कृपाल	2758
142.	यास्खी, श्री मधु गौड	2703, 2711, 2751, 2779, 2909
143.	येरननायडु, श्री किन्जुरपु	2748, 2879

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	262, 277
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	264, 268
विदेश	:	
वित्त	:	267, 271, 274, 278, 279
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	261, 265, 269, 270, 273, 280
सूचना और प्रसारण	:	272, 275
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	263
पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग	:	266, 276
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2693, 2694, 2720, 2748, 2862, 2869, 2881, 2900
कोयला	:	2719, 2722, 2729, 2730, 2736, 2743, 2754, 2759, 2786, 2792, 2809, 2815, 2818, 2856
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास		
पर्यावरण और वन	:	2683, 2684, 2686, 2688, 2690, 2701, 2709, 2725, 2738, 2739, 2749, 2762, 2763, 2782, 2799, 2829, 2858, 2864, 2868, 2884, 2886, 2889, 2892, 2894, 2895

विदेश	:	2696, 2750, 2751, 2791, 2804, 2814, 2821, 2824, 2860, 2867, 2883, 2910
वित्त	:	2701, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2779, 2780, 2793, 2794, 2795, 279[illegible], 2797, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2847, 2852, 2853, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2903, 2908
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2689, 2698, 2699, 2703, 2705, 2716, 2717, 2718, 2724, 2727, 2728, 2731, 2733, 2735, 2746, 2755, 2756, 2760, 2776, 2777, 2784, 2789, 2801, 2802, 2803, 2805, 2806, 2807, 2808, 2812, 2813, 2816, 2817, 2819, 2827, 2843, 2844, 2849, 2851, 2857, 2859, 2861, 2871, 2873, 2891, 2893, 2896, 2902, 2904, 2906, 2909
सूचना और प्रसारण	:	2691, 2700, 2737, 2740, 2741, 2742, 2744, 2757, 2778, 2788, 2820, 2825, 2828, 2845, 2872, 2874, 2885, 2890
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2721, 2745, 2752, 2865
पंचायती राज	:	2747, 2787
संसदीय कार्य	:	2783
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2695, 2798, 2850, 2866
योजना	:	2685, 2707, 2726, 2758, 2781, 2870, 2897, 2901, 2907
पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग	:	2692, 2732, 2734, 2753, 2761, 2785, 2810, 2811, 2823, 2826, 2846, 2848, 2854, 2863, 2883, 2898, 2905, 2912
अंतरिक्ष	:	2702, 2790, 2822, 2888
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2697, 2899, 2911
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2687, 2704, 2706, 2708, 2723, 2800, 2855, 2882

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी०एल०एस०-48/36/14/2008 (एन०)
230

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।